



भारतक संविधान

THE CONSTITUTION OF INDIA

मैथिली
Maithili

2024

भारत सरकार
विधि आ न्याय मंत्रालय
विधायी विभाग
राजभाषा खंड

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF LAW AND JUSTICE
LEGISLATIVE DEPARTMENT
OFFICIAL LANGUAGES WING



भारतक संविधान

[1 मई, 2024 धरि यथाविद्यमान]

THE CONSTITUTION OF INDIA

[As on 1st May, 2024]

2024

भारत सरकार

विधि आ न्याय मंत्रालय

विधायी विभाग, राजभाषा खंड

GOVERNMENT OF INDIA

MINISTRY OF LAW AND JUSTICE

LEGISLATIVE DEPARTMENT, OFFICIAL LANGUAGES WING

PREFACE

It is with great pride that we present the first edition of the Constitution of India in the Maithili language. This edition has been prepared by the National Translation Mission (NTM), Central Institute of Indian Languages (CIIL), Mysuru on behalf of the Official Languages Wing of the Legislative Department, Ministry of Law and Justice.

The Translation of the Constitution of India into Maithili is a conscious step towards making available of the Constitution of India in the language which manifests the linguistic heritage of the country.

In this edition, the text of the Constitution of India has been brought up-to-date by incorporating therein all the amendments up to the Constitution (One Hundred and Sixth Amendment) Act, 2023. The footnotes below the text indicate the Constitution Amendment Acts by which such amendments have been made. The Constitution (One Hundred Amendment) Act, 2015 has been provided in Appendix I. The Constitution (Application to Jammu and Kashmir) Order, 2019 and the declaration under article 370(3) of the Constitution have been provided respectively in Appendix II and Appendix III for reference.

We believe that this edition will serve as an invaluable resource for scholars, students and academicians as well as for those who have interest in Maithili language. This first edition of the Constitution of India in Maithili stands as a testament to India's rich linguistic legacy and our enduring commitment to the values of our Constitution.

New Delhi,
17th October, 2024

Dr. Rajiv Mani
Secretary to the Government of India

प्राक्थन

भारतक संविधान केर मैथिली भाषामे पहिल संस्करण प्रस्तुत करैत हम गौरवक अनुभूति क' रहल छी । ई संस्करण विधि आ न्याय मंत्रालय केर विधायी विभाग, राजभाषा खंडक प्रयाससँ राष्ट्रीय अनुवाद मिशन (एनटीएम), भारतीय भाषा संस्थान (सीआईआईएल) द्वारा तैयार कएल गेल अछि ।

भारतक संविधान केर मैथिली भाषामे अनुवादक प्रस्तुतिकरण, भारतक संविधानकेँ ओहि भाषामे उपलब्ध करएबाक एकटा सार्थक डेग थिक जे देशक भाषाई विरासतकेँ अभिव्यक्त करैत अछि ।

एहि संस्करणमे, संविधान (एक सय छठम संशोधन) अधिनियम, 2023 धरिक संशोधनकेँ समाहित करैत पाठकेँ अद्यतन कएल गेल अछि । पाठ केर नीचाँ देल गेल पाद-टिप्पणी ओहि संविधान संशोधनक द्योतक थिक जकरा द्वारा एहन संशोधन कएल गेल अछि । संविधान (एक सयम संशोधन) अधिनियम, 2015 परिशिष्ट I मे देल गेल अछि । संविधान (जम्मू आ कश्मीर पर लागू होएब) आदेश, 2019 आ संविधान अनुच्छेद 370(3) केर तहत घोषणा सभकेँ संदर्भक लेल क्रमशः परिशिष्ट II आ परिशिष्ट III में उपबंध कएल गेल अछि ।

हमर विश्वास अछि जे भारतक संविधान केर ई संस्करण विद्वान, छात्र, शिक्षाविद् लोकनिक संग-संग मैथिली भाषाक प्रति अभिरूचि रखनिहारक लेल एकटा अमूल्य संसाधनक रूपमे काज करत । मैथिलीमे भारतक संविधान केर ई पहिल संस्करण भारतक समृद्ध भाषाई विरासत आ संवैधानिक मूल्यक प्रति हमरा सभक स्थायी प्रतिबद्धताक प्रमाण थिक ।

नई दिल्ली,
17 अक्टूबर, 2024

डॉ. राजीव मणि
सचिव, भारत सरकार

Message

The Constitution of India is a comprehensive and detailed document which lays down the framework defining the political principles, structure of government and rights and duties of the citizens.

This is the first edition of the Constitution of India in Maithili. This edition of the Constitution of India is being published by the Ministry of Law and Justice, New Delhi, as part of implementing the Central Government's decision to make the Constitution of India available in the regional languages so that people understand it in their languages and fulfill the constitutional values. In this edition, the text of the constitution has been updated by including all amendments up to one hundred and sixth Amendment enacted in 2023. Utmost care has been taken that this translation remains aligned with the English one and is compatible for revisions in the future when new editions and Amendments are made.

The task of translation was assigned to the National Translation Mission (NTM), Central Institute of Indian Languages (CIIL), Mysore, as the Mission has been assisting various Ministries and Government agencies in various translation-related works.

As part of its mandate, NTM has been translating and publishing Knowledge Texts from English into all 22 languages listed in the VIII Schedule of the Constitution of India with a vision of making knowledge accessible to all by transcending language barriers.

It is my firm belief that this edition of the Constitution of India will strengthen the Maithili language and its users and also expand the spirit of law and justice.

Prof. Shailendra Mohan
Director, CIIL, Mysuru

संदेश

भारतक संविधान एक व्यापक आ विस्तृत दस्तावेज थिक जे राजनीतिक सिद्धांत, सरकारक संरचना आ नागरिकक अधिकार आ कर्तव्यकें परिभाषित करएवला रूपरेखाक निर्धारण करैत अछि ।

भारतक संविधान केर मैथिली भाषामे ई पहिल संस्करण थिक । भारतक संविधान केर ई संस्करण विधि एवं न्याय मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा प्रकाशित कएल जा रहल अछि, जे केन्द्र सरकारक ओहि निर्णयक परिणाम थिक जाहिमे ई निर्णय लेल गेल छल जे एहि संविधानकें क्षेत्रीय भाषा सभमे उपलब्ध कराओल जाएत जाहिसँ जनमानस अपन भाषाक माध्यमसँ एकरा बुझि सकए आ संवैधानिक मूल्यक रक्षण क' सकए । एहि संस्करणमे, संविधान (एक सय छठम संशोधन) अधिनियम, 2023 धरिक संशोधनकें समाहित करैत पाठकें अद्यतन कएल गेल अछि । मैथिली अनुवादमे एहि तथ्यक ध्यान राखल गेल अछि जे ई अंग्रेजीक अनुरूप बनल रहए जाहिसँ भविष्यमे नव संस्करण आ संशोधन भेलाक उपरांत ओकर संशोधन कएल जा सकए ।

अनुवाद-कार्यक भार राष्ट्रीय अनुवाद मिशन (एनटीएम), भारतीय भाषा संस्थान (सीआईआईएल), मैसूरुकेँ देल गेल छल, जे भारत सरकारक विभिन्न मंत्रालय आ सरकारी एजेंसी सभकेँ विविध प्रकारक अनुवाद-कार्यमे सहायता कए रहल अछि ।

अपन मुख्य उद्देश्यक रूपमे राष्ट्रीय अनुवाद मिशन अंग्रेजीसँ भारतीय संविधानक अष्टम अनुसूचीमे वर्णित 22 भाषा सभमे ज्ञान-पाठ्यक अनुवाद आ प्रकाशन कए रहल अछि, जाहिसँ भाषाई बाधाकें दूर करैत सभक लेल ज्ञान सुलभ कएल जा सकए ।

हमर दृढ़ विश्वास अछि जे भारतक संविधान केर ई संस्करण मैथिली भाषाकें समृद्ध करत आ ओकर उपयोगकर्ता लोकनिमे कानून आ न्याय केर भावनाक प्रसार करत ।

प्रो. शैलेन्द्र मोहन

निदेशक, भारतीय भाषा संस्थान, मैसूरु

Translation and review experts (alphabetically arranged)

ABHAY KUMAR

RJM College, Saharsa, Bihar

ADITYA THAKUR

Advocate, District Court, Saharsa,
Bihar

ARUN KUMAR SINGH

BNMU, Madhepura, Bihar

ARUN KUMAR SINGH

Patliputra University, Patna, Bihar

ASHOK KUMAR MEHTA

LNMU, Darbhanga, Bihar

ASHOK KUMAR SINGH

SNSRKS College, Saharsa, Bihar

ATULESHWAR JHA

HPS College, Nirmali, Bihar

BALBIR KUMAR JHA

MLT College, Saharsa, Bihar

BINOD KUMAR JHA

AN College, Patna, Bihar

DAMAN KUMAR JHA

LNMU, Darbhanga, Bihar

HIRA JHA

Advocate, Patna High Court, Bihar

KESHKAR THAKUR

TMBU, Bhagalpur, Bihar

KRISHNA MOHAN THAKUR

BNMU, Madhepura, Bihar

MD. MANZER SULAIMAN

Z HTT College Laheriasarai, Bihar

NARENDRA NATH JHA

BNMU, Madhepura, Bihar

NAWIN KUMAR

Advocate, District Court, Saharsa,
Bihar

NIDHI

Nabtola, Mahubani, Bihar

NIKKY PRIYADARSHANI

UBMS College, Mahishi, Bihar

RAJNEESH RANJAN

ENW TT College, Saharsa, Bihar

RAMAN KANT CHOUDHARY

BNMU, Madhepura, Bihar

RANJIT KUMAR SINGH

BNMU, Madhepura, Bihar

SANJAY KUMAR

JP University, Chapra, Bihar

SANJAY KUMAR CHOUDHARY

SNSRKS College, Saharsa, Bihar

SANJAY KUMAR MISHRA

BNMU, Madhepura, Bihar

SATEESH KUMAR DAS

MLT College, Saharsa, Bihar

SHAILENDRA MOHAN MISHRA

CMJ, College, Khutauna, Bihar

SHISHIR KUMAR MISHRA

MLT College, Saharsa, Bihar

SUMAN KUMAR

MLT College, Saharsa, Bihar

Translation Project Coordinators

SHAMBHU KUMAR SINGH

National Translation Mission

Mysore

TARIQ KHAN

National Translation Mission

Mysore

WINSTON CRUZ S.

National Translation Mission

Mysore

Page Layout: Seethalakshmi M. L.

National Translation Mission

Mysore

Cover Design: Nandakumar L.

National Translation Mission

Mysore

संक्षिप्ताक्षरक सूची

का. आ.	कानूनी आदेश
का.नि.आ.	कानूनी नियम आ आदेश
पृ.	पृष्ठ
सं.	संख्याक (नंबर)
सं. आ.	संविधान आदेश
सं.का.आ.	साधारण कानूनी आदेश

भारतक संविधान

विषय-सूची

प्रस्तावना

भाग-1

संघ ओ ओकर राज्यक्षेत्र

अनुच्छेद

1.	संघक नाम आ राज्यक्षेत्र	2
2.	नव राज्यक प्रवेश अथवा स्थापना	2
[2क.	सिक्किमकेँ संघक संग सहयुक्त कएल जाएब- <i>लोप कएल गेल</i>]	2
3.	नव राज्यक निर्माण ओ वर्तमान राज्य सभक क्षेत्र, सीमा वा नाममे परिवर्तन	2
4.	पहिल आ चारिम अनुसूचीक संशोधन ओ अनुपूरक, आनुषंगिक एवं पारिणामिक विषय सभक उपबंध करबाक हेतु अनुच्छेद 2 आ 3 केर अधीन बनाओल गेल विधि	3

भाग-2

नागरिकता

5.	संविधानक आविर्भावक समय नागरिकताक स्थिति	4
6.	पाकिस्तानसँ भारतमे प्रव्रजन कएनिहार कतिपय लोक सभक नागरिकताक अधिकार	4
7.	पाकिस्तानमे प्रव्रजन कएनिहार कतिपय लोक सभक नागरिकताक अधिकार	4
8.	भारतसँ बाहर रहनिहार भारतीय मूलक कतिपय लोक सभक नागरिकताक अधिकार	5
9.	विदेशी राज्यक नागरिकता स्वेच्छया अर्जित कएनिहार व्यक्तिक नागरिक नहि होएब	5
10.	नागरिकताक अधिकारक निरंतरता	5
11.	संसद द्वारा नागरिकताक अधिकारक विधि द्वारा विनियमन कएल जाएब	5

भाग-3

मौलिक अधिकार

सामान्य

12.	परिभाषा	6
13.	मौलिक अधिकारसँ असंगत वा ओकरा अल्पीकरण करएवला विधि	6

समानताक अधिकार

14.	विधिक समक्ष समानता	6
15.	धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग वा जन्मस्थानक आधार पर भेदभावक निषेध	6
16.	लोक नियोजनक विषयमे अवसरक समानता	8
17.	अस्पृश्यताक अंत	9
18.	उपाधिक अंत	9

स्वतंत्रताक अधिकार

19.	वाक्-स्वातंत्र्य आदि विषयक किछु अधिकारक संरक्षण	9
20.	अपराधक लेल दोषसिद्धिक संबंधमे संरक्षण	11
21.	जीवन आओर वैयक्तिक स्वतंत्रताक संरक्षण	11
21क.	शिक्षाक अधिकार	11
22.	कतिपय दशामे गिरफ्तारी आ निरोधसँ संरक्षण	11

शोषणक विरुद्ध अधिकार

23.	मानवक व्यापार ओ बलात् श्रमक निषेध	14
24.	कल-कारखाना आदिमे बाल-नियोजन पर प्रतिबंध	14

धार्मिक स्वतंत्रताक अधिकार

25.	अंतःकरण ओ धर्मकेँ अबाध रूपसँ मानब, आचरण ओ प्रचार करबाक स्वतंत्रता	14
26.	धार्मिक कार्यक प्रबंधनक स्वतंत्रता	14
27.	कोनो विशिष्ट धर्मक उन्नतिक लेल कर भुगतानक विषयमे स्वतंत्रता	15
28.	कतिपय शिक्षण संस्थान सभमे धार्मिक शिक्षा वा धार्मिक उपासनामे उपस्थितिक स्वतंत्रता	15

सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार

29.	अल्पसंख्यक वर्गक हितक संरक्षण	15
30.	शिक्षण संस्थानक स्थापना ओ प्रशासकीय अल्पसंख्यक वर्गक अधिकार	15
[31.	संपत्तिक अनिवार्य अर्जन- <i>लोप कएल गेल</i>]	16

कतिपय विधि सभक संरक्षण

31क.	संपदा आदिक अर्जनक हेतु उपबंध करएवला विधिक संरक्षण	16
31ख.	कतिपय अधिनियम ओ विनियमक विधिमान्यकरण	18
31ग.	कतिपय निदेशक तत्त्वकें प्रभावित कएनिहार विधिक संरक्षण	18
[31घ.	राष्ट्र विरोधी क्रियाकलापक संबंधमे विधि सभक संरक्षण- <i>लोप कएल गेल</i>]	18

संवैधानिक उपचारक अधिकार

32.	एहि भागक द्वारा प्रदत्त अधिकार सभकें लागू करएबाक हेतु उपचार	19
[32क.	राज्य विधि सभक संवैधानिक वैधता पर अनुच्छेद 32 केर अधीन कार्यवाही पर विचार नहि कएल जाएब । <i>लोप कएल गेल</i>]	19
33.	एहि भागमे सशस्त्र बल आदिकें प्रदत्त अधिकार सभकें लागू करबामे संसदक उपांतरणक शक्ति	19
34.	जखन कोनो क्षेत्रमे सेना-विधि लागू हो तखन एहि भागक द्वारा प्रदत्त अधिकार पर निषेध	20
35.	एहि भागक उपबंधकें प्रभावी बनएबाक विधान	20

भाग-4**राज्यक नीति निदेशक तत्त्व**

36.	परिभाषा	21
37.	एहि भागमे अंतर्निहित तत्त्व सभक कार्यान्वयन	21
38.	राज्य लोक कल्याणक उन्नयनक लेल सामाजिक विधि-विधान	21
39.	राज्य द्वारा अनुसरणीय कतिपय नीति तत्त्व	21
39क.	समान न्याय ओ निःशुल्क विधिक सहायता	22

40.	ग्राम पंचायतक संगठन	22
41.	कतिपय दशमे काज, शिक्षा ओ लोक सहायता पएबाक अधिकार	22
42.	काजक न्यायसंगत ओ मानवोचित दशा एवं प्रसूति सहायताक उपबंध	22
43.	श्रमिक सभक लेल निर्वहन मजदूरी आदि	22
43क.	उद्योग प्रबंधनमे श्रमिक सभक भागीदारी	22
43ख.	सहकारी समितिक उन्नयन	23
44.	नागरिक सभक लेल समान नागरिक संहिता	23
45.	छओ वर्षसँ कम आयु वर्गक बच्चा सभक लेल आरंभिक बाल्यावस्थाक देख-रेख ओ शिक्षाक उपबंध	23
46.	अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य कमजोर वर्गक शिक्षा ओ अर्थ संबंधी हितक उन्नयन	23
47.	पोषाहार स्तर ओ जीवन स्तरकें ऊपर उठएबा आ लोक स्वास्थ्यक सुधार करबाक राज्यक कर्तव्य	23
48.	कृषि ओ पशुपालनक संगठन	23
48क.	पर्यावरणक संरक्षण ओ संवर्धन एवं वन आ वन्य जीवक रक्षा	23
49.	राष्ट्रीय महत्वक स्मारक, स्थान एवं वस्तु सभक संरक्षण	24
50.	कार्यपालिकासँ न्यायपालिकाक पृथक्करण	24
51.	अंतर्राष्ट्रीय शांति ओ सुरक्षाक उन्नयन	24

भाग 4क

मौलिक कर्तव्य

51क.	मौलिक कर्तव्य	25
------	---------------	----

भाग-5

संघ

अध्याय 1 कार्यपालिका

राष्ट्रपति ओ उपराष्ट्रपति

52.	भारतक राष्ट्रपति	26
53.	संघक कार्यपालिका शक्ति	26
54.	राष्ट्रपतिक निर्वाचन	26

55.	राष्ट्रपतिक निर्वाचनक प्रक्रिया	26
56.	राष्ट्रपतिक पदावधि	27
57.	पुनर्निर्वाचनक लेल अर्हता	28
58.	राष्ट्रपति निर्वाचित होएबाक लेल अर्हता	28
59.	राष्ट्रपति पदक लेल शर्त	28
60.	राष्ट्रपति द्वारा शपथ वा प्रतिज्ञान	28
61.	राष्ट्रपति पर महाभियोग चलएबाक प्रक्रिया	29
62.	राष्ट्रपति पदक रिक्तिकेँ भरबाक लेल निर्वाचन करबाक अवधि आओर आकस्मिक रिक्तिकेँ भरबाक लेल निर्वाचित व्यक्तिक पदावधि	29
63.	भारतक उपराष्ट्रपति	29
64.	उपराष्ट्रपतिक राज्य सभाक पदेन सभापति होएब	29
65.	राष्ट्रपति पदक आकस्मिक रिक्तिक स्थितिमे वा हुनक अनुपस्थितिमे उपराष्ट्रपतिक राष्ट्रपतिक रूपमे काज करब वा हुनक काजक निर्वहन करब	30
66.	उपराष्ट्रपतिक निर्वाचन	30
67.	उपराष्ट्रपतिक पदावधि	31
68.	उपराष्ट्रपतिक पदक रिक्तिकेँ भरबाक लेल निर्वाचन करबाक अवधि ओ आकस्मिक रिक्तिकेँ भरबाक लेल निर्वाचित व्यक्तिक पदावधि	31
69.	उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ वा प्रतिज्ञान	31
70.	अन्य आकस्मिक स्थितिमे राष्ट्रपतिक काजक निर्वहन	32
71.	राष्ट्रपति वा उपराष्ट्रपतिक निर्वाचनसँ संबंधित अथवा संबद्ध विषय	32
72.	क्षमा आदिक ओ कतिपय विषयमे दंडादेशक निलंबन, परिहार वा लघुकरणक राष्ट्रपतिक शक्ति	32
73.	संघक कार्यपालिका शक्तिक विस्तार	33

मंत्रि परिषद

74.	राष्ट्रपतिकेँ सहायता ओ परामर्श देबाक लेल मंत्रि-परिषद	34
75.	मंत्री लोकनिक विषयमे अन्य उपबंध	34

भारतक महान्यायवादी

76.	भारतक महान्यायवादी	35
-----	--------------------	----

सरकारी काजक संचालन

77.	भारत सरकारक काजक संचालन	35
78.	राष्ट्रपतिकें सूचना प्रदान करबाक संबंधमे प्रधानमंत्रीक कर्तव्य, आदि	36

अध्याय 2-संसद**सामान्य**

79.	संसदक गठन	36
80.	राज्यसभाक संरचना	36
81.	लोक सभाक संरचना	37
82.	प्रत्येक जनगणनाक पश्चात् पुनर्समिंजस्य	38
83.	संसदक सदन केर अवधि	39
84.	संसदक सदस्यताक लेल अर्हता	39
85.	संसदक सत्र, सत्रावसान एवं विघटन	40
86.	सदनमे अभिभाषणक ओ संदेश पठएबाक राष्ट्रपतिक अधिकार	40
87.	राष्ट्रपतिक विशेष अभिभाषण	40
88.	सदनक संदर्भमे मंत्रीगण ओ महान्यायवादीक अधिकार	40

संसदक अधिकारी

89.	राज्यसभाक सभापति आओर उपसभापति	41
90.	उपसभापतिक पद केर रिक्ति, पदत्याग ओ पदसँ हटाओल जाएब	41
91.	सभापति केर पदक कर्तव्यक पालन करब वा सभापतिक रूपमे काज करबाक उपसभापति वा अन्य व्यक्तिक शक्ति	41
92.	जखन सभापति वा उपसभापतिकें पदसँ हटाएबाक कोनो संकल्प विचाराधीन हो तँ हुनक पीठासीन नहि होएब	41
93.	लोक सभाक अध्यक्ष ओ उपाध्यक्ष	42
94.	अध्यक्ष ओ उपाध्यक्षक पद रिक्त होएब, पदसँ त्याग ओ पदसँ हटाओल जाएब	42
95.	अध्यक्षक पद केर कर्तव्यक पालन करबामे वा अध्यक्षक रूपमे काज करबामे उपाध्यक्ष वा आन व्यक्तिक शक्ति	42

96.	जखन अध्यक्ष वा उपाध्यक्षकें पदसँ हटएबाक कोनो संकल्प विचाराधीन हो तँ हुनक पीठासीन नहि होएब	43
97.	सभापति एवं उपसभापति आओर अध्यक्ष एवं उपाध्यक्षक वेतन आ भत्ता	43
98.	संसदक सचिवालय	43

कार्य संचालन

99.	सदस्यगण द्वारा शपथ वा प्रतिज्ञान	44
100.	सदनमे मतदान, रिक्तिक अछैत सदनक कार्य करबाक शक्ति ओ गणपूर्ति	44

सदस्यक निरर्हता

101.	स्थानक रिक्त होएब	44
102.	सदस्यताक लेल निरर्हता	46
103.	सदस्यक निरर्हता संबंधित प्रश्न पर निर्णय	46
104.	अनुच्छेद 99 केर अधीन शपथ लेबा वा प्रतिज्ञान करबासँ पूर्व वा अर्हित नहि होइतहुँ वा निरर्हित कएल जएबा पर सदनमे बैसब आओर मत देबाक लेल दंड	47

संसद आओर ओकर सदस्य सभक शक्ति, विशेषाधिकार आ उन्मुक्ति सभ

105.	संसदक सदन एवं ओकर सदस्यगणक ओ समिति सभक शक्ति आ विशेषाधिकार, आदि	47
106.	सदस्यक वेतन आओर भत्ता	48

विधायी प्रक्रिया

107.	विधेयकक प्रस्तुतीकरण एवं पारित कएल जएबाक संबंधमे उपबंध	48
108.	कतिपय दशामे दुनू सदनक संयुक्त बैसार	48
109.	धन विधेयकक संबंधमे विशेष प्रक्रिया	49
110.	‘धन विधेयक’ केर परिभाषा	50
111.	विधेयक पर अनुमति	51

वित्तीय विषयक संबंधमे प्रक्रिया

112.	वार्षिक वित्तीय विवरण	51
113.	संसदमे प्राक्कलन संबंधी प्रक्रिया	52
114.	विनियोग विधेयक	53

115.	अनुपूरक, अतिरिक्त वा अधि-अनुदान	53
116.	लेखानुदान, प्रत्ययानुदान आओर अपवादानुदान	54
117.	वित्त विधेयकक विषयमे विशेष उपबंध	54

सामान्य प्रक्रिया

118.	प्रक्रियाक नियम	55
119.	संसदमे वित्तीय काज संबंधी प्रक्रियाक कानून सम्मत विनियमन	55
120.	संसदमे प्रयोग होमएवला भाषा	56
121.	संसदमे चर्चा पर निषेध	56
122.	न्यायालय द्वारा संसदक कार्यवाहीक जाँच नहि कएल जाएब	56

अध्याय 3-राष्ट्रपतिक विधायी शक्ति

123.	संसदक अवकाश कालमे अध्यादेश घोषित करबाक राष्ट्रपतिक शक्ति	56
------	--	----

अध्याय 4-संघक न्यायपालिका

124.	उच्चतम न्यायालयक स्थापना आओर गठन	57
124क.	राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग	58
124ख.	आयोगक काज	59
124ग.	कानून बनएबाक संसदक शक्ति	59
125.	न्यायाधीशक वेतन, आदि	59
126.	कार्यकारी मुख्य न्यायाधीशक नियुक्ति	60
127.	तदर्थ न्यायाधीशक नियुक्ति	60
128.	उच्चतम न्यायालयक बैसारमे सेवानिवृत्त न्यायाधीशक उपस्थिति	60
129.	उच्चतम न्यायालयक अभिलेख न्यायालय होएब	61
130.	उच्चतम न्यायालयक स्थान	61
131.	उच्चतम न्यायालयक आरंभिक अधिकार क्षेत्र	61
[131क.	केन्द्रीय कानूनक संवैधानिक वैधतासँ संबंधित प्रश्नक विषयमे उच्चतम न्यायालयक अनन्य अधिकार क्षेत्र- <i>लोप कएल गेल</i>]	61
132.	कतिपय विषयमे उच्च न्यायालयसँ अपीलमे उच्चतम न्यायालयक अपीलीय अधिकार क्षेत्र	61
133.	उच्च न्यायालयसँ दीवानी विषयसँ संबंधित अपीलमे उच्चतम न्यायालयक अपीलीय अधिकार क्षेत्र	62
134.	फौजदारी विषयमे उच्चतम न्यायालयक अपीलीय अधिकार क्षेत्र	62

134क.	उच्चतम न्यायालयमें अपीलक लेल प्रमाण-पत्र	63
135.	विद्यमान कानूनक अधीन संघीय न्यायालयक अधिकार क्षेत्र आओर शक्तिक उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रयोग कएल जाएब	63
136.	अपीलक लेल उच्चतम न्यायालयक विशेष अनुमति	63
137.	निर्णय वा आदेशक उच्चतम न्यायालय द्वारा पुनरावलोकन	63
138.	उच्चतम न्यायालयक अधिकार क्षेत्रक वृद्धि	64
139.	किछु विशिष्ट याचिकाकें निकालबाक शक्ति उच्चतम न्यायालयकें प्रदत्त कएल जाएब	64
139क.	कतिपय विषयक अंतरण	64
140.	उच्चतम न्यायालयक आनुषंगिक शक्ति	64
141.	उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित कानूनकें सभ न्यायालय पर बंधनकारी होएब	65
142.	उच्चतम न्यायालयक आज्ञासि आओर आदेशक प्रवर्तन ओ प्रकटीकरण आदिक आदेश	65
143.	उच्चतम न्यायालयसँ परामर्श करबाक राष्ट्रपतिक शक्ति	65
144.	सिविल आओर न्यायिक प्राधिकारी द्वारा उच्चतम न्यायालयक सहायतामे काज कएल जाएब	65
[144क.	विधिक संवैधानिक वैधतासँ संबंधित प्रश्नकें निपटएबाक लेल विशेष उपबंध- <i>लोप कएल गेल !]</i>	65
145.	न्यायालयक नियम आदि	65
146.	उच्चतम न्यायालयक अधिकारी आओर सेवक एवं व्यय	67
147.	विवेचन	68

अध्याय 5-भारतक नियंत्रक-महालेखापरीक्षक

148.	भारतक नियंत्रक-महालेखापरीक्षक	68
149.	नियंत्रक-महालेखापरीक्षकक कर्तव्य ओ शक्ति	69
150.	संघ आओर राज्यक लेखा केर प्रारूप	69
151.	अंकेक्षण प्रतिवेदन	69

भाग-6

राज्य

अध्याय 1-सामान्य

152.	परिभाषा	70
------	---------	----

अध्याय 2-कार्यपालिका

राज्यपाल

153.	राज्य सभक राज्यपाल	70
154.	राज्यक कार्यपालिका शक्ति	70
155.	राज्यपालक नियुक्ति	70
156.	राज्यपालक पदावधि	70
157.	राज्यपाल नियुक्त होएबाक अर्हता	71
158.	राज्यपाल पदक लेल शर्त	71
159.	राज्यपाल द्वारा शपथ वा प्रतिज्ञान	71
160.	किछु आकस्मिक परिस्थिति सभमे राज्यपालक कार्यक निर्वहन	72
161.	क्षमा आदि एवं किछु विशिष्ट स्थितिमे दंडादेशक निलंबन, परिहार वा लघुकरण करबाक राज्यपालक शक्ति	72
162.	राज्यक कार्यपालिका शक्तिक विस्तार	72

मंत्रि परिषद

163.	राज्यपालकें सहायता आओर सलाह देबाक लेल मंत्रि-परिषद	72
164.	मंत्रीगणक विषयमे आन उपबंध	72

राज्यक महाधिवक्ता

165.	राज्यक महाधिवक्ता	74
------	-------------------	----

सरकारी कार्यक संचालन

166.	राज्य सरकारक कार्यक संचालन	74
167.	राज्यपालकें सूचना देब आदिक विषयमे मुख्यमंत्रीक कर्तव्य	75

अध्याय 3-राज्यक विधान-मंडल

सामान्य

168.	राज्य सभक विधान-मंडलक गठन	75
169.	राज्यमे विधान परिषदक विलोपन वा सृजन	76
170.	विधान सभाक संरचना	76

171.	विधान परिषदक संरचना	78
172.	राज्य सभक विधान-मंडलक अवधि	79
173.	राज्यक विधान-मंडलक सदस्यताक लेल अर्हता	79
174.	राज्यक विधान-मंडलक सत्र, सत्रावसान आओर विघटन	80
175.	एक वा दुनू सदनमे अभिभाषण आओर ओहिमे संदेश पठएबाक राज्यपालक अधिकार	80
176.	राज्यपालक विशेष अभिभाषण	80
177.	सदनक विषयमे मंत्रीगण आओर महाधिवक्ताक अधिकार	81

राज्यक विधान-मंडलक अधिकारी

178.	विधान सभाक अध्यक्ष आओर उपाध्यक्ष	81
179.	अध्यक्ष ओ उपाध्यक्षक पदक रिक्त होएब, पदत्याग आओर पदसँ हटाओल जाएब	81
180.	अध्यक्ष पदक कर्तव्य निर्वहन अथवा अध्यक्षक रूपमे काज करबाक उपाध्यक्ष वा अन्य व्यक्तिक शक्ति	81
181.	जखन अध्यक्ष वा उपाध्यक्षकें पदसँ मुक्त करबाक कोनो संकल्प विचाराधीन हो तखन हुनक पीठासीन नहि होएब	82
182.	विधान परिषदक सभापति आओर उपसभापति	82
183.	सभापति आओर उपसभापतिक पद रिक्ति, पदत्याग एवं पदसँ हटाओल जाएब	82
184.	सभापतिक पदक कर्तव्यकें पालन करब अथवा सभापतिक रूपमे काज करबाक उपसभापति अथवा अन्य व्यक्तिक शक्ति	82
185.	जखन सभापति वा उपसभापतिकें पदसँ मुक्त करबाक कोनो संकल्प विचाराधीन हो तखन हुनक पीठासीन नहि होएब	83
186.	अध्यक्ष आओर उपाध्यक्ष एवं सभापति आओर उपसभापतिक वेतन आ भत्ता	83
187.	राज्यक विधान-मंडलक सचिवालय	83

कार्य-संचालन

188.	सदस्य सभ द्वारा शपथ वा प्रतिज्ञान	84
189.	सदनमे मतदान, रिक्त स्थानक अछैतो सदनक काज करबाक शक्ति ओ गणपूर्ति	84

सदस्यक निरर्हता

190.	स्थान सभक रिक्त होएब	85
------	----------------------	----

191.	सदस्यताक लेल निरर्हता	86
192.	सदस्यक निरर्हतासँ संबंधित प्रश्न पर निर्णय	86
193.	अनुच्छेद 188 केर अधीन शपथ लेबासँ वा प्रतिज्ञान करबासँ पूर्व वा अर्हित नहि होइतहुँ वा निरर्हित कएल जएबा पर बैसब आओर मत देबाक हेतु दंड	87

**राज्य सभक विधान-मंडल आ ओकर सदस्य सभक शक्ति,
विशेषाधिकार आओर उन्मुक्ति**

194.	विधान-मंडलक दुनू सदन एवं ओकर सदस्य आओर समिति सभक शक्ति, विशेषाधिकार आदि	87
195.	सदस्यगणक वेतन आ भत्ता सभ	88

विधायी प्रक्रिया

196.	विधेयकक प्रस्तुतीकरण आओर पारित कएल जएबाक संबंधमे उपबंध	88
197.	धन विधेयकसँ भिन्न विधेयकक विषयमे विधान-परिषदक शक्ति पर प्रतिबंध	88
198.	धन विधेयकक संबंधमे विशेष प्रक्रिया	89
199.	“धन विधेयक” केर परिभाषा	90
200.	विधेयक पर अनुमति	91
201.	विचारक लेल आरक्षित विधेयक	91

वित्तीय विषय सभक संबंधमे प्रक्रिया

202.	वार्षिक वित्तीय विवरण	92
203.	विधान-मंडलमे प्राक्कलन सभक संबंधमे प्रक्रिया	92
204.	विनियोग विधेयक	93
205.	अनुपूरक, अतिरिक्त वा अधि-अनुदान	93
206.	लेखानुदान, प्रत्ययानुदान आओर आपवादानुदान	94
207.	वित्त विधेयकक विषयमे विशेष उपबंध	95

सामान्य प्रक्रिया

208.	प्रक्रियाक नियम	95
209.	राज्यक विधान-मंडलमे वित्तीय कार्य संबंधी प्रक्रियाक विधि द्वारा विनियमन	96

210.	विधान-मंडलमे प्रयोग कएल जाएवला भाषा	96
211.	विधान-मंडलमे चर्चा पर प्रतिबंध	97
212.	न्यायालय द्वारा विधान-मंडलक कार्यवाहीक परीक्षण नहि कएल जाएब	97

अध्याय 4-राज्यपालक विधायी शक्ति

213.	विधान-मंडलक अल्पावकाश अध्यादेश घोषित करबाक राज्यपालक शक्ति	97
------	--	----

अध्याय 5-राज्य सभक उच्च न्यायालय

214.	राज्य सभक लेल उच्च न्यायालय	99
215.	उच्च न्यायालय सभक अभिलेख न्यायालय होएब	99
216.	उच्च न्यायालय सभक गठन	99
217.	उच्च न्यायालयक न्यायाधीशक नियुक्ति आओर ओहि पदसँ संबंधित शर्त	99
218.	उच्चतम न्यायालयसँ संबंधित किछु विशिष्ट उपबंध सभक उच्च न्यायालयमे लागू होएब	101
219.	उच्च न्यायालय सभक न्यायाधीश द्वारा शपथ वा प्रतिज्ञान	101
220.	स्थायी न्यायाधीश रहलाक पश्चात् विधि-व्यवस्था पर प्रतिबंध	101
221.	न्यायाधीश सभक वेतन आदि	101
222.	कोनो न्यायाधीशक एकसँ दोसर उच्च न्यायालयमे स्थानान्तरण	102
223.	कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्तिक नियुक्ति	102
224.	अपर आओर कार्यकारी न्यायाधीश सभक नियुक्ति	102
224क.	उच्च न्यायालयक बैसारमे सेवानिवृत्त न्यायाधीशक नियुक्ति	103
225.	विद्यमान उच्च न्यायालय सभक आधिकारिता	104
226.	कतिपय याचिका निकालबाक उच्च न्यायालयक शक्ति	104
[226क.	अनुच्छेद 226 केर अधीन कार्यवाहीमे केन्द्रीय विधिक संवैधानिक वैधता पर विचार नहि कएल जाएब- <i>लोप कएल गेल</i>]	105
227.	उच्च न्यायालयकें सभ न्यायालयक अधीक्षणक शक्ति	105
228.	कतिपय विशिष्ट विषयक उच्च न्यायालयमे अंतरण	106
[228क.	राज्य विधि सभक संवैधानिक वैधतासँ संबंधित प्रश्न सभकें निपटाराक संबंधमे विशेष उपबंध- <i>लोप कएल गेल</i>]]	107
229.	उच्च न्यायालय सभक अधिकारी आ सेवक एवं व्यय	107

230.	उच्च न्यायालय सभक अधिकारिताक केन्द्र शासित प्रदेश सभ पर विस्तार	107
231.	दू वा ओहिसँ अधिक राज्यक लेल एकहिटा उच्च न्यायालयक स्थापना	108
[232.	अनुच्छेद 230, 231 आओर 232 केर स्थान पर अनुच्छेद 230 आओर 231 प्रतिस्थापित]	108

अध्याय 6-अधीनस्थ न्यायालय

233.	जिला न्यायाधीशक नियुक्ति	108
233क.	कतिपय विशिष्ट जिला न्यायाधीशक नियुक्ति आओर हुनका द्वारा देल गेल निर्णय आदिक विधिमान्यकरण	109
234.	न्यायिक सेवामे जिला न्यायाधीशसँ भिन्न व्यक्तिक भर्ती	109
235.	अधीनस्थ न्यायालय पर नियंत्रण	110
236.	विवेचन	110
237.	कतिपय विशिष्ट वर्गक समाहर्ता सभपर एहि अध्यायक उपबंधक लागू होएब	110

[भाग 7- लोप कएल गेल]

पहिल अनुसूचीक भाग ख मे स्थित राज्य

[238.	लोप कएल गेल]]	111
-------	----------------	-----

भाग-8

केन्द्र शासित प्रदेश

239.	केन्द्र शासित प्रदेश सभक प्रशासन	112
239क.	कतिपय केन्द्र शासित प्रदेश सभक लेल स्थानीय विधान-मंडलक अथवा मंत्रि-परिषदक अथवा दुनूक गठन	112
239कक.	दिल्लीक संबंधमे विशेष उपबंध	113
239कख.	संवैधानिक तंत्रक विफल भ' जएबाक स्थितिमे उपबंध	115
239ख.	विधान-मंडलक अल्पावकाश अध्यादेशकेँ घोषित करबाक प्रशासकक शक्ति	116
240.	कतिपय केन्द्र शासित प्रदेशक हेतु विनियम बनएबाक राष्ट्रपतिक शक्ति	117
241.	केन्द्र शासित प्रदेशक हेतु उच्च न्यायालय	118
[242.	कूर्ग- लोप कएल गेल]]	118

भाग-9

पंचायत

243.	परिभाषा	119
------	---------	-----

243क.	ग्राम सभा	119
243ख.	पंचायतक गठन	119
243ग.	पंचायतक संरचना	119
243घ.	स्थानक आरक्षण	121
243ङ.	पंचायत सभक अवधि, आदि	122
243च.	सदस्यताक लेल अयोग्यता	122
243छ.	पंचायत सभक शक्ति, प्राधिकार आओर उत्तरदायित्व	123
243ज.	पंचायत द्वारा कर अधिरोपित करबाक शक्ति आओर ओकर निधि	123
243झ.	वित्तीय स्थितिक पुनरावलोकन हेतु वित्त आयोगक गठन	123
243ञ.	पंचायतक लेखा सभक अंकेक्षण	124
243ट.	पंचायत सभक लेल निर्वाचन	124
243ठ.	केन्द्र शासित प्रदेश सभ पर लागू होएब	125
243ड.	एहि भागक कतिपय क्षेत्रमे लागू नहि होएब	125
243ढ.	विद्यमान विधि आओर पंचायत सभक बनल रहब	126
243ण.	निर्वाचन संबंधी विषयमे न्यायालयक हस्तक्षेप पर प्रतिबंध	126

भाग-9 क नगरपालिका

243त.	परिभाषा	127
243थ.	नगरपालिकाक गठन	127
243द.	नगरपालिकाक संरचना	128
243ध.	वार्ड समिति आदिक गठन ओ संरचना	129
243न.	स्थानक आरक्षण	129
243प.	नगरपालिका सभक अवधि, आदि	130
243फ.	सदस्यताक हेतु अयोग्यता	131
243ब.	नगरपालिकाक शक्ति, प्राधिकार आओर उत्तरदायित्व, आदि	131
243भ.	नगरपालिका द्वारा कर लगाएबाक शक्ति एवं नगरपालिकाक निधि	131
243म.	वित्त आयोग	132

243य.	नगरपालिकाक लेखाक अंकेक्षण	132
243यक.	नगरपालिका हेतु निर्वाचन	133
243यख.	केन्द्र शासित प्रदेशमे लागू होएब	133
243यग.	एहि भागकेँ कतिपय क्षेत्रमे लागू नहि होएब	133
243यघ.	जिला योजनाक हेतु समिति	133
243यङ.	महानगर योजना हेतु समिति	134
243यच.	विद्यमान विधि आओर नगरपालिका सभक बनल रहब	136
243यछ.	निर्वाचन संबंधी विषयमे न्यायालयक हस्तक्षेप पर प्रतिबंध	136

भाग-9 ख

सहकारी समिति

243यज.	परिभाषा	137
243यझ.	सहकारी समितिक निगमन	137
243यञ.	बोर्डक सदस्य आओर पदाधिकारीक संख्या एवं पदावधि	138
243यट.	बोर्डक सदस्य सभक निर्वाचन	139
243यठ.	बोर्डक अधिक्रमण आओर निलंबन एवं अंतरिम प्रबंध	139
243यड.	सहकारी समिति केर लेखाक अंकेक्षण	140
243यढ.	साधारण निकायक बैसार आयोजित करब	140
243यण.	सदस्यक सूचना प्राप्त करबाक अधिकार	141
243यत.	विवरण सभ	141
243यथ.	अपराध ओ दंड	141
243यद.	बहुप्रदेशीय सहकारी समिति पर लागू होएब	142
243यध.	केन्द्र शासित प्रदेश पर लागू होएब	142
243यन.	विद्यमान कानूनक बनल रहब	142

भाग-10

अनुसूचित आओर जनजाति क्षेत्र

244.	अनुसूचित क्षेत्र आओर जनजाति क्षेत्रक प्रशासन	143
244क.	असमक कतिपय जनजाति क्षेत्रकेँ समावेश करैत एकटा स्वशासी राज्यक निर्माण आओर ओहि लेल स्थानीय विधान-मंडल वा मंत्रि-परिषद वा दुनूक सृजन	143

भाग-11

संघ ओ राज्यक मध्य संबंध

अध्याय 1-विधायी संबंध

विधायी शक्तिक वितरण

245.	संसद द्वारा आओर राज्यक विधान-मंडल द्वारा बनाओल गेल विधि केर विस्तार	145
246.	संसद द्वारा आओर राज्यक विधान-मंडल द्वारा बनाओल गेल विधि केर विषय-वस्तु	145
246क.	वस्तु आओर सेवा कर केर संबंधमे विशेष उपबंध	145
247.	कतिपय अतिरिक्त न्यायालयक स्थापनाक उपबंध करबाक संसदक शक्ति	146
248.	अवशिष्ट विधायी शक्ति	146
249.	राज्य सूचीमे उल्लिखित विषयमे सँ राष्ट्रीय हितमे विधि बनएबाक संसदीय शक्ति	146
250.	जँ आपातकालक उद्घोषणा प्रवर्तनमे होमए तँ राज्य सूची केर विषयक संबंधमे विधि बनएबाक संसदक शक्ति	147
251.	संसद द्वारा अनुच्छेद 249 आओर 250 केर अधीन बनाओल गेल विधि एवं राज्यक विधान-मंडल द्वारा बनाओल गेल विधिमे असंगति	147
252.	दू अथवा बेसी राज्यक लेल ओकर सहमतिसेँ विधि बनएबाक संसदक शक्ति आओर एहन विधिक कोनो आन राज्य द्वारा अंगीकार कएल जाएब	147
253.	अंतर्राष्ट्रीय अनुबंधकेँ प्रभावी करबाक लेल विधान	148
254.	संसद द्वारा बनाओल गेल विधि आओर राज्यक विधान-मंडल द्वारा बनाओल गेल विधिमे असंगति	148
255.	संस्तुति एवं पूर्वानुमतिक विषयमे अपेक्षाकेँ मात्र प्रक्रियाक विषय मानब	148

अध्याय 2-प्रशासनिक संबंध

सामान्य

256.	राज्य आओर संघक बाध्यता	149
257.	कतिपय स्थितिमे राज्य पर संघक नियंत्रण	149
[257क.	संघक सशस्त्र बल वा आन बलक अभियोजन द्वारा राज्यक सहायता-लोप कएल गेल /]	150
258.	कतिपय स्थितिमे राज्यकेँ शक्ति प्रदान करब आदिक संघक शक्ति	150

258क.	प्रदेशक अपन कार्य संघकेँ हस्तगत करएबाक शक्ति	150
[259.	पहिल अनुसूचीक भाग ख केर राज्यक सशस्त्र बल- <i>लोप कएल गेल</i>]	150
260.	भारतक बाहरी राज्यक्षेत्रक संबंधमे संघक अधिकारिता	150
261.	सार्वजनिक कार्य, अभिलेख ओ न्यायिक कार्यवाही	151

जल संबंधी विवाद

262.	अंतर्राज्यीय नदी अथवा नदी-घाटी जल संबंधी विवादक न्यायनिर्णयन	151
------	--	-----

राज्यक मध्य समन्वय

263.	अंतर्राज्यीय परिषदक संबंधमे उपबंध	151
------	-----------------------------------	-----

भाग-12

वित्त, संपत्ति, संविदा ओ वाद

अध्याय 1-वित्त

सामान्य

264.	विवेचन	152
265.	सक्षम प्राधिकारक बिना करारोपण नहि कएल जाएब	152
266.	भारत आओर राज्यक संचित निधि आओर लोक-लेखा	152
267.	आकस्मिक निधि	152

संघ आओर राज्यक मध्य राजस्वक वितरण

268.	संघ द्वारा लगाओल गेल मुदा राज्य द्वारा संगृहित आओर विनियोजित कएल जाएवला शुल्क	153
[268क.	संघ द्वारा लगाओल जाएवला एवं संघ आओर प्रदेश द्वारा संगृहित ओ विनियोजित कएल जाएवला सेवा कर- <i>लोप कएल गेल</i>]	153
269.	संघ द्वारा लगाओल आओर संगृहित कएल गेल मुदा राज्यकेँ देल जाएवला कर	154
269क.	अन्तर्राज्यिक व्यापार अथवा वाणिज्यिक अनुक्रममे वस्तु आओर सेवा कर केर वसूली ओ संग्रहण	154
270.	वसूल कएल गेल करकेँ संघ ओ राज्यक मध्य वितरण	155
271.	कतिपय शुल्क आओर कर पर संघक प्रयोजनार्थ अधिभार	156
[272.	एहन कर जे संघ द्वारा वसूलल आ संगृहीत कएल जाइत अछि एवं संघ ओ राज्यक मध्य वितरित कएल जा सकैत अछि- <i>लोप कएल गेल</i>]	156
273.	पटुआ(जूट)पर आओर पटुआ उत्पाद पर निर्यात शुल्कक स्थान पर अनुदान	156
274.	एहन विधेयकसँ संबद्ध कराधान जाहिसँ प्रदेशक हित प्रभावित हो, मे राष्ट्रपतिक पूर्व संस्तुतिक अपेक्षा	157

275.	कतिपय राज्यकें संघसँ अनुदान	157
276.	वृत्ति, व्यापार, आजीविका आओर नियोजन पर कर	158
277.	व्यावृत्ति	159
[278.	कतिपय वित्तीय विषयक संबंधमे पहिल अनुसूचीक भाग ख केर राज्यसँ समझौता- <i>लोप कएल गेल ।]</i>	159
279.	“शुद्ध आगम” आदिक गणना	159
279क.	वस्तु आओर सेवा कर परिषद	160
280.	वित्त आयोग	162
281.	वित्त आयोगक संस्तुति	163

विविध वित्तीय उपबंध

282.	संघ वा राज्य द्वारा अपन राजस्वसँ कएल जाएवला प्रतिपूर्ति	163
283.	संचित निधि, आकस्मिक निधि आओर लोक लेखा सभमे जमा धनराशि सभक अभिरक्षा आदि	163
284.	लोक सेवक ओ न्यायालय द्वारा वादी सभसँ संचित राशि आओर अन्य धनराशिक अभिरक्षा	163
285.	संघक संपत्तिकें राज्यक कराधानसँ मुक्ति	164
286.	वस्तुक क्रय वा विक्रय पर कर केर अधिरोपणक संबंधमे प्रतिबंध	164
287.	विद्युत पर करसँ मुक्ति	164
288.	जल वा विद्युतक संबंधमे प्रदेश द्वारा कराधानसँ कतिपय स्थितिमे छूट	165
289.	राज्यक संपत्ति आओर आयकें संघक कराधानसँ छूट	165
290.	कतिपय व्यय आओर पेंशनक संबंधमे समायोजन	166
290क.	कतिपय देवस्वम निधिक वार्षिक भुगतान	166
[291.	शासक लोकनिक व्यक्तिगत धनराशि (प्रिवी पर्स)- <i>लोप कएल गेल ।]</i>	167

अध्याय 2-कर्ज लेब

292.	भारत सरकार द्वारा कर्ज लेब	167
293.	राज्य सभ द्वारा कर्ज लेब	167

अध्याय 3-संपत्ति, संविदा, अधिकार, दायित्व, बाध्यता ओ वाद

294.	कतिपय दशामे संपत्ति, आस्ति, अधिकार, दायित्व एवं बाध्यताक उत्तराधिकार	167
295.	अन्य दशामे संपत्ति, परिसंपत्ति, अधिकार, दायित्व एवं बाध्यताक उत्तराधिकार	168
296.	स्वामित्व विहीन वा राजगामी वा धनगत होएबाक स्थितिमे उद्भूत संपत्ति	168
297.	क्षेत्रीय सागरखंड वा महाद्वीपीय तटभूमिमे स्थित मूल्यवान वस्तु आओर अन्यान्य आर्थिक क्षेत्र केर संसाधनक संघमे निहित होएब	169
298.	व्यापार आदि करबाक शक्ति	169
299.	संविदा सभ	170
300.	वाद ओ कार्यवाही	170

अध्याय 4-संपत्तिक अधिकार

300क.	सक्षम प्राधिकारक अभावमे व्यक्तिकें संपत्तिसँ वंचित नहि कएल जाएब	170
-------	---	-----

भाग-13

भारतक राज्यक्षेत्रक मध्य व्यापार, वाणिज्य ओ समागम

301.	व्यापार, वाणिज्य ओ समागमक स्वतंत्रता	171
302.	व्यापार, वाणिज्य ओ समागम पर प्रतिबंध लगएबाक संसदक शक्ति	171
303.	व्यापार ओ वाणिज्यक विषयमे संघ एवं राज्यक विधायी शक्ति पर प्रतिबंध	171
304.	राज्यक मध्य व्यापार, वाणिज्य ओ समागम पर प्रतिबंध	171
305.	विद्यमान विधि आओर राज्यक एकाधिकारकें उपबंध करएवला विधिक सुरक्षा	172
[306.	पहिल अनुसूचीक भाग ख केर कतिपय राज्यक व्यापार आओर वाणिज्य पर प्रतिबंध लगएबाक शक्ति- <i>लोप कएल गेल</i>]	172
307.	अनुच्छेद 301 सँ अनुच्छेद 304 केर प्रयोजनकें कार्यान्वित करबाक लेल सक्षम अधिकारीक नियुक्ति	172

भाग-14

संघ आओर राज्यक अधीन सेवा

अध्याय 1-सेवा

308.	विवेचन	173
------	--------	-----

309.	संघ वा राज्यक सेवा करएवला व्यक्तिक नियुक्ति ओ सेवा शर्त	173
310.	संघ वा राज्यक सेवा करएनिहार व्यक्तिक पदावधि	173
311.	संघ वा राज्यक अधीन असैनिक क्षमतामे नियोजित व्यक्तिकें पदच्युत, पदसँ हटाएब वा पदावनत कएल जाएब	174
312.	अखिल भारतीय सेवा	175
312क.	कतिपय सेवाक अधिकारी सभक सेवा-शर्तमे परिवर्तन अथवा निरस्त करबाक संसदक शक्ति	175
313.	संक्रमणकालीन उपबंध	177
[314.	कतिपय सेवाक विद्यमान अधिकारीगणक संरक्षणक लेल उपबंध- <i>लोप कएल गेल</i>]	177

अध्याय 2-लोक सेवा आयोग

315.	संघ ओ राज्यक लेल लोक सेवा आयोग	177
316.	सदस्य सभक नियुक्ति आओर पदावधि	177
317.	लोक सेवा आयोगक कोनो सदस्यकें हटाओल आओर निलंबित कएल जाएब	179
318.	आयोगक सदस्य ओ कर्मचारीगणक सेवा शर्तक विषयमे विनियम करबाक शक्ति	179
319.	आयोगक सदस्य द्वारा आयोगक सदस्य नहि रहलोपरान्त पद धारण करबाक संबंधमे निषेध	180
320.	लोक सेवा आयोगक काज	180
321.	लोक सेवा आयोगक काजक विस्तार करबाक शक्ति	182
322.	लोक सेवा आयोगक व्यय	182
323.	लोक सेवा आयोगक प्रतिवेदन	182

भाग-14 क

अधिकरण

323क.	प्रशासनिक अधिकरण	183
323ख.	आन विषयक लेल अधिकरण	184

भाग-15

निर्वाचन

324.	निर्वाचनक अधीक्षण, निदेशन ओ नियंत्रण, निर्वाचन आयोगमे निहित होएब	186
325.	धर्म, मूलवंश, जाति वा लिंगक आधार पर कोनो व्यक्तिकेँ निर्वाचक नामावलीमे सम्मिलनसँ अपात्र घोषित नहि करब एवं धर्म, मूलवंश, जाति वा लिंगक आधार पर कोनो व्यक्तिकेँ विशेष निर्वाचक नामावलीमे सम्मिलित कएल जाएबाक दावा नहि करब	187
326.	लोकसभा ओ प्रदेशक विधानसभाक लेल निर्वाचन वयस्क मताधिकारक आधार पर होएब	187
327.	विधान-मंडलक लेल निर्वाचनक संबंधमे उपबंध करबाक संसदक शक्ति	187
328.	कोनो प्रदेशक विधान-मंडलक लेल निर्वाचनक संबंधमे उपबंध करबाक ओहि विधान मंडलक शक्ति	188
329.	निर्वाचन संबंधी विषयमे न्यायालयक हस्तक्षेप पर निषेध	188
[329क.	संसदक लेल प्रधानमंत्री आओर अध्यक्षक विषयमे निर्वाचनक लेल विशेष उपबंध- <i>लोप कएल गेल ।]</i>	188

भाग-16

कतिपय वर्गक संबंधमे विशेष उपबंध

330.	लोक सभामे अनुसूचित जाति ओ अनुसूचित जनजातिक लेल स्थानक आरक्षण	189
[330क	लोक सभामे महिला लोकनिक लेल स्थानक आरक्षण]	190
331.	लोक सभामे आंग्ल-भारतीय समुदायक प्रतिनिधित्व	190
332.	राज्यक विधान सभामे अनुसूचित जाति ओ अनुसूचित जनजातिक लेल स्थानक आरक्षण	190
332क	राज्यक विधान सभामे महिला लोकनिक लेल स्थानक आरक्षण	192
333.	राज्यक विधान सभामे आंग्ल-भारतीय समुदायक प्रतिनिधित्व	192
334.	स्थानक आरक्षण आओर विशेष प्रतिनिधित्वक कतिपय अवधिक बाद समाप्ति	192
334क	महिला लोकनिक लेल स्थानक आरक्षण लागू	193
335.	सेवा ओ पदक लेल अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातिक दावा	193

336.	कतिपय सेवामे आंग्ल-भारतीय समुदायक लेल विशेष उपबंध	194
337.	आंग्ल-भारतीय समुदायक लाभक लेल शैक्षिक अनुदानक लेल विशेष उपबंध	194
338.	राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग	195
338क.	राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग	196
338ख.	राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग	198
339.	अनुसूचित क्षेत्रक प्रशासन आओर अनुसूचित जनजातिक कल्याणक विषयमे संघक नियंत्रण	200
340.	पिछड़ा वर्गक दशाक अन्वेषणक लेल आयोगक नियुक्ति	200
341.	अनुसूचित जाति	200
342.	अनुसूचित जनजाति	201
342क.	सामाजिक ओ शैक्षणिक दृष्टिसँ पिछड़ल वर्ग	202

भाग-17

राजभाषा

अध्याय-1 संघक भाषा

343.	संघक राजभाषा	203
344.	राजभाषाक संबंधमे आयोग ओ संसदक समिति	203

अध्याय-2 प्रादेशिक भाषा

345.	राज्यक राजभाषा वा आन राजभाषा	204
346.	एक राज्य आ दोसर राज्यक मध्य वा कोनो राज्य आओर संघक मध्य कार्यालयी भाषा	204
347.	कोनो राज्यक जनसंख्याक कोनो अनुभाग द्वारा बाजल जाएवला भाषाक संबंधमे विशेष उपबंध	205

अध्याय 3-उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय सभक भाषा

348.	उच्चतम आओर उच्च न्यायालयमे एवं अधिनियम, विधेयक आदिक लेल प्रयुक्त भाषा	205
349.	भाषासँ संबंधित कतिपय विधिक अधिनियमित करबाक हेतु विशेष प्रक्रिया	206

अध्याय 4 -विशेष निदेश

350.	शिकायत निवारणक लेल अभ्यावेदनमे प्रयोग कएल जाएवला भाषा	206
350क.	प्राथमिक स्तर पर मातृभाषामे शिक्षाक सुविधा	206
350ख.	भाषाई अल्पसंख्यक-वर्गक लेल विशेष अधिकारी	207
351.	हिन्दी भाषाक विकासक लेल निदेश	207

भाग-18

आपातकालक उपबंध

352.	आपातकालक उद्घोषणा	208
353.	आपातकालक उद्घोषणाक प्रभाव	210
354.	जखन आपातकालक उद्घोषणा लागू हो तखन राजस्वक वितरण संबंधी उपबंधक लागू होएब	211
355.	बाह्य आक्रमण आओर आंतरिक अशांतिसँ प्रदेशक सुरक्षा करबाक संघक कर्तव्य	211
356.	प्रदेशमे संवैधानिक तंत्रक विफलताक स्थितिमे उपबंध	211
357.	अनुच्छेद 356 केर अधीन कएल गेल उद्घोषणाक अधीन विधायी शक्तिक प्रयोग	214
358.	आपातकालक अवधिमे अनुच्छेद 19 केर उपबंधक निलंबन	215
359.	आपातकालक अवधिमे भाग 3 द्वारा प्रदत्त अधिकारक प्रवर्तन पर रोक	216
[359क.	एहि भागक पंजाब राज्य पर लागू होएब- <i>लोप कएल गेल।</i>]	217
360.	वित्तीय आपातकालक विषयमे उपबंध	217

भाग-19

विविध

361.	राष्ट्रपति, राज्यपाल ओ राजप्रमुखक संरक्षण	219
361क.	संसद आ राज्यक विधान-मंडलक कार्यवाहीक प्रकाशनक संरक्षण	220
361ख.	लाभप्रद राजनीतिक पद पर नियुक्तिक हेतु निरर्हता	220
[362.	देशी राज्यक शासकक अधिकार आओर विशेषाधिकार- <i>लोप कएल गेल।</i>]	221
363.	कतिपय संधि, समझौता आदिसँ उत्पन्न विवादमे न्यायालयक हस्तक्षेप पर प्रतिबंध, आदि	221
363क.	देशी राज्यक शासककेँ देल गेल मान्यताक समाप्ति आ निजी संपत्ति (प्रिवी पर्स)क अंत	221

364.	महापत्तन आओर विमानपत्तन सभक संबंधमे विशेष उपबंध	222
365.	संघ द्वारा देल गेल निदेश सभक अनुपालन करबामे अथवा ओकरा प्रभावी करबामे असफलताक प्रभाव	222
366.	परिभाषा	222
367.	विवेचन	227

भाग-20

संविधानक संशोधन

368.	संविधानक संशोधन करबाक संसदक शक्ति आओर ओहि लेल प्रक्रिया	228
------	---	-----

भाग-21

अस्थायी, संक्रमणकालीन ओ विशेष उपबंध

369.	राज्य सूचीक किछु विषय सभक संबंधमे विधि बनएबाक संसदक एहि प्रकारक अस्थायी शक्ति जेना ओ समवर्ती सूचीक विषय हो	230
370.	जम्मू-कश्मीर राज्यक संबंधमे अस्थायी उपबंध	231
371.	महाराष्ट्र ओ गुजरात राज्यक संबंधमे विशेष उपबंध	233
371क.	नागालैंड राज्यक संबंधमे विशेष उपबंध	233
371ख.	असम राज्यक संबंधमे विशेष उपबंध	236
371ग.	मणिपुर राज्यक संबंधमे विशेष उपबंध	237
371घ.	आंध्र प्रदेश राज्य अथवा तेलंगाना राज्य केर संबंधमे विशेष उपबंध	237
371ङ.	आंध्र प्रदेशमे केन्द्रीय विश्वविद्यालयक स्थापना	241
371च.	सिक्किम राज्यक संबंधमे विशेष उपबंध	241
371छ.	मिजोरम राज्यक संबंधमे विशेष उपबंध	244
371ज.	अरुणाचल प्रदेश राज्यक संबंधमे विशेष उपबंध	244
371झ.	गोवा राज्यक संबंधमे विशेष उपबंध	245
371ञ.	कर्नाटक राज्यक संबंधमे विशेष उपबंध	245
372.	विद्यमान विधिक प्रवृत्त बनल रहब आओर ओकर अनुकूलन	246
372क.	विधि सभक अनुकूलन करबाक राष्ट्रपतिक शक्ति	247

373.	निवारक निरोधमे राखल गेल व्यक्ति संबंधमे कतिपय स्थितिमे आदेश करबाक राष्ट्रपतिक शक्ति	248
374.	संघीय न्यायालयक न्यायाधीश आओर संघीय न्यायालयमे वा परिषद महामहिम केर समक्ष लंबित कार्यवाहीक विषयमे उपबंध	248
375.	संविधानक उपबंधक अधीन रहैत न्यायालय, प्राधिकारी आओर अधिकारीकेँ कार्यशील रहब	249
376.	उच्च न्यायालयक न्यायाधीश सभक लेल उपबंध	249
377.	भारतक नियंत्रक-महालेखापरीक्षकक विषयमे उपबंध	249
378.	लोक सेवा आयोगक विषयमे उपबंध	250
378क.	आंध्र प्रदेशक विधानसभाक अवधिक विषयमे विशेष उपबंध	250
[379.	अंतर्कालीन संसद एवं ओकर अध्यक्ष एवं उपाध्यक्षक विषयमे उपबंध- <i>लोप कएल गेल ।]</i>	250
[380.	राष्ट्रपतिक विषयमे उपबंध- <i>लोप कएल गेल ।]</i>	250
[381.	राष्ट्रपतिक मंत्री-परिषद- <i>लोप कएल गेल ।]</i>	250
[382.	पहिल अनुसूचीक भाग क मे स्थित राज्य सभक अंतर्कालीन विधान- मंडलक विषयमे उपबंध- <i>लोप कएल गेल ।]</i>	250
[383.	प्रांत सभक राज्यपाल सभक लेल उपबंध- <i>लोप कएल गेल ।]</i>	250
[384.	राज्यपाल सभक मंत्री-परिषद- <i>लोप कएल गेल ।]</i>	251
[385.	पहिल अनुसूचीक भाग ख मे स्थित राज्य सभक अंतर्कालीन विधान- मंडलक विषयमे उपबंध- <i>लोप कएल गेल ।]</i>	251
[386.	पहिल अनुसूचीक भाग ख मे प्रदेशक मंत्री-परिषद- <i>लोप कएल गेल ।]</i>	251
[387.	कतिपय निर्वाचनक प्रयोजनक लेल जनसंख्या निर्धारणक विषयमे विशेष उपबंध- <i>लोप कएल गेल ।]</i>	251
[388.	अंतर्कालीन संसद एवं राज्यक अंतर्कालीन विधान-मंडलमे आकस्मिक रिक्तिक विषयमे उपबंध- <i>लोप कएल गेल ।]</i>	251
[389.	अधिक्षेत्र विधान-मंडल आ प्रांत एवं भारतीय राज्यक विधान-मंडलमे लंबित विधेयकक विषयमे उपबंध- <i>लोप कएल गेल ।]</i>	251

[390.	एहि संविधानक प्रारंभ एवं 1950 केर 31 मार्चक मध्य प्राप्त अथवा जमा कएल वा व्यय कएल गेल धन- <i>लोप कएल गेल</i>]	251
[391.	कतिपय आकस्मिकतामे पहिल आ चारिम अनुसूचीक संशोधन करबाक राष्ट्रपतिक शक्ति- <i>लोप कएल गेल</i>]	251
392.	समस्याकें दूर करबाक राष्ट्रपतिक शक्ति	251

भाग-22

संक्षिप्त नाम, प्रारंभ , हिन्दीमे प्राधिकृत पाठ एवं निरसन

393.	संक्षिप्त नाम	252
394.	प्रारंभ	252
394क.	हिन्दी भाषामे प्राधिकृत पाठ	252
395.	निरसन	252

अनुसूची

पहिल अनुसूची

I.	राज्य	253
II.	केन्द्र शासित प्रदेश	260

दोसर अनुसूची

भाग क--	राष्ट्रपति एवं राज्यक राज्यपालक संबंधमे उपबंध	263
[भाग ख--	<i>लोप कएल गेल</i>]	263
भाग ग--	लोक सभाक अध्यक्ष आओर उपाध्यक्ष एवं राज्य सभाक सभापति आओर उपसभापति आ राज्य विधान सभाक अध्यक्ष आओर उपाध्यक्षक एवं विधान परिषदक सभापति आ उपसभापतिक संबंधमे उपबंध	264
भाग घ--	उच्चतम न्यायालय आओर उच्च न्यायालय सभक न्यायमूर्तिक विषयमे उपबंध	265
भाग ङ--	भारतक नियंत्रक-महालेखापरीक्षकक केर विषयमे उपबंध	268

तेसर अनुसूची-

शपथ वा प्रतिज्ञानक प्रारूप

269

चारिम अनुसूची	राज्यसभामे स्थानक आवंटन	273
----------------------	-------------------------	-----

पाँचम अनुसूची

अनुसूचित क्षेत्र आओर अनुसूचित जनजातिक प्रशासन ओ नियंत्रणक विषयमे उपबंध	276
भाग क-- सामान्य	276
भाग ख-- अनुसूचित क्षेत्र एवं अनुसूचित जनजातिक प्रशासन आओर नियंत्रण	276
भाग ग-- अनुसूचित क्षेत्र	278
भाग घ-- अनुसूचीक संशोधन	279

छठम अनुसूची

असम, मेघालय, त्रिपुरा आओर मिजोरम राज्य सभक जनजाति क्षेत्रक प्रशासनक विषयमे उपबंध	280
--	-----

सातम अनुसूची

सूची I--	संघसूची	310
सूची II--	राज्य सूची (प्रदेश सूची)	317
सूची III--	समवर्ती सूची	321
आठम अनुसूची	भाषा सभ	325
नवम अनुसूची	कतिपय अधिनियम आओर विनियमक विधिमान्यकरण	327
दसम अनुसूची	दल परिवर्तनक आधार पर निरहताक विषयमे उपबंध	345
एगारहम अनुसूची	पंचायतक शक्ति, प्राधिकार ओ उत्तरदायित्व	349
बारहम अनुसूची	नगरपालिका आदिक शक्ति प्राधिकार ओ उत्तरदायित्व	350

परिशिष्ट

परिशिष्ट I	संविधान (एक सयम संशोधन) अधिनियम, 2015	351
परिशिष्ट II	संविधान (जम्मू-कश्मीर पर लागू होएब) आदेश, 2019	370
परिशिष्ट III	संविधानक अनुच्छेद 370 (3) केर अधीन घोषणा	371

भारतक संविधान

प्रस्तावना

हम, भारतक लोक, भारतकेँ एक ¹[संपूर्ण प्रभुत्वसंपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य] बनएबाक हेतु, एवं ओकर समस्त नागरिककेँ :

सामाजिक, आर्थिक ओ राजनैतिक न्याय,

विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म

ओ उपासनाक स्वतंत्रता,

प्रतिष्ठा ओ अवसरक समता

प्राप्त करएबाक हेतु,

एवं ओकरा सभमे

व्यक्तिक गरिमा एवं ²[राष्ट्रक एकता ओ

अखंडता] सुनिश्चित करएवला बंधुताक

वृद्धिक लेल

दृढ़ संकल्प भ' अपन एहि संविधान सभामे आइ दिनांक 26 नवंबर 1949 ई. केँ एतद् द्वारा एहि संविधानकेँ अंगीकृत, अधिनियमित ओ आत्मार्पित करैत छी ।

¹ संविधान (बियालिसम संशोधन) अधिनियम, 1976 केर धारा 2 द्वारा (3-1-1977 सँ) “प्रभुत्वसंपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्यक” स्थान पर प्रतिस्थापित ।

² संविधान (बियालिसम संशोधन) अधिनियम, 1976 केर धारा 2 द्वारा (3-1-1977 सँ) “राष्ट्रक एकता” क स्थान पर प्रतिस्थापित

भाग-1

संघ ओ ओकर राज्यक्षेत्र

1. संघक नाम आ राज्यक्षेत्र-(1) इंडिया, अर्थात भारत, प्रदेशक संघ होएत ।

¹[(2) प्रदेश आ ओकर राज्यक्षेत्र ओएह होएत जे पहिल अनुसूचीमे निर्दिष्ट अछि ।]

(3) भारतक राज्यक्षेत्रमे-

(क) प्रदेशक राज्यक्षेत्र ;

²[(ख) पहिल अनुसूचीमे निर्दिष्ट केन्द्र शासित प्रदेश, आओर]

(ग) एहन अन्य राज्यक्षेत्र जे अर्जित कएल जाएत, समाविष्ट होएत ।

2. नव राज्यक प्रवेश अथवा स्थापना-संसद, विधि द्वारा एहन निबंधन ओ शर्त पर, जे ओकरा ठीक लगैक, संघमे नव प्रदेशक प्रवेश अथवा ओकर स्थापना कए सकत ।

³[2क. सिक्किमकेँ संघक संग सहयुक्त कएल जाएब]-संविधानक (छत्तीसम संशोधन) अधिनियम, 1975 केर धारा 5 द्वारा (26-4-1975सँ) लोप कएल गेल ।]

3. नव राज्यक निर्माण ओ वर्तमान राज्य सभक क्षेत्र, सीमा वा नाममे परिवर्तन -संसद , विधि द्वारा-

(क) कोनो प्रदेशमे सँ ओकर राज्यक्षेत्र फराक क' कए अथवा दू वा अधिक प्रदेशकेँ अथवा प्रदेश सभक भागकेँ मिलाकए अथवा कोनो राज्यक्षेत्रकेँ कोनो प्रदेशक हिस्सासँ मिलाकए नव प्रदेशक निर्माण कए सकत;

(ख) कोनो प्रदेशक क्षेत्र बढ़ा सकत ;

(ग) कोनो प्रदेशक क्षेत्र घटा सकत;

(घ) कोनो प्रदेशक सीमामे परिवर्तन कए सकत;

(ङ) कोनो प्रदेशक नाममे परिवर्तन कए सकत;

¹ संविधान (सातम संशोधन) अधिनियम, 1956 केर धारा 2 द्वारा (1-11-1956 सँ) खंड (2) केर स्थान पर प्रतिस्थापित ।

² संविधान (सातम संशोधन) अधिनियम, 1956 केर धारा 2 द्वारा (1-11-1956 सँ) उपखंड (ख) केर स्थान पर प्रतिस्थापित ।

³ संविधान (पैंतीसम संशोधन) अधिनियम, 1974 केर धारा 2 द्वारा (1-3-1975 सँ) अंतःस्थापित ।

(भाग 1-संघ ओ ओकर राज्यक्षेत्र)

¹[मुदा एहि प्रयोजनक लेल कोनो विधेयक राष्ट्रपतिक अनुशंसाक बिना एवं जतए विधेयकमे अंतर्विष्ट प्रस्थापनाक प्रभाव ^{2***} प्रदेशमे सँ कोनो क्षेत्र, सीमा अथवा नाम पड़ैत हो ओतए जाधरि ओहि प्रदेशक विधान-मंडल द्वारा ओहि पर अपन विचार, एहन अवधिक भीतर जे निर्देशमे निर्दिष्ट कएल जाए अथवा एहन अतिरिक्त अवधिक भीतर जे राष्ट्रपति द्वारा अनुज्ञात कएल जाए, प्रकट कएल जाएबाक लेल ओ विधेयक राष्ट्रपति द्वारा ओकरा निर्देशित नहि कए देल गेल हो एवं एहि तरहक निर्दिष्ट अथवा अनुज्ञात अवधि सम्पन्न नहि भए गेल हो, संसदक कोनो सदनमे पुनः स्थापित नहि कएल जा सकत।]

³[*स्पष्टीकरण 1*-एहि अनुच्छेदक खंड (क) सँ खंड (ड) धरि, “राज्य” केर अंतर्गत केन्द्र शासित प्रदेशक राज्यक्षेत्र अछि, मुदा परंतुकमे “प्रदेश”क अंतर्गत केन्द्र शासित राज्यक्षेत्र नहि अछि।

स्पष्टीकरण 2-खंड (क) द्वारा संसदक प्रदत्त शक्तिक अंतर्गत कोनो भागक कोनो राज्य अथवा केन्द्र शासित प्रदेशक अथवा केन्द्र शासित प्रदेशक संग मिलाकए नव प्रदेश अथवा केन्द्र शासित क्षेत्रक निर्माण करब अछि।]

4. पहिल आ चारिम अनुसूचीक संशोधन ओ अनुपूरक, आनुषंगिक एवं पारिणामिक विषय सभक उपबंध करबाक हेतु अनुच्छेद 2 आ 3 केर अधीन बनाओल गेल विधि -(1) अनुच्छेद 2 अथवा अनुच्छेद 3 मे निर्दिष्ट कोनो विधिमे पहिल आओर चारिम अनुसूचीक संशोधनक लेल एहन उपबंध अंतर्विष्ट होएत जे ओहि विधिक उपबंधकेँ प्रभावित करबाक हेतु आवश्यक हो आ एहन अनुपूरक, आनुषंगिक आओर पारिणामिक उपबंध सेहो (जाहि अंतर्गत एहि विधिसँ प्रभावित राज्य अथवा प्रदेशक संसदमे आओर विधान-मंडलमे प्रतिनिधित्वक विषयमे उपबंध अछि) अंतर्विष्ट भए सकत जकरा संसद आवश्यक बुझए।

(2) पूर्वमे कहल गेल कोनो तरहक विधि अनुच्छेद 368 केर प्रयोजनक लेल एहि संविधानक संशोधन नहि बुझल जाएत।

¹ संविधान (पाँचम संशोधन) अधिनियम, 1955 केर धारा 2 द्वारा (24-12-1955 सँ) परंतुक केर स्थान पर प्रतिस्थापित।

² संविधान (सातम संशोधन) अधिनियम 1956 केर धारा 29 एवं अनुसूची द्वारा (1-11-1956 सँ) “पहिल अनुसूचीक भाग ‘क’ अथवा भाग ‘ख’ मे निर्दिष्ट” शब्द ओ अक्षरक लोप कएल गेल।

³ संविधान (अठारहम संशोधन) अधिनियम, 1966 केर धारा 2 द्वारा (27-8-1966 सँ) अंतःस्थापित।

भाग-2

नागरिकता

5. संविधानक आविर्भावक समय नागरिकताक स्थिति-एहि संविधानक प्रारंभमे प्रत्येक व्यक्ति जकर भारतक राज्यक्षेत्रमे बास अछि आ-

(क) जिनकर भारतक राज्यक्षेत्रमे जन्म भेल हो, अथवा

(ख) जिनकर माता अथवा पितामे सँ केओ भारतक राज्यक्षेत्रमे जन्म लेने होथि,

(ग) जे एहन, संविधानक प्रारंभसँ ठीक पहिने कम-सँ-कम पाँच वर्ष धरि भारतक राज्यक्षेत्रमे कोनो तरहसँ निवासी रहल होथि, भारतक नागरिक होएत ।

6. पाकिस्तानसँ भारतमे प्रव्रजन कएनिहार कतिपय लोक सभक नागरिकताक अधिकार – अनुच्छेद 5 मे कोनो बातक रहितहुँ, कोनो व्यक्ति जे एहन राज्यक्षेत्रसँ जे एखन पाकिस्तानक अंतर्गत अछि, भारत राज्यक क्षेत्रमे प्रव्रजन कएने होथि, एहि संविधानक प्रारंभ पर भारतक नागरिक बुझल जाएत-

(क) जँ ओ अथवा हुनक माता वा पितामे सँ केओ वा हुनकर पितामह वा पितामही वा मातामह वा मातामहीमे सँ केओ (मूल रूपमे यथा अधिनियमित) भारत शासन अधिनियम, 1935 मे पारिभाषित भारतमे जन्म लेने होथि; आओर

(ख) (i) जखन ओ व्यक्ति एहन अछि जे 19 जुलाई 1948 सँ पहिने एहि प्रकार प्रव्रजन कएने हो तखन जँ ओ अपन प्रव्रजनक तिथिसँ भारतक राज्यक्षेत्रमे सामान्य स्तर पर निवासी रहल हो, अथवा

(ii) जखन ओ व्यक्ति एहन अछि जे 19 जुलाई 1948 केँ अथवा ओकर पश्चात् एहि प्रकारेँ प्रव्रजन कएने हो तखन जँ ओ नागरिकता प्राप्तिक लेल भारत अधिक्षेत्रक सरकार द्वारा विहित प्रारूपमे प्रक्रियासँ ओकरा द्वारा एहि संविधानक प्रारंभ होअए सँ पहिने एहन अधिकारीकेँ, जकरा ओ सरकार एहि प्रयोजनक लेल नियुक्त कएने हो, आवेदन कएला उत्तर ओहि अधिकारी द्वारा भारतक नागरिक पंजीकृत कए लेल गेल हो:

मुदा जँ कोनो व्यक्ति अपन आवेदनक तिथिसँ ठीक पहिने कम-सँ-कम छओ मास धरि भारतक राज्यक्षेत्रमे निवासी नहि रहल हो तँ ओ एहि प्रकारेँ पंजीकृत नहि कएल जाएत ।

7. पाकिस्तानमे प्रव्रजन कएनिहार कतिपय लोक सभक नागरिकताक अधिकार- अनुच्छेद 5 ओ अनुच्छेद 6 मे कोनो बातक रहितहुँ, कोनो व्यक्ति जे पहिल मार्च, 1947 केर पश्चात् भारतक राज्यक्षेत्रसँ एहन राज्यक्षेत्रमे, जे ओहि समय पाकिस्तानक अंतर्गत अछि, प्रव्रजन कएने अछि, भारतक नागरिक नहि बुझल जाएत ।

(भाग 2-नागरिकता)

मुदा एहि अनुच्छेदक कोनो बात एहन व्यक्ति पर लागू नहि होएत जे एहि राज्यक्षेत्रसँ, जे एहि समय पाकिस्तानक अंतर्गत अछि, प्रव्रजन करबाक पश्चात् भारतक राज्यक्षेत्रमे एहन अनुज्ञाक अधीन घुरि आएल छथि जे पुनर्वासक लेल अथवा स्थायी रूपसँ घुरबाक लेल कोनो विधिक अधिकार द्वारा अथवा ओकर अधीन देल गेल हो एवं प्रत्येक एहन व्यक्तिक विषयमे अनुच्छेद 6 केर खंड (ख) केर प्रयोजनक लेल बुझल जाएत जे ओ भारतक राज्यक्षेत्रमे 19 जुलाई, 1948 केर पश्चात् प्रव्रजन कएल अछि।

8. भारतसँ बाहर रहनिहार भारतीय मूलक कतिपय लोक सभक नागरिकताक अधिकार- अनुच्छेद 5 मे सँ कोनो बातक रहितहुँ कोनो व्यक्ति जे अथवा जिनकर माता वा पितामे सँ कोनो अथवा पितामह वा पितामही अथवा मातामह वा मातामहीमे सँ केओ (मूल रूपमे यथा अधिनियमित) भारत शासन अधिनियम, 1935 मे परिभाषित भारतमे जन्म लेने रहथि आओर जे एहि प्रकारक परिभाषित भारतक बाहर कोनो देशमे सामान्य स्तर पर निवास कए रहल छथि, भारतक नागरिक बुझल जाएत, जँ ओ नागरिकता प्राप्ति लेल भारत अधिक्षेत्रक सरकार द्वारा अथवा भारत सरकार द्वारा वा भारत सरकार द्वारा विहित प्रारूपमे एवं प्रक्रियासँ अपन द्वारा ओहि देशमे, जतए ओ ओहि समय निवास कए रहल अछि, भारतक राजनयिक अथवा वाणिज्य दूतीय प्रतिनिधिकँ एहि संविधानक प्रारंभ होएबासँ पूर्व अथवा पश्चात् आवेदन कएल जएबा पर एहन राजनयिक वा वाणिज्य दूतीय प्रतिनिधि द्वारा भारतक नागरिक पंजीकृत कए लेल गेल हो।

9. विदेशी राज्यक नागरिकता स्वेच्छया अर्जित कएनिहार व्यक्तिक नागरिक नहि होएब-जँ कोनो व्यक्ति अन्य कोनो देशक नागरिकता स्वेच्छासँ अर्जित कए लेने होथि त' ओ अनुच्छेद 5 केर अनुसार भारतक नागरिक नहि रहत अथवा अनुच्छेद 6 वा अनुच्छेद 8 केर आधार पर भारतक नागरिक नहि बुझल जाएत।

10. नागरिकताक अधिकारक निरंतरता-प्रत्येक व्यक्ति, जे एहि भागक पूर्वगामी उपबंधमे सँ कोनहुँ केर अधीन भारतक नागरिक अछि अथवा बुझल जाएत, एहन विधिक उपबंधक अधीन रहितहुँ, जे संसद द्वारा बनाओल गेल हो, भारतक नागरिक बनल रहत।

11. संसद द्वारा नागरिकताक अधिकारक विधि द्वारा विनियमन कएल जाएब-एहि भागक पूर्वगामी उपबंधक कोनो बात नागरिकताक अर्जन समाप्ति आ नागरिकतासँ संबंधित अन्य सभ विषयक संबंधमे उपबंध करबाक संसदक शक्तिक अल्पीकरण नहि करत।

भाग-3

मौलिक अधिकार

सामान्य

12. परिभाषा-एहि भागमे, जाधरि संदर्भसँ अन्यथा अपेक्षित नहि हो, “राज्य”क अंतर्गत भारत सरकार ओ संसद एवं प्रदेशसँ प्रत्येक प्रदेशक सरकार एवं विधान मंडल आ भारतक राज्यक्षेत्रक भीतर वा भारत सरकारक नियंत्रणाधीन सभ स्थानीय एवं अन्य प्राधिकारी छथि ।

13. मौलिक अधिकारसँ असंगत वा ओकरा अल्पीकरण करएवला विधि-(1) एहि संविधानक प्रारंभसँ ठीक पहिने भारतक राज्यक्षेत्रमे प्रवृत्त सभ विधि ओहि मात्रा धरि निरस्त भए जाएत जतए धरि ओ एहि भागक उपबंधसँ असंगत अछि ।

(2) राज्य एहन कोनो विधि नहि बनाओत जे एहि भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारकेँ छिनैत अथवा कम करैत हो एवं एहि खंडक उल्लंघनमे बनाओल गेल प्रत्येक विधि उल्लंघनक मात्रा धरि निरस्त भए जाएत,

(3) एहि अनुच्छेदमे जाधरि संदर्भसँ अन्यथा अपेक्षित नहि हो, -

(क) “विधि” केर अंतर्गत भारतक राज्यक्षेत्रमे विधिक बल रखनिहार कोनो अध्यादेश, आदेश, उपविधि, नियम, विनियम, अधिसूचना, रूढ़ि वा प्रथा अछि;

(ख) “प्रवृत्त विधि” केर अंतर्गत भारतक राज्यक्षेत्रमे कोनो विधान-मंडल अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा एहि संविधानक प्रारंभसँ पूर्व पारित अथवा बनाओल गेल विधि जे पहिनेसँ निरस्त नहि कए देल गेल हो, अथवा ओकर कोनो भाग ओहि समय पूर्णतया वा विशिष्ट क्षेत्रमे लागू नहि अछि ।

¹[(4) एहि अनुच्छेदक कोनो बात अनुच्छेद 368 केर अधीन कएल गेल एहि संविधानक कोनो संशोधन पर लागू नहि होएत ।]

समानताक अधिकार

14. विधिक समक्ष समानता-राज्य, भारतक राज्यक्षेत्रमे कोनो व्यक्तिकेँ विधिक समक्ष समानतासँ अथवा विधिक समान संरक्षणसँ वंचित नहि करत ।

15. धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग वा जन्मस्थानक आधार पर भेदभावक निषेध-(1) राज्य कोनो नागरिकक विरुद्ध धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान मात्र अथवा एहिमे सँ कोनो एक आधार पर विभेद नहि करत ।

(2) कोनो नागरिक मात्र धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान अथवा एहिमे सँ कोनो आधार पर-

¹ संविधान (चौबीसम संशोधन) अधिनियम, 1971 केर धारा 2 द्वारा (5-11-1971 सँ) अंतःस्थापित ।

(भाग 3- मौलिक अधिकार)

(क) दोकान, सार्वजनिक भोजनालय, होटल आओर सार्वजनिक मनोरंजनक स्थानमे प्रवेश, अथवा

(ख) पूर्णतः अथवा अंशतः राज्य-निधिसँ पोषित अथवा सामान्य जनताक प्रयोगमे आबएवला इनार, पोखरि, स्नानक घाट, सड़क एवं सार्वजनिक समागमक स्थानक उपयोगक संबंधमे कोनो अयोग्यता, दायित्व, प्रतिबंध अथवा शर्तक अधीन नहि होएत ।

(3) एहि अनुच्छेदक कोनो बात राज्यकेँ महिला एवं बालकक लेल कोनो विशेष उपबंध करबासँ प्रतिबंधित नहि करत ।

¹[(4) एहि अनुच्छेदक अथवा अनुच्छेद 29 केर खंड (2) केर कोनो बात राज्यक सामाजिक ओ शैक्षिक दृष्टिसँ पिछड़ल नागरिकक कोनो वर्गक उन्नतिक लेल अथवा अनुसूचित जनजातिक लेल कोनो विशेष उपबंध करबासँ प्रतिबंधित नहि करत ।]

²[(5) एहि अनुच्छेदक अथवा अनुच्छेद 19 केर खंड (1) केर उपखंड (छ) केर कोनो बात राज्यकेँ सामाजिक आओर शैक्षिक दृष्टिसँ पिछड़ल नागरिकक कोनो वर्गक उन्नतिक लेल अथवा अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजातिक लेल विधि द्वारा कोनो विशेष उपबंध करबासँ प्रतिबंधित नहि करत, जतए धरि एहन विशेष उपबंध शिक्षा संस्थानमे जकरा अंतर्गत निजी शिक्षा संस्थान सेहो अछि किंवा ओ राज्यसँ सहायता प्राप्त होए अथवा नहि, प्रवेशसँ संबंधित अछि ।]

³[(6) एहि अनुच्छेद अथवा अनुच्छेद 19 केर खंड (1) केर उपखंड (छ) अथवा अनुच्छेद 29 केर खंड (2) केर कोनो बात, राज्यकेँ-

(क) खंड (4)आ खंड (5)मे उल्लिखित वर्गसँ भिन्न नागरिकक आर्थिक रूपसँ कमजोर कोनो वर्गक उन्नतिक लेल कोनो विशेष उपबंध करबासँ प्रतिबंधित नहि करत; आओर

(ख) खंड (4) आ खंड (5) मे उल्लिखित वर्गसँ भिन्न नागरिकक आर्थिक रूपसँ कमजोर कोनो वर्गक उन्नतिक लेल कोनो विशेष उपबंध करबासँ ओतए प्रतिबंधित नहि करत, जाधरि एहन उपबंध, एहन शैक्षणिक संस्थानमे, जकर अंतर्गत अनुच्छेद 30 केर खंड (1)मे निर्दिष्ट अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थासँ भिन्न निजी शैक्षणिक संस्था सेहो अछि, किंवा ओ राज्य द्वारा सहायता प्राप्त कएनिहार हो अथवा सहायता नहि प्राप्त कएनिहार हो, प्रवेशसँ संबंधित अछि, जे आरक्षणक दशामे विद्यमान आरक्षणक अतिरिक्त एवं प्रत्येक प्रवर्गमे कुल स्थानक अधिकतम दस प्रतिशतसँ कम होएत ।

¹ संविधान (पहिल संशोधन) अधिनियम, 1951 केर धारा 2 द्वारा (18-6-1951 सँ) जोड़ल गेल ।

² संविधान (तिरानवेयम संशोधन) अधिनियम, 2005 केर धारा 2 द्वारा (20-1-2006 सँ) अंतःस्थापित ।

³ संविधान (एक सय तीनम संशोधन) अधिनियम, 2019 केर धारा 2 द्वारा (14-1-2019 सँ) अंतःस्थापित ।

भारतक संविधान

(भाग 3- मौलिक अधिकार)

स्पष्टीकरण-एहि अनुच्छेद आ अनुच्छेद 16 केर प्रयोजनक लेल “आर्थिक रूपसँ कमजोर वर्ग” ओ होएत, जे राज्यक द्वारा पारिवारिक आय आओर कमजोर आर्थिक स्थितिक अन्य सूचकक आधार पर समय-समय पर अधिसूचित कएल जाए।]

16. लोक नियोजनक विषयमे अवसरक समानता-(1) राज्यक अधीन कोनो पद पर नियोजन अथवा नियुक्तिसँ संबंधित विषयमे सभ नागरिकक लेल अवसरक समानता होएत।

(2) राज्यक अधीन कोनो नियोजन अथवा पदक संबंधमे मात्र धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, उद्भव, जन्मस्थान, निवास अथवा एहिमे सँ कोनो आधार पर केओ नागरिक अपात्र नहि बुझल जाएत आओर ओकरासँ कोनो भेदभाव नहि कएल जाएत।

(3) एहि अनुच्छेदक कोनो बात संसदक कोनो एहन विधि बनएबासँ प्रतिबंधित नहि करत जे “[कोनो प्रदेश अथवा केन्द्र शासित राज्यक्षेत्रक सरकारकेँ अथवा ओहिमे सँ कोनो स्थानीय अथवा अन्य प्राधिकारीक अधीनस्थ कोनो वर्गक पद पर नियोजित अथवा नियुक्तिक संबंधमे एहन नियोजन अथवा नियुक्तिसँ पूर्व ओहि प्रदेशक वा केन्द्र शासित राज्यक्षेत्रक भीतर निवास-विषयक कोनो अपेक्षा रखैत हो]।

(4) एहि अनुच्छेदक कोनो बात राज्यक पिछड़ल नागरिकक कोनो वर्गक पक्षमे, जकर प्रतिनिधित्व राज्यक विचारमे राज्यक अधीन सेवामे पर्याप्त नहि अछि, नियुक्ति अथवा पदक आरक्षणक लेल उपबंध करबासँ प्रतिबंधित नहि करत।

²[(4क) एहि अनुच्छेदक कोनो बात राज्यक अनुसूचित जाति ओ अनुसूचित जनजातिक पक्षमे, जकर प्रतिनिधित्व राज्यक विचारमे राज्यक अधीन सेवामे अपर्याप्त अछि, राज्यक अधीन सेवामे ³[कोनो वर्ग अथवा वर्गक पद पर, पारिणामिक वरिष्ठता सहित, प्रोन्नतिक संबंधमे] आरक्षणक लेल उपबंध करबासँ प्रतिबंधित नहि करत।]

⁴[(4ख) एहि अनुच्छेदक कोनो बात राज्यक कोनो वर्षमे कोनो नहि भरल गेल रिक्ति, जे खंड (4) अथवा खंड (4क) केर अधीन कएल गेल आरक्षणक लेल कोनो उपबंधक अनुसार ओहि वर्षमे पूर्ति कएल जाएबाक लेल आरक्षित अछि, कोनो उत्तरवर्ती वर्षमे पूर्ति करबाक हेतु पृथक वर्गक रिक्तिक रूपमे विचार करबासँ प्रतिबंधित नहि करत आओर एहन वर्गक रिक्ति पर ओहि वर्षक रिक्तिक संग जाहिमे ई भरल जा रहल हो ओहि वर्षक रिक्तिक कुल संख्याक संबंधमे पचास प्रतिशत आरक्षणक अधिकतम सीमाक अवधारण करबाक लेल विचार नहि कएल जाएत।]

¹ संविधान (सातम संशोधन) अधिनियम, 1956 केर धारा 29 आओर अनुसूची द्वारा (1-11-1956 सँ) “पहिल अनुसूचीमे निर्दिष्ट कोनो कोनो राज्यक अथवा ओकर क्षेत्रमे कोनो स्थानीय वा अन्य प्राधिकारीक अधीन ओहि राज्यक भीतर निवास विषयक कोनो अपेक्षा विहित करैत होअए” केर स्थान पर प्रतिस्थापित।

² संविधान (सतहत्तरिम संशोधन) अधिनियम, 1995 केर धारा 2 द्वारा (17-6-1995 सँ) अंतःस्थापित।

³ संविधान (पचासिम संशोधन) अधिनियम, 2001 केर धारा 2 द्वारा (भूतलक्षी प्रभावसँ) (17-6-1995 सँ) कतिपय शब्दक स्थान पर प्रतिस्थापित।

⁴ संविधान (एकासिम संशोधन) अधिनियम, 2000 केर धारा 2 द्वारा (9-6-2000 सँ) अंतःस्थापित।

(5) एहि अनुच्छेदक कोनो बात कोनो एहन विधिक प्रवर्तनकें प्रभावित नहि करत जे ई उपबंध करैत अछि जे कोनो धार्मिक अथवा सांप्रदायिक संस्थाक कार्यकलापसँ संबंधित कोनो पदधारी अथवा ओकर शासी निकायक कोनो सदस्य कोनो विशिष्ट धर्म माननिहार अथवा विशिष्ट संप्रदायहिक हो।

¹[(6) एहि अनुच्छेदक कोनो बात राज्यक विद्यमान आरक्षणक अतिरिक्त आ प्रत्येक प्रवर्गमे पदक दस प्रतिशतक अधीन, खंड (4) मे उल्लिखित वर्गसँ भिन्न नागरिकक आर्थिक रूपसँ कमजोर कोनो वर्गक पक्षमे नियुक्ति आओर पदक आरक्षणक लेल कोनहुँ उपबंध करबासँ प्रतिबंधित नहि करत]

17. अस्पृश्यताक अंत—“अस्पृश्यता”क अंत कएल जाइत अछि आओर ओकर कोनो रूपमे आचरण निषिद्ध कएल जाइत अछि। “अस्पृश्यता” सँ उपजल कोनो अपात्रताकें लागू करब अपराधक श्रेणीमे राखल जाएत ओ विधिक अनुसार दंडनीय होएत।

18. उपाधिक अंत—(1) राज्य, सेना अथवा विद्या संबंधी सम्मानक अतिरिक्त आओर कोनो उपाधि वितरित नहि करत।

(2) भारतक कोनो नागरिक कोनो विदेशी राज्यसँ कोनो उपाधि स्वीकार नहि करताह।

(3) कोनो व्यक्ति, जे भारतक नागरिक नहि छथि, राज्यक अंतर्गत लाभ वा विश्वासक कोनो पद पर रहैत कोनो विदेशी राज्यसँ कोनो उपाधि राष्ट्रपतिक सहमतिक बिना स्वीकार नहि करताह।

(4) राज्यक अंतर्गत लाभ वा विश्वास पद धारण कएनिहार कोनो व्यक्ति कोनो विदेशी राज्यसँ वा ओकर अधीन कोनो रूपमे कोनो उपहार, उपलब्धि अथवा पद राष्ट्रपतिक सहमतिक बिना स्वीकार नहि करताह।

स्वतंत्रताक अधिकार

19. वाक्-स्वातंत्र्य आदि विषयक किछु अधिकारक संरक्षण—(1) सभ नागरिक कें-

(क) वाक्-स्वतंत्रता ओ अभिव्यक्तिक स्वतंत्रताक,

(ख) शांतिपूर्वक ओ निरायुध सम्मेलनक,

(ग) संगम वा संघ ²[अथवा सहकारी समिति] बनएबाक,

(घ) भारतक राज्यक्षेत्रमे सर्वत्र अबाध संचरणक,

¹ संविधान (एक सय तीनम संशोधन) अधिनियम 2019 केर धारा 3 द्वारा (14-1-2019 सँ) अंतःस्थापित।

² संविधान (सनतानवेयम संशोधन) अधिनियम, 2011 केर धारा 2 द्वारा (8-2-2012 सँ) अंतःस्थापित।

भारतक संविधान

(भाग 3- मौलिक अधिकार)

(ड) भारतक राज्यक्षेत्रक कोनो भागमे निवास करबा एवं बसि जएबाक,

¹[आओर]

²[(च)* * * * *]

(छ) कोनो वृत्ति, उपजीविका, व्यापार अथवा कारबार करबाक,

³[(2) खंड (1) केर उपखंड (क) केर कोनो बात उक्त उपखंड द्वारा देल गेल अधिकारक प्रयोग पर ⁴[भारतक संप्रभुता ओ अखंडता], राज्यक सुरक्षा, विदेशी राज्यक संग मैत्रीपूर्ण संबंध, लोक व्यवस्था, शिष्टाचार वा सदाचारक हितमे अथवा न्यायालय-अवमान, मानहानि वा अपराध-उद्दीपनक संबंधमे उपयुक्त प्रतिबंध जतए धरि कोनो विद्यमान विधि अधिरोपित करैत हो ओतए धरि ओकर प्रवर्तन पर प्रभाव नहि पड़त अथवा ओहन प्रतिबंध अधिरोपित करएवला विधि बनएबासँ राज्यकें प्रतिबंधित नहि करत।]

(3) उक्त खंडक उपखंड (ख) केर कोनो बात उक्त उपखंड द्वारा देल गेल अधिकारक प्रयोग पर ⁴[भारतक संप्रभुता ओ अखंडता], लोक व्यवस्था हितमे उपयुक्त प्रतिबंध जतए धरि कोनो विद्यमान विधि अधिरोपित करैत हो ओतए धरि ओकर प्रवर्तन पर प्रभाव नहि पड़त अथवा ओहन प्रतिबंध अधिरोपित करएवला कोनो विधि बनएबासँ राज्यकें प्रतिबंधित नहि करत।

(4) उक्त खंडक उपखंड (ग) केर कोनो बात उक्त उपखंड द्वारा देल गेल अधिकारक प्रयोग पर ⁴[भारतक संप्रभुता ओ अखंडता वा] लोक व्यवस्था वा सदाचारक हितमे उपयुक्त प्रतिबंध जतए धरि कोनो विद्यमान विधि अधिरोपित करैत हो ओतए धरि ओकर प्रवर्तन पर प्रभाव नहि पड़त अथवा ओहन प्रतिबंध अधिरोपित करएवला कोनो विधि बनएबासँ राज्यकें प्रतिबंधित नहि करत।

(5) उक्त खंडक ⁵[उपखंड (घ) ओ उपखंड (ङ)] केर कोनो बात उक्त उपखंड द्वारा देल गेल अधिकारक प्रयोग पर सामान्य लोकक हितमे वा कोनो अनुसूचित जनजातिक हितक संरक्षणक लेल उपयुक्त प्रतिबंध जतए धरि कोनो विद्यमान विधि अधिरोपित करैत हो ओतए धरि ओकर प्रवर्तन पर प्रभाव नहि पड़त अथवा ओहन प्रतिबंध अधिरोपित करएवला कोनो विधि बनएबासँ राज्यकें प्रतिबंधित नहि करत।

¹ संविधान (चौआलिसम संशोधन) अधिनियम, 1978 केर धारा 2 द्वारा (20-6-1979 सँ) अंतःस्थापित।

² संविधान (चौआलिसम संशोधन) अधिनियम, 1978 केर धारा 2 द्वारा (20-6-1979 सँ) उपखंड 'च' लोप कएल गेल।

³ संविधान (पहिल संशोधन) अधिनियम, 1951 केर धारा 3 द्वारा (भूतलक्षी प्रभावसँ) खंड (2) केर स्थान पर प्रतिस्थापित।

⁴ संविधान (सोलहम संशोधन) अधिनियम, 1963 केर धारा 2 द्वारा (5-10-1963 सँ) अंतःस्थापित।

⁵ संविधान (चौआलिसम संशोधन) अधिनियम, 1978 धारा 2 द्वारा (20-6-1979 सँ) "उपखंड (घ), उपखंड (ङ) ओ उपखंड (च)" केर स्थान पर प्रतिस्थापित।

(भाग 3- मौलिक अधिकार)

(6) उक्त खंडक उपबंध (छ) केर कोनो बात उक्त उपखंड द्वारा देल गेल अधिकारक प्रयोग पर सामान्य लोकक हितमे उपयुक्त प्रतिबंध जतए धरि कोनो विद्यमान विधि अधिरोपित करैत हो ओतए धरि ओकर प्रवर्तन पर प्रभाव नहि पड़त किंवा ओहन प्रतिबंध अधिरोपित कएनिहार कोनो विधि बनएबासँ राज्यकेँ प्रतिबंधित नहि करत आओर विशेषतः ¹[उक्त उपखंडक कोनो बात-

(i) कोनो वृत्ति, आजीविका, व्यापार वा कारबार करबाक लेल आवश्यक वृत्तिक अथवा तकनीकी अर्हतासँ, अथवा

(ii) राज्य द्वारा वा राज्यक स्वामित्व वा नियंत्रणमे कोनो निगम द्वारा कोनो व्यापार, कारबार, उद्योग अथवा सेवा, नागरिकक पूर्णतः अथवा अंशतः अपवर्जन क' कए किंवा, चलाओल जएबासँ,

जतए धरि कोनो विद्यमान विधि संबंध रखैत हो ओतए धरि ओकर प्रवर्तन पर प्रभाव नहि पड़त अथवा एहि प्रकारक संबंध रखनिहार कोनो विधि बनएबासँ राज्यकेँ प्रतिबंधित नहि करत]

20. अपराधक लेल दोषसिद्धिक संबंधमे संरक्षण-(1) कोनो व्यक्ति कोनो अपराधक लेल ताबत धरि दोषी नहि ठहराओल जाएत, जाधरि ओ एहन कोनो काज करबाक समय, जे अपराधक रूपमे चिह्नित हो, कोनो प्रवृत्त विधिक अतिक्रमण नहि कएने अछि अथवा ओहिसँ अधिक दंडक भागी नहि होएत, जे ओहि अपराध कएल जएबाक समय प्रवृत्त विधिक अधीन अधिरोपित कएल जा सकैत छल।

(1) कोनो व्यक्तिकेँ एकहि अपराधक लेल एकसँ अधिक बेर अभियोजित वा दंडित नहि कएल जाएत।

(2) कोनो अपराधक लेल अभियुक्त व्यक्तिकेँ अपनहि विरुद्ध साक्षी देबाक लेल बाध्य नहि कएल जाएत।

21. जीवन आओर वैयक्तिक स्वतंत्रताक संरक्षण-कोनो व्यक्तिकेँ ओकर प्राण वा वैयक्तिक स्वतंत्रतासँ विधि द्वारा स्थापित प्रक्रियाक अनुरूपहि वंचित कएल जाएत, अन्यथा नहि।

²[**21क. शिक्षाक अधिकार-**राज्य, छओ सँ चौदह वर्ष धरिक आयुवर्गक सभ बच्चाक लेल निःशुल्क ओ अनिवार्य शिक्षा देबाक एहन प्रक्रियामे, जे राज्य विधि द्वारा सुनिश्चित करए, उपबंध करत]

22. कतिपय दशामे गिरफ्तारी आ निरोधसँ संरक्षण-(1) कोनो व्यक्तिकेँ जँ गिरफ्तार कएल गेल हो, तँ ओकरा गिरफ्तारीक कारणसँ यथाशीघ्र अवगत करौने बिना हाजतमे बंदी नहि राखल जाएत अथवा स्वेच्छासँ विधि व्यवसायी (ओकिल)सँ परामर्श कए आओर बचाव करबाक अधिकारसँ वंचित नहि कएल जाएत।

¹ संविधान (पहिल संशोधन) अधिनियम, 1951 केर धारा 3 द्वारा (18-6-1951 सँ) कतिपय शब्दक स्थान पर प्रतिस्थापित।

² संविधान (छियासियम संशोधन) अधिनियम, 2002 केर धारा 2 द्वारा (1-4-2010 सँ) अंतःस्थापित।

भारतक संविधान

(भाग 3- मौलिक अधिकार)

(2) प्रत्येक व्यक्तिकेँ, जे गिरफ्तार कएल गेल हो आओर हाजतमे बंदी राखल गेल हो, गिरफ्तारीक स्थानसँ समाहर्ताक न्यायालय धरि यात्राक लेल आवश्यक समयकेँ छोड़ि एहन गिरफ्तारीसँ चौबीस घंटाक अवधिमे निकटस्थ दंडाधिकारी समक्ष प्रस्तुत कएल जाएत ओ एहन व्यक्तिकेँ दंडाधिकारीक प्राधिकारक बिना उक्त अवधिसँ अधिक अवधिक लेल हाजतमे बंदी नहि राखल जाएत ।

(3) खंड (1) आओर खंड (2) केर कोनो बात कोनो एहन व्यक्ति पर लागू नहि होएत जे-

(क) जे वर्तमान समयमे शत्रु देशमे होथि; अथवा

(ख) निवारक निरोधक उपबंध करएवला कोनो कानूनक अधीन गिरफ्तार अथवा बंदी बनाओल गेल हो ।

* (4) निवारक निरोधक उपबंध कएनिहार कोनो विधि कोनो व्यक्तिकेँ अधिकतम तीन मासक अवधिक लेल ताबत धरि बंदी बनाएब प्राधिकृत नहि करत जाधरि कि-

(क) एहन व्यक्तिसँ, जे उच्च न्यायालयक न्यायाधीश छथि अथवा रहल होथि अथवा न्यायाधीश नियुक्त होएबाक अर्हता रखैत होथि, सँ निर्मित सलाहकार बोर्ड तीन मासक उक्त अवधिक समाप्तिसँ पूर्व प्रतिवेदन नहि देने होथि जे हुनक विचारमे एहन निरोधक लेल पर्याप्त कारण अछि;

* संविधान (चौआलिसम संशोधन) अधिनियम, 1978 केर धारा 3 द्वारा (अधिसूचनाक तिथिसँ, जे अधिसूचित नहि भेल अछि) खंड (4) केर स्थान पर निम्नांकित रूपैँ प्रतिस्थापित कएल जाएत-

“(4) निवारक निरोधक उपबंध करएवला कोनो विधि कोनो व्यक्तिकेँ अधिकतम दू मासक अवधिक लेल बंदी बनएबाक लेल प्राधिकृत नहि करत जाधरि कि समुचित उच्च न्यायालयक मुख्य न्यायमूर्तिक अनुशंसाक अनुसार गठित सलाहकार बोर्ड उक्त दू मासक अवधिक समाप्ति सँ पूर्व प्रतिवेदन नहि देने होथि जे हुनक विचारमे एहन निरोधक प्रयाप्त कारण अछि:

मुदा सलाहकार बोर्ड एक अध्यक्ष ओ न्यूनतम दू अन्य सदस्य सँ निर्मित होएत आओर अध्यक्ष समुचित उच्च न्यायालयक सेवारत वा सेवानिवृत्त न्यायाधीश होएताह:

मुदा ई एवं एहि खंडक कोनो बात कोनो व्यक्ति ओहि अधिकतम अवधिक लेल बंदी बनाएब प्राधिकृत नहि करत जे खंड (7) केर उपखंड (क) केर अधीन संसद द्वारा बनाओल गेल विधि द्वारा विहित कएल जाए ।

स्पष्टीकरण-एहि खंडमे, “समुचित उच्च न्यायालय” सँ अभिप्रेत अछि-

- (i) भारत सरकार अथवा ओहि सरकारक अधीनस्थ कोनो अधिकारी वा प्राधिकारी द्वारा कएल गेल निरोध-आदेशक अनुसरणमे बंदी बनाओल व्यक्तिक दशामे, दिल्ली केन्द्र शासित प्रदेशक लेल उच्च न्यायालय;
- (ii) (केन्द्र शासित प्रदेश सँ भिन्न) कोनो राज्य सरकार द्वारा कएल गेल निरोध-आदेशक अनुसरणमे बंदी बनाओल व्यक्तिक दशामे, ओहि राज्यक लेल उच्च न्यायालय ; आओर
- (iii) कोनो केन्द्र शासित प्रदेशक प्रशासक किंवा एहन प्रशासक केर अधीनस्थ कोनो अधिकारी वा प्राधिकारी द्वारा कएल गेल निरोध-आदेशक अनुसरणमे बंदी बनाओल व्यक्तिक दशामे ओ उच्च न्यायालय जे संसद द्वारा एहि निमित्त बनाओल गेल विधि द्वारा अथवा ओकर अधीन निर्दिष्ट कएल जाए ।”

(भाग 3- मौलिक अधिकार)

मुदा एहि उपखंडक कोनो बात कोनो व्यक्तिक ओहि अधिकतम अवधिसँ अधिक अवधिक लेल बंदी बनाओल जाएब प्राधिकृत नहि करत जे खंड (7) केर उपखंड (ख) केर अधीन संसद द्वारा बनाओल गेल विधिक द्वारा विहित कएल गेल अछि:

(ए) एहन व्यक्तिकें खंड (7) केर उपखंड (क) आओर उपखंड (ख) केर अधीन संसद द्वारा बनोओल गेल विधिक उपबंधक अनुरूप बंदी नहि बनाओल जाइत अछि ।

(5) निवारक निरोधक उपबंध कएनिहार कोनो विधिक अधीन कएल गेल आदेशक अनुसरणमे जखन कोनो व्यक्तिकें बंदी बनाओल जाइत अछि तखन आदेश देनिहार प्राधिकारी यथाशक्ति शीघ्र ओहि व्यक्तिकें ई सूचित करत जे ओ आदेश कोन आधार पर कएल गेल अछि आ ओहि आदेशक विरुद्ध अभ्यावेदन करबाक लेल ओकरा शीघ्रातिशीघ्र अवसर देत ।

(6) खंड (5) केर कोनो बातसँ एहन आदेश, जे ओहि खंडमे निर्दिष्ट अछि, कएवला प्राधिकारीक लेल एहन तथ्य सभ प्रकट करब आवश्यक नहि होएत जकरा प्रकट करब प्राधिकारी लोकहितक विरुद्ध बुझैत छथि ।

(7) संसद विधि द्वारा विहित कए सकत जे-

*(क) कोन परिस्थितिक अधीन आ कोन वर्गक मामिलामे कोनो व्यक्ति निवारक निरोधक उपखंड करौनिहार कोनो विधिक अधीन तीन माससँ अधिक अवधिक लेल खंड (4) केर उपबंध (क) केर उपबंधक अनुसार सलाहकार बोर्डसँ विचार लेने बिना बंदी बनाओल जा सकत;

** (ख) कोनो वर्गक विषयमे अधिकतम कतेक अवधिक लेल कोनो व्यक्तिक निवारक निरोधक उपबंध कएवला कोनो विधिक अधीन बंदी बनाओल जा सकत; आओर

*** (ग) **** [खंड (4) केर उपबंध (क)] केर अधीन कएल जाएवला जाँचमे सलाहकार बोर्ड द्वारा अनुसरण कएल जाएवला प्रक्रिया की होएत?

* संविधान (चौआलिसम संशोधन) अधिनियम, 1978 केर धारा 3 (ख) (i) द्वारा (अधिसूचनाक तिथिसँ) उपखंड (क)केँ लोप कएल गेल ।

** संविधान (चौआलिसम संशोधन) अधिनियम, 1978 केर धारा 3 (ख) (ii) द्वारा (अधिसूचनाक तिथिसँ) उपखंड (ख) केर उपखंड (क) केर रूपमे पुनः शब्दांकित कएल जाएत ।

*** संविधान (चौआलिसम संशोधन) अधिनियम, 1978 केर धारा 3 (ख) (iii) द्वारा (अधिसूचनाक तिथिसँ) उपखंड (ग) केर उपखंड (ख) केर रूपमे पुनः शब्दांकित कएल जाएत ।

**** संविधान (चौआलिसम संशोधन) अधिनियम, 1978 केर धारा 3 (ख) (iii) द्वारा (अधिसूचनाक तिथिसँ) “खंड (4) केर उपखंड (क)” केर रूपमे “खंड(4)” प्रतिस्थापित

भारतक संविधान

(भाग 3- मौलिक अधिकार)

शोषणक विरुद्ध अधिकार

23. मानवक व्यापार ओ बलात् श्रमक निषेध-(1) मानव-व्यापार ओ बेगार आ एहि प्रकारक अन्य बलात् श्रमकें निषिद्ध कएल जाएत एवं एहि उपबंधक कोनो उल्लंघन अपराध होएत जे विधिक अनुरूप दंडनीय होएत ।

(2) एहि अनुच्छेदक कोनो बात राज्यकें सार्वजनिक प्रयोजनक लेल अनिवार्य सेवा अधिरोपित करबासँ प्रतिबंधित नहि करत । एहन सेवा अधिरोपित करबामे राज्य मात्र धर्म, मूलवंश, जाति वा वर्ग अथवा एहिमे सँ कोनो एक आधार पर विभेद नहि करत ।

24. कल-कारखाना आदिमे बाल-नियोजन पर प्रतिबंध-चौदह वर्षसँ कम आयुवर्गक कोनो बच्चाकें कोनो कल-कारखाना वा खानमे काज करबाक हेतु नियोजित नहि कएल जाएत अथवा कोनो अन्य नियोजनमे नहि लगाओल जाएत जे खतरनाक हो ।

धार्मिक स्वतंत्रताक अधिकार

25. अंतःकरण ओ धर्मकें अबाध रूपसँ मानब, आचरण ओ प्रचार करबाक स्वतंत्रता-(1) लोक व्यवस्था, सदाचार ओ स्वास्थ्य आ एहि भागक अन्य उपबंधक अधीन रहितहुँ, सभ व्यक्तिकें अतःकरणक स्वतंत्रताक ओ धर्मकें अबाध रूपसँ मानबाक, आचरण करबाक ओ प्रचार करबाक समान अधिकार होएत ।

(2) एहि अनुच्छेदक कोनो बात कोनो एहन विद्यमान विधिक प्रवर्तनकें प्रभावित नहि करत अथवा राज्यकें कोनो एहन विधि बनएबासँ प्रतिबंधित नहि करत जे-

(क) धार्मिक आचरणसँ संबद्ध कोनो आर्थिक, वित्तीय, राजनैतिक वा अन्य लौकिक क्रियाकलापक नियमन वा प्रतिबंधन करैत हो;

(ख) सामाजिक कल्याण ओ सुधारक लेल अथवा सार्वजनिक प्रकारक हिन्दु सभक धार्मिक संस्थाकें हिन्दु सभक सभ वर्ग ओ अनुभागक लेल खोलबाक उपबंध करैत अछि ।

*स्पष्टीकरण 1-*कृपाण राखब आ धारण करब सिक्ख धर्म माननिहारक अंग बुझल जाएत ।

*स्पष्टीकरण 2-*खंड (2) केर उपखंड (ख)मे हिन्दु सभक प्रति निर्देशक ई अर्थ लगाओल जाएत जे ओकरा अंतर्गत सिक्ख, जैन ओ बौद्ध धर्म माननिहार व्यक्तिक प्रति निर्देश अछि तदनुसारें हिन्दु सभक धार्मिक संस्थाक प्रति निर्देशक अर्थ तदनुसारें लगाओल जाएत ।

26. धार्मिक कार्यक प्रबंधनक स्वतंत्रता-लोक व्यवस्था, सदाचार ओ स्वास्थ्यक अधीन रहैत, प्रत्येक धार्मिक पंथ अथवा ओकर कोनो अनुभागकें-

(क) धार्मिक ओ दानक प्रयोजनार्थ संस्थाक स्थापना ओ पोषणक,

(भाग 3- मौलिक अधिकार)

- (ख) अपन धर्म विषयक काजक प्रबंध करबाक,
(ग) चल ओ अचल संपत्तिक अर्जन ओ स्वामित्वक, आओर
(घ) एहन संपत्तिक विधिक अनुरूप संचालन करबाक, अधिकार होएत ।

27. कोनो विशिष्ट धर्मक उन्नतिक लेल कर भुगतानक विषयमे स्वतंत्रता-कोनो व्यक्तिकेँ एहन करक भुगतान करबाक लेल बाध्य नहि कएल जाएत जकर जमा राशि कोनो विशिष्ट धर्म वा धार्मिक संप्रदायक उत्थान वा पोषणमे व्यय करबाक लेल विशेष रूपेँ जमा कएल गेल हो ।

28. कतिपय शिक्षण संस्थानमे धार्मिक शिक्षा वा धार्मिक उपासनामे उपस्थितिक स्वतंत्रता-

- (1) राज्य-निधिसँ पूर्णतः पोषित कोनो शिक्षण संस्थानमे कोनो धार्मिक शिक्षा नहि देल जाएत ।
(2) खंड (1) केर कोनो बात एहन शिक्षण संस्थान पर लागू नहि होएत जे राज्य द्वारा प्रशासित अछि मुदा जे कोनो एहन विन्यास वा न्यासक अधीन स्थापित भेल हो जकरा अनुसार ओहि संस्थामे धार्मिक शिक्षा देब आवश्यक हो,

(3) राज्यसँ मान्यता प्राप्त अथवा राज्य-निधिसँ सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थानमे उपस्थित होमएवाला कोनो व्यक्तिकेँ एहन संस्थामे देल जाएवला धार्मिक शिक्षामे हिस्सा लेबाक लेल वा एहन संस्थामे वा ओहिसँ सम्बद्ध संस्थामे कएल जाएवला धार्मिक उपासनामे उपस्थित होएबाक लेल ताधरि बाध्य नहि कएल जाएत जाधरि ओ व्यक्ति, जँ ओ आवश्यक अछि त' ओकर संरक्षक एकरा लेल अपन सहमति नहि देने हो ।

सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार

29. अल्पसंख्यक वर्गक हितक संरक्षण-(1) भारतक राज्यक्षेत्र वा ओकर कोनो भागक निवासी नागरिकक कोनो अनुभागेकेँ, जकर कोनो अपन विशेष भाषा, लिपि वा संस्कृति हो, ओकरा संरक्षित रखबाक अधिकार होएत ।

(2) राज्य द्वारा पोषित वा राज्य-निधिसँ सहायता प्राप्त कोनो शिक्षण संस्थानमे प्रवेशसँ कोनो नागरिककेँ मात्र धर्म, मूलवंश, जाति, भाषा वा एहिमे सँ कोनो आधार पर वंचित नहि कएल जाएत ।

30. शिक्षण संस्थानक स्थापना ओ प्रशासकीय अल्पसंख्यक वर्गक अधिकार-(1) धर्म वा भाषा आधारित अल्पसंख्यक वर्गकेँ अपन स्वेच्छानुरूप शिक्षण संस्थानक स्थापना ओ प्रशासनक अधिकार होएत ।

भारतक संविधान

(भाग 3- मौलिक अधिकार)

¹[(क) खंड (1) मे निर्दिष्ट कोनो अल्पसंख्यक वर्ग द्वारा स्थापित ओ प्रशासित शिक्षण संस्थानक संपत्तिक अनिवार्य अर्जनक लेल उपबंध करएवला विधि बनबैत काल राज्य ई सुनिश्चित करत जे एहन संपत्तिक अर्जनक लेल एहन विधि द्वारा नियत वा ओकर अधीन सुनिश्चित शुल्क एतबा हो जे ओहि खंडक अधीन प्रत्याभूत अधिकार प्रतिबंधित वा निराकृत नहि हो।

(2) शिक्षण संस्थानकेँ मदति देबामे राज्य कोनो शिक्षण संस्थानक विरुद्ध एहि आधार विभेद नहि करत जे ओ धर्म वा भाषा आधारित कोनो अल्पसंख्यक-वर्गक प्रबंधनमे अछि।

2*

*

*

*

31. [संपत्तिक अनिवार्य अर्जन]-संविधान (चौआलिसम संशोधन) अधिनियम, 1978 केर धारा 6 द्वारा (20-6-1979 सँ) लोप कएल गेल।

³[कतिपय विधि सभक संरक्षण]

⁴[31क. संपदा आदिक अर्जन हेतु उपबंध करएवला विधिक संरक्षण- ⁵(1) अनुच्छेद 13मे अंतर्विष्ट कोनो बातक होइतहुँ-

(क) कोनो संपदाक वा ओहिमे कोनो अधिकारक राज्य द्वारा अर्जन करबाक हेतु वा कोनो एहन अधिकारक निरस्तरण वा ओहिमे परिवर्तनक लेल, वा

(ख) कोनो संपत्तिक प्रबंधन लोकहितमे वा ओहि संपत्तिक उचित प्रबंधन सुनिश्चित करबाक उद्देश्यसँ सीमित अवधिक लेल राज्य द्वारा अधिग्रहण करबाक हेतु, वा

(ग) दू वा अधिक निगमकेँ लोकहितमे वा ओहि निगममे सँ कोनोक उचित प्रबंध सुनिश्चित करबाक उद्देश्यसँ समाविष्ट करबा, वा

(घ) निगमक प्रबंध अभिकर्ता, सचिव ओ कोषाध्यक्ष, प्रबंध निदेशक, निदेशक एवं प्रबंधक कोनो अधिकार वा ओकर शेयरधारकक मत देबाक कोनो अधिकारक निरस्तरण वा ओहिमे परिवर्तनक लेल वा

¹ संविधान (चौआलिसम संशोधन) अधिनियम, 1978 केर धारा 4 द्वारा (20-6-1979 सँ) अंतःस्थापित।

² संविधान (बियालिसम संशोधन) अधिनियम, 1976 केर धारा 3 द्वारा (3-1-1977 सँ) अंतःस्थापित।

³ संविधान (चौआलिसम संशोधन) अधिनियम, 1978 केर धारा 5 द्वारा ((20-6-1979 सँ) उपशीर्षक “संपत्तिक अधिकार” लोप कएल गेल।

⁴ संविधान (पहिल संशोधन) अधिनियम, 1951 केर धारा 4 द्वारा (भूतलक्षी प्रभावसँ) अंतःस्थापित।

⁵ संविधान (चारिम संशोधन) अधिनियम, 1955 केर धारा 3 द्वारा (भूतलक्षी प्रभावसँ) खंड (1) केर स्थान पर प्रतिस्थापित।

(भाग 3- मौलिक अधिकार)

(ड) कोनो खनिज वा खनिज तेलक अन्वेषण करबामे वा ओकरा प्राप्त करबाक प्रयोजनक लेल समझौता, पट्टा वा अनुज्ञप्तिक आधार पर उद्भूत होबएवला कोनो अधिकारक निरस्तरण वा ओहिमे परिवर्तनक लेल वा कोनो एहन समझौता, पट्टा वा अनुज्ञप्तिक समयसँ पूर्व समाप्त करब वा रद्द करबाक हेतु,

उपबंध करएवला विधि एहि आधार पर निरस्त नहि बुझल जाएत जे ओ ¹[अनुच्छेद 14 वा अनुच्छेद 19] द्वारा प्रदत्त अधिकारमे सँ कोनोसँ असंगत अछि एवं ओकरा आहरित वा कम करैत अछि :

मुदा जतए एहन विधि कोनो प्रदेशक विधान-मंडल द्वारा बनाओल गेल अछि ओतए एहि अनुच्छेदक उपबंध ओहि विधिकेँ ताथरि प्रभावित नहि करत जाधरि एहन विधिकेँ, जे राष्ट्रपतिक विचारार्थ आरक्षित कएल गेल हो, ओकर अनुमति नहि दैत छथि:]

²[मुदा ई आ जे जतए कोनो विधिमे राज्य द्वारा कोनो संपदाक अर्जनक लेल कोनो उपबंध कएल गेल हो आओर जतए ओहिमे समाविष्ट कोनो भूमि कोनो व्यक्तिक अपन जोतमे हो ओतए प्रदेशक लेल एहन भूमिक एहन भागकेँ, जे कोनो विद्यमान प्रवृत्त विधिक अधीन ओहिमे लागू अधिकतम सीमाक अंतर्गत अछि, अथवा ओहि पर निर्मित करब ओहि दशाक बिना विधिपूर्ण नहि होएत जाहि दशामे एहन भूमि, भवन वा संरचनाक अर्जनसँ संबंधित विधि ओहि दरसँ प्रतिकरक भुगतानक लेल उपबंध करैत अछि जे बाजार-मूल्यसँ कम नहि होएत ।]

(2) एहि अनुच्छेदमे, -

³[(क) “संपदा” पद केर कोनो स्थानीय क्षेत्रक संबंधमे वएह अर्थ अछि जे ओहि पद केर वा ओकर समतुल्य स्थानीय पद केर ओहि क्षेत्रमे प्रवृत्त भू-कार्य कालसँ संबंधित विद्यमान विधिमे अछि आओर एकर अंतर्गत-

(i) कोनो *जागीर*, *पुरस्कार* वा *माफी* अथवा ओहने अन्य अनुदान आओर ⁴[तमिलनाडु] आओर केरल प्रदेशमे *जन्म* अधिकार सेहो होएत;

(ii) रैयतबाड़ी बंदोबस्तक अधीन धारित कोनो भूमि सेहो होएत;

(iii) कृषिक प्रयोजनार्थ वा ओकर सहायक प्रयोजनार्थ धारित वा पट्टा पर देल गेल भूमि सेहो होएत, जाहि अंतर्गत ऊसर भूमि, वन भूमि, चारागाह, कृषक, ग्रामीण कारीगर एवं खेतिहर मजदूरक दखलमे भवन आ अन्य संरचनाक स्थल अछि;]

¹ संविधान (चौआलिसम संशोधन) अधिनियम, 1978 केर धारा 7 द्वारा (20-6-1979 सँ) “अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 19, वा अनुच्छेद 31” केर स्थान पर प्रतिस्थापित ।

² संविधान (सतरहम संशोधन) अधिनियम, 1964 केर धारा 2 (i) द्वारा (20-6-1964 सँ) अंतःस्थापित ।

³ संविधान (सतरहम संशोधन) अधिनियम, 1964 केर धारा 2 (ii) द्वारा (भूतलक्षी प्रभावसँ) उपखंड (क) केर स्थान पर प्रतिस्थापित ।

⁴ मद्रास राज्य (नाम परिवर्तन) अधिनियम, 1968 (1968 के 53) केर धारा 4 द्वारा (14-1-1969 सँ) “मद्रास” केर स्थान पर प्रतिस्थापित ।

भारतक संविधान

(भाग 3- मौलिक अधिकार)

(ख) “अधिकार” पद केर अंतर्गत, कोनो संपदाक संबंधमे कोनो मालिक, उपमालिक, अवर मालिक निश्चित कार्यकालक लेल भूधारक, ¹[*रैयत, अवर रैयत*] वा अन्य मध्यस्थमे निहित कोनो अधिकार आ भू-राजस्वक संबंधमे कोनो अधिकार वा विशेषाधिकार होएत।

²[31ख. कतिपय अधिनियम ओ विनियमक विधिमान्यकरण-अनुच्छेद 31 क मे अतर्निहित उपबंधक व्यापकता पर बिना प्रतिकूल प्रभावक, नवम अनुसूचीमे निर्दिष्ट अधिनियम ओ विनियममे सँ आओर ओकर उपबंधमे सँ कोनो एहि आधार पर निरस्त वा कखनो निरस्त भेल नहि बुझल जाएत जे ओ अधिनियम, विनियम वा उपबंध एहि भागक कोनो उपबंध द्वारा प्रदत्त अधिकारमे सँ कोनो सँ असंगत अछि किंवा ओकरा आहरित वा कम करैत अछि आ कोनो न्यायालय वा अधिकरणक कोनो प्रतिकूल निर्णय, आज्ञा वा आदेशक रहितहुँ, उक्त अधिनियम ओ विनियममे सँ प्रत्येक, ओकरा निरस्त वा संशोधित करबाक कोनो समक्ष विधान-मंडलक शक्तिक अधीन रहैत, निरंतर बनल रहत।]

³[31ग. कतिपय निदेशक तत्वकें प्रभावित कएनिहार विधिक संरक्षण-अनुच्छेद 13 मे कोनो बातक रहितहुँ कोनो विधि जे ⁴[भाग 4मे कथित सभ वा कोनो तत्व] कें सुनिश्चित करबाक लेल राज्यक नीतिकें प्रभावी करएवला अछि। एहि आधार पर निरस्त नहि बुझल जाएत जे ओ ⁵[अनुच्छेद 14 वा अनुच्छेद 19] द्वारा प्रदत्त अधिकारमे सँ कोनोसँ असंगत अछि किंवा ओकरा आहरित वा कम करैत अछि ⁶[*आओर कोनो विधि, जाहिमे ई घोषणा अछि जे ओ एहन नीतिकें प्रभावी करबा लेल अछि, कोनो न्यायालयमे एहि आधार पर कोनो प्रश्न नहि कएल जाएत जे ओ एहि नीतिकें प्रभावी नहि करैत अछि*];

मुदा जतए एहन विधि कोनो प्रदेशक विधान-मंडल द्वारा बनाओल जाइत अछि ततए एहि अनुच्छेदक उपबंध ओहि विधि पर ताधरि लागू नहि होएत जाधरि एहन विधिकें, जे राष्ट्रपतिक विचारार्थ आरक्षित राखल गेल हो, सँ ओहि लेल अनुमति प्राप्त नहि भए जाए।

⁷31घ. [राष्ट्र विरोधी क्रियाकलापक संबंधमे विधि सभक संरक्षण]-संविधान (तैतालिसम संशोधन) अधिनियम, 1977 केर धारा 2 द्वारा (13-4-1978सँ) लोप कएल गेल।

¹ संविधान (चारिम संशोधन) अधिनियम, 1955 केर धारा 3 द्वारा (भूतलक्षी प्रभावसँ) अंतःस्थापित।

² संविधान (पहिल संशोधन) अधिनियम, 1951 केर धारा 5 द्वारा (18-6-1951 सँ) अंतःस्थापित

³ संविधान (पचीसम संशोधन) अधिनियम, 1971 केर धारा 3 द्वारा (20-4-1972 सँ) अंतःस्थापित।

⁴ संविधान (बियालिसम संशोधन) अधिनियम, 1976 केर धारा 4 द्वारा (3-1-1977 सँ) “अनुच्छेद 39 केर खंड (ख) वा खंड (ग)मे निर्दिष्ट सिद्धांत” केर स्थान पर प्रतिस्थापित। धारा 4 कें उच्चतम न्यायालय द्वारा, *मिनर्वा मिल्स लि. ओ अन्य बनाम भारत संघ आओर अन्य* ए.आई.आर. 1980 एस.सी. 1789मे अविधिमान्य घोषित कएल गेल।

⁵ संविधान (चौआलिसम संशोधन) अधिनियम, 1978 केर धारा 8 द्वारा (20-6-1979 सँ) “अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 19 वा अनुच्छेद 31 “केर स्थान पर प्रतिस्थापित।

⁶ उच्चतम न्यायालय द्वारा, *केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य* ए.आई.आर. 1973 एस.सी. 1461मे इटैलिकमे लिखल गेल शब्द सभकें निष्प्रभावी कए देल गेल।

⁷ संविधान (बियालिसम संशोधन) अधिनियम, 1976 केर धारा 5 द्वारा (3-1-1977 सँ) अंतःस्थापित।

संवैधानिक उपचारक अधिकार

32. एहि भागक द्वारा प्रदत्त अधिकार सभकेँ लागू करएबाक हेतु उपचार-(1) एहि भागक द्वारा प्रदत्त अधिकारकेँ लागू करएबाक लेल समुचित कार्यवाही द्वारा उच्चतम न्यायालयमे समुचित आवेदन करबाक अधिकारक गारंटी (प्रत्याभूत) करैत अछि ।

(2) एहि भागक द्वारा प्रदत्त अधिकारमे सँ कोनोकेँ लागू करबाक लेल उच्चतम न्यायालयकेँ एहन निदेश वा आदेश वा रिट, जाहि अंतर्गत *बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध अधिकार-पृच्छा* आओर *उत्प्रेषण* रिट अछि, एहिमे सँ जे उचित होअए, निर्गत करबाक शक्ति होएत ।

(3) उच्चतम न्यायालय खंड (1) ओ खंड (2) द्वारा प्रदत्त शक्ति पर बिना कोनो प्रतिकूल प्रभावक, संसद उच्चतम न्यायालय द्वारा खंड (2) केर अधीन प्रयोग होमएवला कोनो वा सभ अधिकारिताक स्थानीय सीमाक भीतर प्रयोग करबाक लेल विधि द्वारा सशक्त कएल जा सकत ।

(4) एहि संविधान द्वारा अन्यथा उपबंधक स्थितिक अतिरिक्त, एहि अनुच्छेद द्वारा लागू अधिकार निलंबित नहि कएल जाएत ।

¹**32क. [राज्य विधि सभक संवैधानिक वैधता पर अनुच्छेद 32 केर अधीन कार्यवाही पर विचार नहि कएल जाएब]-** संविधान (तैतालिसम संशोधन) अधिनियम, 1977 केर धारा 3 द्वारा (13-4-1978सँ) लोप कएल गेल ।]

²**[33. एहि भागमे सशस्त्र बल आदिकेँ प्रदत्त अधिकार सभकेँ लागू करबामे संसदक उपांतरणक शक्ति-संसद, विधि द्वारा, निश्चित कए सकत जे एहि भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारमे सँ कोनो, -**

(क) सशस्त्र बलक सदस्यकेँ, वा

(ख) लोक व्यवस्थाक रख-रखाव कएनिहार बलक (सेनाक) सदस्यकेँ, वा

(ग) गुप्त वा प्रतिगुप्त सूचनाक प्रयोजनार्थ राज्य द्वारा स्थापित कोनो विभाग वा अन्य संगठनमे नियोजित व्यक्तिक, वा

(घ) खंड (क) सँ खंड (ग)मे निर्दिष्ट कोनो बल, विभाग किंवा संगठनक प्रयोजनार्थ स्थापित दूरसंचार प्रणालीमे वा ओकर संबंधमे नियोजित व्यक्ति सभक, लागू होएबाक, कोन विस्तार धरि प्रतिबंधित वा निरस्त कएल जाए जाहिसँ ओहिमे कर्तव्यक उचित पालन ओ अनुशासन बनल रहब सुनिश्चित रहए ।]

¹ संविधान (बियालिसम संशोधन) अधिनियम, 1976 केर धारा 6 द्वारा (1-2 1977 सँ) अंतःस्थापित ।

² संविधान (पचासम संशोधन) अधिनियम, 1984 केर धारा 2 द्वारा (11-9-1984 सँ) अनुच्छेद 33 केर स्थान पर प्रतिस्थापित ।

भारतक संविधान

(भाग 3- मौलिक अधिकार)

34. जखन कोनो क्षेत्रमे सेना-विधि लागू हो तखन एहि भागक द्वारा प्रदत्त अधिकार पर निषेध- एहि भागक पूर्वोक्त उपबंधमे सँ कोनो बातक रहितहुँ, संसद विधि द्वारा संघ वा कोनो प्रदेशक सेवामे कोनो व्यक्ति वा कोनो अन्य व्यक्तिकेँ कोनो एहन कार्यक संबंधमे क्षतिपूर्ति कए सकत जे ओ भारतक राज्यक्षेत्रक भीतर कोनो एहन क्षेत्रमे, जतए सेना विधि लागू छल, व्यवस्थाकेँ बनाओल रखबाक वा पुनर्स्थापनाक संबंधमे कएल गेल अछि वा एहन क्षेत्रमे सेना विधिक अधीन पारित दंडादेश, देल गेल दंड, जप्तीक आदेश वा कएल गेल अन्य कार्यके विधि मान्य कए सकत ।

35. एहि भागक उपबंधकेँ प्रभावी बनएबाक विधान-एहि संविधानमे कोनो बातक अछैत, -

(क) संसदकेँ शक्ति होएत आ कोनो प्रदेशक विधान-मंडलकेँ शक्ति नहि होएत जे ओ-

(i) जाहि विषयक लेल अनुच्छेद 16 केर खंड (3), अनुच्छेद 32 केर खंड (3), अनुच्छेद 33 ओ अनुच्छेद 34 केर अधीन संसद विधि द्वारा उपबंध कए सकत ओहिमे सँ ककरो लेल, आओर

(ii) एहन काजक लेल, जे एहि भागक अधीन अपराध घोषित कएल गेल अछि, दंड विहित करबाक लेल ,

विधि बनाबए ओ संसद एहि संविधानक प्रारंभक पश्चात् यथाशक्ति शीघ्र एहन काजक लेल, जे उपखंड (ii) मे निर्दिष्ट अछि, दंड विहित करबाक लेल विधि बनाओत;

(ख) खंड (क) केर उपखंड (i)मे निर्दिष्ट विषयमे सँ कोनोसँ संबंधित वा ओहि खंडक उपखंड (ii) मे निर्दिष्ट कोनो काजक लेल दंडक उपबंध करएवाला कोनो प्रवृत्त विधि, जे भारतक राज्यक्षेत्रमे एहि संविधानक प्रारंभसँ ठीक पहिने प्रवृत्त छल, ओकर निबंधनक ओ अनुच्छेद 372 केर अधीन ओहिमे कएल गेल कोनो अनुकूलन ओ रूपांतरणक अधीन रहैत ताधरि प्रवृत्त रहत जाधरि ओकरा संसद द्वारा परिवर्तन वा रद्द वा संशोधित नहि कए देल जाइत अछि ।

स्पष्टीकरण-एहि अनुच्छेदमे, “प्रवृत्त विधि “ पद केर वह अर्थ अछि जे अनुच्छेद 372मे अछि ।

भाग-4

राज्यक नीति निदेशक तत्त्व

36. परिभाषा-एहि भागमे, जाधरि संदर्भसँ अन्यथा अपेक्षित नहि हो, “राज्य”क वएह अर्थ रहत जे भाग 3 मे अछि ।

37. एहि भागमे अंतर्निहित तत्त्व सभक कार्यान्वयन-एहि भागमे अंतर्निहित उपबंध कोनो न्यायालय द्वारा लागू नहि होएत मुदा तैयो एहिमे अधिकथित तत्त्व देशक शासनक लेल मूलभूत अछि आओर विधि बनएबामे एहि तत्त्वकेँ लागू करब राज्यक कर्तव्य होएत ।

38. राज्य लोक कल्याणक उन्नयनक लेल सामाजिक विधि-विधान-

¹[(1)] राज्यक एहन सामाजिक व्यवस्था केर जाहिमे सामाजिक, आर्थिक ओ राजनैतिक न्याय राष्ट्रीय जीवनक संस्था सभकेँ अनुप्राणित करए, भरिसक प्रभावी रूपमे स्थापना ओ संरक्षण कए लोक कल्याणक उन्नयनक प्रयास करत ।

²[(2)] राज्य विशेषतः आय केर असमानताकेँ कम करबाक प्रयास करत आओर नहि मात्र व्यक्ति मध्य अपितु विभिन्न क्षेत्रमे रहनिहार ओ विभिन्न व्यवसाय कएनिहार लोकक समूहक मध्यमे प्रतिष्ठा, सुविधा ओ अवसरक असमानता समाप्त करबाक प्रयास करत ।]

39.राज्य द्वारा अनुसरणीय कतिपय नीति तत्त्व-राज्य अपन नीतिक विशेषता, एहि प्रकारेँ संचालन करत जे सुनिश्चित रूपसँ-

(क) पुरुष ओ स्त्री सभ नागरिककेँ समान रूपसँ जीविकाक पर्याप्त साधन पएबाक अधिकार हो;

(ख) समुदायक भौतिक संसाधनक स्वामित्व ओ नियंत्रण एहि प्रकारेँ विभाजित हो जाहिसँ सामूहिक हितक साधन सर्वोत्तम रूपसँ हो;

(ग) आर्थिक व्यवस्था एहि प्रकारेँ चलए जाहिसँ धन ओ उत्पादनक साधनकेँ सर्वसाधारणक लेल हानिकारक संक्रेड्रण नहि हो;

(घ) पुरुष आ स्त्री दुनूकेँ समान काजक लेल समान वेतन भेटए ;

(ङ) पुरुष आ स्त्री कर्मकेँ स्वास्थ्य ओ शक्तिक ओ बच्चाक सुकुमार अवस्थाक दुरुपयोग नहि हो ओ आर्थिक विवशताक कारणेँ नागरिककेँ एहन रोजगारमे नहि जाए पड़ए जे ओकर आयु वा शक्तिक अनुकूल नहि हो ;

¹ संविधान (चौआलिसम संशोधन) अधिनियम, 1978 केर धारा 9 द्वारा (20-6-1979 सँ) अनुच्छेद 38 केँ खंड (1) केर रूपमे पुनःसंख्यांकित कएल गेल ।

² संविधान (चौआलिसम संशोधन) अधिनियम, 1978 केर धारा 9 द्वारा (20-6-1979 सँ) अंतःस्थापित ।

भारतक संविधान

(भाग 4- राज्यक नीति निर्देशक तत्त्व)

¹[(च) बच्चा सभकेँ स्वतंत्र ओ गरिमामय वातावरणमे स्वस्थ विकासक अवसर ओ सुविधा देल जाए आ बच्चा ओ अल्पवयस्क व्यक्तिक शोषणसँ एवं नैतिक ओ आर्थिक परित्यागसँ रक्षा कएल जाए।]

²[39क. समान न्याय ओ निःशुल्क विधिक सहायता-राज्य ई सुनिश्चित करत जे विधिक तंत्र एहि तरहें काज करए जे समान अवसरक आधार पर न्याय सुलभ हो आओर ओ, विशेषतः ई सुनिश्चित करबाक लेल जे आर्थिक वा अन्य कोनो निर्योग्यताक कारणेँ कोनो नागरिक न्याय प्राप्त करबाक अवसरसँ वंचित नहि रहि जाए, उपयुक्त विधान वा योजना द्वारा अथवा कोनो अन्य प्रक्रियासँ निःशुल्क विधिक सहायताक व्यवस्था करत।]

40. ग्राम पंचायत संगठन-राज्य ग्राम पंचायतक संगठन करबाक हेतु उद्योग करत ओ ओकरा एहन शक्ति ओ प्राधिकार देत जे ओकरा स्वायत्त शासनक इकाईक रूप काज करबा योग्य बनएबाक लेल आवश्यक हो।

41. कतिपय दशामे काज, शिक्षा ओ लोक सहायता पएबाक अधिकार-राज्य अपन आर्थिक सामर्थ्यक अनुरूप ओ विकासक सीमाक मध्य, काज पएबाक, शिक्षा पएबाक ओ बेरोजगारी, वृद्धावस्था, बीमारी आओर निःशक्तता एंव अन्य अनुपयुक्त अभावक दशामे लोक सहायता पएबाक अधिकारकेँ प्राप्त करएबाक प्रभावी उपबंध करत।

42. काजक न्यायसंगत ओ मानवोचित दशा एवं प्रसूति सहायताक उपबंध-राज्य काजक न्यायसंगत ओ मानवोचित दशाकेँ सुनिश्चित करबाक लेल ओ प्रसूति सहायताक लेल उपबंध करत।

43. श्रमिक सभक लेल निर्वहन मजदूरी आदि-राज्य, उपयुक्त विधान वा आर्थिक संगठन द्वारा वा कोनो अन्य प्रक्रियासँ कृषिक उद्योगक वा अन्य प्रकारक सभ कर्मकेँ काज, निर्वाह मजदूरी, शालीन जीवनस्तर ओ अवकाशक संपूर्ण उपभोग सुनिश्चित करएवाला काजक दशा आ सामाजिक ओ सांस्कृतिक अवसर दिअएबाक प्रयास करत ओ विशेषतः गाममे कुटीर उद्योगकेँ वैयक्तिक वा सहकारी आधार पर बढ़एबाक प्रयास करत।

³[43क. उद्योग प्रबंधनमे श्रमिक सभक भागीदारी-राज्य कोनो उद्योगमे लागल उपक्रम, संस्थान वा अन्य संगठनक प्रबंधमे कर्मिक भाग लेब सुनिश्चित करबाक लेल उपयुक्त विधान द्वारा वा कोनो अन्य प्रक्रियासँ उद्योग करत।]

¹ संविधान (बियालिसम संशोधन) अधिनियम, 1976 केर धारा 7 द्वारा (3-1-1977 सँ) खंड (च) केर स्थान पर प्रतिस्थापित।

² संविधान (बियालिसम संशोधन) अधिनियम, 1976 केर धारा 8 द्वारा (3-1-1977 सँ) अंतःस्थापित।

³ संविधान (बियालिसम संशोधन) अधिनियम, 1976 केर धारा 9 द्वारा (3-1-1977 सँ) अंतःस्थापित।

(भाग 4- राज्यक नीति निदेशक तत्त्व)

¹[43ख. सहकारी समितिक उन्नयन-राज्य सहकारी समितिक स्वैच्छिक निर्माण, स्वतः संचालन, लोकतांत्रिक नियंत्रण ओ पेशेवर प्रबंधनक उन्नयन करबाक प्रयास करत ।]

44. नागरिक सभक लेल समान नागरिक संहिता-राज्य, भारतक राज्यक्षेत्रमे नागरिकक लेल एक समान नागरिक संहिता बनएबाक प्रयास करत ।

²[45. छओ वर्षसँ कम आयुवर्गक बच्चा सभक लेल आरंभिक बाल्यावस्थाक देख-रेख ओ शिक्षाक उपबंध-राज्यक सभ बच्चाक लेल छओ वर्षक आयु पूरा करबा धरि, प्रारंभिक बाल्यावस्था धरि देख-रेख ओ शिक्षा देबाक लेल उपबंध करबाक प्रयास करत]

46. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य कमजोर वर्गक शिक्षा ओ अर्थ संबंधी हितक उन्नयन-राज्य, जनताक कमजोर वर्ग विशेषतः अनुसूचित जाति ओ अनुसूचित जनजातिक शिक्षा आओर अर्थ संबंधी हितक विशेष ध्यान देत, उन्नयन करत ओ सामाजिक अन्याय आओर सभ प्रकारक शोषणसँ ओकर रक्षा करत ।

47. पोषाहार स्तर ओ जीवन स्तरकेँ ऊपर उठएबा आ लोक स्वास्थ्यक सुधार करबाक राज्यक कर्तव्य-राज्य, अपन नागरिकक पोषाहार स्तर ओ जीवनस्तर ऊपर उठएबाक लेल ओ लोक स्वास्थ्यक सुधारकेँ अपन प्राथमिक कर्तव्य बुझत ओ राज्य, विशेषतः मादक पेय आ स्वास्थ्यक लेल अहितकर औषधिक आवश्यक औषधीय प्रयोजनसँ भिन्न, प्रयोगकेँ प्रतिबंधित करबाक प्रयास करत ।

48. कृषि ओ पशुपालनक संगठन-कृषि ओ पशुपालनकेँ आधुनिक ओ वैज्ञानिक प्रणालीसँ संगठित करबाक प्रयास करत आओर विशेषतः गाय आ बाछी आ अन्य दुधगरि ओ भारवाहक पशु सभक प्रजातिक परिरक्षण ओ सुधारक लेल आओर ओकर हत्याक निषेध करबाक लेल उद्योग करत ।

³[48क. पर्यावरणक संरक्षण ओ संवर्धन एवं वन आ वन्य जीवक रक्षा-राज्य, देशक पर्यावरणक संरक्षण ओ संवर्धनक एवं वन ओ वन्य जीवक रक्षा करबाक प्रयास करत ।]

¹ संविधान (सनतानवेअम संशोधन) अधिनियम, 2011 केर धारा 3 द्वारा (15-2-2012 सँ) अंतःस्थापित ।

² संविधान (छियालिसम संशोधन) अधिनियम, 2002 केर धारा 3 द्वारा (1-4-2010 सँ) अनुच्छेद 45 केर स्थान पर प्रतिस्थापित ।

³ संविधान (बियालिसम संशोधन) अधिनियम, 1976 केर धारा 10 द्वारा (13-1-1977 सँ) अंतःस्थापित ।

49. राष्ट्रीय महत्त्वक स्मारक, स्थान एवं वस्तु सभक संरक्षण-¹[संसद द्वारा बनाओल गेल विधि द्वारा वा ओकर अधीन] राष्ट्रीय महत्त्वक ¹[घोषित कएल गेल] कलात्मक वा ऐतिहासिक अभिरुचि वला प्रत्येक स्मारक वा स्थान वा वस्तुक लूट, विरूपण, उन्मूलन, अपसारण, व्ययन वा निर्यातसँ संरक्षण करब राज्यक लेल बाध्यकारी होएत ।

50. कार्यपालिकासँ न्यायपालिकाक पृथक्करण-राज्यक लोक सेवामे, न्यायपालिकाकेँ कार्यपालिकासँ पृथक करबाक लेल राज्य उद्योग करत ।

51. अंतर्राष्ट्रीय शांति ओ सुरक्षाक उन्नयन-राज्य, -

(क) अंतर्राष्ट्रीय शांति ओ सुरक्षाक उन्नयनक,

(ख) राष्ट्र सभक मध्य न्यायसंगत ओ सम्मानपूर्ण संबंधकेँ बनाओल रखबाक, .

(ग) संगठित लोकक एक दोसरसँ व्यवहारमे अंतर्राष्ट्रीय विधि ओ संधि-बाध्यताक प्रति आदर बढ़एबाक, आओर

(घ) अंतर्राष्ट्रीय विवादक मध्यस्थताक माध्यमे निपटानक लेल प्रोत्साहन देबाक, प्रयास करत ।

¹ संविधान (सातम संशोधन) अधिनियम, 1956 केर धारा 27 द्वारा (1-11-1956 सँ) “संसद द्वारा विधि द्वारा घोषित” केर स्थान पर प्रतिस्थापित ।

¹[भाग-4 क मौलिक कर्तव्य

51क. मौलिक कर्तव्य-भारतक प्रत्येक नागरिकक ई कर्तव्य होएत जे ओ-

(क) संविधानक पालन करए आ ओकर आदर्श, संस्था, राष्ट्रध्वज ओ राष्ट्रगानक सम्मान करए ;

(ख) स्वतंत्रताक लेल अपन राष्ट्रीय आन्दोलनकेँ प्रेरित करएवला उच्च आदर्शकेँ हृदयमे रखैत ओकर पालन करए;

(ग) भारतक संप्रभुता, एकता ओ अखंडताक रक्षा करए ओ ओकरा अक्षुण्ण बनौने राखए;

(घ) देशक रक्षा करए आ आह्वान कएला उत्तर राष्ट्रक सेवा करए ;

(ङ) भारतक सभ लोकमे समरसता ओ समान भ्रातृत्वक भावनाक निर्माण होअए जे धर्म, भाषा, प्रदेश वा वर्ग पर आधारित सभ भेदभावसँ रहित होअए, एहन प्रथाक त्याग करए जे स्त्री सम्मानक विरुद्ध हो;

(च) अपन मिश्रित संस्कृतिक गौरवशाली परम्पराक महत्त्व बुझए आ ओकर रक्षा करए;

(छ) प्राकृतिक पर्यावरणकेँ जकरा अंतर्गत वन, झील, नदी ओ वन्य जीवक रक्षा करए, ओ ओकर संवर्धन करैत ओ प्राणि मात्रक प्रति दया भाव राखए;

(ज) वैज्ञानिक मनोदशा, मानववाद ओ ज्ञानक प्रति जिज्ञासा आ सुधारक भावनाक विकास करए;

(झ) सार्वजनिक संपत्तिकेँ सुरक्षित राखए ओ हिंसासँ दूर रहए;

(ञ) व्यक्तिगत ओ सामूहिक गतिविधिक सभ क्षेत्रमे उत्कर्षक दिशामे बढ़बाक सतत् प्रयास करए जाहिसँ राष्ट्रकेँ निरंतर प्रयासरत रहैत उपलब्धिक उच्चतर शिखर पर लए गेल जा सकए;

²[(ट) माता-पिता वा संरक्षक, अपन छओ सँ चौदह आयुवर्गक बच्चा वा प्रतिपाल्य, जे स्थिति हो केर शिक्षाक लेल अवसर प्रदान करए]

¹ संविधान (बियालिसम संशोधन) अधिनियम, 1976 केर धारा 11 द्वारा (3-1-1977 सँ) अंतःस्थापित ।

² संविधान (छिआलिसम संशोधन) अधिनियम, 2002 केर धारा 4 द्वारा (1-4-2010 सँ) अंतःस्थापित ।

भाग-5

संघ

अध्याय 1-कार्यपालिका

राष्ट्रपति ओ उपराष्ट्रपति

52. भारतक राष्ट्रपति-भारतक एक राष्ट्रपति होएत ।

53. संघक कार्यपालिका शक्ति-(1) संघक कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपतिमे निहित होएत ओ एकर प्रयोग एहि संविधानक अनुसार स्वयं वा अपन अधीनस्थ अधिकारी द्वारा करताह ।

(2) पूर्वोक्त उपबंधक व्यापकता पर कोनो प्रतिकूल प्रभावक, संघक रक्षाबलक सर्वोच्च समादेश राष्ट्रपतिमे निहित होएत आ एकर प्रयोग विधि द्वारा विनियमित होएत ।

(3) एहि अनुच्छेदक कोनो बात-

(क) कोनो विद्यमान विधि द्वारा कोनो प्रदेशक सरकार वा अन्य प्राधिकारीकें देल गेल काज राष्ट्रपतिकें अंतरित करएवला नहि बुझल जाएत; वा

(ख) राष्ट्रपतिसँ भिन्न अन्य प्राधिकारीकें विधि द्वारा काज देबएसँ संसदकें प्रतिबंधित नहि करत ।

54. राष्ट्रपतिक निर्वाचन-राष्ट्रपतिक निर्वाचन, एहन निर्वाचनक गणक सदस्य करताह जाहिमे-

(क) संसदक दुनू सदनक निर्वाचित सदस्य; आओर

(ख) प्रदेशक विधान सभाक निर्वाचित सदस्य, होएताह ।

¹[स्पष्टीकरण-एहि अनुच्छेद ओ अनुच्छेद 55 मे, “राज्य”क अंतर्गत दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र आओर *पुदुचेरी केन्द्र शासित प्रदेश अछि ।]

55. राष्ट्रपतिक निर्वाचनक प्रक्रिया-(1) जतए धरि साध्य हो, राष्ट्रपतिक निर्वाचनमे भिन्न-भिन्न प्रदेशक प्रतिनिधित्वक मापमे एकरूपता रहत ।

(2) राज्यमे आपसमे एहन एकरूपता आ समस्त प्रदेश ओ संघमे समतुल्यताक लेल संसद ओ प्रत्येक प्रदेशक विधान सभाक प्रत्येक निर्वाचित सदस्य एहन निर्वाचनमे जतबा मत देबाक अधिकारी छथि ओकर संख्या निम्नांकित प्रक्रियासँ निर्धारित कएल जाएत, अर्थात :-

(क) कोनो प्रदेशक विधान सभाक प्रत्येक निर्वाचित सदस्यकें ओतबे मत होएतैन्हि जतबा एक हजारसँ गुणित ओहि भागफलमे हो जे प्रदेशक जनसंख्याकें ओहि विधान सभाक निर्वाचित सदस्यक कुल संख्यासँ भाग देला पर आबए;

¹ संविधान (सत्तरिम संशोधन) अधिनियम, 1992 केर धारा 2 द्वारा (1-6-1995 सँ) अंतःस्थापित ।

* पांडिचेरी (नाम परिवर्तन) अधिनियम, 2006 (2006 केर 44) केर द्वारा 3 द्वारा (1-10-2006 सँ) एखन ओ पुदुचेरी अछि ।

(भाग 5-संघ)

(ख) जै एक हजारसँ उक्त भागफलकें लेलाक बाद शेष पाँच सयसँ कम नहि हो तँ उपखंड (क)मे निर्दिष्ट प्रत्येक सदस्यक मतक संख्यामे एक आओर जोड़ि देल जाएत;

(ग) संसदक दुनूमे सँ कोनो सदनक प्रत्येक निर्वाचित सदस्यक मतक संख्या वएह होएत जे उपखंड (क) आओर उपखंड (ख) केर अधीन प्रदेश सभक विधान सभाक सदस्यक लेल नियत कुल मतक संख्याकें, संसदक दुनू सदनक निर्वाचित सदस्यक कुल संख्यासँ भाग देला उत्तर आबए। जाहिमे आधारसँ अधिक भिन्नकें एक मानल जाएत आ अन्य भिन्नकें उपेक्षित कए देल जाएत।

(3) राष्ट्रपतिक निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धतिक अनुरूप एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा होएत आ एहन निर्वाचनमे गुप्त मतदान होएत।

¹[स्पष्टीकरण-एहि अनुच्छेदमे, “जनसंख्या” पदसँ एहन अंतिम पूर्ववर्ती जनगणनामे निश्चित कएल गेल जनसंख्या अभिप्रेत अछि जकर जकर सुसंगत आँकड़ा प्रकाशित भए गेल हो:

मुदा एहि स्पष्टीकरणमे अंतिम पूर्ववर्ती जनगणनाक प्रति, जकर सुसंगत आँकड़ा प्रकाशित भए गेल हो, निर्देशक, जाधरि सन् 2026 केर पश्चात् कएल गेल पहिल जनगणनाक सुसंगत आँकड़ा प्रकाशित नहि भए जाएत, ई अर्थ लगाओल जाएत जे ओ 1971 केर जनगणनाक प्रति निर्देश अछि:]

56. राष्ट्रपतिक पदावधि-(1) राष्ट्रपति अपन पद ग्रहणक तिथिसँ पाँच वर्ष धरि अपन पद पर रहताह :

मुदा,

(क) राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपतिकें संबोधित स्वहस्तलिखित पत्र द्वारा अपन पद त्याग करताह;

(ख) संविधानक अतिक्रमण कएला उत्तर राष्ट्रपतिकें अनुच्छेद 61 मे उपबंधित प्रक्रियासँ महाभियोग द्वारा पदच्युत कएल जा सकत ;

(ग) राष्ट्रपति, अपन पदक अवधि समाप्तिक उपरातहुँ, ताधरि पद पर बनल रहताह जाधरि हुनकासँ कोनो उत्तराधिकारी पद ग्रहण नहि कए लेथि।

(2) खंड (1) केर मुदा केर खंड (क) केर अधीन उपराष्ट्रपतिकें संबोधित त्यागपत्रक सूचना हुनका द्वारा लोकसभा अध्यक्षकें तुरंत देल जाएत।

¹ संविधान (बियालिसम संशोधन) अधिनियम, 1976 केर धारा 12 द्वारा (3-1-1977 सँ) स्पष्टीकरणक स्थान पर प्रतिस्थापित।

² संविधान (चौरासियम संशोधन) अधिनियम, 2001 केर धारा 2 द्वारा (21-2-2002 सँ) “2002” केर स्थान पर प्रतिस्थापित।

57. पुनर्निर्वाचनक लेल अर्हता-कोनो व्यक्ति, जे राष्ट्रपतिक रूपमे पद धारण करैत छथि वा कए चुकल छथि, एहि संविधानक अन्य उपबंधक अधीन रहितहुँ ओहि पदक लेल पुनर्निर्वाचनक पात्र होएताह ।

58. राष्ट्रपति निर्वाचित होएबाक लेल अर्हता-कोनो व्यक्ति राष्ट्रपति निर्वाचित होएबाक पात्र तखने धारित करताह जँ ओ-

(क) भारतक नागरिक छथि,

(ख) पैतीस वर्षक अवस्था भए गेल होनि, आओर

(ग) लोक सभाक सदस्य निर्वाचित होएबाक लेल अर्हित होथि ।

(2) कोनो व्यक्ति, जे भारत सरकारक वा कोनो प्रदेशक सरकारक अधीन वा उक्त सरकारमे सँ कोनोक नियंत्रणमे कोनो स्थानीय वा अन्य प्राधिकारीक अधीन कोनो लाभक पद पर होथि, राष्ट्रपति निर्वाचित होएबाक पात्र नहि होएत ।

स्पष्टीकरण-एहि अनुच्छेदक प्रयोजनार्थ, कोनो व्यक्ति मात्र एहि कारण कोनो लाभक पद पर नहि बुझल जाएत जे ओ संघक राष्ट्रपति वा उपराष्ट्रपति वा प्रदेशक राज्यपाल ¹ * * * वा संघक वा कोनो प्रदेशक मंत्री अछि ।

59. राष्ट्रपति पदक लेल शर्त-(1) राष्ट्रपति संसदक कोनो सदनक वा कोनो प्रदेशक विधान-मंडलक कोनो सदनक सदस्य नहि होएत ओ जँ संसदक कोनो सदनक वा कोनो प्रदेशक विधान-मंडलक कोनो सदनक कोनो सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचित भए जाइत छथि त' ई बुझल जाएत जे ओ ओहि सदनमे अपन स्थान राष्ट्रपतिक रूपमे पद ग्रहणक तिथिसँ रिक्त कए देल ।

(2) राष्ट्रपति आन कोनो लाभक पद पर नहि रहताह ।

(3) राष्ट्रपति, बिना कोनो किराया देने, अपन शासकीय निवासक उपयोगक अधिकारी होएतहुँ आ एहन उपलब्धि, भत्ता ओ विशेषाधिकारहुँक जे संसद विधि द्वारा निश्चित कए ओ जाधरि एहि निमित्त एहि प्रकारक उपबंध नहि कएल जाइत अछि ताधरि एहन उपलब्धि, भत्ता ओ विशेषाधिकार, जे दोसर अनुसूचीमे निर्दिष्ट अछि, केर अधिकारी होएताह ।

(4) राष्ट्रपतिक उपलब्धि ओ भत्ता हुनक पद पर रहैत कम नहि कएल जाएत ।

60. राष्ट्रपति द्वारा शपथ वा प्रतिज्ञान-प्रत्येक राष्ट्रपति ओ प्रत्येक व्यक्ति, जे राष्ट्रपतिक रूपमे काज कए रहल छथि वा ओकर काजक निर्वहन कए रहल छथि, अपन पद ग्रहण करबासँ पूर्व भारतक मुख्य न्यायमूर्ति वा हुनक अनुपस्थितिमे उच्चतम न्यायालयमे उपलब्ध वरीयतम न्यायाधीशक समक्ष निम्नलिखित प्रारूपमे शपथ लेताह वा प्रतिज्ञान करताह आओर ओहि पर अपन हस्ताक्षर करताह, अर्थात् :-

¹ संविधान (सातम संशोधन) अधिनियम, 1956 केर धारा 29 ओ अनुसूची द्वारा (1-11-1956 सँ) “वा राजप्रमुख वा उप-राजप्रमुख” शब्दक लोप कएल गेल ।

(भाग 5-संघ)

ईश्वरक शपथ लैत छी

“हम, अमुक जे हम श्रद्धापूर्वक भारतक राष्ट्रपति-पदक

सत्यनिष्ठासँ प्रतिज्ञान करैत छी

कार्यपालन (वा राष्ट्रपतिक काजक निर्वहन) करब आ अपन पूर्ण योग्यतासँ संविधान ओ विधिक रक्षण, संरक्षण ओ प्रतिरक्षण करब आओर हम भारतक जनताक सेवा ओ कल्याणक लेल समर्पित रहब।”

61. राष्ट्रपति पर महाभियोग चलएबाक प्रक्रिया-(1) जखन संविधानक अतिक्रमणक लेल राष्ट्रपति पर महाभियोग लगएबाक हो, तखन संसदक कोनो सदन आरोप लगाओत।

(2) एहन कोनो आरोप ताधरि नहि लगाओल जाएत जाधरि-

(क) एहन आरोप लगएबाक प्रस्थापना कोनो एहन संकल्पमे अंतर्निहित नहि हो, जे कम-सँ-कम चौदह दिनक एहन लिखित सूचना देल जएबाक पश्चात् प्रस्तावित कएल गेल अछि जाहि पर ओहि सदनक कुल सदस्य संख्याक न्यूनतम एक चौथाई सदस्यक हस्ताक्षर कए ओहि संकल्पकें प्रस्तावित करबाक अपन आशय प्रकट कएने होथि, आओर

(ख) ओहि सदनक कुल सदस्य संख्याक न्यूनतम दू-तिहाई बहुमत द्वारा एहि संकल्पकें पारित नहि कएल गेल हो।

(3) जखन आरोप संसदक कोनो सदन द्वारा एहि तरहें लगाओल गेल अछि, तखन दोसर सदन ओहि आरोपक जाँच करत वा कराओत वा एहन जाँचमे उपस्थित होएबाक आ अपन प्रतिनिधित्व करएबाक राष्ट्रपतिकें अधिकार होएतन्हि।

(4) जँ जाँचक परिणामस्वरूप ई घोषित करएवला संकल्प जे राष्ट्रपतिक विरुद्ध लगाओल गेल आरोप सिद्ध भए गेल अछि, आरोपक जाँच करब वा करौनिहार सदनक कुल सदस्यक संख्याक न्यूनतम दू-तिहाई बहुमत द्वारा पारित कए देल जाइत अछि तखन एहन संकल्पक प्रभाव एहि तरहें पारित कएल जाएवला तिथिसँ राष्ट्रपतिकें पदमुक्त कएल पड़त।

62. राष्ट्रपति पदक रिक्तिकें भरबाक लेल निर्वाचन करबाक अवधि आओर आकस्मिक रिक्तिकें भरबाक लेल निर्वाचित व्यक्तिक पदावधि-(1) राष्ट्रपतिक पदक समाप्तिसँ भेल रिक्तिकें भरबाक लेल निर्वाचन अवधि समाप्तिसँ पूर्वहि पूर्ण कएल जाएत।

(2) राष्ट्रपतिक मृत्यु, पदत्याग वा पदच्युत होएबा वा अन्य कोनो कारणसँ भेल ओहि पदक रिक्तिकें भरबाक लेल निर्वाचन, रिक्ति होएबाक तिथिक पश्चात् यथाशीघ्र आ कोनहुँ स्थितिमे छओ मासक अभ्यंतर पूर्ण कएल जाएत ओ रिक्तिकें भरबाक लेल निर्वाचित व्यक्ति, अनुच्छेद 56 केर उपबंधक अधीन रहैत, अपन पद ग्रहणक तिथिसँ पाँच वर्षक पूर्ण अवधि धरि पद धारण करबाक अधिकारी होएताह।

63. भारतक उपराष्ट्रपति-भारतमे एक उपराष्ट्रपति होएत।

64. उपराष्ट्रपतिक राज्य सभाक पदेन सभापति होएब-उपराष्ट्रपति, राज्य सभाक पदेन सभापति होएत ओ अन्य कोनो लाभक पद धारण नहि करताह :

मुदा जाहि कोनो कालावधिमे उपराष्ट्रपति, अनुच्छेद 65 केर अधीन राष्ट्रपतिक रूपमे काज करैत छथि वा राष्ट्रपतिक काजक निर्वहन करैत छथि, ओहि कालावधिमे ओ राज्य सभाक सभापतिक पदक कर्तव्यक पालन नहि करताह आओर ओ अनुच्छेद 97 केर अधीन राज्य सभाक सभापतिकें देल जाएवला वेतन ओ भत्ताक अधिकारी नहि होएताह।

65. राष्ट्रपति पदक आकस्मिक रिक्तिक स्थितिमे वा हुनक अनुपस्थितिमे उपराष्ट्रपतिक राष्ट्रपतिक रूपमे काज करब वा हुनक काजक निर्वहन करब-(1) राष्ट्रपतिक मृत्यु, पद त्याग वा पदच्युत वा अन्य कारणसँ पदमे भेल रिक्तिक दशामे उपराष्ट्रपति ओहि तिथि धरि राष्ट्रपतिक रूपमे काज करताह जाहि तिथिकें एहन रिक्तिकें भरबाक लेल एहि अध्यायक उपबंधक अनुसार निर्वाचित नव राष्ट्रपति अपन पद ग्रहण करैत छथि।

(2) जखन राष्ट्रपति अनुपस्थिति, बीमारी वा अन्य कारणसँ अपन काजक निर्वहन करबामे असमर्थ छथि, तखन उपराष्ट्रपति ओहि तिथि धरि हुनक काजक निर्वहन करताह जाहि तिथिसँ राष्ट्रपति अपन कर्तव्यक फेरसँ निर्वहन नहि करए लागथि।

(3) उपराष्ट्रपतिकें ओहि कालक समय ओ संबंधमे, जाधरि ओ राष्ट्रपतिक रूपमे एहि प्रकारें कार्य कए रहल छथि वा हुनक काजक निर्वहन कए रहल छथि, राष्ट्रपतिक सभ शक्ति ओ उन्मुक्ति निहित रहत आ ओ एहन उपलब्धि, भत्ता ओ विशेषाधिकार जे संसद विधि द्वारा निश्चित कए, आ जाधरि एहि निमित्त एहि तरहक उपबंध नहि कएल जाइत अछि ताधरि एहन उपलब्धि, भत्ता ओ विशेषाधिकारक, जे दोसर अनुसूचीमे निर्दिष्ट अछि, केर अधिकारी होएताह।

66. उपराष्ट्रपतिक निर्वाचन-(1) उपराष्ट्रपतिक निर्वाचन ¹[संसदक दुनू सदनक सदस्यक सदस्यसँ मिलाकए बनएवला निर्वाचकगणक सदस्य] द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धतिक अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा होएत आओर एहि निर्वाचनमे गुप्त मतदान होएत।

(2) उपराष्ट्रपति संसदक दुनूमे सँ कोनो सदन वा कोनो प्रदेशक विधान-मंडलक कोनो सदनक सदस्य नहि होएताह आ जँ संसदक कोनो संसदक वा कोनो प्रदेशक विधान-मंडलक कोनो सदनक कोनो सदस्य उपराष्ट्रपति निर्वाचित भए जाइत अछि तखन ई बुझल जाएत जे ओ ओहि सदनमे अपन स्थान उपराष्ट्रपतिक रूपमे पदग्रहणक तिथिसँ रिक्त कए देल अछि।

(3) कोनो व्यक्ति उपराष्ट्रपति निर्वाचित होएबाक पात्र तखन होएताह जखन ओ-

(क) भारतक नागरिक छथि,

(ख) पैतीस वर्षक अवस्था पूरा कए चुकल छथि, आओर

¹ संविधान (एगारहम संशोधन) अधिनियम, 1961 केर धारा 2 द्वारा (19-12-1961 सँ) “संयुक्त अधिवेशनमे समवेत संसदक दुनू सदनक सदस्य” केर स्थान पर प्रतिस्थापित।

(भाग 5-संघ)

(ग) राज्य सभाक सदस्य निर्वाचित होएबाक लेल अर्हित होथि ।

4. कोनो व्यक्ति, जे भारत सरकारक वा कोनो प्रदेशक सरकारक अधीन, वा उक्त सरकारमे सँ कोनोक नियंत्रणमे कोनो स्थानीय वा अन्य प्राधिकारीक अधीन कोनो लाभक पद धारण करैत छथि, उपराष्ट्रपति निर्वाचित होएबाक पात्र नहि होएताह ।

स्पष्टीकरण-एहि अनुच्छेदक प्रयोजनार्थ कोनो व्यक्ति मात्र एहि कारण कोनो लाभक पद धारण कएनिहार नहि बुझल जाएत जे ओ संघक राष्ट्रपति वा उपराष्ट्रपति वा कोनो प्रदेशक राज्यपाल छथि ।¹*** वा संघक वा कोनो प्रदेशक मंत्री छथि ।

67. उपराष्ट्रपतिक पदावधि-उपराष्ट्रपति अपन पदक ग्रहणक तिथिसँ पाँच वर्षक अवधि धरि पद पर रहताह :

मुदा-

(क) उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपतिकेँ संबोधित स्वहस्तलिखित पत्र द्वारा अपन पद छोड़ि सकताह;

(ख) उपराष्ट्रपति, राज्य सभाक एहन संकल्प द्वारा अपन पदसँ हटाओल जा सकैत अछि जकरा राज्य सभाक तत्कालीन समस्त सदस्यक बहुमत पारित कएने हो आ जाहिमे लोक सभाक सहमति हो; मुदा एहि खंडक प्रयोजनार्थ कोनो संकल्प ताधरि प्रस्तावित नहि कएल जाएत जाधरि ओहि संकल्पकेँ प्रस्तावित करबाक आशयक न्यूनतम चौदह दिनक सूचना नहि कए देल गेल हो;

(ग) उपराष्ट्रपति, पदक अवधि समाप्त भए गेला उत्तरहुँ ताधरि पद पर रहताह जाधरि हुनक उत्तराधिकारी ओहि पद पर नहि आबि जाइत छथि ।

68. उपराष्ट्रपतिक पदक रिक्तिकेँ भरबाक लेल निर्वाचन करबाक अवधि ओ आकस्मिक रिक्तिकेँ भरबाक लेल निर्वाचित व्यक्ति पदावधि-(1) उपराष्ट्रपति पदक अवधि केर समाप्तिसँ पूर्वहि पूर्ण कए लेल जाएत ।

(2) उपराष्ट्रपतिक मृत्यु, पदत्याग वा पदच्युत होएबा वा अन्य कारणसँ भेल रिक्तिकेँ भरबाक लेल निर्वाचन, रिक्ति होएबाक पश्चात् यथाशीघ्र कएल जाएत ओ रिक्तिकेँ भरबाक लेल निर्वाचित व्यक्ति, अनुच्छेद 67 केर उपबंधक अधीन रहितहुँ, अपन पदक ग्रहण करबाक तिथिसँ पाँच वर्षक पूरा अवधि धरि पद धारण करबाक अधिकारी होएताह ।

69. उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ वा प्रतिज्ञान-प्रत्येक उपराष्ट्रपति पद ग्रहण करबासँ पूर्व राष्ट्रपति वा हुनका द्वारा एहि निमित्त नियुक्त कोनो व्यक्ति समक्ष निम्नलिखित प्रारूपमे शपथ लेताह वा

¹ संविधान (सातम संशोधन) अधिनियम, 1956 केर धारा 29 आओर अनुसूची द्वारा (1-11-1956 सँ) “अथवा राज्य प्रमुख वा उप-राज प्रमुख शब्दक लोप कएल गेल ।

प्रतिज्ञान करताह आ ओहि पर अपन हस्ताक्षर करताह, अर्थात् :-

ईश्वरक शपथ लैत छी

“हम, अमुक जे हम विधि द्वारा स्थापित भारतक संविधानक

सत्यनिष्ठासँ प्रतिज्ञान करैत छी

प्रति पूर्ण श्रद्धा ओ निष्ठा राखब आ जाहि पद पर हम पदासीन होएब ओकर कर्तव्यक श्रद्धापूर्वक निर्वहन करब।” ।

70. अन्य आकस्मिक स्थितिमे राष्ट्रपतिक काजक निर्वहन-संसद एहन कोनो आकस्मिक स्थितिमे जे एहि अध्यायमे उपबंधित नहि अछि, राष्ट्रपतिक काजक निर्वहनक लेल एहन उपबंध कए सकत जे ओ उचित बुझए ।

¹[71. राष्ट्रपति वा उपराष्ट्रपतिक निर्वाचनसँ संबंधित अथवा संबद्ध विषय-(1) राष्ट्रपति वा उपराष्ट्रपतिक निर्वाचनसँ उत्पन्न वा सम्बद्ध सभ शंका ओ विवादक जाँच आओर निर्णय उच्चतम न्यायालय द्वारा लेल जाएत आओर ओकर निर्णय अंतिम होएत ।

2. जँ उच्चतम न्यायालय द्वारा कोनो व्यक्तिकेँ राष्ट्रपति वा उपराष्ट्रपतिक रूपमे निर्वाचनकेँ निरस्त घोषित कए देल जाइत अछि त’ ओकरा द्वारा यथास्थिति, राष्ट्रपति वा उपराष्ट्रपति पदक शक्तिक प्रयोग आओर कर्तव्यक पालनमे उच्चतम न्यायालयक आदेशक तिथिसँ वा ओहिसँ पूर्व कएल गेल काज ओहि घोषणाक कारण विधिमान्य नहि रहत ।

3. एहि संविधानक उपबंधक अधीन रहैत, राष्ट्रपति वा उपराष्ट्रपतिक निर्वाचनसँ संबंधित वा सम्बद्ध कोनो विषयक विनियमन संसद विधि द्वारा कए सकत ।

4. राष्ट्रपति वा उपराष्ट्रपतिक रूपमे कोनो व्यक्तिक निर्वाचनकेँ ओकरा निर्वाचित करएवला निर्वाचकगणक सदस्यमे सँ कोनो कारणसँ विद्यमान कोनो रिक्तिक आधार पर चुनौती नहि देल जा सकैत अछि ।]

72. क्षमा आदिक ओ कतिपय विषयमे दंडादेशक निलंबन, परिहार वा लघुकरणक राष्ट्रपतिक शक्ति-(1) राष्ट्रपतिकेँ, कोनो अपराधक लेल दोषसिद्ध कोनो व्यक्तिक लेल दंडकेँ क्षमा, विलंबन, विराम वा परिहार करबाक वा दंडादेशक निलंबन, परिहार वा लघुकरणक-

(क) ओहि सभ विषयमे जाहिमे दंड वा दंडादेश सैन्य न्यायालय द्वारा देल गेल अछि,

¹ संविधान (उनतालिसम संशोधन) अधिनियम, 1975 केर धारा 2 द्वारा (10-8-1975 सँ) प्रतिस्थापित आओर तत्पश्चात् संविधान (चालिसम संशोधन) अधिनियम, 1978 केर धारा 10 द्वारा (20-6-1979) सँ प्रतिस्थापित ।

(भाग 5-संघ)

(ख) अन्यान्य विषयमे जतए संघक कार्यपालिका शक्तिक विरुद्ध कएल गेल दंड प्रतिस्थापित हो,

(ग) ओहि सभ विषयमे, जाहिमे दंडादेश, मृत्यु दंडादेश अछि,

(2) खंड (1) केर उपखंड (क) केर कोनो बात संघक सशस्त्र बलक कोनो अधिकारी, सेना न्यायालय द्वारा पारित दंडादेशक निलंबन, परिहार वा लघुकरणक विधि द्वारा प्रदत्त शक्तिकेँ प्रभावित नहि करत ।

(3) खंड (1) केर उपखंड (ग) केर कोनो बात तत्समय प्रवृत्त कोनो विधिक अधीन कोनो प्रदेशक राज्यपाल ^{1***} द्वारा प्रयोक्तव्य मृत्यु दंडादेशक निलंबन, परिहार वा लघुकरणक शक्तिकेँ प्रभावित नहि करत ।

73. संघक कार्यपालिका शक्तिक विस्तार-(1) एहि संविधानक उपबंधक अधीन रहितहुँ, संघक कार्यपालिका शक्तिक विस्तार-

(क) जाहि विषयक संबंधमे संसदके विधि बनएबाक शक्ति अछि ओतए धरि, आओर

(ख) कोनो संधि वा समझौताक आधार पर भारत सरकार द्वारा प्रयोक्तव्य, अधिकार ओ अधिकारिताक प्रयोग धरि,

होएत:

मुदा एहि संविधानमे वा संसद द्वारा बनाओल गेल कोनो विधिमे अभिव्यक्त यथा उपबंधितकेँ छोड़ि कए, उपखंड (क) मे निर्दिष्ट कार्यपालिका शक्तिक विस्तार कोनो ^{2***} प्रदेशमे एहन विषय धरि नहि होएत जाहि संबंधमे ओहि प्रदेशक विधान-मंडलहुँकेँ विधि बनएबाक शक्ति अछि ।

(2) जाधरि संसद अन्यथा उपबंध नहि करए ताधरि एहि अनुच्छेदमे कोनो बातक अछैत, कोनो प्रदेश ओ प्रदेशक अधिकारी किंवा प्राधिकारी ओहि विषयमे, जाहि संबंधमे संसदकेँ ओहि राज्यक लेल विधि बनएबाक शक्ति अछि, एहन कार्यपालिका शक्तिक वा कार्यक प्रयोग कए सकत जकर प्रयोग ओ प्रदेश वा ओकर अधिकारी वा प्राधिकारी एहि संविधानक प्रारंभसँ ठीक पूर्व कए सकैत छलाह ।

¹ संविधान (सातम संशोधन) अधिनियम, 1956 केर धारा 29 आओर अनुसूची द्वारा (1-11-1956 सँ) “वा राजप्रमुख” शब्दक लोप कएल गेल ।

² संविधान (सातम संशोधन) अधिनियम, 1956 केर धारा 29 आओर अनुसूची द्वारा (1-11-1956 सँ) “पहिल अनुसूचीक भाग ‘क’ आओर भाग ‘ख’ मे उल्लिखित” शब्द आओर अक्षरक लोप कएल गेल ।

मंत्रि परिषद

74. राष्ट्रपतिकें सहायता ओ परामर्श देबाक लेल मंत्रि-परिषद-¹[(1) राष्ट्रपतिक सहायतार्थ ओ परामर्श देबाक लेल मंत्रि-परिषद होएत जकर प्रधान, प्रधानमंत्री होएताह ओ राष्ट्रपति अपन कार्यक प्रयोग करबामे एहन परामर्शक अनुरूप कार्य करताह:]

²[मुदा राष्ट्रपति मंत्रि-परिषदक एहन परामर्श पर सामान्यतः काज करताह वा मंत्रि-परिषदसँ पुनर्विचारक अपेक्षा रखताह आ राष्ट्रपति एहि तरहक पुनर्विचारक पश्चात् देल गेल परामर्शक अनुसारें काज करताह ।]

(2)कोनो न्यायालयमे एहि बातक जाँच नहि कएल जाएत जे मंत्रीगण राष्ट्रपतिकें परामर्श देलनि वा नहि, आ जँ देलनि तँ की देलनि ।

75. मंत्री लोकनिक विषयमे अन्य उपबंध-(1) प्रधानमंत्रीक नियुक्ति राष्ट्रपति करताह ओ अन्य मंत्रीक नियुक्ति राष्ट्रपति, प्रधानमंत्रीक परामर्श पर करताह ।

³[(1क) मंत्रि-परिषदमे प्रधानमंत्री सहित मंत्रीगणक कुल संख्या, लोक सभाक सदस्यक कुल संख्याक पन्द्रह प्रतिशतसँ बेसी नहि होएत ।

(1ख) कोनो राजनीतिक दल संसदक कोनो सदनक कोनो सदस्य, जे दसम अनुसूचीक पैरा 2 केर अधीन ओहि सदनक सदस्य होएबाक लेल निरर्हित अछि, अपन निरर्हिताक तिथिसँ प्रारंभ होबएवला आओर ओहि तिथि धरि जकर एहन सदस्यक रूपमे पदक अवधि समाप्त होएत जतए ओ एहि अवधिक समाप्तिक पूर्व संसदक कोनो सदनक लेल निर्वाचित होइत अछि, ओहि तिथि धरि जाहि तिथि धरि ओ निर्वाचित कएल जाइत अछि, एहिमे सँ जे पहिने घटित हो, ओहि समयखंडक मध्य खंड (1) केर अधीन मंत्रीक रूपमे नियुक्त कएल जएबाक लेल सेहो निरर्हित होएत ।]

(2) मंत्री, राष्ट्रपतिक प्रसादपर्यंत अपन पद पर बनल रहताह ।

(3) मंत्रि-परिषद लोक सभाक प्रति सामूहिक रूपसँ उत्तरदायी होएत ।

(4) कोनो मंत्री द्वारा अपन पद ग्रहण करएसँ पूर्व, राष्ट्रपति तेसर अनुसूचीमे एहि प्रयोजनक लेल देल गेल प्रारूपक अनुरूप हुनका पद ओ गोपनीयताक शपथ दिऔताह ।

¹ संविधान (बिजालिसम संशोधन) अधिनियम, 1976 केर धारा 13 द्वारा (3-1-1977 सँ) खंड (1) केर स्थान पर प्रतिस्थापित ।

² संविधान (चौआलिसम संशोधन) अधिनियम, 1976 केर धारा 11 द्वारा (20-6-1979 सँ) अंतःस्थापित ।

³ संविधान (एकानवेअम संशोधन) अधिनियम, 2003 केर धारा 2 द्वारा (1-1-2004 सँ) अंतःस्थापित ।

(भाग 5-संघ)

(5) कोनो मंत्री, जे निरंतर छओ मासक अवधि धरि संसदक कोनो सदनक सदस्य नहि छथि, ओहि अवधिक समाप्ति पर मंत्री नहि रहताह ।

(6) मंत्रीगणक वेतन ओ भत्ता एहन होएत जे संसद, विधि द्वारा, समय-समय पर निश्चित करए आ जाधरि संसद ई निश्चित करैत अछि ताधरि ओहिना रहत जे दोसर अनुसूचीमे निर्दिष्ट अछि ।

भारतक महान्यायवादी

76. भारतक महान्यायवादी-(1) राष्ट्रपति, उच्चतम न्यायालयक न्यायाधीशक अर्हता रखनिहार कोनो व्यक्तिकेँ भारतक महान्यायवादी नियुक्त करताह ।

2. महान्यायवादीक ई कर्तव्य होएतन्हि जे ओ भारत सरकारकेँ विधि संबंधी एहन विषय पर परामर्श देथि ओ विधिसँ संबंधित एहन अन्य कर्तव्यक पालन करथि जे राष्ट्रपति हुनका समय-समय पर निर्देशित करथि वा देल गेल ओहि कार्यक निर्वहन करथि जे हुनका एहि संविधान वा ओकर अधीन देल गेल हो ।

3. महान्यायवादीकेँ अपन कर्तव्यक पालनमे भारतक राज्यक्षेत्रमे स्थित सभ न्यायालयमे सुनवाई करबाक अधिकार होएतन्हि ।

4. महान्यायवादी, राष्ट्रपतिक प्रसादपर्यंत पद पर रहताह ओ एतबा पारिश्रमिक पौताह जतबा राष्ट्रपति निश्चित करथि ।

सरकारी काजक संचालन

77. भारत सरकारक काजक संचालन-(1) भारत सरकारक समस्त कार्यपालिकाक द्वारा कएल गेल काज राष्ट्रपतिक आदेशसँ कएल गेल बुझल जाएत ।

(2) राष्ट्रपतिक नामसँ कएल गेल ओ निष्पादित आदेश ओ अन्य आज्ञासिकेँ एहन प्रक्रियासँ अभिप्रमाणित कएल जाएत जे राष्ट्रपति द्वारा बनाओल जाएवला नियममे निर्दिष्ट कएल जाए आ एहि प्रकारेँ अभिप्रमाणित आदेश वा आज्ञासिक विधि मान्यताकेँ एहि आधार पर चुनौती नहि देल जाएत जे ओ राष्ट्रपति द्वारा कएल गेल वा निष्पादित आदेश वा आज्ञासि नहि अछि ।

(3) राष्ट्रपति, भारत सरकारक कार्य अधिक सुगमता पूर्वक कएल जएबाक लेल ओ मंत्रीगणमे उक्त कार्यक आवंटनक लेल नियम बनाओत ।

²(4) * * * *

¹ देखू, समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना सं.का.आ. 2297, तिथि 3 नवंबर, 1958, भारतक राजपत्र, असाधारण भाग 2, अनुभाग 3 (ii), पृष्ठ 1315 ।

² संविधान (बियालिसम संशोधन) अधिनियम, 1976 केर धारा 14 द्वारा (3-1-1977 सँ) खंड (4) अंतःस्थापित कएल गेल छल आओर संविधान (चौआलिसम संशोधन) अधिनियम, 1978 केर धारा 12 द्वारा (20-6-1979 सँ) ओकरा लोप कएल गेल ।

78. राष्ट्रपतिकें सूचना प्रदान करबाक संबंधमे प्रधानमंत्रीक कर्तव्य, आदि-प्रधानमंत्रीक ई कर्तव्य होएत जे ओ-

(क) संघक कार्यकलाप प्रशासन संबंधी ओ विधान विषयक प्रस्थापना संबंधी मंत्रि-परिषदक सभ निर्णय राष्ट्रपतिकें सूचित करथि;

(ख) संघक कार्यकलापक प्रशासन संबंधी ओ विधान विषयक प्रस्थापना संबंधी जे जानकारी राष्ट्रपति माँगथि ओ देथि ; आओर

(ग) कोनो विषयमे, जाहि पर कोनो मंत्री निश्चय लए लेने छथि मुदा मंत्री-परिषद ओहि पर विचार नहि कएलक अछि, राष्ट्रपति जँ इच्छा व्यक्त करथि त' मंत्री-परिषदक समक्ष विचारक लेल राखथि ।

अध्याय 2-संसद

सामान्य

79. संसदक गठन-संघक एक संसद होएत जाहिमे राष्ट्रपति ओ दू टा सदन रहत जकर नाम क्रमशः राज्य सभा ओ लोक सभा होएत ।

80. राज्य सभाक संरचना-(1) ¹[²* * * राज्य सभा]-

(क) राष्ट्रपति द्वारा खंड (3) केर उपबंधक अनुसार मनोनीत कएल जाएवला बारह सदस्य, आओर

(ख) प्रदेशक ³[आओर संघ राज्यक्षेत्रक] महत्तम दू सय अड़तीस प्रतिनिधि, सँ मिला कए बनत ।

(2) राज्य सभामे प्रदेशक ओ ³[आओर केन्द्र शासित प्रदेशक] प्रतिनिधि द्वारा पूर्ति कएल जाएवला स्थानक आवंटन चारिम अनुसूचीमे एहि निमित्त अंतर्निहित उपबंधक अनुरूप होएत ।

(3) राष्ट्रपति द्वारा खंड (1) केर उपखंड (क) केर अधीन मनोनीत कएल जाएवला सदस्य एहन व्यक्ति होएताह जे निम्नांकित विषयक संबंधमे विशिष्ट ज्ञान वा व्यावहारिक ज्ञान राखथि, अर्थात :- साहित्य, विज्ञान, कला ओ समाजसेवा ।

¹ संविधान (पैतिसम संशोधन) अधिनियम, 1974 केर धारा 3 द्वारा (1-3-1975 सँ) “राज्य सभा”क स्थान पर प्रतिस्थापित ।

² संविधान (छत्तीसम संशोधन) अधिनियम 1975 केर धारा 5 द्वारा (26-4-1975 सँ) “दसम अनुसूचीक पैरा 4 केर उपबंधक अधीन रहैत” शब्दक लोप कएल गेल ।

³ संविधान (सातम संशोधन) अधिनियम, 1956 केर धारा 3 द्वारा (1-11-1956 सँ) जोड़ल गेल ।

(भाग 5-संघ)

(4) राज्य सभामे प्रत्येक ¹* * * प्रदेशक प्रतिनिधिक निर्वाचन ओहि प्रदेशक विधान सभाक निर्वाचित सदस्यगण द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धतिक अनुरूप एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा कएल जाएत ।

(5) राज्य सभामे ²[केन्द्र शासित प्रदेश]क प्रतिनिधि एहि प्रक्रियासँ चुनल जाएत जे संसद विधि द्वारा विहित करए ।

³[81. लोक सभाक संरचना-(1) ⁴[अनुच्छेद 331 केर उपबंधक अधीन रहैत ⁵***] लोकसभा-

(क) प्रदेशमे प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रसँ प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुनल गेल महत्तम ⁶[पाँच सय तीस सदस्य], सँ आओर

(ख) संघ राज्यक्षेत्रक प्रतिनिधित्व करबाक लेल एहन प्रक्रियासँ, जे संसद विधि द्वारा उपबंधित करए, चुनल गेल महत्तम ⁷(बीस) ⁷[सदस्य], सँ मिलाकए बनत ।

2. खंड (1) केर उपखंड (क) केर प्रयोजनार्थ-

(क) प्रत्येक प्रदेशकेँ लोक सभामे स्थान आवंटन एहि प्रक्रियासँ कएल जाएत जे स्थानक संख्यासँ ओहि राज्यक जनसंख्याक अनुपात सभ प्रदेशक लेल यथा साध्य एकहि हो, आओर

(ख) प्रत्येक प्रदेशकेँ प्रादेशिक निर्वाचन-क्षेत्रमे एहि प्रक्रियासँ विभाजित कएल जाएत जे प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रक जनसंख्याकेँ ओकर आवंटित स्थानक संख्यासँ अनुपात समस्त प्रदेशमे यथासाध्य एकहि हो ;

⁸[मुदा एहि खंडक उपखंड (क) उपबंध कोनो प्रदेशके लोक सभामे स्थान आवंटनक प्रयोजनार्थ ताधरि लागू नहि होएत जाधरि ओहि प्रदेशक जनसंख्या साठ लाखसँ बेसी नहि भए जाइत अछि ।]

¹ संविधान (सातम संशोधन) अधिनियम, 1956 केर धारा 3 द्वारा (1-11-1956 सँ) “पहिल अनुसूचीक भाग ‘क’ वा भाग ‘ख’ मे निर्दिष्ट” शब्द ओ अक्षरक लोप कएल गेल ।

² संविधान (सातम संशोधन), 1956 केर धारा 3 द्वारा (1-11-1956 सँ) “पहिल अनुसूची केर भाग ‘ग’ मे निर्दिष्ट राज्य” केर स्थान पर प्रतिस्थापित ।

³ संविधान (सातम संशोधन) अधिनियम, 1956 केर धारा 4 द्वारा (1-11-1956 सँ) अनुच्छेद 81 ओ अनुच्छेद 82 केर स्थान पर प्रतिस्थापित ।

⁴ संविधान (पैतीसम संशोधन) अधिनियम, 1974 केर धारा 4 द्वारा (1-3-1975 सँ) “अनुच्छेद 331 केर उपबंधक अधीन रहैत” स्थान पर प्रतिस्थापित ।

⁵ संविधान (छत्तीसम संशोधन) अधिनियम, 1975 केर धारा 5 द्वारा (26-4-1975 सँ) “आओर दसम अनुसूचीक पैरा 4” शब्द ओ अक्षरकेँ विलोपित कएल गेल ।

⁶ गोवा, दमन ओ दीव पुनर्गठन अधिनियम, 1987 (1987 केर 18) केर धारा 63 द्वारा (30-5-1987 सँ) “पाँच सय पचीस सदस्य”क स्थान पर प्रतिस्थापित ।

⁷ संविधान (एकतीसम संशोधन) अधिनियम, 1973 केर धारा 2 द्वारा (17-10-1973 सँ) “पच्चीस सदस्य”क स्थान पर प्रतिस्थापित ।

⁸ संविधान (एकतीसम संशोधन) अधिनियम, 1973 केर धारा 2 द्वारा (17-10-1973 सँ) अंतःस्थापित ।

(3) एहि अनुच्छेदमे, “जनसंख्या” पदसँ एहन अंतिम पूर्ववर्ती जनगणनामे निश्चित कएल गेल जनसंख्या अभिप्रेत अछि जकर सुसंगत आँकड़ा प्रकाशित भए गेल हो:

¹[मुदा एहि खंडमे अंतिम पूर्ववर्ती जनगणनाक प्रति जकर सुसंगत आँकड़ा प्रकाशित भए गेल हो, निर्देशक, जाधरि सन् ²[2026]केर पश्चात् कएल गेल पहिल जनगणनाक सुसंगत आँकड़ा प्रकाशित नहि भए जाइत अछि, ³[ई अर्थ लगाओल जाएत जे ओ, -

(i) खंड (2) केर उपखंड (क) आ ओहि खंडक परंतुक केर प्रयोजनार्थ 1971 केर जनगणनाक प्रति निर्देश अछि; आओर

(ii) खंड (2) केर उपखंड (ख) केर प्रयोजनक लेल ⁴[2001] जनगणनाक प्रति निर्देश अछि।]

82. प्रत्येक जनगणनाक पश्चात् पुनर्सामंजस्य-प्रत्येक जनगणनाक समाप्ति पर प्रदेशक लोक सभामे स्थानक आवंटन ओ प्रत्येक प्रदेशक प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रमे विभाजनकेँ एहन प्राधिकारी द्वारा ओ एहन प्रक्रियासँ पुनर्सामंजस्य कएल जाएत जे संसद विधि द्वारा निश्चित करए:

मुदा एहन पुनर्संयोजनसँ लोकसभामे प्रतिनिधित्व पर ताधरि कोनो प्रभाव नहि पड़त जाधरि ओहि समय विद्यमान लोकसभा भंग नहि भए जाइत अछि:

⁵[मुदा ई आ जे एहन पुनर्सामंजस्य ओहि तिथिसँ प्रभावित होएत जे राष्ट्रपति आदेश निर्दिष्ट करथि ओ एहन पुनर्सामंजस्यक प्रभावी होएबा धरि लोक सभाक लेल कोनो निर्वाचन ओहि प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रक आधार पर भए सकत जे पुनर्सामंजस्यक पूर्वमे विद्यमान अछि:

मुदा ई आओर इहो जे जाधरि सन् ⁶[2026] केर पश्चात् कएल गेल पहिल जनगणनाक सुसंगत आँकड़ा प्रकाशित नहि भए जाइत अछि ताधरि ⁷[एहि अनुच्छेदक अधीन, -

¹ संविधान (बियालिसम संशोधन) अधिनियम, 1976 केर धारा 15 द्वारा (3-1-1977 सँ) जोड़ल गेल।

² संविधान (चौरासियम संशोधन) अधिनियम, 2001 केर धारा 3 द्वारा (21-2-2002 सँ) “2000” केर स्थान पर प्रतिस्थापित।

³ संविधान (चौरासियम संशोधन) अधिनियम, 2001 केर धारा 3 द्वारा (21-2-2002 सँ) कतिपय शब्दक स्थान पर प्रतिस्थापित।

⁴ संविधान (सत्तासिअम संशोधन) अधिनियम, 2003 केर धारा 2 द्वारा (22-6-2003 सँ) “1991” केर स्थान पर प्रतिस्थापित।

⁵ संविधान (बियालिसम संशोधन) अधिनियम, 1976 केर धारा 16 द्वारा (3-1-1977 सँ) अंतःस्थापित।

⁶ संविधान (चौरासियम संशोधन) अधिनियम, 2001 केर धारा 4 द्वारा (21-2-2002 सँ) “2000” केर स्थान पर प्रतिस्थापित।

⁷ संविधान (चौरासियम संशोधन) अधिनियम, 2001 केर धारा 4 द्वारा (21-02-2002 सँ) कतिपय शब्दक स्थान पर प्रतिस्थापित।

(भाग 5-संघ)

(i) प्रदेशक लोकसभामे 1971 केर जनगणनाक आधार पर पुनर्समंजित स्थानक आवंटनक ; आओर

(ii) प्रत्येक प्रदेशक प्रादेशिक निर्वाचन-क्षेत्रमे विभाजनक, जे ¹[2001] केर जनगणनाक आधार पर पुनर्समंजित कएल जाए,

पुनर्समंजस्य आवश्यक नहि होएत ।]]

83. संसदक सदन केर अवधि-(1) राज्य सभा भंग नहि होएत मुदा ओकर सदस्यमे सँ यथासंभव निकटतम एक-तिहाई सदस्य, संसद द्वारा विधिसम्मत एहि निमित्त कएल गेल उपबंधक अनुरूप, प्रत्येक दोसर वर्षक समाप्ति पर यथाशीघ्र सेवा निवृत्त भए जएताह ।

(2) लोक सभा, जँ पहिने भंग कए देल जाए त’ अपन प्रथम अधिवेशनक लेल नियत तिथिसँ ²[पाँच वर्ष] धरि बनल रहत, एहिसँ अधिक नहि आ ²[पाँच वर्ष]क उक्त अवधिक समाप्ति पर लोकसभा भंग होएत:

मुदा, उक्त अवधिकँ, जँ आपातकाल घोषित भए चुकल हो तखन, संसद, विधि द्वारा, एहन अवधिक लेल बढ़ा सकत, जे एक बेरमे एक वर्षसँ अधिक नहि होएत आओर घोषित आपातकालक पश्चात् ओकर विस्तार कोनो स्थितिमे छओ मासक अवधिसँ बेसी नहि होएत ।

84. संसदक सदस्यताक लेल अर्हता-कोनो व्यक्ति संसदक कोनो स्थानक पूर्तिक हेतु चुनल जएबाक लेल अर्हित तखनहि होएत जखन-

³[(क) ओ भारतक नागरिक अछि आ निर्वाचन आयोग द्वारा एहि निमित्त अधिकृत कोनो व्यक्तिक समक्ष तेसर अनुसूचीमे एहि प्रयोजनार्थ देल गेल प्रारूपक अनुसार शपथ लैत अछि वा प्रतिज्ञान करैत अछि ओ ओहि पर हस्ताक्षर करैत अछि ;]

(ख) ओ राज्य सभामे स्थानक लेल न्यूनतम 30 वर्षक ओ लोक सभामे स्थानक लेल न्यूनतम 25 वर्षक अछि ; आओर

(ग) ओकरा लग एहन अन्य अर्हता होइछ जे संसद द्वारा बनाओल गेल कोनो विधि द्वारा वा ओकर अधीन एहि निमित्त विहितमे कएल जाए ।

¹ संविधान (सतासिअम संशोधन) अधिनियम, 2003 केर धारा 3 द्वारा (22-6-2003 सँ) “1991” केर स्थान पर प्रतिस्थापित ।

² संविधान (बियासिसम संशोधन) अधिनियम, 1976 केर धारा 17 द्वारा (3-1-1977 सँ) केर स्थान पर प्रतिस्थापित ओ संविधान (चौआसिसम संशोधन) अधिनियम, 1978 केर धारा 13 द्वारा (20-6-1979 सँ) “छओ वर्ष”क स्थान पर प्रतिस्थापित ।

³ संविधान (सोलहम संशोधन) अधिनियम, 1963 केर धारा 3 द्वारा (5-10-1963 सँ) खंड (क) केर स्थान पर प्रतिस्थापित ।

¹[85. संसदक सत्र, सत्रावसान ओ विघटन-(1) राष्ट्रपति समय-समय पर, संसदक प्रत्येक सदनक एहन समय ओ स्थान पर, जे ओ ठीक बुझथि, अधिवेशनक लेल आहूत करताह, मुदा ओकर एक सत्रक अंतिम बैसार ओ आगामी, सत्रक प्रथम बैसारक मध्य नियत तिथिसँ छओ माससँ बेसीक अंतर नहि होएत ।]

(2) राष्ट्रपति, समय-समय पर-

(क) सदनक वा दुनूमे सँ कोनो एक सदनक सत्रावसान कए सकताह ।

(ख) लोक सभाकेँ भंग कए सकताह ।

86. सदनमे अभिभाषणक ओ संदेश पठएबाक राष्ट्रपतिक अधिकार-

(1) राष्ट्रपति, संसदक कोनो एक सदनमे वा दुनू सदनक संयुक्त बैसारमे अभिभाषण कए सकताह आ एहि प्रयोजनक लेल सदस्यक उपस्थितिक अपेक्षा राखल जाइत अछि ।

(2) राष्ट्रपति, संसदमे ओहि समय लंबित कोनो विधेयकक संबंधमे संदेश अन्यथा कोनो आनो संदेश संसदक दुनूमे सँ कोनो सदनकेँ पठा सकताह आओर जाहि सदनकेँ एहि तरहक संदेश पठाओल गेल हो ओ सदन ओहि संदेश पर विचार करबाक लेल अपेक्षित विषय पर सुविधानुसार मुदा शीघ्रतासँ विचार करत ।

87. राष्ट्रपतिक विशेष अभिभाषण-(1) राष्ट्रपति, ²[लोक सभाक लेल प्रत्येक सामान्य निर्वाचनक पश्चात् प्रथम सत्रक प्रारंभमे ओ प्रत्येक वर्षक सत्रक प्रारंभमे] एकहि संग दुनू सदनक संयुक्त बैसारमे अभिभाषण करताह ओ संसदक ओहि आह्वानक कारण कहताह ।

(2) प्रत्येक सदनक प्रक्रियाकेँ नियमन करएवला कानून द्वारा एहन अभिभाषणमे निर्दिष्ट विषयक चर्चा ओ समय नियत करबाक लेल ³* * * उपबंध कएल जाएत ।

88. सदनक संदर्भमे मंत्रीगण ओ महान्यायवादीक अधिकार-प्रत्येक मंत्री ओ भारतक महान्यायवादीक ई अधिकार होएतन्हि ओ कोनो सदनमे, सदनक संयुक्त बैसारमे ओ संसदक कोनो समितिमे, जाहिमे हुनक नाम सदस्यक रूपमे देल गेल हो, मे जा कए बाजथि ओ ओकर कार्यवाहीमे भाग लेथि, मुदा एहि अनुच्छेदक आधार पर ओ मत देबाक अधिकारी नहि होएताह ।

¹ संविधान (पहिल संशोधन) अधिनियम, 1951 केर धारा 6 द्वारा (18-6-1951 सँ) “अनुच्छेद 85” केर स्थान पर प्रतिस्थापित ।

² संविधान (पहिल संशोधन) अधिनियम, 1951 केर धारा 7 द्वारा (18-6-1951 सँ) “प्रत्येक सत्र” केर स्थान पर प्रतिस्थापित ।

³ संविधान (पहिल संशोधन) अधिनियम, 1951 केर धारा 7 द्वारा (18-6-1951 सँ) “आओर सदनक अन्य कार्य पर एहि चर्चाक अग्रता देबाक लेल” शब्दक लोप कएल गेल ।

(भाग 5-संघ)

संसदक अधिकारी

89. राज्य सभाक सभापति आओर उपसभापति-(1) भारतक उपराष्ट्रपति राज्य सभाक पदेन सभापति होएताह ।

(2) राज्य सभा, यथाशीघ्र, अपन कोनो सदस्यकेँ अपन उपसभापति चुनत ओ जखन कखनो उपसभापति पद रिक्त होएत, त' राज्य सभा कोनो अन्य सदस्यकेँ अपन उपसभापति चुनत ।

90. उपसभापतिक पद केर रिक्ति, पदत्याग ओ पदसँ हटाओल जाएब-

राज्य सभाक उपसभापतिक रूपमे पद पौनिहार सदस्य-

(क) जँ राज्य सभाक सदस्य नहि रहैत छथि तँ ओ पद रिक्त कए देताह ;

(ख) कोनो समय सभापतिकेँ संबोधित अपन हस्ताक्षरित पत्र द्वारा पदक त्याग कए सकताह ; आओर

(ग) राज्य सभाक तत्कालीन समस्त सदस्यक बहुमतसँ पारित कएल गेल संकल्प द्वारा पदसँ हटाओल जा सकत : मुदा खंड (ग) केर प्रयोजनक लेल कोनो संकल्प ताधरि प्रस्तावित नहि कएल जा सकत जाधरि ओहि संकल्पकेँ प्रस्थापित करबाक आशय कम सँ कम चौदह दिन पूर्वक सूचना नहि देल गेल हो ।

91. सभापति केर पदक कर्तव्यक पालन करब वा सभापतिक रूपमे काज करबाक उपसभापति वा अन्य व्यक्तिक शक्ति-(1) जखन सभापतिक पद रिक्त अछि वा एहन अवधिमे जखन उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपतिक रूपमे काज कए रहल छथि वा हुनक कार्य केर निर्वहन कए रहल छथि, त' उपराष्ट्रपति वा जँ उपसभापतिक पद रिक्त हो त', राज्य सभाक एहन सदस्य जकरा राष्ट्रपति एहि प्रयोजनक लेल नियुक्त कए, ओहि पदक कर्तव्यक पालन करताह ।

(2.) राज्य सभाक कोनो बैसारसँ सभापतिक अनुपस्थितिक स्थितिमे उपसभापति वा जँ ओहो अनुपस्थित होथि त' एहन व्यक्ति, जे राज्य सभाक प्रक्रियाधीन नियम द्वारा निश्चित कएल वा जँ एहन व्यक्ति उपस्थित नहि हो त' एहन अन्य व्यक्ति, जे राज्य सभा द्वारा निश्चित कएल जाथि, सभापतिक रूपमे काज करताह ।

92. जखन सभापति वा उपसभापतिकेँ पदसँ हटएबाक कोनो संकल्प विचाराधीन हो तँ हुनक पीठासीन नहि होएब-(1) राज्य सभाक कोनो बैसारमे, जँ उपराष्ट्रपतिकेँ हुनक पदसँ हटएबाक कोनो संकल्प विचाराधीन अछि त' सभापति, वा जँ उपसभापतिकेँ ओकर पदसँ हटएबाक कोनो संकल्प विचाराधीन अछि त' उपसभापति, उपस्थित रहलो उत्तर, पीठासीन नहि होएत आ अनुच्छेद 91 केर खंड (2) केर उपबंध एहन प्रत्येक बैसारक संबंधमे ओहिना लागू होएत जेना ओ ओहि बैसारक संबंधमे लागू होइत अछि जाहिसँ, यथास्थिति, सभापति वा उपसभापति अनुपस्थिति होथि ।

(2) जँ उपराष्ट्रपतिकें हुनक पदसँ हटएबाक कोनो संकल्प राज्य सभामे विचाराधीन अछि त' सभापतिकें राज्य सभामे बजबाक आ ओकर कार्यवाहीमे अन्यथा भाग लेबाक अधिकार होएतैनहि मुदा अनुच्छेद 100 मे कोनो बातक अछैतो एहन संकल्प पर वा एहन कार्यवाहीक मध्य कोनो एहन विषय पर, मत देबाक अधिकारी (कथमपि) नहि होएताह ।

93. लोक सभाक अध्यक्ष ओ उपाध्यक्ष-लोक सभा, यथाशीघ्र, दू सदस्यकें अध्यक्ष ओ उपाध्यक्ष चुनत आओर जखन अध्यक्ष वा उपाध्यक्षक पद रिक्त होएत तखन लोक सभा कोनो अन्य सदस्यकें, यथास्थिति, अध्यक्ष वा उपाध्यक्ष चुनत ।

94. अध्यक्ष ओ उपाध्यक्षक पद रिक्त होएब, पदसँ त्याग ओ पदसँ हटाओल जाएब-लोक सभाक अध्यक्ष वा उपाध्यक्षक रूपमे काज करएवला सदस्य-

(क) जँ लोक सभाक सदस्य नहि रहत त' ओ अपन पद रिक्त कए देताह ;

(ख) कोनो समय, जँ ओ सदस्य अध्यक्ष अछि त' उपाध्यक्षकें संबोधित आओर जँ ओ सदस्य उपाध्यक्ष अछि त' अध्यक्षकें संबोधित अपन हस्ताक्षरित पत्र द्वारा अपन पद छोड़ि सकैत छथि ; आओर

(ग) लोक सभाक तत्कालीन समस्त सदस्यक बहुमतसँ पारित संकल्प द्वारा अपन पदसँ हटाओल जा सकैत अछि :

मुदा खंड (ग) केर प्रयोजनार्थ कोनो संकल्प ताधरि प्रस्तावित नहि कएल जाएत जाधरि ओहि संकल्पक प्रस्तावक आशयक सूचना न्यूनतम 14 दिन पूर्वहि नहि दए देल गेल हो :

मुदा ई आ जे जखन कोनो लोक सभा भंग होइत अछि त' ओकरा भंग होएबाक पश्चात् (आहत) होबएवला लोक सभाक प्रथम अधिवेशनक ठीक पूर्व धरि अध्यक्ष अपन पदकें रिक्त नहि करताह ।

95. अध्यक्षक पद केर कर्तव्यक पालन करबामे वा अध्यक्षक रूपमे काज करबामे उपाध्यक्ष वा आन व्यक्तिक शक्ति-लोक सभाक बैसारसँ अध्यक्षक अनुपस्थितिमे उपाध्यक्ष, वा जँ उपाध्यक्षक पद रिक्त होअ त' लोक सभाक एहन सदस्य, जिनका राष्ट्रपति एहि प्रयोजनक लेल नियुक्त करथि, ओहि पदक कर्तव्यक पालन करताह ।

(2) लोक सभाक कोनो बैसारसँ अध्यक्षक अनुपस्थितिक स्थितिमे उपाध्यक्ष, वा जँ ओहि अनुपस्थित होथि त' एहन व्यक्ति, जे लोक सभाक प्रक्रिया सम्मत विधि द्वारा निश्चित कएल जाए वा एहन कोनो व्यक्ति उपस्थित नहि छथि त' एहन अन्य व्यक्ति, जे लोक सभा द्वारा निश्चित कएल जाए, अध्यक्षक रूपमे काज करताह ।

96. जखन अध्यक्ष वा उपाध्यक्षकें पदसँ हटएबाक कोनो संकल्प विचाराधीन हो तँ हुनक पीठासीन नहि होएब-(1) लोक सभाक कोनो बैसारमे, जखन अध्यक्षकें हुनक पदसँ हटएबाक संकल्प विचाराधीन हो तखन अध्यक्ष, वा जँ उपाध्यक्षकें हुनक पदसँ हटएबाक कोनो संकल्प विचाराधीन हो त' उपाध्यक्ष, उपस्थित रहलो उत्तर, पीठासीन नहि होएताह ओ अनुच्छेद 95 केर खंड (2) केर उपबंध एहन प्रत्येक बैसारक संबंधमे ओहिना लागू होएत जेना ओ ओहि बैसारक विषयमे लागू होइत अछि जाहिमे अध्यक्ष वा उपाध्यक्ष अनुपस्थित नहि होथि ।

(2) जखन अध्यक्षकें हुनक पदसँ हटएबाक लेल कोनो संकल्प लोक सभामे विचाराधीन अछि त' हुनका लोक सभामे बजबाक ओ ओकर कार्यवाहीमे अन्यथा भाग लेबाक अधिकार होएत आओर ओ अनुच्छेद 100 मे कोनो बातक अछैत, एहन संकल्प पर वा एहन कार्यवाहीक मध्य कोनो अन्य विषय पर प्रथमतः मत देबाक अधिकारी होएताह, मुदा दू पक्षमे मत एक समान होएबाक स्थितिमे मत देबाक अधिकारी नहि होएताह ।

97. सभापति एवं उपसभापति आओर अध्यक्ष एवं उपाध्यक्षक वेतन आ भत्ता-राज्य सभाक सभापति ओ उपसभापति आ लोक सभाक अध्यक्ष ओ उपाध्यक्षकें, एहन वेतन आ भत्ता, जे संसदसँ विधि सम्मत, निश्चित कएल जाए आओर जाधरि एहि निमित्त एहि प्रकारक उपबंध नहि कएल जाइत अछि ताधरि एहन वेतन आ भत्ता, जे दोसर अनुसूचीमे निर्दिष्ट अछि, पौताह ।

98. संसदक सचिवालय-(1) संसदक प्रत्येक सदनक भिन्न-भिन्न सचिवीय कर्मचारीगण होएताह :

मुदा एहि खंडक कोनो बातक ई अर्थ नहि लगाओल जाएत जे ओ संसदक दुनू सदनक लेल संयुक्त पदक सृजनकें प्रतिबंधित करैत अछि ।

(2) संसद, विधि द्वारा, दुनू सदनक सचिवीय कर्मचारीगणक भर्ती ओ नियुक्त व्यक्तिक सेवा-शर्त नियमित कए सकत ।

(3) जाधरि संसद खंड (2) केर अधीन उपखंड नहि करैत अछि ताधरि राष्ट्रपति एहिमे सँ जे स्थिति हो, लोक सभाक अध्यक्ष वा राज्य सभाक सभापतिसँ विमर्श करबाक पश्चात् लोक सभाक वा राज्य सभाक सचिवीय कर्मचारीगणमे भर्ती ओ नियुक्त व्यक्तिक सेवा-शर्तक निश्चयक लेल नियम बना सकत आ एहि प्रकारें बनाओल गेल नियम उक्त खंडक अधीन बनाओल गेल कोनो विधिक उपबंधक अधीन रहैत प्रभावी होएत ।

भारतक संविधान

(भाग 5-संघ)

कार्य संचालन

99. सदस्यगण द्वारा शपथ वा प्रतिज्ञान-संसदक प्रत्येक सदनक प्रत्येक सदस्य अपन स्थान ग्रहण करबासँ पूर्व, राष्ट्रपति वा हुनका द्वारा एहि निमित्त नियुक्त व्यक्तिक समक्ष, तेसर अनुसूचीमे एहि प्रयोजनक लेल देल गेल प्रारूपक अनुरूप, शपथ लेताह वा प्रतिज्ञान करताह आओर ओहि पर अपन हस्ताक्षर सेहो करताह ।

100. सदनमे मतदान, रिक्तिक अछैत सदनक काज करबाक शक्ति ओ गणपूर्ति-(1) एहि संविधानमे अन्यथा उपबंधित होएबाक स्थितिकेँ छोड़िकए, प्रत्येक सदनक बैसारमे वा सदनक संयुक्त बैसारमे सब प्रश्नक निर्धारण, अध्यक्ष वा सभापति वा अध्यक्षक रूपमे काज करएवला व्यक्तिकेँ छोड़ि, उपस्थित ओ मतदान देबएवला सदस्यक बहुमतसँ कएल जाएत ।

सभापति वा अध्यक्ष, वा ओहि रूपैँ कार्य करएवला व्यक्ति पहिने मत नहि देताह मुदा दुनू पक्षमे मत एकसमान होएबाक स्थितिमे हुनक मत निर्णायक होएत आओर ओकर प्रयोग करताह ।

(2) संसदक कोनो सदनक सदस्यतामे कोनो रिक्ति भेलहुँ उत्तर, ओहि सदनकेँ काज करबाक शक्ति होएत जँ बादमे ई पता लागत जे कोनो व्यक्ति, जे एहि काजके करबाक अधिकारी नहि छलाह, कार्यवाहीमे उपस्थित रहल छथि वा अपन मतक प्रयोग कएने छथि वा अन्यथा रूपैँ भाग लेने छथि ओहू स्थितिमे संसदक कार्यवाही विधिक अनुरूपैँ बुझल जाएत ।

¹(3) जाधरि संसद विधि द्वारा अन्यथा उपबंध नहि करए ताधरि संसदक प्रत्येक सदनक अधिवेशन बजएबाक लेल गणपूर्ति सदनक सदस्यक कुल संख्याक दसम भाग होएत ।

(4) जँ सदनक अधिवेशनमे कोनो समय गणपूर्तिसँ कम सदस्य उपस्थित छथि तँ सभापति वा अध्यक्ष वा ओहि रूपमे काज करएवला व्यक्तिक ई कर्तव्य होएत जे ओ सदनक अधिवेशन केँ स्थगित क' दिअए वा अधिवेशनकेँ ताधरि निलंबित राखए जाधरि गणपूर्ति नहि भए जाइत अछि ।]

सदस्यक निरर्हता

101. स्थानक रिक्त होएब-(1)-कोनो व्यक्ति संसदक दुनू सदनक सदस्य नहि होएत आ जँ ओ व्यक्ति दुनू सदनक लेल चुनि लेल जाइत छथि तँ ओकर दुनूमे सँ कोनो एक सदनक स्थानकेँ रिक्त करबाक लेल संसद विधि द्वारा उपबंध करत ।

¹ संविधान (बियालिसम संशोधन) अधिनियम, 1973 केर धारा 18 द्वारा (तिथि अधिसूचित नहि कएल गेल) खंड (3) आओर खंड (4) केँ लोप कएल गेल । एहि संशोधनक संविधान (चौआलिसम संशोधन) अधिनियम, 1978 केर धारा 45 द्वारा (20-6-1979 सँ) लोप कएल गेल ।

(भाग 5-संघ)

(2) कोनो व्यक्ति संसद आ कोनो ¹* * * प्रदेशक विधान-मंडलक कोनो सदन दुनूक सदस्य नहि रहि सकत आ जँ कोनो व्यक्ति संसद आओर ²[कोनो प्रदेश] क विधान-मंडलक सदनक, दुनूक सदस्य चुनि लेल जाइत अछि तँ एहि अवधिक समाप्तिक पश्चात् राष्ट्रपति द्वारा बनाओल गेल कानून* मे निर्दिष्ट कएल गेल अछि, जे संसदमे एहन व्यक्तिक स्थान रिक्त भए जाएत जँ ओ प्रदेशक विधान-मंडलमे अपन स्थानक पूर्वाहिमे छोड़ि नहि देने होथि ।

(3) जँ संसदक कोनो सदनक सदस्य-

(क) ³[अनुच्छेद 102 केर खंड (1) वा खंड (2)] मे वर्णित कोनो निरर्हताक शर्त लागू होइत हो, वा

⁴[(ख) जेहन स्थिति हो, सभापति वा अध्यक्षकें संबोधित अपन हस्ताक्षरित पत्र द्वारा अपन पद छोड़ि दैत अछि आ हुनक त्यागपत्र, जेहन स्थिति हो, सभापति वा अध्यक्ष द्वारा स्वीकृत कए लेल जाइत अछि,] त' एहन स्थितिमे ओ स्थान रिक्त भए जाएत:

⁵[मुदा उपखंड (ख) मे निर्दिष्ट त्यागपत्रक दशामे, जँ प्राप्त सूचनासँ वा एहन जाँच करबाक उपरान्त, जे ओ ठीक बुझए, जेहन स्थिति हो, सभापति वा अध्यक्ष ई समाधान दैत छथि जे त्यागपत्र स्वैच्छिक वा असली नहि अछि तँ ओ एहि त्यागपत्रकें स्वीकार नहि करताह ।]

(4) जँ संसदक कोनो सदनक कोनो सदस्य 60 (साठि) दिनक अवधि धरि सदनक अनुमतिक बिना ओकर सब अधिवेशनसँ अनुपस्थित रहैत छथि तँ सदन ओहि स्थानकें रिक्त घोषित कए सकत:

मुदा साठि दिनक उक्त अवधिक हिसाब नहि कएल जाएत जाहि मध्य सदनक सत्रावसान भए गेल हो वा लगातार चारिसँ अधिक दिनक लेल स्थगित हो ।

¹ संविधान (सातम संशोधन) अधिनियम, 1956 केर धारा 29 ओ अनुसूची द्वारा (1-11-1956 सँ) “पहिल अनुसूचीक भाग ‘ख’ मे निर्दिष्ट” शब्द ओ अक्षरक लोप कएल गेल ।

² संविधान (सातम संशोधन) अधिनियम, 1956 केर धारा, 29 ओ अनुसूची द्वारा ओ अनुसूची द्वारा (1-11-1956 सँ) “एहन कोनो राज्य” क स्थान पर प्रतिस्थापित ।

* देखू, विधि मंत्रालयक अधिसूचना सं. एफ. 46/50-सी, तिथि 26 जनवरी, 1950 ‘ भारतक राजपत्र ’ असाधारण, पृ. 678मे प्रकाशित समसामयिक सदस्यता प्रतिषेध नियम, 1950 ।

³ संविधान (बावनम संशोधन) अधिनियम, 1985 केर धारा 2 द्वारा (1-3-1985 सँ) “अनुच्छेद 102 केर खंड (1)” केर स्थान पर प्रतिस्थापित ।

⁴ संविधान (तैंतीसम संशोधन) अधिनियम, 1974 केर धारा 2 द्वारा (19-5-1974 सँ) प्रतिस्थापित ।

⁵ संविधान (तैंतीसम संशोधन) अधिनियम, 1974 केर धारा 2 द्वारा (19-5-1974 सँ) अंतःस्थापित ।

102. सदस्यताक लेल निरर्हता-(1) कोनो व्यक्ति संसदक कोनो सदनक लेल चुनल जाएबाक आ सदस्य होएबाक लेल निरर्हित होएत-

¹[(क) जँ ओ भारत सरकारक वा प्रदेश सरकारक अधीन, एहन पदकें छोड़ि, जाहि पर रहला उत्तर निरर्हित नहि कएल जाएब संसद विधि द्वारा घोषित कएने अछि, कोनो लाभक पद पर होथि;]

(ख) जँ ओ मानसिक रूपसँ विकृत अछि आ सक्षम न्यायालय तत्संबंधी घोषणा कएने अछि;

(ग) जँ ओ एहन दिवालिया अछि जे अपन ऋणसँ मुक्त नहि भेल हो;

(घ) जँ ओ भारतक नागरिक नहि अछि वा ओ कोनो विदेशी राज्यक स्वेच्छासँ नागरिकता अर्जित कए लेने हो वा ओ कोनो विदेशी राज्यक प्रति निष्ठा वा आसक्ति रखैत हो;

(ङ) जँ ओ संसद द्वारा बनाओल गेल विधि द्वारा वा ओकर अधीन एहि प्रकार निरर्हित कए देल जाइत अछि।

²[स्पष्टीकरण-एहि खंडक प्रयोजनार्थ,] कोनो व्यक्ति मात्र एहि कारणँ भारत सरकारक वा प्रदेश सरकारक अधीन लाभक पद पर नहि बुझल जाएत जे ओ संघ वा प्रदेशक मंत्री अछि।

³[(2) कोनो व्यक्ति संसदक कोनो सदनक सदस्य होएबासँ निरर्हित होएत जँ ओ दसम अनुसूचीक अधीन एहि प्रकारँ निरर्हित भए जाइत अछि।]

⁴[**103. सदस्यक निरर्हता संबंधित प्रश्न पर निर्णय-**(1) जँ ई प्रश्न उठैत अछि जे संसदक कोनो सदनक सदस्य पर अनुच्छेद 102 केर खंड (1) मे वर्णित निरर्हतासँ संबंधित विषय लागू भेल अछि वा नहि त' ओ प्रश्न राष्ट्रपतिक निर्णयक लेल सुरक्षित कएल जाएत आ हुनक निर्णय अंतिम होएत।

¹ संविधान (बियालिसम संशोधन) अधिनियम, 1976 केर धारा 19 द्वारा (तिथि अधिसूचित नहि कएल गेल) एहि प्रकारँ पढ़ल जाएबाक लेल प्रतिस्थापित कएल गेल अछि : “(क) जँ ओ भारत सरकारक वा कोनो राज्य सरकारक अधीन कोनो एहन लाभक पद धारण करैत अछि, जकरा संसद विधि द्वारा ओकर धारककें निरर्हित घोषित करैत अछि” एहि संशोधनक संविधान (चौआलिसम संशोधन) अधिनियम, 1978 केर धारा 45 द्वारा (20-6-1979 सँ) लोप कए देल गेल।

² संविधान (बावनम संशोधन) अधिनियम, 1985 केर धारा 3 द्वारा (1-3-1985 सँ) “(2) एहि अनुच्छेदक प्रयोजनक लेल” केर स्थान पर प्रतिस्थापित।

³ संविधान (बावनम संशोधन) अधिनियम, 1976 केर धारा (3-1-1977 सँ) अंतःस्थापित।

⁴ संविधान (बियालिसम संशोधन) अधिनियम, 1976 केर धारा 20 द्वारा (31-3-1977सँ) अनुच्छेद 103 केर स्थान पर प्रतिस्थापित आ तत्पश्चात् संविधान (चौआलिसम संशोधन) अधिनियम, 1978 केर धारा 14 द्वारा (20-6-1979सँ) अनुच्छेद 103 केर स्थान पर प्रतिस्थापित।

(2) एहन कोनो प्रश्न पर निर्णय करबाक पूर्व राष्ट्रपति निर्वाचन आयोगसँ विमर्श करताह आ ओकर विमर्शक अनुरूप काज करताह ।]

104. अनुच्छेद 99 केर अधीन शपथ लेबा वा प्रतिज्ञान करबासँ पूर्व वा अर्हित नहि होइतहुँ वा निरर्हित कएल जएबा पर सदनमे बैसब आओर मत देबाक लेल दंड- जँ संसदक कोनो सदनमे कोनो व्यक्ति अनुच्छेद 99 मे अपेक्षाक अनुपालन करएसँ पूर्व वा ई जनितहुँ जे हम ओहि सदस्यताक पात्र नहि छी वा निरर्हित कए देल गेल छी वा संसद द्वारा बनाओल गेल कोनो विधिक उपबंध द्वारा एहन करबासँ प्रतिबंधित कए देल गेल छी, सदस्यक रूपमे भाग लैत छथि वा मतदान करैत छथि जाधरि ओ एहिमे भाग लैत छथि वा मतदान करैत छथि, प्रतिदिन पाँच सय रूपया दंडक भागी होएताह जे हुनकासँ संघकेँ देय ऋणक रूपमे ओसूल कएल जाएत ।

संसद आओर ओकर सदस्य सभक शक्ति, विशेषाधिकार आ उन्मुक्ति सभ

105. संसदक सदन एवं ओकर सदस्यगणक ओ समिति सभक शक्ति आ विशेषाधिकार आदि-

(1) एहि संविधानक उपबंध ओ संसदक प्रक्रियाकेँ नियमित करएवला नियम आओर स्थायी आदेशक अधीन रहैत, संसदमे बजबाक स्वतंत्रता रहत ।

(2) संसदमे वा ओकर कोनो समितिमे संसदक कोनो सदस्य द्वारा कहल लेल कोनो बात वा कएल गेल मतदानक संबंधमे ओकर विरुद्ध कोनो न्यायालयमे कोनो कार्यवाही नहि कएल जाएत आ कोनो व्यक्तिक विरुद्ध संसदक कोनो सदनक प्राधिकार द्वारा वा ओकर अधीन कोनो प्रतिवेदन, पत्र, मत वा कार्यवाही प्रकाशनक संबंधमे एहि प्रकारक कोनो कार्यवाही नहि कएल जाएत ।

¹[(3) आन बातमे संसदक प्रत्येक सदनक ओ प्रत्येक सदनक सदस्य ओ समितिक शक्ति, विशेषाधिकार ओ उन्मुक्ति एहन होएत जे संसद, समय-समय पर, विधि द्वारा, निश्चित करए आ जाधरि ओ एहि प्रकारेँ निश्चित नहि कएल जाइत अछि ताधरि ²[वाएह होएत जे संविधान (चौआलिसम संशोधन) अधिनियम, 1978 केर धारा 15 केर लागू होएबासँ ठीक पूर्व ओहि सदनक आ ओकर सदस्य ओ समितिक छल ।]]

¹ संविधान (बियालिसम संशोधन) अधिनियम, 1976 केर धारा 21 द्वारा (तिथि अधिसूचित कएल जएबाक अछि) प्रतिस्थापित । एहि संशोधनक, संविधान (चौआलिसम संशोधन) अधिनियम, 1978 केर धारा 45 द्वारा (20-6-1979 सँ) लोप कएल गेल ।

² संविधान (चौआलिसम संशोधन) अधिनियम, 1978 केर धारा 15 द्वारा (20-6-1979 सँ) कतिपय शब्दक स्थान पर प्रतिस्थापित ।

(4) जाहि व्यक्ति सभकेँ एहि संविधानक आधार पर संसदक कोनो सदनक वा ओकर समितिमे बजबाक आ ओकर कार्यवाहीमे अन्यथा भाग लेबाक अधिकार अछि, ओहि संबंधमे खंड (1), खंड (2) ओ खंड (3) केर उपबंध ओहि तरहेँ लागू होएत जाहि तरहेँ ओ संसदक सदस्यक संबंधमे लागू होइत अछि।

106. सदस्यक वेतन आओर भत्ता-संसदक प्रत्येक सदनक सदस्य एहन वेतन आ भत्ता जकरा संसद समय-समय पर विधि द्वारा निश्चित करए ओ जाधरि एहि संबंधमे एहि प्रकार उपबंध नहि कएल जाइत अछि ताधरि एहन भत्ता, एहन दरसँ आ एहन शर्त पर, जे भारत अधिक्षेत्रक संविधान सभाक सदस्यकेँ एहि संविधानक प्रारंभसँ ठीक पूर्वसँ लागू छल, पएबाक अधिकारी होएताह।

विधायी प्रक्रिया

107. विधेयकक प्रस्तुतीकरण एवं पारित कएल जएबाक संबंधमे उपबंध-

(1) धन विधेयक ओ अन्य वित्त विधेयकक संबंधमे अनुच्छेद 109 ओ अनुच्छेद 117 केर उपबंधक अधीन रहैत, कोनो विधेयक संसदक कोनो सदनमे आरंभ भए सकैछ।

(2) अनुच्छेद 108 ओ अनुच्छेद 109 केर उपबंधक अधीन रहितहुँ, कोनो विधेयक संसदक सदन द्वारा ताधरि पारित कएल गेल नहि बुझल जाएत जाधरि संशोधनक बिना वा केवल एहन संशोधन सहित, जाहि पर दुनू सदनक सहमति नहि भए जाए।

(3) संसदमे लंबित विधेयक सदनक सत्रावसानक कारणेँ रद्द नहि बुझल जाएत।

(4) राज्य सभामे लंबित विधेयक, जकरा लोक सभा नहि पारित कएने हो, लोक सभा भंग भेला उत्तर रद्द नहि होएत।

(5) कोनो विधेयक, जे लोक सभामे लंबित अछि वा जे लोक सभा द्वारा पारित कए देल गेल अछि, मुदा राज्य सभामे लंबित अछि, अनुच्छेद 108 केर उपबंधक अधीन रहैत, लोक सभाक विघटन पर रद्द भए जाएत।

108. कतिपय दशामे दुनू सदनक संयुक्त बैसार- (1) जँ कोनो विधेयककेँ एक सदन द्वारा पारित कएल जएबाक आओर दोसर सदनमे प्रेषित कएल जएबाक पश्चात्, -

(क) दोसर सदन द्वारा विधेयक अस्वीकार कए देल गेल हो, वा

(ख) विधेयकमे कएल जएवला संशोधनक विषयमे दुनू सदन अंतिम रूपसँ सहमति नहि बना सकल होथि, वा

(ग) दोसर सदनकेँ विधेयक प्राप्ति होएबाक तिथिसँ, सदन द्वारा विधेयक पारित कएने बिना छओ माससँ बेसी समय बीति गेल हो,

(भाग 5-संघ)

तँ ओहि स्थितिक अतिरिक्त, जाहिमे लोक सभाक भंग होएबाक कारण विधेयक रद्द भए गेल हो, राष्ट्रपति विधेयक पर विचार-विमर्श करबा ओ मत देबाक प्रयोजनार्थ सदनक संयुक्त बैसारमे अधिवेशन होएबाक लेल आहूत करबाक अपन आशयक सूचना, जँ ओ बैसारमे छथि तँ संदेश द्वारा जँ ओ बैसारमे नहि छथि त' लोक अधिसूचना द्वारा देताह:

मुदा एहि खंडक कोनो बात धन विधेयक पर लागू नहि होएत ।

(2) छओ मासक एहन अवधिक गणना करबामे, जे खंड (1) मे निर्दिष्ट अछि, कोनो एहन अवधिक हिसाबमे नहि लेल जाएत जकर उक्त खंडक उपखंड (ग)मे निर्दिष्ट सदनक सत्रावसान वा लगातार चारि दिनसँ अधिक दिनक लेल स्थगित कए देल जाइत अछि ।

(3) जँ राष्ट्रपति खंड (1) केर अधीन सदनक संयुक्त बैसारमे आहूत करबाक अपन आशयक सूचना दए देने छथि तँ कोनो सदन विधेयक पर कार्यवाही नहि करत, मुदा राष्ट्रपति अपन अधिसूचनाक तिथिक पश्चात् कोनो समय सदनक अधिसूचनामे निर्दिष्ट प्रयोजनक लेल संयुक्त बैसारमे अधिवेशन होएबाक लेल आहूत कए सकताह आ, जँ ओ एना करैत छथि त' सदन ओहि अनुसार बजाओल जाएत ।

(4) जँ सदनक संयुक्त बैसारमे एहन संशोधन सहित, जँ कोनो हो, जाहिपर संयुक्त बैसारमे सहमति भए जाइत अछि त' दुनू सदनमे उपस्थित ओ मतदान कएनिहार सदस्यक कुल संख्याक बहुमत द्वारा पारित भए जाइत अछि त' एहि संविधानक प्रयोजनार्थ ओ दुनू सदनक द्वारा पारित बुझल जाएत :

मुदा संयुक्त बैसारमे-

(क) जँ विधेयक एक सदनसँ पारित भए गेलाक बाद दोसर सदन द्वारा संशोधन सहित पारित नहि कए देल गेल हो आओर ओहि सदनकें, जाहिमे ओ प्रारंभ भेल हो, घुरा नहि देल गेल हो त' एहन संशोधनसँ भिन्न (जँ कोनो हो), जे विधेयकके पारित होएबामे देरी केर कारण आवश्यक भए गेल अछि, विधेयकमे कोनो आर संशोधन प्रस्तावित नहि कएल जाएत;

(ख) जँ विधेयक एहि प्रकार पारित कए देल गेल हो ओ घुरा देल गेल हो त' विधेयकमे खाली पूर्वोक्त संशोधन, आ अन्य संशोधन, जे ओहि विषय सभमे सुसंगत हो, आ जाहिपर सदनमे सहमति नहि भेल हो, प्रस्तावित कएल जाएत,

आ पीठासीनक एहि विषयमे निर्णय अंतिम होएत जे कोन संशोधन एहि खंडक अधीन उचित अछि ।

(5) सदनक संयुक्त बैसारमे अधिवेशन होएबाक लेल आहूत करबाक अपन आशयक राष्ट्रपतिक सूचनाक पश्चात्, जँ लोक सभा भंग भए जाए ओहु परिस्थितिमे एहि अनुच्छेदक अधीन संयुक्त बैसार भए सकत आ एहिमे विधेयक पारित कएल जा सकत ।

109. धन विधेयकक संबंधमे विशेष प्रक्रिया-(1) धन विधेयक राज्य सभामे प्रस्तुत नहि कएल जाएत ।

(2) धनविधेयक लोक सभा द्वारा पारित कएल जएबाक पश्चात् राज्य सभाक ओकर संस्तुतिक लेल प्रेषित कएल जाएत आओर राज्य सभा विधेयकक प्राप्तिक तिथिसँ चौदह दिनक अन्तरालसँ पूर्व विधेयककेँ अपन संस्तुति सहित लोक सभाकेँ स्वीकार वा अस्वीकार कए सकत ।

(3) जँ लोक सभा, राज्य सभाक कोनो संस्तुति केँ स्वीकार कए लए लैत अछि त' धनविधेयक राज्य सभा द्वारा संस्तुति कएल गेल आओर लोक सभा द्वारा स्वीकार कएल गेल संशोधन सहित, दुनू सदन द्वारा पारित बुझल जाएत ।

(4) जँ लोक सभा, राज्य सभाक कोनो संस्तुतिकेँ स्वीकार नहि करैत अछि त' धन विधेयक, राज्य सभाक द्वारा संस्तुति कएल गेल संशोधनक बिना, दुनू सदन द्वारा ओहि रूपमे पारित कएल गेल बुझल जाएत जाहि रूपैँ ओ लोक सभा द्वारा पारित कएल गेल छल ।

(5) जँ लोक सभा द्वारा पारित ओ राज्य सभाकेँ ओकर संस्तुतिक लेल प्रेषित विधेयक उक्त चौदह दिनक अंतरालक भीतर लोक सभाकेँ नहि घुआओल जाइत अछि त' उक्त अवधिक समाप्ति पर दुनू सदनक द्वारा, ओहि रूपैँ पारित भेल बुझल जाएत जाहि रूपैँ ओ लोक सभा द्वारा पारित कएल गेल छल ।

110. “धन विधेयक” केर परिभाषा-(1) एहि अध्यायक प्रयोजनक लेल, कोनो विधेयक धन विधेयक बुझल जाएत जँ ओहिमे मात्र निम्नांकित सभ वा कोनो विषयसँ संबंधित उपबंध अछि, यथा:-

(क) कोनो कर केर अधिरोपन, समापन, परिहार, परिवर्तन वा नियमन ;

(ख) भारत सरकार द्वारा धन उधार लेबाक वा कोनो गारंटी देबाक नियमन वा भारत सरकार द्वारा अपन ऊपर लेल गेल वा लेल जाएवला कोनो वित्तीय बाध्यतासँ संबंधित विधिक संशोधन ;

(ग) भारतक संचित निधि वा आकस्मिक निधिक अभिरक्षा, एहन कोनो निधिमे धन जमा करब वा निकालब;

(घ) भारतक संचित निधिमे सँ धनक विनियोग;

(ङ) कोनो व्ययकेँ भारतक संचित निधि पर भारतक व्यय घोषित करब वा एहन कोनो व्यय जे भारतक संचित निधि पर भारित हो ओकरा बढ़ाएब ।

(भाग 5-संघ)

(च) भारतक संचित निधि वा भारतक लोक लेखाक मदमे धन प्राप्त करब वा एहन धनक अभिरक्षा वा ओकर निकासी वा संघ वा प्रदेशक लेखाक अंकेक्षण, वा

(छ) उपखंड (क) सँ उपखंड (च) धरि निर्दिष्ट कोनो विषयसँ आनुषंगिक कोनो विषय ।

(2) कोनो विधेयक मात्र एहि कारणेँ धन विधेयक नहि बुझल जाएत जे ओ जुर्माना वा अन्य धन दंडक लगाएब वा लाइसेंसक लेल शुल्क वा देल गेल सेवाक लेल शुल्कक माँग वा ओकरा देबाक उपबंध करैत अछि वा एहि कारणेँ धन विधेयक नहि बुझल जाएत जे ओ कोनो स्थानीय अधिकारी वा निकाय द्वारा स्थानीय प्रयोजनक लेल कोनो कर लगाएब, समापन, परिहार, परिवर्तन वा नियमनक उपबंध करैत होएत ।

(3) जँ ई प्रश्न उठैत अछि जे कोनो विधेयक धन विधेयक अछि वा नहि त’ ओहि पर लोकसभा अध्यक्षक निर्णय अंतिम होएत ।

(4) जखन धन विधेयक अनुच्छेद 109 केर अधीन राज्य सभाकेँ प्रेषित कएल जाइत अछि संगहि जखन ओ अनुच्छेद 111 केर अधीन अनुमतिक लेल प्रस्तुत कएल जाइत अछि तखन प्रत्येक धन विधेयक पर लोक सभा अध्यक्षक हस्ताक्षर सहित ई प्रमाण पृष्ठांकित कएल जाएत जे ओ धन विधेयक अछि ।

111. विधेयक पर अनुमति-जखन कोनो विधेयक संसदक दुनू सदनक द्वारा पारित कएल देल गेल हो तखन ओ विधेयक राष्ट्रपतिक समक्ष प्रस्तुत कएल जाएत ओ राष्ट्रपति घोषित करताह जे ओ विधेयककेँ अपन अनुमति दैत छथि वा अपन अनुमति रोकि लैत छथि:

मुदा राष्ट्रपति अनुमतिक लेल अपन समक्ष विधेयक प्रस्तुत कएल जएबाक पश्चात् यथाशीघ्र ओहि विधेयककेँ, जँ ओ धन विधेयक नहि अछि त’, सदनकेँ एहि संदेशक संग घुरा सकताह जे ओ विधेयक पर वा ओकर कोनो निर्दिष्ट उपबंध पर पुनर्विचार करए आओर विशेषतः कोनो एहन संशोधनक प्रस्तुतीकरण वांछनीयता पर विचार करए जकर ओ अपन संदेशमे संस्तुति कएने छथि आओर जखन विधेयक एहि प्रकारेँ घुरा देल जाइत अछि तखन सदन विधेयक पर तदनुसार पुनर्विचार करत आओर जँ विधेयक सदन द्वारा संशोधन सहित वा संशोधन बिना फेरसँ पारित कए देल जाइत अछि ओ राष्ट्रपतिक समक्ष अनुमतिक लेल प्रस्तुत कएल जाइत अछि त’ राष्ट्रपति ओहि पर अनुमति नहि रोकताह ।

वित्तीय विषयक संबंधमे प्रक्रिया

112. वार्षिक वित्तीय विवरण-(1) राष्ट्रपति प्रत्येक वित्तीय वर्षक संबंधमे संसदक दुनू सदनक समक्ष भारत सरकारक ओहि वर्षक लेल प्राकलित प्राप्ति ओ व्ययक विवरण रखबाओत जकरा एहि भागमे “वार्षिक वित्तीय विवरण” कहल गेल अछि ।

(2) वार्षिक वित्तीय विवरणमे देल गेल व्ययक प्राकलनमे-

भारतक संविधान

(भाग 5-संघ)

(क) एहि संविधानमे भारतक संचित निधि पर भारित व्ययक रूपमे वर्णित व्ययक पूर्तिक लेल अपेक्षित राशि, आओर

(ख) भारतक संचित निधिमे सँ कएल जाएवला प्रस्थापित अन्य व्ययक पूर्तिक लेल अपेक्षित राशि,

भिन्न-भिन्न देखाओल जाएत आओर राजस्व मादे होबएवला प्रस्थापित अन्य व्ययसँ अलग कएल जाएत ।

(3) निम्नलिखित व्यय भारतक संचित निधि पर भारित व्यय होएत, अर्थात् :-

(क) राष्ट्रपतिक परिलब्धि ओ भत्ता एवं ओकर पदसँ संबंधित अन्य व्यय;

(ख) राज्य सभाक सभापति ओ उपसभापति एवं लोक सभाक अध्यक्ष ओ उपाध्यक्षक वेतन आ भत्ता;

(ग) एहन ऋणक भार, जकर दायित्व भारत सरकार पर अछि जकरा अंतर्गत ब्याज, निक्षेप निधि भार ओ मोचन भार एवं उधार लेब ओ ऋण सेवा ओ ऋणमोचनसँ संबंधित अन्य व्यय अछि;

(घ) (i) उच्चतम न्यायालयक न्यायाधीशक वा ओकर संबंधमे देय वेतन, भत्ता आ पेंशन;

(ii) संघीय न्यायालयक न्यायाधीशक वा ओकर संबंधमे देय पेंशन;

(iii) ओहि उच्च न्यायालयक न्यायाधीशकें वा ओकर संबंधमे देल जाएवल पेंशन, जे भारतक राज्यक्षेत्रक अंतर्गत कोनो क्षेत्रक संबंधमे अधिकारक प्रयोग करैत अछि वा जे ¹[भारत अधिक्षेत्रक राज्यपाल वला प्रांत]क अंतर्गत कोनो क्षेत्रक संबंधमे एहि संविधानक प्रारंभसँ पूर्व कोनो समय अधिकारक प्रयोग करैत छल;

(ङ) भारतक नियंत्रक-महालेखापरीक्षककें, देय वेतन, भत्ता आ पेंशन;

(च) कोनो न्यायालय वा मध्यस्थ अधिकरणक निर्णय, आज्ञासि वा आन कोनो निर्णयक तुष्टिक लेल अपेक्षित राशि;

(छ) कोनो अन्य व्यय जे एहि संविधान द्वारा, संसद द्वारा, विधि द्वारा, एहि प्रकारँ भारत, घोषणा कएल गेल अछि ।

113. संसदमे प्राक्कलन संबंधी प्रक्रिया-(1) प्राक्कलनमे सँ जतेक प्राक्कलन भारतक संचित निधि पर भारित व्ययसँ संबंधित अछि ओ संसदमे मतदानक लेल नहि राखल जाएत, मुदा एहि खंडक कोनो बातक ई अर्थ नहि लगाओल जाएत जे ओ संसदक कोनो सदनमे ओहि प्राक्कलनमे सँ कोनो प्राक्कलन पर चर्चाकें प्रतिबंधित करैत अछि ।

¹ संविधान (सातम संशोधन) अधिनियम, 1956 केर धारा 29 आओर अनुसूची द्वारा (1-11-1956 सँ) “पहिल अनुसूचीक भाग क मे निर्दिष्ट राज्यक तत्संबंधी प्रांत” केर स्थान पर प्रतिस्थापित ।

(भाग 5-संघ)

(2) उक्त प्राक्कलनमे सँ जतेक प्राक्कलन अन्य व्ययसँ संबंधित अछि ओ लोक सभाक समक्ष अनुदानक माँगक रूपमे राखल जाएत ओ लोकसभाकेँ ई शक्ति होएतैक जे ओहि माँगकेँ अनुमति दिए वा अनुमति देबासँ मना कए दिए वा कोनो माँगसँ संबंधित निर्दिष्ट राशिकेँ कम कए, अनुमति दिए।

(3) कोनो अनुदानक माँग राष्ट्रपतिक संस्तुति कएले उत्तर कएल जाएत, अन्यथा नहि,

114. विनियोग विधेयक-(1) लोक सभा द्वारा अनुच्छेद 113 केर अधीन अनुदान कएल जएबाक पश्चात् जतए धरि भए सकए शीघ्र, भारतक संचित निधिमे सँ-

(क) लोक सभा द्वारा एहि प्रकारेँ कएल गेल अनुदान, आओर

(ख) भारतक संचित निधि पर भारित, मुदा संसदक समक्ष पूर्वहिसँ राखल गेल विवरणमे दर्शित राशिसँ कोनो स्थितिमे बेसी नहि हो, व्ययक पूर्तिक लेल अपेक्षित सभ धनराशिक विनियोगक उपबंध करबाक लेल विधेयक प्रस्तुत कएल जाएत।

(2) एहि प्रकारेँ कएल गेल कोनो अनुदानक राशिमे परिवर्तन करबाक वा अनुदानक लक्ष्यकेँ बदलबाक वा भारतक संचित निधि पर व्ययक रकममे परिवर्तन करएवला कोनो प्रभाव रखनिहार कोनो संशोधन, एहन कोनो विधेयकमे संसदक कोनो सदनमे प्रस्तुत नहि कएल जाएत आओर पीठासीन व्यक्तिक एहि विषयमे आओर निर्णय अंतिम होएतन्हि जे कोनो संशोधन एहि खंडक अधीन कएल जा सकैत अछि वा नहि।

(3) अनुच्छेद 115 ओ अनुच्छेद 116 केर उपबंधक अधीन रहैत, भारतक संचित निधिमे सँ एहि अनुच्छेदक उपबंधक अनुसार पारित विधि द्वारा कएल गेल विनियोगक अधीनहि कोनो धन निकालल जाएत, अन्यथा नहि।

115. अनुपूरक, अतिरिक्त वा अधि-अनुदान-(1) जँ-

(क) अनुच्छेद 114 केर उपबंधक अनुसार बनाओल गेल कोनो विधि द्वारा कोनो विशिष्ट सेवा पर वर्तमान वित्तीय वर्षक लेल व्यय कएल जएबाक लेल अधिकृत कोनो राशि ओहि वर्षक प्रयोजनार्थ अपर्याप्त बुझल जाइत अछि वा ओहि वर्षक वार्षिक वित्तीय विवरणमे अपूर्वानुमानित कोनो नव सेवा पर अनुपूरक वा अतिरिक्त व्ययक वर्तमान वित्तीय वर्षक मध्य आवश्यकता भए गेल हो, वा

(ख) कोनो वित्तीय वर्षक मध्य कोनो कोनो सेवा पर, ओहि वर्ष आओर ओहि सेवाक लेल अनुदान कएल गेल राशिसँ अधिक कोनो धन व्यय भए गेल हो,

तँ राष्ट्रपति, जेहन स्थिति हो, संसदक दुनू सदनक समक्ष ओहि व्ययक प्राक्कलित राशिकेँ दर्शित कराबए वला दोसर विवरण रखबौताह वा लोकसभामे एहन आधिक्यक लेल माँग प्रस्तुत करबौताह।

(2) एहन कोनो विवरण आओर व्यय वा माँगक संबंधमे आ भारतक संचित निधिमे सँ एहन व्यय वा एहन माँगसँ संबंधित अनुदानक पूर्तिक लेल धनक विनियोग अधिकृत करबाक लेल बनाओल जाएवला कोनो विधिक संबंधहुमे, अनुच्छेद 112, अनुच्छेद 113 आओर अनुच्छेद 114 केर उपबंध ओहिना प्रभावी होएत जेना ओ वार्षिक वित्तीय विवरण आ ओहिमे वर्णित वित्तीय व्यय वा कोनो अनुदानक, कोनहुँ माँगक संबंधमे आओर भारतक संचित निधिमे सँ एहन व्यय वा अनुदानक पूर्तिक लेल धनक विनियोग अधिकृत करबाक लेल बनाओल जाएवला विधिक संबंधमे प्रभावी अछि।

116. लेखानुदान, प्रत्ययानुदान ओ अपवादानुदान-(1) एहि अध्यायक पूर्वगामी उपबंधमे कोनो बातक रहितहुँ लोक सभाकेँ-

(क) कोनो संपूर्ण वित्तीय वर्षक अंशक लेल प्राक्कलित व्ययक संबंधमे कोनो अनुदान, ओहि अनुदानक लेल मतदान करबाक लेल अनुच्छेद 113मे विहित प्रक्रियाक पूर्ण होएबा धरि ओ ओहि व्ययक संबंधमे अनुच्छेद 114 केर उपबंधक अनुसार विधिसँ पारित होएबा धरि, अग्रिम देबाक;

(ख) जखन कोनो सेवाक महत्ता वा ओकर अनिश्चित रूपक कारणँ माँग एहन विस्तारक संग वर्णित नहि कएल जा सकैत अछि जे वार्षिक वित्तीय विवरणमे सामान्यतः देल जाइत अछि तखन भारतक संपत्ति स्रोत पर अप्रत्याशित माँगक पूर्तिक लेल अनुदान करबाक,

(ग) कोनो वित्तीय वर्षक वर्तमान सेवाक एहन अनुदानक जकर ओहि वित्तीय वर्षमे चर्चा नहि अछि, एहन कोनो अपवादानुदान करबाक,

शक्ति होएत आओर जाहि प्रयोजनक लेल उक्त अनुदान कएल गेल अछि ओहि लेल भारतक संचित निधिमे सँ धन निकालबाक ओ विधि द्वारा अधिकृत करबाक संसदकेँ शक्ति होएत।

(2) खंड (1) केर अधीन कएल जाएवला कोनो अनुदान आओर ओहि खंडक अधीन बनाओल जाएवला कोनो विधिक संबंधमे अनुच्छेद 113 आओर अनुच्छेद 114 केर उपबंध ओहिना प्रभावी होएत जेना ओ वार्षिक वित्तीय विवरणमे वर्णित कोनो व्ययक विषयमे कोनो अनुदान करबाक संबंधमे आओर भारतक संचित निधिमे सँ एहन व्ययक पूर्तिक लेल धनक विनियोग अधिकृत करबाक लेल बनाओल जाएवला विधिक संबंधमे प्रभावी अछि।

117. वित्त विधेयकक विषयमे विशेष उपबंध-(1) अनुच्छेद 110 केर खंड (1) केर उपखंड (क) सँ उपखंड (च) धरिमे निर्दिष्ट कोनो विषयक लेल उपबंध करएवला विधेयक वा संशोधन, राष्ट्रपतिक संस्तुतिएसँ प्रस्तुत वा प्रस्तावित कएल जाएत, अन्यथा नहि आ एहन उपबंध करएवला विधेयक राज्य सभामे प्रस्तुत नहि कएल जाएत :

मुदा कोनो कर केँ घटाकए वा समापनक लेल उपबंध करएवला कोनो संशोधनक प्रस्तावक लेल एहि खंडक अधीन अनुशंसाक अपेक्षा नहि होएत।

(भाग 5-संघ)

(2) कोनो विधेयक वा संशोधन उक्त विषयमे सँ कोनोक लेल उपबंध करएवला मात्र इएह कारण नहि बुझल जाएत जे ओ जुर्माना वा अन्य दंड लगाएब वा लाइसेंसक लेल शुल्कक वा देल गेल सेवाक लेल शुल्कक माँगक वा ओकर चुकएबाक उपबंध करैत अछि वा एहि कारण नहि बुझल जाएत जे ओ कोनो स्थानीय प्रयोजनक लेल कोनो कर केर आरोपन, समापन, परिहार, परिवर्तन वा नियमनक उपबंध करैत अछि।

(3) जाहि विधेयककें अधिनियमित ओ प्रवर्तित कएल जाएबा पर भारतक संचित निधिमे सँ व्यय करए पड़त ओ विधेयक संसदक कोनो सदन द्वारा ताधरि पारित नहि कएल जाएत जाधरि एहन विधेयक पर विचार करबाक लेल ओहि सदनसँ राष्ट्रपति संस्तुति नहि कएने होथि।

सामान्य प्रक्रिया

118. प्रक्रियाक नियम-(1) एहि संविधानक उपबंधक अधीन रहैत, संसदक प्रत्येक सदन अपन प्रक्रिया* ओ अपन कार्य संचालनक विनियमनक लेल नियम बना सकत।

(2) जाधरि खंड (1) केर अधीन नियम नहि बनाओल जाइत अछि ताधरि एहि संविधानक प्रारंभसँ ठीक पूर्व भारत अधिक्षेत्रक विधान मंडलक संबंधमे जे प्रक्रियाक नियम ओ स्थायी आदेश लागू छल ओ एहन उपांतरण ओ अनुकूलनक अधीन रहैत, संसदक संबंधमे प्रभावी होएत जकरा, जेहन स्थिति हो, राज्य सभाक सभापति वा लोक सभाक अध्यक्ष ओहिमे करए।

(3) राष्ट्रपति, राज्य सभाक सभापति ओ लोक सभाक अध्यक्षसँ विमर्श कएलाक पश्चात्, दुनू सदनक संयुक्त बैसारसँ संबंधित आ ओहिमे परस्पर संचारसँ संबंधित प्रक्रियाक नियम बना सकत।

(4) दुनू सदनक संयुक्तक बैसारमे लोक सभाक अध्यक्ष वा ओकर अनुपस्थितिमे एहन व्यक्ति पीठासीन होएत जकरा खंड (3) केर अधीन बनाओल गेल प्रक्रियाक नियमक अनुसार निश्चित कएल जाए।

119. संसदमे वित्तीय काज संबंधी प्रक्रियाक कानून सम्मत विनियमन-संसद, वित्तीय काजकें समयक भीतर पूर्ण करबाक प्रयोजनार्थ कोनो वित्तीय विषयसँ संबंधित वा भारतक संचित निधिमे सँ धनक विनियोग करबाक लेल कोनो विधेयकसँ संबंधित, संसदक प्रत्येक सदनक प्रक्रिया ओ कार्य संचालनक विनियमन विधि द्वारा कए सकत आओर जतए धरि एहि प्रकारें बनाओल गेल कोनो विधिक कोनो उपबंधमे अनुच्छेद 118 केर खंड (1) केर अधीन संसदक कोनो सदनक द्वारा बनाओल गेल नियमसँ वा ओहि अनुच्छेदक प्रभावी कोनो नियम वा स्थायी आदेशसँ असंगत अछि त' ओ ओतए धरि एहन उपबंध प्रभावी होएत।

* संविधान (बियालिसम संशोधन) अधिनियम, 1976 केर धारा 22 द्वारा (तिथि अधिसूचित नहि कएल गेल) “(जाहि केर अंतर्गत सदनक बैसारक गठन करबाक लेल गणपूर्ति सम्मिलित अछि)” शब्द आओर कोष्ठक अंतःस्थापित। ई संशोधन संविधान (चौआलिसम संशोधन) अधिनियम, 1978 केर धारा 45 द्वारा (20-6-1979 सँ) लोप कए देल गेल।

120. संसदमे प्रयोग होमएवला भाषा-(1) भाग 17मे कोनो बातक अछैत, मुदा अनुच्छेद 348 केर उपबंधक अधीन रहैत, संसदमे काज हिन्दी वा अंग्रेजीमे कएल जाएत:

मुदा, जेहन स्थिति हो, राज्य सभाक सभापति वा लोक सभाक अध्यक्ष वा ओहि रूपमे काज कएनिहार व्यक्ति कोनो सदस्यकेँ, जे हिन्दीमे वा अंग्रेजीमे अपन पर्याप्त अभिव्यक्ति नहि कए सकैत छथि, अपन मातृभाषामे सदनके संबोधित करबाक आज्ञा दए सकत ।

(2) जाधरि संसद विधि द्वारा अन्यथा उपबंध नहि करए ताधरि एहि संविधानक प्रारंभसँ पन्द्रह वर्षक अवधिक समाप्तिक पश्चात् ई अनुच्छेद एना प्रभावी होएत जेना “वा अंग्रेजीमे” शब्दकेँ ओहिमे सँ लोप कए देल गेल हो ।

121. संसदमे चर्चा पर निषेध-उच्चतम न्यायालय वा कोनो उच्च न्यायालयक कोनो न्यायाधीशकेँ अपन कर्तव्यक निर्वहनमे कएल गेल आचरणक विषयमे संसदमे कोनो चर्चा एहिमे एकर पश्चात् उपबंधित प्रक्रियासँ ओहि न्यायाधीशकेँ हटाएबाक प्रार्थना करएवला आवेदनकेँ राष्ट्रपतिक समक्ष प्रस्तुत करबाक प्रस्तावहि पर होएत, अन्यथा नहि ।

122. न्यायालय द्वारा संसदक कार्यवाहीक जाँच नहि कएल जाएब-(1) संसदक कोनो कार्यवाहीक विधिमान्य प्रक्रियाकेँ कोनो कथित अनियमितताक आधार पर चुनौती नहि देल जाएत ।

(2) संसदक कोनो अधिकारी वा सदस्य, जाहिमे एहि संविधान द्वारा वा एकर अधीन संसदमे प्रक्रिया वा कार्य संचालनक नियमन करबाक आ व्यवस्था बनाओल रखबाक शक्ति निहित अछि, ओहि शक्तिकेँ अपन प्रयोगक विषयमे कोनो न्यायालयक क्षेत्रक अधीन नहि होएत ।

अध्याय 3- राष्ट्रपतिक विधायी शक्ति

123. संसदक अवकाश कालमे अध्यादेश घोषित करबाक राष्ट्रपतिक शक्ति-

(1) ओहि समयकेँ छोड़िकए जखन संसदक दुनू सदन सत्रमे अछि, जँ कोनो समय राष्ट्रपति एहि बातसँ संतुष्ट होथि जे एहन परिस्थिति विद्यमान अछि जाहि कारणेँ शीघ्रहि कार्रवाई करब हुनका लेल आवश्यक भए गेल अछि त’ ओ एहन अध्यादेश घोषित कए सकताह जे हुनका ओहि परिस्थितिमे उचित बुझि परैनि ।

(2) एहि अनुच्छेदक अधीन घोषित अध्यादेशकेँ वएह बल ओ प्रभाव होएत जे संसदक द्वारा बनाओल गेल कानूनक होएत अछि, मुदा प्रत्येक एहन अध्यादेश-

(क) संसदक दुनू सदनक समक्ष राखल जाएत आ संसदकेँ पुनः सत्रारम्भ होएबासँ छओ सप्ताहक समाप्ति पर वा जँ ओहि अवधिक समाप्तिसेँ पूर्व दुनू सदन ओकरा अस्वीकृत करबाक संकल्प पारित कए दैत छथि त’, एहिमे सँ दोसर संकल्पकेँ पारित होएबा पर लागू नहि रहत; आओर

(भाग 5-संघ)

(ख) राष्ट्रपति द्वारा कोनो समय घुआओल जा सकत ।

स्पष्टीकरण-जतए संसदक सदन भिन्न-भिन्न तिथिकेँ पुनः सत्रारम्भक लेल आहूत कएल जाइत अछि ओतए एहि खंडक प्रयोजनक लेल छओ सप्ताहक अवधिक गणना ओहि तिथिमे सँ अंतिम तिथिसँ कएल जाएत ।

(3) जँ आओर जतए धरि एहि अनुच्छेदक अधीन अध्यादेश कोनो एहन उपबंध करैत अछि जकरा अधिनियमित करबाक लेल संसद एहि संविधानक अधीन सक्षम नहि अछि तँ ओतए धरि ओ अध्यादेश रद्द भए जाएत ।

¹(4) *

*

*

*

*

अध्याय 4- संघक न्यायपालिका

124. उच्चतम न्यायालयक स्थापना ओ गठन-(1) भारतमे एक उच्चतम न्यायालय होएत जे भारतक मुख्य न्यायमूर्ति आओर, जाधरि संसद विधि द्वारा अधिक संख्या निश्चित नहि करैत अछि ताधरि महत्तम सात* अन्य न्यायाधीशसँ मिलाकए बनत ।

(2) ²[अनुच्छेद 124 क मे निर्दिष्ट राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोगक अनुशंसा पर], राष्ट्रपति अपन हस्ताक्षर ओ मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा उच्चतम न्यायालयक प्रत्येक न्यायाधीशक नियुक्ति करताह आ ओ न्यायाधीश ताधरि पद पर रहताह जाधरि ओ पैसठि वर्षक आयु प्राप्त नहि कए लैत छथि :

³[*

*

*

*

]*

⁴[मुदा], -

(क) कोनो न्यायाधीश, राष्ट्रपतिक संबोधित स्वहस्ताक्षरित पत्र द्वारा अपन पद त्यागि सकताह ;

(ख) कोनो न्यायाधीशक खंड (4) मे उपबंधित प्रक्रियासँ पदसँ मुक्त कएल जा सकत ।

¹ संविधान (अड़तीसम संशोधन), 1975 केर धारा 2 द्वारा (भूतलक्षी प्रभावसँ) अंतःस्थापित कएल गेल छओ आओर संविधान (चौआलिसम संशोधन) अधिनियम, 1978 केर धारा 16 द्वारा (20-6-1979 सँ) लोप कएल गेल ।

* उच्चतम न्यायालय (न्यायाधीश संख्या) संशोधन, अधिनियम, 2019 केर 37) केर धारा 2 द्वारा (9-8-2019 सँ) एखन “तैतीस” ।

² संविधान (निनानवेयम संशोधन) अधिनियम, 2014 केर धारा 2 द्वारा (13-4-2015 सँ) “उच्चतम न्यायालयक आओर प्रदेशक उच्च न्यायालयक एहन न्यायाधीश सँ विमर्श करबाक पश्चात् जाहिसँ राष्ट्रपति एहि प्रयोजनक लेल परामर्श करब आवश्यक बुझथि” शब्दक स्थान पर प्रतिस्थापित । ई संशोधन सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट-आन-रिकार्ड एसोसिएशन आओर अन्य **बनाम** भारत संघ ए. आई. आर 2016 एस.सी. 117 वला विषयमे उच्चतम न्यायालयक तिथि 16-10-2015 केर आदेश द्वारा अभिखंडित कए देल गेल अछि ।

³ संविधान (निनानवेयम संशोधन) अधिनियम, 2014 केर धारा 2 द्वारा (13-4-2015 सँ) पहिने परंतुक केर लोप कएल गेल । संशोधनक पूर्व ई निम्नानुसार छल-

“मुदा मुख्य न्यायमूर्तिसँ भिन्न कोनो न्यायाधीशक नियुक्तिक अवस्थामे भारतक मुख्य न्यायमूर्तिसँ सदैव विमर्श कएल जाएतः” । ई संशोधन सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट-आन-रिकार्ड एसोसिएशन आओर अन्य **बनाम** भारत संघ ए.आई.आर. 2016 एस.सी.117 वला विषयमे उच्चतम न्यायालयक तिथि (16-10-2015 केर आदेश द्वारा अभिखंडित कए देल गेल अछि ।

⁴ संविधान (निनानवेयम संशोधन) अधिनियम, 2014 केर धारा 2 द्वारा (13-4-2015 सँ) “मुदा ई आओर जे” शब्दक स्थान पर प्रतिस्थापित । ई संशोधन सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट-आन-रिकार्ड एसोसिएशन आओर आन **बनाम** भारत संघ ए.आई. आर. 2016 एस.सी.117 वला विषयमे उच्चतम न्यायालयक तिथि 16-10-2015 केर आदेश द्वारा अभिखंडित कए देल गेल अछि ।

¹[(2क) उच्चतम न्यायालयक न्यायाधीशक आयु एहन प्राधिकारी द्वारा आओर एहन प्रक्रियासँ निश्चित कएल जाएत जकरा संसद विधि द्वारा उपबंध करए।]

3. कोनो व्यक्ति, उच्चतम न्यायालयक न्यायाधीशक रूपमे नियुक्तिक लेल तखनहि अर्हित होएत जखन ओ भारतक नागरिक अछि आओर-

(क) कोनो उच्च न्यायालयक वा एहन दू वा अधिक न्यायालयक लगातार कम-सँ-कम पाँच वर्ष धरि न्यायाधीश रहल हो; वा

(ख) कोनो उच्च न्यायालयक वा एहन दू वा अधिक न्यायालयक लगातार कम-सँ-कम दस वर्ष धरि अधिवक्ता रहल हो; वा

(ग) राष्ट्रपतिक विचारमे पारंगत विधिवेत्ता अछि।

स्पष्टीकरण 1-एहि खंडमे, “उच्च न्यायालय” सँ ओ उच्च न्यायालय अभिप्रेत अछि जकर क्षेत्राधिकार भारतक राज्यक्षेत्रक कोनो भागमे अछि, वा एहि संविधानक प्रारंभसँ पूर्व छल।

स्पष्टीकरण 2-एहि खंडक प्रयोजनक लेल कोनो व्यक्ति अधिवक्ता रहबाक अवधिक गणना करएमे ओ अवधि सम्मिलित कएल जाएत जकर मध्य कोनो व्यक्ति, अधिवक्ता होएबाक पश्चात् एहन न्यायिक पद पर होथि जे जिला न्यायाधीशक पदसँ कम नहि हो।

(4) उच्चतम न्यायालयक कोनो न्यायाधीशकेँ हुनक पदसँ ताधरि नहि हटाओल जाएत जाधरि कदाचार सिद्ध नहि भए जाए वा असमर्थताक आधार पर एना हटाओल जएबाक लेल संसदक प्रत्येक सदन द्वारा अपन कुल सदस्य संख्याक बहुमत द्वारा एवं उपस्थित आओर मत देनिहार सदस्यक कम-सँ-कम दू-तिहाई बहुमत द्वारा समर्थित आवेदन, राष्ट्रपतिक समक्ष ओहि सत्रमे राखल जएबाक राष्ट्रपति आदेश नहि दए देने होथि।

(5) संसद खंड (4) केर अधीन कोनो आवेदनकेँ राखल जएबाक आ न्यायाधीशक कदाचार वा असमर्थताक अन्वेषण आओर सिद्ध करबाक प्रक्रियाक विधि द्वारा नियमन कए सकत।

(6) उच्चतम न्यायालयक न्यायाधीश नियुक्त होएबाक लेल प्रत्येक व्यक्ति, पद ग्रहण करएसँ पूर्व राष्ट्रपति वा हुनका द्वारा एहि निमित्त नियुक्त व्यक्तिक समक्ष, तेसर अनुसूचीमे एहि प्रयोजनार्थ देल गेल प्रारूपक अनुरूप, शपथ लेताह वा प्रतिज्ञान करताह आओर ओहि पर अपन हस्ताक्षर करताह।

(7) कोनो व्यक्ति, जे उच्चतम न्यायालयक न्यायाधीशक पद पर रहि चुकल छथि, भारतक राज्यक्षेत्रक अंतर्गत कोनो न्यायालयमे वा कोनो अधिकारीक समक्ष ओकालति वा आन काज नहि करताह।

²[124क. राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग-(1) राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग नामसँ एक आयोग होएत, जे निम्नांकितसँ मिला कए बनत, अर्थात्-

¹ संविधान (पंद्रहम संशोधन) अधिनियम, 1963 केर धारा 2 द्वारा (5-10-1963) सँ अंतःस्थापित।

² संविधान (नानावेयम संशोधन) अधिनियम, 2014 केर धारा 3 द्वारा (13-04-2015 सँ) अंतःस्थापित। ई संशोधन सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट-आन-रिकार्ड एसोसिएशन आओर आन **बनाम** भारत संघ ए.आई.आर.2016 एस.सी. 117 वला विषयमे उच्चतम न्यायालय केर तिथि 16-10-2015 केर आदेश द्वारा अभिखंडित कए देल गेल अछि।

(भाग 5-संघ)

(क) भारतक मुख्य न्यायमूर्ति-अध्यक्ष, पदेन;

(ख) भारतक मुख्य न्यायमूर्तिसँ कनीय, दोसर आ तेसर वरीयतम उच्चतम न्यायालयक न्यायाधीश-सदस्य, पदेन;

(ग) संघक विधि ओ न्यायक प्रभारी मंत्री-सदस्य, पदेन ;

(घ) प्रधानमंत्री, भारतक मुख्य न्यायमूर्ति ओ लोकसभामे विपक्षक नेता वा जतए एहन कोनो विपक्षक नेता नहि अछि ओतए, लोक सभामे सभसँ पैघ एकल विपक्षी दलक नेतासँ मिलाकए बनएवला समिति द्वारा नाम निर्दिष्ट कएल जाएवला दू प्रख्यात व्यक्ति-सदस्य;

मुदा विख्यात व्यक्तिमे सँ एक विख्यात व्यक्ति, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, आन पिछड़ल वर्ग अल्पसंख्यक वर्गक व्यक्ति वा स्त्रीमे सँ किनकहु नाम निर्दिष्ट कएल जाएत :

मुदा ई आओर जे विख्यात व्यक्ति सँ तीन वर्षक अवधिक लेल नाम निर्दिष्ट कएल जाएत आओर पुनः ओ नाम निर्देशनक पात्र नहि होएताह ।

(2) राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोगक कोनो काज वा कार्यवाहीकेँ, मात्र एहि आधार पर चुनौती नहि देल जा सकत वा अवधि मान्य नहि होएत जे आयोगमे कोनो रिक्ति अछि वा ओकर गठनमे कोनो त्रुटि अछि ।

124ख. आयोगक काज-राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोगक निम्नलिखित कर्तव्य होएत, -

(क) भारतक मुख्य न्यायमूर्ति, उच्चतम न्यायालयक न्यायाधीश, उच्च न्यायालयक अन्य न्यायाधीशक रूपमे नियुक्तिक लेल व्यक्तिक अनुशंसा करब;

(ख) उच्च न्यायालयक मुख्य न्यायमूर्ति ओ अन्य न्यायाधीशकेँ एक उच्च न्यायालयसँ कोनो आन उच्च न्यायालयमे स्थानान्तरण करबाक अनुशंसा करब; आओर

(ग) ई सुनिश्चित करब जे ओ व्यक्ति, जिनकर अनुशंसा कएल गेल अछि सक्षम ओ सत्यनिष्ठ छथि ।

124ग. कानून बनएबाक संसदक शक्ति-संसद, विधि द्वारा, भारतक मुख्य न्यायमूर्ति ओ उच्चतम न्यायालयक अन्य न्यायाधीश आ उच्च न्यायालयक मुख्य न्यायमूर्ति ओ अन्य न्यायाधीशक नियुक्तिक प्रक्रिया विनियमित कए सकत आ आयोगकेँ विनियम द्वारा ओकर कार्यक निर्वहन, नियुक्तिक लेल व्यक्तिक चयनक प्रक्रिया आ एहन अन्य विषयक लेल, जे ओकरा द्वारा आवश्यक बुझल जाए, प्रक्रिया निर्धारित करबाक लेल सशक्त कए सकत ।]

125. न्यायाधीशक वेतन, आदि-¹[(1) उच्चतम न्यायालयक न्यायाधीशकेँ एहन वेतन देल जाएत जे संसद, विधि द्वारा, निश्चित करए आओर जाधरि एहि निमित्त एहि तरहें उपबंध नहि कएल जाइत अछि ताधरि एहन वेतन देल जाएत जे दोसर अनुसूचीमे निर्दिष्ट अछि ।]

(2) प्रत्येक न्यायाधीश एहन विशेषाधिकार ओ भत्ता आ अनुपस्थिति-छुट्टी आओर पेंशनक संबंधमे एहन अधिकारक, जे संसद द्वारा बनाओल गेल विधि द्वारा वा ओकर अधीन समय-समय पर निश्चित कएल जाए आओर जाधरि एहि तरहें निश्चित नहि कएल जाइत अछि ताधरि एहन विशेषाधिकार, भत्ता आओर अधिकारक जे दोसर अनुसूचीमे निर्दिष्ट अछि, केर अधिकारी होएताह:

¹ संविधान (जीवनम संशोधन) अधिनियम, 1986 केर धारा 2 द्वारा (1-4-1986 सँ) खंड (1) केर स्थान पर प्रतिस्थापित ।

मुदा एहन न्यायाधीशक विशेषाधिकार ओ भत्तामे आ अनुपस्थिति-छुट्टी वा पेंशनक संबधमे ओकर अधिकारमे, ओकर नियुक्तिक पश्चात् ओकरा लेल अलाभकारी परिवर्तन नहि कएल जाएत ।

126. कार्यकारी मुख्य न्यायाधीशक नियुक्ति-जखन भारतक मुख्य न्यायमूर्तिक पद रिक्त हो, वा जँ मुख्य न्यायमूर्ति, अनुपस्थितिक कारण वा अन्यथा अपन पद केर कर्तव्यक पालन करबाके असमर्थ छथि तखन न्यायालयक अन्य न्यायाधीशमे सँ एहन एक न्यायाधीश जिनका राष्ट्रपति एहि प्रयोजनक लेल नियुक्त करथि, ओहि पदक कर्तव्यक पालन करताह ।

127. तदर्थ न्यायाधीशक नियुक्ति-(1) जँ कोनो समय उच्च न्यायालयक सत्रकें आयोजित करए वा जारी रखबाक लेल ओहि न्यायालयक-न्यायाधीशसँ गणपूर्ति नहि हो त ¹[राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग भारतक मुख्य न्यायमूर्ति द्वारा ओकरा कएल गेल निर्देश पर, राष्ट्रपतिक पूर्व सहमतिसँ] आओर संबंधित उच्च न्यायालयक मुख्य न्यायमूर्तिसँ परामर्श कएलाक पश्चात्, कोनो उच्च न्यायालयक कोनो एहन न्यायाधीशसँ, जे उच्चतम न्यायालयक न्यायाधीश होबए लेल सम्यक रूपसँ अर्हित छथि आओर जकरा भारतक मुख्य न्यायमूर्ति नामित करथि, न्यायालयक बैसारमे ओतबा अवधिक लेल, जतबा आवश्यक हो तदर्थ न्यायाधीशक रूपमे उपस्थित रहबाक लेल लिखित रूपमे अनुरोध कए सकत ।

2. एहि प्रकार नामित न्यायाधीशक कर्तव्य होएत जे ओ अपन पदक अन्य कर्तव्यसँ प्राथमिकता दैत ओहि समय ओ अवधिक लेल, जाहि लेल हुनक उपस्थिति अपेक्षित छनि, उच्चतम न्यायालयक बैसारमे, उपस्थित होथि आ जखन एहि प्रकार उपस्थित होइत छथि तखन हुनका उच्चतम न्यायालयक न्यायाधीशक सभ अधिकार-क्षेत्र, शक्ति ओ विशेषाधिकार होएत आओर ओ उक्त न्यायाधीशक कर्तव्यक निर्वहन करताह ।

128. उच्चतम न्यायालयक बैसारमे सेवानिवृत्त न्यायाधीशक उपस्थिति-एहि अध्यायमे कोनो बातक अछैत, ²[राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग], कोनो समय, राष्ट्रपतिक पूर्व सहमतिसँ कोनो व्यक्तिसँ, जे उच्चतम न्यायालय वा संघीय न्यायालयक न्यायाधीशक पद पर रहल होथि ³[वा जे उच्च न्यायालयक न्यायाधीशक पद पर रहि चुकल होथि आओर उच्चतम न्यायालयक न्यायाधीश नियुक्त होएबाक लेल सम्यक रूपसँ अर्हित अछि,] उच्चतम न्यायालयक न्यायाधीशक रूपमे बैसबाक ओ कार्य करबाक अनुरोध कए सकत आ एहन प्रत्येक व्यक्ति, जिनकासँ एहि प्रकार अनुरोध कएल जाइत अछि, एहि प्रकार बैसबाक ओ काज करबाक मध्य, एहन भत्ताक अधिकारी होएताह जे राष्ट्रपति आदेश द्वारा निश्चित करथि आओर हुनका ओहि न्यायालयक न्यायाधीशक अधिकार क्षेत्र, शक्ति ओ विशेषाधिकार होएत, मुदा हुनका अन्यथा ओहि न्यायालयक न्यायाधीश नहि बुझल जाएत:

¹ संविधान (निनानवेयम संशोधन) अधिनियम, 2014 केर धारा 4 द्वारा (13-4-2015 सँ) “भारतक मुख्य न्यायमूर्ति राष्ट्रपतिक पूर्व सहमति सँ” केर स्थान पर प्रतिस्थापित । ई संशोधन सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट-आन-रिकार्ड एसोसिएशन आओर अन्य **बनाम** भारत संघ ए.आई.आर. 2016 एस. सी.117 वला विषयमे उच्चतम न्यायालयक तिथि 16-10-2015 केर आदेश द्वारा अभिखंडित कए देल गेल अछि ।

² संविधान (निनानवेयम संशोधन) अधिनियम, 2014 केर धारा 5 द्वारा (13-4-2015 सँ) “भारतक मुख्य न्यायमूर्ति,” क स्थान पर प्रतिस्थापित । ई संशोधन सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट-आन-रिकार्ड एसोसिएशन आओर अन्य **बनाम** भारत संघ ए.आई.आर.2016 एस.सी.117 वला विषयमे उच्चतम न्यायालयक तिथि 16-10-2015 केर आदेश द्वारा अभिखंडित कए देल गेल अछि ।

³ संविधान (पन्द्रहम संशोधन) अधिनियम, 1963 केर धारा 3 द्वारा (5-10-1963 सँ) अंतःस्थापित ।

(भाग 5-संघ)

मुदा जाधरि पूर्वोक्त व्यक्ति ओहि न्यायालयक न्यायाधीशक रूपमे बैसबाक ओ काज करबाक सहमति नहि दए दैत छथि ताधरि एहि अनुच्छेदक कोनो बात ओहिसँ एहन करबाक अपेक्षा करएवला नहि बुझल जाएत ।

129. उच्चतम न्यायालयक अभिलेख न्यायालय होएब-उच्चतम न्यायालय अभिलेख न्यायालय होएत आ ओकरा अपन अवमाननाक लेल दंड देबाक शक्ति सहित एहन न्यायालयक सभ शक्ति होएतैक ।

130. उच्चतम न्यायालयक स्थान-उच्चतम न्यायालय दिल्लीमे वा एहन अन्य स्थान वा स्थान सभ पर काज कए सकत जतए भारतक मुख्य न्यायमूर्ति, राष्ट्रपतिक अनुमोदनसँ समय-समय, पर निश्चित करथि ।

131. उच्चतम न्यायालयक आरंभिक अधिकार क्षेत्र-एहि संविधानक उपबंधक अधीन रहैत, -

(क) भारत सरकार आओर एक वा एकाधिक राज्यक मध्य, वा

(ख) एक दिस भारत सरकार आ संगहि कोनो प्रदेशक वा एकाधिक प्रदेश आओर दोसर दिस एक वा एकाधिक प्रदेशक मध्य, वा

(ग) दू वा दू सँ अधिक प्रदेशक मध्य,

कोनो विवादमे, जँ आओर जतए धरि ओहि विवादमे (विधिक वा तथ्यक) एहन कोनो प्रश्न जुटल अछि जाहि पर कोनो विधिक अधिकारक अस्तित्व वा विस्तार निर्भर करैत अछि त' ओ ओतए धरि अन्य न्यायालयक अधिकार क्षेत्रकें कात करैत उच्चतम न्यायालयक आरंभिक अधिकार क्षेत्र होएत:

¹[मुदा उक्त अधिकार क्षेत्रक विस्तार ओहि विवाद पर नहि होएत जे कोनो एहन संधि, समझौता, संविदा, वचनबद्धता, सनद वा ओहि तरहक आन लिखित पत्रसँ उत्पन्न भेल हो जे एहि संविधानक प्रारंभसँ पूर्व कएल गेल छल वा निष्पादित कएल गेल छल आओर एहन प्रारंभक पश्चात् लागू अछि वा जे ई उपबंध करैत अछि जे उक्त अधिकार क्षेत्रक विस्तार एहन विवाद पर नहि होएत]]

²[131क. |**केन्द्रीय कानूनक संवैधानिक वैधतासँ संबंधित प्रश्नक विषयमे उच्चतम न्यायालयक अनन्य अधिकार क्षेत्र II-**संविधान (तैतालिसम संशोधन अधिनियम, 1977 केर धारा 4 द्वारा (13-4-1978)सँ लोप कएल गेल ।

132. कतिपय विषयमे उच्च न्यायालयसँ अपीलमे उच्चतम न्यायालयक अपीलीय अधिकार क्षेत्र-
(1) भारतक राज्यक्षेत्रमे कोनो उच्च न्यायालयक दीवानी, फौजदारी वा अन्य कार्यवाहीमे देल गेल कोनो निर्णय, आज्ञासि वा अंतिम आदेशक अपील उच्चतम न्यायालयमे होएत ³[जँ ओ उच्च न्यायालय अनुच्छेद 134 क केर अधीन प्रमाणित कए दैत अछि] जे ओहि विषयमे एहि संविधानक व्याख्याक विषयमे विधिक कोनो सारगर्भित प्रश्न अंतर्निहित अछि ।

¹ संविधान (सातम संशोधन) अधिनियम, 1956 केर धारा 5 द्वारा (1-11-1956 सँ) परंतु केर स्थान पर प्रतिस्थापित ।

² संविधान (बियालिसम संशोधन) अधिनियम, 1976 केर धारा 23 द्वारा (1-2-1977 सँ) अंतःस्थापित ।

³ संविधान (चौआलिसम संशोधन) अधिनियम, 1978 केर धारा 17 द्वारा (1-8-1979 सँ) “जँ उच्च न्यायालय प्रमाणित करैत अछि” केर स्थान पर प्रतिस्थापित ।

¹(2) *

*

*

*

*

(3) जतए एहन प्रमाणपत्र दए देल गेल अछि ^{2***} ओतए ओहि विषयमे कोनो पक्ष एहि आधार पर उच्चतम न्यायालयमे अपील कए सकत जे पूर्वोक्त कोनो प्रश्नक निर्णय गलत कएल गेल अछि ^{2***} ।

स्पष्टीकरण-एहि अनुच्छेदक प्रयोजनक लेल, “अंतिम आदेश” पदक अंतर्गत एहन विवादक निर्णय करएवाला आदेश अछि जे, जँ अपीलार्थीक पक्षमे निर्णित कएल जाइत अछि त’ ओहि विषयक अंतिम समाधानक लेल पर्याप्त होएत ।

133. उच्च न्यायालयसँ दीवानी विषयसँ संबंधित अपीलमे उच्चतम न्यायालयक अपीलीय अधिकार क्षेत्र-³[(1) भारतक राज्यक्षेत्रमे कोनो उच्च न्यायालयक दीवानी कार्यवाहीमे देल गेल निर्णय, आज्ञासि वा अंतिम आदेशक अपील उच्चतम न्यायालयमे होएत ⁴[जँ उच्च न्यायालय अनुच्छेद 134 केर अधीन प्रमाणित कए दैत अछि जे]-

(क) ओहि विषयमे विधिक व्यापक महत्वक कोनो सारगर्भित प्रश्न अंतर्निहित अछि; आओर

(ख) उच्च न्यायालयक विचारमे ओहि प्रश्नक उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्णय आवश्यक अछि ।]

(2) अनुच्छेद 132मे कोनो बातक अछैत, उच्चतम न्यायालयमे खंड (1) केर अधीन अपील करएवाला कोनो पक्ष एहन अपीलक आधारमे ई आधारहु बता सकताह जे एहि संविधानक व्याख्याक विषयमे विधिक कोनो सारगर्भित प्रश्नक निर्णय गलत कएल गेल अछि ।

(3) एहि अनुच्छेदमे कोनो बातक अछैत, उच्च न्यायालयक न्यायाधीशक निर्णय, आज्ञासि वा अंतिम आदेशक अपील उच्च न्यायालयमे ताधरि नहि होएत जाधरि संसद विधि द्वारा अन्यथा उपबंध नहि करए ।

134. फौजदारी विषयमे उच्चतम न्यायालयक अपीलीय अधिकार क्षेत्र-(1) भारतक राज्यक्षेत्रमे कोनो उच्च न्यायालयक फौजदारी कार्यवाहीमे देल गेल कोनो निर्णय, अंतिम आदेश वा दंडादेशक अपील उच्चतम न्यायालयमे होएत : जँ-

(क) ओ अपीलमे कोनो अभियुक्त व्यक्तिक दोषमुक्तिक आदेशकेँ उनटि देने हो आओर ओकरा मृत्युदंडादेश देने अछि; वा

(ख) ओहि प्राधिकारक अधीनस्थ कोनो न्यायालयसँ कोनो विषयकेँ विचारक लेल अपना लग मंगा लेने अछि आ एहन विचारोपरान्त अभियुक्त व्यक्तिकेँ दोषी सिद्ध ठहरौने अछि आ ओकरा मृत्यु दंडादेश देने अछि; वा

(ग) ओ उच्च न्यायालय ⁵[अनुच्छेद 134 क केर अधीन प्रमाणित कए दैत अछि] जे मामिला उच्चतम न्यायालयमे अपील करबा योग्य अछि:

¹ संविधान (चौआलिसम संशोधन) अधिनियम, 1978 केर धारा 17 द्वारा (1-8-1979 सँ) “जँ उच्च न्यायालय प्रमाणित करैत अछि” खंड (2) केँ लोप कएल गेल ।

² संविधान (चौआलिसम संशोधन) अधिनियम, 1978 केर धारा 17 द्वारा (1-8-1979 सँ) कतिपय शब्दक लोप कएल गेल ।

³ संविधान (तीसम संशोधन) अधिनियम, 1972 केर धारा 2 द्वारा (27-2-1973 सँ) खंड (1) केर स्थान पर प्रतिस्थापित ।

⁴ संविधान (चौआलिसम संशोधन) अधिनियम, 1978 केर धारा 18 द्वारा (1-8-1979 सँ) “जँ उच्च न्यायालय प्रमाणित करैत अछि” केर स्थान पर प्रतिस्थापित ।

⁵ संविधान (चौआलिसम संशोधन) अधिनियम, 1978 केर धारा 19 द्वारा (1-8-1979 सँ) “प्रमाणित करैत अछि” केर स्थान पर प्रतिस्थापित ।

(भाग 5-संघ)

मुदा उपखंड (ग) केर अधीन एहन उपबंधक अधीन रहैत होएत जे अनुच्छेद 145 केर खंड (1) केर अधीन एहि निमित्त बनाओल जाए आ एहन शर्तक अधीन रहैत होएत जे उच्च न्यायालय निश्चित वा अपेक्षित करए।

(2) संसद विधि द्वारा उच्चतम न्यायालयकेँ भारतक राज्यक्षेत्रमे कोनो उच्च न्यायालयक फौजदारी कार्यवाहीमे देल गेल कोनो निर्णय, अंतिम आदेश वा दंडादेशक अपील एहन शर्त ओ परिसीमाक अधीन रहैत, जे एहन विधिमे निर्दिष्ट कएल जाए, ग्रहण करबाक ओ सुनबाक अतिरिक्त शक्ति दए सकत।

¹134क. उच्चतम न्यायालयमे अपीलक लेल प्रमाण-पत्र-प्रत्येक उच्च न्यायालय, जे अनुच्छेद 132 केर खंड (1) वा अनुच्छेद 133 केर खंड (1) वा अनुच्छेद 134 केर खंड (1) मे निर्दिष्ट निर्णय, आज्ञाप्ति, अंतिम आदेश वा दंडादेश पारित करैत अछि वा दैत अछि, एहि प्रकार पारित कएल जाएबाक पश्चात् यथाशीघ्र, एहि प्रश्नक निर्धारण जे ओहि विषयक संबंधमे, जेहन स्थिति हो, अनुच्छेद 132 केर खंड (1) केर उपखंड (ग) मे निर्दिष्ट प्रकृतिक प्रमाणपत्र देल जाए वा नहि, -

(क) जँ ओ एहन करब उचित बुझैत अछि त' स्वप्रेरणासँ कए सकत; आओर

(ख) जँ एहन निर्णय, आज्ञाप्ति, अंतिम आदेश वा दंडादेश पारित कएल जाएबाक वा कएल जाएबाक ठीक पश्चात्, व्यथित पक्ष द्वारा वा ओकरा दिससँ, मौखिक आवेदन देल जाइत अछि, तखन करत।]

135. विद्यमान कानूनक अधीन संघीय न्यायालयक अधिकार क्षेत्र आओर शक्तिक उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रयोग कएल जाएब-जाधरि संसद विधि द्वारा अन्यथा उपबंध नहि करए ताधरि उच्चतम न्यायालयहुँ कोनो एहन विषयक संबंधमे जाहिपर अनुच्छेद 133 वा अनुच्छेद 134 केर उपबंध लागू नहि होएत जँ ओहि विषयक संबंधमे एहि संविधानक प्रारंभसँ ठीक पूर्व कोनो विद्यमान विधिक अधीन अधिकार क्षेत्र ओ शक्ति संघीय न्यायालय द्वारा प्रयुक्त छल।

136. अपीलक लेल उच्चतम न्यायालयक विशेष अनुमति-(1) एहि अध्यायमे कोनो बातक अछैत, उच्चतम न्यायालय विवेकानुसार भारतक राज्यक्षेत्रमे कोनो न्यायालय वा अधिकरण द्वारा कोनो वाद वा विषयमे पारित कएल गेल वा देल गेल कोनो निर्णय, आज्ञाप्ति, अवधारण, दंडादेश वा आदेशक अपीलक लेल विशेष अनुमति दए सकत।

(2) खंड (1) केर कोनो बात सशस्त्रबलसँ संबंधित कोनो विधि द्वारा वा ओकर अधीन गठित कोनो न्यायालय वा अधिकरण द्वारा पारित कएल गेल वा देल गेल निर्णय, अवधारण, दंडादेश वा आदेश पर लागू नहि होएत।

137. निर्णय वा आदेशक उच्चतम न्यायालय द्वारा पुनरावलोकन-संसद द्वारा बनाओल गेल कोनो विधि केर वा अनुच्छेद 145 केर अधीन बनाओल गेल नियमक उपबंधक अधीन रहैत, उच्चतम न्यायालयकेँ अपना द्वारा सुनाओल गेल निर्णय वा देल गेल आदेशक पुनर्विलोकन करबाक शक्ति होएत।

¹ संविधान (चौआलिसम संशोधन) अधिनियम, 1978 केर धारा 20 द्वारा (1-8-1979 सँ) अंतःस्थापित।

138. उच्चतम न्यायालयक अधिकार क्षेत्रक वृद्धि-(1) उच्चतम न्यायालयक संघ सूचीक विषयमे सँ कोनोक संबंधमे एहन अतिरिक्त अधिकार क्षेत्र ओ शक्ति होएत जे भारत सरकार द्वारा विशेष समझौतासँ देल जाए।

139. किछु विशिष्ट याचिकाकें निकालबाक शक्ति उच्चतम न्यायालयकें प्रदत्त कएल जाएब-संसद विधि द्वारा उच्चतम न्यायालयक अनुच्छेद 32 केर खंड (2)मे वर्णित प्रयोजनसँ भिन्न कोनो प्रयोजनक लेल एहन निदेश, आदेश वा रिट, जकर अंतर्गत *बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार पुच्छा आ उत्प्रेषण* रिट अछि, वा एहिमे सँ कोनो निर्गत करबाक शक्ति देल जा सकत।

¹[**139क. कतिपय विषयक अंतरण-**²[(1) जँ एहन विषय, जाहिमे विधिक समान वा सारगर्भित रूपेँ समान प्रश्न अंतर्निहित अछि, उच्चतम न्यायालय एवं एक वा एकाधिक उच्च न्यायालयक आ दू वा अधिक उच्च न्यायालयक समक्ष लंबित अछि आओर उच्चतम न्यायालयक स्वप्रेरणासँ आ भारतक महान्यायावादी द्वारा कएल गेल आवेदन पर ओ संतुष्ट भए जाइत अछि जे एहन प्रश्न व्यापक महत्त्वक सारगर्भित प्रश्न अछि त', उच्चतम न्यायालय ओहि उच्च न्यायालय वा ओहि उच्च न्यायालय सभक समक्ष लंबित विषय वा विषय सभकें अपना लग मंगा सकत आओर ओहि सभ विषयक स्वयं समाधान कए सकत।

मुदा जँ उच्चतम न्यायालय एहि तरहें मंगाओल गेल विषयकें उक्त विधिक प्रश्नक निश्चित करबाक पश्चात् एहन प्रश्न पर अपन निर्णयक प्रतिलिपि सहित ओहि उच्च न्यायालयकें, जाहिसँ ओ विषय मंगा लेल गेल अछि घुरा सकत आओर ओ उच्च न्यायालय ओकरा भेटला पर ओहि विषयकें एहन निर्णयक अनुरूप समाधानक लेल आगू कार्यवाही करत।]

(2) जँ उच्चतम न्यायालय न्यायक उद्देश्यक पूर्तिक लेल एना करब समीचीन बुझैत अछि तँ ओ कोनो उच्च न्यायालयक समक्ष लंबित कोनो विषय, अपील वा अन्य कार्यवाहीक अंतरण कोनो अन्य उच्च न्यायालयकें कए सकत।]

140. उच्चतम न्यायालयक आनुषंगिक शक्ति-संसद, विधि द्वारा, उच्चतम न्यायालयकें एहन अनुपूरक शक्ति देबाक उपबंध कए सकत जे एहि संविधानक उपबंधमे सँ कोनोसँ असंगत नहि हो आओर जे ओहि न्यायालयक एहि संविधान द्वारा वा एकर अधीन प्रदत्त अधिकार क्षेत्रकें अधिक प्रभावी रूपेँ प्रयोग करबाक योग्य बनएबाक लेल आवश्यक वा वांछनीय बुझए।

¹ संविधान (बियालिसम संशोधन) अधिनियम, 1976 केर धारा 24 द्वारा (1-2-1977 सँ) अंतःस्थापित।

² संविधान (चौआलिसम संशोधन) अधिनियम, 1978 केर धारा 21 द्वारा (1-8-1979 सँ) खंड (1) केर स्थान पर प्रतिस्थापित।

(भाग 5-संघ)

141. उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित कानूनकें सभ न्यायालय पर बंधनकारी होएब-उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित विधि भारतक राज्यक्षेत्रक अंतर्गत सभ न्यायालय पर बंधनकारी होएत ।

142. उच्चतम न्यायालयक आज्ञा आओर आदेशक प्रवर्तन ओ प्रकटीकरण आदिक आदेश-(1) उच्चतम न्यायालयक अपन अधिकार क्षेत्रक प्रयोग करैत एहन आज्ञा पारित कए सकत वा एहन आदेश कए सकत जे ओकर समक्ष लंबित कोनो वाद वा विषयमे पूर्ण न्याय करबाक लेल आवश्यक हो, आओर एहि तरहें पारित आज्ञा वा कएल गेल आदेश भारतक राज्यक्षेत्रमे सर्वत्र एहन प्रक्रियासँ, जे संसद द्वारा बनाओल गेल विधि द्वारा वा ओकर अधीन विहित कएल जाए, आओर जाधरि एहि निमित्त एहि प्रकारक उपबंध नहि कएल जाइत अछि ताधरि एहन प्रक्रियासँ जे राष्ट्रपतिक आदेश¹ द्वारा विहित करए, लागू होएत ।

(2) संसद द्वारा एहि निमित्त बनाओल गेल कोनो विधिक उपबंधक अधीन रहैत, उच्चतम न्यायालयकें भारतक संपूर्ण राज्यक्षेत्रक विषयमे कोनो व्यक्तिकें प्रस्तुत करएबाक, कोनो दस्तावेजक प्रकटीकरण वा प्रस्तुत करएबाक वा अपन कोनो अवमानक अन्वेषण करबा वा दंड देबाक प्रयोजनक लेल कोनो आदेश करबाक प्रत्येक ओ समस्त शक्ति होएत ।

143. उच्चतम न्यायालयसँ परामर्श करबाक राष्ट्रपतिक शक्ति-(1) जँ कोनो समय राष्ट्रपतिकें आभास होइत छनि जे विधि वा तथ्यक एहन कोनो प्रश्नक उत्पत्ति होएबाक संभावना अछि जे एहन प्रकृतिक आ एहन व्यापक महत्त्वक अछि जे ओहि पर उच्चतम न्यायालयक विचार लेब समीचीन होएत, त' ओ ओहि प्रश्नक विचार करबाक लेल ओहि न्यायालयकें निर्देशित कए सकताह आओर ओ न्यायालय, एहन सुनवाईक पश्चात् जे ओकरा ठीक बुझए, राष्ट्रपतिकें ओहि विषय पर अपन विचार संप्रेषित कए सकताह ।

(2) राष्ट्रपति अनुच्छेद 131² केर परंतुक मे कोनो बातक अछैत, एहि तरहक विवादक, जे³[उक्त परंतुक] मे वर्णित अछि, विचार देबाक लेल उच्चतम न्यायालयकें निर्देशित कए सकताह आओर उच्चतम न्यायालय एहन सुनवाईक पश्चात् जे ओ ठीक बुझैत अछि, राष्ट्रपतिकें ओहि पर अपन विचार संप्रेषित करताह ।

144. सिविल आओर न्यायिक प्राधिकारी द्वारा उच्चतम न्यायालयक सहायतामे काज कएल जाएब-भारतक राज्यक्षेत्रक सभ सिविल आओर न्यायिक प्राधिकारी उच्चतम न्यायालयक सहायतार्थ काज करताह ।

⁴**144क. [विधिक संवैधानिक वैधतासँ संबंधित प्रश्नकें निपटएबाक लेल विशेष उपबंध ।]-**संविधान (तैंतालिसम संशोधन) अधिनियम, 1977 केर धारा 5 द्वारा (13-4-1978सँ) लोप कएल गेल ।

145. न्यायालयक नियम आदि-(1) संसद द्वारा बनाओल गेल कोनो विधिक उपबंधक अधीन रहैत, उच्चतम न्यायालय समय-समय पर राष्ट्रपतिक अनुमोदनसँ न्यायालयक पद्धति ओ प्रक्रियाकें, सामान्यतः, विनियमनक लेल नियम बना सकत जकर अंतर्गत निम्नलिखित सेहो अछि, अर्थात् :-

(क) ओहि न्यायालयमे विधि-व्यवसाय करएवला व्यक्तिक विषयमे नियम;

¹ उच्चतम न्यायालय (आज्ञा आओर आदेश) प्रवर्तन आदेश, 1954 (सं.आ.47) देखू ।

² संविधान (सातम संशोधन) अधिनियम, 1956 केर धारा 29 आओर अनुसूची द्वारा (1-11-1956 सँ) “केर खंड (i)” शब्द, कोष्ठक आओर अंकक लोप कएल गेल ।

³ संविधान (सातम संशोधन) अधिनियम, 1956 केर धारा 29 आओर अनुसूची द्वारा (1-11-1956 सँ) “उक्त खंड” केर स्थान पर प्रतिस्थापित ।

⁴ संविधान (बियालिसम संशोधन) अधिनियम, 1976 केर धारा 25 द्वारा (1-2-1977 सँ) अंतःस्थापित ।

भारतक संविधान

(भाग 5-संघ)

(ख) अपील सुनबाक लेल प्रक्रियाक विषयमे आओर अपील संबंधी अन्य विषय, जकर अंतर्गत ओ समय सेहो अछि जाहि भीतर अपील ओहि न्यायालयमे कएल जएबाक अछि, नियम;

(ग) भाग 3 द्वारा प्रदत्त अधिकारमे सँ कोनो केँ लागू करएबाक लेल ओहि न्यायालयमे कार्यवाहीक विषयमे नियम;

¹[(गग) ²[अनुच्छेद 139क] केर अधीन ओहि न्यायालयमे कार्यवाहीक विषयमे नियम;]

(घ) अनुच्छेद 134 केर खंड (1) केर उपखंड (ग) केर अधीन अपील कएल जएबाक विषयमे नियम;

(ङ) ओहि न्यायालय द्वारा सुनाओल गेल कोनो निर्णय वा कएल गेल आदेशक, जाहि शर्तक अधीन रहैत पुनर्विलोकन कएल जा सकत ओहि विषयमे आओर एहन पुनर्विलोकनक लेल प्रक्रियाक विषयमे जाहि अंतर्गत ओ समय सम्मिलित अछि जाहि भीतर एहन पुनर्विलोकनक लेल आवेदन ओहि न्यायालयमे कएल जएबाक अछि, नियम;

(च) ओहि न्यायालयमे कोनो कार्यवाहीक आ ओकर आनुषंगिक खर्चक विषयमे आ ओहिमे कार्यवाहीक संबंधमे लगाओल जाएवला शुल्कक विषयमे नियम;

(छ) जमानत स्वीकार करबाक विषयमे नियम;

(ज) कार्यवाहीकेँ रोकबाक विषयमे नियम;

(झ) जाहि अपीलक विषयमे ओहि न्यायालयकेँ ई आभास होइत छैक जे ओ तुच्छ वा तंग करएवला वा विलम्ब करएबाक प्रयोजनसँ कएल गेल अछि, ओकर संक्षिप्त निर्धारणक लेल उपबंध करएवला नियम;

(ञ) अनुच्छेद 317 केर खंड (1)मे निर्दिष्ट जाँचक लेल प्रक्रियाक विषयमे नियम ।

(2) ³[⁴*** खंड (3) केर उपबंध] केर अधीन रहैत, एहि अनुच्छेदक अंतर्गत बनाओल गेल नियम ओहि न्यायाधीशक न्यूनतम संख्या निश्चित कए सकत जे कोनो प्रयोजनक लेल बैसताह आ एकल न्यायाधीश ओ खंड न्यायालयक शक्तिक लेल उपबंध कए सकत ।

(3) जाहि विषयमे एहि संविधानक विवेचनक विषयमे विधिक कोनो सारगर्भित प्रश्न अंतर्निहित अछि ओकर निर्णय करबाक प्रयोजनसँ वा एहि संविधानक अनुच्छेद 143 केर अधीन निर्देशक सुनवाई करबाक प्रयोजनक लेल बैसए वला न्यायाधीशक ⁵[⁴*** न्यूनतम संख्या] पाँच होएत:

¹ संविधान (बियालिसम संशोधन) अधिनियम, 1976 केर धारा 26 द्वारा (1-2-1977 सँ) अंतःस्थापित ।

² संविधान (तैतालिसम संशोधन) अधिनियम, 1977 केर धारा 6 द्वारा (13-4-1978 सँ) “अनुच्छेद 131 ‘क’ आओर अनुच्छेद 139 ‘क’” केर स्थान पर प्रतिस्थापित ।

³ संविधान (बियालिसम संशोधन) अधिनियम, 1976 केर धारा 26 द्वारा (1-2-1977 सँ) “खंड (3) केर उपबंध” केर स्थान पर प्रतिस्थापित ।

⁴ संविधान (तैतालिसम संशोधन) अधिनियम, 1977 केर धारा 6 द्वारा (13-4-1978 सँ) कतिपय शब्दक लोप कएल गेल ।

⁵ संविधान (बियालिसम संशोधन) अधिनियम, 1976 केर धारा 26 द्वारा (1-2-1977 सँ) “न्यूनतम संख्या” केर स्थान पर प्रतिस्थापित ।

मुदा जतए अनुच्छेद 132सँ भिन्न एहि अध्यायक उपबंधक अधीन अपीलक सुनवाई करएवला न्यायालय पाँच सँ कम न्यायाधीशसँ मिलिकए बनल अछि आओर अपीलक सुनवाईक मध्य ओ न्यायालय संतुष्ट भए जाइत अछि जे अपीलमे संविधानक विवेचनाक विषयमे विधिक एहन सारगर्भित प्रश्न अंतर्निहित अछि जकर निर्धारित अपीलक समाधानक लेल आवश्यक अछि ओतए ओ न्यायालय एहन प्रश्नकेँ ओहि न्यायालयकेँ, जे एहि प्रश्नके अंतर्निहित करएवला कोनो विषयक निर्णयक लेल एहि खंडक अपेक्षानुसार गठित कएल जाइत अछि, ओहिसँ विचारक लेल निर्देशित करत आ एहि विचारक भेटबाक उपरान्त ओहि अपीलकेँ ओहि विचारक अनुरूप समाधान करत ।

(4) उच्चतम न्यायालय प्रत्येक निर्णय मुक्त न्यायालयहिमे सुनाओत, अन्यथा नहि आओर अनुच्छेद 143 केर अधीन प्रत्येक प्रतिवेदन मुक्त न्यायालयमे सुनाओल गेल विचारक अनुरूपहि देल जाएत, अन्यथा नहि ।

(5) उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रत्येक निर्णय आओर एहन प्रत्येक विचार, विषयक सुनवाईमे उपस्थित न्यायाधीशक बहुमतक सहमतिसँ देल जाएत, अन्यथा नहि, मुदा एहि खंडक कोनो एहन न्यायाधीशकेँ, जे बहुमतक सहमतिसँ असहमत छथि, अपन असहमति राखएवला निर्णय वा विचार देबासँ वर्जित नहि करत ।

146. उच्चतम न्यायालयक अधिकारी आओर सेवक एवं व्यय-(1) उच्चतम न्यायालयक अधिकारी ओ सेवकक नियुक्ति भारतक मुख्य न्यायमूर्ति करताह वा ओहि न्यायालयक एहन अन्य न्यायाधीश वा अधिकारी करताह जकरा ओ निर्दिष्ट करथि;

मुदा राष्ट्रपति, नियमसँ ई अपेक्षा रखताह जे एहन कोनो अवस्थामे जे नियममे निर्दिष्ट कएल जाए, कोनो एहन व्यक्तिकेँ, जे पूर्वहिसँ न्यायालयसँ संलग्न नहि अछि, न्यायालयसँ संबंधित कोनो पद पर संघ लोक सेवा आयोगसँ परामर्श कएलाक बादहि नियुक्त कएल जाएत अन्यथा नहि ।

(2) संसद द्वारा बनाओल गेल विधिक उपबंधक अधीन रहैत, उच्चतम न्यायालयक अधिकारी ओ सेवकक, सेवा शर्त एहन होएत जे भारतक मुख्य न्यायमूर्ति वा ओहि न्यायालयक एहन अन्य न्यायाधीश वा अधिकारी, जकरा भारतक मुख्य न्यायमूर्ति एहि प्रयोजनक लेल नियम बनएबाक लेल अधिकृत कएने छथि, बनाओल गेल नियम द्वारा विहित कएल जाए:

मुदा एहि खंडक अधीन बनाओल गेल नियमक लेल, जतए धरि ओ वेतन, भत्ता, छुट्टी वा पेंशनसँ संबंधित अछि, राष्ट्रपतिक अनुमोदनक अपेक्षा होएत ।

(3) उच्चतम न्यायालयक प्रशासनिक व्यय, जकरा अंतर्गत ओहि न्यायालयक भारतक संचित निधि पर भारित होएत आ ओहि न्यायालय द्वारा लेल गेल शुल्क आओर अन्य धनराशि ओहि निधिक हिस्सा होएत ।

147. विवेचन-एहि अध्यायमे आओर भाग 6 केर अध्याय 5 मे एहि संविधानक विवेचनाक विषयमे विधिक कोनो सारगर्भित प्रश्नक प्रति निर्देशक ई अर्थ लगाओल जाएत जे ओहि अंतर्गत भारत शासन अधिनियम, 1935 केर (जाहि अंतर्गत ओहि अधिनियमक संशोधक वा अनुपूरक कोनहुँ अधिनियमित अछि) वा कोनो सपरिषद आदेश वा ओकर अधीन बनाओल गेल कोनो आदेशक भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, 1947 केर वा ओकर अधीन बनाओल गेल कोनो आदेशक विवेचनक विषयमे विधिक कोनो सारगर्भित प्रश्नक प्रति निर्देश अछि।

अध्याय 5 भारतक नियंत्रक-महालेखापरीक्षक

148 भारतक नियंत्रक-महालेखापरीक्षक-(1) भारतमे एक नियंत्रक-महालेखापरीक्षक होएत जिनका राष्ट्रपति अपन हस्ताक्षर ओ मोहर सहित अधिपत्र द्वारा नियुक्त करताह आओर हुनका ओहि पदसँ मात्र ओहि प्रक्रियासँ आओर ओहि आधार पर हटाओल जाएत जाहि प्रक्रियासँ आओर जाहि आधार पर उच्चतम न्यायालयक न्यायाधीशकेँ हटाओल जाइत छन्हि।

(2) प्रत्येक व्यक्ति, जे भारतक नियंत्रक-महालेखापरीक्षक नियुक्त कएल जाइत छथि अपन पद ग्रहण करएसँ पूर्व, राष्ट्रपति वा हुनका द्वारा एहि निमित्त नियुक्त व्यक्तिक समक्ष, तेसर अनुसूचीमे एहि प्रयोजनक लेल देल गेल प्रारूपक अनुसार, शपथ लेताह वा प्रतिज्ञा करताह आओर ओहि पर अपन हस्ताक्षर करताह।

(3) नियंत्रक-महालेखापरीक्षक केर वेतन आओर सेवाक अन्य शर्त एहन होएत जे संसद, विधि द्वारा, निश्चित करए आओर जाधरि ओ एहि तरहँ निर्धारित नहि कएल जाइत अछि ताधरि एहन होएत जे दोसर अनुसूचीमे निर्दिष्ट अछि : नियंत्रक-महालेखापरीक्षकक वेतनमे आओर अनुपस्थिति छुट्टी, पेंशन वा सेवा निवृत्तिक आयुक संबंधमे हुनक अधिकारमे हुनक नियुक्तिक पश्चात् हुनका लेल अलाभकारी परिवर्तन नहि कएल जाएत।

(4) नियंत्रक-महालेखापरीक्षक, अपन पदसँ निवृत्त होएबाक पश्चात्, भारत सरकार वा कोनो प्रदेशक सरकारक अधीन कोनो आन पदक पात्र नहि होएताह।

(5) एहि संविधानक आओर संसद द्वारा बनाओल गेल कोनो विधिक उपबंधक अधीन रहैत, भारतीय लेखापरीक्षक ओ लेखा विभागमे सेवा देबएवला व्यक्तिक सेवाशर्त आओर नियंत्रक-महालेखापरीक्षकक प्रशासनिक शक्ति एहन होएत जे नियंत्रक-महालेखापरीक्षकसँ परामर्श करबाक पश्चात् राष्ट्रपति द्वारा बनाओल गेल नियम द्वारा विहित कएल जाए।

(6) नियंत्रक-महालेखापरीक्षकक कार्यालयक प्रशासनिक व्यय, जाहि अंतर्गत ओहि कार्यालयमे सेवा करएवला व्यक्तिकेँ वा ओकर संबंधमे देय सभ वेतन, भत्ता आओर पेंशन अछि, भारतक संचित निधिसेँ देल जाएत।

149. नियंत्रक-महालेखापरीक्षकक कर्तव्य ओ शक्ति-नियंत्रक-महालेखापरीक्षक संघक आओर प्रदेशक आ कोनो अन्य प्रधिकारी वा निकायक लेखाक संबंधमे एहन कर्तव्यक पालन आओर एहन शक्तिक प्रयोग करताह जकरा संसद द्वारा बनाओल गेल विधि द्वारा वा ओकर अधीन विहित कएल जाए आओर जाधरि एहि निमित्त एहि तरहेँ उपबंध नहि कएल जाइत अछि ताधरि, संघक ओ प्रदेशक लेखाक संबंधमे एहन कर्तव्यक पालन आओर एहन शक्तिक प्रयोग करत जे एहि संविधानक प्रारंभसँ ठीक पूर्व क्रमशः भारत अधिक्षेत्रक आओर प्रांतक लेखाक संबंधमे भारतक महालेखा-परीक्षककेँ देल गेल छल वा हुनका द्वारा प्रयोग कएल जाइत छल ।

¹[**150 संघ आओर राज्यक लेखा केर प्रारूप-**संघक आओर प्रदेशक लेखाकेँ एहन प्रारूपमे राखल जाएत जे राष्ट्रपति, भारतक नियंत्रक-महालेखापरीक्षक ²[केर परामर्शसँ] विहित करए ।]

151. अंकेक्षण प्रतिवेदन-(1) भारतक नियंत्रक-महालेखापरीक्षककेँ संघक लेखा संबंधी प्रतिवेदनकेँ राष्ट्रपतिक समक्ष प्रस्तुत कएल जाएत, जे ओकरा संसदक दुनू सदनक समक्ष रखबौताह ।

(2) भारतक नियंत्रक-महालेखापरीक्षक केर कोनो प्रदेशक लेखा संबंधी प्रतिवेदनकेँ ओहि प्रदेशक राज्यपाल ³*** केर समक्ष प्रस्तुत कएल जाएत, जे ओकरा प्रदेशक विधान-मंडलक समक्ष रखबौताह ।

¹ संविधान (बियालिसम संशोधन) अधिनियम, 1976 केर धारा 27 द्वारा (1-4-1977 सँ) “अनुच्छेद 150” केर स्थान पर प्रतिस्थापित ।

² संविधान (चौआलिसम संशोधन) अधिनियम, 1978 केर धारा 22 द्वारा (20-6-1979 सँ) “सँ परामर्शक पश्चात्” केर स्थान पर प्रतिस्थापित ।

³ संविधान (सातम संशोधन) अधिनियम, 1956 केर धारा 29 आओर अनुसूची द्वारा (1-11-1956 सँ) “वा राजप्रमुख” शब्दक लोप कएल गेल ।

भाग-6

राज्य^{1***}

अध्याय 1-सामान्य

152. परिभाषा-एहि भागमे, जाधरि कि संदर्भसँ अन्यथा अपेक्षित नहि हुए, “राज्य” पद² [केर अंतर्गत जम्मू-कश्मीर राज्य नहि अछि] ।

अध्याय 2-कार्यपालिका

राज्यपाल

153. राज्य सभक राज्यपाल-प्रत्येक राज्यक लेल एक राज्यपाल होएत: ³[मुदा एहि अनुच्छेदक कोनो बात एकहि व्यक्तिकेँ दू वा दूसँ बेसी राज्यक लेल राज्यपाल नियुक्त करबासँ नहि रोकत ।]

154. राज्यक कार्यपालिका शक्ति-(1) राज्यक कार्यपालिका शक्ति राज्यपालमे निहित होएत आओर ओ एकर प्रयोग एहि संविधानक अनुरूप स्वयं वा अपन अधीनस्थ अधिकारीक माध्यमे करत ।

(2) एहि अनुच्छेदक कोनो बात-

(क) कोनो विद्यमान विधि द्वारा कोनो अन्य प्राधिकारीकेँ प्रदान कएल गेल कार्य राज्यपालकेँ प्रदत्त करएवाला नहि बुझल जाएत : वा

(ख) राज्यपालक अधीनस्थ कोनो प्राधिकारीकेँ विधि द्वारा कार्य प्रदान करबासँ संसद वा राज्यक विधान-मंडलकेँ रोकत नहि ।

155. राज्यपालक नियुक्ति-राज्यक राज्यपालकेँ राष्ट्रपति अपन हस्ताक्षर आओर मोहर सहित अधिपत्र द्वारा नियुक्त करत ।

156. राज्यपालक पदावधि-(1) राज्यपाल, राष्ट्रपतिक प्रसादपर्यन्त पद धारण करत ।

(2) राज्यपाल, राष्ट्रपतिकेँ संबोधित अपन हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपन पद त्याग क' सकत ।

(3) एहि अनुच्छेदक पूर्वगामी उपबंधक अधीन रहैत, राज्यपाल अपन पदग्रहणक तिथिसँ पाँच वर्षक अवधि धरि पद धारण करत :

¹ संविधान (सातम संशोधन) अधिनियम, 1956 केर धारा 29 आओर अनुसूची केर माध्यमे (1-11-1956 सँ) “पहिल अनुसूचीक भाग ‘क’ मे केर” शब्द सभक लोप कएल गेल ।

² संविधान (सातम संशोधन) अधिनियम, 1956 केर धारा 29 आओर अनुसूची केर माध्यमे (1-11-1956 सँ) “केर अर्थ पहिल अनुसूचीक भाग ‘क’ मे उल्लिखित राज्य अछि” केर स्थान पर प्रतिस्थापित ।

³ संविधान (सातम संशोधन) अधिनियम, 1956 केर धारा 6 केर माध्यमे (1-11-1956 सँ) जोड़ल गेल ।

भारतक संविधान

(भाग 6-राज्य)

मुदा राज्यपाल, अपन पदक अवधि समाप्त भओ गेला पर, ताधरि पद धारण करैत रहताह जाधरि हुनक उत्तराधिकारी अपन पदग्रहण नहि क' लैत अछि ।

157. राज्यपाल नियुक्त होएबाक अर्हता—कोनो व्यक्ति राज्यपाल नियुक्त होएबाक पात्र तखनहि होएताह जखन ओ भारतक नागरिक होथि आओर पैतीस वर्षक आयु पूरा क' चुकल होथि ।

158. राज्यपाल पदक लेल शर्त—(1) राज्यपाल संसदक कोनो सदनक वा पहिल अनुसूचीमे विनिर्दिष्ट कोनो राज्यक विधान-मंडलक कोनो सदनक सदस्य नहि होएताह आओर जँ संसदक कोनो सदन वा एहन कोनो राज्यक विधान-मंडलक कोनो सदनक कोनो सदस्य राज्यपाल नियुक्त भ' जाइत छथि तँ ई बुझल जाएत जे ओ ओहि सदनमे अपन स्थान राज्यपालक रूपमे अपन पदग्रहणक तिथिसँ रिक्त क' देलनि अछि ।

(2) राज्यपाल आन कोनो लाभक पद धारण नहि करताह ।

(3) राज्यपाल, बिनु किराया देने, अपन शासकीय निवासक उपयोगक हकदार होएताह आओर एहन उपलब्धि सब, भत्ता आओर विशेषाधिकार सेहो, जे संसद, विधिक माध्यमे, सुनिश्चित करैत अछि आओर ताधरि एहि निमित्त एहि प्रकार कोनो उपबंध नहि कएल जाइत अछि ताधरि एहन उपलब्धि सब, भत्ता आओर विशेषाधिकारक, जे दोसर अनुसूचीमे विनिर्दिष्ट अछि ओकर हकदार होएताह ।

¹[(3क) जतए एकहि व्यक्तिकें दू वा दूसँ बेसी राज्यक राज्यपाल नियुक्त कएल जाइत अछि, ओतए ओहि राज्यपालक भुगतन उपलब्धि सब आओर भत्ता ओहि राज्यक बीच एहन अनुपातमे आवंटित कएल जाएत जे राष्ट्रपति आदेशक माध्यमे सुनिश्चित करथि ।]

(4) राज्यपालक उपलब्धि आओर भत्ता हुनक पदावधिक समयमे कम नहि कएल जाएत ।

159. राज्यपाल द्वारा शपथ वा प्रतिज्ञान—प्रत्येक राज्यपाल आओर प्रत्येक व्यक्ति जे राज्यपालक कार्यक निर्वहन क' रहल छथि, अपन पदग्रहण करबासँ पहिने ओहि राज्यक संबंधमे अधिकारिताक प्रयोग करएवला उच्च न्यायालयक मुख्य न्यायमूर्ति वा हुनक अनुपस्थितिमे ओहि न्यायालयमे उपलब्ध वरिष्ठतम न्यायाधीशक समक्ष निम्नलिखित प्रारूपमे शपथ लेताह वा प्रतिज्ञान करताह आओर ओहि पर अपन हस्ताक्षर करताह, अर्थात :-

ईश्वरक शपथ लैत छी

“हम, अमुक जे हम श्रद्धापूर्वक (*राज्यक नाम*)क

सत्यनिष्ठासँ प्रतिज्ञान करैत छी

राज्यपालक पदक कार्यपालन (अथवा राज्यपालक कार्यक निर्वहन) करब एवं अपन पूर्ण योग्यतासँ संविधान आओर विधिक परिरक्षण, संरक्षण आओर प्रतिरक्षण करब आओर हम (*राज्यक नाम*)क जनताक सेवा आओर कल्याणमे निरंतर लागल रहब ।”

¹ संविधान (सातम संशोधन) अधिनियम, 1956 केर धारा 7 केर द्वारा (1-11-1956 सँ) अंतःस्थापित ।

160. किछु आकस्मिक परिस्थिति सभमे राज्यपालक कार्यक निर्वहन-राष्ट्रपति एहन कोनो आकस्मिक स्थिति सभमे, जे एहि अध्यायमे उपबंधित नहि अछि, राज्यक राज्यपालक कार्यक निर्वहनक हेतु एहन उपबंध क' सकताह जे ओ ठीक बुझैत छथि ।

161. क्षमा आदि एवं किछु विशिष्ट स्थितिमे दंडादेशक निलंबन, परिहार वा लघुकरण करबाक राज्यपालक शक्ति-कोनो राज्यक राज्यपालकें ओहि विषय संबंधी जाहि विषय पर ओहि राज्यक कार्यपालिका शक्तिक विस्तार अछि, कोनो विधिक विरुद्ध, कोनो अपराधक हेतु सिद्धदोष ठहराओल गेल कोनो व्यक्तिक दंडक क्षमा, ओकर प्रतिलंबन, विराम वा परिहार करबाक अथवा दंडादेशमे निलंबन, परिहार वा लघुकरण करबाक शक्ति निहित होएत ।

162. राज्यक कार्यपालिका शक्तिक विस्तार-एहि संविधानक उपबंधक अधीन रहैत कोनो राज्यक कार्यपालिका शक्तिक विस्तार ओहि विषय पर होएत जकर संबंधमे ओहि राज्यक विधान-मंडलक विधि बनएबाक शक्ति अछि ।

मुदा जाहि विषयक संबंधमे राज्यक विधान-मंडल आओर संसदक विधि बनएबाक शक्ति अछि ओहिमे राज्यक कार्यपालिका शक्ति एहि संविधान द्वारा वा संसद द्वारा बनाओल गेल कोनो विधि द्वारा, संघ वा ओकर प्राधिकारीकें अभिव्यक्त रूपसँ प्रदत्त कार्यपालिका शक्तिक अधीन आओर ओहिसँ परिसीमित रहत ।

मंत्रि परिषद

163. राज्यपालकें सहायता आओर सलाह देबाक लेल मंत्रि-परिषद-(1) जाहि बातमे एहि संविधान द्वारा वा एकर अधीन राज्यपालसँ ई अपेक्षित अछि जे ओ अपन कार्य वा ओहिमे सँ ककरो अपन विवेकानुसार करथि, ओहि बातकें छोड़िकए राज्यपालकें अपन कार्यक प्रयोग करबामे सहायता आओर सलाह देबाक लेल एक मंत्रि-परिषद होएत जकर प्रधान, मुख्यमंत्री होएताह ।

(2) जँ कोनो प्रश्न उठैत अछि जे कोनो विषय एहन अछि वा नहि जकर संबंधमे एहि संविधान द्वारा वा एकर अधीन राज्यपालसँ ई अपेक्षित अछि जे ओ अपन विवेकानुसार कार्य करए तँ राज्यपालक अपन विवेकानुसार कएल गेल निर्णय अन्तिम होएत आओर राज्यपाल द्वारा कएल गेल कोनो बातक विधिमान्यता एहि आधार पर प्रश्नगत नहि कएल जाएत जे ओकरा अपन विवेकानुसार कार्य करबाक चाही छल वा नहि ।

(3) एहि प्रश्नक कोनो न्यायालयमे जाँच नहि कएल जाएत जे मंत्रीगण राज्यपालकें कोनो सलाह देलकनि आओर देलकनि तँ की सलाह देलकनि ।

164. मंत्रीगणक विषयमे अन्य उपबंध-(1) मुख्यमंत्रीक नियुक्ति राज्यपाल करताह आओर अन्य मंत्री सभक नियुक्ति राज्यपाल, मुख्यमंत्रीक सलाह पर करताह एवं मंत्री राज्यपालक प्रसाद पर्यंत अपन पद धारण कएने रहताह ।

(भाग 6-राज्य)

मुदा¹ [छत्तीसगढ़, झारखंड] मध्य प्रदेश आओर ²[ओडिशा] राज्य सभमे जनजाति सभक कल्याणक प्रभारी एक मंत्री होएताह जे संगहि अनुसूचित जाति सभक आओर पिछड़ल वर्गक कल्याणक वा कोनो अन्य कार्यक सेहो प्रभारी भ' सकत ।

³[(1क) कोनो राज्यक मंत्रि-परिषदमे मुख्यमंत्री सहित मंत्री सभक कुल संख्या ओहि राज्यक विधान सभाक सदस्य सभक कुल संख्याक पंद्रह प्रतिशतसँ बेसी नहि होएत:]

मुदा कोनो राज्यमे मुख्यमंत्री सहित मंत्री सभक संख्या बारहसँ कम नहि होएत ।

मुदा ई आओर जे जतए संविधान (एकानवेयम संशोधन) अधिनियम, 2003 केर प्रारंभ पर कोनो राज्यक मंत्रि-परिषदमे मुख्यमंत्री सहित मंत्री सभक कुल संख्या, यथास्थिति, उक्त पंद्रह प्रतिशत वा पहिल शर्तमे परंतुक मे विनिर्दिष्ट संख्यासँ बेसी अछि ओतए ओहि राज्यमे मंत्री सभक कुल संख्या एहन तिथिसँ, ⁴जे राष्ट्रपति लोक अधिसूचना द्वारा निर्धारित करए, छओ मासक भीतर एहि खंडक उपबंध सभक अनुरूप आनल जाएत ।

(1ख) कोनो राजनीतिक दलक, कोनो राज्यक विधान सभाक वा कोनो राज्यक विधान मंडलक कोनो सदनक जाहिमे विधान परिषद अछि, कोनो सदस्य जे दसम अनुसूचीक अनुच्छेद दू केर अधीन ओहि सदनक सदस्य होएबाक हेतु निरर्हित (अयोग्य घोषित) छथि तँ अपन निरर्हताक तिथिसँ प्रारंभ होमयवला आओर ओहि तिथि धरि जिनका एहन सदस्यक रूपमे ओकर पदावधि समाप्त होएत वा नहि तँ ओ एहन अवधिक समाप्तिक पूर्व यथास्थिति, कोनो निर्वाचन लड़ैत अछि तँ ओहि तिथि धरि जकरा ओ निर्वाचित घोषित कएल जाइत अछि, ओहिमे सँ जे किओ पूर्वतर होथि, हुनक अवधिक समयमे खंड (1) केर अधीन मंत्रीक रूपमे नियुक्त कएल जएबाक हेतु सेहो निरर्हित होएताह]

(2) मंत्रि-परिषद राज्यक विधान सभाक प्रति सामूहिक रूपमे उत्तरदायी होएत ।

(3) कोनो मंत्री द्वारा अपन पदग्रहण करबाकसँ पहिने, राज्यपाल तेसर अनुसूचीमे एहि प्रयोजनार्थ देल गेल प्रारूपक अनुसार ओकरा पद आओर गोपनीयताक शपथ दियाओल जाएत ।

¹ संविधान (चौरानवेयम संशोधन) अधिनियम, 2006 केर धारा 2 द्वारा (12-6-2006 सँ) “बिहार”क स्थान पर प्रतिस्थापित ।

² उड़ीसा (नाम परिवर्तन) अधिनियम, 2011 (2011केर 15) केर धारा 4 द्वारा (1-11-2011 सँ) “उड़ीसा”क स्थान पर प्रतिस्थापित ।

³ संविधान (एकानवेयम संशोधन) अधिनियम, 2003 केर धारा 3 द्वारा (1-1-2004 सँ) अंतःस्थापित ।

⁴ देखू अधिसूचना सं. का. आ. 21(ड), तिथि 7-1-2004 ।

भारतक संविधान

(भाग 6-राज्य)

(4) कोनो मंत्री, जे निरंतर छओ मासक कोनो अवधि धरि राज्यक विधान-मंडलक सदस्य नहि अछि, ओहि अवधिक समाप्ति पर मंत्री नहि रहत ।

(5) मंत्रीक वेतन आओर भत्ता एहि तरहें होएत जे ओहि राज्यक विधान-मंडल, विधि द्वारा, समय-समय पर सुनिश्चित करए आओर जाधरि ओहि राज्यक विधान मंडल एहि प्रकार सुनिश्चित नहि करैत अछि ताधरि एहन होएत जे दोसर अनुसूचीमे विनिर्दिष्ट अछि ।

राज्यक महाधिवक्ता

165. राज्यक महाधिवक्ता-(1) प्रत्येक राज्यक राज्यपाल, उच्च न्यायालयक न्यायाधीश नियुक्त होएबाक लेल अर्हित कोनो व्यक्तिकें राज्यक महाधिवक्ता नियुक्त करत ।

(2) महाधिवक्ताक ई कर्तव्य होएत जे ओ ओहि राज्यक सरकारकें विधि संबंधी एहन विषय पर सलाह दिअ आओर विधिक स्वरूपकें एहन अन्य कर्तव्य सभक पालन करए जकरा राज्यपाल समय-समय पर निर्देशित करथि वा देथि आओर ओहि कार्य सभक निर्वहन करथि जे हुनका एहि संविधान वा तत्समय प्रवृत्त कोनो आन विधिक माध्यमे वा ओकर अधीन प्रदान कएल गेल हुए ।

(3) महाधिवक्ता, राज्यपालक प्रसादपर्यंत पद धारण करताह आओर एहन पारिश्रमिक प्राप्त करताह जे राज्यपाल सुनिश्चित करथि ।

सरकारी कार्यक संचालन

166. राज्य सरकारक कार्यक संचालन-(1) कोनो राज्यक सरकारक समस्त कार्यपालिकाक कार्यवाई राज्यपालक नामसँ कएल गेल कहल जाएत ।

(2) राज्यपालक नामसँ कएल गेल आओर निष्पादित आदेश सभक आओर अन्य लिखित आदेश सभक एहन प्रक्रिया सँ अधिप्रमाणित कएल जाएत जे राज्यपाल द्वारा बनाओल गेल नियम सभमे विनिर्दिष्ट कएल जाए आओर एहि प्रकारक अछि प्रमाणित आदेश वा लिखितक विधिमान्यता एहि आधार पर प्रश्रुत नहि कएल जाएत जे ओ राज्यपाल द्वारा कएल गेल वा निष्पादित आदेश वा जे लिखित नहि अछि ।

(3) राज्यपाल, राज्यक सरकारक कार्य बेसी सुविधापूर्वक करबाक हेतु आओर जतए धरि ओ कार्य एहन कार्य नहि अछि जकरा विषयमे एहि संविधान द्वारा वा एकरा मातहत राज्यपालसँ ई अपेक्षित अछि जे ओ अपन विवेकानुसार कार्य करथि ओतए धरि मंत्री सभमे उक्त कार्यक आवंटनक लेल नियम बनाओत ।

¹(4) * * * *

167. राज्यपालकें सूचना देब आदिक विषयमे मुख्यमंत्रीक कर्तव्य-प्रत्येक राज्यक मुख्यमंत्रीक ई कर्तव्य होएत जे ओ-

(क) राज्यक कार्यक प्रशासन संबंधी आओर विधान विषयक प्रस्थापना संबंधी मंत्री-परिषदक सभ निर्णय राज्यपालकें संसूचित करथि:

(ख) राज्यक कार्यक प्रशासन संबंधी आओर विधान विषयक प्रस्थापना संबंधी जे जानकारी राज्यपाल माँगथि, ओ दैथि; आओर

(ग) कोनो विषयक जाहि पर कोनो मंत्री निर्णय क' चुकल' छथि मुदा मंत्री-परिषद विचार नहि कएलक अछि, राज्यपाल द्वारा अपेक्षा कएल गेला पर परिषदक समक्ष विचारक हेतु राखथि ।

अध्याय 3-राज्यक विधान-मंडल

सामान्य

168. राज्य सभक विधान-मंडलक गठन-(1) प्रत्येक राज्यक हेतु एक विधान-मंडल होएत जे राज्यपाल आओर-

(क)^{2***} ³[आंध्रप्रदेश], बिहार,^{4***} ⁵[मध्य प्रदेश],^{6***} ⁷[महाराष्ट्र], ⁸[कर्नाटक], ^{9***}

¹ संविधान (बियालिसम संशोधन) अधिनियम, 1976 केर धारा 28 द्वारा (3-1-1977 सँ) आओर ओकर संविधान (चीवालिसम संशोधन) अधिनियम, 1978 केर धारा 23 द्वारा (20-6-1979 सँ) अंतःस्थापित ।

² “आंध्र प्रदेश” शब्दक आंध्र प्रदेश विधान परिषद (संशोधन) अधिनियम, 1985 (1985 केर 34) केर धारा 4 द्वारा (1-6-1985 सँ) लोप कएल गेल ।

³ आंध्र प्रदेश विधान परिषद अधिनियम, केर 2005 (2006 केर 1) केर धारा 3 द्वारा (30-3-2007 सँ) अंतःस्थापित ।

⁴ बम्बई पुनर्गठन अधिनियम, 1960 (1960 केर 11) केर धारा 20 द्वारा (1-5-1960 सँ) “बम्बई” शब्दक लोप कएल गेल ।

⁵ संविधान (सातम संशोधन) अधिनियम, 1956 केर धारा 8 द्वारा (तिथि अधिसूचित कएल जएबाक अछि) अंतःस्थापित ।

⁶ तमिलनाडु विधान परिषद (उन्मूलन) अधिनियम, 1986 (1986 केर 40) केर धारा 4 द्वारा (1-11-1986 सँ) “तमिलनाडु” शब्दक लोप कएल गेल ।

⁷ बम्बई पुनर्गठन अधिनियम, 1960 (1960 केर 11) केर धारा 20 द्वारा (1-5-1960 सँ) अंतःस्थापित ।

⁸ मैसूर राज्य (नाम परिवर्तन) अधिनियम, 1973 (1973 केर 31) केर धारा 4 द्वारा (1-11-1973 सँ) “मैसूर” क स्थान पर प्रतिस्थापित, जकरा संविधान (सातम संशोधन) अधिनियम, 1956 केर धारा 8 (1) द्वारा (1-11-1956 सँ) अंतःस्थापित कएल गेल छल ।

⁹ पंजाब विधान परिषद (संशोधन) अधिनियम, 1969 (1969 केर 46) केर धारा 4 द्वारा (7-1-1970 सँ) “पंजाब” शब्दक लोप कएल गेल ।

¹[² तमिलनाडु, तेलंगाना] ³[आओर उत्तर प्रदेश] राज्यसभमे दुनू सदनसँ:

(ख) अन्य राज्य सभसे एक सदनसँ, मिलिकए बनत ।

(2) जतए कोनो राज्यक विधान-मंडलक दू सदन अछि ओतए एकक नाम विधान परिषद आओर दोसरक नाम विधान सभा होएत आओर जतए मात्र एक सदन अछि ओतए ओकर नाम विधान सभा होएत ।

169. राज्यमे विधान परिषदक विलोपन वा सृजन-(1) अनुच्छेद 168 मे कोनो बात केँ होइतहुँ संसद विधि द्वारा कोनो विधान परिषद बला राज्यमे विधान परिषदक संशोधनक लेल वा एहन राज्यमे, जाहिमे विधान परिषद नहि अछि, ओतए विधान परिषदक सृजन हेतु उपबंध क’ सकत, जँ ओहि राज्यक विधान सभा एहि आशयक संकल्प विधान सभाक कुल सदस्य संख्याक बहुमत द्वारा एवं उपस्थित आओर मत देमए वला सदस्यक संख्याक कमसँ कम दू-तिहाई बहुमत द्वारा पारित क’ देलक अछि ।

(2) खंड (1) मे विनिर्दिष्ट कोनो विधिमे एहि संविधानक संशोधनक हेतु एहन उपबंध अंतर्विष्ट होएत जे ओहि विधिक उपबंध सबकेँ प्रभावी करबाक हेतु आवश्यक हुअए एवं एहन अनुपूरक, आनुषंगिक आओर पारिणामिक उपबंध सेहो अंतर्विष्ट भ’ सकत जकरा संसदक हेतु आवश्यक बुझल जाए ।

(3) पूर्वोक्त प्रकारक कोनो विधि अनुच्छेद 368 केर प्रयोजनक हेतु एहि संविधानक संशोधनक नहि बुझल जाएत ।

⁴[170. विधान सभाक संरचना-(1)] अनुच्छेद 333 केर उपबंधक अधीन रहैत, प्रत्येक राज्यक विधान सभा ओहि राज्यमे प्रादेशिक निर्वाचन-क्षेत्र सभसँ प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुनल पाँच सय सँ बेसी नहि आओर साठिसँ कम नहि, सदस्य सभसँ मिलिक’ बनत ।

(2) खंड (1) केर प्रयोजनक हेतु, प्रत्येक राज्यकेँ प्रादेशिक निर्वाचन-क्षेत्रमे एहन प्रक्रिया सँ विभाजित कएल जाएत जे प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रक जनसंख्याक ओकर आवंटित स्थानक संख्यासँ अनुपातिक समस्त राज्यमे यथा-साध्य एकहि हुअए ।

¹ तमिलनाडु विधान परिषद अधिनियम, 2010 (2010 केर 16) केर धारा 3 द्वारा (अधिसूचनाक तिथिसँ) अंतःस्थापित ।

² आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2014 (2014 केर 6) केर धारा 96 द्वारा (2-6-2014 सँ) “तमिलनाडु”क स्थान पर प्रतिस्थापित ।

³ बंगाल विधान परिषद (संशोधन) अधिनियम, 1969 (1969 केर 20) केर धारा 4 द्वारा (1-8-1969 सँ) “उत्तर प्रदेश आओर पश्चिमी बंगाल”क स्थान पर प्रतिस्थापित ।

⁴ संविधान (सातम संशोधन) अधिनियम, 1956 केर धारा 9 द्वारा (1-11-1956 सँ) “अनुच्छेद 170” केर स्थान पर प्रतिस्थापित ।

¹[स्पष्टीकरण] एहि खंडमे “जनसंख्या” पदसँ एहन अंतिम पूर्ववर्ती जनगणनामे अभिनिश्चित कएल गेल जनसंख्या अभिप्रेत अछि जकर सुसंगत आँकड़ा प्रकाशित भ’ चुकल अछि:

मुदा एहि स्पष्टीकरणमे अंतिम पूर्ववर्ती जनगणनाक प्रति जकर सुसंगत आँकड़ा सब प्रकाशित भ’ चुकल अछि, निर्देशक जाधरि सन् ²[2026] केर पश्चात् कएल गेल पहिल जनगणनाक सुसंगत आँकड़ा सब प्रकाशित नहि भ’ जाइत अछि, ताधरि ई अर्थ लगाओल जाएत जे ओ ³[2001] केर जनगणनाक प्रतिनिर्देश अछि।]

(3) प्रत्येक जनगणनाक समाप्ति पर प्रत्येक राज्यक विधान सभामे स्थानक कुल संख्या आओर प्रत्येक राज्यक प्रादेशिक निर्वाचन-क्षेत्र सभमे विभाजनक एहन प्राधिकारी द्वारा आओर एहन प्रक्रियासँ पुनः समायोजन कएल जाएत जे संसद विधि द्वारा सुनिश्चित करए:

मुदा एहन पुनः समायोजनसँ विधान सभामे प्रतिनिधित्वक पद पर ताधरि कोनो प्रभाव नहि पड़त जाधरि ओहि समय विद्यमान विधान सभाक विघटन नहि भ’ जाइत अछि: ⁴[मुदा ई आओर जे एहन पुनः समायोजन ओहि तिथिसँ प्रभावी होएत जे राष्ट्रपतिक आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट करथि आओर एहन पुनः समायोजनकेँ प्रभावी भेला धरि विधान सभाक लेल कोनो निर्वाचन ओहि प्रादेशिक निर्वाचन-क्षेत्र सभक आधार पर भ’ सकत जे एहन पुनः समायोजनक पहिने विद्यमान अछि:

मुदा ई आओर सेहो जे जाधरि सन् ²[2026] केर पश्चात् कएल गेल पहिल जनगणनाक सुसंगत आँकड़ा प्रकाशित नहि भ’ जाइत अछि ताधरि ⁵[एहि खंडक अधीन-]

(i) प्रत्येक राज्यक विधान सभामे 1971 केर जनगणनाक आधार पर पुनः समायोजित स्थानक कुल संख्याक; आओर

(ii) एहन राज्यक प्रादेशिक निर्वाचन-क्षेत्र सभमे विभाजनक, जे ²[2001] केर जनगणनाक आधार पर पुनः समायोजित कएल जाए पुनः समायोजन आवश्यक नहि होएत।]

¹ संविधान (बियालिसम संशोधन) अधिनियम, 1976 केर धारा 29 द्वारा (3-1-1977 सँ) स्पष्टीकरणक स्थान पर प्रतिस्थापित।

² संविधान (चौरासियम संशोधन) अधिनियम, 2001 केर धारा 5 द्वारा (21-2-2002 सँ) “2000” केर स्थान पर प्रतिस्थापित।

³ संविधान (सत्तासियम संशोधन) अधिनियम, 2003 केर धारा 4 द्वारा (22-6-2003 सँ) “1991” केर स्थान पर प्रतिस्थापित। संविधान (चौरासियम संशोधन) अधिनियम, 2001 केर धारा 5 द्वारा (21-2-2002 सँ) मूल अंक “1971 केर स्थान पर 1991” अंक प्रतिस्थापित कएल गेल छल।

⁴ संविधान (बियालिसम संशोधन) अधिनियम, 1976 केर धारा 29 द्वारा (3-1-1977 सँ) अंतःस्थापित।

⁵ संविधान (चौरासियम संशोधन) अधिनियम, 2001 केर धारा 5 द्वारा (21-2-2002 सँ) किछु शब्दक स्थान पर प्रतिस्थापित।

171. विधान परिषदक संरचना-(1) विधान परिषद वला राज्यक विधान परिषदक सदस्यक कुल संख्या ओहि राज्यक विधान सभाक सदस्य सभक कुल संख्याक ¹[एक-तिहाई] सँ बेसी नहि होएत:

मुदा कोनो राज्यक विधान परिषदक सदस्य सभक कुल संख्या कोनहुँ दशामे चालीससँ कम नहि होएत।

(2) जाधरि संसद विधि द्वारा अन्यथा उपबंध नहि करए ताधरि कोनो राज्यक विधान परिषदक संरचना खंड (3) मे उपबंधित प्रक्रियासँ होएत।

(3) कोनो राज्यक विधान परिषदक सदस्य सभक कुल संख्याक-

(क) यथासाध्य निकटता एक-तिहाई भाग ओहि राज्यक नगरपालिका सभ, जिलाबोर्ड सभ, आओर अन्य एहन स्थानीय प्राधिकारीक जे संसद विधि द्वारा वा निर्दिष्ट करए, सदस्य सभसँ मिलिकेँ बनएवला निर्वाचक-मंडल सभक द्वारा निर्वाचित होएत।

(ख) यथासाध्य निकटतम बारहम भाग ओहि राज्यमे निवास करएवला एहन व्यक्ति सभसँ मिलिकेँ बनए वला निर्वाचक-मंडल सभक द्वारा निर्वाचित होएत, जे भारतक राज्यक्षेत्रमे कोनो विश्वविद्यालयक कमसँ कम तीन वर्षक स्नातक छथि वा जिनका लग कमसँ कम तीन वर्षक एहन अर्हता सभ छनि जे संसद द्वारा बनाओल गेल कोनो विधि वा ओकर अधीन एहन कोनो विश्वविद्यालयक स्नातकक अर्हता सभक समतुल्य विहित कएल गेल हुआए:

(ग) यथासाध्य निकटतम बारहम भाग एहन व्यक्तिसभसँ मिलिकेँ बनए वला निर्वाचक-मंडल सभक द्वारा निर्वाचित होएत जे राज्यक अन्दर माध्यमिक पाठशालासँ अनिम्न स्तरक एहन शैक्षणिक संस्था सभमे, जे संसद द्वारा बनाओल गेल कोनो विधि द्वारा वा ओकर अधीन विहित कएल जाए, पढ़वाक काजमे कमसँ कम तीन वर्षसँ लागल छथि,

(घ) यथासाध्य निकटतम एक-तिहाई भाग राज्यक विधान सभाक सदस्य सभक द्वारा एहन व्यक्ति सभमे सँ निर्वाचित होएताह जे विधान सभाक सदस्य नहि छथि :

(ङ) शेष सदस्य राज्यपाल द्वारा खंड(5) केर उपबंध सभक अनुसार नाम निर्देशित कएल जाएत।

(4) खंड (3) केर उपखंड (क), उपखंड (ख) आओर उपखंड (ग) केर अधीन निर्वाचित होमए वला सदस्य एहन प्रादेशिक निर्वाचन-क्षेत्र सभमे चुनल जाएत, जे संसद द्वारा बनाओल गेल विधि

¹ संविधान (सातम संशोधन) अधिनियम, 1956 केर धारा 10 द्वारा (1-11-1956 सँ) “एक चौथाई” केर स्थान पर प्रतिस्थापित।

द्वारा वा ओकर अधीन विहित कएल जाए एवं उक्त उपखंड सभक आओर उक्त खंडक उपखंड (घ) केर अधीन निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धतिक अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा होएत ।

(5) राज्यपाल द्वारा खंड(3) केर उपखंड (ङ) केर अधीन नामनिर्देशित कएल गेल सदस्य एहन व्यक्ति होएताह जिनक निम्नलिखित विषय सभक संबंधमे विशेष ज्ञान वा व्यावहारिक अनुभव छनि, अर्थात :-

साहित्य, विज्ञान, कला, सहकारी आंदोलन आओर समाज सेवा ।

172. राज्य सभक विधान-मंडलक अवधि-(1) प्रत्येक राज्यक प्रत्येक विधान सभा, जँ पहिनहि विघटित नहि कए देल जाइत अछि, तँ अपन प्रथम अधिवेशनक लेल निश्चित तिथिसँ ¹[पाँच वर्ष] धरि बनल रहत, एहिसँ बेसी नहि आओर ¹[पाँच वर्ष]क उक्त अवधिक समाप्तिक परिणाम विधान सभाक विघटन होएत:

मुदा उक्त अवधिकँ, जखन आपातक उद्घोषणा प्रवर्तनमे अछि, तखन संसद, विधि द्वारा, एहन अवधिक लेल बढ़ा' सकत, जे एक बेरमे एक वर्ष सँ बेसी नहि होएत आओर उद्घोषणाक प्रवर्तनमे नहि रहि जएबाक पश्चात्, कोनहुँ दशामे ओकर विस्तार छओ मासक अवधिसँ बेसी नहि होएत ।

(2) राज्यक विधान परिषदक विघटन नहि होएत, मुदा ओकर सदस्य सभमे सँ यथा संभव निकटतम एक-तिहाई सदस्य संसद, आओर विधि द्वारा एहि निमित्त बनाओल गेल उपबंध सभक अनुसार, प्रत्येक द्वितीय वर्षक समाप्ति पर यथासाध्य शीघ्र निवृत्त भ' जएताह ।

173. राज्यक विधान-मंडलक सदस्यताक लेल अर्हता-कोनो व्यक्ति कोनो राज्यमे विधान-मंडलक कोनो स्थानकँ भरबाक लेल चुनल जएबाक हेतु अर्हित तखनहि होएत जखन-

²[(क) ओ भारतक नागरिक हुआए आओर निर्वाचन आयोग द्वारा एहि निमित्त प्राधिकृत कोनो व्यक्तिक समक्ष तेसर अनुसूचीमे एहि प्रयोजनक लेल देल गेल प्रारूपक अनुसार शपथ लैत अछि वा प्रतिज्ञान करैत अछि आओर ओहि पर अपन हस्ताक्षर करैत अछि;]

¹ संविधान (बियालिसम संशोधन) अधिनियम, 1976 केर धारा 30 द्वारा (3-1-1977 सँ) “पाँच वर्ष”क स्थान पर प्रतिस्थापित आओर तत्पश्चात् संविधान (चौवालिसम संशोधन) अधिनियम, 1978 केर धारा 24 द्वारा (6-9-1979 सँ) “छओ वर्ष”क स्थान पर प्रतिस्थापित ।

² संविधान (सोलहम संशोधन) अधिनियम, 1963 केर धारा 4 द्वारा (5-10-1963 सँ) खंड (क) केर स्थान पर प्रतिस्थापित ।

(ख) ओ विधान सभाक स्थानक लेल कमसँ कम पच्चीस वर्षक आयुक आओर विधान परिषदक स्थानक लेल कमसँ कम तीस वर्षक आयुक अछि; आओर

(ग) ओहि व्यक्ति लग एहन अन्य अर्हता सब अछि जे एहि निमित्त संसद द्वारा बनाओल गेल कोनो विधि द्वारा वा ओकर अधीन विहित कएल जाए ।

¹[174. राज्यक विधान-मंडलक सत्र, सत्रावसान आओर विघटन-(1) राज्यपाल, समय-समय पर राज्यक विधान-मंडलक सदन वा प्रत्येक सदनक एहन समय आओर स्थान पर, जे ओ ठीक बुझए, अधिवेशनक लेल आहूत करत, मुदा ओकर एक सत्रक अंतिम बैसार आओर अगिला सत्रक प्रथम बैसारक लेल नियत तिथिक बीच छओ मासक अन्तर नहि होएत ।

(2) राज्यपाल, समय-समय पर-

(क) सदनक वा कोनो सदनक सत्रावसान क' सकताह;

(ख) विधान सभाक विघटन क' सकताह ।]

175. एक वा दुनू सदनमे अभिभाषण आओर ओहिमे संदेश पठएबाक राज्यपालक अधिकार-

(1) राज्यपाल, विधान सभामे वा विधान परिषद वला राज्यक दशामे ओहि राज्यक विधान-मंडलक कोनो एक सदनमे वा एक साथ समवेत दुनू सदनमे, अभिभाषण क' सकताह आओर एहि प्रयोजनक लेल सदस्यक उपस्थितिक अपेक्षा क' सकताह ।

(2) राज्यपाल, राज्यक विधान-मंडलमे ओहि समय लंबित कोनो विधेयकक संबंधमे संदेश वा कोनो अन्य संदेश, ओहि राज्यक विधान-मंडलक सदन वा सदन सभकेँ पठा सकताह आओर जाहि सदनकेँ कोनो संदेश एहि प्रकार भेजल गेल अछि ओ सदन ओहि संदेश द्वारा विचार करबाक हेतु अपेक्षित विषय पर सुविधानुसार शीघ्रतासँ विचार करताह ।

176. राज्यपालक विशेष अभिभाषण-(1) राज्यपाल, ²[विधान सभाक लेल प्रत्येक साधारण निर्वाचनक पश्चात् प्रथम सत्रक आरंभमे] आओर प्रत्येक वर्षक प्रथम सत्रक आरंभमे विधान सभामे वा विधान परिषद वला राज्यक दशामे एक संग समवेत दुनू सदनमे अभिभाषण करत आओर विधान-मंडलकेँ ओकर आह्वानक कारण बताओल जाएत ।

(2) सदन वा प्रत्येक सदनक प्रक्रियाक विनियमन करएवला नियम सब द्वारा एहन अभिभाषणमे निर्दिष्ट विषयक चर्चाक लेल समय नियत करबाक हेतु ³**** उपबंध कएल जाएत ।

¹ संविधान (पहिल संशोधन) अधिनियम, 1951 केर धारा 8 द्वारा (18-6-1951) “अनुच्छेद 174” केर स्थान पर प्रतिस्थापित ।

² संविधान (पहिल संशोधन) अधिनियम, 1951 केर धारा 9 द्वारा (18-6-1951 सँ) “प्रत्येक सत्र”क स्थान पर प्रतिस्थापित ।

³ संविधान (पहिल संशोधन) अधिनियम, 1951 केर धारा 9 द्वारा (18-6-1951 सँ) “एवं सदनक आन काजपर एहि चर्चाकेँ महत्व देबाक लेल” शब्दक लोप कएल गेल अछि ।

177. सदनक विषयमे मंत्रीगण आओर महाधिवक्ताक अधिकार-प्रत्येक मंत्री आओर राज्यक महाधिवक्ताक ई अधिकार होएत जे ओ ओहि राज्यक विधान सभामे वा विधान परिषद वला राज्यक दशामे दुनू सदनमे बाजथि आओर ओकर कार्यवाही सभमे भाग लेथि आओर विधान-मंडलक कोनो समितिमे, जाहिमे हुनक नाम सदस्यक रूपमे देल गेल अछि, ओ बाजथि आओर ओहि कार्यवाहीमे अन्यथा भाग लथि, मुदा एहि अनुच्छेदक आधार पर ओ मत देबाक अधिकारी नहि होएताह ।

राज्यक विधान-मंडलक अधिकारी

178. विधान सभाक अध्यक्ष आओर उपाध्यक्ष-प्रत्येक राज्यक विधान सभा, यथासाध्य शीघ्र, अपन दू सदस्यकेँ अपन अध्यक्ष आओर उपाध्यक्ष चुनत आ जखन-जखन अध्यक्ष वा उपाध्यक्षक पद रिक्त होइत अछि तखन-तखन विधान सभा कोनो आन सदस्यक यथास्थिति, अध्यक्ष वा उपाध्यक्ष चुनत ।

179. अध्यक्ष आओर उपाध्यक्षक पद रिक्त होएब, पदत्याग आओर पदसँ हटाओल जाएब-विधान सभाक अध्यक्ष वा उपाध्यक्षक रूपमे पद धारण करएवला सदस्य-

(क) जँ विधान सभाक सदस्य नहि रहैत अछि तँ अपन पद रिक्त क' देत;

(ख) कोनो समय, जँ ओ सदस्य अध्यक्ष अछि तँ उपाध्यक्षकेँ संबोधित आओर जँ ओ सदस्य उपाध्यक्ष अछि तँ अध्यक्षकेँ संबोधित अपन हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपन पद त्याग क' सकताह; आओर

(ग) विधान सभाक तत्कालीन समस्त सदस्यक बहुमत सँ पारित संकल्प द्वारा अपन पदसँ हटाओल जा सकत:

मुदा खंड(ग) केर प्रयोजनक लेल कोनो संकल्प ताधरि प्रस्तावित नहि कएल जाएत जाधरि ओहि संकल्पकेँ प्रस्तावित करबाक आशयक कमसँ कम चौदह दिनक सूचना नहि द' देल गेल हो, मुदा ई आओर जे जखन कहियो विधान सभाक विघटन कएल जाइत अछि तँ विघटनक पश्चात् होमए वला विधान सभाक प्रथम अधिवेशनक ठीक पहिने धरि अध्यक्ष अपन पदकेँ रिक्त नहि करताह ।

180. अध्यक्ष पदक कर्तव्य निर्वहन अथवा अध्यक्षक रूपमे काज करबाक उपाध्यक्ष वा अन्य व्यक्ति शक्ति-(1) जखन अध्यक्षक पद सेहो रिक्त अछि तँ विधान सभाक एहन सदस्य जिनका राज्यपाल एहि प्रयोजनक लेल नियुक्त करथि, ओहि पदक कर्तव्यक पालन करताह ।

(2) विधान सभाक कोनो बैसारसँ अध्यक्षक अनुपस्थितिमे उपाध्यक्ष वा जँ ओहो अनुपस्थित छथि तँ एहन व्यक्ति, जे विधान सभाक प्रक्रियाक नियम सब द्वारा सुनिश्चित कएल जाए वा जँ एहन कोनो व्यक्ति उपस्थित नहि अछि तँ एहन अन्य व्यक्ति, जे विधान सभा द्वारा सुनिश्चित कएल जाए, अध्यक्षक रूपमे कार्य करत ।

181. जखन अध्यक्ष वा उपाध्यक्षकें पदसँ मुक्त करबाक कोनो संकल्प विचाराधीन हो तखन हुनक पीठासीन नहि होएब-(1) विधान सभाक कोनो बैसारमे, जखन अध्यक्षकें ओकर पदसँ हटएबाक कोनो संकल्प विचाराधीन अछि तखन अध्यक्ष, वा उपाध्यक्षकें ओकर पदसँ हटएबाक कोनो संकल्प विचाराधीन अछि ओहि समय उपाध्यक्ष, उपस्थित रहलो पर, पीठासीन नहि होएताह आओर अनुच्छेद 180 केर खंड(2) केर उपबंधक अनुसारें प्रत्येक बैसारक संबंधमे ओहने लागू होएत जेहन ओहि बैसारक संबंधमे लागू होइत अछि, जाहिसँ, यथास्थिति, अध्यक्ष वा उपाध्यक्ष अनुपस्थित छथि ।

(2) जखन अध्यक्षकें ओकर पदसँ हटएबाक कोनो संकल्प विधान सभामे विचाराधीन अछि तखन ओकरा विधान सभामे बाजबाक आओर ओकर कार्यवाही सभमे अन्यथा भाग लेबाक अधिकार होएत आ ओ अनुच्छेद 189 मे कोनो बातक होइतहुँ एहन संकल्प पर वा एहन कार्यवाही सभक समय कोनो आन विषय पर प्रथमतः वएह मत देबाक अधिकार राखैछ मुदा मत समान होएबाक दशामे मत देबाक ओ अधिकार नहि राखैत अछि ।

182. विधान परिषदक सभापति आओर उपसभापति-विधान परिषदवला प्रत्येक राज्यक विधान परिषद यथाशीघ्र अपन दू सदस्यकें अपन सभापति आ उपसभापति चुनत आओर जखन-जखन सभापति वा उपसभापतिक पद रिक्त होइत अछि तखन-तखन परिषद कोनो आन सदस्यकें, यथास्थिति, सभापति वा उपसभापति चुनत ।

183. सभापति आओर उपसभापतिक पद रिक्ति, पदत्याग एवं पदसँ हटाओल जाएब-विधान परिषदक सभापति वा उपसभापतिक रूपमे पद धारण करएवला सदस्य-

(क) जँ विधान परिषदक सदस्य नहि रहैत अछि तँ अपन पद रिक्त क' देत;

(ख) कोनहुँ समय, जँ ओ सदस्य सभापति अछि तँ उपसभापतिकें संबोधित आओर जँ ओ सदस्य उपसभापति अछि तँ सभापतिकें संबोधित अपन हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपन पद त्याग क' सकत; आओर

(ग) विधान परिषदक तत्कालीन समस्त सदस्यक बहुमतसँ पारित संकल्प द्वारा अपन पदसँ हटाओल जा सकत ।

मुदा खंड(ग) केर प्रयोजनक लेल कोनो संकल्प ताथरि प्रस्तावित नहि कएल जाएत जाथरि कि ओहि संकल्पक प्रस्तावित करबाक आशयक कमसँ कम चौदह दिनक सूचना नहि द' देल गेल हुए।

184. सभापतिक पदक कर्तव्यकें पालन करब अथवा सभापतिक रूपमे काज करबाक उपसभापति अथवा अन्य व्यक्ति क शक्ति-(1) जखन सभापतिक पद रिक्त अछि तखन उपसभापति, जँ उपसभापतिक पद सेहो रिक्त अछि तँ विधान परिषदक एहन सदस्य, जिनका राज्यपाल एहि प्रयोजनक लेल नियुक्त करथि, ओहि पदक कर्तव्य सभक पालन ओ करथि ।

(2) विधान परिषदक कोनो बैसारसँ सभापतिक अनुपस्थितिमे उपसभापति, वा जँ ओहो अनुपस्थित होथि तँ एहन व्यक्ति, जे विधान परिषदक प्रक्रियाक नियम सभ द्वारा सुनिश्चित कएल जाए, वा जँ एहन कोनो व्यक्ति उपस्थित नहि छथि तँ एहन आन व्यक्ति, जे विधान परिषद द्वारा सुनिश्चित कएल जाए, सभापतिक रूपमे कार्य करताह ।

185. जखन सभापति वा उपसभापतिकें पदसँ मुक्त करबाक कोनो संकल्प विचाराधीन हो तखन हुनक पीठासीन नहि होएब-(1) विधान परिषदक कोनो बैसारमे जखन सभापतिकें ओकर पदसँ हटएबाक कोनो संकल्प विचाराधीन अछि तखन सभापति, वा जखन उपसभापतिकें ओकर पदसँ हटएबाक कोनो संकल्प विचाराधीन अछि तखन उपसभापति, उपस्थित रहलो पर पीठासीन नहि होएताह आओर अनुच्छेद 184 केर खंड (2) केर उपबंध एहन प्रत्येक बैसारक संबंधमे ओहिना लागू होएत जेना ओहि बैसारक संबंधमे लागू होइत अछि जाहिसँ यथास्थिति, सभापति वा उपसभापति अनुपस्थित छथि ।

(2) जखन सभापतिकें हुनक पदसँ हटएबाक कोनो संकल्प विधान परिषदमे विचाराधीन अछि तखन ओकरा विधान परिषदमे बाजबाक आओर ओकर कार्यवाही सभमे अन्यथा भाग लेबाक अधिकार होएत आओर ओ अनुच्छेद 189 मे कोनो बातक होइतहुँ, एहन संकल्प पर वा एहन कार्यवाहीक समयमे कोनो आन विषय पर प्रथमतः मत देबाक अधिकारी होएताह मुदा मत समान होएबाक दशामे मत देबाक अधिकारी नहि होएताह ।

186. अध्यक्ष आओर उपाध्यक्ष एवं सभापति आओर उपसभापतिक वेतन आ भत्ता-विधान सभाक अध्यक्ष आ उपाध्यक्षकें एवं विधान परिषदक सभापति आ उपसभापतिकें एहन वेतन आओर भत्ता सभक जे राज्यक विधान-मंडल, विधि द्वारा, नियत करथि आ जाधरि एहि निमित्त एहि प्रकार उपबंध नहि कएल जाइत अछि ताधरि एहन वेतन आ भत्ता सभ जे दोसर अनुसूचीमे विनिर्दिष्ट अछि, ओ भुगतान कएल जाएत ।

187. राज्यक विधान-मंडलक सचिवालय-(1) राज्यक विधान-मंडलक सदनक वा प्रत्येक सदनक पृथक सचिवीय कर्मचारीगण होएताह :

मुदा विधान परिषद वला राज्यक विधान-मंडलक दशामे एहि खंडक कोनो बातक ई अर्थ नहि लगाओल जाएत जे ओ एहन विधान-मंडलक दुनू सदनक लेल सम्मिलित पद सभक सृजनकें निवारित करैत अछि ।

(2) राज्यक विधान-मंडल, विधि द्वारा राज्यक विधान-मंडलक सदन वा सदन सभक सचिवीय कर्मचारीगणमे भर्तीक आओर नियुक्ति व्यक्ति सभक सेवाक शर्त सभक विनियमन क' सकत ।

(3) जाधरि राज्यक विधान-मंडल खंड(2) केर अधीन उपबंध नहि करैत अछि ताधरि राज्यपाल, यथास्थिति, विधान सभाक अध्यक्ष वा विधान परिषदक सभापतिसँ परामर्श करबाक पश्चात् विधान सभाक वा विधान परिषदक सचिवीय कर्मचारीगणमे भर्तीक आओर नियुक्त व्यक्ति सभक सेवाक शर्त सभक विनियमनक लेल नियम बना सकत आओर एहि प्रकार बनाओल गेल नियम उक्त खंडक अधीन बनाओल गेल कोनो विधिक उपबंध सभक अधीन रहैत, प्रभावी होएत ।

कार्य संचालन

188. सदस्य सभ द्वारा शपथ वा प्रतिज्ञान-राज्यक विधान सभा वा विधान परिषदक प्रत्येक सदस्य अपन स्थान ग्रहण करबासँ पहिने राज्यपाल वा ओकर द्वारा एहि निमित्त नियुक्त व्यक्तिक समक्ष, तेसर अनुसूचीमे एहि प्रयोजनक हेतु देल गेल प्रारूपक अनुसार, शपथ लेत वा प्रतिज्ञान करत आओर ओहि पर अपन हस्ताक्षर करत ।

189. सदनमे मतदान, रिक्त स्थानक अछैतो सदनक काज करबाक शक्ति ओ गणपूर्ति-(1) एहि संविधानमे यथा आन उपबंधित केर अतिरिक्त, कोनो राज्यक विधान-मंडलक कोनो सदनक बैसारमे सब प्रश्नक अवधारण, अध्यक्ष वा सभापतिकेँ वा ओहि रूपमे कार्य करएवला व्यक्तिकेँ छोड़िकेँ उपस्थित आओर मत देबए वला सदस्य सभक बहुमतसँ कएल जाएत ।

अध्यक्ष वा सभापति, वा हिनका सभकेँ छोड़िकेँ ओहि रूपमे कार्य करएवला व्यक्ति प्रथमतः मत नहि देत, मुदा मत समान होएबाक दशामे ओकर निर्णायक मत होएत आओर ओ ओकर प्रयोग करत ।

(2) राज्यक विधान-मंडलक कोनो सदनक सदस्यतामे कोनो रिक्ति भेलो पर, ओहि सदनकेँ कार्य करबाक शक्ति होएत आओर जँ बादमे ई पता चलैत अछि जे कोनो व्यक्ति, जे एहन करबाक अधिकारी नहि छल, कार्यवाही सभमे उपस्थित रहैत अछि वा ओ अपन मत देलक अछि वा जँ ओ भाग लेलक अछि तखनो राज्यक विधान-मंडलक कार्यवाही विधिमान्य होएत ।

¹[(3)] जाधरि राज्यक विधान-मंडल विधि द्वारा अन्यथा उपबंध नहि करए ताधरि राज्यक विधान-मंडलक कोनो सदनक अधिवेशन गठित करबाक लेल गणपूर्ति दस सदस्य वा सदनक सदस्यक कुल संख्याक दसम भाग, वा एहिमे सँ जे बेसी हुआए, होएत ।

(4) जँ राज्यक विधान सभा वा विधान परिषदक अधिवेशनमे कोनो समय गणपूर्ति नहि अछि तँ अध्यक्ष वा सभापति वा ओहि रूपमे कार्य करएवला व्यक्तिक ई कर्तव्य होएत जे ओ सदनकेँ स्थगित क' दिअ वा अधिवेशन केँ ताधरिक लेल निलंबित क' दिअ जाधरि गणपूर्ति नहि भ' जाइत अछि ।]

¹ संविधान (बियालिसम संशोधन) अधिनियम, 1976 केर धारा 31 द्वारा (तिथि अधिसूचित नहि कएल गेल) । एहि संशोधनक संविधान (चौवालिसम संशोधन) अधिनियम, 1978 केर धारा 45 द्वारा (20-06-1979 सँ) लोप कए देल गेल ।

(भाग 6-राज्य)

सदस्यक निरर्हता

190. स्थान सभक रिक्त होएब-(1) कोनो व्यक्ति राज्यक विधान-मंडलक दुनू सदनक सदस्य नहि होएताह आओर जे व्यक्ति दुनू सदनक सदस्य चुनि लेल जाइत छथि ओकर एक वा दोसर सदनक स्थानकें रिक्त करबाक लेल ओहि राज्यक विधान-मंडल विधि द्वारा उपबंध करत ।

(2) कोनो व्यक्ति पहिल अनुसूचीमे विनिर्दिष्ट दू वा बेसी राज्य सभक विधान-मंडलक सदस्य नहि होएत आओर जँ कोनो व्यक्ति दू वा बेसी एहन राज्य सभक विधान-मंडलक सदस्य चुनि लेल जाइत अछि तँ एहन समयक समाप्तिक पश्चात् जे राष्ट्रपति द्वारा बनाओल गेल नियम सभमे¹ विनिर्दिष्ट कएल जाए, एहन सब राज्यक विधान-मंडल सभमे एहन व्यक्तिक स्थान रिक्त भ' जाएत जँ ओ एक राज्यकें छोड़ि कए आन राज्य सभक विधान-मंडलमे अपन स्थानकें पहिनहि नहि त्यागि देलक अछि ।

(3) जँ राज्यक विधान-मंडलक कोनो सदनक सदस्य-

(क) ²[अनुच्छेद 191 केर खंड(2)] मे वर्णित कोनो निरर्हतासँ ग्रस्त भ' जाइत अछि, वा

³[(ख) यथास्थिति, अध्यक्ष वा सभापतिकें संबोधित अपन हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपन स्थानक त्याग क' दैत अछि आओर ओकर त्यागपत्र, यथास्थिति, अध्यक्ष वा सभापति द्वारा स्वीकार क' लेल जाइत अछि,]

तँ एहन भेलापर ओकर स्थान रिक्त भ' जाएत:

⁴[मुदा उपखंड (ख) मे निर्दिष्ट त्यागपत्रक दशामे जँ प्राप्त जानकारीसँ वा आन कोनो आओर एहन जाँच करबाक पश्चात् जे ओ ठीक बुझए, यथास्थिति, अध्यक्ष वा सभापतिक ई समाधान भ' जाइछ जे एहन त्यागपत्र स्वैच्छिक वा असली नहि अछि तँ ओ एहन त्यागपत्रकें स्वीकार नहि करत ।]

(4) जँ कोनो राज्यक विधान-मंडलकें कोनो सदनक सदस्य साठि दिनक अवधि धरि सदनक अनुमतिक बिनु ओकर सब अधिवेशनसँ अनुपस्थित रहैत अछि तँ सदन ओकर स्थानकें रिक्त घोषित कए सकैत अछि :

मुदा साठि दिनक उक्त अवधिक संगणना करबामे कोनो एहन अवधिकें हिसाबमे नहि लेल जाएत जकर समयमे सदन सत्रावसित वा निरंतर चारिसँ बेसी दिनक लेल स्थगित करैत अछि ।

¹ देखू विधि मंत्रालयक अधिसूचना सं० एफ० 46/50-सी, दिनांक 26 जनवरी, 1950, भारतक राजपत्र, असाधारण, पृ० 678 मे प्रकाशित समसामयिक सदस्यता प्रतिषेध नियम, 1950 ।

² संविधान (बावनम संशोधन) अधिनियम, 1985 केर धारा 4 द्वारा (1-3-1985 सँ) “अनुच्छेद 191 केर खंड(1)” केर स्थान पर प्रतिस्थापित ।

³ संविधान (तैंतिसम संशोधन) अधिनियम, 1974 केर धारा 3 द्वारा (19-5-1974 सँ) प्रतिस्थापित ।

⁴ संविधान (तैंतिसम संशोधन) अधिनियम, 1974 केर धारा 3 द्वारा (19-5-1974 सँ) अंतःस्थापित ।

191. सदस्यताक लेल निरर्हता-(1) कोनो व्यक्ति कोनो राज्यक विधान सभा वा विधान परिषदक सदस्य चुनल जएबाक लेल आओर सदस्य होएबाक लेल निरर्हित होएत-

¹[(क) जँ ओ भारत सरकारक वा पहिल अनुसूचीमे विनिर्दिष्ट कोनो राज्यक सरकारक अधीन, एहन पदकें छोड़िक' जकरा धारण करए वलाक निरर्हित नहि होएब राज्यक विधान-मंडल विधि द्वारा घोषित कएलक अछि, कोनो लाभक पद धारण करैत अछि:]

(ख) जँ ओ विकृत चित्त छथि आओर सक्षम न्यायालयक द्वारा एहन एहन प्रतिज्ञापित अछि:

(ग) जँ ओ अनुमोचित दिवालिया अछि;

(घ) जँ ओ भारतक नागरिक नहि अछि वा ओ कोनो विदेशी राज्यक नागरिकता स्वेच्छासँ अर्जित क' लेने अछि वा ओ कोनो विदेशी राज्यक प्रति निष्ठा वा अनुषक्तिकें अभिस्वीकार क' चुकल अछि;

(ङ) जँ ओ संसद द्वारा बनाओल गेल कोनो विधि द्वारा वा ओकर अधीन एहि प्रकार निरर्हित क' देल जाइत अछि ।

²[*स्पष्टीकरण*-एहि खंडक प्रयोजनक लेल] कोनो व्यक्ति मात्र एहि कारणँ भारत सरकारक पहिल अनुसूचीमे विनिर्दिष्ट कोनो राज्यक सरकारक अधीन लाभक पद धारण करएवला नहि बुझल जएताह जे ओ संघक वा एहन राज्यक मंत्री छथि ।

³[(2) कोनो व्यक्ति कोनो राज्यक विधान सभा वा विधान परिषदक सदस्य होएबाक लेल निरर्हित होएताह जँ ओ दसम अनुसूचीक अधीन एहि प्रकारें निरर्हित भ' जाइत छथि ।]

⁴[**192. सदस्यक निरर्हतासँ संबंधित प्रश्न पर निर्णय-**(1) जँ ई प्रश्न उठैत अछि जे कोनो राज्यक विधान-मंडलक कोनो सदनक कोनो सदस्य अनुच्छेद 191 केर खंड(1) मे वर्णित कोनो निरर्हतासँ ग्रस्त भ' गेल अछि वा नहि तँ ओ प्रश्न राज्यपालक निर्णयक लेल प्रति निर्देशित कएल जाएत आओर हुनक निर्णय अंतिम होएतनि ।

¹ संविधान (बियालिसम संशोधन) अधिनियम, 1976 केर धारा 32 द्वारा (तिथि अधिसूचित नहि कएल गेल) एहि प्रकार पढ़ल जएबाक लेल प्रतिस्थापित कएल गेल: “(क) जँ ओ भारत सरकारक वा पहिल अनुसूचीमे विनिर्दिष्ट कोनो राज्य सरकारक अधीन कोनो एहन लाभक पद धारण करैत अछि, जकरा संसद विधि द्वारा ओकर धारककें निरर्हित घोषित कएलक अछि ।” । एहि संशोधनक संविधान (चौवालिसम संशोधन) अधिनियम, 1978 केर धारा 45 द्वारा (20-6-1979 सँ) लोप कए देल गेल ।

² संविधान (बावनम संशोधन) अधिनियम, 1985 केर धारा 5 द्वारा (1-3-1985 सँ) “(2) एहि अनुच्छेदक प्रयोजनक लेल” केर स्थान पर प्रतिस्थापित ।

³ संविधान (बावनम संशोधन) अधिनियम, 1985 केर धारा 5 द्वारा (1-3-1985 सँ) अंतःस्थापित ।

⁴ संविधान (बियालिसम संशोधन) अधिनियम, 1976 केर धारा 33 द्वारा (3-1-1977 सँ) प्रतिस्थापित आओर तत्पश्चात, संविधान (चौवालिसम संशोधन) अधिनियम, 1978 केर धारा 25 द्वारा (20-6-1979 सँ) अनुच्छेद 192 प्रतिस्थापित ।

(2) एहन कोनो प्रश्न पर निर्णय करएसँ पहिने राज्यपाल निर्वाचन आयोगक सलाह लेत आओर एहन सलाहक अनुसार कार्य करताह ।]

193. अनुच्छेद 188 केर अधीन शपथ लेबासँ वा प्रतिज्ञान करबासँ पूर्व वा अर्हित नहि होइतहुँ वा निरर्हित कएल जएबा पर बैसब आओर मत देबाक हेतु दंड-जँ कोनो राज्यक विधान सभा वा विधान परिषदमे कोनो व्यक्ति अनुच्छेद 188 केर अपेक्षा सभक अनुपालन कएला सँ पहिने, वा ई जानैत जे हम ओकर सदस्यताक लेल अर्हित नहि छी वा निरर्हित क' देल गेलौं अछि वा संसद वा राज्यक विधान-मंडल द्वारा बनाओल गेल कोनो विधिक उपबंध सभक द्वारा एहन कएलासँ प्रतिषिद्ध क' देल गेलौं अछि, सदस्यक रूपमे बैसैत छथि वा मत दैत छथि तँ ओ प्रत्येक दिनक लेल जखन ओ एहि प्रकार बैसैत अछि वा मत दैत अछि, पाँच सय रूपैयाक दंडक भागी होएताह जे राज्यकें देय ऋणक रूपमे वसूल कएल जाएत ।

*राज्य सभक विधान-मंडल आ ओकर सदस्य सभक शक्ति,
विशेषाधिकार आओर उन्मुक्ति*

194. विधान-मंडलक दुनू सदन एवं ओकर सदस्य आओर समिति सभक शक्ति, विशेषाधिकार आदि-(1) एहि संविधानक उपबंध सभक आओर विधान-मंडलक प्रक्रियाक विनियमन करएवाला नियम सब आओर स्थायी आदेश सभक अधीन रहितो, प्रत्येक राज्यक विधान मंडलमे वाक्-स्वातंत्र्य होएत ।

(2) राज्यक विधान-मंडलमे वा ओकर कोनो समिति मे विधान-मंडलक कोनो सदस्य द्वारा कहल गेल कोनो बात वा देल गेल कोनो मतक संबंधमे ओकर विरुद्ध कोनो न्यायालयमे कोनो कार्यवाही नहि कएल जाएत आओर कोनो व्यक्तिक विरुद्ध एहन विधान-मंडलक कोनो सदनक प्राधिकार द्वारा वा ओकर अधीन कोनो प्रतिवेदन पत्र, मत सब वा कार्यवाही सभक प्रकाशनक संबंधमे एहि प्रकारक कोनो कार्यवाही नहि कएल जाएत ।

¹[(3) अन्य बात सभमे राज्यक विधान-मंडलक कोनो सदनक आओर एहन विधान-मंडलक कोनो सदनक सदस्य सब आओर समिति सभक शक्ति, विशेषाधिकार आओर उन्मुक्ति सब एहन

¹ संविधान (बियालिसम संशोधन) अधिनियम, 1976 केर धारा 34 द्वारा (20-6-1979 सँ) निम्नलिखित रूपमे पढ़ल जएबाक लेल प्रतिस्थापित कएल गेल:-

“(3) आन सब बातमे कोनो राज्यक विधान-मंडलक कोनो सदनक आओर एहन विधान-मंडलक कोनो सदनक सदस्य सभ आओर समिति सभक शक्ति, विशेषाधिकार आओर उन्मुक्ति सभक होएत, जे संविधान (बियालिसम संशोधन) अधिनियम, 1976 केर धारा 34 (तिथि अधिसूचित नहि कएल गेल) केर प्रारंभ पर छल आ जे लोक सभ द्वारा एहन सदन आ ओकर सदस्य सब समिति सभक लेल व्यक्त कएल जाए, जतए एहन सदन विधान सभा अछि आओर राज्य सभा द्वारा एहन सदन आ ओकर सदस्य आ समितिक लेल व्यक्त कएल जाए, जतए एहन सदन विधान परिषद अछि ।” । एहि संशोधनक संविधान (चौवालिसम संशोधन) अधिनियम, 1978 केर धारा 45 द्वारा (19-6-1979 सँ) लोप कएल गेल ।

होएत जे ओ विधान-मंडल, समय-समय पर, विधि द्वारा परिनिश्चित करए आओर जाधरि ओ एहि प्रकार परिनिश्चित नहि कएल जाइत अछि ताधरि ¹[वएह होएत जे संविधान (चौवालिसम संशोधन) अधिनियम, 1978 केर धारा 26 केर प्रवृत्त होएब सँ ठीक पहिने ओहि सदनक आओर ओकर सदस्यक एवं समिति सभक छल।]

(4) जाहि व्यक्ति सभकेँ एहि संविधानक आधार पर राज्यक विधान-मंडलक कोनो सदन वा ओकर कोनो समितिमे बाजबाक आओर ओकर कार्यवाही सभमे अन्यथा भाग लेबाक अधिकार अछि, हुनक संबंधमे खंड(1), खंड(2) आ खंड(3) केर उपबंध ओहि प्रकार लागू होएत जाहि प्रकार ओ ओहि विधान-मंडलक सदस्यक संबंधमे लागू होइत अछि।

195. सदस्यगणक वेतन आ भत्ता सभ-राज्यक विधान सभा आ विधान परिषदक एहन सदस्य एहन वेतन आ भत्ता सभ जकरा ओहि राज्यक विधान-मंडल, समय-समय पर विधि द्वारा, सुनिश्चित करए आओर जाधरि एहि संबंधमे एहि प्रकार उपबंध नहि कएल जाइत अछि ताधरि एहन वेतन आओर भत्ता सभ, एहन दर सबसँ आओर एहन शर्त सब पर, जे तत्संबंधी प्रांतक विधान लागू छल, प्राप्त करबाक अधिकारी होएताह।

विधायी प्रक्रिया

196. विधेयकक प्रस्तुतीकरण आओर पारित कएल जएबाक संबंधमे उपबंध-(1) धन विधेयक सभ आ अन्य वित्त विधेयक सभक संबंधमे अनुच्छेद 198 आओर अनुच्छेद 207 केर उपबंध सभक अधीन रहैत, कोनो विधेयक विधान परिषद वला राज्यक विधान-मंडलक कोनहुँ सदनमे आरंभ भ' सकत।

(2) अनुच्छेद 197 आओर अनुच्छेद 198 केर उपबंध सभक अधीन रहितहुँ, कोनो विधेयक विधान परिषद वला राज्यक विधान-मंडलक सदन सभक द्वारा ताधरि पारित कएल गेल नहि बुझल जाएत जाधरि संशोधनक बिनु वा मात्र एहन संशोधन सभक सहित, जाहि पर दुनू सदन सहमत भ' गेल छथि, ओहि पर दुनू सदन सहमत नहि भ' जाइत अछि।

(3) कोनो राज्यक विधान-मंडलमे लंबित विधेयक ओकर सदन वा सदन सभक सत्रावसानक कारण व्यपगत नहि होएत।

(4) कोनो राज्यक विधान परिषदमे लंबित विधेयक, जकरा विधान सभा पारित नहि कएलक अछि, विधान सभाक विघटन पर व्यपगत नहि होएत।

(5) कोनो विधेयक, जे कोनो राज्यक विधान सभा मे लंबित अछि वा जे विधान सभा द्वारा पारित क' लेल गेल अछि आओर विधान परिषदमे लंबित अछि, विधान सभाक विघटन पर व्यपगत भ' जाएत।

197. धन विधेयकसँ भिन्न विधेयकक विषयमे विधान-परिषदक शक्ति पर प्रतिबंध-(1) जँ विधान परिषद वला राज्यक विधान सभा द्वारा कोनो विधेयककेँ पारित क' देला पर आओर विधान परिषदकेँ पारेषित कएल जएबाक पश्चात्-

¹ संविधान (चौवालिसम संशोधन) अधिनियम, 1978 केर धारा 26 द्वारा (20-6-1979 सँ) किछु शब्दक स्थान पर प्रतिस्थापित।

(भाग 6-राज्य)

(क) विधान परिषद द्वारा विधेयक अस्वीकार क' देल जाइत अछि, वा

(ख) विधान परिषदक समक्ष विधेयक राखल जएबाक तिथिसँ ओकरा द्वारा विधेयक पारित कएने बिनु, तीन माससँ बेसी बीत गेल अछि, वा

(ग) विधान परिषद द्वारा विधेयक एहन संशोधन सभक संग पारित कएल जाइत अछि जाहिसँ विधान सभा सहमत नहि होइत अछि,

तँ विधान सभा विधेयककें अपन प्रक्रियाक विनियमन करएवला नियम सभक अधीन रहैत, ओहि वा कोनो पश्चातवर्ती सत्रमे एहन संशोधन सभक सहित वा ओकर बिनु, जँ कोनो हुअए, जे विधान परिषद कएलक अछि, सुझौलक अछि वा जिनकासँ विधान परिषद सहमत अछि, पुनः पारित क' सकत आओर तखन एहि प्रकारें पारित विधेयककें विधान परिषदकें पारेषित क' सकत ।

(2) जँ विधान सभा द्वारा विधेयक एहि प्रकार दुबारा पारित क' देल गेला पर आओर विधान परिषदकें पारेषित क' देलाक पश्चात्-

(क) विधान परिषद द्वारा विधेयक अस्वीकार क' देल जाइत अछि, वा

(ख) विधान परिषदक समक्ष विधेयक राखल जएबाक तिथिसँ, ओकर द्वारा विधेयक पारित कएने बिनु, एक माससँ बेसी बीत गेल अछि, वा

(ग) विधान परिषद द्वारा विधेयक एहन संशोधनक सहित पारित कएल जाइत अछि जाहि सँ विधान सभा सहमत नहि होएत अछि,

तँ विधेयक राज्यक विधान-मंडलक सदन सब द्वारा एहन सहित सब संशोधन जँ कोनो हुअए, जे विधान परिषद कएलक अछि वा सुझौलक अछि आओर जाहिसँ विधान सभा सहमत अछि, ओहि रूपमे पारित कएल गेल बुझल जाएत जाहिमे ओ विधान सभा द्वारा दोसर बेर पारित कएल गेल छल ।

(3) एहि अनुच्छेदक कोनो बात धन विधेयकमे लागू नहि होएत ।

198. धन विधेयकक संबंधमे विशेष प्रक्रिया-(1) धन विधेयक विधान परिषदमे पुनः स्थापित नहि कएल जाएत ।

(2) धन विधेयक विधान परिषद वला राज्यक विधान सभा द्वारा पारित कएल जएबाक पश्चात् विधान परिषदकें ओकर संस्तुतिक लेल पारेषित कएल जाएत आओर विधान परिषद विधेयकक प्राप्तिक तिथिसँ चौदह दिनक अवधिक भीतर विधेयककें अपन संस्तुति सभ सहित विधान सभाकें घुरा देत आओर एहन भेला पर विधान सभा, विधान परिषदक सब वा कोनो संस्तुतिकें स्वीकार वा अस्वीकार कए सकत ।

(3) जँ विधान सभा, विधान परिषदक कोनो संस्तुतिकें स्वीकार क' लैत अछि तँ धन विधेयक विधान परिषद द्वारा संस्तुति कएल गेल आओर विधान सभा द्वारा स्वीकार कएल गेल संशोधन सभ सहित दुनू सदनक द्वारा पारित कएल गेल बुझल जाएत ।

(4) जँ विधान सभा, विधान परिषदक कोनो संस्तुतिकें स्वीकार नहि करैत अछि तँ धन विधेयक विधान परिषद द्वारा संस्तुति कएल गेल कोनो संशोधनक बिनु, दुनू सदन द्वारा ओहि रूपमे पारित कएल गेल बुझल जाएत जाहिमे ओ विधान सभा द्वारा पारित कएल गेल छल ।

(5) जँ विधान सभा द्वारा पारित आओर विधान परिषदकेँ ओकर संस्तुति सभक लेल भेजल गेल धन विधेयक उक्त चौदह दिनक अवधिक भीतर विधान सभाकेँ नहि वापस कएल जाइत अछि तँ उक्त अवधिक समाप्ति पर ओ दुनू सदन सभक द्वारा ओहि रूपमे पारित कएल गेल बुझल जाएत जाहिमे ओ विधान सभा द्वारा पारित कएल गेल छल ।

199. “धन विधेयक” केर परिभाषा-(1) एहि अध्यायक प्रयोजन सभक लेल, कोनो विधेयक धन विधेयक बुझल जाएत जँ ओहिमे मात्र निम्नलिखित सभ वा कोनो विषयसँ संबंधित उपबंध अछि, अर्थात :

(क) कोनो कर केर अधिरोपण, उन्मूलन , परिहार, परिवर्तन वा विनियमन;

(ख) राज्य द्वारा धन उधार लेबाक वा कोनो प्रत्याभूति देबाक विनियमन वा राज्य द्वारा अपना ऊपर लेल गेल वा लेल जाएवला कोनो वित्तीय बाध्यता सभसँ संबंधित विधिक संशोधन;

(ग) राज्यक संचित निधि वा आकस्मिक निधिक अभिरक्षा, एहन कोनो निधिमे धन जमा करब वा ओहिमे सँ धन निकालब;

(घ) राज्यक संचित निधिमे सँ धनक विनियोग;

(ङ) कोनो व्ययकेँ राज्यक संचित निधि पर भारित व्यय घोषित करब वा एहन कोनो व्ययक राशिकेँ बढ़ाएब;

(च) राज्यक संचित निधि वा राज्यक सार्वजनिक खातासँ निधि प्राप्त करब वा एहन धनक अभिरक्षा वा ओकर निर्गमन; वा

(छ) उपखंड(क) सँ उपखंड(च) मे विनिर्दिष्ट कोनो विषयक आनुषंगिक कोनो विषय ।

(2) कोनो विधेयक मात्र एहि कारण धन विधेयक नहि बुझल जाएत, जे ओ जुर्माना वा अन्य धनीय दंड सभक अधिरोपणक वा अनुज्ञप्ति सभक लेल शुल्कक वा कएल गेल सेवा सभक लेल शुल्कक माँग वा ओकर भुगतानक उपबंध करैत अछि वा एहि कारण धन विधेयक नहि बुझल जाएत जे ओ कोनो स्थानीय प्राधिकारी वा निकाय द्वारा स्थानीय प्रयोजनक लेल कोनो कर केर अधिरोपण, उन्मूलन , परिहार, परिवर्तन वा विनियमनक उपबंध करैत अछि ।

(3) जँ ई प्रश्न उठैत अछि जे विधान परिषद वला कोनो राज्यक विधान-मंडलमे पुनःस्थापित कोनो विधेयक धन विधेयक अछि वा नहि तँ ओहि पर ओहि राज्यक विधान सभाक अध्यक्षक निर्णय अंतिम होएत ।

(भाग 6-राज्य)

(4) जखन धन विधेयक अनुच्छेद 198 केर अधीन विधान परिषदकेँ भेजल जाइत अछि आओर जखन ओ अनुच्छेद 200 केर अधीन अनुमतिक लेल राज्यपालक समक्ष प्रस्तुत कएल जाइत अछि तखन प्रत्येक धन विधेयक पर विधान सभाक अध्यक्षक हस्ताक्षर सहित ई प्रमाण पृष्ठांकित कएल जाएत जे ओ धन विधेयक अछि।

200. विधेयक पर अनुमति-जखन कोनो विधेयक राज्यक विधान सभा द्वारा वा विधान परिषद वला राज्यमे विधान-मंडलक दुनू सदनक द्वारा पारित क' देल गेल अछि तखन ओ राज्यपालक समक्ष प्रस्तुत कएल जाएत आओर राज्यपाल घोषित करत जे ओहि विधेयक पर अनुमति दैत अछि वा अनुमति रोकि लैत अछि वा ओहि विधेयककेँ राष्ट्रपतिक विचारार्थ आरक्षित राखैत अछि:

मुदा राज्यपाल अनुमतिक लेल अपन समक्ष विधेयक प्रस्तुत कएल जएबाक पश्चात् यथाधीन ओहि विधेयककेँ, जँ ओ धन विधेयक नहि अछि तँ, सदन वा सदन सभकेँ एहि संदेशक संग घुस सकत जे सदन वा दुनू सदन विधेयक पर वा ओकर कोनो विनिर्दिष्ट उपबंध सभ पर पुनर्विचार करथि आ विशिष्टतया कोनो एहन संशोधनक पुनःस्थापनक वांछनीयता पर विचार करथि जकर ओ अपन संदेशमे संस्तुति कएलक अछि आओर जखन विधेयक एहि प्रकारेँ वापस क' देल जाइत अछि तखन सदन वा दुनू सदनक विधेयक पर तदनुसार पुनर्विचार करत आओर जँ विधेयक सदन वा सदन सभ द्वारा संशोधन सहित वा ओकरा बिनु फेरसँ पारित क' देल जाइत अछि आओर राज्यपालक समक्ष अनुमतिक लेल प्रस्तुत कएल जाइत अछि तँ राज्यपाल ओहि पर अनुमति नहि रोकत:

मुदा ई तखन जँ जाहि विधेयकसँ, ओकर विधि बनि गेला पर, राज्यपालक विचारमे उच्च न्यायालयक शक्ति सभक एहन अल्पीकरण होएत जे ओ स्थान, जकर पूर्तिक लेल ओ न्यायालय एहि संविधान द्वारा परिकल्पित अछि, संकटापन्न भ' जाएत, ओहि विधेयक पर राज्यपाल अनुमति नहि देत, मुदा ओकरा राष्ट्रपतिक विचारक लेल आरक्षित राखत।

201. विचारक लेल आरक्षित विधेयक-जखन कोनो विधेयक राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपतिक विचारक लेल आरक्षित राखि लेल जाइत अछि तखन राष्ट्रपति घोषित करताह जे ओ विधेयक पर अनुमति दैत छथि वा अनुमति रोकि लैत छथि:

मुदा जतए विधेयक धन विधेयक नहि अछि ओतए राष्ट्रपति राज्यपालकेँ ई निदेश द' सकताह जे ओ विधेयककेँ, यथास्थिति, राज्यक विधान-मंडलक सदन वा सदन सभक एहन संदेशक संग, जे अनुच्छेद 200 केर पहिल परंतुकमे वर्णित अछि, घुस दिअ आओर जखन कोनो विधेयक एहि प्रकार घुस देल जाइत अछि तखन एहन संदेश भेटबाक तिथिसँ छओ मासक अवधिक भीतरक सदन वा सदन सभक द्वारा ओहि पर तदनुसार पुनर्विचार कएल जाएत आओर जँ ओ सदन वा सदन सभक द्वारा संशोधन सहित वा ओकर बिनु फेरसँ प्रस्तुत कएल जाएत।

भारतक संविधान

(भाग 6-राज्य)

वित्तीय विषय सभक संबंधमे प्रक्रिया

202. वार्षिक वित्तीय विवरण-(1) राज्यपाल प्रत्येक वित्तीय वर्षक संबंधमे राज्यक विधान-मंडलक सदन वा सदन सभक समक्ष ओहि राज्यक ओहि वर्षक लेल प्राकलित प्राप्ति सभ आ व्ययक विवरण रखबाओत जकरा एहि भागमे “वार्षिक वित्तीय विवरण” कहल गेल अछि ।

(2) वार्षिक वित्तीय विवरण मे देल गेल व्ययक प्राकलन सभमे-

(क) एहि संविधानमे राज्यक संचित निधि पर भारित व्ययक रूपमे वर्णित व्ययक पूर्तिक लेल अपेक्षित राशि सभ, आओर

(ख) राज्यक संचित निधिमे सँ कएल जएबाक लेल प्रस्थापित अन्य व्ययक पूर्तिक लेल अपेक्षित राशि सभ, पृथक-पृथक देखाओल जाएत आओर राजस्व खाता होमएवला व्ययक अन्य व्ययसँ भेद कएल जाएत ।

(3) निम्नलिखित व्यय प्रत्येक राज्यक संचित विधि पर भारित व्यय होएत, अर्थात:-

(क) राज्यपालक उपलब्धि आ भत्ता सभ एवं ओकर पदसँ संबंधित अन्य व्यय;

(ख) विधान सभाक अध्यक्ष आओर उपाध्यक्षक एवं विधान परिषद वला राज्यक दशाहे विधान परिषदक सभापति आओर उपसभापतिक सेहो वेतन आओर भत्ता सभ;

(ग) एहन ऋण भार जकर दायित्व राज्य पर अछि, जकर अंतर्गत ब्याज, निक्षेप निधि भार आओर मोचन भार एवं उधार लेबाक आओर ऋण सेवा आ ऋण मोचनसँ संबंधित अन्य व्यय अछि;

(घ) कोनो उच्च न्यायालयक न्यायाधीश सभक वेतन आ भत्ताक संबंधमे व्यय;

(ङ) कोनो न्यायालय वा माध्यस्थम अधिकरणक निर्णय, आज्ञासि वा पुरस्कारक तुष्टिक लेल अपेक्षित राशि सभ;

(च) कोनो अन्य व्यय जे एहि संविधान द्वारा वा राज्यक विधान-मंडल द्वारा, विधि द्वारा एहि प्रकार भारित घोषित कएल जाइत अछि ।

203. विधान-मंडलमे प्राकलन सभक संबंधमे प्रक्रिया-(1) प्राकलनमे सँ जतेक प्राकलन राज्यक संचित निधि पर भारित व्ययसँ संबंधित अछि ओ विधान सभामे मतदानक लेल नहि राखल जाएत, मुदा एहि खंडक कोनो बातक ई अर्थ नहि लगाओल जाएत जे ओहि विधान-मंडलमे ओहि प्राकलन सभमे सँ कोनो प्राकलन पर चर्चाकें निवारित करैत अछि ।

(भाग 6-राज्य)

(2) उक्त प्राक्कलन सभमे सँ जतेक प्राक्कलन अन्य व्ययसँ संबंधित अछि ओ विधान सभाक समक्ष अनुदान सभक माँगक रूपमे राखल जाएत आ विधान सभाक शक्ति होएत जे ओ कोनो माँगक अनुमित दैथि वा अनुमति देलासँ नकारि दिअ अथवा कोनो माँगक, ओहिमे विनिर्दिष्ट रकमकेँ कम क' कए अनुमति दैथि ।

(3) कोनो अनुदानक माँग राज्यपालक संस्तुति पर कएल जाएत, अन्यथा नहि ।

204. विनियोग विधेयक-(1) विधान सभा द्वारा अनुच्छेद 203 केर अधीन अनुदान देलाक पश्चात् यथासाध्य शीघ्र, राज्यक संचित निधिमे सँ-

(क) विधान सभा द्वारा एहि प्रकार कएल गेल अनुदानक आओर

(ख) राज्यक संचित निधि पर भारित मुदा सदन वा सदन सभक समक्ष पहिने राखल गेल विवरणमे दर्शित रकमसँ कोनहुँ दशामे अनधिक व्ययक पूर्तिक लेल अपेक्षित सभ धनराशिक विनियोगक उपबंध करबाक लेल विधेयक पुनःस्थापित कएल जाएत ।

(2) एहि प्रकार कएल गेल कोनो अनुदानक रकममे परिवर्तन करब वा अनुदानक लक्ष्यकेँ बदलबाक अथवा राज्यक संचित निधि पर भारित व्ययक रकममे परिवर्तन करबाक प्रभाव राखए वला कोनो संशोधन, एहन कोनो विधेयकमे राज्यक विधान-मंडलक सदनमे वा कोनो सदनमे प्रस्थापित नहि कएल जाएत आओर पीठासीन व्यक्तिक एहि संबंधमे निर्णय अंतिम होएत जे कोनो संशोधन एहि खंडक अधीन अग्राह्य अछि वा नहि ।

(3) अनुच्छेद 205 आओर अनुच्छेद 206 केर उपबंध सभक अधीन रहैत, राज्यक संचित निधिमे सँ एहि अनुच्छेदक उपबंधक अनुसार पारित विधि द्वारा कएल गेल विनियोगक अधीनहि कोनो धन निकालल जा सकैछ, अन्यथा नहि ।

205. अनुपूरक, अतिरिक्त वा अधि-अनुदान-(1) राज्यपाल जँ-

(क) अनुच्छेद 204 केर उपबंध सभक अनुसार बनाओल गेल कोनो विधि द्वारा कोनो विशिष्ट सेवा पर चालू वित्तीय वर्षक लेल व्यय कएल जाएबाक लेल प्राधिकृत कोनो रकम ओहि वर्षक प्रयोजन सभक लेल अपर्याप्त पाओल जाइत अछि वा ओहि वर्षक वार्षिक वित्तीय विवरणमे अनुध्यात नहि कएल गेल कोनो नव सेवा पर अनुपूरक वा अतिरिक्त व्ययक चालू वित्तीय वर्षक क्रममे आवश्यकता बूझल गेल हो, वा

(ख) कोनो वित्तीय वर्षक, क्रममे कोनो सेवा पर ओहि वर्ष आ ओहि सेवाक लेल अनुदान कएल गेल रकमसँ बेसी कोनो धन व्यय भ' गेल अछि,

तँ राज्यपाल, यथास्थिति, राज्यक विधान-मंडलक सदन वा सदन सभक समक्ष ओहि व्ययक प्राकलित रकमकेँ दर्शित करएवला दोसर विवरण रखबाओत वा राज्यक विधान सभामे एहन आधिक्यकक लेल माँग प्रस्तुत करबाओत ।

(2) एहन कोनो विवरण आओर व्यय वा माँगक संबंधमे एवं राज्यक संचित निधिमे सँ एहन व्यय वा एहन माँगसँ संबंधित अनुदानक पूर्तिक लेल धनक विनियोग प्राधिकृत करबाक लेल बनाओल जाएवला कोनो विधिक संबंधमे सेहो अनुच्छेद 202, अनुच्छेद 203 आ अनुच्छेद 204 केर उपबंध ओहिना प्रभावित होएत जेना ओ वार्षिक वित्तीय विवरण आओर ओहिमे वर्णित व्ययक संबंधमे वा कोनो अनुदानक कोनो माँगक संबंधमे आओर राज्यक संचित निधिमे सँ एहन व्यय वा अनुदानक पूर्तिक लेल धनक विनियोग प्राधिकृत करबाक लेल बनाओल जाएवला विधिक संबंधमे प्रभावी अछि ।

206. लेखानुदान, प्रत्ययानुदान आओर आपवादानुदान-(1) एहि अध्यायक पूर्वगामी उपबंधमे कोनो बातक होइतहुँ कोनो राज्यक विधान सभाकेँ-

(क) कोनो वित्तीय वर्षक भागक लेल प्राकलित व्ययक संबंधमे कोनो अनुदान, ओहि अनुदानक लेल मतदान करबाक लेल अनुच्छेद 203 मे विहित प्रक्रियाक पूरा होमए धरि आओर ओहि व्ययक संबंधमे अनुच्छेद 204 केर उपबंधक अनुसार विधिकेँ पारित होएबा धरि अग्रिम देबाक;

(ख) जखन कोनो सेवाक महत्ता वा ओकर अनिश्चित रूपक कारण माँग, एहन ब्यौराक संग वर्णित नहि कएल जा सकैछ जे वार्षिक वित्तीय विवरणमे सामान्यतया देल जाइत अछि तखन राज्यक संपत्ति स्रोत सभ पर अप्रत्याशित माँगक पूर्तिक लेल अनुदान करबाक;

(ग) कोनो वित्तीय वर्षक चालू सेवाक जे अनुदान भाग नहि अछि एहन कोनो अपवादानुदान करबाक; शक्ति होएत आओर जाहि प्रयोजन सभक लेल उक्त अनुदान कएल गेल अछि ओकरा लेल राज्यक संचित निधिमे सँ धन निकालब विधि द्वारा प्राधिकृत करबाक राज्यक विधान-मंडलकेँ शक्ति होएत ।

(2) खंड(1) केर अधीन कएल जाएवला कोनो अनुदान आ ओहि खंडक अधीन बनाओल जाएवला कोनो विधिक संबंधमे अनुच्छेद 203 आओर अनुच्छेद 204 केर उपबंध ओहिना प्रभावित होएत जेना ओ वार्षिक वित्तीय विवरणमे वर्णित कोनो व्ययक विषयमे कोनो अनुदान करबाक

(भाग 6-राज्य)

संबंधमे आओर राज्यक संचित निधिमे सँ एहन व्ययक पूर्तिक लेल धनक विनियोग प्राधिकृत करबाक लेल बनाओल जाएवला विधिक संबंधमे प्रभावी अछि ।

207. वित्त विधेयकक विषयमे विशेष उपबंध-(1) अनुच्छेद 199 केर खंड(1) केर उपखंड (क)सँ उपखंड (च) मे विनिर्दिष्ट कोनो विषयक लेल उपबंध करएवला विधेयक वा संशोधन राज्यपालक संस्तुतिसँ पुनःस्थापित वा प्रस्तावित कएल जाएत, अन्यथा नहि आओर एहन उपबंध करएवला विधेयक विधान परिषदमे पुनःस्थापित नहि कएल जाएत:

मुदा कोनो कर केँ घटाएब वा उन्मूलनक लेल उपबंध करएवला कोनो संशोधनक प्रस्तावक लेल एहि खंडक अधीन संस्तुतिक अपेक्षा नहि होएत ।

(2) कोनो विधेयक वा संशोधन उक्त विषय सभमे सँ कोनो विषयक लेल उपबंध करएवला मात्र एहि कारणेँ नहि बुझल जाएत जे ओ जुर्माना वा अन्य धनीय दंड सभक अधिरोपणक अथवा अनुज्ञप्ति सभक लेल शुल्क सभक वा कएल गेल सेवा सभक लेल शुल्क भुगतानक माँगक वा ओकार भुगतानक उपबंध करैत अछि अथवा एहि कारणेँ नहि बुझल जाएत जे ओ कोनो स्थानीय प्राधिकारी वा निकाय द्वारा स्थानीय प्रयोजनक कोनो कर'क अधिरोपण, उन्मूलन, परिहार, परिवर्तन वा विनियमनक उपबंध करैत अछि ।

(3) जाहि विधेयककेँ अधिनियमित आओर प्रवर्तित कएल गेला पर राज्यक संचित निधिमे सँ व्यय कए पड़त ओ विधेयक राज्यक विधान-मंडलक कोनो सदन द्वारा ताधरि पारित नहि कएल जाएत जाधरि एहन विधेयक पर विचार करबाक लेल ओहि सदनसँ राज्यपालक संस्तुति नहि भेल अछि ।

सामान्य प्रक्रिया

208. प्रक्रियाक नियम-(1) एहि संविधानक उपबंध सभक अधीन रहैत, राज्यक विधान-मंडलक कोनो सदन अपन प्रक्रिया* आओर अपन कार्य संचालनक विनियमनक लेल नियम बना सकत ।

(2) जाधरि खंड(1) केर अधीन नियम नहि बनाओल जाइत अछि ताधरि एहि संविधानक प्रारंभसँ ठीक पहिने तत्संबंधी प्रांत विधान-मंडलक संबंधमे जे प्रक्रियाक नियम आओर स्थायी आदेश प्रवृत्त ओ एहन उपांतरण सभक आओर अनुकूल सभक अधीन रहैत ओहि राज्यक विधान-मंडलक संबंधमे प्रभावी होएताह जिनका, यथास्थिति, विधान सभाक अध्यक्ष वा विधान परिषदक सभापति ओहि स्थिति केँ बनौने रहथि ।

(3) राज्यपाल विधान परिषद वला राज्यमे विधान सभाक अध्यक्ष आओर विधान परिषदक

* संविधान (बियालिसम संशोधन) अधिनियम, 1976 केर धारा 35 द्वारा (तिथि अधिसूचित नहि कएल गेल) “जकर अंतर्गत सदनक बैसारक गठन करबाक लेल गणपूर्ति सम्मिलित अछि ।” शब्द आओर कोष्ठक सँ अंतःस्थापित । एहि संशोधनक संविधान (चौवालिसम संशोधन) अधिनियम, 1978 केर धारा 45 द्वारा (20-6-1979 सँ) लोप कए देल गेल ।

सभापति सँ परामर्श करबाक पश्चात् दुनू सदनमे परस्पर संचारसँ संबंधित प्रक्रियाक नियम बना सकताह ।

209. राज्यक विधान-मंडलमे वित्तीय कार्य संबंधी प्रक्रियाक विधि द्वारा विनियमन-कोनो राज्यक विधान-मंडल, वित्तीय कार्यकें समयक भीतर पूरा करबाक प्रयोजनक लेल कोनो वित्तीय विषयसँ संबंधित वा राज्यक संचित निधिमे सँ धनक विनियोग करबाक लेल कोनो विधेयकसँ संबंधित, राज्यक विधान-मंडलक सदन वा सदन सभक प्रक्रिया आओर कार्य संचालनक विनियमन विधि द्वारा क' सकत एवं जँ आ जतए धरि एहि प्रकार बनाओल गेल कोनो विधिक कोनो उपबंध अनुच्छेद 208 केर खंड(1) केर अधीन राज्यक विधान-मंडलक सदन वा कोनो सदन द्वारा बनाओल गेल नियमसँ वा ओहि अनुच्छेदक खंड(2) केर अधीन राज्य विधान-मंडलक संबंधमे प्रभावी कोनो नियम वा स्थायी आदेशसँ असंगत अछि तँ आओर ओतए धरि एहन उपबंध अभिभावी होएत ।

210. विधान-मंडलमे प्रयोग कएल जाएवला भाषा-(1) भाग 17 मे कोनो बातक होइतहुँ, मुदा अनुच्छेद 378 केर उपबंधक अधीन रहैत, राज्यक विधान-मंडलमे कार्य राज्यक राजभाषा वा राज्यभाषा सभमे वा हिंदीमे वा अंग्रेजीमे कएल जाएत: मुदा यथास्थिति, विधान सभाक अध्यक्ष वा विधान परिषदक सभापति अथवा ओहि रूपमे कार्य करएवला व्यक्ति कोनो सदस्यकें, जे पूर्वोक्त भाषा सभमे सँ कोनो भाषामे अपन पर्याप्त अभिव्यक्ति नहि क' सकैत छथि, अपन मातृभाषामे सदनकें संबोधित करबाक अनुज्ञा द' सकत ।

(2) जाधरि राज्यक विधान-मंडल विधि द्वारा अन्यथा उपबंध नहि करथि ताधरि एहि संविधानक प्रारंभसँ पंद्रह वर्षक अवधिक समाप्तिक पश्चात् ई अनुच्छेद एहि तरहें प्रभावी होएत बुझल जाए “वा अंग्रेजीमे” शब्द सभक ओहिमे सँ लोप क' देल गेल हुआए :

¹[मुदा ²[हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय आ त्रिपुरा राज्य सभक विधान-मंडल]क संबंधमे ई खंड एहि प्रकार प्रभावी होएत बुझल जाए एहिमे आबए वला “पंद्रह वर्ष” शब्द सभक स्थान पर “पच्चीस वर्ष” शब्द राखि देल गेल हुआए:]

³[मुदा ई आओर जे ⁴[अरुणाचल प्रदेश, गोवा आ मिजोरम राज्य सभक विधान-मंडल]]क संबंधमे ई खंड एहि प्रकार प्रभावी होएत बुझल जाए एहिमे आबए वला “पंद्रह वर्ष” शब्द सभक स्थान पर “चालीस वर्ष” शब्द राखि देल गेल हुआए ।]

¹ हिमाचल प्रदेश राज्य अधिनियम, 1970 (1970 केर 53) केर धारा 46 द्वारा (25-1-1971 सँ) अंतःस्थापित ।

² पूर्वोत्तर क्षेत्र (पुनर्गठन) अधिनियम, 1971 (1971 केर 81), धारा 71 द्वारा (21-1-1972 सँ) “हिमाचल प्रदेश राज्यक विधान-मंडल”क स्थान पर प्रतिस्थापित ।

³ मिजोरम राज्य अधिनियम, 1986 (1986 केर 34) केर धारा 39 द्वारा (20-2-1987 सँ) अंतःस्थापित ।

⁴ अरुणाचल प्रदेश राज्य अधिनियम, 1986 (1986 केर 69) केर धारा 42 द्वारा (20-2-1987 सँ) “मिजोरम राज्यक विधान-मंडल” केर स्थान पर प्रतिस्थापित ।

⁵ गोवा, दमन आ दीव पुनर्गठन अधिनियम, 1987 (1987 क 18) क धारा 63 द्वारा (30-5-1987 सँ) “अरुणाचल प्रदेश आ मिजोरम” क स्थान पर प्रतिस्थापित ।

211. विधान-मंडलमे चर्चा पर प्रतिबंध-उच्चतम न्यायालय वा कोनो उच्च न्यायालयक कोनो न्यायाधीशक अपन कर्तव्य सभक निर्वहनमे कएल गेल, आचरणक विषयमे राज्यक विधान-मंडलमे कोनो चर्चा नहि होएत।

212. न्यायालय द्वारा विधान-मंडलक कार्यवाहीक परीक्षण नहि कएल जाएब-(1) राज्यक विधान-मंडलक कोनो कार्यवाहीक विधिमान्यताक प्रक्रियाकेँ कोनो अभिकथित अनियमितताक आधार पर प्रश्नगत नहि कएल जाएत।

(2) राज्यक विधान-मंडलक कोनो अधिकारी वा सदस्य, जाहिमे एहि संविधान द्वारा वा एकर अधीन ओहि विधान-मंडलमे प्रक्रिया वा कार्य संचालनक विनियमन करबाक अथवा व्यवस्था बनौने रखबाक शक्ति सभ निहित अछि, ओहि शक्ति सभक द्वारा प्रयोगक विषयमे कोनो न्यायालयक अधिकारिताक अधीन नहि होएत।

अध्याय 4-राज्यपालक विधायी शक्ति

213. विधान-मंडलक अल्पावकाश अध्यादेश घोषित करबाक राज्यपालक शक्ति-(1) ओहि समयकेँ छोड़िकए जखन कोनो राज्यक विधान सभा सत्रमे अछि वा विधान परिषद द्वारा राज्यमे विधान-मंडलक दुनू सदन सत्रमे अछि, जँ कोनो समय राज्यपालकेँ ई समाधान भ' जाइत अछि जे एहन परिस्थिति सभ विद्यमान अछि जाहि कारणेँ तुरंत कार्रवाई करब ओकरा लेल आवश्यक भ' गेल अछि तँ ओ एहन अध्यादेश प्रख्यापित क' सकत जे ओकरा ओहि परिस्थिति सभमे अपेक्षित प्रतीत होइछ; मुदा राज्यपाल, राष्ट्रपतिक अनुदेश सभक बिनु, कोनो एहन अध्यादेश प्रख्यापित नहि करत जँ-

(क) ओहने उपबंध अंतर्विष्ट करएवला विधेयककेँ विधान-मंडलमे पुनःस्थापित कएल जएबाक लेल राष्ट्रपतिक पूर्व मंजूरीक अपेक्षा एहि संविधानक अधीन होएत; वा

(ख) ओ ओहने उपबंध अंतर्विष्ट करएवला विधेयककेँ राष्ट्रपतिक विचारक लेल आरक्षित राखब आवश्यक बुझता; वा

(ग) ओहन सब उपबंध अंतर्विष्ट करएवला राज्यक विधान-मंडलक अधिनियम एहि संविधानक अधीन ताधरि अविधिमान्य होएत जाधरि राष्ट्रपतिक विचारक लेल आरक्षित राखल गेला पर ओकरा राष्ट्रपतिक अनुमति प्राप्त नहि भ' गेल होइक।

(2) एहि अनुच्छेदक अधीन प्रख्यापित अध्यादेशक वएह बल आ प्रभाव होएत जे राज्यक विधान-मंडलक एहन अधिनियमक होइत अछि जकरा राज्यपाल अनुमति द' देने छथि, मुदा प्रत्येक एहन अध्यादेश-

(क) राज्यक विधान सभाक समक्ष आओर विधान परिषद वला राज्यमे दुनू सदन सभक समक्ष राखल जाएत एवं विधान-मंडलक पुनः समवेत होएबासँ छओ सप्ताह समाप्ति पर वा जँ ओहि अवधिक समाप्तिसँ पहिने विधान सभा ओकर अनुमोदनक संकल्प पारित क' दैत अछि आ जँ विधान परिषद अछि तँ ओ ओहि सँ समहत भ' जाइत अछि तँ, यथास्थिति, संकल्पक पारित होमय पर वा विधान परिषद द्वारा संकल्पसँ सहमत भेला पर प्रवर्तनमे नहि रहत; आओर

(ख) राज्यपाल द्वारा कोनो समय वापस लेल जा सकैत अछि ।

स्पष्टीकरण-जतए विधान परिषद वला राज्यक विधान मंडलक सदन, भिन्न-भिन्न तिथि सभकेँ पुनः समवेत होएबाक लेल, आहूत कएल जाइत अछि ओतए एहि खंडक प्रयोजन सभक छओ सप्ताहक अवधिक गणना ओहि तिथि सभमे सँ पश्चातवर्ती तिथिसँ कएल जाएत ।

(3) जँ आओर जतए धरि एहि अनुच्छेदक अधीन अध्यादेश कोनो एहन उपबंध करैत अछि जे राज्यक विधान-मंडलक एहन अधिनियममे, जकरा राज्यपाल अनुमति द' देलक अछि, अधिनियमित कएल गेला पर विधिमान्य नहि होइत अछि तँ आओर ओतए धरि ओ अध्यादेश निरस्त होएत :

मुदा राज्यक विधान-मंडलक एहन अधिनियमकेँ जे समवर्ती सूचीमे प्रगणित कोनो विषयक बारेमे संसदक कोनो अधिनियम वा कोनो विद्यमान विधिक विरुद्ध अछि, प्रभावसँ संबंधित एहि संविधानक उपबंध सभक प्रयोजन सभक ई अछि जे कोनो अध्यादेश, जे राष्ट्रपतिक अनुदेश सभक अनुसरणमे एहि अनुच्छेदक अधीन प्रख्यापित कएल जाइत अछि, राज्यक विधान-मंडलक एहन अधिनियम बुझल जाएत जे राष्ट्रपतिक विचारक लेल आरक्षित राखल गेल छल आओर जकरा ओ अनुमति द' देलक अछि ।

¹(4) *

*

*

*

¹ संविधान (अड़तिसम संशोधन) अधिनियम, 1975 केर धारा 3 द्वारा (भूतलक्षी प्रभावसँ) खंड (4) अंतःस्थापित कएल गेल छल आ संविधान (चौवालिसम संशोधन) अधिनियम, 1978 केर धारा 27 द्वारा (20-6-1979 सँ) लोप कएल गेल ।

अध्याय 5-राज्य सभक उच्च न्यायालय

214. राज्य सभक लेल उच्च न्यायालय-¹*** प्रत्येक राज्यक लेल एक उच्च न्यायालय होएत ।

² (2) *	*	*	*
¹ (3) *	*	*	*

215. उच्च न्यायालय सभक अभिलेख न्यायालय होएब-प्रत्येक उच्च न्यायालय, अभिलेख न्यायालय होएत आओर ओकरा अपन अवमाननाक लेल दंड देबाक शक्ति सहित एहन न्यायालयक सभ शक्ति होएत ।

216. उच्च न्यायालय सभक गठन-प्रत्येक उच्च न्यायालयक मुख्य न्यायमूर्ति आओर एहन अन्य न्यायाधीश सभसँ मिलिकेँ बनत जिनका राष्ट्रपति समय-समय पर नियुक्त करब आवश्यक बुझताह ।

³ *	*	*	*	*
----------------	---	---	---	---

217. उच्च न्यायालयक न्यायाधीशक नियुक्ति आओर ओहि पदसँ संबंधित शर्त-(1) ⁴[अनुच्छेद 123 क मे निर्दिष्ट राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोगक संस्तुति पर, राष्ट्रपति) अपन हस्ताक्षर आओर मोहर सहित अधिपत्र द्वारा उच्च न्यायालयक प्रत्येक न्यायाधीशकेँ नियुक्त करत आ ओ न्यायाधीश ⁵[अपर वा कार्यकारी न्यायाधीशक दशामे अनुच्छेद 224 मे उपबंधित रूपमे पद धारण करत आओर कोनो अन्य दशामे ताधरि पद धारण करत जाधरि ओ ⁶(बासठि वर्ष)क आयु प्राप्त नहि क' लैत अछि]]

मुदा-

(क) कोनो न्यायाधीश, राष्ट्रपतिकेँ संबोधित अपन हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपन पद त्यागि सकत;

(ख) कोनो न्यायाधीशकेँ उच्चतम न्यायालयक न्यायाधीशकेँ हटएबाक लेल अनुच्छेद 124 केर खंड

(4) मे उपबंधित प्रक्रियासँ ओकर पदसँ राष्ट्रपति द्वारा हटाओल जा सकैछ;

¹ संविधान (सातम संशोधन) अधिनियम, 1956 केर धारा 29 आओर अनुसूची द्वारा (1-11-1956 सँ) कोष्ठक आ अंक “(1)” केँ लोप कएल गेल ।

² संविधान (सातम संशोधन) अधिनियम, 1956 केर धारा 29 आओर अनुसूची द्वारा (1-11-1956 सँ) खंड (2) आ खंड (3) केर लोप कएल गेल ।

³ संविधान (सातम संशोधन) अधिनियम, 1956 केर धारा 11 द्वारा (1-11-1956 सँ) परंतुककेँ लोप कएल गेल ।

⁴ संविधान (नानावेयम संशोधन) अधिनियम, 2014 केर धारा 6 द्वारा (13-4-2015 सँ) “भारतक मुख्य न्यायमूर्तिसँ, ओहि राज्यक राज्यपाल सँ आ मुख्य न्यायमूर्तिसँ भिन्न कोनो न्यायाधीशक नियुक्तिक दशामे ओहि उच्च न्यायालयक मुख्य न्यायमूर्तिसँ परामर्श करबाक पश्चात् राष्ट्रपति”क स्थान पर प्रतिस्थापित ई संशोधन सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स आन रिकार्ड एसोसिएशन आओर अन्य **बनाम** भारत संघ ए.आई.आर.2016 एस.सी. 117 मे उच्चतम न्यायालयक तिथि 16-10-2015 केर आदेश द्वारा अभिखंडित क' देल गेल अछि ।

⁵ संविधान (सातम संशोधन) अधिनियम, 1956 केर धारा 12 द्वारा (1-11-1956 सँ) “ताधरि पद धारण करत जाधरि ओ साठि वर्षक आयु प्राप्त नहि क' लिअए” केर स्थान पर प्रतिस्थापित ।

⁶ संविधान (पंद्रहम संशोधन) अधिनियम, 1963 केर धारा 4 केर द्वारा (5-10-1963 सँ) “साठि वर्ष”क स्थान पर प्रतिस्थापित ।

(ग) कोनो न्यायाधीशक पद, राष्ट्रपति द्वारा ओकरा उच्चतम न्यायालयक न्यायाधीश नियुक्त कएल जाएबा पर वा राष्ट्रपति द्वारा ओकरा भारतक राज्यक्षेत्रमे कोनो अन्य उच्च न्यायालयकें, स्थानान्तरित कएल गेलापर रिक्त भ' जाएत ।

(2) कोनो व्यक्ति, कोनो उच्च न्यायालयक न्यायाधीशक रूपमे नियुक्तिक लेल तखनहि अर्हित होएताह जखन ओ भारतक नागरिक छथि; आओर-

(क) भारतक राज्यक्षेत्रमे कमसँ कम दस वर्ष धरि न्यायिक पद धारण क' चुकल छथि; वा

(ख) कोनो ¹*** उच्च न्यायालयक वा एहन दू वा बेसी न्यायालय सभक लगातार कमसँ कम दस वर्ष धरि अधिवक्ता रहल छथि;

²(ग) * * * * *

स्पष्टीकरण-एहि खंडक प्रयोजनक लेल-

³[(क) भारतक राज्यक्षेत्रमे न्यायिक पद धारण करबाक अवधिक संगणना करबामे ओ अवधि सेहो सम्मिलित कएल जाएत जाहि अवधिमे कोनो व्यक्ति न्यायिक पद धारण करबाक पश्चात् कोनो उच्च न्यायालयक अधिवक्ता रहल अछि वा ओ कोनो अधिकरणक सदस्यक पद धारण कएलक अछि अथवा संघ वा राज्यक अधीन कोनो एहन पद धारण कएलक अछि जकरा लेल विधिक विशेष ज्ञान अपेक्षित अछि;]

⁴[(कक) कोनो उच्च न्यायालयक अधिवक्ता रहबाक अवधिक संगणना करबामे ओ अवधि सेहो सम्मिलित कएल जाएत जकर समयमे कोनो व्यक्ति अधिवक्ता भ' गेलाक पश्चात् ⁵[न्यायिक पद धारण कएलक अछि वा कोनो अधिकरणक सदस्यक पद धारण कएलक अछि अथवा संघ वा राज्यक अधीन कोनो ओहन पद धारण कएलक अछि जकरा लेल विधिक विशेष ज्ञान अपेक्षित अछि;]

(ख) भारतक राज्यक्षेत्रमे न्यायिक पद धारण करबाक वा कोनो उच्च न्यायालयक अधिवक्ता रहबाक अवधिक संगणना करबामे एहि संविधानक प्रारंभसँ पहिल जे ओ अछि सेहो सम्मिलित कएल जाएत जाहि अवधिमे कोनो व्यक्ति, यथास्थिति, एहन क्षेत्रमे जे 15

¹ संविधान (सातम संशोधन) अधिनियम, 1956 केर धारा 29 आ अनुसूची द्वारा (1-11-1956 सँ) “पहिल अनुसूचीमे विनिर्दिष्ट कोनो राज्यमे कें” शब्द सभक लोप कएल गेल ।

² संविधान (बियालिसम संशोधन) अधिनियम, 1976 केर धारा 36 द्वारा (3-1-1977 सँ) शब्द “वा” एवं उपखंड (ग) अंतःस्थापित कएल गेल आ संविधान (चौवालिसम संशोधन) अधिनियम, 1978 केर धारा 28 द्वारा (20-6-1979 सँ) ओकरा लोप कएल गेल ।

³ संविधान (चौवालिसम संशोधन) अधिनियम, 1978 केर धारा 28 द्वारा (20-6-1979 सँ) अंतःस्थापित ।

⁴ संविधान (चौवालिसम संशोधन) अधिनियम, 1978 केर धारा 28 द्वारा (20-6-1979 सँ) खंड (क) कें खंड (क क) केर रूपमे पुनः अक्षरांकित कएल गेल ।

⁵ संविधान (बियालिसम संशोधन) अधिनियम, 1976 केर धारा 36 द्वारा (3-1-1977 सँ) “न्यायिक पद धारण कएने होअए” केर स्थान पर प्रतिस्थापित ।

(भाग 6-राज्य)

अगस्त, 1947सँ पहिने भारत शासन अधिनियम, 1935मे परिभाषित भारतमे समाविष्ट छल, न्यायिक पद धारण कएलक अछि वा ओ एहन कोनो क्षेत्रमे कोनो उच्च न्यायालयक अधिवक्ता रहल अछि ।

¹[(3) जँ उच्च न्यायालयक कोनो न्यायाधीशक आयुक संबंधमे कोनो प्रश्न उठैत अछि तँ ओहि प्रश्नक निर्णय भारतक मुख्य न्यायमूर्तिसँ परामर्श करबाक पश्चात् राष्ट्रपति द्वारा कएल जाएत आ राष्ट्रपतिक निर्णय अंतिम होएत]

218. उच्चतम न्यायालयसँ संबंधित किछु विशिष्ट उपबंध सभक उच्च न्यायालयमे लागू होएब- अनुच्छेद 124 केर खंड (4) आ खंड(5) केर उपबंध, जतए-जतए ओहिमे उच्चतम न्यायालयक प्रति निर्देश अछि ओतए-ओतए उच्च न्यायालयक प्रति निर्देश प्रतिस्थापित क' कए उच्च न्यायालयक संबंधमे ओहने लागू होएत जेहन ओ उच्चतम न्यायालयक संबंधमे लागू होइत अछि ।

219. उच्च न्यायालय सभक न्यायाधीश द्वारा शपथ वा प्रतिज्ञान-^{2***}उच्च न्यायालयक न्यायाधीश होएबाक लेल नियुक्त प्रत्येक व्यक्ति, अपन पदग्रहण करबासँ पहिने, ओहि राज्यक राज्यपाल वा हुनका द्वारा एहि निमित्त नियुक्त व्यक्तिक समक्ष, तेसर अनुसूचीमे एहि प्रयोजनक लेल देल गेल प्रारूपक अनुसार, शपथ लेत वा प्रतिज्ञान करत आ ओहि पर अपन हस्ताक्षर करत ।

³[**220. स्थायी न्यायाधीश रहलाक पश्चात् विधि-व्यवस्था पर प्रतिबंध-**कोनो व्यक्ति, जे एहि संविधानक प्रारंभक पश्चात् कोनो उच्च न्यायालयक स्थायी न्यायाधीशक रूपमे पद धारण कएलक अछि, उच्चतम न्यायालय आओर अन्य उच्च न्यायालय सभक अतिरिक्त भारतमे कोनो न्यायालय वा कोनो प्राधिकारीक समक्ष अभिवचन वा कार्य नहि करत ।

स्पष्टीकरण-एहि अनुच्छेदमे, “उच्च न्यायालय” पदक अंतर्गत संविधान (सातम संशोधन) अधिनियम, 1956 केर प्रारंभ⁴ सँ पहिने विद्यमान पहिल अनुसूचीक भाग ख मे विनिर्दिष्ट राज्यक उच्च न्यायालय नहि अछि ।]

221. न्यायाधीश सभक वेतन आदि-⁵[(1) प्रत्येक उच्च न्यायालयक न्यायाधीश सभकेँ एहन वेतनक भुगतान कएल जाएत जे दोसर अनुसूचीमे विनिर्दिष्ट अछि ।]

¹ संविधान (पंद्रहम संशोधन) अधिनियम, 1963 केर धारा 4 (ख) द्वारा (भूतलक्षी प्रभावसँ) अंतःस्थापित ।

² संविधान (सातम संशोधन) अधिनियम, 1956 केर धारा 29 आ अनुसूची द्वारा (1-11-1956 सँ) “कोनो राज्यमे” शब्द सभक लोप कएल गेल ।

³ संविधान (सातम संशोधन) अधिनियम, 1956 केर धारा (1-11-1956 सँ) प्रतिस्थापित ।

⁴ 1 नवंबर, 1956.

⁵ संविधान (चौवनम संशोधन) अधिनियम, 1986 केर धारा 3 द्वारा (1-4-1986 सँ) खंड (1) केर स्थान पर प्रतिस्थापित ।

2. प्रत्येक न्यायाधीश एहन भत्ता सभक एवं अनुपस्थिति छुट्टी आओर पेंशनक संबंधमे एहन अधिकार सभक, जे संसद द्वारा बनाओल गेल विधि द्वारा वा ओकर अधीन समय-समय पर सुनिश्चित कएल जाए, आओर जाधरि एहि प्रकारें सुनिश्चित नहि कएल जाइत अछि ताधरि एहन भत्ता सभ आ अधिकार सभक, जे दोसर अनुसूचीमे विनिर्दिष्ट अछि, हकदार होएत:

मुदा कोनो न्यायाधीशक भत्ता सभमे आओर अनुपस्थिति छुट्टी वा पेंशनक संबंधमे ओकर अधिकार सभमे ओकर नियुक्तिक पश्चात् हुनका लेल अलाभकारी परिवर्तन नहि कएल जाएत।

222. कोनो न्यायाधीशक एकसँ दोसर उच्च न्यायालयमे स्थानान्तरण-(1) राष्ट्रपति, '[अनुच्छेद 124 क मे निर्दिष्ट राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोगक संस्तुति पर]²***कोनो न्यायाधीशक एक उच्च न्यायालयसँ दोसर उच्च न्यायालयकें स्थानान्तरित क' सकत।

³[(2) जखन कोनो न्यायाधीश एहि प्रकारें स्थानान्तरित कएल गेल अछि वा कएल जाइत अछि तखन ओ ओहि अवधिक मध्य ओ संविधान (पंद्रहम संशोधन) अधिनियम, 1963 केर प्रारंभक पश्चात् दोसर उच्च न्यायालयक न्यायाधीशक रूपमे सेवा करैत अछि, अपन वेतनक अतिरिक्त एहन प्रतिपूरक भत्ता, जे संसद विधि द्वारा सुनिश्चित करए आओर जाधरि एहि प्रकारें सुनिश्चित नहि कएल जाइत अछि ताधरि एहन प्रतिपूरक भत्ता, जे राष्ट्रपति आदेश द्वारा नियत करए, प्राप्त करबाक हकदार होएत।]

223. कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्तिक नियुक्ति-जखन कोनो उच्च न्यायालयक मुख्य न्यायमूर्तिक पद रिक्त अछि वा जखन एहि तरहक मुख्य न्यायमूर्ति अनुपस्थितिक कारण वा अन्यथा अपन पदक कर्तव्य सभक पालन करबामे असमर्थ अछि तखन न्यायालयक अन्य न्यायाधीश सभमे सँ एहन एक न्यायाधीश, जकरा राष्ट्रपति एहि प्रयोजनक लेल नियुक्त करथि, ओहि पद केर कर्तव्य सभक पालन करताह।

⁴[**224. अपर आओर कार्यकारी न्यायाधीश सभक नियुक्ति-**(1) जँ कोनो उच्च न्यायालयक कार्य मे कोनो अस्थायी वृद्धिक कारण वा ओहिमे कार्यक बकायाक कारण राष्ट्रपतिकें ई प्रतीत होइत

¹ संविधान (नितानवेयम संशोधन) अधिनियम, 2014 केर धारा 7 द्वारा (13-4-2015 सँ) “भारतक मुख्य न्यायमूर्तिसँ परामर्श करबाक पश्चात्” केर स्थान पर प्रतिस्थापित। ई संशोधन *सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स आन रिकार्ड एसोसिएशन आओर अन्य बनाम भारत संघ* ए.आए.आर. 2016 एस.सी. 117 मे उच्चतम न्यायालयक तिथि 16-10-2015 केर आदेश द्वारा अभिखंडित क' देल गेल अछि।

² संविधान (सातम संशोधन) अधिनियम, 1956 केर धारा 14 द्वारा (1-11-1956 सँ) “भारतक राज्यक्षेत्रमे केर” शब्द सभक लोप कएल गेल।

³ संविधान (पंद्रहम संशोधन) अधिनियम, 1963 केर धारा 5 द्वारा (5-10-1963 सँ) अंतःस्थापित। संविधान (सातम संशोधन) अधिनियम, 1956 केर धारा 14 द्वारा (1-11-1956 सँ) मूल खंड (2) केर लोप कएल गेल।

⁴ संविधान (सातम संशोधन) अधिनियम, 1956 केर धारा 15 द्वारा (1-11-1956 सँ) अनुच्छेद 224 केर स्थान पर प्रतिस्थापित।

(भाग 6-राज्य)

छनि जे ओहि न्यायालयक न्यायाधीश सभक संख्याकें तत्समय बेसी क' देबाक चाही ¹[तैं राष्ट्रपति, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोगक परामर्शसँ सम्यक रूपसँ] अर्हित व्यक्ति सभक दू वर्षसँ अनधिकक एहन अवधिक लेल जे ओ विनिर्दिष्ट करथि, ओहि न्यायालयक अपर न्यायाधीश नियुक्त क' सकताह ।

(2) जखन कोनो उच्च न्यायालयक मुख्य न्यायमूर्तिसँ भिन्न कोनो न्यायाधीश अनुपस्थितिक कारण वा अन्य कारणसँ अपन पदक कर्तव्य सभक पालन करबामे असमर्थ अछि वा मुख्य न्यायमूर्तिक रूपमे अस्थायी रूपसँ कार्य करबाक लेल नियुक्त कएल जाइत अछि । ¹तैं राष्ट्रपति, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोगक परामर्शसँ, सम्यक रूपसँ] अर्हित कानो व्यक्तिकें ताधरिक लेल ओहि न्यायालयक न्यायाधीशक रूपमे कार्य करबाक लेल नियुक्त क' सकताह जाधरि स्थायी न्यायाधीश अपन कर्तव्यकें फेरसँ नहि समहारि लैत अछि ।

(3) उच्च न्यायालयक अपर वा कार्यकारी न्यायाधीशक रूपमे नियुक्त कोनो व्यक्ति ²[बासठि वर्ष]क आयु प्राप्त क' लेबाक पश्चात् पद धारण नहि करताह ।

³[224क. उच्च न्यायालयक बैसारमे सेवानिवृत्त न्यायाधीशक नियुक्ति-एहि अध्यायमे कोनो कारणँ, ⁴[राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग कोनो राज्यक उच्च न्यायालयक मुख्य न्यायमूर्ति द्वारा ओकर कएल गेल कोनो निर्देश पर, राष्ट्रपतिक पूर्व सहमति सँ,] कोनो व्यक्तिसँ, जे ओहि उच्च न्यायालय वा कोनो अन्य उच्च न्यायालयक न्यायाधीशक पद धारण क' चुकल अछि, ओहि राज्यक उच्च न्यायालयक न्यायाधीशक रूपमे बैसबाक आ कार्य करबाक अनुरोध क' सकत आओर प्रत्येक एहन व्यक्ति, जाहिसँ एहि प्रकार अनुरोध कएल जाइत अछि, एहि प्रकारँ बैसब आओर कार्य करबाक ओहि बीचमे एहन भत्ता सभक हकदार होएत जे राष्ट्रपतिक आदेश द्वारा सुनिश्चित करए आओर ओकरा ओहि उच्च न्यायालयक न्यायाधीशक सब अधिकारिता, शक्ति सभ आ विशेषाधिकार होएत, मुदा ओकरा अन्यथा ओहि उच्च न्यायालयक न्यायाधीश नहि बुझल जाएत:

मुदा जाधरि यथापूर्वोक्त व्यक्ति ओहि उच्च न्यायालयक न्यायाधीशक रूपमे बैसबाक आओर कार्य करबाक सहमति नहि द' दैत अछि ताधरि ओहि अनुच्छेदक कोनो बात ओकरासँ एहन करबाक अपेक्षा करएवला नहि बुझल जाएत ।]

¹ संविधान (नितानवेयम संशोधन) अधिनियम, 2014 केर धारा 8 द्वारा (13-4-2015 सँ) “तैं राष्ट्रपति सम्यक रूपसँ” केर स्थान पर प्रतिस्थापित । ई संशोधन *सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स आन रिकार्ड एसोसिएशन आ अन्य बनाम भारत संघ* ए.आर. 2016 एस.सी. 117 मे उच्चतम न्यायालयक तिथि 16-10-2015 क आदेश द्वारा अभिखंडित क' देल गेल अछि ।

² संविधान (पंद्रहम संशोधन) अधिनियम, 1963 केर धारा 6 द्वारा (5-10-1963 सँ) “साठि वर्ष” केर स्थान पर प्रतिस्थापित ।

³ संविधान (पंद्रहम संशोधन) अधिनियम, 1963 केर धारा 7 द्वारा (5-10-1963 सँ) अंतःस्थापित ।

⁴ संविधान (नितानवेयम संशोधन) अधिनियम, 2014 केर धारा 9 द्वारा (13-4-2015 सँ) “कोनो राज्यक उच्च न्यायालयक मुख्य न्यायमूर्ति, कोनहुँ समय, राष्ट्रपतिक पूर्व सहमति सँ” केर स्थान पर प्रतिस्थापित । ई संशोधन *सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स आन रिकार्ड एसोसिएशन आ अन्य बनाम भारत संघ* ए.आइ.आ. 2016 एस.सी. 117 मे उच्चतम न्यायालयक तिथि 16-10-2015 केर आदेश द्वारा अभिखंडित क' देल गेल अछि ।

225. विद्यमान उच्च न्यायालय सभक अधिकारिता-एहि संविधानक उपबंध सभक अधीन रहैत आओर एहि संविधान द्वारा समुचित विधान-मंडलकें प्रदत्त शक्ति सभक आधार पर ओकरा विधान-मंडल द्वारा बनाओल गेल कोनो विधिक उपबंध सभक अधीन रहैत, कोनो विद्यमान उच्च न्यायालयक अधिकारिता आ ओहिमे प्रशासित विधि एवं ओहि न्यायालयमे न्याय प्रशासनक संबंधमे ओकर न्यायाधीश सभक अपन-अपन शक्ति सभ, जकरा अंतर्गत न्यायालयक नियम बनएबाक शक्ति एवं ओहि न्यायालय आ ओकर सदस्य सभक बैसारक चाहे ओ असगरे बैसथि वा खंड न्यायालय सभमे बैसथि, विनियमन करबाक शक्ति अछि, वएह होएत जे एहि संविधानक प्रारंभसँ ठीक पहिने छल:

¹[मुदा राजस्व संबंधी अथवा ओकर संग्रहण करबामे आदिष्ट वा कएल गेल कोनो कार्य संबंधी विषयक बाबत उच्च न्यायालय सभमे सँ कोनहुँक आरंभिक अधिकारिताक प्रयोग, एहि संविधानक प्रारंभसँ ठीक पहिने, जे कोनो निर्बंधनक अधीन छल ओ निर्बंधन एहन अधिकारिताक प्रयोगकें एहन प्रारंभक पश्चात् लागू नहि होएत।]

²[**226. कतिपय याचिका निकालबाक उच्च न्यायालयक शक्ति-**(1) अनुच्छेद 32 मे कोनो बातक होइतहुँ ³*** प्रत्येक उच्च न्यायालयकें ओहि राज्यक्षेत्र सभमे सर्वत्र, जाहि संबंधमे ओ अपन अधिकारिताक प्रयोग करैत अछि, [भाग 3 द्वारा प्रदत्त अधिकार सभमे सँ कोनोकेँ प्रवर्तित करएबाक लेल आ कोनो अन्य प्रयोजनक लेल] ओहि राज्यक्षेत्र सभक भीतर कोनो व्यक्ति वा प्राधिकारीकें वा समुचित विषयमे कोनो सरकारकें एहन निदेश, आदेश वा रिट जकर अंतर्गत ⁴[*बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार-पृच्छा आ उत्प्रेषण रिट* अछि, वा ओहिमे सँ कोनो] निकालबाक शक्ति होएत।]

(2) कोनो सरकार, प्राधिकारी वा व्यक्तिकें निदेश, आदेश वा रिट निकालबाक खंड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तिक प्रयोग ओहि राज्यक्षेत्र सभक संबंधमे, जेकर भीतर एहन शक्तिक प्रयोगक लेल वाद हेतुक पूर्णतः वा अंशतः उत्पन्न होइत अछि, अधिकारिताक प्रयोग करएवला कोनो उच्च न्यायालय द्वारा

¹ संविधान (बियालिसम संशोधन) अधिनियम, 1976 केर धारा 37 द्वारा (1-2-1977 सँ) लोप कएल गेल आ तत्पश्चात् संविधान (चौवालिसम संशोधन) अधिनियम, 1978 केर धारा 29 द्वारा (20-6-1979 सँ) अंतःस्थापित।

² संविधान (बियालिसम संशोधन) अधिनियम, 1976 केर धारा 38 द्वारा (1-2-1977 सँ अनुच्छेद 226 केर स्थान पर प्रतिस्थापित)

³ संविधान (तैतालिसम संशोधन) अधिनियम, 1977 केर धारा 7 द्वारा (13-4-1978) “मुदा अनुच्छेद 131 ‘क’ आओर अनुच्छेद 226 ‘क’ केर उपबंध सभक अधीन रहैत” शब्द, अंक आ अक्षर सभक लोप कएल गेल।

⁴ संविधान (चौवालिसम संशोधन) अधिनियम, 1978 केर धारा 30 द्वारा (1-8-1979) “जकरा अंतर्गत *बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार-पृच्छा आ उत्प्रेषण*क प्रकारक लेख सेहो अछि अथवा ओहिमे सँ कोनो केँ” सँ आरंभ भ’ “न्यायक सारवान् निष्कलता भेल अछि, कोनो क्षतिक प्रतितोषक लेल” केर संग समाप्त होमए वला भागक स्थान पर प्रतिस्थापित।

(भाग 6-राज्य)

सेहो, एहि बातक होइतहुँ कएल जा सकत जे एहन सरकार वा प्राधिकारीक स्थान वा एहन व्यक्तिक निवास स्थान ओहि राज्यक्षेत्र सभक भीतर नहि अछि।

¹[(3) जतए कोनो पक्षकार, जकर विरुद्ध खंड (1) केर अधीन कोनो याचिका पर वा ओकारासँ संबंधित कोनो कार्यवाहीमे व्यादेशक रूपमे वा रोकक रूपमे वा कोनो अन्य प्रक्रियासँ कोनो अंतरिम आदेश-

(क) एहन पक्षकारकेँ एहन याचिकाक आओर एहन अंतरिम आदेशक लेल अभिवाक् केर समर्थनमे सभ दस्तावेजक प्रतिलिपि सभ आओर,

(ख) एहन पक्षकारकेँ सुनवाईक अवसर,

देने बिनु कएल गेल अछि, एहि तरहक आदेशकेँ रद्द करएबाक उच्च न्यायालयकेँ आवेदन करैत अछि आ एहन आवेदनक एक प्रतिलिपि ओहि पक्षकारकेँ जकर पक्षमे एहन आदेश कएल गेल अछि वा ओकर काउंसेल केँ दैत अछि ओतए उच्च न्यायालय ओकर प्राप्ति तिथिसँ वा एहन आवेदनक प्रतिलिपि एहि प्रकार देल जएबाक तिथिसँ दू सप्ताहक अवधिक भीतर, एहिमे सँ जे पश्चातवर्ती हुअए, वा जतए उच्च न्यायालय ओहि अवधि केर अंतिम दिन अछि ओतए ओकर ठीक बाद वला दिनक समाप्ति सँ पहिने जाहि दिन उच्च न्यायालय खुलल अछि, आवेदनकेँ निपटाओत आ जँ आवेदन एहि प्रकारेँ नहि निपटाओल जाइत अछि तँ अंतरिम आदेश, यथास्थिति, उक्त अवधिक वा उक्त केर ठीक बाद वला दिनक समाप्ति पर रद्द भ' जाएत।]

²[(4) एहि अनुच्छेद द्वारा उच्च न्यायालयकेँ प्रदत्त शक्तिसँ, अनुच्छेद 32केर खंड (2) द्वारा उच्चतम न्यायालयकेँ प्रदत्त शक्तिक अल्पीकरण नहि होएत।]

³[226क. **अनुच्छेद 226 केर अधीन कार्यवाहीमे केन्द्रीय विधिक संवैधानिक वैधता पर विचार नहि कएल जाएब-**] संविधान (तैतालिसम संशोधन अधिनियम, 1977 केर धारा 8 द्वारा (13-4-1978 सँ) लोप कएल गेल।

227. उच्च न्यायालयकेँ सभ न्यायालयक अधीक्षणक शक्ति-⁴[(1) प्रत्येक उच्च न्यायालय ओहि राज्यक्षेत्र सभमे सर्वत्र, जकर संबंधमे ओ अपन अधिकारिताक प्रयोग करैत अछि, सब न्यायालय सभक आ अधिकरण सभक अधीक्षण करत।]

¹ संविधान (चौवालिस्म संशोधन) अधिनियम, 1978 केर धारा 30 द्वारा (1-8-1979 सँ) खंड (3), खंड (4), खंड (5) आ खंड (6) केर स्थान पर प्रतिस्थापित।

² संविधान (चौवालिस्म संशोधन) अधिनियम 1978 केर धारा 30 द्वारा (1-8-1979 सँ), खंड (7) केर खंड (4) केर रूपमे पुनः संख्याकित कएल गेल।

³ संविधान (बियालिस्म संशोधन) अधिनियम, 1976 केर धारा 39 द्वारा (1-2-1977 सँ) अंतःस्थापित।

⁴ संविधान (बियालिस्म संशोधन) अधिनियम, 1976 केर धारा 40 द्वारा (1-2-1977 सँ) खंड (1) केर स्थान पर प्रतिस्थापित आ तत्पश्चात् संविधान (चौवालिस्म संशोधन) अधिनियम, 1978 केर धारा 31 द्वारा (20-6-1979 सँ) खंड (1) केर स्थान पर प्रतिस्थापित।

(2) पूर्वगामी उपबंधक व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव देने बिनु, उच्च न्यायालय-

(क) एहन न्यायालय सबसँ विवरणी मंगा सकत;

(ख) एहन न्यायालय सभक पद्धति आ कार्यवाही सभक विनियमनक लेल साधारण नियम आ प्रारूप बना सकत आओर निकालि सकत एवं विहित क' सकत; आओर

(ग) कोनो एहन न्यायालय सभक अधिकारी सभक द्वारा राखल जाएवला पुस्तक सब, प्रविष्टि सब आ लेखा सभक प्रारूप विहित क' सकत ।

(3) उच्च न्यायालय ओहि शुल्क सभक सारणी सभ सेहो स्थिर क' सकत जे एहन न्यायालय सभक शैरिफकै एवं सभ लिपिक आ अधिकारी सभक एवं हुनकामे विधि व्यवसाय करएवला अटॉर्नी सभक, अधिवक्ता सभक आ प्लीडर सभक अनुज्ञेय होएत:

मुदा खंड (2) वा खंड (3) केर अधीन बनाओल गेल कोनो नियम, विहित कएल गेल कोनो प्रारूप वा स्थिर कएल गेल कोनो सारणी तत्समय प्रवृत्त कोनो विधिक उपबंधसँ असंगत नहि होएत आ एकरा लेल राज्यपालक पूर्व अनुमोदनक अपेक्षित होएत ।

4. एहि अनुच्छेदक कोनो बात उच्च न्यायालयकें सशस्त्र बलसँ संबंधित कोनो विधि द्वारा वा ओकर अधीन गठित कोनो न्यायालय वा अधिकरण पर अधीक्षणक शक्ति प्रदान करएवला नहि होएत ।

¹(5) * * * *

228. कतिपय विशिष्ट विषयक उच्च न्यायालयमे अंतरण-जँ उच्च न्यायालयक ई समाधान भ' जाइत अछि जे ओकर अधीनस्थ कोनो न्यायालयमे लंबित कोनो विषयमे एहि संविधानक विवेचनाक संबंधमे विधिक कोनो सारवान प्रश्न अंतर्वलित अछि जकर अवधारण विषयक निराकरणक लेल आवश्यक अछि तँ ओ ओहि विषयकें अपना लग मंगा लेत आओर-

(क) या तँ विषयक स्वयं निराकरण करत; वा

(ख) उक्त विधिक प्रश्नक अवधारणा क' सकत आ ओहि विषयकें एहन प्रश्न पर निर्णयक प्रतिलिपि सहित ओहि न्यायालयकें जाहिसँ विषय एहि प्रकारें मंगवा लेल गेल अछि, घुसा सकत आ उक्त न्यायालय ओकर प्राप्ति पर ओहि विषयकें एहन निर्णयक अनुरूप निराकरणक लेल आगूक कार्यवाही करत ।

¹ संविधान (बियालिसम संशोधन) अधिनियम, 1976 केर धारा 40 द्वारा (1-2-1977 सँ) खंड (5) अंतःस्थापित कएल गेल आ संविधान (चौवालिसम संशोधन) अधिनियम, 1978 केर धारा 31 द्वारा (20-6-1979 सँ) ओकरा लोप कएल गेल ।

² संविधान (बियालिसम संशोधन) अधिनियम, 1976 केर धारा 41 द्वारा (1-2-1977 सँ) “तँ ओ ओहि विषयकें अपना लग मंगवा लेत एवं” केर स्थान पर प्रतिस्थापित ।

³ संविधान (तैतालिसम संशोधन) अधिनियम, 1977 केर धारा 9 द्वारा (13-4-1978 सँ) “अनुच्छेद 131 ‘क’ केर उपबंध सभक अधीन रहैत” शब्द, अंक आ अक्षर सभक लोप कएल गेल ।

(भाग 6-राज्य)

¹[228क. राज्य विधि सभक संवैधानिक वैधतासँ संबंधित प्रश्न सभकेँ निपटाराक संबंधमे विशेष उपबंध II-संविधान (तैत्तलिसम संशोधन) अधिनियम, 1977 केर धारा 10 द्वारा (13-4-1978 सँ) लोप कएल गेल।

229. उच्च न्यायालय सभक अधिकारी आ सेवक एवं व्यय-(1) कोनो उच्च न्यायालयक अधिकारी आ सेवक सभक नियुक्ति ओहि न्यायालयक मुख्य न्यायमूर्ति करत वा ओहि न्यायालयक एहन अन्य न्यायाधीश वा अधिकारी करत जकरा ओ निर्दिष्ट करताह :

मुदा ओहि राज्यक राज्यपाल^{1***} नियमतः ई अपेक्षा क' सकताह जे एहन कोनहुँ दशा सभमे जे नियममे विनिर्दिष्ट कएल जाए, कोनो एहन व्यक्तिकेँ, जे पहिनहिसँ न्यायालयसँ संबद्ध नहि अछि, न्यायालयसँ संबंधित कोनो पद पर राज्य लोक सेवा आयोगसँ परामर्श क' कए नियुक्त कएल जाएत, अन्यथा नहि।

(2) राज्यक विधान-मंडल द्वारा बनाओल गेल विधिक उपबंध सभक अधीन रहैत उच्च न्यायालयक अधिकारी आओर सेवक सभक सेवाक शर्त सब एहन होएत जे ओहि न्यायालयक एहन अन्य न्यायाधीश वा अधिकारी द्वारा, जकरा मुख्य न्यायमूर्ति एहि प्रयोजनक लेल नियम बनएबाक लेल प्राधिकृत कएने होथि, बनाओल गेल नियम सभ द्वारा विहित कएल जाए : मुदा एहि खंडक अधीन बनाओल गेल नियम सभक लेल, जतए धरि ओ वेतन, भत्ता, छुट्टी वा पेंशन सभसँ संबंधित अछि, ओहि राज्यक राज्यपालक^{2***} अनुमोदनक अपेक्षा होएत।

(3) उच्च न्यायालयक प्रशासनिक व्यय, जाहि अंतर्गत ओहि न्यायालयक अधिकारी आओर सेवक सभक वा हुनक संबंधमे भुगतैय सभ वेतन, भत्ता आ पेंशन अछि, राज्यक संचित निधि पर भारित होएत आ ओहि न्यायालय द्वारा लेल गेल शुल्क सभ आ अन्य धनराशि सभ ओहि निधिक भाग होएत।

³[230. उच्च न्यायालय सभक अधिकारिताक केन्द्र शासित प्रदेश सभ पर विस्तार-(1) संसद, विधि द्वारा, कोनो केन्द्र शासित प्रदेश पर कोनो उच्च न्यायालयक अधिकारिताक विस्तार क' सकत वा कोनो केन्द्र शासित प्रदेश सँ कोनो उच्च न्यायालयक अधिकारिताक अपवर्जन क' सकत।

(2) जतए कोनो राज्यक उच्च न्यायालय कोनो केन्द्र शासित प्रदेशक संबंधमे अधिकारिताक प्रयोग करैत अछि, ओतए-

(क) एहि संविधानक कोनो बातक ई अर्थ नहि लगाओल जाएत जे ओ ओहि राज्यक विधान-मंडल केँ ओहि अधिकारितामे वृद्धि, ओकर निर्बंधन वा संशोधन करबाक लेल सशक्त करैत अछि; आओर

(ख) ओहि राज्यक्षेत्रमे अधीनस्थ न्यायालय सभक कोनो नियम, प्रारूप सभ वा सारणी सभक संबंधमे अनुच्छेद 227 मे राज्यपालक प्रति निर्देशक, ई अर्थ लगाओल जाएत जे ओ राष्ट्रपतिक प्रति निर्देश अछि।

¹ संविधान (बियालिसम संशोधन) अधिनियम, 1976 केर धारा 42 द्वारा (1-2-1977 सँ) अंतःस्थापित।

² संविधान (सातम संशोधन) अधिनियम, 1956 केर धारा 29 आ अनुसूची द्वारा (1-11-1956 सँ) “जाहिमे उच्च न्यायालयक मुख्य स्थान अछि,” शब्द सभक लोप कएल गेल।

³ संविधान (सातम संशोधन) अधिनियम, 1956 केर धारा 16 द्वारा (1-11-1956 सँ) अनुच्छेद 230, 231 आ 231 केर स्थान पर अनुच्छेद 230 आ 231 प्रतिस्थापित।

231. दू वा ओहिसँ अधिक राज्यक लेल एकहिटा उच्च न्यायालयक स्थापना—(1) एहि अध्यायक पूर्ववर्ती उपबंध सभमे कोनो बातक होइतहुँ, संसद विधि द्वारा, दू वा बेसी राज्यक लेल अथवा दू वा बेसी राज्य आओर कोनो केन्द्र शासित प्रदेशक लेल एकहि उच्च न्यायालय स्थापित क' सकत ।

(2) कोनो एहन उच्च न्यायालयक संबंधमे, -

¹(क) * * * * *

(ख) अधीनस्थ न्यायालय सभक लेल कोनहुँ नियम, प्रारूप अथवा सारणी सभक संबंधमे, अनुच्छेद 227 मे राज्यपालक प्रति निर्देशक ई अर्थ लगाओल जाएत जे ई ओहि राज्यक राज्यपालक प्रति निर्देश अछि जाहि मे अधीनस्थ न्यायालय अवस्थित अछि; आओर

(ग) अनुच्छेद 219 आ 229 मे राज्यक प्रति निर्देश सभक ई अर्थ लगाओल जाएत जे ओ ओहि राज्यक प्रति निर्देश अछि, जाहिमे उच्च न्यायालयक मुख्य स्थान अछि:

मुदा जँ एहन प्रधान पीठ कोनहुँ केन्द्र-शासित प्रदेश मे हो तँ अनुच्छेद 219 आओर 229 मे राज्यक राज्यपाल, लोक सेवा आयोग विधान परिषद एवं, संचित-निधिक प्रति निर्देश सभक अर्थ क्रमशः राष्ट्रपति, संघ लोक सेवा आयोग, संसद आओर भारतक संचित-निधि लगाओल जाएत ।]

[232. विवेचन-संविधान (सातम संशोधन) अधिनियम, 1956 केर धारा 16(1-11-1956सँ) अनुच्छेद] 230, 231 आओर 232 केर स्थान पर अनुच्छेद 230 आओर 231 कें प्रतिस्थापित कएल गेल ।]

अध्याय 6-अधीनस्थ न्यायालय

233. जिला न्यायाधीशक नियुक्ति—(1) कोनहुँ राज्यमे जिला न्यायाधीश नियुक्त होमएबला व्यक्ति लोकनिक नियुक्ति एवं जिला न्यायाधीशक पदस्थापना आओर प्रोन्नति, ओहि राज्यक राज्यपाल एहन राज्यक संबंधमे अधिकारिताक प्रयोग करएबला उच्च न्यायालयसँ परामर्श कए करताह ।

¹ संविधान (नितानबेयम संशोधन) अधिनियम 2014 केर धारा 10 (13-04-2015 सँ) द्वारा खंड (क) कें लोप कएल गेल । ई संशोधन सुप्रीम कोर्ट एडवोकेटस-ऑन-रिकॉर्ड एवम् अन्य **बनाय** भारतीय संघ (ए.आइ.आओर 2016 एससी 117) बला मामिला सभमे उच्चतम न्यायालयक दिनांक 16-10-2015क आदेश द्वारा स्थापित कएल गेल अछि । संशोधनक पूर्व खंड (क) निम्नवत् छल :-

“(क) अनुच्छेद 217 मे संबंधित राज्यक राज्यपालक प्रति निर्देशक ई अर्थ लगाओल जाएत जे ई ओहि सभ राज्यपाल लोकनिक ओहि राज्यक प्रति निर्देश अछि जाहिमे ओहि उच्च न्यायालयक प्रधान पीठ अछि ।”

(2) ओ व्यक्ति, जे संघ वा राज्यक सेवामे पूर्वहि सँ नहि छथि, जिला न्यायाधीश नियुक्त होएबाक लेल मात्र तखनहि पात्र होएताह जखन ओ न्यूनतम सात वर्ष धरि अधिवक्ता अथवा ओकील (प्लीडर) रहल होथि आ हुनक नियुक्ति लेल उच्च न्यायालय अनुशंसा कएने हो ।

¹[233क. कतिपय विशिष्ट जिला न्यायाधीशक नियुक्ति आओर हुनका द्वारा देल गेल निर्णय आदिक विधिमान्यकरण-कोनहुँ न्यायालयक कोनहुँ निर्णय, आज्ञासि अथवा आदेश होइतहुँ, -

(क) (i) ओहि व्यक्तिक, जे राज्यक न्यायिक सेवामे पूर्वहि सँ अछि अथवा ओहि व्यक्तिक जे न्यूनतम सात वर्ष धरि अधिवक्ता अथवा ओकील (प्लीडर) रहल होथि, ओहि राज्यमे जिला न्यायाधीशक रूपमे नियुक्तिक संबंधमे, आओर

(ii) एहन व्यक्तिक जिला न्यायाधीशक रूपमे पदस्थापना, प्रोन्नति अथवा स्थानान्तरणक संबंधमे, जे संविधान (बीसम संशोधन) अधिनियम, 1966 केर प्रारंभसँ पूर्व कहियो अनुच्छेद 233 अथवा अनुच्छेद 235 केर उपबंधक अनुसार नहि करैत अन्यथा रूपसँ कएल गेल छैक, मात्र एहि तथ्यक कारणँ जे एहन नियुक्ति, पदस्थापना, प्रोन्नति अथवा स्थानान्तरण उक्त उपबंधक अनुसार नहि कएल गेल छल, ई नहि बूझल जाएत जे ओ अवैध अथवा शून्यवत अछि अथवा कहियो अवैध अथवा शून्यवत रहल छल;

(ख) कोनहुँ राज्यमे जिला न्यायाधीशक रूपमे अनुच्छेद 233 अथवा अनुच्छेद 235 केर उपबंधक अनुसार नहि करैत अन्यथा रूपेँ नियुक्त, पदस्थापित, प्रोन्नत अथवा स्थानान्तरित कोनहुँ व्यक्ति द्वारा अथवा हुनका समक्ष संविधान (बीसम संशोधन) अधिनियम 1966 केर प्रारंभसँ पूर्वहि प्रयुक्त अधिकारिताक, पारित कएल गेल अथवा देल गेल निर्णय, आज्ञासि, दण्डादेश, आदेश एवं कएल गेल अन्य कार्य वा कार्यवाहीक संबंधमे, मात्र एहि तथ्यक कारणँ, जे एहन नियुक्ति, पदस्थापना, प्रोन्नति, अथवा स्थानान्तरण उक्त उपबंधक अनुसार नहि कएल गेल छल, ई नहि बुझल जाएत जे ओ अविधिसम्मत अथवा अवैध अछि अथवा कहियो अविधिसम्मत अथवा अवैध रहल होएत ।]

234. न्यायिक सेवामे जिला न्यायाधीशसँ भिन्न व्यक्तिक भर्ती-जिला न्यायाधीश सभसँ भिन्न व्यक्ति सभक कोनहुँ राज्यक न्यायिक सेवामे नियुक्ति ओहि राज्यक राज्यपाल द्वारा, राज्य लोक सेवा आयोग सँ आओर एहन राज्यक संबंधमे अधिकारताक प्रयोग करएबला उच्च न्यायालयसँ परामर्श करबाक पश्चात्, आओर राज्यपाल द्वारा एहि निमित्त बनाओल गेल नियमक अनुसार कएल जाएत ।

¹ संविधान (बीसम संशोधन) अधिनियम, 1966 केर धारा 2 (22-12-1966 सँ) अंतःस्थापित ।

235. अधीनस्थ न्यायालय पर नियंत्रण-जिला न्यायालय आओर ओकर अधीनस्थ न्यायालय सभक नियंत्रण, जाहि अंतर्गत राज्यक न्यायिक सेवाक व्यक्ति आओर जिला न्यायाधीशक पदसँ अवर कोनहुँ पद कें धारण करएबला व्यक्तिक पदस्थापना, प्रोन्नति आओर हुनक अवकाश स्वीकृति, उच्च न्यायालयमे निहित होएत, मुदा एहि अनुच्छेदक कोनहुँ बातक अर्थ ई नहि लगाओल जाएत जे ओ एहन कोनहुँ व्यक्ति सँ हुनक अपील करबाक अधिकार कें छिनैत अछि जे हुनक सेवाक शर्तक विनियमन करएबला विधिक अधीन हुनका छनि अथवा उच्च न्यायालयकें एहि बातक लेल प्राधिकृत करैत अछि जे ओ हुनका संग एहन विधिक अधीन विहित हुनक सेवाक शर्तक अनुसार व्यवहार नहि क' कए, अन्यथा व्यवहार करए।

236. विवेचन-एहि अध्याय मे, -

(क) “जिला न्यायाधीश” पदक अंतर्गत नगर व्यवहार न्यायालयक न्यायाधीश, अपर जिला न्यायाधीश, संयुक्त जिला न्यायाधीश, सहायक जिला न्यायाधीश, लघु वाद न्यायालयक मुख्य न्यायाधीश, मुख्य प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट, अपर मुख्य प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट, सत्र न्यायाधीश, अपर सत्र न्यायाधीश आओर सहायक सत्र न्यायाधीश अछि;

(ख) “न्यायिक सेवा” पदसँ एहन सेवा अभिप्रेत अछि, जे अनन्यतः एहन व्यक्ति सभसँ मिलि कए बनल अछि जिनका सभक द्वारा जिला न्यायाधीशक पदक आओर जिला न्यायाधीशक पदसँ अवर अन्य सिविल न्यायिक पदसँ भरब आशय अछि।

237. कतिपय विशिष्ट वर्गक समाहर्ता सभपर एहि अध्यायक उपबंधक लागू होएब-राज्यपाल, लोक अधिसूचना द्वारा निदेश दए सकताह जे एहि अध्यायक पूर्वगामी उपबंध आओर एकर अधीन बनाओल गेल नियम ओहि तिथिसँ, जे ओ एहि निमित्त निश्चित करए, एहन अपवाद आओर उपांतरण सभक अधीन रहैत, जे एहन अधिसूचना मे विनिर्दिष्ट कएल जाए, राज्यमे कोनहुँ वर्ग अथवा वर्ग सभक समाहर्ता सभक संबंधमे ओहिना लागू होएत जहिना ओ राज्यक न्यायिक सेवामे नियुक्त व्यक्ति सभक संबंधमे लागू होइत अछि।

* भाग-7

[पहिल अनुसूचीक भाग ख मे स्थित राज्य ।]

* संविधान (सातम संशोधन) अधिनियम, 1956 केर धारा 29 आओर अनुसूची द्वारा (1-11-1956 सँ) लोप कएल गेल ।

भाग-8

¹[केन्द्र शासित प्रदेश]

²[239. केन्द्र शासित प्रदेश सभक प्रशासन-(1) संसद द्वारा बनाओल गेल विधि द्वारा, अन्यथा उपबंधितक अतिरिक्त, प्रत्येक केन्द्र शासित प्रदेशक प्रशासन राष्ट्रपति द्वारा कएल जाएत, आओर ओ अपना द्वारा एहन पद-अभिधान सहित, जे ओ निर्दिष्ट करए; नियुक्त कएल गेल प्रशासकक माध्यम सँ ओहि सीमा धरि कार्य करत जतबा धरि ओ जतेक धरि ओ उचित बुझैत छथि ।

(2) भाग 6 मे कोनहुँ बात केँ रहितहु, राष्ट्रपति कोनो राज्यक राज्यपाल केँ कोनो निकटवर्ती केन्द्र शासित प्रदेशक प्रशासक नियुक्त कए सकताह आओर जतए कोनो राज्यपाल एहि प्रकारेँ नियुक्त कएल जाइत अछि ओतए ओ एहन प्रशासकक रूपमे अपन कार्य सभक प्रयोग अपन मंत्री-परिषदसँ स्वतंत्र रूपेँ करताह ।]

^{3*}[239. क. कतिपय केन्द्र शासित प्रदेश सभक लेल स्थानीय विधान-मंडलक अथवा मंत्री-परिषदक अथवा दुनूक गठन-(1) संसद, विधि द्वारा ⁴[⁵[पुडुचेरी]] केन्द्र शासित प्रदेशक लेल,]-

(क) ओहि केन्द्र शासित प्रदेशक विधान-मंडलक रूपमे कार्य करबाक लेल निर्वाचित वा अंशतः नामित आओर अंशतः निर्वाचित निकायक, अथवा

(ख) मंत्री-परिषदक,

अथवा दुनूक गठन कए सकत, जाहिमे सँ प्रत्येक निकाय अथवा परिषदक गठन, शक्ति आओर कार्य सभ ओ होएत जे ओहि विधिमे विनिर्दिष्ट कएल जाए ।

(2) खंड (1) मे निर्दिष्ट विधिकेँ अनुच्छेद 368 केर प्रयोजन लेल एहि संविधानक संशोधन एहि बातक होइतहुँ नहि बूझल जाएत जे ओहिमे कोनहुँ एहन उपबंध अंतर्निहित अछि जे एहि संविधानक संशोधन करैत अछि वा संशोधन करबाक प्रभाव रखैत अछि ।]

¹ संविधान (सातम संशोधन) अधिनियम, 1956 केर धारा 17 (1-11-1956 सँ) “पहिल अनुसूचीक भाग ‘ग’ मे राज्यसभ” शीर्षकक स्थान पर प्रतिस्थापित ।

² संविधान (सातम संशोधन) अधिनियम, 1956 केर धारा 17(1-11-1956 सँ), अनुच्छेद 239 केर स्थान पर प्रतिस्थापित ।

³ संविधान (चौदहम संशोधन) अधिनियम, 1962 केर धारा 4 (28-12-1962 सँ) अंतःस्थापित । ई अनुच्छेद 239 केर जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 (2019 केर 34) केर धारा 13(31-10-2019 सँ प्रभावी) द्वारा जम्मू-कश्मीर केन्द्र शासित प्रदेशक लेल लागू कएल गेल अछि ।

⁴ गोवा, दमन आओर दीव पुनर्गठन अधिनियम 1987(1987 केर 18) केर धारा 63 द्वारा (30-05-1987 सँ) “गोवा, दमन आओर दीव, आओर पांडिचेरी केन्द्र शासित प्रदेश सभमे सँ ककरहु लेल” केर स्थान पर प्रतिस्थापित ।

⁵ पांडिचेरी (नाम परिवर्तन) अधिनियम, 2006 (2006 केर 44) केर धारा 4 (1-10-2005 सँ) “पांडिचेरी”क स्थान पर प्रतिस्थापित ।

* अनुच्छेद 239 क जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 (2019 केर 34) केर धारा 13 द्वारा (31-10-2019सँ) जम्मू-कश्मीर केन्द्र शासित प्रदेशकेँ लागू कएल गेल अछि ।

¹[239कक. दिल्लीक संबंधमे विशेष उपबंध-(1) संविधान (उनहत्तरिम संशोधन) अधिनियम, 1991केर प्रारंभसँ दिल्ली केन्द्र शासित प्रदेश केँ दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र (जकरा एहि भागमे एकर बाद राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र कहल गेल अछि) कहल जाएत आओर अनुच्छेद 239 केर अधीन नियुक्त ओकर प्रशासकक पदनाम उप-राज्यपाल होएत।

(2) (क) राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र हेतु एकटा विधान-सभा होएत आओर एहन विधान-सभा मे स्थान, स्थानीय राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्रक प्रादेशिक निर्वाचन-क्षेत्र सभमे सँ प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुनल गेल सदस्य लोकनि सँ भरल जाएत।

(ख) विधान-सभा मे सदस्य सभक हेतु स्थानक कुल संख्या, अनुसूचित जाति सभक लेल आरक्षित स्थानक संख्या, राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्रकेँ प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रसभमे विभाजन (जाहि अंतर्गत एहन विभाजनक आधार अछि) एवं विधान-सभाक कार्यकरण सँ संबंधित अन्य विषय सभक विनियमन, संसद द्वारा बनाओल गेल विधि द्वारा कएल जाएत।

²[(खक) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्लीक विधान सभामे महिला लोकनिक लेल सीट आरक्षित होएत।

(खख) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली विधान सभामे अनुसूचित जातिक लेल आरक्षित स्थानमे सँ यथासंभव एक तिहाई स्थान महिला लोकनिक लेल आरक्षित होएत।

(खग) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्लीक विधान सभामे प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा भरल जाएवला कुल स्थानक संख्याक यथासंभव एक-तिहाई (अनुसूचित जातिक महिला लोकनिक लेल आरक्षित स्थानक संख्या सहित) महिला लोकनिक लेल एहन प्रक्रियासँ आरक्षित कएल जाएत, जेहन संसद विधि द्वारा अवधारित करए।]

(ग) अनुच्छेद 324 सँ 327 एवं 329 क उपबंध राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र, राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्रक विधान-सभा आओर तकर सदस्य सभक संबंधमे ओहिना लागू होइत अछि जेना ई प्रांत, प्रान्तीय विधान सभा ओकर प्रान्तीय विधानसभा सदस्य सभ पर लागू होइत अछि एवं अनुच्छेद 326 आओर अनुच्छेद 329 मे “समुचित विधान-मंडल”क प्रति निर्देशक संबंधमे ई बुझल जाएत जे ओ संसदक प्रति निर्देश अछि।

¹ अनुच्छेद 239 कक एवं 239 कख, संविधान (उनहत्तरिम संशोधन) अधिनियम, 1991 केर धारा 2 (1-2-1992 सँ) अंतःस्थापित।

² संविधान (एक सय छठम संशोधन) अधिनियम, 2023 केर धारा 2 द्वारा (तिथि एखन अधिसूचित कएल जएबाक अछि सँ) अंतःस्थापित।

(3) (क) एहि संविधानक उपबंधक अधीन रहैत, विधान-सभा केँ राज्य सूचीक प्रविष्टि 1, प्रविष्टि 2 आओर प्रविष्टि 18 सँ एवं, ओहि सूचीक प्रविष्टि 64, प्रविष्टि 65 आओर प्रविष्टि 66 सँ, जतए धरि ओकर संबंध उक्त प्रविष्टि 1, प्रविष्टि 2 आओर प्रविष्टि 18 सँ छैक, संबंधित विषय सभसँ भिन्न राज्य सूचीमे अथवा समवर्ती सूचीमे प्रगणित कोनहुँ विषयक संबंधमे जतए धरि कोनहुँ एहन विषय केन्द्र शासित प्रदेश केँ लागू छैक, संपूर्ण राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र अथवा ओकर कोनहुँ भाग हेतु विधि बनएबाक शक्ति होएत।

(ख) उपखंड (क) केर कोनहुँ बात सँ केन्द्र शासित प्रदेश अथवा ओकर कोनहुँ भाग हेतु कोनहुँ विषयक संबंधमे एहि संविधानक अधीन विधि बनएबाक संसदक शक्ति कम नहि होएत।

(ग) जँ विधान सभा द्वारा कोनहुँ विषयक संबंधमे बनाओल गेल विधिक कोनहुँ उपबंध संसद द्वारा ओहि विषयक संबंधमे बनाओल गेल विधिक, चाहे ओ विधान सभा द्वारा बनाओल गेल विधि सँ पूर्व अथवा तकर उपरांत पारित कएल गेल हो, अथवा कोनहुँ पूर्वस्थित विधिक, जे विधान सभा द्वारा बनाओल गेल विधि सँ भिन्न अछि, कोनहुँ उपबंधक विरुद्ध अछि तँ, दुनू स्थितिमे, यथास्थिति, संसद द्वारा बनाओल गेल विधि अथवा एहन पूर्वतर विधि प्रभावी होएत आओर विधान सभा द्वारा बनाओल गेल विधि ओहि विरोधक परिमाण धरि निष्प्रभावी रहत।

मुदा जँ विधान सभा द्वारा बनाओल गेल कोनहुँ तेहेन विधिकेँ राष्ट्रपतिक विचार हेतु आरक्षित राखल गेल अछि आओर ताहि पर ओकर अनुमति भेटि गेल छैक तँ एहन विधि राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्रमे प्रभावी होएत।

मुदा ई आओर एहि उपखंडक कोनहुँ बात संसद केँ ओकरहि विषयक संबंधमे कोनहुँ विधि, जकरा अंतर्गत एहन विधि अछि जे संविधान सभा द्वारा एहि प्रकारक बनाओल गेल विधिक परिवर्द्धन संशोधन, परिवर्तन अथवा निरसन करैत अछि कोनहुँ समय अधिनियमित करबासँ निवारित नहि करत।

(4) जाहि बात मे कोनहुँ विधि द्वारा अथवा ओकर अधीन उप-राज्यपालसँ ई अपेक्षा छैक जे स्वविवेकानुसार कार्य करथि, ओहि बात केँ छोड़ि, उप-राज्यपालक ओहि विषयक संबंधमे, जकरा हेतु विधान सभा केँ विधि बनएबाक शक्ति छैक, अपन कार्यक प्रयोग करए मे सहायता आओर सुझाव देबाक हेतु एकटा मंत्रि-परिषद होएत जे विधान सभाक कुल सदस्य संख्याक दस प्रतिशत सँ बेसी नहि होएत, एहि सदस्य सभसँ मिलि कए बनत जकर प्रधान मुख्यमंत्री होएताह:

मुदा उप-राज्यपाल आ हुनक मंत्रीगणक मध्य कोनहुँ विषय पर मतभेदक स्थिति मे, उप-राज्यपाल ओकरा राष्ट्रपतिकेँ निर्णयक हेतु पठाओत आओर राष्ट्रपति द्वारा ओहि पर कएल गेल निर्णयक अनुसार कार्य करत एवं एहन निर्णय होबए धरि उप-राज्यपाल कोनहुँ एहन विषय मे, जतए ओ विषय, हुनक विचार मे एतेक आवश्यक अछि ततए, ओहि विषय मे एहन कार्य करबाक अथवा एहन निर्देश देबाक हेतु, जे ओ आवश्यक बुझथि, सक्षम होएताह।

(5) मुख्यमंत्रीक नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होएत एवं अन्य मंत्रिगणक नियुक्ति मुख्यमंत्रीक परामर्श पर होएत एवं मंत्री राष्ट्रपतिक प्रसाद-पर्यन्त अपन पद धारण करताह ।

(6) मंत्री-परिषद विधान सभाक प्रति सामूहिक रूपसँ उत्तरदायी होएत ।

¹[(7) (क)] संसद, पूर्वगामी खंड सभकेँ प्रभावी करबाक हेतु, अथवा ओहिमे अंतर्विष्ट उपबंध सभक अनुपूर्तिक लेल आओर ओकर आनुषंगिक अथवा पारिणामिक सभ विषयक लेल, विधि द्वारा, उपबंध कए सकत ।

²[(ख) उपखंड (क) मे विनिर्दिष्ट विधिकेँ, अनुच्छेद 368 केर प्रयोजन हेतु एहि संविधानक संशोधन एहि बातक होइतहुँ नहि बुझल जाएत जे ओहिमे कोनहुँ एहन उपबंध अंतर्विष्ट अछि जे एहि संविधानक संशोधन करैत अछि अथवा संशोधन करबाक प्रभाव रखैत अछि ।]

(8) अनुच्छेद 239 ख केर उपबंध, जतए धरि भ' सकए, राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र, उप-राज्यपाल आओर विधान सभाक संबंधमे ओहिना लागू होएत जहिना ओ ³[पुडुचेरी] केन्द्र शासित प्रदेश, प्रशासक आओर तकर विधान-मंडलक संबंधमे लागू होइत अछि; आओर ताहि अनुच्छेदमे “अनुच्छेद 239 केर खंड (1)” केर प्रति निर्देशक विषय मे ई बुझल जाएत जे ओ यथास्थिति, एहि अनुच्छेद अथवा अनुच्छेद 239 ‘कख’ केर प्रति निर्देश अछि ।

239कख. संवैधानिक तंत्रक विफल भ' जएबाक स्थितिमे उपबंध-जँ राष्ट्रपति, उप-राज्यपालसँ प्रतिवेदन भेटला पर अथवा अन्यथा, ई संतुष्ट भए जाइत छथि जे-

(क) एहन स्थिति उत्पन्न भए गेल छैक जाहि मे राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्रक प्रशासन अनुच्छेद 239 ‘कक’ अथवा ओहि अनुच्छेदक अनुसरण मे बनाओल गेल कोनहुँ विधिक उपबंध सभक अनुसार नहि चलाओल जा सकैत अछि; अथवा

(ख) राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्रक उचित प्रशासनक हेतु एहन करब आवश्यक अथवा समीचीन अछि,

तँ राष्ट्रपति, आदेश द्वारा, अनुच्छेद 239 ‘कक’ केर कोनहुँ उपबंधक अथवा ओहि अनुच्छेदक अनुसरण मे बनाओल गेल कोनहुँ विधिक सभ अथवा कोनहुँ उपबंध सभक प्रवर्तन केँ, एहि प्रकारक अवधि हेतु अथवा एहि शर्तक अधीन रहैत, जे एहि विधिमे विनिर्दिष्ट कएल जाए, निलंबित कए सकताह, एवं एहन आनुषंगिक आओर प्रभावी उपबंध कए सकत, जे अनुच्छेद 239 आओर

¹ संविधान (सत्तरिम संशोधन) अधिनियम, 1992 केर धारा 3(21-12-1991 सँ) “(7)” केर स्थान पर प्रतिस्थापित ।

² संविधान (सत्तरिम संशोधन) अधिनियम, 1992 केर धारा 3(21-12-1991 सँ) अंतःस्थापित ।

³ पांडिचेरी (नाम परिवर्तन) अधिनियम, 2006 (2006 केर 44) केर धारा 4 (1-10-2006 सँ) “पांडिचेरी”क स्थान पर प्रतिस्थापित ।

अनुच्छेद 239 'कक' केर उपबंध सभक अनुसार राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्रक प्रशासनक लेल ओकरा आवश्यक अथवा समीचीन प्रतीत होअय ।]

¹[239ख. विधान-मंडलक अल्पावकाशमे अध्यादेशकें घोषित करबाक प्रशासकक शक्ति-(1) ओहि समयकें छोड़ि, जखन ²[³[पुडुचेरी] केन्द्र शासित प्रदेश]क विधान-मंडल सत्र मे अछि, जँ कखनहु ओकर प्रशासक कें ई संतुष्टि भए जाइत अछि जे एहन परिस्थिति विद्यमान अछि जाहि कारणें शीघ्र कार्यान्वयन करब ओकरा लेल आवश्यक भए गेल अछि तँ ओ एहन अध्यादेशकें घोषित कए सकत जे ओकरा ताहि परिस्थिति मे आवश्यक आ उचित लागए:

मुदा प्रशासक, कोनहुँ एहन आदेश राष्ट्रपति सँ एहि निमित्त अनुदेश प्राप्त कएलाक पश्चातहि घोषित करत, अन्यथा नहि :

मुदा ई आओर, जखन कखनहुँ उक्त विधान-मंडलक विघटन कए देल जाइत अछि अथवा अनुच्छेद 239 क केर खंड (1) मे निर्दिष्ट विधिक अधीन कएल गेल कोनहुँ कार्यान्वयनक कारणें ओकर कार्य करब निलंबित रहैत अछि तँ प्रशासक एहन विघटन अथवा निलंबनक अवधिक मध्य कोनहुँ अध्यादेश घोषित नहि करत ।

(2) राष्ट्रपतिक अनुदेश सभक अनुसरण मे एहि अनुच्छेदक अधीन घोषित अध्यादेश केन्द्र शासित प्रदेशक विधान-मंडलक एहन अधिनियम बुझल जाएत जे अनुच्छेद 239 क केर खंड (1) मे निर्दिष्ट विधिमे, ओहि निमित्त अंतर्विष्ट उपबंध सभक अनुपालन करबाक पश्चात् सम्यक रूपेँ अधिनियमित कएल गेल अछि, मुदा प्रत्येक एहन अध्यादेश-

(क) केन्द्र शासित प्रदेशक विधान-मंडलक समक्ष राखल जाएत आओर विधान-मंडलकें पुनः समवेत होएबा सँ छओ सप्ताहक समाप्ति पर अथवा जँ ओहि अवधिक समाप्ति सँ पूर्व विधान-मंडल ओकरा अनुमोदनक संकल्प पारित कए दैत अछि तँ संकल्प कें पारित होएबा उत्तर प्रवर्तनमे नहि रहत; आओर

(ख) राष्ट्रपति सँ एहि निमित्त अनुदेश प्राप्त करबाक पश्चात् प्रशासक द्वारा कोनहुँ समय वापस लेल जा सकत ।

(3) जँ आओर जतए धरि एहि अनुच्छेदक अधीन अध्यादेश कोनहुँ एहन उपबंध करैत अछि जे केन्द्र शासित प्रदेशक विधान-मंडलक एहन अधिनियम मे, जकरा अनुच्छेद 239 क केर खंड (1)

¹. संविधान (सत्ताइसम संशोधन) अधिनियम, 1971 केर धारा 3 (30-12-1971 सँ) अंतःस्थापित ।

². गोवा, दमन आओर दीव पुनर्गठन अधिनियम, 1987 (1987 केर 18) के धारा 63 (30-05-1987 सँ) “अनुच्छेद 239 केर खंड (1) मे निर्दिष्ट केन्द्र शासित प्रदेश सभ”क स्थान पर प्रतिस्थापित ।

³. पांडिचेरी (नाम परिवर्तन) अधिनियम, 2006 (2006 केर 44) केर धारा (1-10-2006 सँ) “पांडिचेरी” केर स्थान पर प्रतिस्थापित ।

(भाग 8-केन्द्र शासित प्रदेश)

मे निर्दिष्ट विधिमे एहि निमित्त अंतर्विष्ट उपबंध केर अनुपालन पश्चात् बनाओल गेल अछि, अधिनियमित कएल गेलो पर विधिमन्य नहि होएत तँ आओर ओतए धरि ओ अध्यादेश शून्यवत् होएत।]

¹(4) * * * *

²[240. कतिपय केन्द्र शासित प्रदेशक हेतु विनियम बनएबाक राष्ट्रपतिक शक्ति-(1) राष्ट्रपति केन्द्र शासित प्रदेशक शांति, प्रगति आओर सुशासनक लेल विनियम बना सकत-

(क) अंडमान आओर निकोबार द्वीप समूह;

³[(ख) लक्षद्वीप]

⁴[(ग) दादर एवं नगर हवेली एवं, दमन आओर दीव;]

⁵[(घ) ***;]

⁶[(ङ) ⁷[पुडुचेरी];]

⁸(च) ***

⁹(छ) ***

¹⁰[मुदा जखन ⁶[पुडुचेरी] संघ राज्यक्षेत्रक हेतु विधान-मंडलक रूपमे कार्य करबाक लेल अनुच्छेद 239क केर अधीन कोनहुँ निकायक सृजन कएल जाइत अछि तखन राष्ट्रपति विधान-मंडलक प्रथम अधिवेशन हेतु नियत तिथिसँ ओहि केन्द्र शासित प्रदेशक शांति प्रगति आओर सुशासन हेतु विनियम नहि बनौताह:]

-
- ¹ संविधान (अड़तीसम संशोधन) अधिनियम, 1975 केर धारा 4 (भूतलक्षी प्रभावसँ) अंतःस्थापित आओर संविधान (चौआलिसम संशोधन) अधिनियम, 1978 केर धारा 32 (20-06-1979 सँ) लोप कएल गेल।
 - ² संविधान (सातम संशोधन) अधिनियम, 1956 केर धारा 17 द्वारा अनुच्छेद 240(1-11-1956 सँ) प्रतिस्थापित।
 - ³ लक्कादीव मिनिकोय आओर अमीनदीवी द्वीप समूह (नाम परिवर्तन) अधिनियम, 1973 (1973 केर 34) केर धारा 4 (1-11-1973 सँ) प्रविष्टि (ख) केर स्थान पर प्रतिस्थापित।
 - ⁴ दादर एवं नागर हवेली एवं दमन एवं दीव (केन्द्र शासित प्रदेश केर विलयन) अधिनियम, 2019 (2019 केर 44) केर धारा 4 (i) (26-01-2020) द्वारा प्रतिस्थापित। संविधान (दसम संशोधन) अधिनियम 1961 केर धारा 3 द्वारा (11-8-1961) द्वारा प्रविष्टि 'ग' अंतःस्थापित कएल गेल।
 - ⁵ दादर एवं नगर हवेली आ दमन एवं दीव (केन्द्र शासित प्रदेश विलयन) अधिनियम, 2019 (2019 केर 44) केर धारा 4 (ii) 26-01-2020 द्वारा लोप कएल गेल।
 - ⁶ संविधान (चौदहम संशोधन) अधिनियम, 1962 केर धारा 5(16-08-1962 केर उपधारा 67 केर भूतलक्षी प्रभावसँ) अंतःस्थापित।
 - ⁷ पांडिचेरी (नाम परिवर्तन) अधिनियम, 2006, (2006 केर 44) केर धारा 4(1-10-2006 सँ) "पांडिचेरी" केर स्थान पर प्रतिस्थापित।
 - ⁸ मिजोरम राज्य अधिनियम, 1986 (1986 केर 34) केर धारा 39 (20-02-1987 सँ) मिजोरम संबंधी प्रविष्टि(च) केँ लोप कएल गेल।
 - ⁹ अरुणाचल प्रदेश राज्य अधिनियम, 1986 (1986 केर 69) केर धारा 42(20-2-1987 सँ) अरुणाचल प्रदेश संबंधी प्रविष्टि (छ) केँ लोप कएल गेल।
 - ¹⁰ संविधान (चौदहम संशोधन) अधिनियम, 1962 केर धारा 5 (28-12-1962 सँ) अंतःस्थापित।

¹[मुदा ई आओर जखन कखनहु ²[पुडुचेरी]] केन्द्र शासित प्रदेशक विधान-मंडलक रूपमे कार्यरत निकायक विघटन कए देल जाइत अछि अथवा ओहि निकाय केँ एहन विधान-मंडलक रूपमे कार्यान्वयन, अनुच्छेद 239 क केर खंड(1) मे निर्दिष्ट विधिक अधीन कएल गेल कार्यवाहीक कारण, निलंबित रहैत अछि, तखन राष्ट्रपति एहन विघटन अथवा निलंबनक अवधिक मध्य ओहि केन्द्र शासित प्रदेशक शांति, प्रगति आओर सुशासनक हेतु विनियम बना सकत ।]

(2) एहि प्रकारेँ बनाओल गेल कोनहुँ विनियम संसद द्वारा बनाओल गेल कोनहुँ अधिनियम अथवा ³[कोनहुँ आन विधि] केर, जे ओहि केन्द्र शासित प्रदेशमे तत्काल लागू छैक, निरसन अथवा संशोधन कए सकत आओर राष्ट्रपति द्वारा घोषित कए सकत आओर राष्ट्रपति द्वारा घोषित कएल गेला पर ओकर वएह शक्ति आओर प्रभाव होएत जे संसद केर कोनहुँ ओहन अधिनियम केर छैक जे ओहि राज्यक्षेत्र हेतु लागू होइत अछि ।]

241. केन्द्र शासित प्रदेशक हेतु उच्च न्यायालय-(1) संसद विधि द्वारा कोनहुँ ⁴[केन्द्र शासित प्रदेश] हेतु उच्च न्यायालय गठित कए सकत अथवा ⁵[एहन केन्द्र शासित प्रदेश] मे कोनहुँ न्यायालयकेँ एहि संविधानक सभ अथवा कोनहुँ प्रयोजन हेतु उच्च न्यायालय घोषित कए सकत ।

(2) अध्याय 5 केर अध्याय 6 केर उपबंध, एहन परिष्करण अथवा अपवाद सभक अधीन रहैत, जे संसद विधि द्वारा उपबंधित करए, खंड (1) मे निर्दिष्ट प्रत्येक उच्च न्यायालय केर संबंधमे ओहिना लागू होएत जहिना ओ अनुच्छेद 214 मे निर्दिष्ट कोनहुँ उच्च न्यायालयक संबंधमे लागू होइत अछि ।

⁶[(3) एहि संविधानक उपबंध सभक आओर एहि संविधान द्वारा अथवा एकर अधीन समुचित विधान-मंडल केँ प्रदत्त शक्तिक आधार पर बनाओल गेल ओहि विधान-मंडलक कोनहुँ विधिक उपबंधक अधीन रहैत, प्रत्येक उच्च न्यायालय, जे संविधान (सातम संशोधन) अधिनियम, 1956, केर प्रारंभसँ ठीक पूर्व कोनहुँ केन्द्र शासित प्रदेशक संबंधमे अधिकारिताक प्रयोग करैत छल, एहन प्रारंभक पश्चात् ओहि, केन्द्र शासित प्रदेशक संबंधमे ओहि अधिकारिताक प्रयोग करैत रहत ।

(4) एहि अनुच्छेद केर कोनहुँ बात सँ कोनहुँ राज्यक उच्च न्यायालय केर अधिकारिताक कोनहुँ केन्द्र शासित प्रदेशक अथवा ओकर भागकेँ विस्तार करबाक अथवा ओहि सँ अपवर्जित करबाक संसदक शक्तिक हास नहि होएत ।]

242. [कूर्गी संविधान (सातम संशोधन) अधिनियम, 1956 केर धारा 29 आओर अनुसूची (1.11.1956सँ) लोप कएल गेल ।

¹ संविधान (सत्ताइसम संशोधन) अधिनियम, 1971 केर धारा 4 द्वारा (15-2-1972 सँ) अंतःस्थापित ।

² पांडिचेरी (नाम परिवर्तन) अधिनियम, 2006 (2006 केर 44) केर धारा 4 द्वारा (1-10-2006 सँ) “पांडिचेरी” केर स्थान पर प्रतिस्थापित ।

³ संविधान (सत्ताइसम संशोधन) अधिनियम, 1971 केर धारा 4 (15-2-1972 सँ) “कोनहुँ विद्यमान विधि” केर स्थान पर प्रतिस्थापित ।

⁴ संविधान (सातम संशोधन) अधिनियम, 1956 केर धारा 29 आओर अनुसूची द्वारा (1-11-1956 सँ) “पहिल अनुसूची केर भाग ‘ग’ मे विनिर्दिष्ट राज्य” केर स्थान पर प्रतिस्थापित ।

⁵ संविधान (सातम संशोधन) अधिनियम, 1956 केर धारा 29 आओर अनुसूची द्वारा (1-11-1956 सँ) “एहन राज्य” केर स्थान पर प्रतिस्थापित ।

⁶ संविधान (सातम संशोधन) अधिनियम, 1956 केर धारा 29 आओर अनुसूची द्वारा (1-11-1956 सँ) खंड (3) आओर खंड (4) केर स्थान पर प्रतिस्थापित ।

1।भाग-9

पंचायत

243. परिभाषा-एहि भागमे जाधरि संदर्भ सँ अन्यथा अपेक्षित नहि हो, -

(क) “जिला” सँ कोनहुँ राज्यक जिला अभिप्रेत अछि;

(ख) “ग्राम सभा” सँ ग्राम स्तर पर पंचायत केर क्षेत्रक भीतर समाविष्ट कोनहुँ ग्राम सँ संबंधित निर्वाचक नामावली मे पंजीकृत व्यक्ति सभसँ मिलि कए बनल निकाय अभिप्रेत अछि;

(ग) “मध्यवर्ती स्तर” सँ ग्राम आओर जिला स्तरक बीचक एहन स्तर अभिप्रेत अछि जकरा राज्यक राज्यपाल, एहि भागक प्रयोजनक हेतु, लोक अधिसूचना द्वारा, मध्यवर्ती स्तरक रूपमे विनिर्दिष्ट करए;

(घ) “पंचायत” सँ ग्रामीण क्षेत्रक लेल अनुच्छेद 243 ख केर अधीन गठित स्वायत्त शासनक कोनहुँ संस्था (चाहे ओ कोनहुँ नामसँ जानल जाए) अभिप्रेत अछि;

(ङ) “पंचायत क्षेत्र” सँ पंचायतक प्रादेशिक क्षेत्र अभिप्रेत अछि;

(च) “जनसंख्या” सँ एहन पूर्ववर्ती जनगणना मे सुनिश्चित कएल गेल जनसंख्या अभिप्रेत अछि जकर सुसंगत आँकड़ा प्रकाशित भए गेल अछि;

(छ) “ग्राम” सँ राज्यपाल द्वारा एहि भाग केर प्रयोजन सभक हेतु, लोक अधिसूचना द्वारा, ग्रामक रूपमे विनिर्दिष्ट ग्राम अभिप्रेत अछि आओर एकर अंतर्गत एहि प्रकारक विनिर्दिष्ट ग्राम सभक समूह सेहो अछि ।

243क. ग्राम सभा-ग्राम सभा, ग्राम स्तर पर एहन शक्तिक प्रयोग आओर एहन कार्य सभक पालन कए सकत, जे कोनहुँ राज्यक विधान-मंडल द्वारा, विधि द्वारा उपबंधित कएल जाए ।

243ख. पंचायतक गठन-(1) प्रत्येक राज्यमे ग्राम, मध्यवर्ती आओर जिला स्तर पर एहि भागक उपबंध केर अनुसार पंचायतक गठन कएल जाएत ।

(2) खंड (1) मे सँ कोनहुँ बात केँ रहितहु, मध्यवर्ती स्तर पर पंचायतक ओहि राज्यमे गठन नहि कएल जा सकत जकर जनसंख्या बीस लाख सँ अधिक नहि अछि ।

243ग. पंचायतक संरचना-(1) एहि भागक उपबंध केर अधीन रहैत, कोनहुँ राज्यक विधान-मंडल, विधि द्वारा, पंचायत केर संरचना हेतु उपबंध कए सकत :

¹ संविधान (तिहतरम संशोधन) अधिनियम, 1992 केर धारा 2 द्वारा (24-4-1993 सँ) अंतःस्थापित । संविधान (सातम संशोधन) अधिनियम, 1956 केर धारा 29 आओर अनुसूची द्वारा (1-11-1956 सँ) मूल भाग 9 केर लोप कएल गेल छलैक ।

भारतक संविधान

(भाग 9-पंचायत)

मुदा कोनहुँ स्तर पर पंचायतक प्रादेशिक क्षेत्र केर जनसंख्याक एहन पंचायतमे निर्वाचन द्वारा भरल जाएवला स्थान सभक संख्या संग अनुपात समस्त राज्यमे यथासाध्य एकरूप हो।

(2) कोनहुँ पंचायतक सभ स्थान, पंचायत क्षेत्रमे प्रादेशिक निर्वाचन-क्षेत्र सभसँ प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुनल गेल व्यक्ति सभसँ भरल जाएत आओर एहि प्रयोजनक लेल, प्रत्येक पंचायत क्षेत्र केँ प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रमे एहन प्रक्रिया सँ विभाजित कएल जाएत जे प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रक जनसंख्याक ओकर आवंटित स्थान सभक संख्या संग अनुपात समस्त पंचायत क्षेत्रमे यथासाध्य एकहि हो।

(3) कोनहुँ राज्यक विधान-मंडल, विधि द्वारा, -

(क) ग्राम स्तर पर पंचायतक अध्यक्षक, मध्यवर्ती स्तर पर पंचायत सभमे अथवा एहन राज्यक स्थितिमे, जतए मध्यवर्ती स्तर पर पंचायत नहि छैक, जिला स्तर पर पंचायत सभमे;

(ख) मध्यवर्ती स्तर पर पंचायत सभक अध्यक्ष सभक जिला स्तर पर पंचायत सभमे;

(ग) लोक सभा मे एहन सदस्य सभक आओर राज्यक विधान सभाक एहन सदस्य सभक, जे ओहि निर्वाचन-क्षेत्र सभक प्रतिनिधित्व करैत छथि जाहि मे ग्राम स्तर सँ भिन्न स्तर पर कोनहुँ पंचायत क्षेत्र पूर्णतः अथवा अंशतः समाविष्ट अछि, एहन पंचायतमे;

(घ) राज्य सभाक सदस्य लोकनिक आओर राज्यक विधान परिषदक सदस्य लोकनिक जतए ओ-

(i) मध्यवर्ती स्तर पर कोनहुँ पंचायत क्षेत्रक अंतर्गत निर्वाचकक रूपमे पंजीकृत छथि, मध्यवर्ती स्तर पर पंचायतमे;

(ii) जिला स्तर पर कोनहुँ पंचायत क्षेत्रक अंतर्गत निर्वाचक रूपमे पंजीकृत छथि, जिला स्तर पर पंचायतमे, प्रतिनिधित्व करबाक लेल उपबंध कए सकत।

(4) कोनहुँ पंचायतक अध्यक्ष आओर कोनहुँ पंचायतक एहन आन सदस्य सभकेँ चाहे ओ पंचायत क्षेत्रमे प्रादेशिक निर्वाचन-क्षेत्र सभसँ प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुनल गेल होथि कि नहि, पंचायतक अधिवेशन सभमे मत देबाक अधिकार होएत।

(5) (क) ग्राम स्तर पर कोनहुँ पंचायतक अध्यक्षक निर्वाचन एहन प्रक्रिया सँ, जे राज्यक विधान-मंडल द्वारा, विधि द्वारा, उपबंधित कएल जाए, कएल जाएत; आओर

(ख) मध्यवर्ती स्तर अथवा जिला स्तर पर कोनहुँ पंचायतक अध्यक्षक निर्वाचन, ओकर निर्वाचित सदस्य लोकनि द्वारा अपनहि मे सँ कएल जाएत।

(भाग 9-पंचायत)

243घ. स्थानक आरक्षण-(1) प्रत्येक पंचायतमे-

(क) अनुसूचित जाति; आओर

(ख) अनुसूचित जनजाति

सभक हेतु स्थान आरक्षित रहत आओर एहि प्रकारेँ आरक्षित स्थानक संख्याक अनुपात, ओहि पंचायतमे प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा भरल जाएवला स्थानक कुल संख्या यथासाध्य वएह होएत जे ओहि पंचायत क्षेत्रमे अनुसूचित जाति अथवा ओहि पंचायत क्षेत्रमे अनुसूचित जनजाति सभक, जनसंख्याक अनुपात ओहि क्षेत्रक कुल जनसंख्यासँ अछि आओर एहन स्थान कोनहुँ पंचायतमे भिन्न-भिन्न निर्वाचन क्षेत्र सभकेँ चक्रानुक्रम सँ आवंटित कएल जा सकत ।

(2) खंड (1) केर अधीन आरक्षित स्थानक कुल संख्या केर कम-सँ-कम एक तिहाई स्थान, यथास्थिति, अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति लोकनिक स्त्री सभक हेतु आरक्षित रहत ।

(3) प्रत्येक पंचायतमे प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा भरल जाएवला स्थानक कुल संख्या कम-सँ-कम एक-तिहाई स्थान (जाहि अंतर्गत अनुसूचित जाति आओर अनुसूचित जनजातिक स्त्रीगण लोकनिक हेतु आरक्षित स्थानक संख्या सेहो अछि) स्त्रीगणक हेतु, आरक्षित रहत आओर एहन स्थान कोनहुँ पंचायतमे भिन्न-भिन्न निर्वाचन-क्षेत्र सभकेँ चक्रानुक्रम सँ आवंटित कएल जा सकत ।

(4) ग्राम अथवा कोनहुँ अन्य स्तर पर पंचायतमे अध्यक्षक पद अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति आओर स्त्री लोकनिक हेतु एहन प्रक्रिया सँ आरक्षित रहत, जे राज्यक विधान-मंडल, विधि द्वारा उपबंधित करए:

मुदा कोनहुँ राज्यमे प्रत्येक स्तर पर पंचायत सभमे अनुसूचित जाति आओर अनुसूचित जनजाति सभक लेल आरक्षित अध्यक्ष लोकनिक पद केर संख्याक अनुपात, प्रत्येक स्तर पर ओहि पंचायत सभमे एहन पद सभक कुल संख्याक अनुपात, प्रत्येक स्तर पर ओहि पंचायत सभमे एहन पद सभक कुल संख्याक संग यथासाध्य वएह होएत, जे ओहि राज्यमे अनुसूचित जाति केर अथवा ओहि राज्यमे अनुसूचित जनजाति सभक जनसंख्याक अनुपात ओहि राज्यक कुल जनसंख्या सँ अछि :

मुदा ई आओर प्रत्येक स्तर पर पंचायत सभमे अध्यक्ष लोकनिक पदक कुल संख्याक कम-सँ-कम एक तिहाई पद स्त्री लोकनि हेतु आरक्षित रहत :

मुदा ई सेहो जे एहि खंड केर अधीन आरक्षित पद सभक संख्या प्रत्येक स्तर पर भिन्न-भिन्न पंचायत सभकेँ चक्रानुक्रम सँ आवंटित कएल जाएत ।

(5) खंड (1) आओर खंड (2) केर अधीन स्थान सभक आरक्षण आओर खंड (4) केर अधीन अध्यक्ष लोकनिक पद सभक आरक्षण (जे स्त्री लोकनिक आरक्षण सँ भिन्न अछि) अनुच्छेद 334 मे विनिर्दिष्ट अवधिक समाप्ति पर प्रभावी नहि रहत ।

(6) एहि भाग केर कोनहुँ बात कोनहुँ राज्यक विधान-मंडल केँ पिछड़ल नागरिक सभक कोनहुँ वर्ग केर पक्ष मे कोनहुँ स्तर पर कोनहुँ पंचायतमे स्थान सभ केर अथवा पंचायत सभमे अध्यक्ष लोकनिक पद सभक आरक्षण हेतु कोनहुँ उपबंध करबासँ निवारित नहि करत ।

भारतक संविधान

(भाग 9-पंचायत)

243ड. पंचायत सभक अवधि, आदि-(1) प्रत्येक पंचायत, जँ तत्काल प्रवृत्त कोनहुँ विधि केर अधीन पूर्वाहिक विघटित नहि कएल जाइत अछि तँ अपन पहिल अधिवेशनक हेतु नियत तिथिसँ पाँच वर्ष पर्यन्त बनल रहत, ताहि सँ बेसी नहि ।

(2) तत्काल प्रवृत्त कोनहुँ विधि केर कोनहुँ संशोधन सँ कोनहुँ स्तर पर एहन पंचायत केर, जे एहन संशोधनक ठीक पूर्व कार्य कए रहल अछि, ताधरि विघटित नहि होएत जाधरि खंड (1) मे विनिर्दिष्ट ओकर अवधि समाप्त नहि भए जाए ।

(3) कोनहुँ पंचायतक गठन करबाक लेल निर्वाचन, -

(क) खंड (1) मे विनिर्दिष्ट ओकर अवधि केर समाप्तिक पूर्व;

(ख) ओकर विघटनक तिथिसँ छओ मासक अवधिक समाप्तिक पूर्व पूरा कएल जाएत:

मुदा जतए ओ शेष अवधि, जकरा लेल कोनहुँ विघटित पंचायत बनल रहैत अछि, छओ मास सँ कम अछि ओतए एहि अवधिक हेतु ओहि पंचायतक गठन करबाक हेतु एहि खंडक अंतर्गत कोनहुँ निर्वाचन कराएब आवश्यक नहि होएत ।

(4) कोनहुँ पंचायतक अवधि केर समाप्तिक पूर्व ओहि पंचायतक विघटन पर गठित कएल गेल कोनहुँ पंचायत, ओहि अवधि केर शेष भाग हेतु बनल रहत जकरा लेल विघटित पंचायत खंड (1) केर अधीन बनल रहत, जँ ओ एहि प्रकारँ विघटित नहि कएल जाएत ।

243च. सदस्यताक लेल अयोग्यता-(1) कोनहुँ व्यक्ति कोनहुँ पंचायत केर सदस्य चुनल जाएबाक हेतु आओर सदस्य होएबाक लेल अयोग्य होएत, -

(क) जँ ओ संबंधित राज्य केर विधान-मंडलक निर्वाचन केर प्रयोजन हेतु तत्काल प्रवृत्त कोनहुँ विधि द्वारा अथवा ओकर अधीन एहि प्रकारँ अयोग्य घोषित कए देल गेल हो:

मुदा जँ कोनो व्यक्ति एकैस वर्षक आयु पूर्ण कए लेने होथि तँ पच्चीस वर्षक आयुसीमा शिथिल बुझल जाएत ।

(ख) जँ ओ राज्य केर विधान-मंडल द्वारा अथवा ओकर अधीन एहि प्रकार सँ अयोग्य कए देल जाइत अछि ।

(2) जँ ई प्रश्न उठैत अछि जे कोनहुँ पंचायत केर कोनहुँ सदस्य खंड (1) मे वर्णित कोनहुँ अयोग्यता सँ प्रभावित भए गेल अछि अथवा नहि तँ ओ प्रश्न एहन प्राधिकारीकेँ आओर एहन प्रक्रिया सँ, जे राज्य केर विधान-मंडल विधि द्वारा, उपबंधित करए, निर्णयक हेतु निर्देशित कएल जाएत ।

(भाग 9-पंचायत)

243छ. पंचायत सभक शक्ति, प्राधिकार आओर उत्तरदायित्व-संविधानक उपबंधक अधीन रहैत, कोनहुँ राज्यक विधान-मंडल, विधि द्वारा, पंचायत सभकेँ एहन शक्ति आओर प्राधिकार प्रदान कए सकत जे ओकरा स्वायत्त शासन केर संस्थाक रूपमे कार्य करए मे समर्थ बनएबाक हेतु आवश्यक हो आओर एहन विधिमे पंचायत सभकेँ उपयुक्त स्तर पर एहन शर्तक अधीन रहैत, जे ओहिमे विनिर्दिष्ट कएल जाए, निम्नलिखित केर संबंधमे शक्ति आओर उत्तरदायित्व न्यायसंगत करबाक हेतु उपबंध कएल जा सकत, अर्थात् :-

(क) आर्थिक विकास आओर सामाजिक न्याय हेतु योजना सभ तैयार करब;

(ख) आर्थिक विकास आओर सामाजिक न्याय केर एहन योजना सभकेँ, जे ओकरा देल जाए, जकरा अंतर्गत ओ योजना सभ सेहो अछि, जे एगारहम अनुसूचीमे सूचीबद्ध विषय सभ केर संबंधमे अछि, कार्यान्वित करब ।

243ज. पंचायत द्वारा कर आधिरोपित करबाक शक्ति आओर ओकर निधि-कोनहुँ राज्यक विधान-मंडल, विधि द्वारा-

(क) एहन कर, शुल्क, पथकर, उद्गृहीत शुल्क, संग्रहित आओर विनियोजित करबाक हेतु कोनहुँ पंचायतकेँ एहन प्रक्रियानुसार आओर एहन निर्बद्ध सीमा केर अधीन रहैत, प्राधिकृत कए सकत;

(ख) राज्य सरकार द्वारा उद्गृहीत आओर संग्रहित एहन कर, शुल्क, पथकर आओर अन्य शुल्क, कोनहुँ पंचायतकेँ, एहन प्रयोजनक लेल, आओर एहन शर्त आओर सीमा केर अधीन रहैत समनुदिष्ट कए सकत;

(ग) राज्यक संचित निधिमे सँ पंचायत सभक लेल एहन सहायता-अनुदान देबाक निमित्त उपबंध कए सकत; आओर

(घ) पंचायत द्वारा अथवा ओकरा दिस सँ क्रमशः प्राप्त कएल गेल सभ धन केँ जमा करबाक हेतु एहन निधि सभ केर गठन अथवा ओहि निधि सभमे सँ एहन धन केँ निकालबाक लेल सेहो उपबंध कए सकत, जे विधिमे विनिर्दिष्ट कएल जाए ।

243झ. वित्तीय स्थितिक पुनरावलोकन हेतु वित्त आयोगक गठन-(1) राज्यक राज्यपाल, संविधान (तिहत्तरिम संशोधन) अधिनियम, 1992 केर प्रारंभसँ एक वर्षक अभ्यन्तर, यथाशीघ्र, आओर तत्पश्चात् प्रत्येक पाँचम वर्षक समाप्ति पर वित्त आयोगक गठन करत जे पंचायत सभक वित्तीय स्थितिक पुनर्विलोकन करत, आओर जे-

(क) एहन नीति जे ई निर्धारित करए—

(i) राज्य द्वारा उद्गृहीत कर, शुल्क, पथकर आओर अन्य शुल्क केर एहन शुद्ध आगम केँ राज्य आओर पंचायत सभक मध्य, जे एहि भागक अधीन अछि, ओहिमे विभाजित ओ वितरण कएल जाएत, आओर सभ स्तर पर पंचायत सभक बीच एहन आगम सभकेँ तत्संबंधी भागक आवंटन केँ;

भारतक संविधान

(भाग 9-पंचायत)

(ii) एहन कर, शुल्क, पथकर आओर अन्यान्य देय शुल्क सभक अवधारणा केँ, जे पंचायत सभ केँ देल जा सकत अथवा ओकरा द्वारा विनियोजित कएल जा सकत;

(iii) राज्यक संचित निधिमे सँ पंचायत हेतु सहायता अनुदान केँ, शासित करएबला सिद्धान्त केर विषय मे;

(ख) पंचायत सभक वित्तीय स्थिति केँ सुधारबाक निमित्त आवश्यक उपायक विषय मे;

(ग) पंचायत केर सुट्टि वित्तीय हित मे राज्यपाल द्वारा वित्त आयोगकेँ निर्दिष्ट कएल गेल कोनहुँ अन्य विषयक संबंधमे राज्यपाल केँ अनुशंसा करत ।

(2) राज्यक विधान-मंडल, विधि द्वारा, आयोग केर संरचनाक, ओहि अर्हता सभ केर, जे आयोग केर सदस्यक रूपमे नियुक्ति हेतु, अपेक्षित होएत आओर ओहि प्रक्रिया केर, जाहि सँ ओकर चयन कएल जाएत, उपबंध कए सकत ।

(3) आयोग अपन प्रक्रिया सुनिश्चित करत आओर अपन कार्य सभक पालनमे एहन शक्तिक प्रयोग करत जे राज्यक विधान-मंडल, विधि द्वारा ओकरा प्रदान कएने हो ।

(4) राज्यपाल एहि अनुच्छेदक अधीन आयोग द्वारा पठाओल गेल प्रत्येक अनुशंसा केँ, ओहि पर कएल गेल कार्यवाही केँ स्पष्टीकरण सहित, राज्य केर विधान-मंडलक समक्ष रखबाओत ।

243ज. पंचायतक लेखा सभक अंकेक्षण-कोनहुँ राज्यक विधान-मंडल, विधि द्वारा, पंचायत द्वारा लेखा राखल जएबाक आओर एहन लेखा सभक अंकेक्षण करबाक विषय मे उपबंध कए सकत ।

243ट. पंचायत सभक लेल निर्वाचन-(1) पंचायत सभक निमित्त कराओल जाएवला समस्त निर्वाचनक हेतु निर्वाचक नामावली तैयार करएबाक आओर ओहि समस्त निर्वाचन केर संचालनक अधीक्षण, निदेशन, आओर नियंत्रण एक राज्य निर्वाचन आयोग मे सन्निहित होएत, जाहि मे एकटा राज्य निर्वाचन आयुक्त होएत, जे राज्यपाल द्वारा नियुक्त कएल जाएत ।

(2) कोनहुँ राज्यक विधान-मंडल द्वारा बनाओल गेल कोनहुँ विधिक उपबंधक अधीन रहैत, राज्य निर्वाचन आयुक्तक सेवा केर शर्त आओर पदावधि एहन होएत जे राज्यपाल नियम द्वारा सुनिश्चित करथि:

मुदा राज्य निर्वाचन आयुक्त केँ ओकर पदसँ ओहि प्रक्रिया सँ आओर ओहि आधार पर हटाओल जाएत, जाहि प्रक्रिया सँ आओर जाहि आधार पर उच्च न्यायालयक न्यायाधीश केँ हटाओल जाइत अछि अन्यथा नहि, आओर राज्य निर्वाचन आयुक्तक सेवा शर्तमे ओकर नियुक्तिक पश्चात्, ओकरा लेल अलाभकारी परिवर्तन नहि कएल जाएत ।

(भाग 9-पंचायत)

(3) जखन राज्य निर्वाचन आयोग एहन अनुरोध करए तखन कोनहुँ राज्यपाल, राज्य निर्वाचन आयोगकेँ ओतेक कर्मचारी सभ उपलब्ध कराओत जतेक खंड (1) द्वारा राज्य निर्वाचन आयोगकेँ ओकरा दायित्वक निर्वहन हेतु आवश्यक हो।

(4) एहि संविधान केर उपबंध सभक अधीन रहैत, कोनहुँ राज्यक विधान-मंडल, विधि द्वारा, पंचायतक निर्वाचन सँ संबंधित वा संसक्त सभ विषयक संबंधमे उपबंध कए सकत।

243ठ. केन्द्र शासित प्रदेश सभ पर लागू होएब-एहि भाग केर उपबंध केन्द्र शासित प्रदेश केँ लागू होएत आओर कोनहुँ केन्द्र शासित प्रदेशकेँ ओकरा लागू होबय मे एहि प्रकार सँ प्रभावी होएत जेना कोनहुँ राज्यपालक प्रति निर्देश, अनुच्छेद 239 केर अधीन नियुक्त केन्द्र शासित प्रदेशक प्रशासकक प्रति निर्देश हो आओर कोनहुँ राज्य केर विधान-मंडल अथवा विधान सभाक प्रति निर्देश कोनहुँ एहन केन्द्र शासित प्रदेशक संबंधमे, जाहि मे विधान सभा अछि, ओहि विधान सभाक प्रति निर्देश हो :

मुदा राष्ट्रपति, लोक अधिसूचना द्वारा, ई निर्देश द' सकत जे एहि भागक उपबंध, कोनहुँ केन्द्र शासित प्रदेश अथवा एहन अपवाद आओर उपांतरण केर अधीन रहैत, लागू होएत, जे ओहि अधिसूचना मे विनिर्दिष्ट करए।

243ड. एहि भागक कतिपय क्षेत्रमे लागू नहि होएब-(1) एहि भागक कोनहुँ बात अनुच्छेद 244 केर खंड (1) मे निर्दिष्ट अनुसूचित क्षेत्र आओर ओकर खंड (2) मे निर्दिष्ट जनजाति क्षेत्रमे लागू नहि होएत।

(2) एहि भागक कोनहुँ बात निम्नलिखितकेँ लागू नहि होएत :-

(क) नागालैंड, मेघालय आओर मिजोरम राज्य;

(ख) मणिपुर राज्यक एहन पर्वतीय क्षेत्रमे स्थित जिला परिषद जे तत्काल प्रवृत्त कोनो विधिसँ निर्मित हो:

(3) एहि भाग केर-

(क) कोनहुँ बात जिला स्तर पर पंचायत सभक संबंधमे पश्चिमी बंगाल राज्य केर दार्जिलिंग जिला केर एहन पर्वतीय क्षेत्र केँ लागू नहि होएत जकरा लेल तत्काल प्रवृत्ति कोनहुँ विधि केर अधीन दार्जिलिंग गोरखा पर्वतीय परिषद विद्यमान अछि;

(ख) कोनहुँ बातक अर्थ ई नहि लगाओल जाएत जे ओ एहन विधिक अधीन गठित दार्जिलिंग गोरखा पर्वतीय परिषद केर कार्य आओर शक्ति पर प्रभाव होएत अछि।

¹[(3क) अनुसूचित जाति सभक लेल स्थान केर आरक्षण सँ संबंधित अनुच्छेद 243 'घ' केर कोनहुँ बात अरुणाचल प्रदेश राज्य पर लागू नहि होएत।]

(4) एहि संविधानमे कोनो बातक रहितहु, -

(क) खंड (2) केर उपखंड (क) मे निर्दिष्ट कोनहुँ राज्यक विधान-मंडल, विधि द्वारा, एहि भागक विस्तार, खंड (1) मे निर्दिष्ट राज्य केर अतिरिक्त, जँ कोनहुँ हो, ओहि राज्य पर ओहि दशामे क' सकत जखन ओहि राज्यक विधान सभा एहि आशयक एकटा संकल्प ओहि सदनक कुल संख्याक बहुमत द्वारा आओर ओहि सदनमे उपस्थित एवं मत देबए वला सदस्य सभक कम-सँ-कम दू-तिहाई बहुमत द्वारा पारित कए देल जाइत अछि;

(ख) संसद, विधि द्वारा एहि भाग केर उपबंध सभक विस्तार, खंड (1) मे निर्दिष्ट अनुसूचित क्षेत्र आओर जनजाति क्षेत्र सभ पर, एहन अपवाद अथवा परिषोधन सभक अधीन रहैत, कए सकत, जे एहन विधिमे निर्दिष्ट कएल जाए आओर एहन कोनहुँ विधिकेँ अनुच्छेद 368 केर प्रयोजन सभक हेतु एहि संविधान केर संशोधन नहि बुझल जाएत।

243ढ. विद्यमान विधि आओर पंचायत सभक बनल रहब-एहि भागमे कोनहुँ बात केँ होइतहुँ, संविधान (तिहत्तरिम संशोधन) अधिनियम, 1992 केर प्रारंभ केर ठीक पूर्व कोनहुँ राज्यमे प्रवृत्त पंचायत सभसँ संबंधित कोनो विधिक कोनहुँ उपबंध जे एहि भाग केर उपबंध सँ असंगत अछि, जाधरि सक्षम विधान-मंडल द्वारा अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा ओकरा संशोधित अथवा निरस्त नहि कए देल जाइत अछि अथवा जाधरि एना प्रारंभसँ एक वर्ष समाप्त नहि भए जाइत अछि, एहिमे सँ जे पहिने हो, ताधरि प्रवृत्त बनल रहत :

मुदा एहन प्रारंभ केर ठीक पूर्व विद्यमान सभ पंचायत, जँ ओहि राज्यक विधान सभा द्वारा अथवा एहन राज्यक स्थिति मे, जाहि मे विधान परिषद छैक, ओहि राज्यक विधान-मंडल केर प्रत्येक सदन द्वारा पारित एहि आशय केर संकल्प द्वारा पहिनहि विघटित नहि कए देल जाइत अछि तँ, अपन अवधिक समाप्ति धरि बनल रहत।

243ण. निर्वाचन संबंधी विषयमे न्यायालयक हस्तक्षेप पर प्रतिबंध-एहि संविधानमे कोनहुँ बातक होइतहुँ, -

(क) अनुच्छेद 243 'ट' केर अधीन बनाओल गेल अथवा बनाओल जएबाक हेतु तत्संबंधित कोनहुँ एहन विधि केर विधिमान्यता, जे निर्वाचन-क्षेत्र सभक परिसीमन अथवा एहन निर्वाचन-क्षेत्र सभक स्थान केर आवंटन सँ संबंधित अछि, कोनहुँ न्यायालयमे प्रश्नगत नहि कएल जाएत;

(ख) कोनहुँ पंचायत हेतु कोनहुँ निर्वाचन, एहन निर्वाचन आग्रहे पर प्रश्नगत कएल जाएत जे एहन प्राधिकारीकेँ आओर एहन प्रक्रियासँ प्रस्तुत कएल गेल अछि, जकर कोनहुँ राज्य केर विधान-मंडल द्वारा बनाओल गेल कोनहुँ विधि द्वारा अथवा ओकर अधीन उपबंध कएल जाए, अन्यथा नहि।

¹ संविधान (तिरासीयम संशोधन) अधिनियम, 2000 केर धारा 2 द्वारा (8-9-2000 सँ) अंतःस्थापित।

¹ भाग-9 क नगरपालिका

243त. परिभाषा-एहि भागमे, जाधरि संदर्भ सँ अन्यथा अपेक्षित नहि हो, -

(क) “समिति” सँ अनुच्छेद 243 ‘ध’ केर अधीन गठित समिति अभिप्रेत अछि;

(ख) “जिला” सँ कोनहुँ राज्यक जिला अभिप्रेत अछि;

(ग) “महानगर क्षेत्र” सँ दस लाख अथवा ओहि सँ अधिक जनसंख्या बला एहन क्षेत्र अभिप्रेत अछि जाहि मे एक अथवा अधिक जिला समाविष्ट अछि आओर जे दू अथवा अधिक नगरपालिका अथवा पंचायत अथवा अन्य संलग्न क्षेत्र सभसँ मिलि कए बनैत अछि आओर जकरा राज्यपाल, एहि भागमे प्रयोजन हेतु, लोक अधिसूचना द्वारा, महानगर क्षेत्रक रूपमे विनिर्दिष्ट करए;

(घ) “नगरपालिका क्षेत्र” सँ राज्यपाल द्वारा अधिसूचित कोनहुँ नगरपालिका केर प्रादेशिक क्षेत्र अभिप्रेत अछि;

(ङ) “नगरपालिका” सँ अनुच्छेद 243 ‘थ’ केर अधीन गठित कोनहुँ पंचायत अभिप्रेत अछि;

(च) “पंचायत” सँ अनुच्छेद 243 ख केर अधीन गठित कोनहुँ पंचायत अभिप्रेत अछि;

(छ) “जनसंख्या” सँ एहन अंतिम पूर्ववर्ती जनगणना मे सुनिश्चित कएल गेल जनसंख्या अभिप्रेत अछि जकर सुसंगत आँकड़ा प्रकाशित कए देल गेल अछि ।

243थ. नगरपालिकाक गठन-(1) प्रत्येक राज्यमे, एहि भागक उपबंध केर अनुसार, -

(क) कोनहुँ संक्रमणशील क्षेत्र हेतु, अर्थात्, ग्रामीण क्षेत्र सँ नगरीय क्षेत्रमे संक्रमणगत क्षेत्रक हेतु कोनहुँ नगर पंचायत केर (चाहे ओ कोनहुँ नामसँ ज्ञात हो);

(ख) कोनहुँ लघुतर नगरीय क्षेत्रक हेतु नगरपालिका परिषदक; आओर

(ग) कोनहुँ बृहत्तर नगरीय क्षेत्रक हेतु नगर निगम केर

गठन कएल जाएत:

¹ संविधान (चौहत्तरम संशोधन) अधिनियम, 1992, केर धारा 2 द्वारा (01-06-1993 सँ) अंतःस्थापित ।

मुदा एहि खंडक अधीन कोनहुँ नगरपालिका एहन नगरीय क्षेत्र अथवा ओकर कोनहुँ भागमे गठित नहि कएल जा सकत जकरा राज्यपाल, क्षेत्र केर आकार आओर ओहि क्षेत्रमे कोनहुँ औद्योगिक स्थापन द्वारा देल जा रहल अथवा देल जएबाक लेल प्रस्तावित नगरपालिका संबंधी सेवा आओर एहन अन्य बात सभकेँ, जे ओ ठीक बुझए ध्यानमे रखैत, लोक अधिसूचना द्वारा, औद्योगिक नगरक रूपमे विनिर्दिष्ट करय ।

(2) एहि अनुच्छेदमे, “संक्रमणशील क्षेत्र लघुतर नगरीय क्षेत्र” अथवा “बृहत्तर नगरीय क्षेत्र” सँ एहन क्षेत्र अभिप्रेत अछि जकरा राज्यपाल, एहि भागक प्रयोजन हेतु, ओहि क्षेत्रक जनसंख्या, ओहिमे जनसंख्या केर सघनता, स्थानीय प्रशासन हेतु उत्पन्न राजस्व, कृषि सँ भिन्न क्रिया-कलाप सभमे नियोजनक प्रतिशत, आर्थिक महत्त्व अथवा अन्य विषय केँ, जे ओ ठीक बुझए, ध्यानमे रखैत, लोक अधिसूचना द्वारा, विनिर्दिष्ट करए ।

243द. नगरपालिकाक संरचना-(1) खंड (2) मे जेहन उपबंधित अछि ओकर अतिरिक्त, कोनहुँ नगरपालिकाक सभ स्थान, नगरपालिका क्षेत्रमे प्रादेशिक निर्वाचन-क्षेत्र सँ प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुनल गेल व्यक्ति लोकनि द्वारा भरल जाएत आओर एहि प्रयोजन हेतु प्रत्येक नगरपालिका क्षेत्र केँ प्रादेशिक निर्वाचन-क्षेत्रमे विभाजित कएल जाएत जे वार्ड केर नामसँ ज्ञात होएत ।

(2) कोनहुँ राज्यक विधान-मंडल, विधि द्वारा

(क) नगरपालिकामे, -

(i) नगरपालिका प्रशासन केर विशेष ज्ञान अथवा अनुभव राखएवला व्यक्ति;

(ii) लोक सभाक एहन सदस्यक आओर राज्यक विधान सभाक एहन सदस्य केर, जे ओहि निर्वाचन-क्षेत्रक प्रतिनिधित्व करैत अछि जाहि मे कोनहुँ नगरपालिका क्षेत्र पूर्णतः अथवा अंशतः समाविष्ट अछि;

(iii) राज्य सभाक एहन सदस्यक आओर राज्यक विधान परिषद केर एहन सदस्य, जे नगरपालिका क्षेत्रक अंतर्गत निर्वाचकक रूपमे पंजीकृत अछि;

(iv) अनुच्छेद 243 ‘घ’ केर खंड (5) केर अधीन गठित समिति सभक अध्यक्ष लोकनि,

प्रतिनिधित्व करबाक हेतु उपबंध कए सकत : मुदा पाराग्राफ (i) मे निर्दिष्ट व्यक्ति सभकेँ नगरपालिकाक अधिवेशन मे मत देबाक अधिकार नहि होएत;

(ख) कोनहुँ नगरपालिकाक अध्यक्षक निर्वाचन केर प्रक्रियाक उपबंध कए सकत ।

(भाग 9 क- नगरपालिका)

243ध. वार्ड समिति आदिक गठन ओ संरचना-(1) एहन नगरपालिकाक, जकर जनसंख्या तीन लाख अथवा ताहि सँ अधिक अछि, प्रादेशिक क्षेत्रक अंतर्गत वार्ड समिति सभक गठन कएल जाएत, जे एक अथवा अधिक वार्ड सँ मिलि कए बनत ।

(2) राज्य केर विधान-मंडल, विधि द्वारा

(क) वार्ड समिति केर संरचना आओर तकर प्रादेशिक क्षेत्रक संबंधमे;

(ख) ओहि प्रक्रियाक संबंधमे जाहि सँ कोनहुँ वार्ड समिति मे स्थान भरल जाएत, उपबंध कए सकत ।

(3) वार्ड समितिक प्रादेशिक क्षेत्रक अंतर्गत कोनहुँ वार्ड केर प्रतिनिधित्व करएबला कोनहुँ नगरपालिकाक सदस्य ओहि समितिक सदस्य होएत ।

(4) जतए कोनहुँ वार्ड समिति-

(क) एक वार्ड सँ मिलि कए बनैत अछि ततय नगरपालिका मे ओहि वार्ड केर प्रतिनिधित्व करएबला सदस्य; अथवा

(ख) दू अथवा अधिक वार्ड सँ मिलि कए बनैत अछि, ततय नगरपालिका मे एहन वार्ड सभक प्रतिनिधित्व करएबला सदस्य सभमे सँ एक सदस्य, जे ओहि वार्ड समिति केर सदस्य सभक द्वारा निर्वाचित कएल जाएत, ओहि समितिक अध्यक्ष होएत ।

(5) एहि अनुच्छेदक कोनहुँ बातसँ ई नहि बुझल जाएत जे ओ कोनहुँ राज्य केर विधान-मंडल केँ वार्ड समितिक अतिरिक्त समिति सभक गठन करबाक हेतु कोनहुँ उपबंध करए सँ निवारित करैत अछि ।

243न. स्थानक आरक्षण-(1) प्रत्येक नगरपालिका मे अनुसूचित जाति आओर अनुसूचित जनजाति सभक लेल स्थान आरक्षित रहत आओर एहि प्रकार आरक्षित स्थानक संख्याक अनुपात, ओहि नगरपालिका मे प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा भरल जाएवला स्थानक कुल संख्या सँ यथाशक्ति वएह होएत जे ओहि नगरपालिका क्षेत्रमे अनुसूचित जाति केर अथवा ओहि नगरपालिका क्षेत्रमे अनुसूचित जनजातिक जनसंख्या केर, अनुपात ओहि क्षेत्रक कुल जनसंख्या सँ अछि आओर एहन स्थान कोनहुँ नगरपालिका केर भिन्न-भिन्न निर्वाचन-क्षेत्र केँ चक्रानुक्रम सँ आवंटित कएल जा सकत ।

(2) खंड (1) केर अधीन आरक्षित स्थानक कुल संख्याक कम-सँ-कम एक-तिहाई स्थान, यथास्थिति, अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति सभक स्त्रीगणक लेल आरक्षित रहत ।

(3) प्रत्येक नगरपालिका मे प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा भरल जाएवला स्थान केर कुल संख्याक कम-सँ-कम एक-तिहाई स्थान (जकरा अंतर्गत अनुसूचित जाति आओर अनुसूचित जनजाति सभक स्त्रीगणक लेल आरक्षित स्थानक संख्या सेहो अछि) स्त्रीगणक लेल आरक्षित रहत आओर एहन स्थान कोनहुँ नगरपालिकाक भिन्न-भिन्न निर्वाचन-क्षेत्र सभकेँ चक्रानुक्रम सँ आवंटित कएल जा सकत ।

(4) नगरपालिका मे अध्यक्ष सभक पद अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति आओर स्त्रीगणक हेतु एहन प्रक्रियासँ आरक्षित रहत, जे राज्य केर विधान-मंडल, विधि द्वारा, उपबंधित करए ।

(5) खंड (1) आओर (2) केर अधीन स्थान सभक आरक्षण आओर खंड (4) केर अधीन अध्यक्ष लोकनिक पद केर आरक्षण (जे स्त्री सभक आरक्षण सँ भिन्न अछि) अनुच्छेद 334 मे विनिर्दिष्ट अवधिक समाप्ति पर प्रभावी नहि रहत ।

(6) एहि भाग केर कोनहुँ बात कोनहुँ राज्यक विधान-मंडल केँ पिछड़ल नागरिक केर कोनहुँ वर्गक पक्ष मे कोनहुँ नगरपालिका मे स्थान सभक अथवा नगरपालिका मे अध्यक्ष लोकनिक पद केर आरक्षण हेतु कोनहुँ उपबंध करए सँ निवारित नहि करत ।

243प. नगरपालिका सभक अवधि, आदि-(1) प्रत्येक नगरपालिका, जँ तत्काल प्रवृत्त कोनहुँ विधि केर अधीन पहिनहि विघटित नहि कए देल जाइत अछि तँ, अपन पहिल अधिवेशनक हेतु निश्चित तिथिसँ पाँच वर्ष धरि बनल रहत, एहिसँ अधिक नहि:

मुदा कोनहुँ नगरपालिका केर विघटन करए सँ पूर्व ओकरा सुनबाहिक उचित अवसर देल जाएत ।

(2) तत्काल प्रवृत्त कोनहुँ विधिकेँ कोनहुँ संशोधन सँ कोनहुँ स्तर पर एहन नगरपालिका केर, जे एहन संशोधन केर ठीक पहिने कार्य कए रहल अछि, ताधरि विघटन नहि होएत जाधरि खंड (1) मे विनिर्दिष्ट ओकर अवधि समाप्त नहि भ' जाएत ।

(3) कोनहुँ नगरपालिका केर गठन करबाक हेतु निर्वाचन, -

(क) खंड (1) मे विनिर्दिष्ट ओकर अवधि केर समाप्ति सँ पूर्व;

(ख) ओकर विघटन केर तिथिसँ छओ मासक अवधि केर समाप्ति केर पूर्व

पूरा कएल जाएत:

मुदा जतए ओ शेष अवधि, जाहि लेल कोनहुँ विघटित नगरपालिका बनल रहैत, छओ मास सँ कम अछि ताहि ठाम एहन अवधि लेल ओहि नगरपालिका केर गठन करबाक लेल एहि खंडक अधीन कोनहुँ निर्वाचन कराएब आवश्यक नहि होएत ।

(4) कोनहुँ नगरपालिका केर अवधिक समाप्ति सँ पूर्व ओहि नगरपालिका केर विघटन पर गठित कएल गेल कोनहुँ नगरपालिका, ओहि अवधि केर शेष भागक हेतु बनल रहत जकरा लेल विघटित नगरपालिका खंड (1) केर अधीन बनल रहत, जँ ओ एहि प्रकारेँ विघटित नहि कएल जाए ।

(भाग 9 क- नगरपालिका)

243फ. सदस्यताक हेतु अयोग्यता-(1) कोनहुँ व्यक्ति कोनहुँ नगरपालिका केर सदस्य चुनल जएबाक लेल आओर सदस्य होएबाक लेल अयोग्य होएत, -

(क) जँ ओ संबंधित राज्य केर विधान-मंडल केर निर्वाचनक प्रयोजन हेतु तत्काल प्रवृत्त कोनहुँ विधि द्वारा अथवा ओकर अधीन एहि प्रकारँ अयोग्य कए देल जाइत अछि:

मुदा कोनहुँ व्यक्ति एहि आधार पर अयोग्य नहि होएत जे ओकर आयु पच्चीस वर्ष सँ कम अछि जँ ओ एकैस वर्षक आयु प्राप्त कए लेने अछि :

(ख) जँ ओ राज्यक विधान-मंडल द्वारा बनाओल गेल कोनहुँ विधि द्वारा अथवा ओकर अधीन एहि प्रकार अयोग्य कए देल जाइत अछि ।

(2) जँ ई प्रश्न उठैत अछि जे कोनहुँ नगरपालिकाक कोनहुँ सदस्य खंड (2) मे वर्णित कोनहुँ अयोग्यता सँ प्रभावित भए गेल अछि अथवा नहि तँ ओ प्रश्न एहन प्राधिकारीकें, आओर एहन प्रक्रिया सँ, जे राज्यक विधान-मंडल, विधि द्वारा, उपबंधित करए, निर्णय हेतु निर्देशित कएल जाएत ।

243ब. नगरपालिकाक शक्ति, प्राधिकार आओर उत्तरदायित्व आदि-एहि संविधानक उपबंधक अधीन रहैत, कोनहुँ राज्यक विधान-मंडल, विधि द्वारा, -

(क) नगरपालिका कें एहन शक्ति आओर प्राधिकार प्रदान कए सकत, जे ओकरा स्वायत्त शासन केर संस्थाक रूपमे कार्य करए मे समर्थ बनएबाक हेतु आवश्यक हो आओर एहन विधिमे नगरपालिका कें एहन शर्तक अधीन रहैत, जे ओहिमे विनिर्दिष्ट कएल जाए, निम्नलिखित केर संबंधमे शक्ति आओर उत्तरदायित्व न्यायगत करबाक हेतु उपबंध कएल जा सकत, अर्थात् :-

(i) आर्थिक विकास आओर सामाजिक न्याय हेतु योजना तैयार करब ;

(ii) एहन कार्यक पालन करब आओर एहन योजना कें, जे ओकरा देल जाए, जकरा अंतर्गत ओ योजना सेहो अछि, जे बारहम अनुसूचीमे सूचीबद्ध विषय सभक संबंधमे छैक, कार्यान्वित करब;

(ख) समिति कें एहन शक्ति आओर प्राधिकार प्रदान कए सकत जे ओकरा अपनहि कें प्रदत्त उत्तरदायित्व कें, जकरा अंतर्गत ओ उत्तरदायित्व सेहो अछि जे बारहम अनुसूचीमे सूचीबद्ध विषय सभक संबंधमे अछि, कार्यान्वित करबामे समर्थ बनएबाक हेतु आवश्यक हो ।

243भ. नगरपालिका द्वारा कर लगएबाक शक्ति एवं नगरपालिकाक निधि-कोनहुँ राज्यक विधान-मंडल, विधि द्वारा, -

(क) एहन कर, शुल्क, पथकर आओर अन्यान्य शुल्क उद्गृहीत, संग्रहित आओर विनियोजित करबाक हेतु कोनहुँ नगरपालिका कें, एहन प्रक्रियाक अनुसार आओर एहन सीमा केर अधीन रहैत, प्राधिकृत कए सकत;

भारतक संविधान

(भाग 9 क-नगरपालिका)

(ख) राज्य सरकार द्वारा उद्गृहीत आओर संग्रहित एहन कर, शुल्क, पथकर आओर अन्यान्य शुल्क कोनहुँ नगरपालिका केँ, एहन प्रयोजन सभक लेल आओर एहन शर्त आओर सीमा केर अधीन रहैत, समनुदिष्ट कए सकत;

(ग) राज्यक संचित निधिमे सँ नगरपालिका हेतु एहन सहायता-अनुदान देबाक लेल उपबंध कए सकत; आओर

(घ) नगरपालिका द्वारा अथवा ओकरा दिस सँ क्रमशः प्राप्त कएल गेल सभ धन केँ जमा करबाक हेतु एहन निधिक गठन करबाक आओर ओहि निधिमे सँ एहन धन केँ निकालबाक लेल उपबंध कए सकत, जे विधिमे विनिर्दिष्ट कएल जाए।

243म. वित्त आयोग-(1) अनुच्छेद 243 'झ' केर अधीन गठित वित्त आयोग नगरपालिका केर वित्तीय स्थितिक सेहो पुनर्विलोकन करत आओर जे-

(क) (i) राज्य द्वारा उद्ग्रहणीय एहन कर, शुल्क, पथकर आओर अन्यान्य शुल्क सभकेँ एहन शुद्ध आगम केँ राज्य आओर नगरपालिका केर बीच, जे एहि भागक अधीन ओहिमे विभाजित कएल जाए, वितरण केँ आओर सभ स्तर पर नगरपालिका सभ केर बीच एहन आगम केर तत्सम्बन्धी भाग केर आवंटन केँ ;

(ii) एहन कर, शुल्क, पथकर आओर अन्यान्य शुल्क सभक अवधारण केँ, जे नगरपालिका केँ समनुदिष्ट कएल जा सकत अथवा ओकरा द्वारा विनियोजित कएल जा सकत;

(iii) राज्यक संचित निधिमे सँ नगरपालिकाक हेतु सहायता अनुदान केँ, शासित करएबला सिद्धांतक संबंधमे;

(ख) नगरपालिकाक वित्तीय स्थिति केँ सुधारबाक लेल आवश्यक उपाय सभक संबंधमे;

(ग) नगरपालिकाक सुदृढ़ वित्त केर हित मे राज्यपाल द्वारा वित्त आयोगकेँ निर्दिष्ट कएल गेल कोनहुँ अन्य विषयक संबंधमे, राज्यपाल अनुशंसा करताह।

(2) राज्यपाल एहि अनुच्छेद केर अधीन आयोग द्वारा कएल गेल प्रत्येक अनुशंसा केँ, ओहि पर कएल गेल कार्यवाही केर स्पष्टीकरण ज्ञापन सहित, राज्य केर विधान-मंडलक समक्ष रखबौताह।

243य. नगरपालिकाक लेखाक अंकेक्षण-कोनहुँ राज्य केर विधान-मंडल, विधि द्वारा, नगरपालिका द्वारा लेखा राखल जएबाक आओर एहन, लेखा सभक अंकेक्षण करबाक संबंधमे उपबंध कए सकत।

(भाग 9 क- नगरपालिका)

243यक. नगरपालिका हेतु निर्वाचन-(1) नगरपालिका हेतु कराओल जाएवला सभ निर्वाचनक लेल निर्वाचक नामावली तैयार करएबाक आओर ओहि सभ निर्वाचन केँ संचालनक अधीक्षण, निदेशन आओर नियंत्रण, अनुच्छेद 243 'ट' मे निर्दिष्ट राज्य निर्वाचन आयोग मे निहित होएत ।

(2) एहि संविधानक उपबंध केर अधीन रहैत, कोनहुँ राज्यक विधान-मंडल, विधि द्वारा, नगरपालिका केर निर्वाचन सँ संबंधित अथवा संसक्त सभ विषयक संबंधमे उपबंध कए सकत ।

243यख. केन्द्र शासित प्रदेशमे लागू होएब-एहि भाग केर उपबंध केन्द्र शासित प्रदेश पर लागू होएत आओर कोनहुँ केन्द्र शासित प्रदेशकेँ ओकरा लागू होएबा मे एहि प्रकारेँ प्रभावी होएत जेना कोनहुँ राज्यक राज्यपालक प्रति निर्देश, अनुच्छेद 239 केर अधीन नियुक्त केन्द्र शासित प्रदेशक प्रशासक केर प्रति निर्देश हो आओर कोनहुँ राज्यक विधान-मंडल अथवा विधान सभाक प्रति निर्देश कोनहुँ एहन केन्द्र शासित प्रदेश केर संबंधमे, जाहिमे विधान सभा अछि, ओहि विधान सभाक प्रति निर्देश हो:

मुदा राष्ट्रपति, लोक अधिसूचना द्वारा, ई निदेश द' सकताह जे एहि भाग केर उपबंध कोनहुँ केन्द्र शासित प्रदेश अथवा ओकर कोनहुँ भागकेँ एहन अपवाद आओर परिवर्तन केर अधीन रहैत, लागू होएत, जे ओ अधिसूचना मे विनिर्दिष्ट करए ।

243यग. एहि भागकेँ कतिपय क्षेत्रमे लागू नहि होएब-(1) एहि भाग केर कोनहुँ बात अनुच्छेद 244 केर खंड (1) मे निर्दिष्ट अनुसूचित क्षेत्र आओर तकर खंड (2) मे निर्दिष्ट अनुसूचित जनजाति क्षेत्रमे लागू नहि होएत ।

(2) एहि भाग केर कोनहुँ बातक अर्थ ई नहि लगाओल जाएत जे ओ पश्चिम बंगाल राज्य केर दार्जिलिंग जिलाक पर्वतीय क्षेत्र हेतु तत्काल प्रवृत्ति कोनहुँ विधिक अधीन गठित दार्जिलिंग गोरखा पर्वतीय परिषद केर कार्य आओर शक्ति पर प्रभाव दैत अछि ।

(3) एहि संविधानमे कोनहुँ बात केँ होइतहुँ, संसद, विधि द्वारा, एहि भाग केर उपबंध केर विस्तार खंड (1) मे निर्दिष्ट अनुसूचित क्षेत्र आओर जनजाति क्षेत्र सभ पर, एहन अपवाद आओर परिष्करणक अधीन रहैत, कए सकत जे एहन विधिमे विनिर्दिष्ट कएल जाए आओर एहन कोनहुँ विधिकेँ अनुच्छेद 368 केर प्रयोजन सभक लेल एहि संविधान केर संशोधन नहि बुझल जाएत ।

243यघ. जिला योजनाक हेतु समिति-(1) प्रत्येक राज्यमे जिला स्तर, जिलामे पंचायत आओर नगरपालिका द्वारा तैयार कएल गेल योजना सभक समेकन करबाक लेल आओर संपूर्ण जिलाक लेल एकटा विकास योजना प्रारूप तैयार करबाक लेल, एकटा जिला योजना समितिक गठन कएल जाएत ।

(2) राज्यक विधान-मंडल, विधि द्वारा, निम्नलिखित केर संबंधमे उपबंध कए सकत, अर्थात् :-

भारतक संविधान

(भाग 9 क-नगरपालिका)

(क) जिला योजना समितिक संरचना;

(ख) ओ प्रक्रिया द्वारा, जाहि सँ समिति सभक रिक्त भरल जाएत:

मुदा एहन समिति केर कुल सदस्य संख्या केर कम-सँ-कम चारि बटा पाँच सदस्य, जिला स्तर पर पंचायत केर आओर जिला मे नगरपालिका सभक निर्वाचित सदस्य लोकनि द्वारा, अपनहिमे सँ, जिला मे ग्रामीण क्षेत्रक आओर नगरीय क्षेत्रक जनसंख्याक अनुपातक अनुसार निर्वाचित कएल जाएत;

(ग) जिला योजना सँ संबंधित एहन कार्य जे एहन समिति सभकेँ समनुदिष्ट कएल जाए;

(घ) ओ प्रक्रिया, जाहि सँ एहन समितिक अध्यक्ष चुनल जाएत ।

(3) प्रत्येक जिला योजना समिति, विकास योजना प्रारूप तैयार करएमे, -

(क) निम्नलिखित बातक ध्यान राखत:-

(i) पंचायत आओर नगरपालिका सभक सामान्य हितक विषय, जाहि अंतर्गत स्थानीय योजना, जल एवं अन्य भौतिक आओर प्राकृतिक संसाधन मे हिस्सा बैटाएब, आधारभूत संरचनाक एकीकृत विकास आओर पर्यावरण संरक्षण अछि;

(ii) उपलब्ध वित्तीय अथवा संसाधन सभक मात्रा आओर प्रकार;

(ख) एहन संस्था आओर संगठन सँ परामर्श करत जकरा राज्यपाल, आदेश द्वारा, विनिर्दिष्ट करए ।

(4) प्रत्येक जिला योजना समितिक अध्यक्ष, ओ विकास योजना, जकर एहन समिति द्वारा अनुशंसा कएल जाइत अछि, राज्य सरकार केँ अग्रसारित करत ।

243यड. महानगर योजना हेतु समिति-(1) प्रत्येक महानगर क्षेत्र मे, संपूर्ण महानगर क्षेत्र हेतु विकास योजना प्रारूप तैयार करबाक लेल, एक महानगर योजना समितिक गठन कएल जाएत ।

(2) राज्यक विधान-मंडल, विधि द्वारा, निम्नलिखित केर संबंधमे उपबंध कए सकत:-

(क) महानगर योजना समितिक संरचना;

(ख) ओ प्रक्रिया जाहि सँ एहन समिति सभमे रिक्त स्थान भरल जाएत:

(भाग 9 क- नगरपालिका)

मुदा एहन समितिक कम-सँ-कम दू-तिहाई सदस्य, महानगर क्षेत्रमे नगरपालिका सभक निर्वाचित सदस्य लोकनि आओर पंचायत सभक अध्यक्ष द्वारा, अपनहि मे सँ, ओहि क्षेत्रमे नगरपालिका केर पंचायतक जनसंख्याक अनुपातक अनुसार निर्वाचित कएल जाएत;

(ग) एहन समिति सभमे भारत सरकार आओर राज्य सरकार केर आओर एहन संगठन एवं संस्था सभक प्रतिनिधित्व जे एहन समिति सभकेँ समनुदिष्ट कार्य केँ कार्यान्वित करबाक हेतु आवश्यक बुझल जाए;

(घ) महानगर क्षेत्र हेतु योजना आओर समन्वय सँ संबंधित एहन कार्य जे एहन समिति सभकेँ समनुदिष्ट कएल जाए;

(ङ) ओ प्रक्रिया, जाहि सँ एहन समिति सभक अध्यक्ष चुनल जाए ।

(3) प्रत्येक महानगर योजना समिति, विकास योजना प्रारूप तैयार करए मे, -

(क) निम्नलिखित केर ध्यान राखत:-

(i) महानगर क्षेत्रमे नगरपालिका आओर पंचायत द्वारा तैयार कएल गेल योजना सभ;

(ii) नगरपालिका आओर पंचायतक सामान्य हितक विषय, जकर अंतर्गत ओहि क्षेत्रक समन्वित स्थानीय योजना जल ओ अन्य भौतिक ओ प्राकृतिक संसाधनक वितरण, आधारभूत संरचनाक एकीकृत विकास आओर पर्यावरण संरक्षण अछि;

(iii) भारत सरकार आओर राज्य सरकार द्वारा निश्चित कएल गेल समस्त उद्देश्य आओर प्राथमिकता;

(iv) ओहि विनिधानक मात्रा आओर प्रकृति जे भारत सरकार आओर राज्य सरकारक एजेन्सी द्वारा महानगर क्षेत्रमे कएल जाएब संभावित अछि एवं, अन्य उपलब्ध वित्तीय अथवा अन्य संसाधन;

(ख) एहन संस्था आओर संगठन सभसँ परामर्श करत जकरा राज्यपाल, आदेश द्वारा, विनिर्दिष्ट करए ।

(4) प्रत्येक महानगर योजना समितिक अध्यक्ष, ओ विकास योजना, जकर एहन समिति द्वारा अनुशंसा कएल जाइत अछि, राज्य सरकार केँ अग्रसारित करत ।

243यच. विद्यमान विधि आओर नगरपालिका सभक बनल रहब-एहि भागमे कोनहुँ बात के होइतहुँ, संविधान (चौहत्तरिम संशोधन) अधिनियम, 1992 केर प्रारंभक ठीक पूर्व कोनहुँ राज्यमे प्रवृत्त नगरपालिका सँ संबंधित कोनहुँ विधि केर कोनहुँ उपबंध, जे एहि भागक उपबंध सँ असंगत अछि, जाधरि सक्षम विधान-मंडल द्वारा अथवा अन्य सक्षम प्राधिकार द्वारा ओकरा संशोधित अथवा निरस्त नहि कए देल जाइत अछि अथवा जाधरि एहन प्रारंभसँ एक वर्ष समाप्त नहि भए जाइत अछि, एहिमे सँ जैह पहिने हो, ताधरि प्रवृत्त बनल रहत:

मुदा एहन प्रारंभक ठीक पूर्व विद्यमान नगरपालिका, जँ ओहि राज्यक विधान सभा द्वारा अथवा एहन राज्यक स्थिति मे, जाहि मे विधान परिषद अछि, ओहि राज्यक विधान-मंडलक प्रत्येक सदन द्वारा पारित एहि आशय केर संकल्प द्वारा पूर्वहि विघटित नहि कए देल जाइत अछि, अपन अवधिक समाप्ति धरि बनल रहत ।

243यछ. निर्वाचन संबंधी विषयमे न्यायालयक हस्तक्षेप पर प्रतिबंध-एहि संविधानमे कोनहुँ बातक होइतहुँ, -

(क) अनुच्छेद 243 'य क' केर अधीन बनाओल गेल अथवा बनाओल जएबाक लेल तत्संबंधित कोनहुँ एहन विधि केर विधिमान्यता, जे निर्वाचन-क्षेत्र केर परिसीमन अथवा एहन निर्वाचन-क्षेत्रक स्थानक आवंटन सँ संबंधित अछि, कोनहुँ न्यायालयमे प्रश्नगत नहि कएल जाएत;

(ख) कोनहुँ नगरपालिकाक हेतु कोनहुँ निर्वाचन, एहने निर्वाचन-आग्रह पर प्रश्नगत कएल जाएत जे एहन प्राधिकारकें आओर एहन प्रक्रियासँ प्रस्तुत कएल गेल अछि, जकर कोनहुँ राज्यक विधान-मंडल द्वारा बनाओल गेल कोनहुँ विधि द्वारा अथवा ओकर अधीन उपबंध कएल जाए, अन्यथा नहि ।]

¹[भाग-9 ख सहकारी समिति

243यज. परिभाषा- एहि भागमे, जाधरि संदर्भ सँ अन्यथा अपेक्षित नहि हो, -

(क) “प्राधिकृत व्यक्ति” सँ अनुच्छेद 243 ‘यथ’ मे ओहि रूपमे निर्दिष्ट कोनहुँ व्यक्ति अभिप्रेत अछि;

(ख) “बोर्ड” सँ कोनहुँ सहकारी समिति केर निदेशक बोर्ड अथवा शासी निकाय, चाहे कोनहुँ नामसँ ज्ञात हो, जकरा कोनहुँ संस्था केर क्रिया-कलाप सभक प्रबंध केर निर्देशन आओर नियंत्रण देल गेल हो अभिप्रेत अछि;

(ग) “सहकारी समिति” सँ एहन समिति अभिप्रेत अछि, जे कोनहुँ राज्यकें तत्काल प्रवृत्त सहकारी समिति सँ संबंधित कोनहुँ विधि केर अधीन पंजीकृत अछि अथवा पंजीकृत बुझल गेल अछि;

(घ) “बहुराज्य सहकारी समिति” सँ एहन समिति अभिप्रेत अछि, जकर उद्देश्य एक राज्य धरि सीमित नहि अछि आओर जे एहन सहकारी समिति सँ संबंधित तत्काल प्रवृत्त कोनहुँ विधि केर अधीन पंजीकृत अछि अथवा पंजीकृत बुझल गेल अछि;

(ङ) “पदाधिकारी” सँ कोनहुँ सहकारी समितिक अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सभापति, उपसभापति, सचिव वा कोषाध्यक्ष अभिप्रेत अछि आओर जाहि मे कोनहुँ सहकारी समिति केर बोर्ड द्वारा निर्वाचित कएल जाएवला कोनहुँ अन्य व्यक्ति सेहो सम्मिलित अछि;

(च) “रजिस्ट्रार” सँ बहुराज्य सहकारी समिति केर संबंधमे केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त केन्द्रीय रजिस्ट्रार आओर सहकारी समिति केर संबंधमे कोनहुँ राज्य केर विधान-मंडल द्वारा बनाओल गेल विधिक अधीन राज्य सरकार द्वारा नियुक्त सहकारी समिति केर रजिस्ट्रार अभिप्रेत अछि;

(छ) “राज्य अधिनियम” सँ कोनहुँ राज्य केर विधान-मंडल द्वारा बनाओल गेल कोनहुँ विधि अभिप्रेत अछि;

(ज) “राज्यस्तरीय सहकारी समिति” सँ एहन सहकारी समिति अभिप्रेत अछि, जकर संपूर्ण राज्य पर विस्तारित अपन प्रचालन क्षेत्र अछि आओर जकरा कोनहुँ राज्य केर विधान-मंडल द्वारा बनाओल गेल कोनहुँ विधिमे ओहि रूपमे परिभाषित कएल गेल अछि ।

243यझ. सहकारी समितिक निगमन-एहि भागक उपबंध केर अधीन रहैत, कोनहुँ राज्यक विधान-मंडल, विधि द्वारा, स्वैच्छिक संरचना, लोकतांत्रिक सदस्य-नियंत्रण, सदस्य-आर्थिक भागीदारी, आओर स्वशासी कार्यकरणक सिद्धांत पर आधारित सहकारी समितिक निगमन, विनियमन आओर परिसमापन केर संबंधमे उपबंध कए सकत ।

¹ संविधान (संतानवेयम संशोधन) अधिनियम, 2011 केर धारा 4 द्वारा (15-2-2012 से) भाग 9 ख कें अंतःस्थापित कएल गेल ।

243यज. बोर्डक सदस्य आओर पदाधिकारीक संख्या एवं पदावधि-(1) बोर्ड मे ओतेक संख्या मे निदेशक होएत, जतेक राज्य विधान-मंडल द्वारा, विधि द्वारा, उपबंधित कएल जाए:

मुदा सहकारी समितिक निदेशक केर अधिकतम संख्या एकैस सँ अधिक नहि होएत:

मुदा ई आओर जे कोनहुँ राज्यक विधान-मंडल, विधि द्वारा, एहन प्रत्येक सहकारी समिति केर बोर्ड मे जे सदस्यक रूपमे व्यष्टि सभसँ मिलि कए बनल हो आओर ओहिमे अनुसूचित जाति आ अनुसूचित जनजाति अथवा स्त्री वर्ग अथवा प्रवर्ग सँ हो, एकटा स्थान अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति आओर दूटा स्थान स्त्रीगणक लेल आरक्षित रहत ।

(2) बोर्डक निर्वाचित सदस्य सभक एवं तकर पदाधिकारी सभक पदावधि, निर्वाचनक तिथिसँ पाँच वर्षक होएत आओर पदाधिकारी सभक पदावधि बोर्डक अवधि केर संगहि समाप्त होयत:

मुदा बोर्ड, बोर्ड केर आकस्मिक रिक्ति केँ नामनिर्देशन द्वारा ओही वर्गक सदस्य सभमे सँ, जकर संबंधमे आकस्मिक रिक्ति भेल अछि, भरि सकत, जँ बोर्ड केर पदावधि ओकर मूल पदावधिक आधा सँ कम अछि ।

(3) कोनहुँ राज्यक विधान-मंडल, विधि द्वारा, एहन संस्था केर बोर्ड केर सदस्यक रूपमे बैंककार्य, प्रबंधन, वित्त आदि केर क्षेत्रमे अनुभव राखए बला अथवा सहकारी समिति केर उद्देश्य आओर ओकरा द्वारा कएल जाएवला क्रिया-कलाप सँ संबंधित कोनहुँ अन्य क्षेत्रमे विशेषज्ञता राखएवला बोर्ड केर सदस्य होबएवला व्यक्ति सभकेँ सहयोजित करबाक लेल, उपबंध कए सकत:

मुदा एहन सहयोजित सदस्य खंड (1) केर पहिल शर्तमे विनिर्दिष्ट एकैस निदेशक केर अतिरिक्त दूटासँ अधिक नहि होएत:

मुदा ई आओर जे एहन सहयोजित सदस्य सभकेँ एहन सदस्य केर रूपमे हुनक शक्ति मे सहकारी समिति केर कोनहुँ निर्वाचन मे मतदान करबाक अथवा बोर्ड केर पदाधिकारीक रूपमे निर्वाचित होएबाक लेल पात्र होएबाक अधिकार नहि होएत:

मुदा इहो जे कोनहुँ सहकारी समिति केर कार्यकारी निदेशक, बोर्ड केर सदस्य सेहो होएत आओर एहन सदस्य सभ केँ खंड (1) केर पहिल शर्त मे विनिर्दिष्ट कुल निदेशकक कुल संख्या केर गणना करबाक प्रयोजन हेतु अपवर्जित कएल जाएत ।

243यट. बोर्डक सदस्य सभक निर्वाचन-(1) कोनहुँ राज्य केर विधान-मंडल द्वारा बनाओल गेल कोनहुँ विधिमे कोनहुँ बात के होइतहुँ, बोर्ड केर निर्वाचन, बोर्ड केर अवधि केर अवसान सँ पूर्व संचालित कएल जाएत, जाहि सँ ई सुनिश्चित कएल जा सकए जे नव- निर्वाचित बोर्ड केर सदस्य, बहिर्गामी बोर्ड केर सदस्य सभक पदावधि केर अवसान होइतहि पदग्रहण कए लेथि।

(2) कोनहुँ सहकारी समिति केर सभा निर्वाचन हेतु निर्वाचक नामावली तैयार करबाक आओर ओहि सभ निर्वाचन केर संचालन केँ अधीक्षण, निदेशन आओर नियंत्रण, एहन प्राधिकार अथवा निकायमे, जे राज्य विधान-मंडल द्वारा, विधि द्वारा, उपबंधित कएल जाए, निहित होएत:

मुदा कोनहुँ राज्य केर विधान-मंडल, विधि द्वारा एहन निर्वाचन केर संचालन हेतु प्रक्रिया आओर मार्गदर्शक सिद्धान्त सभक उपबंध कए सकत।

243यठ. बोर्डक अधिक्रमण आओर निलंबन एवं अंतरिम प्रबंध-(1) तत्काल प्रवृत्त कोनहुँ विधिमे कोनहुँ बात केर होइतहुँ, कोनहुँ बोर्ड, छओ मास सँ अधिक केर अवधि हेतु अधिक्रमित नहि कएल जाएत अथवा निलंबनाधीन नहि राखल जाएत:

मुदा बोर्ड केँ-

- (i) ओकर लगातार व्यतिक्रम केर स्थितिमे;
- (ii) अपन कर्तव्य केर अनुपालन मे उपेक्षा करबाक स्थितिमे; अथवा
- (iii) बोर्ड द्वारा सहकारी समिति अथवा ओकर सदस्य लोकनिक हित लेल पूर्वाग्रस्त होएबाक स्थितिमे; अथवा
- (iv) बोर्डक गठन अथवा ओकर कार्यमे कोनहुँ गतिरोध उत्पन्न होएबाक स्थितिमे; अथवा
- (v) राज्य विधान-मंडल द्वारा, विधि द्वारा, अनुच्छेद 243 'यट' केर खंड (2) केर अधीन सक्षम प्राधिकार अथवा निकाय द्वारा राज्य अधिनियम केर उपबंधक अनुसार निर्वाचन कराबय मे असफल रहबाक स्थितिमे,

अधिक्रमित कएल जाएत अथवा निलंबनाधीन राखल जा सकत:

मुदा ई आओर जे जतए कोनहुँ सरकारी शेयर धारण अथवा सरकार द्वारा कोनहुँ उधार अथवा वित्तीय सहायता अथवा प्रत्याभूति नहि अछि ततय एहन कोनहुँ सहकारी समिति केर बोर्ड केँ अधिक्रमित नहि कएल जाएत अथवा निलंबनाधीन नहि राखल जाएत:

मुदा ईहो जे बैंककारी कारबार करएबला कोनहुँ सहकारी समिति केर स्थितिमे बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 केर उपबंध सेहो लागू होएत:

मुदा ईहो जे बहुराज्य सहकारी समिति सँ भिन्न बैंककारी कारबार करएबला कोनहुँ सहकारी समिति केर स्थितिमे, एहि खंडक उपबंध ओहिना प्रभावी होएत जेना “छओ मास” शब्द केर स्थान पर “एक वर्ष” शब्द राखल गेल छल।

(2) बोर्ड केर अधिक्रमणक स्थितिमे, एहन सहकारी समिति केर कार्य-कलाप केर प्रबंधन करबाक लेल नियुक्त प्रशासक, खंड (1) मे विनिर्दिष्ट अवधि केर भीतर निर्वाचन केर संचालन हेतु व्यवस्था करत आओर ओकर प्रबंध निर्वाचित बोर्ड केँ देत।

(3) कोनहुँ राज्यक विधान-मंडल, विधि द्वारा, प्रशासक केर सेवाक शर्त हेतु उपबंध कए सकत।

243यड. सहकारी समिति केर लेखाक अंकेक्षण-(1) कोनहुँ राज्य केर विधान-मंडल, विधि द्वारा, सहकारी समिति द्वारा लेखा केँ राखल जएबाक आओर एहन लेखा सभक प्रत्येक वित्तीय वर्ष मे कम-सँ-कम एक बेर अंकेक्षण कएल जएबाक संबंधमे उपबंध कए सकत।

(2) कोनहुँ राज्य केर विधान-मंडल, विधि द्वारा, एहन अंकेक्षक आओर अंकेक्षण करएबला एहन फर्म केँ, जे सहकारी समिति सभक लेखा केर अंकेक्षण करबाक हेतु पात्र होएत, न्यूनतम अर्हता आओर अनुभव सुनिश्चित करत।

(3) प्रत्येक सहकारी समिति, सहकारी समितिक साधारण निकाय द्वारा नियुक्त खंड (2) मे निर्दिष्ट कोनहुँ अंकेक्षक अथवा अंकेक्षण करएबला फर्म द्वारा अंकेक्षण करबाओत:

मुदा एहन अंकेक्षक अथवा अंकेक्षण करएबला फर्म केँ राज्य सरकार द्वारा अथवा राज्य सरकार द्वारा एहि निमित्त प्राधिकृत कोनहुँ प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित पैनलमे सँ नियुक्त कएल जाएत।

(4) प्रत्येक सहकारी समितिक अंकेक्षण ओहि वित्तीय वर्ष केर, जाहि सँ एहन लेखा संबंधित अछि, समाप्तिक छओ मासक अभ्यन्तर कएल जाएत।

(5) राज्य अधिनियम द्वारा परिभाषित कोनहुँ सर्वोच्च सहकारी समिति केर लेखाक अंकेक्षण-रपट (ऑडिट रिपोर्ट) राज्य विधान-मंडल केर समक्ष एहन प्रक्रिया सँ राखल जाएत जे राज्य विधान-मंडल द्वारा, विधि द्वारा उपबंधित कएल जाए।

243यड. साधारण निकायक बैसार आयोजित करब-कोनहुँ राज्यक विधान-मंडल, विधि द्वारा, ई उपबंध कए सकत जे प्रत्येक सहकारी समिति केर साधारण निकाय केर वार्षिक बैसार, एहन कारबार केर लेन-देन करबाक, जे एहन विधिमे उपबंधित कएल जाए, वित्तीय वर्ष केर समाप्ति केर छओ मासक अवधिक अभ्यन्तर, संयोजित कएल जाएत।

(भाग 9 ख-सहकारी समिति)

243यण. सदस्यक सूचना प्राप्त करबाक अधिकार-(1) कोनहुँ राज्य केर विधान-मंडल, विधि द्वारा, सहकारी समिति केर प्रत्येक सदस्य केर सहकारी समिति केर एहन बही, सूचना आओर लेखा, जे एहन सदस्य केर संग ओकर कारबार के नियमित लेन-देन मे राखल गेल हो, पहुँचक लेल उपबंध कए सकत ।

(2) कोनहुँ राज्य केर विधान-मंडल, विधि द्वारा, सहकारी समिति केर प्रबंधन मे सदस्य केर सहभागिता सुनिश्चित करबाक हेतु सदस्य लोकनि द्वारा बैसार मे उपस्थिति केर एहन न्यूनतम अपेक्षा केर उपबंध करैत आओर सेवाक एहन न्यूनतम स्तर केर उपयोग करैत, जे एहन विधिमे उपबंध कएल जाए, उपबंध कए सकत ।

(3) कोनहुँ राज्य केर विधान-मंडल, विधि द्वारा, अपन सदस्य लोकनि लेल सहकारी शिक्षा आओर प्रशिक्षण केर उपबंध कए सकत ।

243यत. विवरण सभ-प्रत्येक सहकारी समिति प्रत्येक वित्तीय वर्षक समाप्ति केर छओ मासक अभ्यन्तर राज्य सरकार द्वारा अभिहित प्राधिकारीकेँ एहन विवरणी फाइल करत, जाहि मे निम्नलिखित बात सभ सम्मिलित होएत, अर्थात् :-

(क) ओकर क्रिया-कलापक वार्षिक रिपोर्ट;

(ख) ओकर लेखा केर अंकेक्षित विवरण;

(ग) अधिशेष केर निबटानक योजना,

जे सहकारी समिति केर साधारण निकाय द्वारा यथानुमोदित हो;

(घ) सहकारी समिति केर उपविधि केर संशोधन, जँ किछु हो, केर सूची;

(ङ) ओकर साधारण निकाय केर बैसार आयोजित करबाक तिथि आओर निर्वाचन केर, जखन निश्चित हो, संचालन करबाक संबंधमे घोषणा; आओर

(च) राज्य अधिनियम केर कोनहुँ उपबंध केर अनुसरण मे रजिस्ट्रार द्वारा अपेक्षित कोनहुँ अन्य जानकारी ।

243यथ. अपराध ओ दंड-(1) कोनहुँ राज्य केर विधान-मंडल, विधि द्वारा सहकारी समिति सँ संबंधित अपराध आओर एहन अपराध सभ लेल दंड सँ संबंधित उपबंध कए सकत ।

(2) खंड (1) केर अधीन कोनहुँ राज्य केर विधान-मंडल द्वारा बनाओल गेल विधिमे निम्नलिखित कार्य करब अथवा तकर लोप करब अपराध केर रूपमे सम्मिलित होएत, जेना :-

(क) कोनहुँ सहकारी समिति अथवा ओकर कोनहुँ अधिकारी अथवा सदस्य जानि-बूझि कए मिथ्या विवरणी बनबैत अछि अथवा मिथ्या जानकारी दैत अछि अथवा कोनहुँ व्यक्ति जानि-बूझि कए एहन जानकारी नहि दैत अछि, जे एहि निमित्त राज्य अधिनियम केर उपबंध केर अधीन प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा ओहि सँ अपेक्षित कएल गेल हो;

(ख) कोनहुँ व्यक्ति जानि-बूझि कए अथवा कोनहुँ युक्तियुक्त कारण केर बिना राज्य अधिनियम केर उपबंध केर अधीन निर्गत कएल गेल कोनहुँ समन, अवज्ञा अथवा विधिपूर्ण लिखित आदेश केर अवज्ञा करैत अछि:

(ग) कोनहुँ नियोजक, जे पर्याप्त कारण केर बिना, ओकरा द्वारा ओकर कर्मचारी सँ काटल गेल राशि केँ, ओहि तिथिसँ, जेकर एहन कटौती कएल गेल अछि, चौदह दिन केर अवधि केर अभ्यन्तर सहकारी समिति केँ भुगतान करए मे असफल रहैत अछि;

(घ) एहन कोनहुँ अधिकारी अथवा अभिरक्षक, जे एहन कोनहुँ सहकारी समिति केर, जकर ओ अधिकारी अथवा अभिरक्षक अछि, बही, लेखा, दस्तावेज, अभिलेख, नकद, प्रतिभूति अथवा अन्य संपत्ति केर अभिरक्षा कोनहुँ प्राधिकृत व्यक्ति के देबामे असफल रहैत अछि; आओर

(ङ) जे कोनहु, बोर्ड केर सदस्य अथवा पदाधिकारी केर निर्वाचन सँ पूर्व, ओकर मध्य अथवा पश्चात् कोनहुँ भ्रष्ट आचरण अपनबैत होए।

243यद. बहुप्रदेशीय सहकारी समिति पर लागू होएब-एहि भाग केर उपबंध, बहुराज्य सहकारी समिति केँ एहि परिशोधनक अधीन लागू होएत जे “राज्य केर विधान-मंडल”, “राज्य अधिनियम” अथवा “राज्य सरकार”क प्रति कोनहुँ निर्देश केर वएह अर्थ लगाओल जाएत जे क्रमशः, “संसद”, “केन्द्रीय अधिनियम” अथवा “केन्द्रीय सरकार” सँ अछि।

243यध. केन्द्र शासित प्रदेश पर लागू होएब-एहि भागक उपबंध, केन्द्र शासित प्रदेश पर लागू होएत आओर एहन केन्द्र शासित प्रदेशकेँ, जकर कोनहुँ विधान सभा नहि अछि ताहि प्रकारेँ लागू होएत जेना कोनहुँ राज्यक विधान-मंडल केर प्रतिनिर्देश, अनुच्छेद 239 केर अधीन नियुक्त ओकर प्रशासक केर प्रति आओर एहन केन्द्र शासित प्रदेशक संबंधमे, जकर कोनहुँ विधान सभा छैक, ओहि विधान सभा केर प्रतिनिर्देश अछि:

मुदा राष्ट्रपति, राजपत्रमे अधिसूचना द्वारा, ई निर्देश दए सकताह जे एहि भाग केर उपबंध एहन कोनहुँ केन्द्र शासित प्रदेश अथवा ओकर भागकेँ, जकरा ओ अधिसूचना मे विनिर्दिष्ट करए, लागू नहि होएत।

243यन. विद्यमान कानूनक बनल रहब-एहि भागमे कोनहुँ बात केँ होइतहुँ, संविधान (सन्तानबेयम संशोधन) अधिनियम, 2011 केर प्रारंभसँ ठीक पूर्व कोनहुँ राज्यमे प्रवृत्त सहकारी समिति सँ संबंधित कोनहुँ विधि केर कोनहुँ, उपबंध, जे एहि भागकेँ उपबंध सँ असंगत अछि, तकरा सक्षम विधान-मंडल अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा संशोधित अथवा निरस्त कएल जएबा धरि अथवा एहन प्रारंभसँ एक वर्ष केर समाप्त होएबा धरि, एहिमे सँ जे कम हो, प्रवृत्त बनल रहत।]

भाग-10

अनुसूचित आओर जनजाति क्षेत्र

244. अनुसूचित क्षेत्र आओर जनजाति क्षेत्रक प्रशासन-(1) पाँचम अनुसूची केर उपबंध ¹[असम, ²[³[मेघालय, त्रिपुरा आओर मिजोरम]] राज्य] सँ भिन्न ⁴*** कोनहुँ राज्य केर अनुसूचित क्षेत्र आओर अनुसूचित जनजाति केर प्रशासन आओर नियंत्रण हेतु लागू होएत।

(2) छठम अनुसूची केर उपबंध ¹[असम, ²[³[मेघालय, त्रिपुरा] आओर मिजोरम राज्यसभ] केर] जनजाति क्षेत्र केर प्रशासन हेतु लागू होएत।

⁶[**244 क. असमक कतिपय जनजाति क्षेत्रकेँ समावेश करैत एकटा स्वशासी राज्यक निर्माण आओर ओहि लेल स्थानीय विधान-मंडल वा मंत्रि-परिषद वा दुनूक सृजन-**(1) एहि संविधानमे कोनहुँ बातक होइतहुँ, संसद, विधि द्वारा, असम राज्य केर अंतर्गत एक स्वशासी राज्य बना सकत, जाहिमे छठम अनुसूची केर पैरा 20 सँ संलग्न सारणी केर 7[भाग '1'] मे विनिर्दिष्ट सभ अथवा कोनहुँ जनजाति क्षेत्र (पूर्णतः अथवा अंशतः) समाविष्ट होएत आओर ओकरा लेल-

(क) ओहि स्वशासी राज्य केर विधान-मंडल केर रूपमे कार्य करबाक हेतु निर्वाचित अथवा अंशतः नामनिर्देशित आओर अंशतः निर्वाचित निकाय केर, अथवा

(ख) मंत्रि-परिषद

अथवा दुनू केर सृजन कए सकत, जाहि मे प्रत्येक केर गठन, शक्ति आ कार्य सभ ओ होएत जे ओहि विधिमे निर्दिष्ट कएल जाए।

(2) खंड (1) मे विनिर्दिष्ट विधि, विशिष्टतया, -

¹ संविधान (सातम संशोधन) अधिनियम, 1956 केर धारा 29 आओर अनुसूची (1-11-1956 सँ) “पहिल अनुसूची केर भाग ‘क’ अथवा भाग ‘ख’ मे विनिर्दिष्ट” शब्द आओर अक्षर केर लोप कएल गेल।

² पूर्वोत्तर क्षेत्र (पुनर्गठन) अधिनियम, 1971 (1971 केर 81) केर धारा 71 (21-1-1972 सँ) “असम राज्य” केर स्थान पर प्रतिस्थापित।

³ संविधान (उनचासम संशोधन) अधिनियम, 1984 केर धारा 2 (1-4-1985 सँ) “आओर मेघालय” शब्द केर स्थान पर प्रतिस्थापित।

⁴ मिजोरम राज्य अधिनियम, 1986 (1986 केर 34) केर धारा 39 (20-2-1987 सँ) “मेघालय आओर त्रिपुरा” शब्द केर स्थान पर प्रतिस्थापित।

⁵ मिजोरम राज्य अधिनियम, 1986 (1986 केर 34) केर धारा 39 (20-2-1987 सँ) “मेघालय आओर त्रिपुरा राज्य आओर मिजोरम केन्द्र शासित प्रदेश” शब्द केर स्थान पर प्रतिस्थापित।

⁶ संविधान (बाइसम संशोधन) अधिनियम, 1969 केर धारा 2 (25-9-1969 सँ) अंतःस्थापित।

⁷ पूर्वोत्तर क्षेत्र पुनर्गठन अधिनियम, 1971 (1971 केर 81) केर धारा 71 (21-1-1972 सँ) भाग ‘क’ केर स्थान पर प्रतिस्थापित।

भारतक संविधान

(भाग 10-अनुसूचित आओर जनजाति क्षेत्र)

(क) राज्य सूची अथवा समवर्ती सूचीमे प्रगणित ओ विषय विनिर्दिष्ट कए सकत जकर संबंधमे स्वशासी राज्य केर विधान-मंडल केँ संपूर्ण स्वशासी राज्य हेतु अथवा ओकर कोनहुँ भाग हेतु विधि बनएबाक शक्ति, असम राज्य केर विधान-मंडल केर अपवर्जन कए वा अन्यथा, होएत;

(ख) ओ विषय परिनिश्चित कए सकत जाहि पर ओहि स्वशासी राज्य केर कार्यपालिका शक्ति केर विस्तार होएत;

(ग) ई उपबंध कए सकत जे असम राज्य द्वारा उद्घृहीत कोनहुँ कर स्वशासी राज्य केँ ओतए धरि देल जाएत जतए धरि ओकर आगम स्वशासी राज्य सँ प्राप्त भेल मानल जा सकैत अछि;

(घ) ई उपबंध कए सकत जे एहि संविधान केर कोनहुँ अनुच्छेदमे राज्यक प्रति कोनहुँ निर्देश केर ई अर्थ लगाओल जाएत जे तकरा अंतर्गत स्वशासी राज्यक प्रति निर्देश अछि; आओर

(ङ) एहन अनुपूरक, आनुषंगिक अथवा पारिणामिक उपबंध कए सकत जे आवश्यक बुझल जाए।

(3) पूर्वोक्त प्रकार केर कोनहुँ विधि केर कोनहुँ संशोधन, जतए धरि ओ संशोधन खंड (2) केर उपखंड (क) वा उपखंड (ख) मे विनिर्दिष्ट विषय मे सँ कोनहुँ सँ संबंधित अछि, ताधरि प्रभावी नहि होएत जाधरि ओ संशोधन संसद केर प्रत्येक सदन मे उपस्थित आओर मत देबएवला कम-सँ-कम दू-तिहाई सदस्य द्वारा पारित नहि कए देल जाए।

(4) एहि अनुच्छेदमे निर्दिष्ट विधिकेँ अनुच्छेद 368 केर प्रयोजन हेतु एहि संविधान केर संशोधन एहि बातक होइतहुँ नहि बुझल जाएत जे ओहिमे कोनहुँ एहन उपबंध अंतर्विष्ट अछि जे एहि संविधान केर संशोधन करैत अछि आ संशोधन करबाक प्रभाव रखैत अछि।]

भाग-11

संघ ओ राज्यक मध्य संबंध

अध्याय 1-विधायी संबंध

विधायी शक्तिक वितरण

245. संसद द्वारा आओर राज्यक विधान-मंडल द्वारा बनाओल गेल विधि केर विस्तार-(1) एहि संशोधनक उपबंध केर अधीन रहैत, संसद भारत केर संपूर्ण राज्यक्षेत्र अथवा ओकर कोनहुँ भाग हेतु विधि बना सकत आओर कोनहुँ राज्य केर विधान-मंडल संपूर्ण राज्य अथवा ओकर कोनहुँ भाग हेतु विधि बना सकत ।

(2) संसद द्वारा बनाओल गेल कोनहुँ विधि एहि आधार पर अविधिमान्य नहि बुझल जाएत जे ओकर राज्यक्षेत्रातीत प्रवर्तन होएत ।

246. संसद द्वारा आओर राज्यक विधान-मंडल द्वारा बनाओल गेल विधि केर विषय-वस्तु-(1) खंड (2) आओर खंड (3) मे कोनहुँ बात केँ होइतहुँ, संसद केँ सातम अनुसूची केर सूची (1) मे (जकरा एहि संविधानमे “संघ सूची” कहल गेल अछि) प्रगणित कोनहुँ विषय केर संबंधमे विधि बनएबाक अनन्य शक्ति छैक ।

(2) खंड (3) मे कोनहुँ बात केँ होइतहुँ, संसद केँ आओर खंड (1) केर अधीन रहैत ¹*** कोनहुँ राज्य केर विधान-मंडल केँ सेहो सातम अनुसूची केर सूची 3 मे (जकरा एहि संविधानमे “समवर्ती सूची” कहल गेल अछि) प्रगणित कोनहुँ विषय केर संबंधमे विधि बनएबाक शक्ति अछि ।

(3) खंड (1) आओर खंड (2) केर अधीन रहैत ¹*** कोनहुँ राज्यक विधान-मंडलक, सातम अनुसूची केर सूची 2 मे (जकरा एहि संविधानमे “राज्यसूची” कहल गेल अछि) प्रगणित कोनहुँ विषय केर संबंधमे ओहि राज्य अथवा ओकर कोनहुँ भाग हेतु विधि बनएबाक अनन्य शक्ति अछि ।

(4) संसद केँ भारतक राज्यक्षेत्र केर एहन भागक लेल ²[जे कोनहुँ राज्य] केर अंतर्गत नहि अछि कोनहुँ विषय केर संबंधमे विधि बनएबाक शक्ति छैक, चाहे ओ विषय राज्य सूचीमे प्रगणित विषये किएक नहि हो ।

³[**246क. वस्तु आओर सेवा कर केर संबंधमे विशेष उपबंध-**(1) अनुच्छेद 246 आओर अनुच्छेद 254 मे कोनहुँ बात केँ होइतहुँ, संसद केँ आ खंड (2) केर अधीन रहैत प्रत्येक राज्य केर विधान-मंडल केँ, संघ द्वारा अथवा ओहि राज्य द्वारा अधिरोपित वस्तु आओर सेवा कर केर संबंधमे विधि बनएबाक शक्ति होएत ।]

¹ संविधान (सातम संशोधन) अधिनियम, 1956 केर धारा 29 आओर अनुसूची (1-11-1956 सँ) “पहिल अनुसूची केर भाग ‘क’ अथवा भाग ‘ख’ मे विनिर्दिष्ट” शब्द आओर अक्षर केर लोप कएल गेल ।

² संविधान (सातम संशोधन) अधिनियम, 1956 केर धारा 29 आओर अनुसूची (1-11-1956 सँ) “पहिल अनुसूची केर भाग ‘क’ अथवा भाग ‘ख’ मे” शब्दक स्थान पर प्रतिस्थापित ।

³ संविधान (एक सय एकम संशोधन) अधिनियम, 2016 केर धारा 2 द्वारा (16-9-2016 सँ) अंतःस्थापित ।

(2) जतए वस्तु वा सेवा सभक अथवा दुनूक प्रदाय अन्तर्राज्यीय व्यापार वा वाणिज्यक अनुक्रममे होइत अछि ओतए संसदकें वस्तु आओर सेवा करक संबंधमे विधि बनएबाक अनन्य शक्ति प्राप्त अछि ।

स्पष्टीकरण-एहि अनुच्छेदक उपबंध, अनुच्छेद 279 क केर खंड(5)मे निर्दिष्ट वस्तु आओर सेवा करक संबंधमे, वस्तु आओर सेवा कर परिषद द्वारा कएल गेल अनुशंसाक तिथिसँ प्रभावी होएत ।]

247. कतिपय अतिरिक्त न्यायालयक स्थापनाक उपबंध करबाक संसदक शक्ति-एहि अध्याय मे कोनो बातक होइतहुँ, संसद अपना द्वारा बनाओल गेल विधि वा कोनो विद्यमान विधिक, जे संघ सूचीमे प्रगणित विषयक संबंधमे अछि, बेसी नीक प्रशासनक लेल अतिरिक्त न्यायालयक स्थापनाक विधि द्वारा उपबंध क' सकत ।

248. अवशिष्ट विधायी शक्ति-(1) ¹[अनुच्छेद 246 क केर अधीन रहैत, संसद] कें कोनो एहन विषयक संबंधमे, जे समवर्ती सूची वा राज्य सूचीमे प्रगणित नहि अछि, विधि बनएबाक अनन्य शक्ति अछि ।

(2) एहन शक्तिक अंतर्गत एहन कर केर अधिरोपणक लेल जे ओहि सूचीमे सँ कोनोमे वर्णित नहि अछि, विधि बनएबाक शक्ति अछि ।

249. राज्य सूचीमे उल्लिखित विषयमे सँ राष्ट्रीय हितमे विधि बनएबाक संसदीय शक्ति-(1) एहि अध्यायक पूर्वगामी उपबंधमे कोनो बातक होइतहुँ, जँ राज्य सभा उपस्थित आओर मत देमए वला सदस्यमे सँ कम-सँ-कम दू-तिहाई सदस्य द्वारा समर्थित संकल्प द्वारा घोषित कएल अछि जे राष्ट्रीय हितमे ई आवश्यक अथवा समीचीन अछि जे संसद ²[अनुच्छेद 246 क केर अधीन उपबंधित वस्तु आओर सेवा कर अथवा] राज्य सूचीमे प्रगणित एहन विषयक संबंधमे जे ओहि संकल्पमे विनिर्दिष्ट अछि, विधि बनय तँ जाधरि ओ संकल्प प्रवृत्त अछि, संसदक लेल ओहि विषयक संबंधमे भारतक संपूर्ण राज्यक्षेत्र अथवा ओकर कोनो भागक लेल विधि बनाएब विधिपूर्ण होएत ।

(2) खंड (1) केर अधीन पारित संकल्प एक वर्ष सँ अनधिक एहन अवधिक लेल प्रवृत्त रहत जे ओहिमे विनिर्दिष्ट कएल जाए :

मुदा जँ आओर जतेक बेर कोनो एहन संकल्पकें निरंतरता बनाओल रखबाक अनुमोदन करएवला संकल्प खंड (1) मे उपबंधित प्रक्रियासँ पारित भ' जाइत अछि तँ आओर ओतेक तिथिसँ जकरा ओहि खंडक अधीन अन्यथा प्रवृत्त नहि रहैछ, एक वर्षक आओर अवधि धरि प्रवृत्त रहत ।

(3) संसद द्वारा बनाओल गेल कोनो विधि, जकरा संसद खंड(1) केर अधीन, संकल्पक पारित होएबाक अभावमे बनएबाक लेल सक्षम नहि होइछ संकल्पक प्रवृत्त नहि रहबाक पश्चात् छओ मासक अवधिक समाप्ति पर अक्षमताक मात्रा धरि ओहि बातक अतिरिक्त प्रभावी नहि रहत जकरा उक्त अवधिक समाप्ति सँ पहिने कएल गेल अछि अथवा करबाकें लोप कएल गेल अछि ।

¹ संविधान (एक सय एकम संशोधन) अधिनियम, 2016 केर धारा 3 द्वारा (16-09-2016 सँ) “संसद” केर स्थान पर प्रतिस्थापित ।

² संविधान (एक सय एकम संशोधन) अधिनियम, 2016 केर धारा 4 द्वारा (16-09-2016 सँ) अंतःस्थापित

(भाग 11-संघ ओ राज्यक मध्य संबंध)

250. जँ आपातकालक उद्घोषणा प्रवर्तनमे होमए तँ राज्य सूची केर विषयक संबंधमे विधि बनएबाक संसदक शक्ति-(1) एहि अध्यायमे कोनो बातक होइतहुँ, संसदकेँ, जाधरि आपातकाल केर उद्घोषणा प्रवर्तनमे अछि, ¹[अनुच्छेद 246 क केर अधीन उपबंधित वस्तु एवं सेवा कर अथवा] राज्य-सूचीमे प्रगणित कोनहुँ विषयक संबंधमे भारतक संपूर्ण राज्यक्षेत्र अथवा ओकर कोनो भागक लेल विधि बनएबाक शक्ति होएत।

(2) संसद द्वारा बनाओल गेल कोनो विधि, जकरा संसद, आपातकालक उद्घोषणाक अभावमे बनएबाक लेल सक्षम नहि होएत, उद्घोषणाक प्रवर्तनमे नहि रहबाक पश्चात् छओ मासक अवधिक समाप्ति पर अक्षमताक मात्रा धरि ओहि बातक अतिरिक्त प्रभावी नहि रहत जकरा उक्त अवधिक समाप्ति सँ पहिने कएल गेल अछि अथवा करबाकेँ लोप कएल गेल अछि।

251. संसद द्वारा अनुच्छेद 249 आओर 250 केर अधीन बनाओल गेल विधि एवं राज्यक विधान-मंडल द्वारा बनाओल गेल विधिमे असंगति-अनुच्छेद 249 आओर अनुच्छेद 250 केर कोनो बात कोनहुँ राज्यक विधान-मंडलक एहन विधि बनएबाक शक्ति जकरा एहि संविधानक अधीन बनएबाक शक्ति ओकरा अछि, निर्बंधित नहि करत किंवा जँ कोनो राज्यक विधान-मंडल द्वारा बनाओल गेल विधिक कोनो उपबंध संसद द्वारा बनाओल गेल विधिक जकरा उक्त अनुच्छेदमे सँ कोनो अनुच्छेदक अधीन बनएबाक शक्ति संसद केँ अछि, कोनो उपबंधक विरुद्ध अछि तँ संसद द्वारा बनाओल गेल विधि प्रभावी होएत चाहे ओ राज्यक विधान-मंडल द्वारा बनाओल गेल विधि सँ पहिने अथवा ओकर पश्चात् पारित कएल गेल होअए आओर राज्यक विधान-मंडल द्वारा बनाओल गेल विधि ओहि विरोधक मात्रा धरि अप्रवर्तनीय रहत किंवा एहन ताधरि रहत जाधरि संसद द्वारा बनाओल गेल विधि प्रभावी रहैत अछि।

252. दू अथवा बेसी राज्यक लेल ओकर सहमतिसँ विधि बनएबाक संसदक शक्ति आओर एहन विधिक कोनो आन राज्य द्वारा अंगीकार कएल जाएब-(1) कोनहुँ दू अथवा बेसी राज्यक विधान-मंडलकेँ ई वांछनीय प्रतीत होइत अछि जे ओहि विषयमे सँ, जकर संबंधमे संसदकेँ अनुच्छेद 249 आओर 250 मे यथा उपबंधितक अतिरिक्त राज्यक लेल विधि बनएबाक शक्ति नहि अछि, कोनो विषयक विनियमन एहन राज्यमे संसद विधि द्वारा करए आओर जँ ओहि राज्यक विधान-मंडलक सभ सदन ओहि आशय केर संकल्प पारित करैत अछि तँ विषयक तदनुसार विनियमन करबाक लेल कोनो अधिनियम पारित करब संसदक लेल विधिपूर्ण होएत आओर एहि प्रकार पारित अधिनियम एहन राज्यके लेल लागू होएत आओर एहन आन अन्य राज्य के लागू होएत जे तत्पश्चात अपन विधान-मंडलक सदन द्वारा अथवा जतए दू सदन अछि ओतए दुनू सदनमे सँ प्रत्येक सदन एहि निमित्त पारित संकल्प द्वारा ओकरा अंगीकार क' लैत अछि।

¹ संविधान (एक सय एकम संशोधित अधिनियम, 2016 केर धारा 5 द्वारा (16-09-2016 सँ) अंतःस्थापित।

(2) संसद द्वारा एहि प्रकारें पारित कोनो अधिनियमक संशोधन अथवा निरसन एहि प्रक्रिया सँ पारित अथवा अंगीकृत संसद केर अधिनियम द्वारा कएल जा सकत, किंवा ओकर ओहि राज्यक संबंधमे संशोधन अथवा निरसन, जे ओतए लागू होइत अछि, ओहि राज्यक विधान-मंडलक अधिनियम द्वारा नहि कएल जाएत।

253. अंतर्राष्ट्रीय अनुबंधकें प्रभावी करबाक लेल विधान-एहि अध्यायक पूर्वगामी उपबंधमे कोनो बातक होइतहुँ, संसदकें कोनो अन्य देश अथवा देशक संग कएल गेल कोनो संधि, अनुबंध अथवा अभिसमय अथवा कोनो अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, संगम वा अन्य निकायमे कएल गेल कोनो निर्णयक कार्यान्वयनक लेल भारतक संपूर्ण राज्यक्षेत्र अथवा ओकर कोनो भागक लेल कोनो विधि बनएबाक शक्ति अछि।

254. संसद द्वारा बनाओल गेल विधि आओर राज्यक विधान-मंडल द्वारा बनाओल गेल विधिमे असंगति-(1) कोनो राज्यक विधान-मंडल द्वारा बनाओल गेल विधिक कोनो उपबंध संसद द्वारा बनाओल गेल विधिक, जकरा अधिनियमित करबाक लेल संसद सक्षम अछि कोनो उपबंधक अथवा समवर्ती सूचीमे प्रगणित कोनो विषयक संबंधमे विद्यमान विधिक कोनो उपबंधक विरुद्ध अछि तँ खंड(2) केर उपबंधक अधीन रहैत यथास्थिति संसद द्वारा बनाओल गेल विधि, चाहे ओ एहन राज्यक विधान-मंडल द्वारा बनाओल गेल विधि सँ पहिने अथवा ओकर पश्चात् पारित कएल गेल हो, अथवा विद्यमान विधि, अभिभावी होएत आओर ओहि राज्यक विधान-मंडल द्वारा बनाओल गेल विधि ओहि विरोधक मात्रा धरि शून्य होएत।

(2) जतए ^{1***} राज्यक विधान-मंडल द्वारा समवर्ती सूचीमे प्रगणित कोनो विषयक संबंधमे बनाओल गेल विधिमे कोनो एहन उपबंध अंतर्विष्ट अछि जे संसद द्वारा पहिने बनाओल गेल विधिक, अथवा ओहि विषयक संबंधमे कोनो विद्यमान विधिक उपबंधक विरुद्ध अछि तँ जँ एहन राज्यक विधान-मंडल द्वारा एहि प्रकारें बनाओल गेल विधिकें राष्ट्रपतिक विचारक लेल आरक्षित राखल गेल अछि आओर ओहि पर ओकर अनुमति भेटि गेल अछि तँ ओ विधि ओहि राज्यमे प्रभावी होएत :

मुदा एहि खंडक कोनो बात संसदकें ओहि विषयक संबंधमे कोनो विधि, जकरा अंतर्गत एहन विधि अछि, जे राज्यक विधान-मंडल द्वारा एहि प्रकारें बनाओल गेल विधिक परिवर्धन, संशोधन, परिवर्तन, निरसन करैत अछि, कोनहुँ समय अधिनियमित करबासँ निवारित नहि करत।

255. संस्तुति एवं पूर्वानुमतिक विषयमे अपेक्षाकें मात्र प्रक्रियाक विषय मानब-जँ संसदकें ^{1***} कोनो राज्यक विधान-मंडलक कोनो अधिनियम कें-

¹ संविधान (सातम संशोधन) अधिनियम, 1956 केर धारा 29 आओर अनुसूची द्वारा (01-11-1956 सँ) “पहिल अनुसूची केर भाग ‘क’ वा ‘ख’ मे विनिर्दिष्ट शब्द आओर अक्षरक लोप कएल गेल।”

(भाग 11-संघ ओ राज्यक मध्य संबंध)

- (क) जतए राज्यपालक संस्तुति अपेक्षित छल ओतए राज्यपाल अथवा राष्ट्रपति,
- (ख) जतए राजप्रमुख केर संस्तुति अपेक्षित छल ओतए राजप्रमुख अथवा राष्ट्रपति,
- (ग) जतए राष्ट्रपतिक संस्तुति अथवा पूर्व अनुमति अपेक्षित छल ओतए राष्ट्रपति,

अनुमति द' देने छथि तँ एहन अधिनियम आओर एहन अधिनियमक कोनो उपबंध मात्र एहि कारण अविधिमाम्य नहि होएत जे एहि संविधान द्वारा अपेक्षित कोनो संस्तुति नहि कएल गेल छल अथवा पूर्व अनुमति नहि देल गेल छल ।

अध्याय 2-प्रशासनिक संबंध

सामान्य

256. राज्य आओर संघक बाध्यता-प्रत्येक राज्यक कार्यपालिका शक्तिक एहि प्रकारँ प्रयोग कएल जाएत जाहि सँ संसद द्वारा बनाओल गेल विधिक आओर एहन विद्यमान विधिक, जे ओहि राज्यमे लागू अछि, अनुपालन सुनिश्चित रहए आओर संघक कार्यपालिका शक्तिक विस्तार कोनो राज्यकेँ एहन निदेश देबाक धरि होएत जे भारत सरकार केँ ओहि प्रयोजनक लेल आवश्यक प्रतीत होअए ।

257. कतिपय स्थितिमे राज्य पर संघक नियंत्रण-(1) प्रत्येक राज्यक कार्यपालिका शक्तिक एहि प्रकारँ प्रयोग कएल जाएत जाहिसँ संघक कार्यपालिका शक्तिक प्रयोगमे कोनो बाधा नहि होमए अथवा ओहि पर कोनो प्रतिकूल प्रभाव नहि पड़य आओर संघक कार्यपालिका शक्तिक विस्तार कोनो राज्यकेँ एहन निदेश देबा धरि होएत जे भारत सरकारकेँ एहि प्रयोजनक लेल आवश्यक प्रतीत होमए ।

(2) संघक कार्यपालिका शक्तिक विस्तार राज्यकेँ एहन संचार साधनक निर्माण आओर बनाकए रखबाक संबंधमे निदेश देबा धरि होएत ओकर राष्ट्रीय अथवा सैन्य महत्त्वक होएब ओहि निदेशमे घोषित कएल गेल अछि :

मुदा एहि खंडक कोनो बात, कोनो राजमार्ग अथवा जलमार्गकेँ राष्ट्रीय राजमार्ग वा राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित करबाक संसदक शक्ति केँ अथवा एहि प्रकार घोषित राजमार्ग अथवा जलमार्गक संबंधमे संघक शक्तिक अथवा सेना, नौसेना आओर वायुसेनाक कार्य विषयक अपनहि कार्यक भागक रूपमे संचार साधनक निर्माण आओर बनाओल रखबाक संघक शक्तिकेँ निर्बंधित करएवला नहि मानल जाएत ।

(3) संघक कार्यपालिका शक्तिक विस्तार कोनो राज्यमे रेलक संरक्षणक लेल कएल जाएवला उपायक संबंधमे ओहि राज्यकेँ निदेश देबा धरि होएत ।

(4) जतए खंड(2) केर अधीन संचार साधनक निर्माण अथवा बना कए रखबाक संबंधमे अथवा खंड(3) केर अधीन कोनो रेलक संरक्षणक लेल कएल जाएवला उपायक संबंधमे कोनो राज्यकेँ देल गेल कोनो निदेशक पालनमे ओहि खर्च सँ बेसी खर्च भ' गेल हो जे, जँ एहन निदेश नहि देल गेल होएत तँ राज्यक प्रसामान्य कर्तव्यक निर्वहनमे खर्च होएत ओतए ओहि राज्य द्वारा एहि प्रकारँ कएल गेल अतिरिक्त खर्चक संबंधमे भारत सरकार द्वारा ओहि राज्यकेँ एहन राशिक जे अनुबंध कएल गेल हो वा अनुबंधक अभावमे एहन राशि, जकरा भारतक मुख्य न्यायमूर्ति द्वारा नियुक्त मध्यस्थ सुनिश्चित करए भुगतान कएल जाएत ।

¹[257क. [संघक सशस्त्र बल वा आन बलक अभियोजन द्वारा राज्यक सहायता]]-संविधान (चौआलिसम संशोधन) अधिनियम, 1978 केर धारा 33 द्वारा (20.06.1979सँ) लोप कएल गेल]]

258. कतिपय स्थितिमे राज्यकें शक्ति प्रदान करब आदिक संघक शक्ति-(1) एहि संविधानमे कोनो बातक होइतहुँ, राष्ट्रपति, कोनो राज्यक सरकारक सहमति सँ ओहि सरकारकें अथवा ओकर अधिकारीकें एहन कोनो विषयसँ संबंधित कार्य जाहि पर संघक कार्यपालिका शक्तिक विस्तार अछि सशर्त वा बिनु शर्त दए सकत ।

(2) संसद द्वारा बनाओल गेल विधि, जे कोनो राज्यकें लागू होइत अछि एहन विषयसँ संबंधित होएबा पर सेहो, जकर संबंधमे राज्यक विधान-मंडल कें विधि बनएबाक शक्ति नहि अछि ओहि राज्य अथवा ओकर अधिकारी आओर प्राधिकारीकें शक्ति प्रदान क' सकत आओर ओहि पर कर्तव्य अधिरोपित क' सकत अथवा शक्तिक प्रदान कएल जाएब आओर कर्तव्यकें अधिरोपित कएल जाएब प्राधिकृत क' सकत ।

(3) जतए एहि अनुच्छेदक आधार पर कोनो राज्य अथवा ओकर अधिकारी अथवा प्राधिकारीकें शक्ति प्रदान कएल गेल अछि वा ओहिपर कर्तव्य अधिरोपित कएल गेल अछि ओतए ओहि शक्ति आओर कर्तव्यक प्रयोगक संबंधमे राज्य द्वारा प्रशासनमे कएल गेल अतिरिक्त खर्चक संबंधमे भारत सरकार द्वारा ओहि राज्यकें एहन राशिक, जे अनुबंध पाओल जाए अथवा अनुबंधक अभावमे एहन राशि, जकरा भारतक मुख्य न्यायमूर्ति द्वारा नियुक्त मध्यस्थ सुनिश्चित करए, भुगतान कएल जाएत

²[258क. प्रदेशक अपन कार्य संघकें हस्तगत करएबाक शक्ति -एहि संविधानमे कोनो बातक होइतहुँ, कोनो राज्यक राज्यपाल भारत सरकारक सहमति सँ ओहि सरकारकें अथवा ओकर अधिकारी के एहन कोनो विषयसँ संबंधित कार्य जाहि पर ओहि राज्यक कार्यपालिका शक्तिक विस्तार अछि सशर्त अथवा बिनु शर्त दए सकत ।]

[259. पहिल अनुसूचीक भाग ख केर राज्यक सशस्त्र बल]]-संविधान (सातम संशोधन) अधिनियम 1956 केर धारा 29 आओर अनुसूची द्वारा (01-11-1956सँ) लोप कएल गेल]]

260. भारतक बाहरी राज्यक्षेत्रक संबंधमे संघक अधिकारिता-भारत सरकार कोनो एहन प्रकारसँ, जे भारतक राज्यक्षेत्रक भाग नहि अछि, अनुबंध क' एहन राज्यक्षेत्रक सरकारमे निहित कोनहुँ कार्यपालक, विधायी अथवा न्यायिक कार्यक भार अपन ऊपर ल' सकत, मुदा प्रत्येक एहन अनुबंध विदेशी अधिकारिताक प्रयोगसँ संबंधित तत्समय प्रवृत्त कोनो विधिक अधीन होएत आओर ओहिसँ शासित होएत ।

¹ संविधान (बियालिसम संशोधन) अधिनियम, 1976 केर धारा 43 द्वारा (03-01-1977 सँ) अंतःस्थापित ।

² संविधान (सातम संशोधन) अधिनियम, 1956 केर धारा 18 द्वारा (01-11-1956 सँ) अंतःस्थापित ।

(भाग 11-संघ ओ राज्यक मध्य संबंध)

261. सार्वजनिक कार्य, अभिलेख ओ न्यायिक कार्यवाही-

(1) भारतक राज्यक्षेत्रमे सर्वत्र, संघक आओर प्रत्येक राज्यक सार्वजनिक कार्य, अभिलेख आओर न्यायिक कार्यवाही केँ पूर्ण विश्वास आ पूर्ण मान्यता देल जाएत ।

(2) खंड (1) मे निर्दिष्ट कार्य, अभिलेख आओर कार्यवाही केँ सिद्ध करबाक प्रक्रिया आओर शर्त एवं ओकर प्रभावक अवधारण संसद द्वारा बनाओल गेल विधि द्वारा उपबंधित प्रक्रियाक अनुसार कएल जाएत ।

(3) भारतक राज्यक्षेत्रक कोनो भागमे व्यवहार न्यायालय द्वारा देल गेल अंतिम निर्णय अथवा आदेशक ओहि राज्यक्षेत्रक भीतर कतहुँ विधिक अनुसार निष्पादन कएल जा सकत ।

जल संबंधी विवाद

262. अंतर्राज्यीय नदी अथवा नदी-घाटी जल संबंधी विवादक न्यायनिर्णयन-

(1) संसद, विधि द्वारा, कोनो अंतर्राज्यिक नदी अथवा नदी-घाटी अथवा ओहिमे जलक प्रयोग, वितरण अथवा नियंत्रणक संबंधमे कोनो विवाद अथवा परिवादक न्यायनिर्णयक लेल उपबंध क' सकत ।

(2) एहि संविधानमे कोनो बातक होइतहुँ, संसद, विधि द्वारा, उपबंध क' सकत जे नहि तँ उच्चतम न्यायालय आ ने कोनो अन्य न्यायालय खंड (1) मे निर्दिष्ट कोनो, विवाद अथवा परिवादक संबंधमे अधिकारिताक प्रयोग नहि कए सकत ।

राज्यक मध्य समन्वय

263. अंतर्राज्यीय परिषदक संबंधमे उपबंध-

जँ कोनो समय राष्ट्रपतिकेँ ई प्रतीत होइत छनि जे एहन परिषदक स्थापना सँ लोकहितक सिद्धि होएत जाहिसँ-

(क) राज्यक मध्य जे विवाद उत्पन्न भ' गेल हो ओकर जाँच करब आओर ओहि पर सलाह देब;

(ख) किछु अथवा समस्त राज्यक अथवा संघ आओर एक या अधिक राज्यक सामान्य हित सँ संबंधित विषयक अन्वेषण आओर ओहि पर विचार-विमर्श करब; वा

(ग) एहन कोनो विषय पर संस्तुति करब आओर विशिष्टतया ओहि विषयक संबंधमे नीति आओर कार्रवाईक बेसी नीक समन्वयक लेल संस्तुति करब, केर कर्तव्यक भार देल जाए तँ राष्ट्रपतिक लेल ई विधिपूर्ण होएत जे ओहि आदेश द्वारा एहन परिषदक स्थापना करथि आओर ओहि परिषद द्वारा कएल जाएवला कर्तव्यक प्रकृतिकेँ एवं ओकर संगठन आओर प्रक्रियाकेँ परिनिश्चित करथि ।

भाग-12

वित्त, संपत्ति, संविदा ओ वाद

अध्याय 1 - वित्त

सामान्य

¹[264. विवेचन-एहि भागमे, “वित्त आयोग” सँ अनुच्छेद 280 केर अधीन गठित वित्त आयोग अभिप्रेत अछि।]

265. सक्षम प्राधिकारक बिना करारोपण नहि कएल जाएब-कोनो कर विधिक प्राधिकारसँ अधिरोपित अथवा संग्रहित कएल जाएत, अन्यथा नहि।

266. भारत आओर राज्यक संचित निधि आओर लोक-लेखा-(1) अनुच्छेद 267 केर उपबंधक एवं किछु कर आओर शुल्क शुद्ध आगम पूर्णतः अथवा अंशतः राज्यकेँ देबाक, संबंधमे एहि अध्यायक उपबंधक अधीन रहैत, भारत सरकारकेँ प्राप्त सभ राज्य ओहि सरकार द्वारा राज हुंडी निर्गमित क’ कए उधार द्वारा अथवा अर्थोपाय अग्रिम द्वारा लेल गेल सभ उधार आओर उधारक प्रति भुगतानमे ओहि सरकारकेँ प्राप्त सभ धनराशिक एकटा संचित निधि बनत जे “भारतक संचित निधि” क नामसँ ज्ञात होएत एवं कोनो राज्य सरकारकेँ प्राप्त सभ राजस्व, ओहि सरकार द्वारा राज हुंडी निर्गमित क’ कए, उधार द्वारा अर्थोपाय अग्रिम द्वारा लेल गेल सभ उधार आओर उधारक प्रतिभुगतानमे ओहि सरकारकेँ प्राप्त सभ राशिक एक संचित निधि बनत जे “राज्यक संचित निधि” केर नामसँ जानल जाएत।

(2) भारत सरकार अथवा कोनो राज्य सरकार द्वारा अथवा ओकरा दिस सँ प्राप्त सभ आन लोक धनराशि, यथास्थिति, भारतक लोक लेखामे अथवा राज्यक लोक लेखामे जमा कएल जाएत।

(3) भारतक संचित निधि अथवा राज्यक संचित निधिमे सँ कोनो धनराशि विधिक अनुसार एवं एहि संविधानमे उपबंधित प्रयोजनक लेल आओर प्रक्रिया सँ विनियोजित कएल जाएत, अन्यथा नहि।

267. आकस्मिक निधि-(1) संसद, विधि द्वारा अग्रदाय स्वरूप केर एक आकस्मिक निधिक स्थापना क’ सकत जे “भारतक आकस्मिक निधि”क नामसँ जानल जाएत जाहिमे एहन विधि द्वारा सुनिश्चित राशि समय-समय पर जमा कएल जाएत आओर अनवेक्षित व्ययक अनुच्छेद 115 अथवा अनुच्छेद 116 केर अधीन संसद द्वारा, विधि द्वारा, प्राधिकृत कएल जाएब लंबित रहबा धरि एहन निधिमे सँ एहन व्यय केर पूर्तिक लेल अग्रिम धन देबाक लेल राष्ट्रपतिकेँ समर्थ बनएबाक लेल उक्त निधि राष्ट्रपतिक व्ययनाधीन राखल जाएत।

¹ संविधान (सातम संशोधन) अधिनियम, 1956 केर धारा 29 आओर अनुसूची द्वारा (01-11-1956 सँ) अनुच्छेद 264 केर स्थान पर प्रतिस्थापित।

(भाग 12-वित्त, संपत्ति, संविदा ओ वाद)

(2) राज्यक विधान-मंडल, विधि द्वारा, अग्रदायक स्वरूप केर एकटा आकस्मिक निधिक स्थापना क' सकत जे “राज्यक आकस्मिक निधि”क नामसँ ज्ञात होएत जाहिमे एहन विधि द्वारा सुनिश्चित राशि समय-समय पर जमा कएल जाएत आओर अनपेक्षित व्यय केर अनुच्छेद 205 अथवा अनुच्छेद 206 केर अधीन राज्यक विधान-मंडल द्वारा, विधि द्वारा, प्राधिकृत कएल जाएब लंबित रहबा धरि एहन निधिमे सँ एहन व्ययक पूर्तिक लेल अग्रिम धन देबाक लेल राज्यपालकेँ समर्थ बनएबाक लेल उक्त निधि राज्यक राज्यपाल ^{1***} क व्ययक अधीन राखल जाएत ।

संघ आओर राज्यक मध्य राजस्वक वितरण

268. संघ द्वारा लगाओल गेल मुदा राज्य द्वारा संगृहित आओर विनियोजित कएल जाएवला शुल्क-(1) एहन स्टांप-शुल्क ^{2***} जे संघ-सूचीमे वर्णित अछि, भारत सरकार द्वारा उद्गृहीत कएल जाएत, मुदा-

(क) ओहि दशामे, जाहिमे एहन शुल्क ³[केन्द्र शासित प्रदेश]क भीतर उद्ग्रहणीय अछि, भारत सरकार द्वारा, आओर

(ख) आन दशामे जाहि-जाहि राज्यक भीतर एहन शुल्क उद्ग्रहणीय अछि, ओहि-ओहि राज्य द्वारा, संग्रहीत कएल जाएत ।

(2) कोनो राज्यक भीतर उद्ग्रहणीय कोनो एहन शुल्ककेँ कोनो वित्तीय वर्षमे आगम, भारतक संचित निधिक भार नहि होएत, मुदा ओहि राज्यकेँ द' देल जाएत ।

⁴268क. [संघ द्वारा लगाओल जाएवला एवं संघ आओर राज्य द्वारा संगृहित ओ विनियोजित कएल जाएवला सेवा कर II]-संविधान (एक सय एकम संशोधन) अधिनियम, 2016 केर धारा 7 द्वारा (16-09-2016सँ) लोप कएल गेल ।

¹ संविधान (सातम संशोधन) अधिनियम, 1956 केर धारा 29 आओर अनुसूची द्वारा (01-11-1956 सँ) “वा राजप्रमुख” शब्दक लोप कएल गेल ।

² संविधान (एक सय एकम संशोधन) अधिनियम, 2016 केर धारा 6 द्वारा (16-09-2016 सँ) “एवं औषधीय आओर प्रसाधन निर्मिति पर एहन उत्पाद-शुल्क,” शब्दक लोप कएल गेल ।

³ संविधान (सातम संशोधन) अधिनियम, 1956 केर धारा 29 आओर अनुसूची द्वारा (01-11-1956 सँ) “पहिल अनुसूची केर भाग ‘ग’ मे विनिर्दिष्ट राज्य”क स्थान पर प्रतिस्थापित ।

⁴ संविधान (अठारसिम संशोधन) अधिनियम, 2003 केर धारा 2 द्वारा (प्रवृत्त नहि भेल अछि) अंतःस्थापित ।

269. संघ द्वारा लगाओल आओर संगृहीत कएल गेल मुदा राज्यकें देल जाएवला कर-¹[(1) ²[अनुच्छेद 269 क मे यथा उपबंधित केर अतिरिक्त,] वस्तुक क्रय] अथवा विक्रय पर कर आओर वस्तुक प्रेषण पर कर, भारत सरकार द्वारा उद्गृहीत आओर संगृहीत कएल जाएत मुदा खंड (2) मे उपबंधित प्रक्रिया सँ राज्यकें 1 अप्रैल 1996 कें अथवा ओकर पश्चात् समर्पित क' देल जाएत अथवा समर्पित क' देल गेल बूझल जाएत।

स्पष्टीकरण-एहि खंडक प्रयोजनक लेल-

(क) “वस्तुक क्रय अथवा विक्रय पर कर” पदसँ समाचारपत्रसँ भिन्न वस्तुक क्रय अथवा विक्रय पर ओहि दशामे कर अभिप्रेत अछि जाहिमे एहन क्रय अथवा विक्रय अंतर्राज्यिक व्यापार अथवा वाणिज्यक अवधिमे होइत अछि;

(ख) “वस्तुक प्रेषण पर कर” पदसँ वस्तुक प्रेषण पर (चाहे प्रेषण ओकर करावला व्यक्ति कें अथवा कोनो अन्य व्यक्ति कें कएल गेल होमए) ओहि दशामे कर अभिप्रेत अछि जाहिमे एहन प्रेषण अंतर्राज्यिक व्यापार अथवा वाणिज्यक अवधिमे होइत अछि।

(2) कोनो वित्तीय वर्षमे कोनो एहन कर केर शुद्ध आगम ओतए धरिक अतिरिक्त, जतए धरि ओ आगम केन्द्र शासित प्रदेश सँ प्राप्त भेल आगम मानल जा सकैत अछि, भारतक संचित निधि क भाग नहि होएत, मुदा ओहि राज्यकें दए देल जाएत जकरा भीतर ओ कर ओहि वर्षमे उद्ग्रहणीय अछि आओर वितरणक एहन सिद्धांतक अनुसार, जे संसद विधि द्वारा बनावए, ओहि राज्यक मध्य वितरित कएल जाएत।]

³[(3) संसद ई सुनिश्चित करबाक लेल जे’ ⁴[वस्तुक क्रय अथवा विक्रय अथवा प्रेषण] कखन अंतर्राज्यिक व्यापार अथवा वाणिज्यक अवधि होइत अछि, विधि द्वारा सिद्धांत बना सकत।]

⁵[269क. अन्तर्राज्यिक व्यापार अथवा वाणिज्यक अनुक्रममे वस्तु आओर सेवा कर केर वसूली ओ संग्रहण-(1) अन्तर्राज्यिक व्यापार अथवा वाणिज्यक अनुक्रममे प्रदाय पर वस्तु आओर सेवा कर भारत सरकार द्वारा उद्गृहीत आओर संगृहीत कएल जाएत एवं एहन कर ओहि प्रक्रियामे, जे संसद द्वारा, विधि द्वारा, वस्तु आओर सेवा कर परिषदक संस्तुति पर उपबंधित कएल जाए, संघ आओर राज्यक मध्य विभाजित कएल जाएत।]

¹ संविधान (अस्सीयम संशोधन) अधिनियम, 2000 केर धारा 2 द्वारा (09-06-2000 सँ) खंड (1) आओर खंड (2) केर स्थान पर प्रतिस्थापित।

² संविधान (एक सय एकम संशोधन) अधिनियम, 2016 केर धारा 8 द्वारा (16-09-2016 सँ) प्रतिस्थापित।

³ संविधान (छठम संशोधन) अधिनियम, 1956 केर धारा 3 द्वारा (11-09-1956 सँ), अंतःस्थापित।

⁴ संविधान (छियालीसम संशोधन) अधिनियम, 1982 केर धारा 2 द्वारा (02-02-1983 सँ) “वस्तुक क्रय अथवा विक्रय” शब्दक स्थान पर प्रतिस्थापित।

⁵ संविधान (एक सय एकम संशोधन) अधिनियम, 2016 केर धारा 9 द्वारा (16-09-2016 सँ) प्रतिस्थापित।

(भाग 12-वित्त, संपत्ति, संविदा ओ वाद)

स्पष्टीकरण-एहि खंडक प्रयोजनक लेल, भारतक राज्यक्षेत्रमे आयातक अनुक्रममे वस्तुक अथवा सेवाक अथवा दुनूक प्रदाय केँ अन्तर्राज्यिक व्यापार अथवा वाणिज्यक अनुक्रममे वस्तुक अथवा सेवाक अथवा दुनूक प्रदाय बूझल जाएत ।

(2) खंड (1) केर अधीन कोनो राज्यक विभाजित राशि भारतक संचित निधिक भाग नहि होएत ।

(3) जतए खंड (1) केर अधीन उद्गृहीत राशिक उपयोग अनुच्छेद 246 क केर अधीन कोनो राज्य द्वारा उद्गृहीत कर केर भुगतान करबाक लेल कएल गेल अछि ओहिठाम एहन राशि भारतक संचित निधिक भाग नहि होएत ।

(4) जतए अनुच्छेद 246 क केर अधीन कोनो राज्य द्वारा उद्गृहीत कर केर रूपमे संगृहीत राशिक उपयोग खंड (1) केर अधीन उद्गृहीत कर केर भुगतान करबाक लेल कएल गेल अछि, ओहिठाम एहन राशि राज्यक संचित निधिक भाग नहि होएत ।

(5) संसद, विधि द्वारा, प्रदाय केर स्थानक आओर एहि बातक जे वस्तुक अथवा सेवाक अथवा दुनूक प्रदाय अन्तर्राज्यिक व्यापार अथवा वाणिज्यक अनुक्रममे कखन होइत अछि, अवधारण करएबला सिद्धांत बना सकत ।]

270. वसूल कएल गेल करकेँ संघ ओ राज्यक मध्य वितरण-(1) क्रमशः ²[अनुच्छेद 268, अनुच्छेद 269 आओर अनुच्छेद 269 क] मे निर्दिष्ट शुल्क आओर करक अतिरिक्त, संघ सूचीमे निर्दिष्ट सभ कर आओर शुल्क; अनुच्छेद 271 मे निर्दिष्ट कर आओर शुल्क पर अधिभार आओर संसद द्वारा बनाओल गेल कोनो विधिक अधीन विनिर्दिष्ट प्रयोजनक लेल उद्गृहीत कोनो उप-कर भारत सरकार द्वारा उद्गृहीत आओर संगृहीत कएल जाएत एवं खंड (2) मे उपबंधित प्रक्रिया सँ संघ आओर राज्यक मध्य वितरित कएल जाएत ।

³[(1क) अनुच्छेद 246 क केर खंड (1) केर अधीन संघ द्वारा संगृहीत कर सेहो, संघ आओर राज्यक मध्य खंड (2) मे उपबंधित प्रक्रियामे वितरित कएल जाएत ।]

(1ख) अनुच्छेद 246 क केर खंड (2) आओर अनुच्छेद 269 क केर अधीन संघ द्वारा उद्गृहीत आओर संगृहीत एहन कर, जकर उपयोग अनुच्छेद 246 क केर खंड (1) केर अधीन संघ द्वारा उद्गृहीत करक भुगतान करबाक लेल कएल गेल अछि, आओर अनुच्छेद 269 क केर खंड (1) केर अधीन संघ केँ विभाजित राशि सेहो, संघ आओर राज्यक मध्य खंड (2) मे उपबंधित प्रक्रियामे वितरित कएल जाएत ।]

¹ संविधान (अस्सीयम संशोधन) अधिनियम, 2000 केर धारा 3 द्वारा (01-04-1996 सँ) अनुच्छेद 270 केर स्थान पर प्रतिस्थापित ।

² संविधान (अठ्ठासीयम संशोधन) अधिनियम, 2003, धारा 3 द्वारा “अनुच्छेद 268 आओर अनुच्छेद 269” (अधिसूचित नहि भेल अछि) केर स्थान पर प्रतिस्थापित आओर तत्पश्चात संविधान (एक सय एकम संशोधन) अधिनियम, 2016 केर धारा 10 द्वारा (16-09-2016 सँ) अनुच्छेद 268, 268 ‘क’ आओर 269 केर स्थान पर प्रतिस्थापित ।

³ संविधान (एक सय एकम संशोधन) अधिनियम, 2016 केर धारा 10 द्वारा (16-09-2016 सँ) अंतःस्थापित ।

(2) कोनो वित्तीय वर्षमे कोनो एहन कर अथवा शुल्क केर शुद्ध आगमक एहन प्रतिशत, जे विहित कएल जाए, भारत केर संचित निधिक भाग नहि होएत, मुदा ओहि राज्यकेँ समर्पित क' देल जाएत जेकर भीतर ओ कर अथवा शुल्क ओहि वर्ष मे उद्ग्रहणीय अछि आओर एहन प्रक्रियासँ आओर एहन समय सँ, जे खंड (3) मे उपबंधित प्रक्रिया सँ विहित कएल जाए ओहि राज्यक मध्य वितरित कएल जाएत।

(3) एहि अनुच्छेदमे, “विहित” सँ अभिप्रेत अछि-

(i) जाधरि वित्त आयोगक गठन नहि कएल जाइत अछि ताधरि राष्ट्रपतिक आदेश द्वारा विहित; आओर

(ii) वित्त आयोगक गठन कएल जएबाक पश्चात् वित्त आयोगक संस्तुति पर विचार करबाक पश्चात् राष्ट्रपतिक आदेश द्वारा विहित।]

271. कतिपय शुल्क आओर कर पर संघक प्रयोजनार्थ अधिभार-अनुच्छेद 269 आओर अनुच्छेद 270 मे कोनो बातक होइतहुँ, संसद ¹[अनुच्छेद 246 क केर अधीन वस्तु आओर सेवा करक अतिरिक्त,] ओहि अनुच्छेदमे निर्दिष्ट शुल्क अथवा कर मे सँ कोनो मे कोनहुँ समय संघक प्रयोजनक लेल अधिभार द्वारा वृद्धि क' सकत आओर कोनो एहन अधिभारक संपूर्ण आगम भारतक संचित निधिक भाग होएत।

272. [एहन कर जे संघ द्वारा वसूलल आ संगृहीत कएल जाइत अछि एवं संघ ओ राज्यक बीच वितरित कएल जा सकैत अछि] संविधान (अस्सीयम संशोधन) अधिनियम, 2000 केर धारा 4 द्वारा (09-6-2000 सँ) लोप कएल गेल।

273. पटुआ(जूट)पर आओर पटुआ उत्पाद पर निर्यात शुल्कक स्थान पर अनुदान-(1) पटुआ पर आ पटुआ उत्पाद पर निर्यात शुल्कक प्रत्येक वर्षक शुद्ध आगम केर कोनो भाग असम, बिहार, ²[ओड़िशा] आओर पश्चिम बंगाल राज्यकेँ समर्पित क' ओहि राज्यक राजस्वमे सहायता अनुदानक रूपमे प्रत्येक वर्ष भारतक संचित निधि पर एहन राशि भारित कएल जाएत जे विहित कएल गेल हो।

(2) पटुआ(जूट) पर आओर पटुआ उत्पाद पर जाधरि भारत सरकार कोनो निर्यात शुल्क उद्गृहीत करैत रहैत अछि ताधरि वा एहि संविधानक प्रारंभसँ दस वर्षक समाप्ति धरि, एहि दुनू मे सँ जे पहिने होमए, एहि प्रकार विहित राशि भारतक संचित निधि पर भारित बनल रहत।

¹ संविधान (एक सय एकम संशोधन) अधिनियम, 2016 केर धारा 11 द्वारा (16-09-2016 सँ) अंतःस्थापित।

² उड़ीसा (नाम परिवर्तन) अधिनियम, 2011 (2011 केर 15) केर धारा 5 द्वारा (01-11-2011 सँ) “उड़ीसा”क स्थान पर प्रतिस्थापित।

(भाग 12-वित्त, संपत्ति, संविदा ओ वाद)

(3) एहि अनुच्छेदमे “विहित” पदक ओएह अर्थ अछि जे अनुच्छेद 270 मे अछि ।

274. एहन विधेयकसँ संबद्ध कराधान जाहिसँ प्रदेश हित प्रभावित हो, मे राष्ट्रपतिक पूर्व संस्तुतिक अपेक्षा-(1) कोनो विधेयक अथवा संशोधन, जे एहन कर अथवा शुल्क, जाहिमे राज्य हितबद्ध अछि, अधिरोपित करैत अछि अथवा ओहिमे परिवर्तन करैत अछि अथवा जे भारतीय आयकर सँ संबंधित अधिनियमितिक प्रयोजनक लेल परिभाषित “कृषि-आय” पदक अर्थमे परिवर्तन करैत अछि अथवा जे ओहि सिद्धांतकेँ प्रभावित करैत अछि जाहिसँ एहि अध्यायक पूर्वगामी उपबंध मे सँ कोनो उपबंधक अधीन राज्यक धनराशि वितरणीय अछि अथवा भ’ सकत अथवा जे संघक प्रयोजनक लेल कोनो एहन अधिभार अधिरोपित करैत अछि जे एहि अध्यायक पूर्वगामी उपबंधमे वर्णित अछि, संसदक कोनो सदनमे राष्ट्रपतिक अनुशंसा पर पुनःस्थापित अथवा प्रस्तावित कएल जाएत, अन्यथा नहि ।

(2) एहि अनुच्छेदमे, “एहन कर अथवा शुल्क जाहिमे राज्य हितबद्ध अछि” पदसँ एहन कोनो कर अथवा शुल्क अभिप्रेत अछि-

(क) जकर शुद्ध आगम पूर्णतः या अंशतः राज्यकेँ समर्पित क’ देल जाइत अछि, अथवा

(ख) जकर शुद्ध आगमक प्रति निर्देशसँ भारतक संचित निधिमे सँ कोनो राज्यकेँ राशि तत्समय भुगतेय अछि ।

275. कतिपय राज्यकेँ संघसँ अनुदान-(1) एहन राशि, जकरा संसद विधि द्वारा उपबंध करए, ओहि राज्यक राजस्वमे सहायता अनुदानक रूपमे प्रत्येक वर्ष भारतक संचित निधि पर भारित होएत जाहि राज्यक विषयमे संसद ई सुनिश्चित करत जे ओकरा सहायताक आवश्यकता अछि आओर भिन्न-भिन्न राज्यक लेल भिन्न-भिन्न राशि नियत कएल जा सकतः

मुदा कोनो राज्यक राजस्वमे सहायता अनुदानक रूपमे भारतक संचित निधिमे सँ एहन पूँजी आओर आवर्ती राशि संदत्त कएल जाएत जे ओहि राज्य के विकास योजनाक खर्चकेँ पूर्ण करबामे समर्थ बनएबाक लेल आवश्यक अनुसूचित जनजातिक कल्याणक अभिवृद्धि करबाक अथवा ओहि राज्यमे अनुसूचित क्षेत्रक प्रशासन स्तर के ओहि राज्यक शेष क्षेत्रक प्रशासन स्तर धरि उन्नत करबाक प्रयोजनक लेल ओहि राज्य द्वारा भारत सरकारक अनुमोदनसँ हाथमे लेल जाय;

मुदा ई आओर जे असम राज्यक राजस्वमे सहायता अनुदानक रूपमे भारतक संचित निधिमे सँ एहन पूँजी आओर आवर्ती राशि संदत्त कएल जाएत-

(क) जे छठम अनुसूचीक पैरा 20 सँ संलग्न सारणीक ¹[भाग 1] मे विनिर्दिष्ट जनजाति क्षेत्रक प्रशासनक संबंधमे एहि संविधानक प्रारंभसँ ठीक पूर्ववर्ती प्रत्येक वर्षक अवधिमे औसत व्यय राजस्व सँ जतेक अधिक अछि ओकर समान अछि; आओर

(ख) जे ओहि विकास योजनाक खर्चक समान अछि जेकर उक्त क्षेत्रक प्रशासन स्तरकें ओहि राज्यक शेष क्षेत्रक प्रशासन स्तर धरि उन्नत करबाक प्रयोजनक लेल ओहि राज्य द्वारा भारत सरकारक अनुमोदनसँ हाथमे लेल जाएत ।

²[(1 क) अनुच्छेद 244 क केर अधीन स्वशासी राज्यकें बनाओल जाएबाक तिथिसँ-

(i) खंड (1) केर दोसर परंतुक केर खंड (क) केर अधीन भुगतये कोनो राशि स्वशासी राज्यकें ओहि दशामे संदत्त कएल जाएत जखन ओहिमे निर्दिष्ट सभ जनजाति क्षेत्र ओहि स्वशासी राज्यमे समाविष्ट होमए आओर जँ स्वशासी राज्यमे ओहि जनजाति क्षेत्रमे सँ मात्र किछु समाविष्ट होमए तँ ओ राशि असम राज्य आओर स्वशासी राज्यक मध्य एना विभाजित कएल जाएत जे राष्ट्रपति आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट करए;

(ii) स्वशासी राज्यक राजस्वमे सहायता अनुदानक रूपमे भारतक संचित निधिमे सँ एहन पूँजी आओर आवर्ती राशि संदत्त कएल जाएत जे ओहि विकास योजनाक खर्चाक समान अछि जकरा स्वशासी राज्यक प्रशासन स्तरकें शेष असम राज्यक प्रशासन स्तर धरि उन्नत करबाक प्रयोजनक लेल स्वशासी राज्य द्वारा भारत सरकारक अनुमोदनसँ हाथमे लेल जाएत ।]

(2) जाधरि संसद खंड (1) केर अधीन उपबंध नहि करैत अछि ताधरि ओहि खंडक अधीन संसदकें प्रदत्त शक्ति राष्ट्रपति द्वारा, आदेश द्वारा, प्रयोक्तव्य होएत आओर राष्ट्रपति द्वारा एहि खंडक अधीन कएल गेल कोनो आदेश संसद द्वारा एहि प्रकारें कएल गेल कोनो उपबंधक अधीन रहैत प्रभावी होएत :

मुदा वित्त आयोगक गठन कएल जाएबाक पश्चात् राष्ट्रपति द्वारा एहि खंडक अधीन कोनो आदेश वित्त आयोगक अनुशंसा पर विचार करबाक पश्चाते कएल जाएत, अन्यथा नहि ।

276. वृत्ति, व्यापार, आजीविका आओर नियोजन पर कर-(1) अनुच्छेद 246 मे कोनो बातक होइतहुँ, कोनो राज्यक विधान-मंडलक एहन कर सँ संबंधित कोनो विधि जे ओहि राज्यक अथवा ओहिमे कोनो नगरपालिका, जिला बोर्ड, स्थानीय बोर्ड अथवा आन स्थानीय प्राधिकारीक लाभक लेल वृत्ति, व्यापार, आजीविका अथवा नियोजनक संबंधमे अछि, एहि आधार पर अविधिमान्य नहि होएत जे ओ आय पर कर सँ संबंधित अछि ।

¹ पूर्वोक्त क्षेत्र (पुनर्गठन) अधिनियम, 1971 (1971 केर 71) केर धारा 71 द्वारा (21-01-1972 सँ) “भाग ‘क’ केर स्थान पर प्रतिस्थापित ।

² संविधान (बाइसम संशोधन) अधिनियम, 1969 केर धारा 3 द्वारा (25-09-1969 सँ) अंतःस्थापित ।

(भाग 12-वित्त, संपत्ति, संविदा ओ वाद)

(2) राज्यकेँ अथवा राज्यमे कोनो एक नगरपालिका, जिला बोर्ड, स्थानीय बोर्ड अथवा अन्य स्थानीय प्राधिकारीकेँ कोनो एक व्यक्तिक संबंधमे वृत्ति व्यापार, आजीविका आओर नियोजन पर करक रूपमे भुगतेय कुल राशि ¹[दू हजार पाँच सय रूपैया)] प्रतिवर्ष सँ अधिक नहि होएत ।

2*

*

*

*

(3) वृत्ति, व्यापार, आजीविका आओर नियोजन पर करक संबंधमे पूर्वोक्त रूपमे विधि बनएबाक राज्यक विधान-मंडलक शक्तिक ई अर्थ नहि लगाओल जाएत जे ओ वृत्ति व्यापार आजीविका आओर नियोजन सँ प्रोद्भूत वा उद्भूत आय पर करक संबंधमे विधि बनएबाक संसदक शक्ति केँ कोनो प्रकारेँ सीमित करैत अछि ।

277. व्यावृत्ति-एहन कर, शुल्क, उपकर अथवा शुल्क, जे एहि संविधानक प्रारंभसँ ठीक कोनो राज्यक सरकार द्वारा अथवा कोनो नगरपालिका अथवा अन्य स्थानीय प्राधिकारी अथवा निकाय द्वारा ओहि राज्य, नगरपालिका जिला अथवा अन्य स्थानीय क्षेत्रक प्रयोजनक लेल विधिपूर्वक उद्गृहीत कएल जा रहल छल, एहि बातक होइतहुँ कर, शुल्क, उपकर अथवा शुल्क संघ सूचीमे वर्णित अछि ताधरि उद्गृहीत कएल जाइत रहत आओर ओहि प्रयोजनक लेल उपयोजित कएल जाइत रहत जाधरि संसद, विधि द्वारा, एकर प्रतिकूल उपबंध नहि करैत अछि ।

278. [कतिपय वित्तीय विषयक संबंधमे पहिल अनुसूचीक भाग ख केर राज्यसँ समझौता]- संविधान (सातम संशोधन) अधिनियम, 1956 केर धारा 29 आओर अनुसूची द्वारा (01-11-1956 सँ) लोप कएल गेल ।

279. “शुद्ध आगम” आदिक गणना-(1) एहि अध्यायक पूर्वगामी उपबंधमे “शुद्ध आगम” सँ कोनो कर अथवा शुल्कक संबंधमे ओकर ओ आगम अभिप्रेत अछि जे ओकर संग्रहणक खर्चाकेँ घटा कए आबए आओर ओहि उपबंधक प्रयोजनक लेल कोनो क्षेत्रमे अथवा ओहि सँ प्राप्त भेल मानल जा सकए बला कोनो कर अथवा शुल्कक अथवा कोनो कर अथवा शुल्कक कोनो भारक शुद्ध आगम भारतक नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा अभिनिश्चित आओर प्रमाणित कएल जाएत आओर ओकर प्रमाणपत्र अंतिम होएत ।

(2) जेना ऊपर कहल गेल अछि ओकर आओर एहि अध्यायक कोनो अन्य अभिव्यक्त उपबंधक अधीन रहैत, कोनो एहन दशामे, जाहिमे एहि भागक अधीन कोनो शुल्क अथवा कर केर आगम कोनो राज्यकेँ द’ देल जाइत अछि वा द’ देल जाए, संसद द्वारा बनाओल गेल विधि वा राष्ट्रपतिको कोनो आदेश ओहि प्रक्रियाक, जाहि सँ आगम केर गणना कएल जएबाक अछि, ओहि समयक जाहिसँ वा जाहिमे, आओर ओहि प्रक्रियाक, जाहिसँ कोनो भुगतान कएल जएबाक अछि, एक वित्तीय वर्ष आओर दोसर वित्तीय वर्षमे समायोजन करबाक आओर अन्य आनुषंगिक वा सहायक विषयक उपबंध क’ सकत ।

¹ संविधान (साठिम संशोधन) अधिनियम, 1988 केर धारा 2 द्वारा (20-12-1988 सँ) “दू सय पचास रूपैया” शब्दक स्थान पर प्रतिस्थापित ।

² संविधान (साठिम संशोधन) अधिनियम, 1988 केर धारा 2 द्वारा (20-12-1988 सँ) परंतुक केँ लोप कएल गेल ।

¹[279क. वस्तु आओर सेवा कर परिषद-(1) राष्ट्रपति, संविधान (एक सय एकम संशोधन) अधिनियम 2016 केर प्रारंभक तिथिसँ साठि दिनक भीतर, आदेश द्वारा, वस्तु आओर सेवा कर परिषदक नामसँ ज्ञात एकटा परिषदक गठन करत।]

(2) वस्तु आओर सेवा कर परिषद निम्नलिखित सदस्यसँ मिलि क' बनत, अर्थात :-

(क) संघक वित्त मंत्री-अध्यक्ष;

(ख) संघक राजस्व अथवा वित्तक प्रभारी राज्यमंत्री-सदस्य;

(ग) सभ राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट वित्त वा कराधानक प्रभारी मंत्री अथवा कोनो आन मंत्री-सदस्यगण।

(3) खंड (2) केर उपखंड (ग) मे निर्दिष्ट वस्तु आओर सेवा कर परिषदक सदस्य, यथाशीघ्र अपना मे सँ एकटा सदस्य केँ एहन अवधिक लेल, जकरा ओ विनिश्चित करथि, परिषदक उपाध्यक्ष चयनित करताह।

(4) वस्तु आओर सेवा कर परिषद निम्नलिखितक संबंधमे संघ आओर राज्यकेँ अनुशंसा करत-

(क) संघ, राज्य आओर स्थानीय निकाय द्वारा उद्गृहीत कर, उपकर आओर अधिभार, जे वस्तु आओर सेवा करमे सम्मिलित कएल जा सकत;

(ख) वस्तु आओर सेवा कर वस्तु आओर सेवा करक अधीन वा स्वतंत्र कएल जा सकत;

(ग) आदर्श वस्तु आओर सेवा कर विधि, अनुच्छेद 269 क केर अधीन अन्तर्राज्यिक व्यापार अथवा वाणिज्यक अनुक्रममे प्रदाय वस्तु पर उद्गृहीत कर आओर सेवा करक विभाजनक सिद्धांत एवं ओ सिद्धांत जे प्रदाय केर स्थानकेँ शासित करैत अछि;

(घ) आवर्तक ओ अवसीमा जकरा नीचाँ वस्तु आओर सेवा केँ वस्तु आओर सेवा कर सँ छूट प्रदान कएल जा सकत;

(ङ) वस्तु आओर सेवा करक समूहक संग दर, जकरा अंतर्गत न्यूनतम दर सेहो अछि;

(च) कोनो प्राकृतिक विपत्ति अथवा आपदाक कालमे अतिरिक्त संसाधन जुटएबाक लेल कोनो विनिर्दिष्ट अवधिक लेल कोनो विशेष दर;

¹ संविधान (एक सय एकम संशोधन) अधिनियम, 2016 केर धारा 12 द्वारा (12-09-2016 सँ) अंतःस्थापित।

(भाग 12-वित्त, संपत्ति, संविदा ओ वाद)

(छ) अरुणाचल प्रदेश, असम, जम्मू-कश्मीर, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश आओर उत्तराखंड राज्यक संबंधमे विशेष उपबंध, आ

(ज) वस्तु आओर सेवा कर सँ संबंधित कोनो आन विषय जे परिषद द्वारा विनिश्चित कएल जाए।

(5) वस्तु आओर सेवा कर परिषद ओहि तिथिक अनुशंसा करत जकरा अपरिष्कृत पेट्रोलियम, उच्च गति डीजल, मोटर स्प्रिट (सामान्यतया पेट्रोलक रूपमे ज्ञात), प्राकृतिक गैस आओर विमानन टरबाइन ईंधन पर वस्तु आओर सेवा कर उद्गृहीत कएल जाए।

(6) एहि अनुच्छेद द्वारा प्रदत्त कार्यक निर्वहन करैत काल, वस्तु आओर सेवा कर परिषद वस्तु आओर सेवा करक सामंजस्यपूर्ण संरचना आओर वस्तु आओर सेवाक लेल सुव्यवस्थित राष्ट्रीय बाजारक विकासक आवश्यकता द्वारा मार्गदर्शित होएत।

(7) वस्तु आओर सेवा कर परिषदक, ओकर बैसारमे, गणपूर्ति परिषदक कुल सदस्यक आधा सदस्यसँ मिलि क' होएत।

(8) वस्तु आओर सेवा कर परिषद अपन काजक पालनक लेल प्रक्रिया सुनिश्चित करत।

(9) वस्तु आओर सेवा कर परिषद प्रत्येक निर्णय बैसारमे उपस्थित आओर मत देमए वला सदस्यक अधिमान प्राप्त मतक कम-सँ-कम तीन-चौथाई केर बहुमत द्वारा निम्नलिखित सिद्धांतक अनुसार कएल जाएत, अर्थात:-

ओहि बैसारमे, -

(क) केन्द्रीय सरकारक मतकें देल गेल कुल मतक एक-तिहाई केर अधिमान प्राप्त होएत; आओर

(ख) सभ राज्य सरकारक मतकें एकहि संग लेबा पर देल गेल कुल मतक दू-तिहाई केर अधिमान प्राप्त होएत।

(10) वस्तु आओर सेवा कर परिषदक कोनहुँ काज अथवा कार्यवाही मात्र एहि कारण सँ अविधिमान्य नहि होएत जे-

(क) परिषदमे कोनो रिक्ति अछि अथवा ओकर गठनमे कोनो त्रुटि अछि; वा

(ख) परिषदक कोनो सदस्यक रूपमे कोनो व्यक्तिक नियुक्तिमे कोनो त्रुटि अछि; वा

(ग) परिषदक प्रक्रियामे कोनो अनियमितता अछि जे मामिलाक गुणावगुणकें प्रभावित नहि करैत अछि।

(11) वस्तु आओर सेवा कर परिषद-

(क) भारत सरकार आओर एक वा एकसँ बेसी राज्यक मध्य; वा

(ख) एक दिस भारत सरकार आओर कोनो राज्य अथवा राज्य एवं दोसर दिस एक वा एकसँ बेसी अन्य राज्यक मध्य; वा

(ग) दू सँ अधिक राज्यक मध्य, परिषदक अनुशंसा वा ओकर कार्यन्वयन सँ उद्भूत कोनो विवादक न्यायनिर्णयक लेल एकटा तंत्रक स्थापना करत ।]

280. वित्त आयोग-(1) राष्ट्रपति, एहि संविधानक प्रारंभसँ दू वर्षक भीतर आओर तत्पश्चात प्रत्येक पाँचम वर्षक समाप्ति पर वा एहन पूर्वतर समय पर, जकरा राष्ट्रपति आवश्यक बुझैत छथि, आदेश द्वारा, वित्त आयोगक गठन करत जे राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त कएल जाएवला एक अध्यक्ष आओर चारि अन्य सदस्यसँ मिलि क' बनत ।

(2) संसद, विधि द्वारा, ओहि अर्हताक, जे आयोगक सदस्यक रूपमे नियुक्तिक लेल अपेक्षित होएत आओर ओहि प्रक्रियाक, जाहिसँ ओकर चयन कएल जाएत, अवधारण क' सकत ।

(3) आयोगक ई कर्तव्य होएत जे-

(क) संघ आओर राज्यक मध्य करक शुद्ध आगमक, जे एहि अध्यायक अधीन ओहिमे विभाजित कएल जाइत अछि अथवा कएल जाए, वितरण संबंधमे आओर राज्यक मध्य एहन आगमक तत्संबंधी भागक आवंटनक संबंधमे;

(ख) भारतक संचित निधिमे सँ राज्यक राजस्वमे सहायता अनुदान कें शासित करएबला सिद्धांतक संबंधमे;

¹[(खख) राज्यक वित्त आयोग द्वारा कएल गेल अनुशंसाक आधार पर राज्यमे पंचायतक संसाधनक अनुपूर्तिक लेल कोनो राज्यक संचित निधिक संवर्धनक लेल आवश्यक उपायक संबंधमे;]

²[(ग) राज्यक वित्त आयोग द्वारा कएल गेल अनुशंसाक आधार पर राज्यमे नगरपालिकाक संसाधनक अनुपूर्तिक लेल कोनो राज्यक संचित निधिक संवर्धनक लेल आवश्यक अधुपायक संबंधमे;]

³[(घ) सुदृढ़ वित्तक हितमे राष्ट्रपति द्वारा आयोगक निर्दिष्ट कएल गेल कोनो आन विषयक संबंधमे राष्ट्रपतिकें अनुशंसा करए ।]

(4) आयोग अपन प्रक्रिया सुनिश्चित करत आओर अपन काजक पालनमे ओकरा एहन शक्ति होएत जे संसद विधि द्वारा, ओकरा प्रदान करए ।

¹ संविधान (तेहतरम संशोधन) अधिनियम, 1992 केर धारा 3 द्वारा (24-04-1993 सँ) अंतःस्थापित ।

² संविधान (चौहतरम संशोधन) अधिनियम, 1992 केर धारा 3 द्वारा (01-06-1993 सँ) अंतःस्थापित ।

³ संविधान (चौहतरम संशोधन) अधिनियम, 1992 केर धारा 3 द्वारा (01-06-1993 सँ) उपखंड (ग) कें उपखंड (घ) केर रूपमे पुनः अक्षरंकित कएल गेल ।

281. वित्त आयोगक संस्तुति-राष्ट्रपति एहि संविधानक उपबंधक अधीन वित्त आयोग द्वारा कएल गेल प्रत्येक अनुशंसा कैं, ओहिपर कएल गेल कार्यवाई केर स्पष्टीकारक ज्ञापन सहित, संसदक सभ सदनक समक्ष रखबाओत ।

विविध वित्तीय उपबंध

282. संघ वा राज्य द्वारा अपन राजस्वसँ कएल जाएवला प्रतिपूर्ति-संघ वा राज्य कोनो लोक प्रयोजनक लेल कोनो अनुदान एहि बातक होइतहुँ द' सकत जे ओ प्रयोजन एहन नहि अछि जकर संबंधमे, यथास्थिति, संसद वा ओहि राज्यक विधान-मंडल विधि बना सकैत अछि ।

283. संचित निधि, आकस्मिक निधि आओर लोक लेखा सभमे जमा धनराशि सभक अभिरक्षा, आदि-(1) भारतक संचित निधि आओर भारतक आकस्मिकता निधिक अभिरक्षा, एहन निधिमे धनराशि सभक भुगतान, ओहि सँ धनराशि सभकेँ निकालल जाएब, एहन निधिमे जमा धनराशि सभसँ भिन्न भारत सरकार द्वारा वा ओकरा दिस सँ प्राप्त लोक धनराशि सभक अभिरक्षा, भारतक लोक लेखामे ओकर भुगतान आओर एहन सभक लेखा सँ धनराशि सभकेँ निकालल जाएब एवं पूर्वोक्त विषयसँ संबंधित वा ओकर आनुषांगिक अन्य सभ विषयक विनियमन संसद द्वारा बनाओल गेल विधि द्वारा कएल जाएत आओर जाधरि एहि निमित्त एहि प्रकार उपबंध नहि कएल जाइत अछि ताधरि राष्ट्रपति द्वारा बनाओल गेल नियम द्वारा कएल जाएत ।

(2) राज्यक संचित निधि आओर राज्यक आकस्मिकता निधिक अभिरक्षा, एहन निधि सभमे धनराशि सभक भुगतान, ओहि सँ धनराशि सभकेँ निकालल जाएब, एहन निधि सभमे जमा धनराशि सभसँ भिन्न राज्यक सरकार द्वारा वा ओकरा दिससँ प्राप्त लोक धनराशि सभक अभिरक्षा, राज्यक लोक लेखामे ओकर भुगतान आओर एहन लेखा सँ धनराशि सभक अभिरक्षा, राज्यक लोक लेखामे ओकर भुगतान आओर एहन लेखा सँ धनराशि सभक निकालल जाएबाक एवं पूर्वोक्त विषयसँ संबंधित वा ओकर आनुषांगिक आन सभ विषयक विनियमन राज्यक विधान-मंडल द्वारा बनाओल गेल विधि द्वारा कएल जाएत आओर जाधरि एहि निमित्त एहि प्रकार उपबंध नहि कएल जाइत अछि ताधरि राज्यक राज्यपाल ¹*** द्वारा बनाओल गेल नियम द्वारा कएल जाएत ।

284. लोक सेवक ओ न्यायालय द्वारा वादी सभसँ संचित राशि आओर अन्य धनराशिक अभिरक्षा-एहन समस्त धनराशि सभ, जे-

(क) यथास्थिति, भारत सरकार वा राज्यक सरकार द्वारा जुटाओल गेल वा प्राप्त राजस्व अथवा लोक धनराशिसँ भिन्न अछि, आओर संघ अथवा कोनों राज्यक कार्यकलापक संबंधमे नियोजित कोनो अधिकारीकेँ ओकर ओहि हैसियतमे वा

(ख) कोनो वाद, विषय, लेखा वा व्यक्तिक नाममे जमा भारतक राज्यक्षेत्रक भीतर कोनो न्यायालयकेँ प्राप्त होइत अछि वा ओकरा लग निक्षिप्त कएल जाइत अछि, यथास्थिति, भारतक लोक लेखामे अथवा राज्यक लोक लेखामे जमा कएल जाएत ।

¹ संविधान (सातम संशोधन) अधिनियम, 1956 केर धारा 29 आओर अनुसूची द्वारा (01-11-1956 सँ) “वा राजप्रमुख” शब्दक लोप कएल गेल

285. संघक संपत्तिकेँ राज्यक कराधानसँ मुक्ति-(1) ओतए धरिक अतिरिक्त, जत' धरि संसद विधि द्वारा अन्यथा उपबंध करए, कोनो राज्य द्वारा वा राज्यक भीतर कोनो प्राधिकारी द्वारा अधिरोपित सभ कर सँ संघक संपत्तिकेँ छूट होएत ।

(2) जाधरि संसद विधि द्वारा अन्यथा उपबंध नहि करए ताधरि खंड (1) केर कोनो बात कोनहुँ राज्यक भीतर कोनो प्राधिकारिकेँ संघक कोनो संपत्ति पर कोनो एहन कर जकर दायित्व एहि संविधानक प्रारंभसँ ठीक पहिने, एहन संपत्ति पर छल वा मानल जाइत छल, उद्गृहीत करबासँ ताधरि नहि रोकत जाधरि ओ कर ओहि राज्यमे उद्गृहीत होइत रहैत अछि ।

286. वस्तुक क्रय वा विक्रय पर कर केर अधिरोपणक संबंधमे प्रतिबंध-(1) राज्यक कोनो विधि, ¹[वस्तुक वा सेवाक वा दुनूक प्रदाय पर, जतए एहन प्रदाय]-

(क) राज्यक बाहर, वा

(ख) भारतक राज्यक्षेत्रमे ²[वस्तुक वा सेवाक वा दुनूक आयात अथवा वस्तुक वा सेवाक] बाहर निर्यातक क्रममे, होइत अछि, ओहिठाम कोनो कर अधिरोपित नहि करत वा अधिरोपित करब प्राधिकृत नहि करत ।

³[* * * *]

⁴[(2) संसद, ई सुनिश्चित करबाक लेल जे ⁵[वस्तुक वा सेवाक वा दुनूक प्रदाय] खंड (1) मे वर्णित प्रक्रियामे सँ, कोनो प्रक्रियासँ कखन होइत अछि, विधि द्वारा सिद्धांत बना सकत ।]

⁶[(3) * * * *]

287. विद्युत पर करसँ मुक्ति-ओतए धरिक अतिरिक्त, जतए धरि संसद विधि द्वारा अन्यथा उपबंध करए, कोनो राज्यक कोनो विधि (कोनो सरकार द्वारा वा अन्य व्यक्ति लोकनि द्वारा उत्पादित) विद्युतक उपभोग वा विक्रय पर जकर-

¹ संविधान (एक सय एकम संशोधन) अधिनियम, 2016 केर धारा 13, द्वारा (16-09-2016 सँ) “वस्तुक क्रय वा विक्रय पर, जतए एहन क्रय वा विक्रय” केर स्थान पर प्रतिस्थापित ।

² संविधान (एक सय एकम संशोधन) अधिनियम, 2016 केर धारा 13(i) आ (ख) द्वारा (16-09-2016 सँ) “वस्तु” केर स्थान पर प्रतिस्थापित ।

³ संविधान (छठम संशोधन) अधिनियम, 1956 केर धारा, 4 द्वारा (11-09-1956 सँ) खंड (1) केर *स्पष्टीकरणक* लोप कएल गेल ।

⁴ संविधान (छठम संशोधन) अधिनियम 1956 केर धारा 4 द्वारा (11-09-1956 सँ) खंड(2) आओर खंड (3) केर स्थान पर प्रतिस्थापित ।

⁵ संविधान (एक सय एकम संशोधन) अधिनियम, 2016 केर धारा 13(ii) द्वारा (16-09-2016 सँ) “वस्तुक क्रय अथवा विक्रय” केर स्थान पर प्रतिस्थापित ।

⁶ संविधान (एक सय एकम संशोधन) अधिनियम, 2016 केर धारा 13(iii) द्वारा (16-09-2016 सँ) खंड (3) केँ लोप कएल गेल)

(भाग 12-वित्त, संपत्ति, संविदा ओ वाद)

(क) भारत सरकार द्वारा उपभोग कएल जाइत अछि वा भारत सरकार द्वारा उपभोग कएल जएबाक लेल ओहि सरकारकें बेचल जाइत अछि, वा

(ख) कोनो रेलक निर्माण, बना कए राखब वा चलयबामे भारत सरकार वा कोनो रेल कंपनी द्वारा, जे ओहि रेलकें चलबैत अछि, उपभोग कएल जाइत अछि अथवा कोनो रेलक निर्माण, बना क' राखब वा चलयबामे उपभोगक लेल ओहि सरकार वा कोनो एहन रेल कंपनीकें बेचल जाइत अछि,

कोनो कर अधिरोपित नहि करत वा करक अधिरोपण प्राधिकृत नहि करत आओर विद्युतक विक्रय पर कोनो कर अधिरोपित करबा वा करक अधिरोपण प्राधिकृत करएबला कोनो एहन विधि ई सुनिश्चित करत जे भारत सरकार द्वारा उपभोग कएल जएबाक लेल ओहि सरकारकें बनाओल राखब वा चलयबामे उपभोगक लेल यथापूर्वोक्त कोनो रेल कंपनीकें बेचल गेल विद्युतक मूल्य, ओहि मूल्य सँ जे विद्युतक प्रचुर मात्रामे उपयोग करएबला अन्य उपभोक्तासँ लेल जाइत अछि ओतेक कम होएत जतेक कर केर राशि अछि ।

288. जल वा विद्युतक संबंधमे प्रदेश द्वारा कराधानसँ कतिपय स्थितिमे छूट-(1) ओतए धरिक अतिरिक्त जतए धरि राष्ट्रपति आदेश द्वारा अन्यथा उपबंध करए, एहि संविधानक प्रारंभसँ ठीक पहिने कोनो राज्यक कोनो प्रवृत्त विधि कोनो जल वा विद्युतक संबंधमे जे कोनो अंतर्राज्यिक नदी वा नदी-घाटीक विनियमन वा विकासक लेल कोनो विद्यमान विधि द्वारा वा संसद द्वारा बनाओल गेल विधि द्वारा स्थापित कोनो प्राधिकारी द्वारा संचित, उत्पादित, उपभुक्त, वितरित वा बेचल जाइत अछि, कोनो कर अधिरोपित नहि करत वा करक अधिरोपण प्राधिकृत नहि करत ।

स्पष्टीकरण-एहि खंडमे “कोनो राज्यक कोनहुँ प्रवृत्त विधि” पदक अंतर्गत कोनो राज्यक एहन विधि होएत जे एहि संविधानक प्रारंभसँ पहिने पारित वा बनाओल गेल अछि आओर जे पहिनहि निरसित नहि क' देल गेल अछि, चाहे ओ वा ओकर कोनो अंश ओहि समय निश्चितरूपेण वा विशिष्ट क्षेत्र सभमे प्रवर्तनमे नहि होमए ।

(2) कोनो राज्यक विधान-मंडल, विधि द्वारा, खंड (1) मे वर्णित कोनो कर अधिरोपित क' सकत वा एहन करक अधिरोपण प्राधिकृत क' सकत, मुदा एहन कोनो विधिक ताधरि कोनो प्रभाव नहि होएत जाधरि ओकरा राष्ट्रपतिसँ विचारक लेल आरक्षित राखल जएबाक पश्चात् ओकर अनुमति नहि भेटि गेल हो आओर जँ एहन कोनो विधि एहन करक दर आओर अन्य प्रसंगतिकें कोनो प्राधिकारी द्वारा ओहि विधिक अधीन बनाओल जाएवला नियम वा आदेश द्वारा नियत कएल जएबाक उपबंध करैत अछि तखन ओ विधि एहन कोनो नियम वा आदेश बनएबाक लेल राष्ट्रपतिक पूर्व सहमति अभिप्राप्त कएल जएबाक उपबंध करत ।

289. राज्यक संपत्ति आओर आयकें संघक कराधानसँ छूट-(1) कोनो राज्यक संपत्ति आओर आयकें संघकरसँ छूट होएत ।

(2) खंड (1) केर कोनो बात संघक कोनो सरकार द्वारा वा ओकरा दिस सँ कएल जाएवला कोनो प्रकारक व्यापार वा कारबारक संबंधमे अथवा ओहि सँ संबंधित कोनहुँ क्रिया केर संबंधमे अथवा एहन व्यापार वा कारबारक प्रयोजनक लेल प्रयुक्त वा अधिभुक्त कोनो संपत्तिक संबंधमे अथवा ओकर संबंधमे प्रोद्भूत वा उद्भूत कोनो आय केर संबंधमे कोनो कर केँ एहन मात्रा धरि जँ कोनो होय, जकर संसद विधि द्वारा उपबंध करए, अधिरोपित करबा वा करक अधिरोपण प्राधिकृत करबासँ नहि रोकत ।

(3) खंड (2) केर कोनो बात कोनो एहन व्यापार वा कारबार अथवा व्यापार वा कारबारक कोनो एहन वर्गकेँ लागू नहि होएत जकरा संबंधमे संसद विधि द्वारा घोषणा करए जे ओ सरकारक मामूली कार्यक आनुषंगिक अछि ।

290. कतिपय व्यय आओर पेंशनक संबंधमे समायोजन-जतए एहि संविधानक उपबंधक अधीन कोनो न्यायालय वा आयोगक व्यय अथवा कोनो व्यक्तिकेँ वा ओकर संबंधमे जे एहि संविधानक प्रारंभसँ पहिने भारतमे क्राउनक अधीन अथवा एहन प्रारंभक पश्चात् संघक वा कोनो राज्यक कार्यकलापक संबंधमे सेवा कएल अछि भुगतय पेंशन भारतक संचित निधि वा कोनो राज्यक संचित निधि पर भारित अछि ओतए, जँ-

(क) भारतक संचित निधि पर भारित होएबाक दशामे ओ न्यायालय वा आयोग कोनो राज्यक पृथक आवश्यकतामे सँ ककरो पूर्ति करैत अछि वा ओ व्यक्ति कोनो राज्यक कार्यकलापक संबंधमे पूर्णतः वा अंशतः सेवा कएने अछि, वा

(ख) कोनो राज्यक संचित निधि पर भारित होएबाक दशामे, ओ न्यायालय वा आयोग संघक वा अन्य राज्यक पृथक आवश्यकतामे सँ ककरो पूर्ति करैत अछि वा ओ व्यक्ति संघ वा अन्य राज्यक क्रियाकलापक संबंधमे पूर्णतः वा अंशतः सेवा कएने अछि, तँ यथास्थिति, ओहि राज्यक संचित निधि पर अथवा भारतक संचित निधि अथवा अन्य राज्यक संचित निधि पर, व्यय वा पेंशनक संबंधमे ओतेक अंशदान, जतेक अनुबंध पाओल जाए वा अनुबंधक अभावमे, जतेक भारतक मुख्य न्यायमूर्ति द्वारा नियुक्त मध्यस्थ सुनिश्चित करए भारित कएल जाएत आओर ओकर ओहि निधिमे सँ भुगतान कएल जाएत ।

¹[**290क. कतिपय देवस्वम् निधिक वार्षिक भुगतान-**प्रत्येक वर्ष छियालीस लाख पचास हजार रूपैयाक राशि केरल राज्यक संचित निधि पर भारित कएल जाएत आओर ओहि निधिमे सँ तिरुवांकुर देवस्वम् निधिकेँ भुगतान कएल जाएत आओर प्रत्येक वर्ष तेरह लाख पचास हजार रूपैयाक राशि ²[तमिलनाडु] राज्यक संचित निधि पर भारित कएल जाएत आओर ओहि निधिमे सँ 1 नवंबर, 1956 केँ ओहि राज्यकेँ तिरुवांकुर-कोचीन राज्य सँ अंतरित राज्यक्षेत्रक हिंदू मंदिर आओर पवित्र स्थानक अनुरक्षणक लेल ओहि राज्यमे स्थापित देवस्वम् निधिकेँ भुगतान कएल जाएत ।]

¹ संविधान (सातम संशोधन) अधिनियम, 1956 केर धारा 19 द्वारा (01-11-1956 सँ) अंतःस्थापित ।

² मद्रास राज्य (नाम परिवर्तन) अधिनियम, 1968 (1968 केर 53) केर धारा 4 द्वारा (14-01-1969 सँ) “मद्रास” केर स्थान पर प्रतिस्थापित ।

(भाग 12-वित्त, संपत्ति, संविदा ओ वाद)

291. [शासक लोकनिक व्यक्तितगत धनराशि (प्रिवी पर्स)]-संविधान (छब्बीसम संशोधन) अधिनियम 1971 केर धारा 2 द्वारा (28-12-1971 सँ) लोप कएल गेल ।

अध्याय 2-कर्ज लेब

292. भारत सरकार द्वारा कर्ज लेब-संघ केर कार्यपालिका शक्तिक विस्तार, भारतक संचित निधिक प्रतिभूति पर एहन सीमाक भीतर, जँ कोनो होमए, जकरा संसद समय-समय पर विधि द्वारा नियत करए, कर्ज लेबा धरि आओर एहन सीमाक भीतर जँ कोनो होमए, जकरा एहि प्रकार नियत कएल जाए, प्रत्याभूति देबा धरि अछि ।

293. राज्य सभ द्वारा कर्ज लेब-(1) एहि अनुच्छेदक उपबंधक अधीन रहैत, राज्यक कार्यपालिका शक्तिक विस्तार, ओहि राज्यक, संचित निधिक प्रतिभूति पर एहन सीमाक भीतर, जँ कोनो होमए, ओकरा एहन राज्यक विधान-मंडल, समय-समय पर विधि द्वारा नियत करए, भारतक राज्यक्षेत्रक भीतर कर्ज लेबा धरि आओर एहन सीमाक भीतर, जँ कोनो होमए, ओकरा एहि प्रकार नियत कएल जाए, प्रत्याभूति देबा धरि अछि ।

(2) भारत सरकार, एहन शर्तक अधीन रहैत, जे संसद द्वारा बनाओल गेल कोनो विधि द्वारा वा ओकर अधीन अधिकथित कएल जाए, कोनो राज्यकेँ कर्ज द' सकत वा जतए धरि अनुच्छेद 292 केर अधीन नियत कोनो सीमाक उल्लंघन नहि होइत अछि ओतए धरि कोनो एहन राज्य द्वारा लेल गेल कर्जक उधारक संबंधमे प्रत्याभूति द' सकत आओर एहन उधार देबाक प्रयोजनक लेल अपेक्षित राशि भारतक संचित निधि पर भारित कएल जाएत ।

(3) जँ कोनो एहन कर्ज केर, जे भारत सरकार वा ओकर पूर्ववर्ती सरकार ओहि राज्यकेँ देने छल अथवा जकरा संबंधमे भारत सरकार वा ओकर पूर्ववर्ती सरकार प्रत्याभूति देने छल, कोनहुँ अंश एखन धरि सेहो बकाया अछि तँ ओ राज्य, भारत सरकारक सहमतिक बिनु कोनो कर्ज नहि ल' सकत ।

(4) खंड (3) केर अधीन सहमति ओहि शर्तक अधीन, जँ कोनो होमए, देल जा सकत जकरा भारत सरकार अधिरोपित करब उचित बुझए ।

अध्याय 3- संपत्ति, संविदा, अधिकार, दायित्व, बाध्यता ओ वाद

294. कतिपय दशामे संपत्ति, आस्ति, अधिकार, दायित्व एवं बाध्यताक उत्तराधिकार-एहि संविधानक प्रारंभसँ-

(क) जे संपत्ति आओर परिसंपत्ति एहन प्रारंभसँ ठीक पहिने भारत अधिक्षेत्रक सरकारक प्रयोजनक लेल हिज मजेस्टीमे निहित छल आओर जे संपत्ति आओर परिसंपत्ति एहन प्रारंभसँ ठीक पहिने प्रत्येक राज्यपाल बला प्रांत केर सरकारक प्रयोजनक लेल हिज मजेस्टीमे निहित छल, ओ सभ एहि संविधानक प्रारंभसँ पहिने पाकिस्तान डोमिनियन केर वा पश्चिम बंगाल, पूर्वी बंगाल, पश्चिमी पंजाब आओर पूर्वी पंजाब प्रांतक सृजनक कारण कएल गेल वा कएल जाएवला कोनो समायोजनक रहैत क्रमशः संघ आओर तत्संबंधी राज्यमे निहित होएत; आओर

(ख) जे अधिकार, दायित्व आओर बाध्यता भारत अधिक्षेत्रक सरकारक, आओर प्रत्येक राज्यपाल बला प्रांतक सरकार केर छल चाहे ओ कोनो संविदा सँ वा अन्यथा उद्भूत भेल अछि, ओ सभ एहि संविधानक प्रारंभसँ पहिने पाकिस्तान अधिक्षेत्रक वा पश्चिम बंगाल, पूर्वी बंगाल, पश्चिमी पंजाब आओर पूर्वी पंजाब प्रांतक सृजनक कारण कएल गेल वा कएल जाएवला कोनो समायोजनक अधीन रहैत क्रमशः संघ आ भारत सरकार आओर प्रत्येक तत्संबंधी राज्यक सरकारक अधिकार, दायित्व आओर बाध्यता होएत ।

295. अन्य दशामे संपत्ति, परिसंपत्ति, अधिकार, दायित्व एवं बाध्यताक उत्तराधिकार-(1) एहि संविधानक प्रारंभे सँ-

(क) जे संपत्ति आओर परिसंपत्ति एहन प्रारंभसँ ठीक पहिने पहिल अनुसूचीक भाग ख मे विनिर्दिष्ट राज्यक तत्संबंधी कोनो देशी राज्यमे निहित छल, ओ सभ एहन अनुबंधक अधीन रहैत, जे भारत सरकार एहि निमित्त ओहि राज्यक सरकार सँ करए, संघमे निहित होएत जँ ओ प्रयोजन जकरा लेल एहन प्रारंभसँ ठीक पहिने एहन संपत्ति आओर परिसंपत्ति धारित छल, तत्पश्चात् संघ सूचीमे प्रगणित कोनो विषयसँ संबंधित संघक प्रयोजन होमए, आओर

(ख) जे अधिकार, दायित्व आओर बाध्यता पहिल अनुसूचीक भाग ख मे विनिर्दिष्ट राज्यक तत्संबंधी कोनो देशी राज्यक सरकारक छल, चाहे ओ कोनो संविदा सँ वा अन्यथा उद्भूत भेल हो, ओ सभ एहि प्रकारक अनुबंधक अधीन रहैत, जे भारत सरकार एहि निमित्त ओहि राज्यक सरकार सँ करए, भारत सरकारक अधिकार, दायित्व आओर बाध्यता होएत जँ ओ प्रयोजन, जकरा लेल एहि प्रकारक प्रारंभसँ ठीक पहिने एहन अधिकार अर्जित कएल गेल छल अथवा एहन दायित्व वा बाध्यता उपगत कएल गेल छल तत्पश्चात् संघ सूचीमे प्रगणित कोनो विषयसँ संबंधित भारत सरकारक प्रयोजन होमए ।

(2) जेना ऊपर कहल गेल अछि ओकर अधीन रहैत, पहिल अनुसूचीक भाग ख मे विनिर्दिष्ट सभ राज्य सरकारक ओहि समस्त संपत्ति आओर परिसंपत्ति एवं ओ समस्त अधिकार, दायित्व आओर बाध्यताक संबंधमे, चाहे ओ कोनो संविदा सँ वा अन्यथा उद्भूत भेल हो जे खंड (1) मे निर्दिष्ट सँ भिन्न अछि, एहि संविधानक प्रारंभे सँ तत्संबंधी देशी राज्यक सरकार केर उत्तराधिकारी होएत ।

296. स्वामित्व विहीन वा राजगामी वा धनगत होएबाक स्थितिमे उद्भूत संपत्ति-एहिमे एकर पश्चात् यथा उपबंधक अधीन रहैत भारतक राज्यक्षेत्रमे कोनहुँ संपत्ति, जे जँ एहि संविधान प्रवर्तनमे नहि आएल होएत तँ राजगामी वा व्यपगत होएबा सँ वा अधिकारवान् स्वामीक अभावमे स्वामीविहीन होएबा सँ यथास्थिति, महामहिमकें वा कोनो भारतीय राज्यक शासक कें प्रोद्भूत भेल होइक, जँ ओ संपत्ति कोनो राज्यमे स्थित अछि तँ एहन राज्यमे आओर कोनो अन्य दशामे संघमे निहित होएत :

(भाग 12-वित्त, संपत्ति, संविदा ओ वाद)

मुदा कोनहुँ संपत्ति, जे ओहि तिथिकेँ जखन ओ एहि प्रकारेँ महामहिमकेँ वा देसी राज्यक शासककेँ प्रोद्भूत भेल होइतए, भारत सरकारक वा कोनो राज्य सरकारक अधीन वा नियंत्रणमे छल तखन जँ ओ प्रयोजन, जकरा लेल ओ ओहि समय प्रयुक्त वा धारित छल, संघक छल तँ ओ संघमे वा कोनो राज्यक छल तँ ओहि राज्यमे निहित होएत।

स्पष्टीकरण-एहि अनुच्छेदमे, “शासक” आओर “भारतीय राज्य” पदक वएह अर्थ अछि जे अनुच्छेद 363 मे अछि।

¹[297. क्षेत्रीय सागरखंड वा महाद्वीपीय तटभूमिमे स्थित मूल्यवान वस्तु आओर अन्यान्य आर्थिक क्षेत्र केर संसाधनक संघमे निहित होएब-(1) भारतक राज्यक्षेत्रीय सागर-खंड वा महाद्वीपीय मग्नतट भूमि वा अनन्य आर्थिक क्षेत्रमे समुद्र तलक सभ भूमि, खनिज आओर आन मूल्यवान वस्तु संघमे निहित होएत आओर संघक प्रयोजनक लेल धारण कएल जाएत।

(2) भारतक अनन्य आर्थिक क्षेत्रक आन सभ संपत्ति सेहो संघमे निहित होएत आओर संघक प्रयोजनक लेल धारण कएल जाएत।

(3) भारतक राज्यक्षेत्रीय सागर-खंड, महाद्वीपीय मग्नतट भूमि, अनन्य आर्थिक क्षेत्र आओर अन्य आन सामुद्रिक क्षेत्रक सीमा ओ होएत जे संसद द्वारा बनाओल गेल विधि द्वारा वा ओकर अधीन समय-समय पर विनिर्दिष्ट कएल जाए।]

²[298. व्यापार आदि करबाक शक्ति, आदि-संघ केर आओर प्रत्येक राज्यक कार्यपालिका शक्तिक विस्तार, व्यापार वा कारबार करब आओर कोनो प्रयोजनक लेल संपत्तिक अर्जन, धारण आओर व्ययन एवं संविदा करबा पर, सेहो होएत :

मुदा-

(क) जतए धरि एहन व्यापार वा कारबार वा एहन प्रयोजन ओ नहि अछि जकर संसद विधि बना सकैत अछि ओतए धरि संघक उक्त कार्यपालिका शक्ति सभ राज्यमे ओहि राज्यक विधानक अधीन होएत; आओर

(ख) जतए धरि एहन व्यापार वा कारबार वा एहन प्रयोजन ओ नहि अछि जकर संबंधमे राज्यक विधान-मंडल विधि बना सकैत अछि ओतए धरि सभ राज्यक उक्त कार्यपालिका-शक्ति संसदक विधान केर अधीन होएत।]

¹ संविधान (चालीसम संशोधन) अधिनियम 1976 केर धारा 2 द्वारा (27-05-1976 सँ) प्रतिस्थापित।

² संविधान (सातम संशोधन) अधिनियम, 1956 केर धारा 20 द्वारा (01-11-1956 सँ) प्रतिस्थापित।

299. संविदा सभ-(1) संघक वा राज्यक कार्यपालिका शक्तिक प्रयोग करैत कएल गेल सभ संविदा, यथास्थिति, राष्ट्रपति द्वारा वा ओहि राज्यक राज्यपाल ^{1***} द्वारा कएल गेल कहल जाएत आओर ओ सभ संविदा आओर संपत्ति संबंधी हस्तांतरण-पत्र, जे ओहि शक्तिक प्रयोग करैत कएल जाए, राष्ट्रपति वा राज्यपाल ^{1***} केर दिस सँ एहन व्यक्ति द्वारा आओर प्रक्रिया सँ निष्पादित कएल जाएत जकरा ओ निर्दिष्ट वा प्राधिकृत करए ।

(2) राष्ट्रपति वा कोनो राज्यक राज्यपाल ^{2***} एहि संविधानक प्रयोजनक लेल वा भारत सरकारक एहिसँ पूर्व प्रवृत्त कोनो अधिनियमिति केर प्रयोजनक लेल कएल गेल वा निष्पादित कएल गेल संविदा वा हस्तांतरण-पत्रक संबंधमे वैयक्तिक रूपसँ दातव्य नहि होएत वा ओहिमे सँ कोनो दिस सँ एहन संविदा वा हस्तांतरण-पत्र करबा वा निष्पादित करएबला व्यक्ति ओकर संबंधमे वैयक्तिक रूपसँ दातव्य नहि होएत ।

300. वाद ओ कार्यवाही-(1) भारत सरकार भारत संघक नामसँ वाद आनि सकत वा ओहि पर वाद आनल जा सकत आओर कोनो राज्यक सरकार ओहि राज्यक नामसँ वाद आनि सकत वा ओहि पर वाद आनल जा सकत आओर एहन उपबंधक अधीन रहैत, जे एहि संविधान द्वारा प्रदत्त, शक्तिक आधार पर अधिनियमित संसदक वा एहन राज्यक विधान-मंडलक अधिनियम द्वारा कएल जाए, ओ अपन-अपन कार्यकलापक संबंधमे ओहि प्रकारेँ वाद आनि सकत वा ओहि पर ओहि प्रकार वाद आनल जा सकत जाहि प्रकारेँ, जँ ई संविधान अधिनियमित नहि कएल गेल होइत तँ भारत अधिक्षेत्र आओर तत्संबंधी प्रांत वा तत्संबंधी देशी राज्य वाद आनि सकैत छल वा ओहि पर वाद आनल जा सकैत छल ।

(2) जँ एहि संविधानक प्रारंभ पर-

(क) कोनो एहन विधिक कार्यवाही लंबित अछि जाहिमे भारत अधिक्षेत्र एकटा पक्षकार अछि तँ ओहि कार्यवाहीमे ओहि अधिक्षेत्रक स्थान पर भारत संघ प्रतिस्थापित कएल गेल बूझल जाएत; आओर

(ख) कोनो एहन विधि कार्यवाही लंबित अछि जाहिमे कोनो प्रांत वा कोनो भारतीय राज्य एकटा पक्षकार अछि तँ ओहि कार्यवाहीमे ओहि प्रांत वा भारतीय राज्यक स्थान पर तत्संबंधी राज्य प्रतिस्थापित कएल गेल बूझल जाएत ।

³[अध्याय 4-संपत्तिक अधिकार

300क. सक्षम प्राधिकारक अभावमे व्यक्तिकें संपत्तिसँ वंचित नहि कएल जाएब-कोनो व्यक्तिकें ओकर संपत्ति सँ विधिक प्राधिकारहि सँ वंचित कएल जाएत, अन्यथा नहि।

¹ संविधान (सातम संशोधन) अधिनियम, 1956 केर धारा 29 आओर अनुसूची द्वारा (01-11-1956 सँ) “वा राजप्रमुख” शब्दक लोप कएल गेल ।

² संविधान (सातम संशोधन) अधिनियम, 1956 केर धारा 29 आओर अनुसूची द्वारा (01-11-1956 सँ) “ने राजप्रमुख” शब्दक लोप कएल गेल ।

³ संविधान (चौआलिसम संशोधन) अधिनियम, 1978 केर धारा 34 द्वारा (20-06-1979 सँ) अंतःस्थापित ।

भाग-13

भारतक राज्यक्षेत्रक मध्य व्यापार, वाणिज्य ओ समागम

301. व्यापार, वाणिज्य ओ समागमक स्वतंत्रता-एहि भागक आन उपबंधक अधीन रहैत, भारतक राज्यक्षेत्रमे सर्वत्र व्यापार वाणिज्य आओर समागम निर्बाध होएत ।

302. व्यापार, वाणिज्य ओ समागम पर प्रतिबंध लगएबाक संसदक शक्ति-संसद विधि द्वारा, एक राज्य आओर दोसर राज्यक मध्य वा भारतक राज्यक्षेत्रक कोनो भागक भीतर व्यापार, वाणिज्य वा समागमक स्वतंत्रता पर एहन निर्बंधन अधिरोपित क' सकत जे लोक हितमे अपेक्षित हो ।

303. व्यापार ओ वाणिज्यक विषयमे संघ एवं राज्यक विधायी शक्ति पर प्रतिबंध-

(1) अनुच्छेद 302 मे कोनो बातक होइतहुँ, सातम अनुसूचीक सूचीमे सँ कोनोमे व्यापार आओर वाणिज्य संबंधी कोनो प्रविष्टिक आधार पर, संसदकेँ वा राज्य विधान-मंडलकेँ, कोनो एहन विधि बनएबाक शक्ति नहि होएत जे एक राज्य केँ दोसर राज्य सँ अधिमान दैत अछि वा देल जाएब प्राधिकृत करैत अछि अथवा एक राज्य दोसर राज्यक मध्य कोनो विभेद करैत अछि वा कएल जाएब प्राधिकृत करैत अछि ।

(2) खंड (1) केर कोनो बात संसदक कोनो एहन विधि बनएबा सँ नहि रोकत जे कोनो एहन अधिमान दैत अछि वा देल जाएब प्राधिकृत करैत अछि अथवा कोनो एहन विभेद करैत अछि वा कएल जाएब प्राधिकृत करैत अछि, जँ एहन विधि द्वारा ई घोषित कएल जाइत अछि जे भारतक राज्यक्षेत्रक कोनो भागमे वस्तु केर कमी सँ उत्पन्न कोनो स्थिति सँ निपटबाक प्रयोजनक लेल एहन करब आवश्यक अछि ।

304. राज्यक मध्य व्यापार, वाणिज्य ओ समागम पर प्रतिबंध-अनुच्छेद 301 वा अनुच्छेद 303 मे कोनो बातक होइतहुँ, कोनो राज्यक विधान-मंडल, विधि द्वारा, -

(क) आन राज्य ¹[वा केन्द्र शासित प्रदेश] सँ आयात कएल गेल वस्तु पर कोनहुँ एहन कर अधिरोपित क' सकत जे ओहि राज्यमे विनिर्मित वा उत्पादित ओहन वस्तु पर लगैत अछि, मुदा एहि प्रकार आयात कएल गेल वस्तु आओर एहन विनिर्मित वा उत्पादित वस्तुक मध्य कोनो विभेद नहि हो; वा

(ख) ओहि राज्यक संग वा ओकर भीतर व्यापार, वाणिज्य आओर समागमक स्वतंत्रता पर एहन युक्तियुक्त निर्बंधन अधिरोपित क' सकत जे लोक हितमे अपेक्षित होमए :

¹ संविधान (सातम संशोधन) अधिनियम, 1956 केर धारा 29 आओर अनुसूची द्वारा (01-11-1956 सँ) अंतःस्थापित ।

(भाग 13-भारतक राज्यक्षेत्रक मध्य व्यापार, वाणिज्य ओ समागम)

मुदा खंड (ख) केर प्रयोजनक लेल कोनहुँ विधेयक वा संशोधन राष्ट्रपतिक पूर्व मंजूरीक बिनु कोनो राज्यक विधान-मंडलमे पुनःस्थापित वा प्रस्तावित नहि कएल जा सकत ।

¹[305 विद्यमान विधि आओर राज्यक एकाधिकारकेँ उपबंध करएवाला विधिक सुरक्षा-ओतए धरिक अतिरिक्त जतए धरि राष्ट्रपति आदेश द्वारा अन्यथा निदेश देथि अनुच्छेद 301 आओर अनुच्छेद 303 केर कोनो बातक कोनो विद्यमान विधिक उपबंध पर कोनो प्रभाव नहि देत आओर अनुच्छेद 301 केर कोनो बात संविधान (चारिम संशोधन) अधिनियम, 1955 केर प्रारंभसँ पहिने बनाओल गेल कोनो विधिक प्रवर्तन पर ओतए धरि कोनो प्रभाव नहि देत जतए धरि, ओ विधि कोनो एहन विषयसँ संबंधित अछि, जे अनुच्छेद 19 केर खंड (6) केर उपखंडमे निर्दिष्ट अछि वा ओ विधि एहन कोनो बिषयक संबंधमे जे अनुच्छेद 19 केर खंड (6) केर उपखंड (ii) मे निर्दिष्ट अछि, विधि बनयबा सँ कोनो राज्यक विधान-मंडल केँ नहि रोकत ।]

306. [पहिल अनुसूचीक भाग ख केर कतिपय राज्यक व्यापार आओर वाणिज्य पर प्रतिबंध लगएबाक शक्ति]]-संविधान (सातम संशोधन) अधिनियम, 1956 केर धारा 29 आओर अनुसूची द्वारा (01-11-1956 सँ) लोप कएल गेल ।

307. अनुच्छेद 301 सँ अनुच्छेद 304 केर प्रयोजनकेँ कार्यान्वित करबाक लेल सक्षम अधिकारीक नियुक्ति-संसद विधि द्वारा, एहन प्राधिकारीक नियुक्ति क' सकत जे अनुच्छेद 301, अनुच्छेद 302, अनुच्छेद 303 आओर अनुच्छेद 304 केर प्रयोजनकेँ कार्यान्वित करबाक लेल समुचित बुझए आओर एहि प्रकारेँ नियुक्त प्राधिकारीकेँ एहन शक्ति प्रदान क' सकत आओर एहन कर्तव्य दए सकत जे ओ आवश्यक बुझए ।

¹ संविधान (चारिम संशोधन) अधिनियम केर धारा 4 द्वारा (27-04-1955 सँ) अनुच्छेद 305 केर स्थान पर प्रतिस्थापित ।

भाग-14

संघ आओर राज्यक अधीन सेवा

अध्याय 1-सेवा

308. विवेचन-एहि भागमे, जाधरि जे संदर्भ सँ अन्यथा अपेक्षित नहि हो, “राज्य” पद ¹[केर अंतर्गत जम्मू-कश्मीर राज्य नहि अछि।]

309. संघ वा राज्यक सेवा करएबला व्यक्तिक नियुक्ति ओ सेवा शर्त-एहि संविधानक उपबंधक अधीन रहैत, समुचित विधान-मंडलक अधिनियम संघ वा कोनो राज्यक कार्यकलाप सँ संबंधित लोक सेवा आओर पदक लेल भर्तीक आओर नियुक्त व्यक्तिक सेवाक शर्तक विनियमन क’ सकत :

मुदा जाधरि एहि अनुच्छेद केर अधीन समुचित विधान-मंडलक अधिनियम द्वारा वा ओकर अधीन एहि निमित्त उपबंध नहि कएल जाइत अछि ताधरि, यथास्थिति, संघक क्रियाकलाप सँ संबंधित सेवा आओर पदक दशामे राष्ट्रपति वा एहन व्यक्ति जकरा ओ निर्दिष्ट करए आओर राज्यक कार्यकलाप सँ संबंधित सेवा आओर पदक दशामे राज्यक राज्यपाल ²*** वा एहन व्यक्ति जकरा ओ निर्दिष्ट करए, एहन सेवा आओर पदक लेल भर्तीक आओर नियुक्त व्यक्तिक सेवाक शर्तक विनियमन करएबला नियम बनएबाक लेल सक्षम होएत आओर एहि प्रकारें बनाओल गेल नियम कोनो एहन अधिनियमक उपबंधक अधीन रहैत प्रभावी होएत।

310. संघ वा राज्यक सेवा कएनिहार व्यक्तिक पदावधि-(1) एहि संविधान द्वारा अभिव्यक्त रूपसँ यथा उपबंधित केर अतिरिक्त, सभ व्यक्ति जे रक्षा सेवाक वा संघक सिविल सेवाक वा अखिल भारतीय सेवाक सदस्य अछि अथवा रक्षा सँ संबंधित कोनो पद वा संघक अधीन कोनहुँ सिविल पद धारण करैत अछि, राष्ट्रपतिक प्रसादपर्यंत पद धारण करैत अछि आओर सभ व्यक्ति जे कोनो राज्यक सिविल सेवाक सदस्य अछि वा राज्यक अधीन कोनो सिविल पद धारण करैत अछि, ओहि राज्यक राज्यपाल ³*** केर प्रसादपर्यंत पद धारण करैत अछि।

(2) एहि बातक होइतहुँ संघ वा कोनो राज्यक अधीन सिविल पद धारण करएबला व्यक्ति, यथास्थिति, राष्ट्रपति, वा राज्यक राज्यपाल ²*** केर प्रसादपर्यंत पद धारण करैत अछि, कोनहुँ संविदा जकर सेवाक वा अखिल भारतीय सेवाक वा संघ वा राज्यक सिविल सेवाक सदस्य नहि अछि, एहन कोनो पद केँ धारण करबाक लेल एहि संविधानक अधीन नियुक्त कएल जाइत अछि, ओहि दशामे, जाहिमे यथास्थिति, राष्ट्रपति वा राज्यपाल ²*** विशेष अर्हता वला कोनो व्यक्तिक सेवा प्राप्त

¹ संविधान (सातम संशोधन) अधिनियम, 1956 केर धारा 29 आओर अनुसूची द्वारा (01-11-1956 सँ) “प्रथम अनुसूचीक भाग ‘क’ वा भाग ‘ख’ मे विनिर्दिष्ट राज्य अभिप्रेत अछि” केर स्थान पर प्रतिस्थापित।

² संविधान (सातम संशोधन) अधिनियम, 1956 केर धारा 29 आओर अनुसूची द्वारा (01-11-1956 सँ) “वा राजप्रमुख” शब्दक लोप कएल गेल।

³ संविधान (सातम संशोधन) अधिनियम, 1956 केर धारा 29 आओर अनुसूची द्वारा (01-11-1956 सँ) “यथास्थिति, ओहि राज्यक राज्यपाल वा राजप्रमुख” शब्दक लोप कएल गेल।

करबाक लेल आवश्यक बुझैत अछि, ई उपबंध क' सकत जे जँ अनुबंध कएल गेल अवधिक समाप्ति सँ पहिने ओ पद समाप्त क' देल जाइत अछि वा एहन कारण सँ, जे ओकर कोनो कदाचारसँ संबंधित नहि अछि, ओकरा सँ ओ पद रिक्त करबाक अपेक्षा कएल जाइत अछि तँ, ओकरा प्रतिकर देल जाएत ।

311. संघ वा राज्यक अधीन असैनिक क्षमतामे नियोजित व्यक्तिकें पदच्युत, पदसँ हटाएब, वा पदावनत कएल जाएब-(1) कोनो व्यक्तिकें जे संघक सिविल सेवाक वा अखिल भारतीय सेवाक वा राज्यक सिविल सेवाक सदस्य अछि अथवा संघ वा राज्यक अधीन कोनहुँ सिविल पद धारण करैत अछि ओकर नियुक्ति करएबला प्राधिकारीक अधीनस्थ कोनो प्राधिकारी द्वारा पदच्युत नहि कएल जाएत वा पदसँ नहि हटाओल जाएत ।

¹[(2) यथापूर्वोक्त कोनो व्यक्तिकें एहन जाँचक पश्चात्, जाहिमे ओकरा अपन विरुद्ध आरोपक सूचना द' देल गेल अछि आओर ओहि आरोपक संबंधमे ²*** सुनवाईक युक्तियुक्त असवर द' देल गेल अछि, पदच्युत कएल जाएत वा पदसँ हटाओल जाएत वा पंक्तिमे अवनत कएल जाएत, अन्यथा नहि :

³[मुदा जतए एहन जाँचक पश्चात् ओहि पर एहन कोनो दंड अधिरोपित करबाक प्रस्थापना अछि ओतए एहन दंड एहन जाँचक क्रममे देल गेल साक्ष्यक आधार पर अधिरोपित कएल जा सकत आओर एहन व्यक्तिकें प्रस्थापित दंडक विषयमे अभ्यावेदन करबाक अवसर देब आवश्यक नहि होएत :

मुदा ई आओर जे ई खंड ओतए लागू नहि होएत-]

(क) जतए कोनो व्यक्तिकें एहन आचरणक आधार पर पदच्युत कएल जाइत अछि वा पदसँ हटाओल जाइत अछि वा पंक्तिमे अवनत कएल जाइत अछि जकरा लेल आपराधिक आरोप पर ओकरा दोषसिद्ध ठहराओल गेल अछि; वा

(ख) जतए कोनो व्यक्तिकें पदच्युत करब वा पदसँ हटाएबा वा पंक्तिमे अवनत करबाक लेल सशक्त प्राधिकारीक ई समाधान भ' जाइत अछि जे कोनो कारण सँ, जे ओहि प्राधिकारी द्वारा लेखबद्ध कएल जाएत, ई युक्तियुक्त रूपसँ साध्य नहि अछि जे एहन जाँच कएल जाए; वा

(ग) जतए, यथास्थिति, राष्ट्रपति वा राज्यपालक ई समाधान भ' जाइत अछि जे राज्यक सुरक्षा हितमे ई समीचीन नहि अछि जे एहन जाँच कएल जाए ।

(3) जँ यथापूर्वोक्त कोनो व्यक्तिक संबंधमे ई प्रश्न उठैत अछि जे खंड (2) मे निर्दिष्ट जाँच करब युक्तियुक्त रूपसँ साध्य अछि वा नहि तँ ओ व्यक्तिकें पदच्युत करब वा पदसँ हटाएबा वा पंक्तिमे अवनत करबाक लेल सशक्त प्राधिकारीक ओहि पर निर्णय अंतिम होएत ।]

¹ संविधान (पन्द्रहम संशोधन) अधिनियम, 1963 केर धारा 10 द्वारा (05-10-1963 सँ) खंड (2) आओर खंड (3) केर स्थान पर प्रतिस्थापित ।

² संविधान (बियालिसम संशोधन) अधिनियम, 1976 केर धारा 44 द्वारा (03-01-1977 सँ) किछु शब्दक लोप कएल गेल ।

³ संविधान (बियालिसम संशोधित) अधिनियम, 1976 केर धारा 44 द्वारा (03-01-1977 सँ) किछु शब्दक स्थान पर प्रतिस्थापित ।

(भाग 14- संघ आओर राज्यक अधीन सेवा)

312. अखिल भारतीय सेवा-(1) ¹[भाग 6 केर अध्याय 6म भाग 11] मे कोनो बातक होइतहूँ, जँ राज्य सभा उपस्थित आओर मत देमए वला सदस्यमे सँ कम-सँ-कम दू-तिहाई सदस्य द्वारा समर्पित संकल्प द्वारा ई घोषित कएल अछि जे राष्ट्रीय हितमे एहन करब आवश्यक वा समीचीन अछि तँ, संसद, विधि द्वारा, संघ आओर राज्यक लेल सम्मिलित एक वा अधिक अखिल भारतीय सेवाक ²[(जकरा अंतर्गत अखिल भारतीय न्यायिक सेवा अछि)] सृजनक लेल उपबंध क' सकत आओर एहि अध्यायक आन उपबंधक अधीन रहैत, कोनो एहन सेवाक लेल भर्तीक आओर नियुक्त व्यक्तिक सेवा केर शर्तक विनियमन क' सकत।

(2) एहि संविधानक प्रारंभ पर भारतीय प्रशासनिक सेवा आओर भारतीय पुलिस सेवाक नामसँ ज्ञात सेवा एहि अनुच्छेदक अधीन संसद द्वारा सृजित सेवा बूझल जाएत।

²[(3) (खंड (1) मे निर्दिष्ट अखिल भारतीय न्यायिक सेवाक अंतर्गत अनुच्छेद 236 मे परिभाषित जिला न्यायाधीश केर पदसँ अवर कोनो पद नहि होएत।

(4) पूर्वोक्त अखिल भारतीय न्यायिक सेवाक सृजनक लेल उपबंध करएबला विधिमे भाग 6 केर अध्याय 6 केर संशोधनक लेल एहन उपबंध अंतर्विष्ट भ' सकत जे ओहि विधिक उपबंधकेँ कार्यान्वित करबाक लेल आवश्यक होमए आओर, एहन कोनो विधि अनुच्छेद 368 केर प्रयोजनक लेल संविधानक संशोधन नहि बूझल जाएत।]

³[312क. कतिपय सेवाक अधिकारी सभक सेवा-शर्तमे परिवर्तन अथवा निरस्त करबाक संसदक शक्ति-(1) संसद, विधि द्वारा-

(क) ओहि व्यक्तिक, जे भारत सरकारक सचिव द्वारा वा परिषदमे भारत सरकारक सचिव द्वारा एहि संविधानक प्रारंभसँ पहिने भारतमे क्राउनक कोनो सिविल सेवामे नियुक्त कएल गेल छल आओर जे संविधान (अट्टाइसम संशोधन) अधिनियम, 1972 केर प्रारंभ पर आओर ओकर पश्चात्, भारत सरकार वा कोनो राज्यक सरकारक अधीन कोनो सेवा वा पद पर बनल रहैत अछि, पारिश्रमिक छुट्टी आओर पेंशन संबंधी सेवाक शर्त एवं अनुशासनिक विषय संबंधी अधिकार, भविष्यलक्षी वा भूतलक्षी रूपसँ परिवर्तित क' सकत वा विमुक्त क' सकत;

¹ संविधान (बियालिसम संशोधन) अधिनियम, 1976 केर धारा 45 द्वारा (03-01-1977 सँ) “भाग 11” केर स्थान पर प्रतिस्थापित।

² संविधान (बियालिसम संशोधन) अधिनियम, 1976 केर धारा 45 द्वारा (03-01-1977 सँ) अंतःस्थापित।

³ संविधान (अट्टाइसम संशोधन) अधिनियम, 1972 केर धारा 2 द्वारा (29-08-1972 सँ) अंतःस्थापित।

(ख) ओ व्यक्ति जे सेक्रेटरी आफ स्टेट द्वारा वा सेक्रेटरी आफ स्टेट इन कौंसिल द्वारा एहि संविधानक प्रारंभसँ पहिने भारतमे क्राउनक कोनो सिविल सेवामे नियुक्त कएल गेल छल आओर जे संविधान (उद्घाटन, संशोधन) अधिनियम, 1972 केर प्रारंभसँ पहिने कोनो समय सेवा सँ निवृत्त भ' गेल छथि वा अन्यथा सेवामे नहि रहल छथि पेंशन संबंधी सेवाक शर्त भविष्यलक्षी वा भूतलक्षी रूप सँ परिवर्तित क' सकत वा प्रतिसंहत क' सकत :

मुदा कोनो एहन व्यक्तिक दशामे, जे उच्चतम न्यायालय वा कोनो उच्च न्यायालयक मुख्य न्यायमूर्ति वा आन न्यायाधीश, भारतक नियंत्रक-महालेखापरीक्षक, संघ वा कोनो राज्यक लोक सेवा आयोगक अध्यक्ष वा आन सदस्य अथवा मुख्य निर्वाचन आयुक्तक पद धारण क' रहल अछि वा क' चुकल अछि, उपखंड (क) वा उपखंड (ख) केर कोनो बातक ई अर्थ नहि लगाओल जाएत जे ओ संसद केँ, ओहि व्यक्तिक उक्त पद पर नियुक्तिक पश्चात्, ओकर सेवा केर शर्तमे, ओतए धरिक अतिरिक्त जतए धरि एहन सेवाक शर्त ओकरा, भारत सरकारक सचिव द्वारा वा परिषदमे भारत सरकारक सचिव द्वारा भारतमे क्राउनक कोनो सिविल सेवामे नियुक्त कएल गेल व्यक्ति होएबाक कारण लागू अछि ओकरा लेल अलाभकारी परिवर्तन करबाक लेल वा ओकरा प्रतिसंहत करबाक लेल सशक्त करैत अछि ।

(2) ओतए धरिक अतिरिक्त जतए धरि संसद, विधि द्वारा, एहि अनुच्छेदक अधीन उपबंध करए एहि अनुच्छेदक कोनो बात खंड (1) मे निर्दिष्ट व्यक्तिक सेवाक शर्तक विनियमन करबाक एहि संविधानक कोनो अन्य उपबंधक अधीन कोनो विधान-मंडल वा अन्य प्राधिकारीक शक्ति पर प्रभाव नहि देत ।

(3) उच्चतम न्यायालयकेँ वा कोनो आन न्यायालयकेँ निम्नलिखित विवादमे कोनो अधिकारिता नहि होएत, अर्थात् :-

(क) कोनो प्रसंविदा अनुबंध वा आन एहने लिखितक जकरा खंड (1) मे निर्दिष्ट कोनो व्यक्ति कएलनि अछि वा निष्पादित कएलनि अछि, कोनो उपबंधसँ वा ओहि पर कएल गेल कोनो पृष्ठांकन सँ उत्पन्न कोनो विवाद अथवा एहन व्यक्तिकेँ, भारतमे क्राउन केर कोनो सिविल सेवामे ओकर नियुक्ति वा भारत डेमिनियनक वा ओकर कोनो प्रांतक सरकार केर अधीन सेवामे ओकर बनल रहबाक संबंधमे पठाओल गेल कोनो पत्रक आधार पर उत्पन्न कोनो विवाद ;

(ख) मूल रूपमे यथा अधिनियमित अनुच्छेद 314 केर अधीन कोनो अधिकार, दायित्व वा बाध्यताक संबंधमे कोनो विवाद ।

(4) एहि अनुच्छेदक उपबंध मूल रूपमे यथा अधिनियमित अनुच्छेद 314 मे वा एहि संविधानक कोनो आन उपबंधमे कोनो बातक होइतहुँ सेहो प्रभावी होएत ।]

(भाग 14- संघ आओर राज्यक अधीन सेवा)

313. संक्रमणकालीन उपबंध-जाधरि एहि संविधानक अधीन एहि निमित्त उपबंध नहि कएल जाइत अछि ताधरि एहन सभ विधि जे एहि संविधानक पारंभ सँ ठीक पहिने प्रवृत्त अछि आओर कोनो एहन लोक सेवा वा कोनो एहन पदक, जे एहि संविधानक प्रारंभक पश्चात् अखिल भारतीय सेवाक अथवा संघ वा कोनो राज्यक अधीन सेवा वा पदक रूपमे बनल रहैत अछि, लागू अछि, ओतए धरि प्रवृत्त बनल रहत जतए धरि ओ एहि संविधानक उपबंध सँ संगत हो।

314. [कतिपय सेवाक विद्यमान अधिकारीगणक संरक्षणक लेल उपबंध।] संविधान (अट्टाइसम् संशोधन) अधिनियम, 1972 केर धारा 3 द्वारा (29-08-1972 सँ) लोप कएल गेल।

अध्याय 2-लोक सेवा आयोग

315. संघ ओ राज्यक लेल लोक सेवा आयोग-(1) एहि अनुच्छेदक उपबंधक अधीन रहैत, एकटा लोक सेवा आयोग संघक लेल आओर एक-एकटा लोक सेवा आयोग प्रत्येक राज्यमे होएत।

(2) दू वा अधिक राज्य ई अनुबंध क' सकैत अछि जे राज्यक ओहि समूहक लेल एकहि लोक सेवा आयोग होएत आओर जँ एहि आशय केर संकल्प ओहि राज्यमे सँ सभ राज्यक विधान-मंडलक सदन द्वारा वा जतए दू गोटा सदन अछि ओतए सभ सदन द्वारा पारित क' देल जाइत अछि तखन संसद ओहि राज्यक आवश्यकताक पूर्ति करबाक लेल विधि द्वारा संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोगक (जकरा एहि अध्यायमे “संयुक्त आयोग” कहल गेल अछि) नियुक्तिक उपबंध क' सकत।

(3) पूर्वोक्त प्रकारक कोनो विधिमे एहन आनुषंगिक आओर पारिणामिक उपबंध भ' सकत जे ओहि विधिक प्रयोजनकें प्रभावी करबाक लेल आवश्यक वा वांछनीय होइक।

(4) जँ कोनो राज्यक राज्यपाल ^{1***} लोक सेवा आयोग संघक लेल एहन करबाक अनुरोध करैत अछि तँ ओ राष्ट्रपतिक अनुमोदनसँ ओहि राज्यक सभटा वा कोनहुँ आवश्यकताक पूर्ति करबाक लेल सहमत भ' सकत।

(5) एहि संविधानमे, जाधरि जे संदर्भ सँ अन्यथा अपेक्षित नहि होइक संघ लोक सेवा आयोग वा राज्य लोक सेवा आयोगक प्रति निर्देशक इएह अर्थ लगाओल जाएत जे ओ एहन आयोगक प्रति निर्देश अछि जे प्रश्नगत कोनो विशिष्ट विषयक संबंधमे यथास्थिति, संघक वा राज्यक आवश्यकताक पूर्ति करैत अछि।

316. सदस्य सभक नियुक्ति आओर पदावधि-(1) लोक सेवा आयोगक अध्यक्ष आओर अन्य सदस्यक नियुक्ति, जँ ओ संघ आयोग वा संयुक्त आयोग अछि तँ, राष्ट्रपति द्वारा आओर, जँ ओ राज्य आयोग अछि तँ, राज्यक राज्यपाल द्वारा कएल जाएत :

¹ संविधान (सातम संशोधन) अधिनियम, 1956 केर धारा 29 आओर अनुसूची द्वारा (01-11-1956 सँ) “वा राजप्रमुख” शब्दक लोप कएल गेल।

मुदा सभ लोक सेवा आयोगक सदस्यमे सँ यथासाध्य निकटतम आधा एहन व्यक्ति होएत जे अपन-अपन नियुक्तिक तिथि पर भारत सरकार वा कोनो राज्यक सरकारक अधीन कम-सँ-कम दस वर्ष धरि पद धारण क' चुकल होथि आओर उक्त दस वर्षक अवधिक संगणना करबामे एहि संविधानक प्रारंभसँ पहिनहि एहन अवधि सेहो सम्मिलित कएल जाएत जाहि क्रममे कोनो व्यक्ति भारतमे क्राउनक अधीन वा कोनो भारतीय राज्यक सरकारक अधीन पद धारण कएने होथि ।

¹[(1) जँ आयोग केर अध्यक्षक पद रिक्त भ' जाइत अछि वा जँ कोनो एहन अध्यक्ष अनुपस्थितिक कारण वा आन कारण सँ अपन पद केर कर्तव्यक पालन करबामे असमर्थ अछि तखन, यथास्थिति, जाधरि रिक्त पद पर खंड (1) केर अधीन नियुक्त कोनो व्यक्ति ओहि पदक कर्तव्य भार ग्रहण नहि क' लैत अछि वा जाधरि अध्यक्ष अपन कर्तव्यकेँ पुनः नहि सम्हारि लैत अछि ताधरि आयोगक आन सदस्यमे सँ एहन एकटा सदस्य, जिनका संघ आयोग वा संयुक्त आयोगक दशामे राष्ट्रपति आओर राज्य आयोगक दशामे ओहि राज्यक राज्यपाल एहि प्रयोजनक लेल नियुक्त करथि, ओहि कर्तव्यक पालन करताह ।]

(2) लोक सेवा आयोगक सदस्य, अपन पद ग्रहणक तिथिसँ छओ वर्षक अवधि धरिक लेल वा संघ आयोगक दशामे पैसठि वर्षक आयु प्राप्त क' लेबा धरि आओर राज्य आयोग वा संयुक्त आयोगक दशामे ²[बासठि वर्ष] केर आयु प्राप्त क' लेबा धरि एहिमे सँ जे पहिने होइ, अपन पद धारण करताह :

मुदा-

(क) लोक सेवा आयोगक कोनो सदस्य, संघ आयोग वा संयुक्त आयोगक दशामे राष्ट्रपतिकेँ आओर राज्य आयोगक दशामे राज्यक राज्यपाल ³*** केँ संबोधित अपन हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपन पद त्यागि सकताह ;

(ख) लोक सेवा आयोगक कोनो सदस्यकेँ, अनुच्छेद 317 केर खंड (1) वा खंड (3) मे उपबंधित प्रक्रिया सँ हुनका पदसँ हटाओल जा सकत ।

(3) कोनो व्यक्ति जे लोक सेवा आयोगक सदस्य केर रूपमे पद धारण करैत छथि, अपन पदावधिक समाप्ति पर ओहि पद पर पुनर्नियुक्तिक पात्र नहि होएत ।

¹ संविधान (पन्द्रहम संशोधन) अधिनियम, 1963 केर धारा 11 द्वारा (05-10-1963 सँ) अंतःस्थापित ।

² संविधान (एकतालीसम संशोधन) अधिनियम, 1976 केर धारा 2 द्वारा (07-09-1976 सँ) “साठि वर्ष” केर स्थान पर प्रतिस्थापित ।

³ संविधान (सातम संशोधन) अधिनियम, 1956 केर धारा 29 आओर अनुसूची द्वारा (01-11-1956 सँ) “वा राजप्रमुख” शब्दक लोप कएल गेल ।

(भाग 14- संघ आओर राज्यक अधीन सेवा)

317. लोक सेवा आयोगक कोनो सदस्यकेँ हटाओल आओर निर्लंबित कएल जाएब-(1) खंड (3) केर उपबंधक अधीन रहैत, लोक सेवा आयोगक अध्यक्ष सेहो कोनो आन सदस्यकेँ मात्र कदाचारक आधार पर कएल गेल राष्ट्रपतिक एहन आदेश सँ ओहि पदसँ हटाओल जाएत जे उच्चतम न्यायालयकेँ राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 145 केर अधीन एहि निमित्त विहित प्रक्रियाक अनुसार कएल गेल जाँच पर, ई प्रतिवेदन कएल जएबाक पश्चात् कएल गेल अछि जे, यथास्थिति, अध्यक्ष वा एहन कोनो सदस्यकेँ एहन कोनो आधार पर हटा देल जाय ।

(2) आयोगक अध्यक्ष वा कोनो आन सदस्यकेँ, जकर संबंधमे खंड (1) केर अधीन उच्चतम न्यायालयकेँ निर्देश कएल गेल अछि, ^{1***} संघ आयोग वा संयुक्त आयोगक दशामे राष्ट्रपति आओर राज्य आयोगक दशामे राज्यपाल ओकर पदसँ तात्कालिक लेल निर्लंबित क' सकत जाधरि राष्ट्रपति एहन निर्देश पर उच्चतम न्यायालयक प्रतिवेदन भेटला पर एहन आदेश पारित नहि क' दैत छथि ।

(3) खंड (1) मे कोनो बातक होइतहुँ, जँ लोक सेवा आयोगक, यथास्थिति, अध्यक्ष वा कोनो आन सदस्य-

(क) दिवालिया न्यायनिर्णित कएल जाइत अछि, वा

(ख) अपन पदावधिमे अपन पदक कर्तव्यक बाहर कोनो सवेतन नियोजनमे लागल होइत अछि, वा

(ग) राष्ट्रपतिक विचारें मानसिक वा शारीरिक शैथिल्यक कारण अपन पद पर बनल रहबाक लेल अयोग्य अछि,

तँ राष्ट्रपति, अध्यक्ष वा एहन अन्य सदस्यकेँ आदेश द्वारा पदसँ हटा सकत ।

(4) जँ लोक सेवा आयोगक अध्यक्ष वा कोनो आन सदस्य, नियमित कंपनीक सदस्यक रूपमे आओर कंपनीक आन सदस्यक संग सम्मिलित रूपसँ अन्यथा, ओहि संविदा वा अनुबंध सँ, जे भारत सरकार वा राज्य सरकार द्वारा वा निमित्त कएल गेल अछि, कोनो प्रकारसँ संपृक्त, वा हितबद्ध अछि वा भ' जाइत अछि वा ओकर लाभ वा ओहिसँ उद्भूत कोनो लाभ वा उपलब्धिमे भाग लैत अछि तखन ओ खंड (1) केर प्रयोजनक लेल कदाचारक दोषी बूझल जाएत ।

318. आयोगक सदस्य ओ कर्मचारीगणक सेवा शर्तक विषयमे विनियम करबाक शक्ति-संघ आयोग वा संयुक्त आयोगक दशामे राष्ट्रपति आओर राज्य आयोगक दशामे ओहि राज्यक राज्यपाल ^{1***} विनियम द्वारा-

¹ संविधान (सातम संशोधन) अधिनियम, 1956 केर धारा 29 आओर अनुसूची द्वारा (01-11-1956 सँ) “वा राजप्रमुख” शब्दक लोप कएल गेल ।

(भाग 14- संघ आओर राज्यक अधीन सेवा)

(क) आयोग केर सदस्यक संख्या आओर हुनक सेवाक शर्तक अवधारण क' सकत; आओर

(ख) आयोगक कर्मचारी लोकनिक सदस्य संख्या आओर हुनक सेवाक शर्तक संबंधमे उपबंध क' सकत :

मुदा लोक सेवा आयोगक सदस्यक सेवाक शर्तमे ओकर नियुक्तिक पश्चात् ओकरा लेल अलाभकारी परिवर्तन नहि कएल जाएत ।

319. आयोगक सदस्य द्वारा आयोगक सदस्य नहि रहलोपरान्त पद धारण करबाक संबंधमे निषेध-पद पर नहि रहि जएबा पर-

(क) संघ लोक सेवा आयोगक अध्यक्ष भारत सरकार वा कोनो राज्यक सरकार केर अधीन कोनहुँ दोसर नियोजनक पात्र नहि होएत ;

(ख) कोनो राज्य लोक सेवा आयोगक अध्यक्ष संघ लोक सेवा आयोगक अध्यक्ष वा आन सदस्यक रूपमे अथवा कोनो आन राज्य लोक सेवा आयोगक अध्यक्ष केर रूपमे नियुक्त होएबाक पात्र होएत, मुदा भारत सरकार वा कोनो राज्यक सरकार केर अधीन कोनो आन नियोजनक पात्र नहि होएत;

(ग) संघ लोक सेवा आयोगक अध्यक्ष सँ भिन्न कियो आन सदस्य संघ लोक सेवा आयोगक अध्यक्षक रूपमे वा कोनो राज्य लोक सेवा आयोगक अध्यक्षक रूपमे नियुक्त होएबाक पात्र होएत, मुदा भारत सरकार वा कोनो राज्यक सरकार केर अधीन कोनो आन नियोजनक पात्र नहि होएत;

(घ) कोनो राज्य लोक सेवा आयोगक अध्यक्ष सँ भिन्न कियो आन सदस्य संघ लोक सेवा आयोगक अध्यक्ष वा कोनो आन सदस्यक रूपमे अथवा ओहि वा कोनो आन राज्य लोक सेवा आयोगक अध्यक्षक रूपमे नियुक्त होएबाक पात्र होएत, मुदा भारत सरकार वा कोनो राज्यक सरकार केर अधीन कोनो आन नियोजनक पात्र नहि होएत ।

320. लोक सेवा आयोगक काज-(1) संघ आओर राज्य लोक सेवा आयोगक ई कर्तव्य होएत जे ओ क्रमशः संघ केर सेवा आओर राज्यक सेवामे नियुक्तिक लेल परीक्षाक संचालन करए ।

(2) जँ संघ लोक सेवा आयोगसँ कोनहुँ दू वा अधिक राज्य एहन करबाक अनुरोध करैत अछि तखन ओकर इहो कर्तव्य होएत जे ओ एहन कोनहुँ सेबाक लेल, जकरा लेल विशेष अर्हता वला अभ्यर्थी अपेक्षित अछि, संयुक्त भर्तीक योजना बनएबा आओर ओकर प्रवर्तन करबामे ओहि राज्य सभक सहायता करए ।

(3) यथास्थिति, संघ लोक सेवा आयोग वा राज्य लोक सेवा आयोग सँ-

(भाग 14- संघ आओर राज्यक अधीन सेवा)

(क) सिविल सेवामे आओर सिविल पदक लेल भर्तीक पद्धति सँ संबंधित विषय पर,

(ख) सिविल सेवा आओर पद सभ पर नियुक्ति करबामे एवं एक सेवा सँ दोसर सेवामे प्रोन्नति आओर अंतरण करबामे अनुसरण कएल जाएवला सिद्धांत पर आओर एहन नियुक्ति, प्रोन्नति वा अंतरणक लेल अभ्यर्थीक उपयुक्तता पर,

(ग) एहन व्यक्ति पर, जे भारत सरकार वा कोनो राज्यक सरकार केर सिविल हैसियत मे सेवा क' रहल अछि, प्रभाव देबा पर, सभ अनुशासनिक विषय पर, जेकर अंतर्गत एहन विषयसँ संबंधित अभ्यावेदन वा याचिका अछि,

(घ) एहन व्यक्ति द्वारा वा ओकर संबंध, जे भारत सरकार वा कोनो राज्यक सरकारक अधीन वा भारतमे क्राउनक अधीन वा कोनो भारतीय राज्य केर सरकारक अधीन, सिविल हैसियतमे सेवा क' रहल अछि वा क' चुकल अछि, एहि दावा पर जे अपन कर्तव्यक निष्पादनमे कएल गेल वा कएल जएबाक लेल तत्संबंधी काजक संबंधमे ओकर विरुद्ध संस्थित विधिक कार्यवाहीक प्रतिरक्षामे ओकरा द्वारा उपगत खर्चाक, यथास्थिति, भारतक संचित निधिमे सँ वा राज्यक संचित निधिमे सँ भुगतान कएल जएबाक चाही,

(ङ) भारत सरकार वा कोनो राज्यक सरकार वा भारतमे क्राउनक अधीन वा कोनो भारतीय राज्यक सरकार केर अधीन सिविल हैसियतमे सेवा करैत समय कोनो व्यक्तिकेँ भेल क्षतिक संबंधमे पेंशन अधिनिर्णीत कएल जएबाक लेल कोनो दावा पर आओर एहन अधिनिर्णायक राशि विषयक प्रश्न पर, परामर्श कएल जाएत आओर एहि प्रकार ओकरा निर्देशित कएल गेल कोनो विषय पर एवं एहन कोनो आन विषय पर, जकरा यथास्थिति, राष्ट्रपति वा ओहि राज्यक राज्यपाल ^{1***} ओकरा निर्देशित करथि, परामर्श देबाक लोक सेवा आयोगक कर्तव्य होएत :

मुदा अखिल भारतीय सेवाक संबंधमे एवं संघक कार्यकलाप सँ संबंधित आन सेवा आओर पदक संबंधमे सेहो राष्ट्रपति एवं राज्यक कार्यकलापसँ संबंधित आन सेवा आओर पदक संबंधमे राज्यपाल ^{2***} ओहि विषय सभकेँ विनिर्दिष्ट करएबला विनियम बना सकत जाहिमे साधरणतया वा कोनो विशिष्ट वर्गक संबंधमे वा कोनहुँ विशिष्ट परिस्थितिमे लोक सेवा आयोग सँ परामर्श कएल जाएब आवश्यक नहि होएत ।

(4) खंड (3) केर कोनो बात सँ ई अपेक्षा नहि होएत जे लोक सेवा आयोग सँ ओहि प्रक्रियाक संबंधमे जाहिसँ अनुच्छेद 16 केर खंड (4) मे निर्दिष्ट कोनहुँ उपबंध कएल जाएब अछि वा ओहि प्रक्रियाक संबंधमे, जाहिसँ अनुच्छेद 335 केर उपबंधकेँ प्रभावी कएल जाएब अछि, परामर्श कएल जाए ।

¹ संविधान (सातम संशोधन) अधिनियम, 1956 केर धारा 29 आओर अनुसूची द्वारा (01-11-1956 सँ) “वा राजप्रमुख” शब्दक लोप कएल गेल ।

² संविधान (सातम संशोधन) अधिनियम, 1956 केर धारा 29 आओर अनुसूची द्वारा (01-11-1956 सँ) “यथास्थिति, वा राजप्रमुख” शब्दक लोप कएल गेल गेल ।

(5) राष्ट्रपति वा कोनो राज्यक राज्यपाल ^{1***} द्वारा खंड (3) केर परंतुक केर अधीन बनाओल गेल सभ विनिमय, बनाओल जएबाक पश्चात् यथाशीघ्र यथास्थिति, संसदक सभ सदन वा राज्यक विधान-मंडलक सदन वा सभ सदनक समक्ष कम-सँ-कम चौदह दिनक लेल राखल जाएत आओर निरसन वा संशोधन द्वारा कएल गेल एहन उपांतरणक अधीन होएत जे संसदक दुनू सदन वा ओहि राज्यक विधान-मंडलक सदन वा दुनू सदन ओहि सत्रमे करए जाहिमे ओ एहि प्रकारँ राखल गेल अछि।

321. लोकसेवा आयोगक काजक विस्तार करबाक शक्ति-यथास्थिति, संसद द्वारा वा कोनो राज्यक विधान-मंडल द्वारा बनाओल गेल कोनो अधिनियम संघ लोक सेवा आयोग वा राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा संघ केर वा राज्यक सेवा सभक संबंधमे आओर कोनो स्थानीय प्राधिकारी वा विधि द्वारा गठित आन निगमित निकाय वा कोनो लोक संस्थाक सेवाक संबंधमे सेहो अतिरिक्त कार्यक प्रयोगक लेल उपबंध क' सकत।

322. लोक सेवा आयोगक व्यय-संघ वा राज्य लोक सेवा आयोगक व्यय, जकरा अंतर्गत आयोगक सदस्य लोकनिक वा कर्मचारी वृंदक वा हुनका संबंधमे भुगतैय कोनो वेतन, भत्ता आओर पेंशन अछि, यथास्थिति, भारत केर संचित निधि वा राज्यक संचित निधि पर भारित होएत।

323. लोक सेवा आयोगक प्रतिवेदन-(1) संघ आयोगक ई कर्तव्य होएत जे ओ राष्ट्रपतिकेँ आयोग द्वारा कएल गेल काजक संबंधमे प्रतिवर्ष प्रतिवेदन दिअ आ राष्ट्रपति एहन प्रतिवेदन प्राप्त होएबा पर ओहि विषयक संबंधमे, जँ कोनो होइक, जाहिमे आयोगक सलाह स्वीकार नहि कएल गेल छल, एहन अस्वीकृतिक कारणकेँ स्पष्ट करएवला ज्ञापन सहित ओहि प्रतिवेदनक प्रति संसदक सभ सदनक समक्ष रखबौताह।

(2) राज्य आयोगक ई कर्तव्य होएत जे ओ राज्यक राज्यपाल ^{1***} केँ आयोग द्वारा कएल गेल काजक संबंधमे प्रतिवर्ष प्रतिवेदन दिअ आओर संयुक्त आयोगक ई कर्तव्य होएत जे एहन राज्यमे सँ, जकर आवश्यकताक पूर्ति संयुक्त आयोग द्वारा कएल जाइत अछि, राज्यपाल ^{1***} केँ ओहि राज्यक संबंधमे आयोग द्वारा कएल गेल काजक संबंधमे प्रतिवर्ष प्रतिवेदन दिअ आओर दुनूमे सँ सभ दशामे एहन प्रतिवेदन प्राप्त होएबा पर, राज्यपाल ^{2***} ओहि मामिलाक संबंधमे जँ कोनो होइक, जाहिमे आयोग केर सलाह स्वीकार नहि कएल गेल छल, एहन अस्वीकृतिक कारणकेँ स्पष्ट करएवला ज्ञापन सहित ओहि प्रतिवेदन केर प्रति राज्यक विधान-मंडलक साँझा रखबाओत।

¹ संविधान (सातम संशोधन) अधिनियम, 1956 केर धारा 29 आओर अनुसूची द्वारा (01-11-1956 सँ) “वा राजप्रमुख” शब्दक लोप कएल गेल।

² संविधान (सातम संशोधन) अधिनियम, 1956 केर धारा 29 आओर अनुसूची द्वारा (01-11-1956 सँ) “यथास्थिति, वा राजप्रमुख” शब्दक स्थान पर उपरोक्त रूपसँ राखल गेल।

¹|भाग-14 क

अधिकरण

323क. प्रशासनिक अधिकरण-संसद, विधि द्वारा संघ वा कोनो राज्यक अथवा भारतक राज्यक्षेत्रक भीतर वा भारत सरकारक नियंत्रणक अधीन कोनो स्थानीय वा आन प्राधिकारीक अथवा सरकारक स्वामित्व वा नियंत्रणक अधीन कोनो निगमक कार्यकलापसँ संबंधित लोक सेवा आओर पदक लेल भर्ती एवं नियुक्त व्यक्तिक सेवाक शर्तक संबंधमे विवाद आओर परिवाद सभक प्रशासनिक अधिकरण सभ द्वारा न्यायनिर्णयन वा विचारणक लेल उपबंध क' सकत।

(2) खंड (1) केर अधीन बनाओल गेल विधि-

(क) संघक लेल एकटा प्रशासनिक अधिकरण आओर प्रत्येक राज्यक लेल अथवा दू वा अधिक राज्यक लेल एकटा पृथक प्रशासनिक अधिकरणक स्थापनाक लेल उपबंध क' सकत;

(ख) उक्त अधिकरण सभमे सँ सभ अधिकरण द्वारा प्रयोग कएल जाएबला अधिकारिता, शक्ति (जेकर अंतर्गत अवमाननाक लेल दंड देबाक शक्ति अछि) आओर प्राधिकार विनिर्दिष्ट क' सकत;

(ग) उक्त अधिकरण सभ द्वारा अनुसरण कएल जाएबला प्रक्रियाक लेल (जेकर अंतर्गत परिसीमाक संबंधमे आओर साक्ष्यक नियमक संबंधमे उपबंध अछि) उपबंध क' सकत;

(घ) अनुच्छेद 136 केर अधीन उच्चतम न्यायालयक अधिकारिताक अतिरिक्त समस्त-न्यायालय सभकेँ अधिकारिताक खंड (1) मे निर्दिष्ट विवाद सभ वा परिवाद सभक संबंधमे अपवर्जन क' सकत;

(ङ) प्रत्येक एहन प्रशासनिक अधिकरणकेँ ओहि विषय सभक अंतरणक लेल उपबंध क' सकत जे एहि प्रकारक अधिकरणक स्थापना सँ ठीक पहिने कोनो न्यायालय वा आन प्राधिकारीक समक्ष लंबित अछि आओर जे, जँ एहन वाद हेतुक जाहि पर एहि प्रकारक वाद वा कार्यवाही सभ आधारित अछि, अधिकरणक स्थापनाक पश्चात् उत्पन्न होएत तखन, एहन अधिकरणक अधिकारिताक भीतर होएत;

(च) राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 371 'घ' केर खंड (3) केर अधीन कएल गेल आदेशक निरसन वा संशोधन क सकत;

(छ) एहन अनुपूरक, आनुषंगिक आओर पारिणामिक उपबंध (जेकर अंतर्गत शुल्कक संबंधमे उपबंध अछि) अंतर्विष्ट क' सकत जे संसद एहि प्रकारक अधिकरण सभक प्रभावी कार्यकरणक लेल आओर ओकरा द्वारा विषयक शीघ्र निपटएबाक लेल आओर ओकर आदेशक प्रवर्तनक लेल आवश्यक बूझए।

¹ संविधान (बियालिसम संशोधन) अधिनियम, 1976 केर धारा 46 द्वारा (03-01-1977 सँ) अंतःस्थापित।

(3) एहि अनुच्छेदक उपबंध एहि संविधानक कोनो आन उपबंधमे वा ओहि समय लागू कोनो आन विधिमे कोनो बातक होइतहुँ प्रभावी होएत ।

323ख. आन विषयक लेल अधिकरण-(1) समुचित विधान-मंडल, विधि द्वारा, एहन विवाद, परिवाद वा अपराधक न्यायाधिकरण द्वारा न्यायिक निर्णय वा विचारणक लेल उपबंध क' सकैछ जे खंड (2) मे निर्दिष्ट ओहन सभ वा कोनो विषयसँ संबंधित अछि जकरा संबंधमे एहन विधान-मंडलकें कानून बनाबाक शक्ति अछि ।

(2) खंड (1) मे निर्दिष्ट विषय निम्नलिखित अछि, अर्थात् :-

(क) कोनो करक उद्ग्रहण, निर्धारण, संग्रहण आ प्रवर्तन;

(ख) विदेशी मुद्रा, सीमाशुल्क सीमाक पार आयात एवं निर्यात;

(ग) औद्योगिक आ श्रम विवाद;

(घ) अनुच्छेद 31 क मे यथापरिभाषित कोनो संपत्तिकें वा ओहिमे कोनो अधिकारक राज्य द्वारा अर्जन वा एहन कोनो अधिकारक निर्वापन वा उपांतरण द्वारा वा कृषि भूमिक अधिकतम सीमा द्वारा वा कोनो आन प्रकारक भूमि सुधार;

(ङ) नगर संपत्तिक अधिकतम सीमा;

(च) संसदक सभ सदन वा कोनो राज्य विधान-मंडलक सदन वा सभ सदनक लेल निर्वाचन, मुदा अनुच्छेद 329 आ अनुच्छेद 329 क मे निर्दिष्ट विषयकें छोड़िक;

(छ) खाद्य सामग्रीक (जकरा अंतर्गत खाद्य तेलहन आ तेल सहित) आ एहन दोसर वस्तुक उत्पादन, खरीद, आपूर्ति आ वितरण जकरा राष्ट्रपति लोक अधिसूचना द्वारा एहि अनुच्छेदक प्रयोजनक लेल आवश्यक वस्तु घोषित करए आ एहन वस्तुक मूल्यक नियंत्रण;

¹[(ज) किराया, ओकर विनियमन आ नियंत्रण एवं किराएदारी संबंधी विवादक, जकरा अंतर्गत मकान मालिक आ किरायादारक अधिकार, हक आ हित सम्मिलित अछि;]

²[(झ) उपखंड (क) सँ उपखंड ³[(ज) मे निर्दिष्ट विषयमे सँ कोनो विषयसँ संबंधित विधिक विरुद्ध अपराध आ ओहि विषयमे सँ कोनो संबंधमे शुल्क;]

¹ संविधान (पचहत्तरिम संशोधन) अधिनियम, 1993 केर धारा 2 द्वारा (15-5-1994 सँ) “(छ)” केर स्थान पर प्रतिस्थापित ।

² संविधान (पचहत्तरिम संशोधन) अधिनियम, 1993 केर धारा 2 द्वारा (15-5-1994 सँ) उपखंड (झ) कें उपखंड (ज) केर रूपमे पुनः अक्षरकित कएल गेल ।

³ संविधान (पचहत्तरिम संशोधन) अधिनियम 1993 केर धारा 2 द्वारा (15-5-1994 सँ) “(छ)” केर स्थान पर प्रतिस्थापित ।

(भाग 14 क-अधिकरण)

¹[(ज)] उपखंड (क) सँ उपखंड ²[(झ)] मे निर्दिष्ट विषयमेसँ कोनोक कोनो आनुषंगिक विषय ।

(3) खंड (1) केर अधीन बनाओल गेल विधि-

(क) न्यायाधिकरणक पदानुक्रमक स्थापनाक प्रावधान क' सकैछ;

(ख) उक्त न्यायाधिकरणमे सँ सभ न्यायाधिकरण द्वारा प्रयोग करएवला अधिकारिता, शक्ति (जकरा अंतर्गत अवमाननाक लेल दंड देबाक शक्ति अछि) आ प्राधिकार निर्दिष्ट क' सकैछ;

(ग) उक्त न्यायाधिकरण द्वारा अनुसरण कर'वला प्रक्रियाक लेल (जकरा अंतर्गत सीमा आ साक्ष्यक नियमक लेल उपबंध अछि) उपबंध क' सकैछ;

(घ) अनुच्छेद 136 केर अधीन उच्चतम न्यायालयक अधिकारिताक बिनु सभ न्यायालयक अधिकारिताक ओहि सभ वा कोनो विषयक संबंधमे अपवर्जन क' सकत जे उक्त न्यायाधिकरणक अधिकारिताक अंतर्गत अबैत अछि;

(ङ) सभ एहन न्यायाधिकरणकेँ ओहि विषयक अंतरणक लेल उपबंध क' सकैछ जे एहन न्यायाधिकरणक स्थापनासँ ठीक पहिने कोनो न्यायालय वा आन प्राधिकारीक समक्ष लंबित अछि आ जे, जँ एहन वादक लेल जकरा पर एहन वाद वा कार्यवाही आधारित अछि, न्यायाधिकरणक स्थापनाक बाद उत्पन्न होइत तँ एहन न्यायाधिकरणक अधिकारिताक भीतरे होएत;

(च) एहन अनुपूरक आनुषंगिक आ पारिणामिक उपबंध (जकरा अंतर्गत शुल्कक संबंधमे उपबंध अछि) अंतर्विष्ट क' सकैछ जे समुचित विधान-मंडल एहन न्यायाधिकरणक प्रभावी कार्यकरणक लेल आ ओकरा द्वारा विषयक शीघ्र निपटानक लेल आ ओकर आदेशक प्रवर्तनक लेल आवश्यक बुझल जाए ।

(4) एहि अनुच्छेदक उपबंध एहि संविधानक कोनो दोसर उपबंध मे वा ओहि समय प्रवृत्त कोनो दोसर विधिमे कोनो बातक होइतहुँ प्रभावी होएत ।

स्पष्टीकरण-एहि अनुच्छेदमे, कोनो विषयक संबंधमे, “समुचित विधान-मंडल” सँ, यथास्थित, संसद वा कोनो राज्यक विधान-मंडल अभिप्रेत अछि, जे भाग 11 केर उपबंधक अनुसार एहन विषयक संबंधमे विधि बनएबाक लेल सक्षम अछि ।]

¹ संविधान (पचहत्तरिम संशोधन) अधिनियम, 1993 केर धारा 2 द्वारा (15-5-1994 सँ) उपखंड (झ) केँ (झ) आ उपखंड (ज) केर रूपमे पुनः अक्षरांकित कएल गेल ।

² संविधान (पचहत्तरिम संशोधन) अधिनियम, 1993 केर धारा 2 द्वारा (15-5-1994 सँ) “(ज)” केर स्थान पर प्रतिस्थापित ।

भाग-15

निर्वाचन

324. निर्वाचनक अधीक्षण, निदेशन ओ नियंत्रण, निर्वाचन आयोगमे निहित होएब-(1) एहि संविधानक अधीन संसद आ सभ राज्यक विधान-मंडलक लेल कराओल जाएवला सभ निर्वाचनक लेल एवं राष्ट्रपति आ उपराष्ट्रपतिक पदक लेल निर्वाचनक लेल निर्वाचक-नामावली तैयार करएबाक आ ओहि सभ निर्वाचनक संचालनक अधीक्षण, निदेशन आ नियंत्रण,^{1***} एक आयोगमे निहित होएत (जकरा एहि संविधानमे निर्वाचन आयोग कहल गेल अछि)।

(2) निर्वाचन आयोग मुख्य निर्वाचन आयुक्त आ ओतबा आन निर्वाचन आयुक्तसँ जँ कियो होथि, जतबा राष्ट्रपति समय-समय पर निर्धारित करथि, मिलिक' बनत एवं मुख्य निर्वाचन आयुक्त आ आन निर्वाचन आयुक्तक नियुक्ति, संसद द्वारा एहि निमित्त बनाओल गेल विधिक उपबंधक अधीन रहैत, राष्ट्रपति द्वारा कएल जाएत।

(3) जखन कोनो आन निर्वाचन आयुक्त एहि प्रकारें नियुक्त कएल जाइछ तखन मुख्य निर्वाचन आयुक्त निर्वाचन आयोगक अध्यक्षक रूपमे काज करताह।

(4) लोक-सभाक आ सभ राज्यक विधान-सभाक सभ साधारण निर्वाचनसँ पहिने एवं विधान परिषद वला सभ राज्यक विधान परिषदक लेल पहिल साधारण निर्वाचनसँ पहिने आ ओकर बाद सभ द्विवार्षिक निर्वाचनसँ पहिने राष्ट्रपति निर्वाचन आयोगसँ परामर्श कएलोपरांत खंड (1) द्वारा निर्वाचन आयोगकें देल गेल काजक पालनमे आयोगक सहायताक लेल ओतबा प्रादेशिक आयुक्तक सेहो नियुक्ति क' सकैछ जतबा ओ आवश्यक बुझथि।

(5) संसद द्वारा बनाओल गेल कोनो विधिक उपबंधक अधीन रहैत, निर्वाचन आयुक्त आ प्रादेशिक आयुक्तक सेवाक शर्त आ पदावधि एहन होएत जे राष्ट्रपति नियमसँ सुनिश्चित करथि;

मुदा मुख्य निर्वाचन आयुक्तकें हुनकर पदसँ ओहि प्रक्रियासँ आ ओहि आधार पर हटाओल जाएत, जाहि प्रक्रियासँ आ जाहि आधार पर उच्चतम न्यायालयक न्यायाधीशकें हटाओल जाइछ अन्यथा नहि आ मुख्य निर्वाचन आयुक्तक सेवाक शर्तमे हुनक नियुक्तिक बाद हुनका लेल अलाभकारी परिवर्तन नहि कएल जाएत :

¹ संविधान (उनैसम संशोधन) अधिनियम, 1966 केर धारा 2 द्वारा (11-12-1966 सँ) “जकरा अंतर्गत संसदक आ राज्यक विधानमंडलक निर्वाचन सँ उद्भूत संदेह आ विवादक निर्णयक लेल निर्वाचन न्यायाधिकरणक नियुक्ति सेहो अछि” शब्दकें हटाओल गेल।

(भाग 15-निर्वाचन)

मुदा ई जे कोनो दोसर निर्वाचन आयुक्त वा प्रादेशिक आयुक्तकें मुख्य निर्वाचन आयुक्तक संस्तुतिए पर पदसँ हटाओल जाएत, अन्यथा नहि ।

(6) जखन निर्वाचन आयोग एहन अनुरोध करथि तखन, राष्ट्रपति वा कोनो राज्यक राज्यपाल¹*** निर्वाचन आयोग वा प्रादेशिक आयुक्तकें ओतबा कर्मचारीगण उपलब्ध कराओत जतबा खंड (1) द्वारा निर्वाचन आयोगकें देल गेल काजक निर्वहनक लेल आवश्यक होइक ।

325. धर्म, मूलवंश, जाति वा लिंगक आधार पर कोनो व्यक्तिकें निर्वाचक नामावलीमे सम्मिलनसँ अपात्र घोषित नहि करब एवं धर्म, मूलवंश, जाति वा लिंगक आधार पर कोनो व्यक्तिकें विशेष निर्वाचक नामावलीमे सम्मिलित कएल जएबाक दावा नहि करब-संसदक सभ सदन वा कोनो राज्यक विधान-मंडलक सदन वा सभ सदनक लेल निर्वाचनक लेल सभ प्रादेशिक निर्वाचन-क्षेत्रक लेल एक साधारण निर्वाचक नामावली होएत आ मात्र धर्म, मूलवंश, जाति लिंग वा एहिमे सँ कोनो आधार पर कोनो व्यक्ति एहन कोनो नामावली मे सम्मिलित कएल जएबाक लेल अपात्र नहि होएत वा एहन कोनो निर्वाचन-क्षेत्रक लेल कोनो विशेष निर्वाचक-नामावलीमे सम्मिलित कएल जएबाक दावा नहि करत ।

326. लोक सभा ओ प्रदेशक विधान सभाक लेल निर्वाचन वयस्क मताधिकारक आधार पर होएब-लोक सभा आ सभ राज्यक विधान सभाक लेल निर्वाचन वयस्क मताधिकारक आधार पर होएत अर्थात् सभ व्यक्ति, जे भारतक नागरिक छथि आ एहन तिथिकें, जँ समुचित विधान-मंडल द्वारा बनाओल गेल कोनो विधि द्वारा वा ओकर अधीन एहि निमित्त नियत कएल जाए, कम-सँ-कम²[अठारह वर्ष]क आयुक छथि आ एहि संविधान वा समुचित विधान-मंडल द्वारा बनाओल गेल कोनो विधिक अधीन अनिवास, चित्तविकृति, अपराध वा भ्रष्ट वा अवैध आचरणक आधार पर अन्यथा निकालि नहि देल हो, एहन कोनो निर्वाचनमे मतदाताक रूपमे पंजीकृत होएबाक अधिकारी होएत ।

327. विधान-मंडलक लेल निर्वाचनक संबंधमे उपबंध करबाक संसदक शक्ति-एहि संविधानक उपबंधक अधीन रहैत, संसद समय-समय पर, विधि द्वारा संसदक सभ सदन वा कोनो राज्यक विधान-मंडलक सदन वा सभ सदनक लेल निर्वाचनसँ संबंधित वा संसक्त सभ विषयक संबंधमे, जकरा अंतर्गत निर्वाचक नामावली तैयार कराएब, निर्वाचन-क्षेत्रक परिसीमन आ एहन सदन वा सदनक सम्यक गठन सुनिश्चित करबाक लेल दोसर सभ आवश्यक विषय अछि, जकर उपबंध क' सकैछ ।

¹ संविधान (सातम संशोधन) अधिनियम, 1956 केर धारा 29 आ अनुसूची द्वारा (1-11-1956 सँ) “वा राजप्रमुख” शब्दक लोप कएल गेल ।

² संविधान (एकसठम संशोधन) अधिनियम, 1988 केर धारा 2 द्वारा (28-3-1989 सँ) “एकैस वर्ष”क स्थान पर प्रतिस्थापित ।

328. कोनो प्रदेशक विधान-मंडलक लेल निर्वाचनक संबंधमे उपबंध करबाक ओहि विधान मंडलक शक्ति-एहि संविधानक उपबंधक अधीन रहैत आ जत' धरि संसद एहि निमित्त उपबंध नहि करैछ ओत' धरि, कोनो राज्यक विधान-मंडल समय-समय पर, विधि द्वारा, ओहि राज्यक विधान-मंडलक सदन वा सभ सदनक लेल निर्वाचनसँ संबंधित वा संसक्त सभ विषयक संबंधमे, जकर अंतर्गत निर्वाचक-नामावली तैयार कराएब आ एहन सदन वा सदनक सम्यक गठन सुनिश्चित करबाक लेल आन सभ आवश्यक विषय अछि तकर उपबंध क' सकत ।

329. निर्वाचन संबंधी विषयमे न्यायालयक हस्तक्षेप पर निषेध-¹ [एहि संविधानमे कोनो बातक होइतहुँ ²***--]

(क) अनुच्छेद 327 वा अनुच्छेद 328 केर अधीन बनाओल गेल वा बनाओल जएबाक लेल तत्संबंधित कोनो एहन विधिक विधिमान्यता, जे निर्वाचन-क्षेत्रक परिसीमन वा एहन निर्वाचन-क्षेत्र केँ स्थानक आवंटनसँ संबंधित अछि तकरा कोनो न्यायालयमे प्रश्नगत नहि कएल जाएत;

(ख) संसदक सभ सदन वा कोनो राज्यक विधान-मंडलक सदन वा सभ सदनक लेल कोनो निर्वाचन एहन निर्वाचन अर्जी पर प्रश्नगत कएल जाएत, जे एहन प्राधिकारीकेँ आ एहन प्रक्रिया सँ प्रस्तुत कएल गेल अछि जकर समुचित विधान-मंडल द्वारा बनाओल गेल विधि द्वारा वा ओकर अधीन उपबंध कएल जाए वा नहि ।

³329क. [संसदक लेल प्रधानमंत्री आओर अध्यक्षक विषयमे निर्वाचनक लेल विशेष उपबंध]-संविधान (चौवालीसम संशोधन) अधिनियम, 1978 केर धारा 36 द्वारा (20.6.1979सँ) लोप कएल गेल ।

¹ संविधान (उनचालिसम संशोधन) अधिनियम, 1975 केर धारा 3 द्वारा (10-8-1975 सँ) किछु शब्दक स्थान पर प्रतिस्थापित ।

² संविधान (चौवालीसम संशोधन) अधिनियम, 1978 केर धारा 35 द्वारा (20-6-1979 सँ) “परन्तु अनुच्छेद 329 ‘क’ केर उपबंधक अधीन रहैत” शब्द, अंक आ अक्षरक लोप कएल गेल ।

³ संविधान (उनचालिसम संशोधन) अधिनियम, 1975 केर धारा 4 द्वारा (10-8-1975 सँ) अंतःस्थापित ।

भाग-16

कतिपय वर्गक संबंधमे विशेष उपबंध

330. लोकसभामे अनुसूचित जाति ओ अनुसूचित जनजातिक लेल स्थानक आरक्षण-(1)
लोकसभामे-

(क) अनुसूचित जातिक लेल,

¹[(ख) असमक स्वशासी जिला केर अनुसूचित जनजातिकें छोड़ि कए दोसर अनुसूचित जनजातिक लेल; आओर]

(ग) असमक स्वशासी जिलाक अनुसूचित जनजातिक लेल स्थान आरक्षित रहत ।

(2) खंड (1) केर अधीन कोनो राज्य ²[वा केन्द्र शासित प्रदेश] मे अनुसूचित जाति वा अनुसूचित जनजातिक लेल आरक्षित स्थानक संख्याक अनुपात, लोक सभामे ओहि राज्य ²[वा केन्द्र शासित प्रदेश] केँ आवंटित स्थानक कुल संख्यासँ यथासाध्य वएह होएत जे, यथास्थिति, ओहि राज्य ²[वा केन्द्र शासित प्रदेश]क अनुसूचित जातिक अथवा ओहि राज्य ²[वा केन्द्र शासित प्रदेश]क वा ओहि राज्य ²[वा केन्द्र शासित प्रदेश]क भागक अनुसूचित जनजातिक, जकरा संबंधमे स्थान एहि प्रकारें आरक्षित अछि, जनसंख्याक अनुपात ओहि राज्य ²[वा केन्द्र शासित प्रदेश] क कुल जनसंख्यासँ अछि ।

³[(3) खंड (2) मे कोनो बातक होइतहुँ, लोक सभामे असमक स्वशासी जिलाक अनुसूचित जनजातिक लेल आरक्षित स्थानक संख्याक अनुपात, ओहि राज्यकेँ आवंटित स्थानक कुल संख्याक ओहि अनुपातसँ कम नहि होएत जे उक्त स्वशासी जिलाक अनुसूचित जनजातिक जनसंख्याक अनुपात ओहि राज्यक कुल जनसंख्यासँ अछि ।]

⁴[स्पष्टीकरण-एहि अनुच्छेदमे आ अनुच्छेद 332 मे, “जनसंख्या” पदसँ एहन अंतिम पूर्ववर्ती जनगणनामे अभिनिश्चित कएल गेल जनसंख्या अभिप्रेत अछि जकर सुसंगत आँकड़ा प्रकाशित भ’ गेल अछि:

मुदा एहि स्पष्टीकरणमे अंतिम पूर्ववर्ती जनगणनाक प्रति, जकर सुसंगत आँकड़ा प्रकाशित भ’ गेल अछि, निर्देशक, जाधरि सन, ⁵[2026]क बाद कएल गेल पहिल जनगणनाक सुसंगत आँकड़ा प्रकाशित नहि भ’ जाइछ, ई अर्थ लगाओल जाएत जे ओ ⁶[2001] केर जनगणनाक प्रति निर्देश अछि ।]

¹ संविधान (एकाबनम संशोधन) अधिनियम, 1984 केर धारा 2 द्वारा (16-6-1986 सँ) उपखंड (ख) केर स्थान पर प्रतिस्थापित ।

² संविधान (सातम संशोधन) अधिनियम, 1956 केर धारा 29 आ अनुसूची द्वारा-(11-11-1956 सँ) अंतःस्थापित ।

³ संविधान (एकतीसम संशोधन) अधिनियम, 1973 केर धारा 3 द्वारा (17-10-1973 सँ) अंतःस्थापित ।

⁴ संविधान (बियालिसम संशोधन) अधिनियम, 1976 के धारा 47 द्वारा (3-1-1977 सँ) अंतःस्थापित ।

⁵ संविधान (चौरासियम संशोधन) अधिनियम, 2001 केर धारा 6 द्वारा (21-2-2002 सँ) “2000” केर स्थान पर प्रतिस्थापित ।

⁶ संविधान (सतासियम संशोधन) अधिनियम, 2003 केर धारा 5 द्वारा (22-2-2003 सँ) “1991” केर स्थान पर प्रतिस्थापित ।

1330क लोक सभामे महिला लोकनिक लेल स्थानक आरक्षण-

- (1) लोक सभामे महिला लोकनिक लेल स्थान आरक्षित रहत ।
- (2) अनुच्छेद 330 केर खंड (2) केर अधीन आरक्षित कुल स्थानमे सँ यथासाध्य एक-तिहाई स्थान अनुसूचित जाति वा अनुसूचित जनजातिक महिला लोकनिक लेल आरक्षित रहत ।
- (3) लोक सभामे प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा भरल जाएवला कुल स्थानमे सँ यथासंभव एक-तिहाई (अनुसूचित जाति आ अनुसूचित जनजातिक महिला लोकनिक लेल आरक्षित स्थानक संख्या सहित) महिला लोकनिक लेल आरक्षित रहत ।]

331. लोक सभामे आंग्ल-भारतीय समुदायक प्रतिनिधित्व-अनुच्छेद 81 मे कोनो बातक होइतहुँ जँ राष्ट्रपतिक ई राय अछि जे लोक सभामे आंग्ल-भारतीय समुदायक प्रतिनिधित्व पर्याप्त नहि अछि तँ ओ लोक सभामे ओहि समुदायक दुईसँ बेसी सदस्यक नाम निर्देशित क' सकैत अछि ।

332. राज्यक विधान सभामे अनुसूचित जाति ओ अनुसूचित जनजातिक लेल स्थानक आरक्षण-
2*** सभ राज्यक विधान सभामे अनुसूचित जातिक लेल आ 3[असमक स्वशासी जिलाक अनुसूचित जनजातिकें छोड़िक'] दोसर अनुसूचित जनजातिक लेल स्थान आरक्षित रहत ।

- (2) असम राज्यक विधान सभामे स्वशासी जिलाक लेल सेहो स्थान आरक्षित रहत ।
- (3) खंड (1) केर अधीन कोनो राज्यक विधान सभामे अनुसूचित जाति वा अनुसूचित जनजातिक लेल आरक्षित स्थानक संख्याक अनुपात, ओहि विधान सभामे स्थानक कुल संख्यासँ यथासाध्य वएह होएत जे यथास्थित, ओहि राज्यक अनुसूचित जातिक अथवा ओहि राज्यक वा ओहि राज्यक कोनो ठामक अनुसूचित जनजातिक जकरा लेल स्थान एहि प्रकारँ आरक्षित अछि, जनसंख्याक अनुपात ओहि राज्यक कुल जनसंख्यासँ अछि ।

4[(3क) खंड (3) मे कोनो बातक होइतहुँ सन् 5[2026] केर बाद कएल गेल पहिल जनगणनाक आधार पर, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम आ नगालैंड राज्यक विधान सभामे स्थानक संख्याक अनुच्छेद 170 केर अधीन, फेरसँ समायोजनक प्रभावी होएवा धरि, जे स्थान एहन कोनो राज्यक विधान सभामे अनुसूचित जनजातिक लेल आरक्षित कएल जाएत ओ-]

¹ संविधान (एक सय छठम संशोधन) अधिनियम, 2023 केर धारा 3 द्वारा (तिथि एखन अधिसूचित कएल जाएबाक अछि, सँ) अंतःस्थापित ।

² संविधान (एकावनम संशोधन) अधिनियम, 1984 केर धारा 3 द्वारा (16-6-1986 सँ) किछु शब्दक स्थान पर प्रतिस्थापित ।

³ संविधान (सातम संशोधन) अधिनियम, 1956 केर धारा 29 आ अनुसूची द्वारा (1-11-1956 सँ) “पहिल अनुसूचीक भाग ‘क’ वा भाग ‘ख’ मे निर्दिष्ट” शब्द आ अक्षरक लोप कएल गेल ।

⁴ संविधान (सत्तावनम संशोधन) अधिनियम, 1987 केर धारा 2 द्वारा (21-9-1987 सँ) अंतःस्थापित ।

⁵ संविधान (चौरासियम संशोधन) अधिनियम, 2001 केर धारा 7 द्वारा (21-2-2002 सँ) “2000” केर स्थान पर प्रतिस्थापित ।

(भाग 16-कतिपय वर्गक संबंधमे विशेष उपबंध)

(क) जँ संविधान (संतावनम संशोधन) अधिनियम 1987 केर प्रवृत्त होएबाक तिथिकेँ एहन राज्यक विद्यमान विधान सभामे (जकरा एहि खंडमे एकर बाद विद्यमान विधान सभा कहल गेल अछि) सभ स्थान अनुसूचित जनजातिक सदस्य द्वारा धारित अछि तँ, एक स्थान केँ छोड़िक' सभ स्थान होएत; आ

(ख) कोनो दोसर स्थितिमे, ओतबा स्थान होएत, जेकर संख्याक अनुपात, स्थानक कुल संख्याक ओहि अनुपातसँ कम नहि होएत जे विद्यमान विधान सभामे अनुसूचित जनजातिक सदस्यक (उक्त तिथिकेँ यथा विद्यमान) संख्याक अनुपात विद्यमान विधान सभामे स्थानक कुल संख्या सँ अछि।]

¹[(3 ख) खंड (3) मे कोनो बातक होइतहुँ, सन् ²[2026] केर बाद कएल गेल पहिल जनगणनाक आधार पर, त्रिपुरा राज्यक विधान सभामे स्थानक संख्याक अनुच्छेद 170 केर अधीन, फेर सँ समायोजनक प्रभावी होएबा धरि, जे स्थान ओहि विधान सभामे अनुसूचित जनजातिक लेल आरक्षित कएल जाएत ओ ओतबा स्थान होएत जेकर संख्याक अनुपात, स्थानक कुल संख्याक ओहि अनुपातसँ कम नहि होएत जे विद्यमान विधान सभामे अनुसूचित जनजातिक सदस्यक, संविधान (बहतरम संशोधन) अधिनियम, 1992 केर प्रवृत्त होएबाक तिथिकेँ विद्यमान संख्याक अनुपात उक्त तिथिकेँ ओहि विधान सभामे स्थानक कुल संख्यासँ अछि।]

(4) असम राज्यक विधान सभामे कोनो स्वशासी जिलाक लेल आरक्षित स्थानक संख्याक अनुपात, ओहि विधान सभामे स्थानक कुल संख्याक ओहि अनुपातसँ कम नहि होएत जे ओहि जिलाक जनसंख्याक अनुपात ओहि राज्यक कुल जनसंख्यासँ अछि।

(5) ³**** असमक कोनो स्वशासी जिलाक लेल आरक्षित स्थानक निर्वाचन-क्षेत्रमे ओहि जिलाक बाहरक कोनो क्षेत्र समाविष्ट नहि होएत।

(6) कोनो व्यक्ति जे असम राज्यक कोनो स्वशासी जिलाक अनुसूचित जनजातिक सदस्य नहि छथि ओहि राज्यक विधान सभाक लेल ओहि जिलाक कोनो निर्वाचन-क्षेत्रसँ निर्वाचित होएबाक लेल योग्य नहि होएत:

⁴[मुदा असम राज्यक विधान सभाक निर्वाचनक लेल, बोडोलैंड प्रादेशिक परिषद क्षेत्र जिलामे सम्मिलित निर्वाचन-क्षेत्रमे अनुसूचित जनजाति आ गैर-अनुसूचित जनजातिक प्रतिनिधित्व जे ओहि

¹ संविधान (बहतरम संशोधन अधिनियम, 1992 केर धारा 2 द्वारा (5-12-1992 सँ) अंतःस्थापित।

² संविधान (चौरासियम संशोधन) अधिनियम, 2001 केर धारा 7 द्वारा (21-2-2002 सँ) “2000” केर स्थान पर प्रतिस्थापित।

³ पूर्वोत्तर क्षेत्र (पुनर्गठन) अधिनियम, 1971 (1971 केर 81) केर धारा 71 द्वारा (21-1-1972 सँ) किछु शब्दक लोप कएल गेल।

⁴ संविधान (नब्बेयम संशोधन) अधिनियम, 2003 केर धारा 2 द्वारा (28-9-2003 सँ) अंतःस्थापित।

(भाग 16-कतिपय वर्गक संबंधमे विशेष उपबंध)

तरहँ अधिसूचित कएल गेल छल आ बोडोलैंड प्रादेशिक क्षेत्र जिलाक गठन सँ पूर्व विद्यमान छल, बनाओल राखल जाएत।]

¹**332क राज्यक विधान सभामे महिला लोकनिक लेल स्थानक आरक्षण-**(1) प्रत्येक राज्यक विधान सभामे महिला लोकनिक लेल स्थान आरक्षित होएत।

(2) अनुच्छेद 332 केर खंड (3) केर अधीन आरक्षित कुल स्थानमे सँ यथासंभव एक-तिहाई स्थान अनुसूचित जाति वा अनुसूचित जनजातिक महिला लोकनिक लेल आरक्षित रहत।

(3) प्रत्येक राज्यक विधान सभामे प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा भरल जाएवला कुल स्थानमे सँ यथासंभव एक-तिहाई (अनुसूचित जाति आ अनुसूचित जनजातिक महिला लोकनिक लेल आरक्षित स्थानक संख्या सहित) महिला लोकनिक लेल आरक्षित रहत।]

333. राज्यक विधान सभामे आंग्ल-भारतीय समुदायक प्रतिनिधित्व-अनुच्छेद 170 मे कोनो बातक होइतहुँ जँ कोनो राज्यक राज्यपालक ²*** विचार छन्हि जे ओहि राज्यक विधान सभामे आंग्ल-भारतीय समुदायक प्रतिनिधित्व आवश्यक अछि आ ओहिमे हुनक प्रतिनिधित्व पर्याप्त नहि अछि तँ ओ ओहि विधान सभामे ³[ओहि समुदायक एक सदस्यक नाम निर्देशित कए सकैत अछि]।

334. ⁴[स्थानक आरक्षण आओर विशेष प्रतिनिधित्वक कतिपय अवधिक बाद समाप्ति]-एहि भागक पूर्वगामी उपबंधमे कोनो बातक होइतहुँ, -

(क) लोक सभामे आ राज्यक विधान सभामे अनुसूचित जाति आ अनुसूचित जनजातिक लेल स्थानक आरक्षण संबंधी, आ

(ख) लोक सभामे आ राज्यक विधान सभामे मनोनयन द्वारा आंग्ल-भारतीय समुदायक प्रतिनिधित्व संबंधी,

¹ संविधान (एक सय छठम संशोधन) अधिनियम, 2023 केर धारा 4 द्वारा (तिथि एखन अधिसूचित कएल जएबाक अछि, सँ) अंतःस्थापित।

² संविधान (सातम संशोधन) अधिनियम, 1956 केर धारा 29 आ अनुसूची द्वारा (1-11-1956 सँ) “वा राजप्रमुख” शब्दक लोप कएल गेल।

³ संविधान (तेइसम संशोधन) अधिनियम, 1969 केर धारा 4 द्वारा (23-1-1970 सँ) “ओहि विधान सभामे ओहि समुदायक जतबा सदस्य ओ समुचित बुझए नाम निर्देशित क सकताह” केर स्थान पर प्रतिस्थापित।

⁴ संविधान (एक सए चारिम संशोधन) अधिनियम, 2019 केर धारा 2 पार्श्वशीर्ष द्वारा (25-1-2020 सँ) प्रतिस्थापित।

(भाग 16-कतिपय वर्गक संबंधमे विशेष उपबंध)

एहि संविधानक उपबंध एहि संविधानक प्रारंभसँ ¹[खंड (क) केर संबंधमे अस्सी वर्ष आ खंड (ख) केर संबंधमे सत्तर वर्ष]क अवधिक समाप्ति पर प्रभावी नहि रहत :

मुदा एहि अनुच्छेदक कोनो बातसँ लोक सभामे वा कोनो राज्यक विधान सभामे कोनो प्रतिनिधित्व पर ताधरि कोनो प्रभाव नहि पड़त जाधरि, यथास्थिति, ओहि समय विद्यमान लोक सभा वा विधान सभाक विघटन नहि भए जाइत अछि ।

²[334क महिला लोकनिक लेल स्थानक आरक्षण लागू-(1) एहि भाग वा भाग VIII केर पूर्वगामी प्रावधानमे कोनो बातक रहितहुँ, लोक सभा, कोनो राज्यक विधान सभा आ राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्लीक विधान सभामे महिला लोकनिक लेल स्थानक आरक्षणसँ संबंधित संविधानक प्रावधान संविधान (एक सय छठम संशोधन) अधिनियम, 2023 केर प्रारंभ भेलाक पश्चात् कएल गेल पहिल जनगणनाक प्रासंगिक आंकड़ा प्रकाशित भेलाक पश्चात् एहि प्रयोजनक लेल परिसीमनक प्रक्रिया शुरू भेलाक बाद प्रभावी होएत आ एहन प्रारंभसँ पन्द्रह वर्षक अवधिक समाप्ति पर प्रभावी नहि रहत ।

(2) अनुच्छेद 239कक, 330क आ 332क केर उपबंधक अधीन रहैत, लोक सभा, कोनो राज्यक विधान सभा आ राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्लीक विधान सभामे महिला लोकनिक लेल आरक्षित स्थान ओहि तिथि धरि जारी रहत, जकरा संसद विधि द्वारा निर्धारित करए ।

(3) लोक सभा, राज्य विधान सभा आ राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली विधान सभामे महिला लोकनिक लेल आरक्षित स्थानक चक्रानुक्रम संसद द्वारा विधि द्वारा निर्धारित प्रत्येक अनुवर्ती परिसीमनक पश्चात् लागू होएत ।

(4) एहि अनुच्छेदक कोनो बात लोक सभा, कोनो राज्यक विधान सभा वा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली केर विधान सभामे कोनो प्रतिनिधित्व पर ताधरि प्रभाव नहि देत जाधरि तत्कालीन विद्यमान लोक सभा, कोनो राज्यक विधान सभा वा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्लीक विधान सभा भंग नहि भ' जाए ।]

335. सेवा ओ पदक लेल अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातिक दावा-संघ वा कोनो राज्यक कार्यकलापसँ संबंधित सेवा आ पदक लेल नियुक्ति कर' मे, अनुसूचित जाति आ अनुसूचित जनजातिक सदस्यक दावाकेँ प्रशासनक दक्षता बनौने रखबाक संगतिक अनुसार ध्यान राखल जाएत :

¹ संविधान (एक सए चारिम संशोधन) अधिनियम, 2019 केर धारा 2 द्वारा (25-1-2020 सँ) “सत्तर वर्ष”क स्थान पर प्रतिस्थापित । संविधान (पंचानवेयम संशोधन) अधिनियम, 2009 केर धारा 2 द्वारा (25-1-2010 सँ) “साठि वर्ष”क स्थान पर “सत्तर वर्ष” प्रतिस्थापित । संविधान (उनासीयम संशोधन) अधिनियम, 1999 केर धारा 2 द्वारा (25-1-2000 सँ) “पचास वर्ष”क स्थान पर “साठि वर्ष” शब्द प्रतिस्थापित । संविधान (बासठम संशोधन) अधिनियम, 1989 केर धारा 2 द्वारा (20-12-1989 सँ) “चालीस वर्ष”क स्थान पर “पचास वर्ष” शब्द प्रतिस्थापित । संविधान (पैतालिसम संशोधन) अधिनियम 1980 केर धारा 2 द्वारा (25-1-1980) “तीस वर्ष” मूल शब्दक स्थान पर “चालीस वर्ष” शब्द प्रतिस्थापित कएल गेल छल ।

² संविधान (एक सय छठम संशोधन) अधिनियम, 2023 केर धारा 5 द्वारा (तिथि एखन अधिसूचित कएल जएबाक अछि, सँ) अंतःस्थापित ।

¹[मुदा एहि अनुच्छेदक कोनो बात अनुसूचित जाति आ अनुसूचित जनजातिक सदस्यक पक्षमे, संघ वा कोनो राज्यक कार्यकलापसँ संबंधित सेवाक कोनो वर्ग वा वर्गमे वा पद पर प्रोन्नतिक मामिलामे आरक्षणक लेल, कोनो परीक्षामे उत्तीर्णाक छूट देबाक लेल वा मूल्यांकनक मानककें घटएबाक लेल उपबंध करबासँ मना नहि करत ।]

336. कतिपय सेवामे आंग्ल-भारतीय समुदायक लेल विशेष उपबंध-(1) एहि संविधानक आरंभक बाद पहिल दुई वर्षक अवधिमे, संघक रेल, सीमा शुल्क, डाक आ तार संबंधी सेवामे पदक लेल आंग्ल-भारतीय समुदायक सदस्यक नियुक्ति ओहि आधार पर कएल जाएत जाहि आधार पर 15 अगस्त 1947सँ ठीक पहिने कएल जाइत छल ।

सभ उत्तरवर्ती दुई वर्षक समयावधि मध्य उक्त समुदायक सदस्यक लेल, उक्त सेवामे आरक्षित पदक संख्या ठीक पूर्ववर्ती दुई वर्षक समयावधि मध्य एहि प्रकारँ आरक्षित संख्यासँ यथासंभव निकटतम दस प्रतिशत कम होएत:

मुदा एहि संविधानक आरंभसँ दस वर्षक अंतमे एहन सभ आरक्षण खत्म भ' जाएत ।

(2) जँ आंग्ल-भारतीय समुदायक सदस्य दोसर समुदायक सदस्यक तुलनामे गुणागुणक आधार पर नियुक्तिक लेल योग्य पाओल जाए तँ खंड (1) केर अधीन ओहि समुदायक लेल आरक्षित पदसँ भिन्न वा ओकर अतिरिक्त पद पर आंग्ल-भारतीय समुदायक सदस्यक नियुक्तिकें ओहि खंडक कोनो बात वर्जित नहि करत ।

337. आंग्ल-भारतीय समुदायक लाभक लेल शैक्षिक अनुदानक लेल विशेष उपबंध-एहि संविधानक आरंभक बाद, पहिल तीन वित्तीय वर्षक मध्य आंग्ल-भारतीय समुदायक लाभक लेल शिक्षाक संबंधमे संघ आ ²*** सभ राज्य द्वारा वएह अनुदान देल जाएत जे 31 मार्च, 1948 कें समाप्त होमए वाला वित्तीय वर्षमे देल गेल छल ।

सभ उत्तरवर्ती तीन वर्षक समयावधिक क्रममे अनुदान ठीक पूर्ववर्ती तीन वर्षक समयावधिक अपेक्षा दस प्रतिशत कम भ' सकैछ:

मुदा एहि संविधानक आरंभसँ दस वर्षक अंतमे एहन अनुदान जाहि मात्रा धरि ओ आंग्ल-भारतीय समुदायक लेल विशेष छूट अछि एक मात्रा धरि समाप्त भ' जाएत:

मुदा ई आर जे कोनो शिक्षा संस्था एहि अनुच्छेदक अधीन अनुदान प्राप्त करबा लेल ताधरि हकदार नहि होएत जाधरि ओकर वार्षिक प्रवेशमे कम सँ कम चालीस प्रतिशत प्रवेश आंग्ल-भारतीय समुदायसँ भिन्न समुदायक सदस्यक लेल उपलब्ध नहि कराओल जाइत अछि ।

¹ संविधान (बेरासियम संशोधन) अधिनियम, 2000 केर धारा 2 द्वारा (6-9-2000 सँ) अंतःस्थापित ।

² संविधान (सातम संशोधन) अधिनियम, 1956 केर धारा 29 आ अनुसूची द्वारा (1-11-1956 सँ) “पहिल अनुसूचीक भाग ‘क’ वा भाग ‘ख’ मे निर्दिष्ट” शब्द आ अक्षरक लोप कएल गेल ।

(भाग 16-कतिपय वर्गक संबंधमे विशेष उपबंध)

338. ¹[राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग]-²[³[(1) अनुसूचित जातिक लेल एक गोट आयोग होएत जे राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोगक नामसँ जानल जाएत।]]

(2) संसद द्वारा एहि निमित्त बनाओल गेल कोनो विधिक उपबंधक अधीन रहैत आयोग एक अध्यक्ष एक उपाध्यक्ष आ तीन आन-आन सदस्यसँ मिलिक' बनत आ एहि प्रकारेँ नियुक्त कएल गेल अध्यक्ष, उपाध्यक्ष आ आन सदस्यक सेवाक शर्त आ पदावधि एहन होएत जे राष्ट्रपति नियम द्वारा सुनिश्चित करथि।]

(3) राष्ट्रपति अपन हस्ताक्षर आ मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा आयोगक अध्यक्ष, उपाध्यक्ष आ आन सदस्यकेँ नियुक्त करताह।

(4) आयोगकेँ अपन प्रक्रिया स्वयं विनियमित करबाक शक्ति होएत।

(5) आयोगक ई कर्तव्य होएत जे ओ, -

(क) अनुसूचित जातिक ¹**** लेल एहि संविधान वा तत्समय प्रवृत्त कोनो अन्य विधि वा सरकारक कोनो आदेशक अधीन उपबंधित उपायसँ संबंधित सभ विषय सभक अनुसंधान करए आ ओहि पर नजरि राखए, संगहि एहन उपायक कार्यकरणकेँ मूल्यांकन करए।

(ख) अनुसूचित जाति ⁴*** केँ अधिकार आ रक्षाक उपायसँ वंचित करबाक बातक निर्दिष्ट शिकायतक जाँच करथि;

(ग) अनुसूचित जातिक ¹*** सामाजिक-आर्थिक विकासक योजना प्रक्रियामे भाग लेथि आ ओहि पर सलाह देथि एवं संघ आ कोनो राज्यक अधीन हुनक विकासक प्रगतिक मूल्यांकन करथि;

(घ) ओहि रक्षाक उपायक काजक संबंधमे प्रतिवर्ष आ एहन आन समय पर जे आयोग ठीक बुझए, राष्ट्रपतिकेँ प्रतिवेदन देबए;

(ङ) एहन प्रतिवेदनमे ओहि उपायक संबंधमे जे ओहि रक्षाक उपायक प्रभावपूर्ण कार्यान्वयनक लेल संघ वा कोनो राज्य द्वारा कएल जएबाक चाही,

¹ संविधान (नवासियस संशोधन) अधिनियम, 2003 केर धारा 2 द्वारा (19-2-2004 सँ) पार्श्व शीर्ष केर स्थान पर प्रतिस्थापित।

² संविधान (पैसठम संशोधन) अधिनियम, 1990 केर धारा 2 द्वारा (12-3-1992 सँ) खंड (1) आ खंड (2) केर स्थान पर प्रतिस्थापित।

³ संविधान (नवासियम संशोधन) अधिनियम, 2003 केर धारा 2 द्वारा (19-2-2004 सँ) खंड (1) आ (2) केर स्थान पर प्रतिस्थापित।

⁴ संविधान (नवासियम संशोधन) अधिनियम, 2003 केर धारा 2 द्वारा (19-2-2004 सँ) “आ अनुसूचित जनजाति” शब्दक लोप कएल गेल।

(भाग 16-कतिपय वर्गक संबंधमे विशेष उपबंध)

एवं अनुसूचित जातिक ^{1****} संरक्षण, कल्याण आ सामाजिक-आर्थिक विकासक लेल आन उपायक संबंधमे संस्तुति करत;

(च) अनुसूचित जातिक ^{1****} संरक्षण, कल्याण, विकास एवं उन्नयनक संबंधमे एहन आन कार्यक निर्वहन करथि जे राष्ट्रपति संसद द्वारा बनाओल गेल कोनो विधिक उपबंधक अधीन रहैत, नियमसँ विनिर्दिष्ट करथि।

(6) राष्ट्रपति एहन सभ प्रतिवेदनकें संसदक सभ सदनक समक्ष रखबौताह आ ओकर संगे संघसँ संबंधित संस्तुति पर कएल गेल वा कएल जएबाक लेल प्रस्थापित कार्यवाई एवं जँ कोनो एहन संस्तुति अस्वीकृत कएल गेल अछि तँ अस्वीकृतिक कारण कें स्पष्ट कर' वला ज्ञापन सेहो होएत।

(7) जत' कोनो एहन प्रतिवेदन, वा ओकर कोनो भाग कोनो एहन विषयसँ संबंधित अछि जकर कोनो राज्य सरकारसँ संबद्ध अछि तँ एहन प्रतिवेदनक एक प्रति ओहि राज्यक राज्यपालकें पठाओल जाएत जे ओहि राज्यक विधान-मंडलक समक्ष रखबाओत आ ओकरा संग राज्यसँ संबंधित संस्तुति पर कएल गेल वा कएल जएबाक लेल प्रस्थापित कार्यवाई एवं जँ कोनो संस्तुति अस्वीकृत कएल गेल अछि तँ अस्वीकृतिक कारणकें स्पष्ट कर' वला ज्ञापन सेहो होएत।

(8) आयोगकें खंड (5) केर उपखंड (क) मे निर्दिष्ट कोनो विषयक अन्वेषण करैत काल वा उपखंड (ख) मे निर्दिष्ट कोनो परिवादक संबंधमे जाँच करबा काल, विशिष्टतया निम्नलिखित विषयक संबंधमे, ओ सभ शक्ति होएत जे वाद केर विचार करबा काल व्यवहार न्यायालयकें अछि, अर्थात् :-

(क) भारतक कोनो भाग सँ कोनो व्यक्तिकें सम्मन करब आ हाजिर कराएब एवं शपथ पर ओकर परीक्षा कराएब;

(ख) कोनो दस्तावेजकें प्रकट आ प्रस्तुत करबाक अपेक्षा करब;

(ग) शपथपत्र पर साक्ष्य ग्रहण करब;

(घ) कोनो न्यायालय वा कार्यालयसँ कोनो लोक अभिलेख वा ओकर प्रतिक अपेक्षा करब;

(ङ) साक्ष्य आ दस्तावेजक परीक्षाक लेल आदेश पारित करब;

(च) कोनो आन विषय जे राष्ट्रपति, नियम द्वारा सुनिश्चित करथि।

(9) संघ आ सभ राज्य सरकार अनुसूचित जातिकें ^{1****} प्रभावित कर'वला सभ महत्वपूर्ण नीतिगत विषय पर आयोगसँ परामर्श करत।]

²[(10) एहि अनुच्छेदमे अनुसूचित जातिक ^{1****} प्रति निर्देशक ई अर्थ लगाओल जाएत जे एकरा अंतर्गत ^{3****} आंग्ल-भारतीय समुदायक प्रति निर्देश सेहो अछि]

⁴[338क. **राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग**-(1) अनुसूचित जनजातिक लेल एक आयोग होएत जे राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोगक नामसँ ज्ञात होएत।]

¹ संविधान (नवासियम संशोधन) अधिनियम, 2003 केर धारा 2 द्वारा (19-2-2004 सँ) “आ अनुसूचित जनजाति” शब्दक लोप कएल गेल।

² संविधान (पैसठम संशोधन) अधिनियम, 1990 केर धारा 2 द्वारा (12-3-1992 सँ) खंड (3) कें खंड (10) केर रूपमे पुनःसंख्याकित कएल गेल।

³ संविधान (एक सयम संशोधन) अधिनियम, 2018 केर धारा 2 द्वारा (15-8-2018 सँ) “एहन आन पिछड़ल वर्गक प्रति निर्देश जकरा राष्ट्रपति अनुच्छेद 340 केर खंड (1) केर अधीन नियुक्त आयोगक प्रतिवेदनक प्राप्ति पर आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट करथि आ आंग्ल-भारतीय समुदायक प्रति निर्देश सेहो अछि” शब्द, अंक आ कोष्ठकक स्थान पर प्रतिस्थापित।

⁴ संविधान (नवासियम संशोधन) अधिनियम, 2003 केर धारा 3 द्वारा (19-2-2004 सँ) अनुच्छेद 338 क कें अंतःस्थापित कएल गेल।

(भाग 16-कतिपय वर्गक संबंधमे विशेष उपबंध)

(2) संसद द्वारा एहि निमित्त बनाओल गेल कोनो विधिक उपबंधक अधीन रहैत, आयोग एक अध्यक्ष, उपाध्यक्ष आ तीन आन सदस्यसँ मिलिक' बनत आ एहि प्रकारँ नियुक्त कएल गेल अध्यक्ष, उपाध्यक्ष आ आन सदस्यक सेवाक शर्त आ पदावधि एहन होएत जे राष्ट्रपति, नियमतः सुनिश्चित करथि ।

(3) राष्ट्रपति अपन हस्ताक्षर आ मुद्राक संग अधिपत्र द्वारा आयोगक अध्यक्ष, उपाध्यक्ष आ आन सदस्यक नियुक्त करताह ।

(4) आयोगकेँ अपन प्रक्रिया स्वयं नियमित करबाक शक्ति होएत ।

(5) आयोगक ई कर्तव्य होएत जे ओ, -

(क) अनुसूचित जनजातिक लेल एहि संविधान वा ओहि समय प्रवृत्त कोनो आन विधि वा सरकारक कोनो आदेशक अधीन उपबंधित रक्षाक उपायसँ संबंधित सभ विषयक अन्वेषण करथि आ ओहि पर निगरानी सेहो रखथि एवं एहन रक्षाक उपायक कार्य आ कारणक मूल्यांकन करथि;

(ख) अनुसूचित जनजातिकेँ हुनक अधिकार आ रक्षाक उपायसँ वंचित करबाक संबंधमे विनिर्दिष्ट शिकायतक जाँच करथि;

(ग) अनुसूचित जनजातिक सामाजिक-आर्थिक विकासक योजना प्रक्रियामे भाग लेथि आ ओहि पर विचार देथि एवं संघ आ कोनो राज्यक अधीन ओकर विकासक प्रगतिक मूल्यांकन करथि;

(घ) ओहि रक्षा उपायक कार्य आ कारणक संबंधमे प्रतिवर्ष आ एहन आन समय पर, आयोग जे ठीक बुझए, राष्ट्रपतिकेँ रिपोर्ट प्रस्तुत करथि;

(ङ) एहन रिपोर्टमे ओहि उपायक संबंधमे जे ओहि रक्षा उपायक प्रभावपूर्ण कार्यान्वयनक लेल संघ वा कोनो राज्य द्वारा कएल जएबाक चाही एवं अनुसूचित जनजातिक संरक्षण, कल्याण आ सामाजिक-आर्थिक विकासक लेल आन उपायक संबंधमे अनुशंसा करथि; आ

(च) अनुसूचित जनजातिक संरक्षण, कल्याण आ विकास एवं उन्नयनक संबंधमे एहन आन कार्यक निर्वहन करथि जे राष्ट्रपति, संसद द्वारा बनाओल गेल कोनो विधिक उपबंधक अधीन रहैत, नियम द्वारा विनिर्दिष्ट करथि ।

(6) राष्ट्रपति एहन सभ रिपोर्टकेँ संसदक प्रत्येक सदनक समक्ष रखबौताह आ हुनका संगे संघसँ संबंधित अनुशंसा पर कएल गेल वा कएल जएबाक लेल प्रस्थापित कार्यवाही एवं जँ कोनो एहन अनुशंसा अस्वीकृत कएल गेल अछि तँ अस्वीकृतिक कारणकेँ स्पष्ट कर' वला ज्ञापन सेहो होएत ।

(7) जत' कोनो एहन रिपोर्ट वा ओकर कोनो अंश कोनो एहन विषयसँ संबंधित अछि जकर कोनो राज्य सरकारसँ संबंध अछि तँ एहन रिपोर्टक एक प्रति ओहि राज्यक राज्यपालकेँ पठाओल जाएत जे ओहि राज्यक विधान-मंडलक समक्ष रखबाओत आ ओकरा संगे राज्यसँ संबंधित अनुशंसा पर कएल गेल वा कएल जएबाक लेल प्रस्थापित कार्यवाही एवं जँ कोनो एहन संस्तुति अस्वीकृत कएल गेल अछि तँ अस्वीकृतिक कारणकेँ स्पष्ट कर' वला ज्ञापन सेहो रहत ।

(भाग 16-कतिपय वर्गक संबंधमे विशेष उपबंध)

(8) आयोग कैं, खंड (5) केर उपखंड (क) मे निर्दिष्ट कोनो विषयक अन्वेषण करैत काल वा उपखंड (ख) मे निर्दिष्ट कोनो परिवादक संबंधमे जाँच करैत काल, विशिष्टतया निम्नलिखित विषयक संबंधमे, ओ सभ शक्ति होएत जे वादक विचार करैत काल व्यवहार न्यायालयकें अछि, अर्थात् :-

(क) भारतक कोनो भागसँ कोनो व्यक्ति कैं सम्मन करब आ उपस्थित कराएब एवं शपथ पर हुनक परीक्षा कराएब;

(ख) कोनो दस्तावेजकें प्रकट आ प्रस्तुत करबाक अपेक्षा करब;

(ग) शपथपत्र पर साक्ष्य ग्रहण करब;

(घ) कोनो न्यायालय वा कार्यालयसँ कोनो लोक अभिलेख वा ओकर प्रतिक अपेक्षा करब;

(ङ) साक्ष्य आ दस्तावेजक परीक्षाक लेल आदेश पारित करब;

(च) कोनो आन विषय, जे राष्ट्रपति, नियम द्वारा सुनिश्चित करथि ।

(9) संघ आ सभ राज्य सरकार, अनुसूचित जनजातिकें प्रभावित कर' वला सभ महत्वपूर्ण नीतिगत विषय पर आयोगसँ परामर्श करत ।]

¹[338ख. राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग-(1) सामाजिक आ शैक्षिक दृष्टिसँ पिछड़ल वर्गक लेल एक आयोग होएत जे राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोगक नामसँ ज्ञात होएत ।]

(2) संसद द्वारा एहि निमित्त बनाओल गेल कोनो विधिक उपबंधक अधीन रहैत, आयोग एक अध्यक्ष, उपाध्यक्ष आ तीन आन सदस्यसँ मिलिक' बनत आ एहि प्रकारें नियुक्त कएल गेल अध्यक्ष, उपाध्यक्ष आ आन सदस्यक सेवाक शर्त आ पदावधि एहन होएत जे राष्ट्रपति नियम द्वारा सुनिश्चित करथि ।

(3) राष्ट्रपति, अपन हस्ताक्षर आ मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा आयोगक अध्यक्ष, उपाध्याक्ष आ आन सदस्यकें नियुक्त करताह ।

(4) आयोगकें अपन प्रक्रिया स्वयं नियमित करबाक शक्ति होएत ।

(5) आयोगक ई कर्तव्य होएत जे ओ, -

(क) सामाजिक आ शैक्षिक दृष्टिसँ पिछड़ल वर्गक लेल एहि संविधान वा ओहि समय प्रवृत्त कोनो आन विधि वा सरकारक कोनो आदेशक अधीन उपबंधित रक्षाक उपायसँ संबंधित सभ विषयक अन्वेषण करथि आ ओहि पर निगरानी रखथि एवं एहन रक्षाक उपायक काज आ कारणक मूल्यांकन करए;

(ख) सामाजिक आ शैक्षिक दृष्टिसँ पिछड़ल वर्गकें हुनक अधिकार आ रक्षाक उपायसँ वंचित करबाक संबंधमे विनिर्दिष्ट शिकायतक जाँच करए;

(ग) सामाजिक आ शैक्षिक दृष्टिसँ पिछड़ल वर्गक सामाजिक आर्थिक विकासक संबंधमे भाग लेथि आ ओहि पर सलाह देथि एवं संघ आ कोनो राज्यक अधीन ओकर विकासक प्रगतिक मूल्यांकन करए;

¹ संविधान (एक सय दूइम संशोधन) अधिनियम, 2018 केर धारा 3 द्वारा (15-8-2018 सँ) अनुच्छेद 338 ख कैं अंतःस्थापित कएल गेल ।

(भाग 16-कतिपय वर्गक संबंधमे विशेष उपबंध)

(घ) ओहि रक्षाक उपायक काज आ कारणक संबंधमे प्रतिवर्ष आ एहन आन समय पर, जे आयोग ठीक बुझए, राष्ट्रपतिकें रिपोर्ट प्रस्तुत करए;

(ङ) एहन रिपोर्टमे ओहन उपायक संबंधमे, जे ओहि रक्षाक उपायक प्रभावपूर्ण कार्यान्वयनक लेल संघ वा कोनो राज्य द्वारा कएल जएबाक चाही एवं सामाजिक आ शैक्षिक दृष्टिसँ पिछड़ल वर्गक संरक्षण, कल्याण आ सामाजिक-आर्थिक विकासक लेल आन उपायक लेल संस्तुति करए; आ

(च) सामाजिक आ शैक्षिक दृष्टिसँ पिछड़ल वर्गक संरक्षण, कल्याण आ विकास एवं उन्नयनक संबंधमे एहन दोसर काजक निर्वहन करए, जे राष्ट्रपति, संसद द्वारा बनाओल गेल कोनो विधिक उपबंधक अधीन रहैत, नियम द्वारा विनिर्दिष्ट करए ।

(6) राष्ट्रपति एहन सभ रिपोर्टकें संसदक सभ सदनक समक्ष रखबाओत आ ओकरा संगे संघसँ संबंधित संस्तुति पर कएल गेल वा कएल जएबाक लेल प्रस्थापित कार्यवाई एवं जँ कोनो एहन संस्तुति अस्वीकृत कएल गेल अछि तँ अस्वीकृतिक कारणकें स्पष्ट कर' वला ज्ञापन सेहो रहत ।

(7) जत' कोनो एहन रिपोर्ट वा ओकर कोनो भाग, कोनो एहन विषयसँ संबंधित अछि, जकर राज्य सरकारसँ संबंध अछि, तँ एहन रिपोर्टक एक प्रति ओहि राज्य सरकारकें पठाओल जाएत, जे ओकरा राज्यक विधान मंडलक समक्ष रखबाओत आ ओकर संग राज्यसँ संबंधित संस्तुति पर कएल गेल वा कएल जएबाक लेल प्रस्थापित कार्यवाई एवं जँ कोनो एहन संस्तुति अस्वीकृत कएल गेल अछि तँ अस्वीकृतिक कारणकें स्पष्ट कर' वला ज्ञापन सेहो रहत ।

(8) आयोगक, खंड (5) केर उपखंड (क) मे निर्दिष्ट कोनो विषयक अन्वेषण करबा काल वा उपखंड (ख) मे निर्दिष्ट कोनो परिवादक संबंधमे जाँच करबा काल, विशिष्टतया निम्नलिखित विषयक संबंधमे, ओ सभ शक्ति होएत, जे वाद केर विचार करबा काल व्यवहार न्यायालयकें अछि, अर्थात्:-

(क) भारतक कोनो भागसँ कोनो व्यक्तिकें समन करब आ हाजिर कराएब एवं शपथ पर ओकर परीक्षा कराएब;

(ख) कोनो दस्तावेजकें प्रकट आ प्रस्तुत करबाक अपेक्षा करब;

(ग) शपथपत्र पर साक्ष्य ग्रहण करब;

(घ) कोनो न्यायालय वा कार्यालयसँ कोनो लोक अभिलेख वा ओकर प्रतिक अपेक्षा करब;

(ङ) साक्ष्य आ दस्तावेजक परीक्षाक लेल आदेश पारित करब;

(च) कोनो आन विषय जे राष्ट्रपति नियम द्वारा सुनिश्चित करथि ।

(9) संघ आ सभ राज्य सरकार, सामाजिक आ शैक्षिक दृष्टिसँ पिछड़ल वर्गकें प्रभावित कर' वला सभ महत्वपूर्ण नीतिगत विषय पर आयोगसँ परामर्श करत:

¹[मुदा एहि खंडक कोनो बात अनुच्छेद 342 क केर खंड (3) केर प्रयोजनक लेल लागू नहि होएत ।]

339. अनुसूचित क्षेत्रक प्रशासन आओर अनुसूचित जनजातिक कल्याणक विषयमे संघक नियंत्रण-

(1) राष्ट्रपति ^{2***} राज्यक अनुसूचित क्षेत्रक प्रशासन आ अनुसूचित जनजातिक कल्याणक संबंधमे प्रतिवेदन देबाक लेल आयोगक नियुक्ति, आदेश द्वारा, कोनो समय क' सकैछ आ एहि संविधानक प्रारंभसँ दस वर्षक समाप्ति पर क' सकैछ ।

आदेशमे आयोगक संरचना, शक्ति आ प्रक्रिया निश्चित कएल जा सकैछ आ ओहिमे एहन आनुषंगिक वा सहायक उपबंध समाहित भ' सकत जकरा राष्ट्रपति आवश्यक वा वांछनीय बुझथि ।

(2) संघक कार्यपालिका शक्तिक विस्तार ³[कोनो राज्य] केँ एहन निदेश देबा धरि होएत जे ओहि राज्यक अनुसूचित जनजातिक कल्याणक लेल निदेशमे आवश्यक बताओल गेल योजनाक बनाएब आ निष्पादनक संबंधमे अछि ।

340. पिछड़ा वर्गक दशाक अन्वेषणक लेल आयोगक नियुक्ति-(1) राष्ट्रपति, भारतक राज्यक्षेत्रक भीतर सामाजिक आ शैक्षिक दृष्टिसँ पिछड़ल वर्गक दशाक आ जाहि कठिनाईक सामना कए रहल अछि तकर अन्वेषणक लेल आ ओहि कठिनाईकेँ दूर करबाक लेल आ ओकर दशाकेँ सुधारबाक लेल संघ वा कोनो राज्य द्वारा जे उपाय कएल जएबाक चाही ओहि संबंधमे आ ओहि प्रयोजनक लेल संघ वा कोनो राज्य द्वारा जे अनुदान कएल जएबाक चाही आ जाहि शर्तक अधीन ओ अनुदान कएल जएबाक चाही ओकरा संबंधमे संस्तुति करबाक लेल, आदेश द्वारा, एक आयोग नियुक्त कए सकैत अछि जे एहन व्यक्तिसँ मिलिक' बनत जे ओ ठीक बुझथि आ एहन आयोगकेँ नियुक्त कर'वला आदेशमे आयोग द्वारा अनुसरण कएल जाएवला प्रक्रिया निश्चित कएल जाएत ।

(2) एहि प्रकार नियुक्त आयोग अपनाकेँ निर्देशित विषयक अन्वेषण करत आ राष्ट्रपतिकेँ प्रतिवेदन देत, जाहिमे ओकरा द्वारा पाओल गेल तथ्य उपवर्णित कएल जाएत आ जाहिमे एहन संस्तुति कएल जाएत जकरा आयोग ठीक बुझथि ।

(3) राष्ट्रपति एहि प्रकारेँ देल गेल प्रतिवेदनक एक प्रति, ओहि पर कएल गेल कार्रवाईकेँ स्पष्ट कर'वला ज्ञापनक संग संसदक सभ सदनक समक्ष रखबौताह ।

341. अनुसूचित जाति-(1) राष्ट्रपति, ⁴[कोनो राज्य ⁵[वा केन्द्र शासित प्रदेश]क संबंधमे आ जत' ओ ^{2***} राज्य अछि ओत' ओकर राज्यपाल

¹ संविधान (एक सय पांचम संशोधन) अधिनियम, 2021 केर धारा 2 द्वारा (दिनांक 15-9-2021 सँ) अंतःस्थापित ।

² संविधान (सातम संशोधन) अधिनियम, 1956 केर धारा 29 आ अनुसूची द्वारा (1-11-1956 सँ) “पहिल अनुसूचीक भाग ‘क’ आ भाग ‘ख’ मे विनिर्दिष्ट” शब्द आ अक्षरक लोप कएल गेल ।

³ संविधान (सातम संशोधन) अधिनियम, 1956 केर धारा 29 आ अनुसूची द्वारा (1-11-1956 सँ) “कोनो एहन राज्य” क स्थान पर प्रतिस्थापित ।

⁴ संविधान (पहिल संशोधन) अधिनियम, 1951 केर धारा 10 द्वारा (18-6-1951 सँ) “राज्यक राज्यपालक राजप्रमुख सँ परामर्श कएलोपरांत” केर स्थान पर प्रतिस्थापित ।

⁵ संविधान (सातम संशोधन) अधिनियम, 1956 केर धारा 29 आ अनुसूची द्वारा (1-11-1956 सँ) अंतःस्थापित ।

(भाग 16-कतिपय वर्गक संबंधमे विशेष उपबंध)

¹*** सँ परामर्श कएलाक बाद] लोक अधिसूचना ²द्वारा ओहि जाति, मूलवंश वा जनजाति अथवा जाति, मूलवंश वा जनजातिक भागमे सँ वा ओहि मध्यक युवाकें निर्दिष्ट क' सकत, जकरा एहि संविधानक प्रयोजनक लेल ²[यथास्थिति] ओहि राज्य ²[वा केन्द्र शासित प्रदेश]क संबंधमे अनुसूचित जाति बुझल जाएत ।

(2) संसद, विधि द्वारा कोनो जाति, मूलवंश वा जनजातिकें अथवा जाति, मूलवंश वा जनजातिक भाग वा ओहि वर्गक युवजन केर खंड (1) केर अधीन निकालल गेल अधिसूचना मे विनिर्दिष्ट अनुसूचित जातिक सूचीमे सम्मिलित क' सकत वा ओहिमे सँ अपवर्जित क' सकत, मुदा जेहन ऊपर कहल गेल अछि ओकर अतिरिक्त उक्त खंडक अधीन निकालल गेल अधिसूचनामे कोनो पश्चातवर्ती अधिसूचना द्वारा परिवर्तन नहि कएल जाएत ।

342. अनुसूचित जनजाति-(1) राष्ट्रपति, ³[कोनो राज्य ⁴[वा केन्द्र शासित प्रदेश] केर संबंधमे आ जत' ओ राज्य³*** अछि ओतए ओकर राज्यपाल⁵*** सँ परामर्श कएलोपरांत] लोक अधिसूचना⁶ द्वारा, ओहि जनजाति वा ओकर युवाकें निर्दिष्ट क' सकत, जकरा एहि संविधानक प्रयोजनक लेल, ²[यथास्थिति,] ओहि राज्य ²[वा केन्द्र शासित प्रदेश] केर संबंधमे अनुसूचित जनजाति बुझल जाएत ।

(2) संसद, विधि द्वारा दुनू जनजाति वा जनजाति समुदायकें अथवा कोनो जनजाति वा जनजाति समुदायक भाग वा ओहि युवाकें खंड (1) केर अधीन निकालल गेल अधिसूचनामे निर्दिष्ट अनुसूचित जनजातिक सूचीमे सम्मिलित क' सकत वा ओहिमे सँ अपवर्जित क' सकत, मुदा जेहन ऊपर कहल गेल अछि ओकर बिनु उक्त खंड अधीन निकालल गेल अधिसूचनामे कोनो बादक अधिसूचना द्वारा परिवर्तन नहि कएल जाएत ।

¹ संविधान (सातम संशोधन) अधिनियम, 1956 केर 29 आ अनुसूची द्वारा (1-11-1956 सँ) “वा राजप्रमुख” शब्दक लोप कएल गेल ।

² संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश, 1950 (सं.आ.19), संविधान (अनुसूचित जाति) (केन्द्र शासित प्रदेश) आदेश, 1951 (सं.आ.32), संविधान (जम्मू-कश्मीर) अनुसूचित जाति आदेश, 1956 (सं.आ.52), संविधान (दादर आ नगर हवेली), अनुसूचित जाति आदेश, 1962 (सं.आ.64), संविधान (पांडिचेरी) अनुसूचित जाति आदेश, 1964 सं.आ.68), संविधान (गोवा, दमन आ दीव) अनुसूचित जाति आदेश, 1968 (सं.आ.81) आ संविधान (सिक्किम) अनुसूचित जाति आदेश, 1978 सं.आ.110) देखू ।

³ संविधान (पहिल संशोधन) अधिनियम, 1951 केर धारा 11 द्वारा (18-6-1951 सँ) “राज्यक राज्यपाल वा राजप्रमुख सँ परामर्श कएलोपरांत” केर स्थान पर प्रतिस्थापित ।

⁴ संविधान (सातम संशोधन) अधिनियम, 1956 केर धारा 29 आ अनुसूची द्वारा (1-11-1956 सँ) अंतःस्थापित ।

⁵ संविधान (सातम संशोधन) अधिनियम, 1956 केर धारा 29 आ अनुसूची द्वारा (1-11-1956 सँ) किछु शब्द लोप कएल गेल ।

⁶ संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश, 1950 (सं.आ.22), संविधान (अनुसूचित जनजाति) (केन्द्र शासित प्रदेश) आदेश, 1951 (सं.आ.33), संविधान (अंडमान आ निकोबार द्वीप) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1959 (सं.आ.58), संविधान (दादर आ नगर हवेली) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1962 (सं.आ.65), संविधान (अनुसूचित जनजाति) (उत्तर प्रदेश) आदेश, 1967 (सं.आ.78), संविधान (गोवा, दमन आ दीव) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1968 (सं.आ.82), संविधान (नागालैंड) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1970 (सं.आ.88) आ संविधान (सिक्किम) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1978 (सं.आ.111) देखू ।

¹[342क. सामाजिक ओ शैक्षणिक दृष्टिसँ पिछड़ल वर्ग-(1) राष्ट्रपति, कोनो राज्य वा केन्द्र शासित प्रदेशक संबंधमे आ जत' ओ राज्य अछि, ओतए ओकर राज्यपालसँ परामर्श कएलोपरांत लोक अधिसूचना द्वारा, ²[केन्द्रीय सूचीमे सामाजिक आ शैक्षिक दृष्टिसँ एहन पिछड़ल वर्ग केँ विनिर्दिष्ट क' सकताह, जकरा केन्द्रीय सरकारक प्रयोजनक लेल,] यथास्थिति, ओहि राज्य वा केन्द्र शासित प्रदेशक संबंधमे सामाजिक आ शैक्षिक दृष्टि सँ पिछड़ल वर्ग बुझल जाएत ।

(2) संसद, विधि द्वारा कोनो सामाजिक आ शैक्षिक दृष्टिसँ पिछड़ल वर्गकेँ खंड (1) केर अधीन निकालल गेल अधिसूचनामे निर्दिष्ट सामाजिक आ शैक्षिक दृष्टिसँ पिछड़ल वर्गक केन्द्रीय सूचीमे सम्मिलित क' सकत वा ओहिमे सँ अपवर्जित क' सकत, मुदा जेहन ऊपर कहल गेल अछि जे ओकर अतिरिक्त उक्त खंड अधीन निकालल गेल अधिसूचनामे कोनो पश्चातवर्ती अधिसूचना द्वारा परिवर्तन नहि कएल जाएत ।]

³[*स्पष्टीकरण*-खंड (1) आ खंड (2) केर प्रयोजनक लेल, “केन्द्रीय सूची” अभिव्यक्तिसँ केन्द्रीय सरकार द्वारा आ ओकरा लेल सामाजिक आ शैक्षिक दृष्टिसँ पिछड़ल वर्गक तैयारी कएल गेल आ राखल गेल सूची अभिप्रेत अछि ।

(3) खंड (1) आ खंड (2) मे अंतर्विष्ट कोनो बातक होइतहुँ, सभ राज्यक केन्द्र शासित प्रदेश, विधि द्वारा, अपन स्वयं केर प्रयोजनक लेल सामाजिक आ शैक्षिक दृष्टिसँ पिछड़ल वर्गक एक सूची तैयार क' सकत आ राखि सकत, जाहिमे प्रविष्ट सभ केन्द्रीय सूचीसँ भिन्न भ' सकैछ ।]

¹ संविधान (एक सय दुईम संशोधन) अधिनियम, 2018 केर धारा 4 द्वारा (15-8-2018 सँ) अनुच्छेद 342 'क' केँ प्रतिस्थापित ।

² एहि संविधानक प्रयोजनार्थ सामाजिक आ शैक्षिक दृष्टिसँ पिछड़ल वर्गक लेल, संविधान (एक सय पाँचम संशोधन) अधिनियम, 2021 केर धारा 3 द्वारा (15-9-2021 सँ) प्रतिस्थापित ।

³ संविधान (एक सय पाँचम संशोधन) अधिनियम, 2021 केर धारा 3 द्वारा (15-9-2021 सँ) अंतःस्थापित ।

भाग-17

राजभाषा

अध्याय 1-संघक भाषा

343. संघक राजभाषा-(1) संघक राजभाषा हिन्दी आ लिपि देवनागरी होएत ।

संघक शासकीय प्रयोजनक लेल प्रयोग होबए वला अंकक रूप भारतीय अंकक अंतर्राष्ट्रीय रूप होएत ।

(2) खंड (1) मे कोनो बातक होइतहुँ, एहि संविधानक प्रारंभसँ पन्द्रह वर्षक अवधि धरि संघक ओहि सभ शासकीय प्रयोजनक लेल अंग्रेजी भाषाक प्रयोग कएल जाइत रहत जकरा लेल ओकर एहन आरंभसँ ठीक पहिने प्रयोग कएल जाइत छल:

मुदा राष्ट्रपति उक्त अवधिक बीच, आदेश¹ द्वारा, संघक शासकीय प्रयोजनमे सँ कोनोक लेल अंग्रेजी भाषाक अतिरिक्त हिन्दी भाषाक आ भारतीय अंकक अंतर्राष्ट्रीय रूपक अतिरिक्त देवनागरी रूपक प्रयोग प्राधिकृत क' सकैछ ।

(3) एहि अनुच्छेदमे कोनो बातक होइतहुँ संसद उक्त पन्द्रह वर्षक अवधिक बाद, विधि द्वारा-

(क) अंग्रेजी भाषाक, वा

(ख) अंकक देवनागरी रूपक

एहन प्रयोजनक लेल प्रयोग उपबंधित क' सकैछ जे एहन विधिमे विनिर्दिष्ट कएल जाए ।

344. राजभाषाक संबंधमे आयोग ओ संसदक समिति-(1) राष्ट्रपति, एहि संविधानक प्रारंभसँ पाँच वर्षक समाप्ति पर आ तकर बाद एहन प्रारंभसँ दस वर्षक समाप्ति पर, आदेश द्वारा, एक आयोग गठित करताह जे एक अध्यक्ष आ आठम अनुसूचीमे विनिर्दिष्ट विभिन्न भाषाक प्रतिनिधित्व कर'वला एहन आन सदस्यसँ मिलिक' बनत जकरा राष्ट्रपति नियुक्त करथि आ आदेशमे आयोग द्वारा अनुसरण कएल जाएवला प्रक्रिया निश्चित कएल जाएत ।

(2) आयोगक ई कर्तव्य होएत जे ओ राष्ट्रपतिकेँ-

(क) संघक शासकीय प्रयोजनक लेल हिन्दी भाषाक अधिकाधिक प्रयोग,

(ख) संघक सभ वा कोनो शासकीय प्रयोजनक लेल अंग्रेजी भाषाक प्रयोग पर निर्बंधनक,

(ग) अनुच्छेद 348मे उल्लिखित सभ वा कोनो प्रयोजनक लेल प्रयोग कएल जाएवला भाषा,

¹ सं.आ.41 देखू ।

(घ) संघक कोनो एक वा एकसँ बेसी विनिर्दिष्ट प्रयोजनक लेल प्रयोग कएल जाएवला अंकक रूप,

(ङ) संघक राजभाषा एवं संघ आ कोनो राज्यक बीच वा एक राज्य आ दोसर राज्यक बीच पत्रक भाषा आ ओकर प्रयोगक संबंधमे राष्ट्रपति द्वारा आयोगकेँ निर्देशित कएल गेल कोनो आन विषयक संबंधमे संस्तुति करथि ।

(3) खंड (2) केर अधीन अपन संस्तुति करबामे, आयोग भारतक औद्योगिक, सांस्कृतिक आ वैज्ञानिक उन्नतिक आ लोक सेवाक संबंधमे अहिन्दी भाषी क्षेत्रक व्यक्तिक न्यायसंगत दावा आ हितक सम्यक ध्यान राखत ।

(4) एक समिति गठित कएल जाएत जे तीस सदस्यसँ मिलिक' बनत जाहिमे सँ बीस लोक सभाक सदस्य होएत आ दस राज्य सभाक सदस्य होएत जे क्रमशः लोक सभाक सदस्य आ राज्य सभाक सदस्य द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धतिक अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा निर्वाचित होएत ।

(5) समितिक ई कर्तव्य होएत जे ओ खंड (1) केर अधीन गठित आयोगक संस्तुतिक परीक्षण करए आ राष्ट्रपतिकेँ ओहि पर अपन परामर्शक संबंधमे प्रतिवेदन दिअए ।

(6) अनुच्छेद 343 मे कोनो बातक होइतहुँ, राष्ट्रपति खंड (5) मे निर्दिष्ट प्रतिवेदन पर विचार कएलोपरांत ओहि संपूर्ण प्रतिवेदनक वा ओकर कोनो भागक अनुसार निदेश द' सकताह ।

अध्याय 2-प्रादेशिक भाषा

345. राज्यक राजभाषा वा आन राजभाषा-अनुच्छेद 346 आ अनुच्छेद 347 केर उपबंधक अधीन रहैत, कोनो राज्यक विधान-मंडल, विधि द्वारा ओहि राज्यमे प्रयोग होमएवला सभ भाषामेसँ कोनो एक वा एकसँ बेसी भाषाकेँ वा हिन्दीकेँ ओहि राज्यक सभ वा कोनो शासकीय प्रयोजनक लेल प्रयोग कएल जाएवला भाषा वा भाषाक रूपमे अंगीकार क' सकैछः

मुदा जाधरि राज्यक विधान-मंडल, विधि द्वारा उपबंध नहि करत ताधरि राज्यक भीतर ओहि शासकीय प्रयोजनक लेल अंग्रेजी भाषाक प्रयोग कएल जाइत रहत जकरा लेल ओकर एहि संविधानक आरंभसँ पूर्व प्रयोग कएल जाइत छल ।

346. एक राज्य आ दोसर राज्यक मध्य वा कोनो राज्य आओर संघक मध्य कार्यालयी भाषा-संघमे शासकीय प्रयोजनक लेल प्रयोग कएल जएबाक लेल ओहि समयक प्राधिकृत भाषा, एक राज्य आ दोसर राज्यक बीच एवं कोनो राज्य आ संघक बीच पत्र सभक राजभाषा होएतः

मुदा जँ दू वा दू सँ अधिक राज्य ई अनुबंध करैत अछि जे ओहि राज्यक बीच पत्रादिक राजभाषा हिन्दी भाषा होएत तँ एहन पत्रादिक लेल ओहि भाषाक प्रयोग कएल जा' सकैछ ।

347. कोनो राज्यक जनसंख्याक कोनो अनुभाग द्वारा बाजल जाएवला भाषाक संबंधमे विशेष उपबंध-जँ एहि निमित्त माँग कएला पर जँ राष्ट्रपतिक ई समाधान भ' जाइछ जे कोनो राज्यक जनसंख्याक पर्याप्त भाग ई चाहैछ जे ओकरा द्वारा बाजल जाएवला भाषाकेँ राज्य द्वारा मान्यता देल जाए तँ ओ निदेश द' सकैछ जे एहन भाषाकेँ सेहो ओहि राज्यमे सभठाम वा ओकर कोनो भागमे एहन प्रयोजनक लेल, जे ओ विनिर्दिष्ट करथि, शासकीय मान्यता देल जाए ।

अध्याय 3-उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय सभक भाषा

348. उच्चतम आओर उच्च न्यायालयमे एवं अधिनियम, विधेयक आदिक लेल प्रयुक्त भाषा-
(1) एहि भागक पूर्वगामी उपबंध सभमे कोनो बातक होइतहुँ, जाधरि संसद विधि द्वारा उपबंध नहि करए तखन धरि-

(क) उच्चतम न्यायालय आ सभ उच्च न्यायालयमे सभ कार्यवाही अंग्रेजी भाषामे होएत,

(ख) (i) संसदक सभ सदन वा कोनो राज्यक विधान-मंडलक सदन वा सभ सदन मे पुनःस्थापित कएल जाएवला सभ विधेयक वा प्रस्तावित कएल जाएवला ओकर संशोधन सभक,

(ii) संसद वा कोनो राज्यक विधान मंडल द्वारा पारित सभ अधिनियमक आ राष्ट्रपति वा कोनो राज्यक राज्यपाल ^{1***} द्वारा प्रख्यापित सभ अध्यादेशक, आओर

(iii) एहि संविधानक अधीन अथवा संसद वा कोनो राज्यक विधान-मंडल द्वारा बनाओल गेल कोनो विधिक अधीन निकालल गेल वा बनाओल गेल सभ आदेश, नियम, विनियम आ उपविधिक, प्राधिकृत पाठ अंग्रेजी भाषामे होएत ।

(2) खंड (1) केर उपखंड (क) मे कोनो बातक होइतहुँ, कोनो राज्यक राज्यपाल ^{1***} राष्ट्रपतिक पूर्व सहमतिसँ ओहि उच्च न्यायालयक कार्यवाहीमे, जकर मुख्य स्थान ओहि राज्यमे अछि, हिन्दी भाषाक वा ओहि राज्यक शासकीय प्रयोजनक लेल प्रयोग होम'वला कोनो आन भाषाक प्रयोग प्राधिकृत क' सकैछ:

¹ संविधान (सातम संशोधन) अधिनियम, 1956 केर धारा 29 आ अनुसूची द्वारा (1-11-1956 सँ) “वा राजप्रमुख” लोप कएल गेल ।

मुदा एहि खंडक कोनो बात एहन उच्च न्यायालय द्वारा देल गेल कोनो निर्णय, आज्ञासि वा आदेशकें लागू नहि कएल जा सकैत अछि ।

(3) खंड (1) केर उपखंड (ख) मे कोनो बातक होइतहुँ, जत' कोनो राज्यक विधान-मंडल, ओहि विधान-मंडलमे पुनःस्थापित विधेयकमे वा ओकरा द्वारा पारित अधिनियममे अथवा ओहि राज्यक राज्यपाल ^{1***} द्वारा प्रख्यापित अध्यादेशमे अथवा उपखंडक पैरा(iii) मे निर्दिष्ट कोनो आदेश, नियम, विनियम वा उपविधिमे प्रयोगक लेल अंग्रेजी भाषासँ भिन्न कोनो भाषा स्वीकृत कएल अछि ओतए ओहि राज्यक राजपत्रमे ओहि राज्यक राज्यपाल ^{1***} केर प्राधिकारसँ प्रकाशित अंग्रेजी भाषामे ओकर अनुवाद एहि अनुच्छेदक अधीन ओकर अंग्रेजी भाषामे प्राधिकृत पाठ बुझल जाएत ।

349. भाषासँ संबंधित कतिपय विधिक अधिनियमित करबाक हेतु विशेष प्रक्रिया-एहि संविधानक प्रारंभसँ पन्द्रह वर्षक अवधिक मध्य अनुच्छेद 348 केर खंड (1) मे उल्लिखित कोनो प्रयोजनक लेल प्रयोग कएल जाएवला भाषाक लेल उपबंध कर' वला कोनो विधेयक वा संशोधन संसदक कोनो सदनमे राष्ट्रपतिक पूर्वानुमति बिनु पुनःस्थापित वा प्रस्तावित नहि कएल जाएत आ राष्ट्रपति कोनो एहन विधेयककें पुनःस्थापित वा कोनो एहन संशोधनकें प्रस्तावित करबा लेल अनुमति अनुच्छेद 344 केर खंड (1) केर अधीन गठित आयोगक संस्तुति पर आ ओहि अनुच्छेदक खंड (4) केर अधीन गठित समितिक प्रतिवेदन पर विचार कएलोपरांत देताह, अन्यथा नहि ।

अध्याय 4-विशेष निदेश

350. शिकायत निवारणक लेल अभ्यावेदनमे प्रयोग कएल जाएवला भाषा-प्रत्येक व्यक्ति कोनो ने कोनो शिखायतक निवारणक लेल संघ वा राज्यक कोनो अधिकारी वा प्राधिकारीकें, यथास्थिति, संघमे वा राज्यमे प्रयोग होम' वला कोनो भाषामे अभ्यावेदन देबाक अधिकारी होएत ।

²[**350क. प्राथमिक स्तर पर मातृभाषामे शिक्षाक सुविधा-**सभ राज्य आ राज्यक भीतर सभ स्थानीय प्राधिकारी भाषाई अल्पसंख्यक वर्गक बच्चाकें शिक्षाक प्राथमिक स्तर पर मातृभाषामे शिक्षाक पर्याप्त सुविधाक व्यवस्था करबाक प्रयास करत आ राष्ट्रपति कोनो राज्यकें एहन निदेश दए सकताह जे ओ एहन सुविधाक उपबंध सुनिश्चित करएबाक लेल आवश्यक वा उचित बुझैत अछि ।

¹ संविधान (सातम संशोधन) अधिनियम, 1956 केर धारा 29 आ अनुसूची द्वारा (1-11-1956 सँ) “वा राजप्रमुख” शब्दक लोप कएल गेल ।

² संविधान (सातम संशोधन) अधिनियम, 1956 केर धारा 21 द्वारा अनुच्छेद 350 ‘क’ अनुच्छेद 350 ‘ख’ (1-11-1956 सँ) अंतःस्थापित ।

350ख. भाषाई अल्पसंख्यक-वर्गक लेल विशेष अधिकारी-(1) भाषाई अल्पसंख्यक-वर्गक लेल एक विशेष अधिकारी होएत जकरा राष्ट्रपति नियुक्त करताह ।

(2) विशेष अधिकारीक ई कर्तव्य होएत जे ओ एहि संविधानक अधीन भाषाई अल्पसंख्यक-वर्गक लेल उपबंधित रक्षाक उपायसँ संबंधित सभ विषयक अन्वेषण करथि आ ओहि विषयक संबंधमे एहन अंतराल पर जे राष्ट्रपति निर्दिष्ट करथि राष्ट्रपतिकें प्रतिवेदन देथि आ राष्ट्रपति एहन सभ प्रतिवेदनकें संसदक सभ सदनक समक्ष रखबौताह आ संबंधित राज्यक सरकारकें पठौताह ।]

351. हिन्दी भाषाक विकासक लेल निदेश-संघक ई कर्तव्य होइत जे ओ हिन्दी भाषाक प्रसार बढ़ाबए, ओकर विकास करए जाहिसँ ओ भारतक सामाजिक संस्कृतिक सभ तत्त्वक अभिव्यक्तिक माध्यम बनि सकए आ ओकर प्रकृतिमे हस्तक्षेप केने बिनु भारतीय आ आठम अनुसूचीमे विनिर्दिष्ट भारतक आन भाषामे प्रयुक्त रूप, शैली आ पदकें आत्मसात करैत आ जतए आवश्यक वा वांछनीय अछि ओतए ओकर शब्द भंडारक लेल मुख्यतः संस्कृतसँ आ गौण रूपँ आन भाषासँ शब्द ग्रहण करैत ओकर समृद्धि सुनिश्चित करए ।

भाग-18

आपातकालक उपबंध

352. आपातकालक उद्घोषणा-(1) जँ राष्ट्रपति संतुष्ट भ' जाइत छथि जे गंभीर आपात-स्थिति विद्यमान अछि जाहिसँ युद्ध वा बाह्य आक्रमण वा ¹[सशस्त्र विद्रोह] केर कारण भारत वा ओकर राज्यक्षेत्रक कोनो भागक सुरक्षा संकटमे अछि तँ ओ उद्घोषणा द्वारा ²[संपूर्ण भारत वा ओकर राज्यक्षेत्रक एहन भागक संबंधमे जे उद्घोषणामे निर्दिष्ट कएल जाए] एहि आशयक घोषणा क' सकताह ।

³[*स्पष्टीकरण*]-जँ राष्ट्रपतिक संतुष्ट भ' जाइत छथि जे युद्ध वा बाह्य आक्रमण वा सशस्त्र विद्रोहक संकट जँ सन्निकट अछि तँ ई घोषित कर' वला आपातक उद्घोषणा जे युद्ध वा बाह्य आक्रमण वा सशस्त्र विद्रोहसँ भारत वा ओकर राज्यक्षेत्रक कोनो भागक सुरक्षा संकट मे अछि, युद्ध वा एहन कोनो आक्रमण वा विद्रोह होम'सँ पहिने सेहो कएल जा सकैत अछि]

⁴[(2) खंड (1) केर अधीन कएल गेल उद्घोषणामे कोनो पश्चातवर्ती उद्घोषणा द्वारा परिवर्तन कएल जा सकैत अछि वा ओकरा वापस लेल जा सकैत अछि ।

(3) राष्ट्रपति, खंड (1) केर अधीन उद्घोषणा वा एहन उद्घोषणामे परिवर्तन कर' वला उद्घोषणा ताधरि नहि करताह जाधरि संघक मंत्रिमंडलक (अर्थात्, ओहि परिषदक जे अनुच्छेद 75 केर अधीन प्रधानमंत्री आ मंत्रिमंडल स्तरक आन मंत्रीसँ मिलि कए बनैत अछि) ई निश्चय जे एहन उद्घोषणा कएल जाए, ओकरा लिखित रूपमे सूचित नहि कएल जाइछ ।

(4) एहि अनुच्छेदक अधीन कएल गेल सभ उद्घोषणा संसदक सभ सदनक सोझा राखल जाएत आ जत' ओ पूर्ववर्ती उद्घोषणाकेँ वापस लिअए वला उद्घोषणा नहि अछि ओतए ओ एक मासक समाप्ति पर, जँ ओहि अवधिक समाप्ति सँ पहिने संसदक दुनू सदनक संकल्प द्वारा ओकर अनुमोदन नहि क' देल जाइत अछि तँ, प्रवर्तनमे नहि रहत:

¹ संविधान (चौवालिसम संशोधन) अधिनियम, 1978 केर धारा 37 द्वारा (20-6-1979 सँ) “आंतरिक अशान्तिक स्थान पर प्रतिस्थापित ।

² संविधान (बियालिसम संशोधन) अधिनियम, 1976 केर धारा 48 द्वारा (3-1-1977 सँ) अंतःस्थापित ।

³ संविधान (चौवालिसम संशोधन) अधिनियम, 1978 केर धारा 37 द्वारा (20-6-1979 सँ) अंतःस्थापित ।

⁴ संविधान (चौवालिसम संशोधन) अधिनियम, 1978 केर धारा 37 द्वारा (20-6-1979 सँ) खंड (2), खंड (2क) आ खंड (3) केर स्थान पर खंड (2) सँ खंड (8) धरि प्रतिस्थापित कएल गेल ।

मुदा जँ एहन कोनो उद्घोषणा (जे पूर्ववर्ती उद्घोषणाकें वापस लेबए वला उद्घोषणा नहि अछि) ओहि समय कएल जाइत अछि जखन लोक सभाक विघटन भ' गेल अछि वा लोक सभाक विघटन एहि खंडमे निर्दिष्ट एक मासक अवधिक बीच भ' जाइछ आ जँ उद्घोषणाक अनुमोदन कर' वला संकल्प राज्य सभा द्वारा पारित क' देल गेल अछि, मुदा एहन उद्घोषणाक संबंधमे कोनो संकल्प लोक सभा द्वारा ओहि अवधिक समाप्तिसँ पहिने पारित नहि कएल गेल अछि तँ, उद्घोषणा ओहि तिथिसँ जाहिसँ लोक सभा अपन पुनर्गठनक बाद पहिल बेर बैसैत अछि, तीस दिनक समाप्ति पर, प्रवर्तनमे नहि रहत जँ उक्त तीस दिनक अवधिक समाप्तिसँ पहिने उद्घोषणाक अनुमोदन कर' वला संकल्प लोक सभा द्वारा सेहो पारित नहि क' देल जाइत अछि ।

(5) एहि प्रकारें अनुमोदित उद्घोषणा, जँ घुरा नहि लेल जाइत अछि तँ, खंड (4) केर अधीन उद्घोषणाक अनुमोदन करएवला संकल्पमे सँ दोसर संकल्पक पारित कएल जाएबाक तिथिसँ छओ मासक अवधिक समाप्ति पर प्रवर्तनमे नहि रहत:

मुदा जँ आ जतबा बेर एहन उद्घोषणाकें प्रवृत्त बनौने रखबाक अनुमोदन कर' वला संकल्प संसदक दुनू सदन द्वारा पारित क' देल जाइछ तँ ओतबा बेर ओ उद्घोषणा जँ वापस नहि लेल जाइछ तँ, ओहि तिथिसँ जकरा ओ एहि खंडक अधीन अन्यथा प्रवर्तनमे नहि रहैत अछि, छओ मासक आर अवधि धरि प्रवृत्त बनल रहत:

मुदा ई आ जे जँ लोक सभाक विघटन छओ मासक एहन अवधिक बीच भ' जाइत अछि आ एहन उद्घोषणाकें प्रवृत्त बनौने रखबाक अनुमोदन कर' वला संकल्प राज्य सभा द्वारा पारित क' देल गेल अछि, मुदा एहन उद्घोषणाकें प्रवृत्त बनौने रखबाक संबंधमे कोनो संकल्प लोक सभा द्वारा उक्त अवधिक मध्य पारित नहि कएल गेल अछि तँ, उद्घोषणा ओहि तिथिसँ जकरा लोक सभा अपन पुनर्गठनक बाद पहिल बेर बैसैत अछि, तीस दिनक समाप्ति पर, प्रवर्तनमे नहि रहत जँ उक्त तीस दिनक अवधिक समाप्तिसँ पहिने उद्घोषणाकें प्रवृत्त बनौने रखबाक अनुमोदन कर' वला संकल्प लोक सभा द्वारा सेहो पारित नहि क' देल गेल हो ।

(6) खंड (4) आ खंड (5) केर प्रयोजनक लेल, संकल्प संसदक कोनो सदन द्वारा ओहि सदनक कुल सदस्य संख्याक बहुमत द्वारा ओहि सदनक उपस्थित आ मत देबए वला सदस्यमे सँ कम-सँ-कम दू-तिहाई बहुमत सँ पारित कएल जा सकैत अछि ।

(7) पूर्वगामी खंडमे कोनो बातक होइतहुँ जँ लोक सभा खंड (1) केर अधीन कएल गेल उद्घोषणा वा एहन उद्घोषणा मे परिवर्तन कर' वला उद्घोषणाक, यथास्थिति, अनुमोदन वा ओकरा प्रवृत्त बनौने रखबाक अनुमोदन कर' वला संकल्प पारित क' दैत अछि तँ राष्ट्रपति एहन उद्घोषणाकें वापस ल' लेताह ।

(8) जत' खंड (1) केर अधीन कएल गेल उद्घोषणा वा एहन उद्घोषणामे परिवर्तन कर' वला उद्घोषणाक, यथास्थिति, अनुमोदन वा ओकरा प्रवृत्त बनौने रखबाक अनुमोदन कर' वला संकल्पकेँ प्रस्तावित करबाक अपन आशयक सूचना लोक सभाक कुल सदस्य संख्याक कम-सँ-कम दसम् भाग द्वारा हस्ताक्षर क' कए लिखित रूपमे, -

(क) जँ लोक सभा सत्रमे अछि तँ अध्यक्षक, वा

(ख) जँ लोक सभा सत्रमे नहि अछि तँ राष्ट्रपतिकेँ,

देल गेल अछि ओतए एहन संकल्प पर विचार करबाक प्रयोजनक लेल लोक सभाक विशेष बैसार, यथास्थिति, अध्यक्ष वा राष्ट्रपतिकेँ एहन सूचना प्राप्त होएबाक तिथिसँ चौदह दिनक भीतर कएल जाएत ।]

¹[(9)] एहि अनुच्छेद द्वारा राष्ट्रपतिकेँ प्रदत्त शक्तिक अंतर्गत, युद्ध वा बाह्य आक्रमण वा ²[सशस्त्र विद्रोह] केर अथवा युद्ध वा बाह्य आक्रमण वा ²[सशस्त्र विद्रोह] केर संकट निकट होएबाक विभिन्न आधार पर विभिन्न उद्घोषणा कर'क शक्ति होएत चाहे राष्ट्रपति खंड (1) केर अधीन पहिनहि कोनो उद्घोषणा कएल अछि वा नहि आ एहन उद्घोषणा प्रवर्तनमे अछि वा नहि ।

¹[* * * * *]

353. आपातकालक उद्घोषणाक प्रभाव-जखन आपातकालक उद्घोषणा प्रवर्तनमे अछि तखन-

(क) संविधानमे कोनो बातक होइतहुँ, संघक कार्यपालिका शक्तिक विस्तार कोनो राज्यक एहि संबंधमे निदेश देबा धरि होएत जे ओ राज्य अपन कार्यपालिका शक्तिक कोन प्रक्रियासँ प्रयोग करए;

(ख) कोनो विषयक संबंधमे विधि बनएबाक संसदक शक्तिक अंतर्गत एहि बातक होइतहुँ ओ संघ सूचीमे प्रगणित विषय नहि अछि, एहन विधि बनएबाक शक्ति होएत जे ओहि विषयक संबंधमे संघकेँ वा संघक अधिकारी लोकनि आ प्राधिकारी लोकनिकेँ शक्ति प्रदान करैछ आ ओहि पर कर्तव्य आरोपित करैछ वा शक्ति प्रदान कएल जाएब आ कर्तव्यकेँ आरोपित कएल जाएब प्राधिकृत करैत अछि:

¹ संविधान (अड़तीसम संशोधन) अधिनियम, 1975 केर धारा 5 द्वारा (भूतलक्षी प्रभावसँ) खंड (4) आ खंड (5) अन्तःस्थापित आ तत्पश्चात् खंड (4) आ खंड (5), खंड (9) केर रूपमे पुनःसंख्याकित आ संविधान (चौवालिसम संशोधन) अधिनियम, 1978 केर धारा 37 द्वारा (20-6-1979 सँ) खंड (5) केँ लोप कएल गेल ।

² संविधान (चौवालिसम संशोधन) अधिनियम, 1978 केर धारा 37 द्वारा (20-6-1979 सँ) “आंतरिक अशान्ति” केर स्थान पर प्रतिस्थापित ।

‘[मुदा जत’ आपातकालक उद्घोषणा भारतक राज्यक्षेत्रक कोनो भागमे प्रवर्तनमे अछि ओतए जँ आ जत’ धरि भारत वा ओकर राज्यक्षेत्रक कोनो भागक सुरक्षा, भारतक राज्यक्षेत्रक ओहि भागमे वा ओकरे संबंधमे, जाहिमे आपातक उद्घोषणा प्रवर्तनमे अछि, होम’वला क्रियाकलापक कारण संकटमे अछि तँ आ ओतए धरि, -

(i) खंड (क) केर अधीन निदेश देबाक संघक कार्यपालिका शक्तिक, आर

(ii) खंड (ख) केर अधीन विधि बनएबाक संसदक शक्तिक, विस्तार कोनो एहन राज्य पर सेहो होएत जे ओहि राज्यसँ भिन्न अछि जाहिमे वा जकर कोनो भागमे आपातक उद्घोषणा प्रवर्तनमे अछि।]

354. जखन आपातकालक उद्घोषणा लागू हो तखन राजस्वक वितरण संबंधी उपबंधक लागू होएब-(1) जखन आपातकालक उद्घोषणा प्रवर्तनमे अछि तखन राष्ट्रपति, आदेश द्वारा, ई निदेश द’ सकैछ जे एहि संविधानक अनुच्छेद 268 सँ अनुच्छेद 279 केर सभ वा कोनो उपबंध एहन कोनो अवधिक लेल, जे ओहि आदेशमे विनिर्दिष्ट कएल जाए आ जे कोनो दशामे ओहि वित्तीय वर्षक समाप्ति सँ आगू नहि बढ़त, जाहिमे एहन उद्घोषणा प्रवर्तनमे नहि रहैछ, एहन अपवाद वा उपांतरणक अधीन रहैत प्रभावी होएत, जे ओ ठीक बुझैत छथि।

(2) खंड (1) केर अधीन कएल गेल सभ आदेश, कएल जएबाक पश्चात् यथासाध्य शीघ्र, संसदक सभ सदनक सोझमे राखल जाएत।

355. बाह्य आक्रमण आओर आंतरिक अशांतिसँ प्रदेशक सुरक्षा करबाक संघक कर्तव्य-संघक ई कर्तव्य होएत ओ बाह्य आक्रमण आ आंतरिक अशान्तिसँ सभ राज्यक रक्षा करए आ सभ राज्यक सरकारक एहि संविधानक उपबंधक अनुसार चलाएब सुनिश्चित करए।

356. प्रदेशमे संवैधानिक तंत्रक विफलताक स्थितिमे उपबंध-(1) जँ राष्ट्रपतिकँ कोनो राज्यक राज्यपाल ²सँ प्रतिवेदन भेटला पर वा नहि तँ, ई संतोष भए जाइत छन्हि जे एहन स्थिति उत्पन्न भ’ गेल अछि जाहिमे ओहि राज्यक शासन एहि संविधानक उपबंधक अनुसार नहि चलाओल जा सकैछ तँ राष्ट्रपति उद्घोषणा द्वारा-

¹ संविधान (बियालिसम संशोधन अधिनियम, 1976 केर धारा 49 द्वारा (3-1-1977 सँ) जोड़ल गेल।

² संविधान (सातम संशोधन) अधिनियम, 1956 केर धारा 29 आ अनुसूची द्वारा (1-11-1956 सँ) “वा राजप्रमुख” शब्दक लोप कएल गेल।

(क) ओहि राज्यक सरकारक सभ वा कोनो कार्य आ '[राज्यपाल] मे वा राज्यक विधान-मंडलसँ भिन्न राज्यक कोनो निकाय वा प्राधिकारीमे निहित वा हुनका द्वारा प्रयोग करबा योग्य सभ वा कोनो शक्ति अपन हाथमे ल' सकैत अछि;

(ख) ई घोषणा क' सकैछ जे राज्यक विधान-मंडलक शक्ति संसद द्वारा ओकर प्राधिकारक अधीन प्रयुक्त होएत;

(ग) राज्यक कोनो निकाय वा प्राधिकारी सँ संबंधित एहि संविधानक कोनो उपबंधक प्रवर्तनकेँ पूर्णतः वा अंशतः निलंबित करबाक लेल उपबंध सहित एहन आनुषंगिक आ परिणामिक उपबंध क' सकैत अछि जे उद्घोषणाक उद्देश्यकेँ प्रभावी करबाक लेल राष्ट्रपतिकेँ आवश्यक वा वांछनीय प्रतीत होअए;

मुदा एहि खंडक कोनो बात राष्ट्रपतिकेँ उच्च न्यायालयमे निहित वा हुनका द्वारा प्रयुक्त होम'वला कोनो शक्तिकेँ अपना हाथमे लेब' वा उच्च न्यायालयसँ संबंधित एहि संविधानक कोनो उपबंधक प्रवर्तनकेँ पूर्ण रूपेँ वा आंशिक रूपेँ निलंबित करबाक लेल प्राधिकृत नहि कएल जाएत ।

(2) एहन कोनो उद्घोषणा कोनो पश्चातवर्ती उद्घोषणा द्वारा वापस लेल जा सकैछ वा ओहिमे परिवर्तन कएल जा' सकैत अछि ।

(3) एहि अनुच्छेदक अधीन कएल गेल सभ उद्घोषणा संसदक सभ-सदनक समक्ष राखल जाएत आ जत' ओ पूर्ववर्ती उद्घोषणाकेँ वापस लिअए वला उद्घोषणा नहि अछि ओतए ओ दुई मासक समाप्ति पर प्रवर्तनमे नहि रहत जँ ओहि अवधिक समाप्तिसँ पहिने संसदक दुनू सदनक संकल्प द्वारा ओकर अनुमोदन नहि क' देल जाइत अछि:

मुदा जँ एहन कोनो उद्घोषणा (जे पूर्ववर्ती उद्घोषणाकेँ वापस लेमए वला उद्घोषणा नहि अछि) ओहि समय कएल जाइछ जखन लोक सभाक विघटन भ' गेल अछि वा लोक सभाक विघटन एहि खंडमे निर्दिष्ट दू मासक अवधिक दौरान भ' जाइत अछि आ जँ उद्घोषणाक अनुमोदन कर' वला संकल्प राज्य सभा द्वारा पारित क' देल गेल अछि, मुदा एहन उद्घोषणाक संबंधमे कोनो संकल्प लोक सभा द्वारा ओहि अवधिक समाप्तिसँ पहिने पारित नहि कएल गेल अछि तँ, उद्घोषणा ओहि तिथि जाहिसँ लोक सभा अपन पुनर्गठनक पश्चात् पहिल बेर बैसैत अछि, तीस दिनक समाप्ति पर, प्रवर्तनमे नहि रहत जँ उक्त तीस दिनक अवधिक समाप्ति सँ पहिने उद्घोषणाक अनुमोदन कर' वला संकल्प लोक सभा द्वारा सेहो पारित नहि क' देल जाइत अछि ।

¹ संविधान (सातम संशोधन) अधिनियम, 1956 केर धारा 29 आ अनुसूची द्वारा (1-11-1956 सँ) “यथास्थिति वा राजप्रमुख” शब्दक लोप कएल गेल ।

(4) एहि प्रकारँ अनुमोदित उद्घोषणा, जँ वापस नहि लेल जाइत अछि तँ, एहन उद्घोषणाकें उद्घोषित करबाक तिथिसँ ¹[छओ मास] केर अवधिक समाप्ति पर प्रवर्तनमे नहि रहत:

मुदा जँ आ जतबा बेरि एहन उद्घोषणाकें प्रवृत्त बनाओल रखबाक अनुमोदन कर' वला संकल्प संसदक दुनू सदन द्वारा पारित क' देल जाइत अछि तँ आ ओतबा बेरि ओ उद्घोषणा, जँ वापस नहि लेल जाइछ तँ, ओहि तिथि जाहिसँ ओ एहि खंडक अधीन अन्यथा प्रवर्तनमे नहि रहैछ, ²[छओ मास] केर अवधि धरि प्रवृत्त बनल रहत, मुदा एहन उद्घोषणा कोनो दशामे तीन वर्षसँ बेसी प्रवृत्त नहि रहत:

मुदा ई आ जे जँ लोक सभाक विघटन ²[छओ मास] केर एहन अवधिक बीच भ' जाइछ आ एहन उद्घोषणाकें प्रवृत्त बनौने रखबाक अनुमोदन कर' वला संकल्प राज्य सभा द्वारा पारित क' देल गेल अछि, मुदा एहन उद्घोषणाकें प्रवृत्त बनौने रखबाक संबंधमे कोनो संकल्प लोक सभा द्वारा उक्त अवधिक बीच पारित नहि कएल गेल अछि तँ, उद्घोषणा ओहि तिथिसँ, जकरा लोक सभा अपन पुनर्गठनक पश्चात् पहिल बेर बैसैत अछि, तीस दिनक समाप्ति पर, प्रवर्तनमे नहि रहत जँ उक्त तीस दिनक अवधिक समाप्ति सँ पहिने उद्घोषणाकें प्रवृत्त बनौने रखबाक अनुमोदन कर' वला संकल्प लोक सभा द्वारा सेहो पारित नहि क' देल जाइछ:

³[मुदा इहो जे पंजाब राज्यक विषय 11 मई, 1987 केँ खंड (1) केर अधीन कएल गेल उद्घोषणाक दशामे एहि खंडक पहिने परंतुकमे “तीन वर्ष” केर प्रति निर्देशक एहि प्रकार अर्थ लगाओल जाएत जेना ओ ⁴[“पांच वर्ष”] केर प्रति निर्देश होअए।]

¹ संविधान (बियालिसम संशोधन) अधिनियम, 1976 केर धारा 50 द्वारा (3-1-1977 सँ) “छओ मास” केर स्थान पर प्रतिस्थापित आ तत्पश्चात् संविधान (चौवालिस्म संशोधन अधिनियम, 1978 केर धारा 38 द्वारा (20-6-1979 सँ) “खंड (3) केर अधीन उद्घोषणाक अनुमोदन कर' वला संकल्पमे सँ दोसर केर पारित भ' जएबाक तिथिसँ एक वर्ष” केर स्थान पर प्रतिस्थापित।

² संविधान (बियालिसम संशोधन) अधिनियम, 1976 केर धारा 50 द्वारा (3-1-1977 सँ) “छओ मास” केर स्थान पर “एक वर्ष” प्रतिस्थापित आ तत्पश्चात् द्वारा संविधान (चौवालिस्म संशोधन) अधिनियम 1978 केर धारा 38 क्रमशः (20-6-1979 सँ) प्रतिस्थापित।

³ संविधान (चौसठम संशोधन) अधिनियम, 1990 केर धारा 2 द्वारा (16-4-1990 सँ) अंतःस्थापित।

⁴ संविधान (सड़सठम संशोधन) अधिनियम, 1990 केर धारा 2 द्वारा (4-10-1990 सँ) प्रतिस्थापित आ तत्पश्चात् संविधान (अड़सठम संशोधन) अधिनियम, 1991 केर धारा 2 द्वारा (12-3-1991 सँ) प्रतिस्थापित।

¹[(5) खंड (4) मे कोनो बातक होइतहुँ, खंड (3) केर अधीन अनुमोदित उद्घोषणा कएल जाएबला तिथिसँ एक वर्षक समाप्तिसँ आगू कोनो अवधिक लेल एहन उद्घोषणाकेँ प्रवृत्त बनौने रखबाक संबंधमे कोनो संकल्प संसदक कोनो सदन द्वारा तखन पारित कएल जाएत जखन-

(क) एहन संकल्पक पारित कर' बला समय आपातक उद्घोषणा यथास्थिति, संपूर्ण भारतमे अथवा संपूर्ण राज्य वा ओकर कोनो भागमे प्रवर्तनमे अछि; आ

(ख) निर्वाचन आयोग ई प्रमाणित क' दैत अछि जे एहन संकल्पमे निर्दिष्ट अवधिक मध्य खंड (3) केर अधीन अनुमोदित उद्घोषणाकेँ प्रवृत्त बनौने रखब, संबंधित राज्यक विधान सभाक साधारण निर्वाचन करएबामे कठिनाईक कारण, आवश्यक अछि:]

²[मुदा एहि खंडक कोनो बात पंजाब राज्यक विषय 11 मई, 1987 केँ खंड (1) केर अधीन कएल गेल उद्घोषणा लागू नहि होएत।]

357. अनुच्छेद 356 केर अधीन कएल गेल उद्घोषणाक अधीन विधायी शक्तिक प्रयोग-(1) जत' अनुच्छेद 356 केर खंड (1) केर अधीन कएल गेल उद्घोषणा द्वारा ई घोषणा कएल गेल अछि जे राज्यक विधान मंडलक शक्ति संसद द्वारा वा ओकर प्राधिकारक अधीन प्रयोक्तव्य होएत ओतए-

(क) राज्यक विधान मंडलक विधि बनएबाक शक्ति राष्ट्रपतिकेँ प्रदान करबाक आ एहि प्रकारेँ प्रदत्त शक्तिक कोनो आन प्राधिकारीकेँ, जकरा राष्ट्रपति एहि निमित्त निर्दिष्ट करथि, एहन शर्तक अधीन, जकरा राष्ट्रपति अधिरोपित करब ठीक बुझथि, प्रत्यायोजन करबा लेल राष्ट्रपतिकेँ प्राधिकृत करबाक संसदकेँ;

(ख) संघ वा ओकर अधिकारी आ प्राधिकारीकेँ शक्ति प्रदान करब वा हुनका पर कर्तव्य आरोपित करबाक लेल अथवा शक्तिक प्रदान कएल जाएब वा कर्तव्यक अधिरोपित कएल जाएब प्राधिकृत करबाक लेल, विधि बनएबाक संसदकेँ अथवा राष्ट्रपतिकेँ वा एहन आन प्राधिकारीकेँ, जाहिमे एहन विधि बनएबाक शक्ति उपखंड (क) केर अधीन निहित अछि;

(ग) जखन लोक सभा सत्रमे नहि अछि तखन राज्यक संचित निधिमे सँ खर्चक लेल, संसदक मंजूरी लंबित रहए धरि एहन खर्चकेँ प्राधिकृत करबाक राष्ट्रपतिकेँ क्षमता होएत।

¹ संविधान (अड़तीसम संशोधन) अधिनियम, 1975 केर धारा 6 द्वारा (भूतलक्षी प्रभावसँ) अंतःस्थापित आ तत्पश्चात् संविधान (चौवासिम संशोधन) अधिनियम, 1978 धारा 38 (20.6.1979 सँ) खंड (5) केर स्थान पर प्रतिस्थापित।

² संविधान (तिरसठम संशोधन) अधिनियम, 1989 केर धारा 2 द्वारा (6.1.1990 सँ) लोप कएल गेल जकरा संविधान (चौसठम संशोधन) अधिनियम, 1990 केर धारा 2 द्वारा (16.4.1990 सँ) अंतःस्थापित कएल गेल छल।

¹[(2) राज्यक विधान मंडलक शक्तिक प्रयोग करैत संसद द्वारा, अथवा राष्ट्रपति वा खंड (1) केर उपखंड (क) मे निर्दिष्ट आन प्राधिकारी द्वारा बनाओल गेल एहन विधि, जकरा संसद अथवा राष्ट्रपति वा एहन आन प्राधिकारी अनुच्छेद 356 केर अधीन कएल गेल उद्घोषणाक अभावमे बनएबाक लेल सक्षम नहि होइछ, उद्घोषणाक प्रवर्तनमे नहि रहलाक पश्चात् ताधरि प्रवृत्त बनल रहत जाधरि सक्षम विधान मंडल वा आन प्राधिकारी द्वारा ओकर परिवर्तन वा निरसन वा संशोधन नहि कए देल जाइत अछि।]

358. आपातकालक अवधिमे अनुच्छेद 19 केर उपबंधक निलंबन-²[(1)] ³[जखन युद्ध वा बाह्य आक्रमणक कारण भारत वा ओकर राज्यक्षेत्रक कोनो भागक सुरक्षाक संकटमे होएबाक घोषणा कर' वला आपातक उद्घोषणा प्रवर्तनमे अछि] तखन अनुच्छेद 19 केर कोनो बात भाग 3 मे यथा परिभाषित राज्यक कोनो एहन विधि बनएबाक वा कोनो एहन कार्यपालिका कार्यवाई करबाक शक्तिकेँ, जकरा ओ राज्य ओहि भागमे अंतर्विष्ट उपबंधक अभावमे बनएबा वा करबाक लेल सक्षम होइछ, निर्बंधित नहि करत, मुदा एहि प्रकारेँ बनाओल गेल कोनो विधि उद्घोषणाक प्रवर्तनमे नहि रहला पर अक्षमताक मात्रा धरि ओहि बातक अतिरिक्त शीघ्रहि प्रभावहीन भ' जाएत, जकरा विधिक एहि प्रकार प्रभावहीन होम' सँ पहिने कएल गेल अछि वा करबाकेँ लोप कएल गेल अछि:

⁴[मुदा ⁵[जतए आपातकालक एहन उद्घोषणा] भारतक राज्यक्षेत्रक कोनो भागमे प्रवर्तनमे अछि ओत', जँ आ जतए धरि भारत वा ओकर राज्यक्षेत्रक कोनो भागक सुरक्षा, भारतक राज्यक्षेत्रक ओहि भागमे वा ओकर संबंधमे, जाहिमे आपातक उद्घोषणा प्रवर्तनमे अछि, होम' वला क्रियाकलापक कारण संकटमे अछि तँ ओतए धरि, एहन राज्य वा केन्द्र शासित प्रदेशमे वा ओकरा संबंधमे, जाहि मे वा जकर कोनो भागमे आपातक उद्घोषणा प्रवर्तनमे नहि अछि, एहि अनुच्छेदक अधीन एहन कोनो विधि बनाओल जा सकैत अछि वा एहन कोनो कार्यपालिका कार्यवाई कएल जा सकैत अछि।]

⁶[(2) खंड (1) केर कोनो बात, -]

¹ संविधान (बियालिसम संशोधन) अधिनियम, 1976 केर धारा 51 द्वारा (3-1-1977 सँ) प्रतिस्थापित।

² संविधान (चौवालिस्म संशोधन) अधिनियम, 1978 केर धारा 39 द्वारा (20-6-1979 सँ) अनुच्छेद 358 केँ खंड (1) केर रूपमे पुनःसंख्याकित कएल गेल।

³ संविधान (चौवालिस्म संशोधन) अधिनियम, 1978 केर धारा 39 द्वारा (20-6-1979 सँ) “जखन आपातक उद्घोषणा प्रवर्तनमे अछि” शब्दक स्थान पर प्रतिस्थापित।

⁴ संविधान (बियालिसम संशोधन) अधिनियम, 1976 केर धारा 52 द्वारा (3-1-1977 सँ) जोड़ल गेल।

⁵ संविधान (चौवालिस्म संशोधन) अधिनियम, 1978 केर धारा 39 द्वारा (20-6-1979 सँ) “जत’ आपातक उद्घोषणा” शब्दक स्थान पर प्रतिस्थापित।

⁶ संविधान (चौवालिस्म संशोधन) अधिनियम, 1978 केर धारा 39 द्वारा (20-6-1979 सँ) अंतःस्थापित।

(क) कोनो एहन विधि लागू नहि होएत जाहिमे एहि आशयक उल्लेख अंतर्विष्ट नहि अछि जे एहन विधि ओकरा बनाओल जाएबाक समय प्रवृत्त आपातक उद्घोषणाक संबंधमे अछि; वा

(ख) कोनो एहन कार्यपालिका कार्यवाई लागू नहि होएत जे एहन उल्लेख अंतर्विष्ट कर' वला विधिक अधीन नहि क' कए अन्यथा कएल गेल अछि ।

359. आपातकालक अवधिमे भाग 3 द्वारा प्रदत्त अधिकारक प्रवर्तन पर रोक-(1) जतए आपातकालक उद्घोषणा प्रवर्तनमे अछि ओत' राष्ट्रपति, आदेश द्वारा ई घोषणा क' सकैछ जे ¹[अनुच्छेद 20 आर अनुच्छेद 21 कें छोड़िक'] भाग 3 द्वारा प्रदत्त एहन अधिकार] कें प्रवर्तित करएबाक लेल, जे ओहि आदेशमे उल्लिखित कएल जाए, कोनो न्यायालयकें फेर सँ करबाक अधिकार आ एहि प्रकारें उल्लिखित अधिकारकें प्रवर्तित करएबाक लेल कोनो न्यायालयमे लंबित सभ कार्यवाही ओहि अवधिक लेल जकरा मध्य उद्घोषणा प्रवृत्त रहैछ वा ओहिसँ लघुतर एहन अवधिक लेल जे आदेशमे विनिर्दिष्ट कएल जाए, निलंबित रहत ।

²[(1क) जखन ²[(अनुच्छेद 20 आ अनुच्छेद 21 कें छोड़िक')] भाग 3 द्वारा प्रदत्त कोनो अधिकार] कें उल्लिखित कर' वला खंड (1) केर अधीन कएल गेल आदेश प्रवर्तनमे अछि तखन ओहि भागमे ओहि अधिकारकें प्रदान कर'वला कोनो बात ओहि भागमे यथा परिभाषित राज्यक कोनो एहन विधि बनएबाक वा कोनो एहन कार्यपालिका कार्यवाई करबाक शक्तिकें, जकरा ओ राज्य ओहि भागमे अंतर्विष्ट उपबंधक अभावमे बनाएव वा करबाक लेल सक्षम होएत, निर्बंधित नहि करत, मुदा एहि तरहें बनाओल गेल कोनो विधि पूर्वोक्त आदेशक प्रवर्तनमे नहि रहला पर अक्षमताक मात्रा धरि ओहि बातक बिनु तुरंत प्रभावहीन भ' जाएत, जकरा विधिक एहि प्रकारें प्रभावहीन होएबाक पहिने कएल गेल अछि वा करबाकें लोप कएल गेल अछि:]

³[मुदा जत' आपातकालक उद्घोषणा भारतक राज्यक्षेत्रक मात्र कोनो भागमे प्रवर्तनमे अछि ओतए, जँ आ जत' धरि भारत वा ओकर राज्यक्षेत्रक कोनो भागक सुरक्षा, भारतक राज्यक्षेत्रक ओहि भागमे वा ओकर संबंधमे, जाहिमे आपातकालक उद्घोषणा प्रवर्तनमे अछि, होम' वला क्रियाकलापक कारण संकटमे अछि तँ ओतए धरि, एहन राज्य वा केन्द्र शासित प्रदेशमे वा ओकर संबंधमे, जाहिमे वा जकर कोनो भाग'मे आपातक उद्घोषणा प्रवर्तनमे नहि अछि, एहि अनुच्छेदक अधीन एहन कोनो विधि बनाओल जा' सकैछ वा एहन कोनो कार्यपालिका कार्यवाई कएल जा' सकैछ ।]

¹ संविधान (चौवालिंसम संशोधन) अधिनियम, 1978 केर धारा 40 द्वारा (20-6-1979 सँ) “भाग 3 द्वारा प्रदत्त अधिकार” केर स्थान पर प्रतिस्थापित ।

² संविधान (अड़तीसम संशोधन) अधिनियम, 1975 केर धारा 7 द्वारा (भूतलक्षी प्रभावसँ) अंतःस्थापित ।

³ संविधान (बियालिंसम संशोधन) अधिनियम, 1976 केर धारा 53 द्वारा (3-1-1977 सँ) जोड़ल गेल ।

¹[(1 ख) खंड (1 क) केर कोनो बात-

(क) कोनो एहन विधि लागू नहि होएत जाहिमे एहि आशयक उल्लेख अंतर्विष्ट नहि अछि जे एहन विधि ओकर बनाओल जाएत समय प्रवृत्त आपातक उद्घोषणाक संबंधमे अछि; वा

(ख) कोनो एहन कार्यपालिका कार्यवाई लागू नहि होएत जे एहन उल्लेख अंतर्विष्ट करएवला विधिक अधीन नहि कए अन्यथा कएल गेल अछि ।]

(2) पूर्वोक्त रूपमे कएल गेल आदेशक विस्तार भारतक संपूर्ण राज्यक्षेत्र वा ओकर कोनो भाग पर भ' सकैछ:

²[मुदा जत' आपातकालक उद्घोषणा भारतक राज्यक्षेत्रक कोनो भागमे प्रवर्तनमे अछि ओत' कोनो एहन आदेशक विस्तार भारतक राज्यक्षेत्रक कोनो आन भाग पर तखन होएत जखन राष्ट्रपति, ई संतुष्ट भ' जाथि जे भारत वा ओकर राज्यक्षेत्रक कोनो भागक सुरक्षा, भारतक राज्यक्षेत्रक ओहि भागमे वा ओकरा संबंधमे, जाहिमे आपातक उद्घोषणा प्रवर्तनमे अछि, होमए वला क्रियाकलापक कारण संकटमे अछि, एहन विस्तार आवश्यक बुझैत अछि ।]

(3) खंड (1) केर अधीन कएल गेल सभ आदेश, कएल जाएत पश्चात् यथासाध्य शीघ्र, संसदक सभ सदनक समक्ष राखल जाएत ।

³359क. [एहि भागक पंजाब राज्य पर लागू होएब]-संविधान (तिरसठम संशोधन) अधिनियम, 1989 केर धारा 3 द्वारा (6.1.1990 सँ) लोप कएल गेल ।

360. वित्तीय आपातकालक विषयमे उपबंध-(1) जँ राष्ट्रपतिक ई संतुष्ट भ' जाइत छथि जे एहन स्थिति उत्पन्न भ' गेल अछि जाहिसँ भारत वा ओकर राज्यक्षेत्रक कोनो भागक वित्तीय स्थायित्व वा प्रत्यय संकटमे अछि तँ ओ उद्घोषणा द्वारा एहि आशयक घोषणा क' सकताह ।

⁴[(2) खंड (1) केर अधीन कएल गेल उद्घोषणा-]

(क) कोनो पश्चातवर्ती उद्घोषणा द्वारा वापस लेल जा' सकैछ वा परिवर्तित कएल जा सकैछ;

(ख) संसदक सभ सदनक समक्ष राखल जाएत;

¹ संविधान (चौवालिसम संशोधन) अधिनियम, 1978 केर धारा 40 द्वारा (20-6-1979 सँ) अंतःस्थापित ।

² संविधान (बियालिसम संशोधन) अधिनियम, 1976 केर धारा 53 द्वारा (3-1-1977 सँ) जोड़ल गेल ।

³ संविधान (उनसठम संशोधन) अधिनियम, 1988 केर धारा 3 द्वारा (30-3-1988 सँ) अंतःस्थापित । ई, ओहि अधिनियमक प्रारंभ सँ, अर्थात्, 1988 केर मार्चक तीसम दिन सँ दुई वर्षक अवधिक समाप्तिक पश्चात् प्रवृत्त नहि रहत ।

⁴ संविधान (चौवालिसम संशोधन) अधिनियम, 1978 केर धारा 41 द्वारा (20-6-1979 सँ) खंड (2) केर स्थान पर प्रतिस्थापित ।

(ग) दू मासक समाप्ति पर, प्रवर्तनमे नहि रहत जँ ओहि अवधिक समाप्तिसँ पहिने संसदक दुनू सदनक संकल्प द्वारा ओकर अनुमोदन नहि क' देल जाइत छथि:

मुदा जँ एहन कोनो उद्घोषणा ओहि समय कएल जाइछ जखन लोक सभाक विघटन भ' गेल अछि वा लोक सभाक विघटन उपखंड (ग) मे निर्दिष्ट दू मासक अवधिक बीच भ' जाइछ आ जँ उद्घोषणाक अनुमोदन कर' वला संकल्प राज्य सभा द्वारा पारित क' देल गेल अछि, मुदा एहन उद्घोषणाक संबंधमे कोनो संकल्प लोक सभा द्वारा ओहि अवधिक समाप्तिक पहिने पारित नहि कएल गेल अछि तँ उद्घोषणा ओहि तिथिसँ, जाहि तिथिसँ लोक सभा अपन पुनर्गठनक पश्चात् पहिल बेर बैसैत अछि, तीस दिनक समाप्ति पर प्रवर्तनमे नहि रहत जँ उक्त तीस दिनक अवधिक समाप्तिसँ उद्घोषणाक अनुमोदन कर' वला संकल्प लोक सभा द्वारा सेहो पारित नहि क' देल जाइछ ।]

(3) ओहि अवधिक मध्य, जाहिमे खंड (1) मे उल्लिखित उद्घोषणा प्रवृत्त रहैछ, संघक कार्यपालिका शक्तिक विस्तार कोनो राज्यकें वित्तीय औचित्य संबंधी एहन सिद्धान्तक पालन करबाक लेल निदेश देबा धरि, जे निदेशमे निर्दिष्ट कएल जाए, आ एहन आन निदेश देबा धरि होएत जकरा राष्ट्रपति ओहि प्रयोजनक लेल देब आवश्यक आ पर्याप्त बुझथि ।

(4) एहि संविधानमे कोनो बातक होइतहुँ, -

(क) एहन कोनो निदेशक अंतर्गत-

(i) कोनो राज्यक कार्यकलापक संबंधमे सेवा कर' वला सभ वा कोनो वर्गक व्यक्तिक वेतन आ भत्तामे कमीक अपेक्षा कर' वला उपबंध;

(ii) धन विधेयक वा आन एहन विधेयककें, जे अनुच्छेद 207 केर उपबंध लागू होइछ, राज्यक विधान मंडल द्वारा पारित कएल जाएबाक पश्चात् राष्ट्रपतिक विचारक लेल आरक्षित रखबाक लेल उपबंध भ' सकैछ;

(ख) राष्ट्रपति, ओहि अवधि मध्य जाहिमे एहि अनुच्छेदक अधीन कएल गेल उद्घोषणा प्रवृत्त रहैत अछि, संघक कार्यकलापक संबंधमे सेवा कर' वला सभ वा कोनो वर्गक व्यक्तिक, जकरा अंतर्गत उच्चतम न्यायालय आ उच्च न्यायालयक न्यायाधीश छथि, वेतन आ भत्तामे कमी करबाक लेल निदेश देबाक लेल सक्षम होएत ।

¹[(5) * * * * *]

¹ संविधान (अड़तीसम संशोधन) अधिनियम, 1975 केर धारा 8 द्वारा (भूतलक्षी प्रभावसँ) अंतःस्थापित आ ओकर संविधान (चौवालिसम संशोधन) अधिनियम, 1978 केर धारा 41 द्वारा (20-6-1979 सँ) लोप कएल गेल ।

भाग-19

विविध

361. राष्ट्रपति, राज्यपाल ओ राजप्रमुखक संरक्षण--(1) राष्ट्रपति अथवा राज्यक राज्यपाल वा राजप्रमुख अपन पदक शक्तिक प्रयोग आ कर्तव्यक पालनक लेल वा ओहेन शक्तिक प्रयोग आ कर्तव्यक पालन करैत अपनहि द्वारा कएल गेल वा कएल जएबाक लेल तत्संबंधित कोनो कार्यक लेल कोनो न्यायालयक प्रति उत्तरदायी नहि होएत:

मुदा अनुच्छेद 61 केर अधीन आरोपक अन्वेषणक लेल संसदक कोनो सदन द्वारा नियुक्त वा अभिहित कोनो न्यायालय, अधिकरण वा निकाय द्वारा राष्ट्रपतिक आचरणक पुनर्विलोकन कएल जा' सकैछ:

मुदा ई आ एहि खंडक कोनो बातक ई अर्थ नहि लगाओल जाएत जे ओ भारत सरकारक कोनो राज्यक सरकारक विरुद्ध समुचित कार्यवाही चलएबाक कोनो व्यक्तिक अधिकारकें निर्बंध करैत अछि ।

(2) राष्ट्रपति वा कोनो राज्यक राज्यपाल ^{1***} केर विरुद्ध ओकर पदावधि मध्य कोनो न्यायालयमे कोनो प्रकारक आपराधिक संस्थापित कार्यवाही संस्थित नहि कएल जाएत वा प्रारंभ नहि राखल जाएत ।

(3) राष्ट्रपति वा कोनो राज्यक राज्यपाल ^{1***} केर पदावधि मध्य ओकर गिरफ्तारी वा कारावासक लेल कोनो न्यायालयसँ कोनो आदेशिका निकालल नहि जाएत ।

(4) राष्ट्रपति वा कोनो राज्यक राज्यपाल ^{1***} केर रूपमे अपन पद ग्रहण करबासँ पहिने वा ओकर बाद, ओकरा द्वारा अपन वैयक्तिक स्थितिमे कएल गेल वा कएल जएबाक लेल तत्संबंधित कोनो कार्यक संबंधमे कोनो सिविल कार्यवाही, जाहिमे राष्ट्रपति वा एहन राज्यक राज्यपाल ^{1***} केर विरुद्ध अनुतोषक दावा कएल जाइत अछि, ओकर पदावधिक दौरान कोनो न्यायालयमे ताधरि संस्थापित नहि कएल जाएत जाधरि कार्यवाहीक प्रकृति, हुनका लेल वाद हेतुक, एहन कार्यवाहीकें संस्थापित कर' वला पक्षकारक नाम, वर्णन, निवास-स्थान आ ओहि अनुतोषक जकर ओ दावा करैछ, कथन (वाचन) कर' वला लिखित सूचना, यथास्थिति, राष्ट्रपति वा राज्यपाल ^{1***} कें परिदत्त कएल जएबाक वा ओकर कार्यालयमे छोड़ल जएबाक पश्चात् दू मासक समय समाप्त नहि भ' गेल अछि ।

¹ संविधान (सातम संशोधन अधिनियम, 1956 केर धारा 29 आ अनुसूची द्वारा (1-11-1956 सँ) “वा राजप्रमुख” शब्दक लेल कएल गेल ।

¹[361क. संसद आ राज्य विधान-मंडलक कार्यवाहीक प्रकाशनक संरक्षण-कोनो व्यक्ति संसदक कोनो सदन वा, यथास्थिति, कोनो राज्यक विधान सभा वा कोनो राज्यक विधान मंडलक कोनो सदनक कोनो कार्यवाहीक सारतः सही विवरणक कोनो समाचार पत्रमे प्रकाशनक संबंधमे कोनो न्यायालयमे कोनो प्रकारक सिविल वा आपराधिक कार्यवाहीक ताबत धरि भागी नहि होएत जाधरि ई सिद्ध नहि क' देल जाइछ जे प्रकाशन विद्वेषपूर्वक कएल गेल अछि:

मुदा एहि खंडक कोनो बात संसदक कोनो सदन वा, यथास्थिति, कोनो राज्यक विधान सभा वा कोनो राज्यक विधान मंडलक कोनो सदनक गुप्त बैसारक कार्यवाहीक विवरणक प्रकाशनकें लागू नहि होएत।

(2) खंड (1) कोनो प्रसारण केन्द्रक माध्यमसँ उपलब्ध कोनो कार्यक्रम वा सेवाक भागरूप बेतार तार प्रेषण-प्रणालीक माध्यमसँ प्रसारित रिपोर्ट वा सामग्रीक संबंधमे ओहि प्रकारें लागू होएत जाहि प्रकारें ओ कोनो समाचार पत्रमे प्रकाशित रिपोर्ट वा सामग्रीक संबंधमे लागू होइछ।

स्पष्टीकरण-एहि अनुच्छेदमे, “समाचार पत्र”क अंतर्गत समाचार एजेंसी’क एहन रिपोर्ट अछि जाहिमे कोनो समाचार पत्रमे प्रकाशनक लेल सामग्री अंतर्गट अछि।]

²[361ख. लाभप्रद राजनीतिक पद पर नियुक्तिक हेतु निरर्हता-कोनो राजनीतिक दलक कोनो सदनक कोनो सदस्य, जे दसम अनुसूचीक पैरा 2 केर अधीन सदनक सदस्य होएबाक लेल निरर्हित अछि, अपन निरर्हताक तिथिसँ आरंभ होमए वला आ ओहि तिथि धरि जकरा एहन सदस्यक रूपमे ओकर पदावधि समाप्त होएत वा ओहि तिथि धरि जकरा ओ कोनो सदनक लेल कियो निर्वाचन लडैत अछि, आ निर्वाचित घोषित कएल जाइत अछि, एहिमे सँ जे पूर्वतर हुअए, ताहि अवधिक मध्य, कोनो लाभप्रद राजनीतिक पद धारण करबाक लेल सेहो निरर्हित होएत।]

स्पष्टीकरण-एहि अनुच्छेदक प्रयोजनक लेल, -

(क) “सदन” पदक ओएह अर्थ अछि जे ओकर दसम अनुसूचीक पैरा 1 केर खंड (क) मे अछि;

(ख) “लाभप्रद राजनीतिक पद” अभिव्यक्तिसँ अभिप्रेत अछि, -

(i) भारत सरकार वा कोनो राज्य सरकारक अधीन कोनो पद, जत’ एहन पद केर लेल वेतन वा पारिश्रमिक केर भुगतान, यथास्थिति, भारत सरकार वा राज्य सरकारक लोक राजस्वसँ कएल जाइछ; वा

¹ संविधान (चौवालिख सशोधन) अधिनियम, 1978 केर धारा 42 द्वारा (20-6-1979 सँ) अंतःस्थापित।

² संविधान (इक्क्यानवेयम सशोधन) अधिनियम, 2003 केर धारा 4 द्वारा (1-1-2004 सँ) अंतःस्थापित।

(ii) कोनो निकायक अधीन, चाहे निगमित हुआ वा नहि, जे भारत सरकार वा कोनो राज्य सरकारक पूर्णतः वा अंशतः स्वामित्वाधीन अछि, कोनो पद आ एहन पदक लेल वेतन वा पारिश्रमिकक भुगतान एहन निकायसँ कएल जाइछ;

ओकर अतिरिक्त जत' संदत्त एहन वेतन वा पारिश्रमिक प्रतीकात्मक स्वरूपक अछि ।]

362. [देशी राज्यक शासकक अधिकार आओर विशेषाधिकार]]-संविधान (छब्बीसम संशोधन) अधिनियम, 1971 केर धारा 2 द्वारा (28.12.1971 सँ) लोप कएल गेल ।

363. कतिपय संधि, समझौता आदिसँ उत्पन्न विवादमे न्यायालयक हस्तक्षेप पर प्रतिबंध आदि-
(1) एहि संविधानमे कोनो बातक होइतहुँ, मुदा अनुच्छेद 143 केर उपबंधक अधीन रहैत, उच्चतम न्यायालय वा कोनो आन न्यायालयकेँ कोनो एहन संधि, अनुबंध, प्रसंविदा, वचनबंध, सनद वा एहने आन दस्तावेजक कोनो उपबंधसँ, जे एहि संविधानक आरंभसँ पहिने कोनो देशी राज्यक शासक द्वारा कएल गेल छल वा निष्पादित कएल गेल छल आ जाहिमे भारत अधिक्षेत्रक सरकार वा ओकर पूर्ववर्ती कोनो सरकार आ जाहिमे भारत अधिक्षेत्रक सरकार वा ओकर पूर्ववर्ती कोनो सरकार एक पक्षकार छल आ जे एहन आरंभक पश्चात् प्रवर्तनमे अछि वा प्रवर्तनमे बनल अछि, उत्पन्न कोनो विवादमे वा एहन संधि, अनुबंध, प्रसंविदा, वचनबंध, सनद वा ओहन आन दस्तावेजसँ संबंधित एहि संविधानक कोनो उपबंधक अधीन प्रोद्भूत कोनो अधिकार वा ओहिसँ उद्भूत कोनो दायित्व वा बाध्यताक संबंधमे कोनो विवादमे अधिकारिता नहि होएत ।

(2) एहि अनुच्छेदमे-

(क) “देशी राज्य” सँ एहन राज्यक्षेत्र अभिप्रेत अछि जकरा ब्रिटिश सरकार वा भारत अधिक्षेत्रक सरकारसँ एहि संविधानक आरंभसँ पहिने एहन राज्यक रूपमे मान्यता प्राप्त छल; आ

(ख) “शासक” केर अंतर्गत एहन राजा, प्रमुख वा आन व्यक्ति अछि जकरा ब्रिटिश सरकारसँ वा भारत अधिक्षेत्रक सरकारसँ पूर्वहिसँ पहिने कोनो देशी राज्यक शासनक रूपमे मान्यता प्राप्त छल ।

¹[363क. देशी राज्यक शासककेँ देल गेल मान्यताक समाप्ति आ निजी संपत्ति (प्रिवी पर्स)क अंत-एहि संविधान वा तत्समय प्रवृत्त कोनो विधिमे कोनो बातक होइतहुँ-]

(क) एहन राजा, प्रमुख वा आन व्यक्ति, जकरा संविधान (छब्बीसम संशोधन) अधिनियम, 1971 केर प्रारंभसँ पूर्व कोनो समय राष्ट्रपतिसँ कोनो देशी राज्यक शासकक रूपमे मान्यता प्राप्त छल, वा एहन व्यक्ति, जिनका पूर्वहिसँ कोनो समय राष्ट्रपतिसँ एहन शासक वा एहन शासकक उत्तराधिकारीक रूपमे मान्यता प्राप्त छलनि, एहन हुनका आ एहन शासक वा एहन शासकक उत्तराधिकारीक रूपमे मान्यता प्राप्त नहि रहि जाएत;

¹ संविधान (छब्बीसम संशोधन) अधिनियम, 1971 केर धारा 3 द्वारा (28-12-1971 सँ) अनुच्छेद 363 क केँ अंतःस्थापित कएल गेल ।

भारतक संविधान

(भाग 19-विविध)

(ख) संविधान (छब्बीसम संशोधन) अधिनियम, 1971 सँ एवं तकरा बादसँ व्यक्तिगत धनराशि (प्रिवी पर्स) केर अन्त कएल जाइत अछि आओर व्यक्तिगत धनराशि (प्रिवी पर्स) केर संबंधमे सभ अधिकार, दायित्व आओर बाध्यता सभ विलोपित कएल जाइत अछि आओर तदनुसार खंड (क) मे निर्दिष्ट, यथास्थिति, शासक अथवा एहन शासक केर उत्तराधिकारी केँ अथवा अन्य व्यक्ति केँ कोनो राशि केर व्यक्तिगत धनराशि (प्रिवी पर्स)क रूपमे भुगतान नहि कएल जाएत ।

364. महापत्तन आओर विमानपत्तन सभक संबंधमे विशेष उपबंध-(1) एहि संविधानमे कोनो बातक रहितहु, राष्ट्रपति लोक अधिसूचना द्वारा निदेश द' सकताह जे ओहि तिथिसँ, जे ओहि अधिसूचना मे विनिर्दिष्ट कएल जाए, -

(क) संसद अथवा कोनो राज्यक विधान मंडल द्वारा बनाओल गेल कोनो विधि कोनो महापत्तन अथवा विमानक्षेत्र केँ लागू नहि होएत अथवा एहन अपवाद अथवा उपांतरण सभक अधीन रहैत लागू होएत जे ओहि अधिसूचना मे विनिर्दिष्ट कएल जाए; अथवा

(ख) कोनो विद्यमान विधि कोनो महापत्तन अथवा विमानक्षेत्रमे ओहि बातक अतिरिक्त प्रभावी नहि रहैत जकरा उक्त तिथिसँ पहिने कएल गेल अछि अथवा करबाकेँ लोप कएल गेल अछि अथवा एहन पत्तन अथवा विमानक्षेत्र केँ लागू होएबामे एहन अपवाद अथवा उपांतरण सभक अधीन रहैत प्रभावी होएत जे ओहि अधिसूचना मे विनिर्दिष्ट कएल जाए ।

(2) एहि अनुच्छेदमे-

(क) “महापत्तन” सँ एहन पत्तन अभिप्रेत अछि जकरा संसद द्वारा बनाओल गेल कोनो विधि अथवा कोनो विद्यमान विधि द्वारा अथवा ओकर अधीन महापत्तन घोषित कएल गेल अछि आओर एकर अंतर्गत एहन सभ क्षेत्र अछि जे ओहि समय मे एहन पत्तन केर सीमा सभक भीतर अछि :

(ख) “विमान क्षेत्र” सँ वायु मार्ग, वायुयान सभ आओर विमान चालन सँ संबंधित अधिनियमिति सभक प्रजोयनक लेल यथा परिभाषित विमानक्षेत्र अभिप्रेत अछि ।

365. संघ द्वारा देल गेल निदेश सभक अनुपालन करबामे अथवा ओकरा प्रभावी करबामे असफलताक प्रभाव-जतए एहि संविधानक कोनो उपबंधक अधीन संघक कार्यपालिका शक्तिक प्रयोग करैत देल गेल कोनो निदेश सभक अनुपालन करबामे अथवा ओकरा प्रभावी करबामे कोनो राज्य असफल रहैत अछि ओतए राष्ट्रपतिक लेल ई मानब विधिपूर्ण होएत जे एहन स्थिति उत्पन्न भ' गेल अछि जाहिमे ओहि राज्यक शासन एहि संविधानक उपबंध सभक अनुसार नहि चलाओल जा सकैत अछि ।

366. परिभाषा-एहि संविधानमे जाधरि संदर्भ सँ अन्यथा अपेक्षित नहि होअए, निम्नलिखित पद सभक निम्नलिखित अर्थ अछि, अर्थात :-

(1) “कृषि-आय” सँ भारतीय आयकर सँ संबंधित अधिनियमिति सभक प्रयोजनक लेल जेना परिभाषित कृषि-आय अभिप्रेत अछि ;

(2) “आंग्ल-भारतीय” सँ एहन व्यक्ति अभिप्रेत अछि जकर पिता अथवा पितृ-परम्परा मे कियो अन्य पुरुष जिनक यूरोपीय उद्भव केर अछि अथवा छल, मुदा जे भारतक राज्यक्षेत्रमे अधिवासी अछि आओर जे एहन राज्यक्षेत्रमे एहन माता-पिता सँ जन्म लेने अछि अथवा जन्म लेने छल जे ओतए साधारणतया, निवासी रहल अछि आओर मात्र अस्थायी प्रयोजन सभक लेल वास नहि क’ रहल अछि;

(3) “अनुच्छेद” सँ एहि संविधानक अनुच्छेद अभिप्रेत अछि ;

(4) “कर्ज लेब” केर अंतर्गत “कर्ज”क द्वारा आओर अर्थक अर्जन अछि;

¹[(4क) * * * * *]

(5) “खंड” सँ अनुच्छेद केर खंड अभिप्रेत अछि जाहिमे ओ पद अबैत अछि ;

(6) “निगम कर” सँ कोनो आय पर कर अभिप्रेत अछि, जतए धरि ओ कर कंपनी सभक द्वारा भुगतेय अछि आओर एहन कर अछि जकरा संबंधमे निम्नलिखित शर्त पूरा होइत अछि, अर्थात :-

(क) ओ कृषि-आय केर संबंधमे प्रभार्य नहि अछि ;

(ख) कंपनी सभक द्वारा भुगतेय कर केर संबंधमे कंपनी द्वारा व्यष्टि सभक भुगतेय लाभांश मे सँ कोनो कटौती केर कएल जाएब ओहि कर केँ लागू अधिनियमिति द्वारा प्राधिकृत नहि अछि ;

(ग) एहन लाभांश प्राप्त करएबला व्यष्टि केर कुल आय केर भारतीय आयकर केर प्रयोजन सभक लेल गणना करबामे अथवा एहन व्यष्टि द्वारा भुगतेय अथवा ओकरा प्रतिदेय भारतीय आयकर केर गणना करबामे, एहि प्रकारेँ संदत्त कर केर हिसाबमे लेबाक लेल कोनो उपबंध विद्यमान नहि अछि ।

(7) शंका केर स्थिति मे, “तत्संबंधी प्रांत”, “तत्संबंधी देशी राज्य” अथवा “तत्संबंधी राज्य” सँ एहन प्रांत, देशी राज्य अथवा राज्य अभिप्रेत अछि जकरा राष्ट्रपति प्रश्नगत कोनो विशिष्ट प्रयोजनक लेल, यथास्थिति, तत्संबंधी प्रांत, तत्संबंधी देशी राज्य अथवा तत्संबंधी राज्य सुनिश्चित करए;

¹ संविधान (बियालिसम संशोधन) अधिनियम, 1976 केर धारा 54 द्वारा (1-2-1977 सँ) खंड (4क) अन्तः स्थापित कएल गेल आओर ओकर संविधान (तैतालीसम संशोधन) अधिनियम, 1977 केर धारा 11 द्वारा (13-04-1978 सँ) लोप कएल गेल ।

(8) “ऋण” के अंतर्गत वार्षिकी सभक रूपमे मूलधन केर प्रतिभुगतान केर कोनो बाध्यताक संबंधमे कोनो दायित्व आओर कोनो प्रत्याभूति केर अधीन कोनो दायित्व अछि आओर “ऋणभार” केर तदनुसार अर्थ लगाओल जाएत ।

(9) “संपदा शुल्क” सँ ओ शुल्क अभिप्रेत अछि जे एहन नियम सभक अनुसार जे संसद अथवा कोनो राज्य केर विधान मंडल द्वारा एहन शुल्क केर संबंधमे बनाओल गेल विधि सभ द्वारा अथवा ओकर अधीन विहित कएल जाए, मृत्यु पर संक्रान्त होमए बला अथवा उक्त विधि सभक उपबंध सभक अधीन एहि प्रकारे संक्रान्त भेल बुझल गेल सभ संपत्ति केर मूल मूल्य पर अथवा ओकरा प्रति निर्देश सँ, निर्धारित कएल जाए ;

(10) “विद्यमान विधि” सँ एहन विधि, अध्यादेश, आदेश, उपविधि, नियम अथवा विनियम अभिप्रेत अछि जे एहि संविधान केर प्रारंभसँ पहिने एहन विधि, अध्यादेश, आदेश, उपविधि, नियम अथवा विनियम बनएबाक शक्ति राखए बला कोनो विधान मंडल, प्राधिकारी अथवा व्यक्ति द्वारा पारित कएल गेल अछि अथवा बनाओल गेल अछि :

(11) “संघीय न्यायालय” सँ भारत शासन अधिनियम, 1935 केर अधीन गठित संघीय न्यायालय अभिप्रेत अछि ;

(12) “वस्तु” केर अंतर्गत सभ सामग्री, वाणिज्य आ वस्तु सभ अछि;

¹(12क) “वस्तु आओर सेवा कर” सँ मानवीय उपभोगक लेल अवांछनीय मद्य-रस (एल्कोहालिक लिकर) प्रदाय पर कर केर अतिरिक्त वस्तु अथवा सेवा सभ अथवा दुनू केर प्रदाय पर कोनो कर अभिप्रेत अछि ;]

(13) “प्रत्याभूति” केर अंतर्गत एहन बाध्यता अछि जकरा, कोनो उपक्रम केर लाभ सभक कोनो विनिर्दिष्ट राशि सँ कम होएबाक स्थितिमे, भुगतान करबाक वचनबद्ध एहि संविधानक प्रारंभसँ पहिने कएल गेल अछि;

(14) “उच्च न्यायालय” सँ एहन न्यायालय अभिप्रेत अछि जे एहि संविधानक प्रयोजन सभक लेल कोनो राज्यक लेल उच्च न्यायालय बुझल जाइत अछि आओर एकर अंतर्गत-

(क) भारतक राज्यक्षेत्रमे एहि संविधान केर अधीन उच्च न्यायालयक रूपमे गठित अथवा पुनर्गठित कोनो न्यायालय अछि, आओर

(ख) भारतक राज्यक्षेत्रमे संसद द्वारा, विधि द्वारा एहि संविधानक सभ अथवा कोनो प्रयोजन सभक लेल उच्च न्यायालयक रूपमे घोषित कोनो अन्य न्यायालय अछि;

(15) “देशी राज्य” सँ एहन राज्यक्षेत्र अभिप्रेत अछि जकरा भारत अधिक्षेत्र केर सरकार सँ एहन राज्यक रूपमे मान्यता प्राप्त छल ;

¹ संविधान (एक सय एकम संशोधन) अधिनियम, 2016 केर धरा 14 (i) द्वारा (16-09-2016सँ) अंतःस्थापित ।

(भाग 19-विविध)

(16) “भाग” सँ एहि संविधानक भाग अभिप्रेत अछि ;

(17) “पेंशन”सँ कोनो व्यक्ति केँ अथवा ओकर संबंधमे भुगतेय कोनो प्रकारक पेंशन अभिप्रेत अछि चाहे ओ सहयोगी अछि अथवा नहि अछि आओर एकर अंतर्गत एहि प्रकार भुगतेय सेवानिवृत्ति वेतन, एहि प्रकार भुगतेय अपदान आओर कोनो भविष्य निधि केर अभिदान सभक, ओहि पर ब्याज अथवा ओहिमे अन्य परिवर्धन सहित अथवा ओकर बिना वापसीक रूपमे एहि प्रकारेँ भुगतेय कोनो राशि अथवा राशि सभ अछि ;

(18) “आपातकाल केर उद्घोषणा” सँ अनुच्छेद 352 केर खंड (1) केर अधीन कएल गेल उद्घोषणा अभिप्रेत अछि ;

(19) “लोक अधिसूचना” सँ यथास्थिति, भारतक राज्यपत्रमे अथवा कोनो राज्यक राजपत्र मे अधिसूचना अभिप्रेत अछि ;

(20) “रेल” केर अंतर्गत-

(क) कोनो नगरपालिका क्षेत्रमे पूर्णतया स्थित ट्राम नहि अछि, अथवा

(ख) कोनो राज्यमे पूर्णतया स्थित संचार केर एहन अन्य लाइन नहि अछि जकरा अंतर्गत संसद विधि द्वारा घोषित कएल अछि जे ओ रेल नहि अछि ;

¹[(21) * * * *]

²[(22) “शासक” सँ एहन राजा, प्रमुख अथवा अन्य व्यक्ति अभिप्रेत अछि जकरा संविधान (छब्बीसम संशोधन) अधिनियम, 1971 केर प्रारंभसँ पहिने कोनो समय, राष्ट्रपति सँ कोनो देशी राज्यक शासक केर रूपमे मान्यता प्राप्त छल अथवा एहन व्यक्ति अभिप्रेत अछि जकरा एहन प्रारंभसँ पहिने कोनो समय राष्ट्रपति सँ एहन शासक केर उत्तराधिकारी केर रूपमे मान्यता प्राप्त छल;]

(23) “अनुसूची” सँ एहि संविधान केर अनुसूची अभिप्रेत अछि ;

(24) “अनुसूचित जाति” सँ एहन जाति सभ, मूलवंश अथवा जनजाति सभ अथवा एहन जाति सभ, मूलवंश अथवा जनजाति सभक भाग अथवा ओहि केर समूह अभिप्रेत अछि जकरा एहि संविधान केर प्रयोजन सभक लेल अनुच्छेद 341 केर अधीन अनुसूचित जाति सभ बुझल जाइत अछि ;

(25) “अनुसूचित जनजाति” सँ एहन जनजाति सभ अथवा जनजाति समुदाय अथवा एहन जनजाति सभ अथवा जनजाति समुदाय सभक भाग अथवा ओहि केर समूह अभिप्रेत अछि जकरा एहि संविधानक प्रयोजनक लेल अनुच्छेद 342 केर अधीन अनुसूचित जनजाति बुझल जाइत अछि ;

¹ संविधान (सातम संशोधन) अधिनियम, 1956 केर धारा 29 आओर अनुसूची द्वारा (1-11-1956 सँ) खंड (30) केर स्थान पर प्रतिस्थापित ।

² संविधान (छब्बीसम संशोधन) अधिनियम, 1971 केर धारा 4 द्वारा (28-12-1971 सँ) प्रतिस्थापित ।

(26) “प्रतिभूति सभ” केर अंतर्गत शेयर (स्टॉक) अछि ;

1 * * *

²[(26क) “सेवा सभ” सँ वस्तु सँ भिन्न किछु अभिप्रेत अछि ;

(26ख) “राज्य” केर अंतर्गत, अनुच्छेद 246 क, अनुच्छेद 268, अनुच्छेद 269 क आओर अनुच्छेद 279 क केर संदर्भ मे, विधान-मंडल बला कोनो केन्द्र शासित प्रदेश सेहो अबैत अछि ;]

³[(26ग) “सामाजिक आओर शैक्षिक दृष्टि सँ पिछड़ल वर्ग” सँ एहन पिछड़ल वर्ग अभिप्रेत अछि, जकरा, यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य अथवा केन्द्र शासित प्रदेश केर प्रयोजन सभक लेल अनुच्छेद 342 क केर अधीन एहन बुझल गेल अछि ।]

(27) “उपखंड” सँ ओहि खंड केर उपखंड अभिप्रेत अछि जाहिमे ओ पद अबैत अछि ;

(28) “कर निर्धारण” केर अंतर्गत कोनो कर अथवा लगान केर अधिरोपण अछि चाहे ओ साधारण अथवा स्थानीय अथवा विशेष अछि आओर “कर” केर तदनुसार अर्थ लगाओल जाएत;

(29) “आय पर कर” केर निहितार्थ आय पर अधिभार सँ अछि ;

⁴[(29क) “वस्तुक क्रय अथवा विक्रय पर कर” केर अंतर्गत-

(क) ई ओ कर अछि जे नकदी, स्थगित भुगतान अथवा अन्य मूल्यवान प्रतिफलक लेल कोनो वस्तु मे संपत्ति केर एहन अंतरण पर अछि जे कोनो संविदाक अनुसरण मे नहि क’ अन्यथा कएल गेल अछि ;

(ख) ओ कर अछि जे वस्तु मे संपत्ति केर (चाहे ओ वस्तु केर रूपमे होए अथवा कोनो अन्य रूप मे) एहन अंतरण पर अछि जे कोनो संकर्म संविदा केर निष्पादन मे अंतर्विलित अछि ;

(ग) ओ ई कर अछि जे अवक्रय अथवा किस्त सभमे भुगतानक पद्धति सँ वस्तुक आपूर्ति पर अछि ;

(घ) ओ ई कर अछि जे नकदी, स्थगित भुगतान अथवा अन्य मूल्यवान प्रतिफलक लेल कोनो वस्तु केर कोनो प्रयोजनक लेल उपयोग करबाक अधिकार केर (चाहे ओ विनिर्दिष्ट अवधिक लेल हो अथवा नहि) अंतरण पर अछि ;

¹ संविधान (बियालिसम संशोधन) अधिनियम, 1976 केर धारा 54 द्वारा (1-2-1977 सँ) खंड (26क) अंतःस्थापित कएल गेल छल आ ओकर संविधान (तैतालिसम संशोधन) अधिनियम, 1977 केर धारा 11 द्वारा (13-4-1978 सँ) लोप कएल गेल ।

² संविधान (एक सय एकम संशोधन) अधिनियम, 2016 केर धारा 14 (i) द्वारा (16-9-2016सँ) अंतःस्थापित ।

³ संविधान (एक सय दोसर संशोधन) अधिनियम केर खंड (26 ग) केर धारा 5 द्वारा (14-8-2018सँ) अंतःस्थापित कएल गेल आ तत्पश्चात् संविधान (एक सय पाँचम संशोधन) अधिनियम, 2021 केर धारा 4 द्वारा (15-9-2021सँ) प्रतिस्थापित कएल गेल ।

⁴ संविधान (छियालिसम संशोधन) अधिनियम, 1982 केर धारा 4 द्वारा खंड (29क) द्वारा (2-2-1982सँ) अंतःस्थापित ।

(ड) ओ ई कर अछि जे नकदी, स्थगित भुगतान अथवा अन्य मूल्यवान प्रतिफलक लेल कोनो वस्तु केर प्रदाय पर अछि जे कोनो अनिगमित संगम अथवा व्यक्ति-निकाय द्वारा अपन कोनो सदस्य केँ कएल गेल अछि ;

(च) ओ ई कर अछि जे एहन वस्तु केर, जे खाद्य अथवा मानव उपभोगक लेल कोनो अन्य पदार्थ अथवा कोनो पेय अछि (चाहे ओ मादक अछि अथवा नहि) एहन प्रदाय पर अछि, जे कोनो सेवाक रूपमे अथवा सेवा केर भागक रूपमे अथवा कोनो अन्य प्रक्रियासँ कएल गेल अछि आओर एहन प्रदाय अथवा सेवा नकदी आस्थगित भुगतान अथवा अन्य मूल्यवान प्रतिफलक लेल कएल गेल अछि, आओर वस्तुक एहन अंतरण, आपूर्ति अथवा प्रदाय केर विषय मे ई बुझल जाएत जे ओ ओहि व्यक्ति द्वारा, जे एहन अंतरण, परिदान अथवा प्रदाय क' रहल अछि, ओहि वस्तुक विक्रय अछि, आओर ओहि व्यक्ति द्वारा, जकरा एहन अंतरण, आपूर्ति अथवा प्रदाय कएल जाइत अछि, ओहि वस्तुक क्रय अछि ।]

¹[(30) “केन्द्र शासित प्रदेश” सँ पहिल अनुसूचीमे विनिर्दिष्ट कोनो केन्द्र शासित प्रदेश अभिप्रेत अछि आओर एकर अंतर्गत एहन अन्य राज्यक्षेत्र अछि जे भारतक राज्यक्षेत्रमे समाविष्ट अछि मुदा ओहि अनुसूचीमे विनिर्दिष्ट नहि अछि ।]

367. विवेचन-(1) जाधरि एहि संदर्भ मे अन्यथा अपेक्षित नहि होमए, एहि संविधानक निर्वचनक लेल साधारण खंड अधिनियम, 1897, एहन अनुकूलन आओर उपांतरण सभक अधीन रहैत, जे अनुच्छेद 372 केर अधीन ओहिमे, कएल जाए, ओहिना लागू होएत जेना ओ भारत अधिक्षेत्र केर विधान मंडलक कोनो अधिनियम केर विवेचनाक लेल लागू होइत अछि ।

(2) एहि संविधानमे संसदक अथवा ओकरा द्वारा बनाओल गेल अधिनियम अथवा विधि सभक प्रति कोनो निर्देश केर, अथवा ²*** कोनो राज्यक विधान केर अथवा ओकरा द्वारा बनाओल गेल अधिनियम अथवा विधि सभक कोनो निर्देश केर ई अर्थ लगाओल जाएत जे ओकरा अंतर्गत, यथास्थिति, राष्ट्रपति द्वारा निर्मित अध्यादेश अथवा कोनो राज्यपाल ³*** द्वारा निर्मित अध्यादेश केर प्रति निर्देश अछि ।

(3) एहि संविधानक प्रयोजनक लेल, “विदेशी राज्य” सँ भारत सँ भिन्न कोनो राज्य अभिप्रेत अछि :

मुदा संसद द्वारा बनाओल गेल कोनो विधि केर उपबंध केर अधीन, रहैत राष्ट्रपति आदेश⁴ द्वारा ई घोषणा क' सकत जे कोनो राज्य ओहि प्रयोजनक लेल, जे ओहि आदेशमे विनिर्दिष्ट कएल जाए, विदेशी राज्य नहि अछि ।

⁵[(4) * * * * *]

¹ संविधान (सातम संशोधन) अधिनियम, 1956 केर धारा 29 आओर अनुसूची द्वारा (1-11-1956 सँ) खंड (30) केर स्थान पर प्रतिस्थापित ।

² संविधान (सातम संशोधन) अधिनियम, 1956 केर धारा 29 आओर अनुसूची द्वारा “पहिल अनुसूची मे विनिर्दिष्ट भाग ‘क’ आओर भाग ‘ख’ (1-11-1956 सँ) केर लोप कएल गेल ।

³ संविधान (सातम संशोधन) अधिनियम 1956 केर धारा 29 आओर अनुसूची द्वारा (01-11-1956 सँ) “अथवा राजप्रमुख” शब्द केर लोप कएल गेल ।

⁴ संविधान (विदेशी राज्यक लेल घोषणा) आदेश, 1950, (सं. आ. 2) देखू ।

⁵ संविधान (जम्मू-कश्मीर पर लागू) आदेश, 2019 (सं. आ. 272) एहि संविधान आदेशक पाठ केर लेल परिशिष्ट 2 देखू ।

भाग-20

संविधानक संशोधन

368. ¹[संविधानक संशोधन करबाक संसदक शक्ति आओर ओहि लेल प्रक्रिया-²(1) एहि शक्तिक प्रयोग करैत एहि संविधानक कोनो उपबंध केर परिवर्धन, परिवर्तन अथवा निरसन केर रूपमे संशोधन एहि अनुच्छेदमे अधिकथित प्रक्रियाक अनुसार क' सकत ।]

³[(2)] एहि संविधानक संशोधनक आरंभ संसदक कोनो सदन मे एहि प्रयोजनक लेल विधेयक पुनःस्थापित कएल जा सकत आओर जाधरि विधेयक प्रत्येक सदन मे ओहि सदन केर कुल सदस्य संख्याक बहुमत द्वारा अथवा ओहि सदनक उपस्थित आओर मत देबए बला सदस्य सभक कम-सँ-कम दू-तिहाई बहुमत द्वारा पारित क' देल जाइत अछि तखन⁴ [ओ राष्ट्रपति केर समक्ष प्रस्तुत कएल जाएत, जे विधेयक केँ अपन अनुमति देत आओर तखन] संविधान ओहि विधेयक केर शर्तक अनुसार संशोधित भ' जाएत :

मुदा जँ एहन संशोधन-

(क) अनुच्छेद 54, अनुच्छेद 55, अनुच्छेद 73, ⁵(अनुच्छेद 162, अनुच्छेद 241 अथवा अनुच्छेद 279क) मे, अथवा

(ख) भाग 5 केर अध्याय 4, भाग 6 केर अध्याय 5 अथवा भाग 11 केर अध्याय 1 मे, अथवा

(ग) सातम अनुसूची केर कोनो सूचीमे, अथवा

(घ) संसद मे राज्य सभक प्रतिनिधित्व मे, अथवा

(ङ) एहि अनुच्छेद केर उपबंध सभमे,

¹ संविधान (चौबीसम संशोधन) अधिनियम, 1971 केर धारा 3 द्वारा (05-11-1971 सँ “संविधान मे संशोधन करबाक प्रक्रिया” केर स्थान पर प्रतिस्थापित ।

² संविधान (चौबीसम संशोधन) अधिनियम, 1971 केर धारा 3 द्वारा (05-11-1971 सँ) अंतःस्थापित ।

³ संविधान (चौबीसम संशोधन) अधिनियम, 1971 केर धारा 3 द्वारा (05-11-1971 सँ) अनुच्छेद 368 केर ओकर खंड (2) केर रूपमे पुनःसंख्यांकित कएल गेल ।

⁴ संविधान (चौबीसम संशोधन), अधिनियम, 1971 केर धारा 3 द्वारा (05-11-1971 सँ) प्रतिस्थापित

⁵ संविधान (एक सौ एकम संशोधन) अधिनियम, 2016 केर धारा 15 द्वारा (16-09-2016 सँ) “अनुच्छेद 162 अथवा अनुच्छेद 241” केर स्थान पर प्रतिस्थापित ।

(भाग 20-संविधानक संशोधन)

कोनो परिवर्तन करबाक लेल अछि तँ एहन संशोधनक लेल उपबंध करएवला विधेयक राष्ट्रपति केर समक्ष अनुमतिक लेल प्रस्तुत कएल जएबासँ पूर्वहि ओहि संशोधनक लेल ¹**** कम-सँ-कम आधा राज्य सभक विधान मंडल द्वारा पारित एहि आशय केर संकल्प सभ द्वारा ओहि विधान मंडल केर अनुसमर्थन सेहो अपेक्षित होएत ।

²[(3) अनुच्छेद 13 केर कोनो बात एहि अनुच्छेद केर अधीन कएल गेल कोनो संशोधन केँ लागू नहि होएत ।]

³[(4) एहि संविधानक (जाहि अंतर्गत भाग 3 केर उपबंध अछि) एहि अनुच्छेदक अधीन संविधान (बियालिसम संशोधन) अधिनियम, 1976 केर धारा 55 केर प्रारंभसँ पहिने अथवा ओकर पश्चात् कएल गेल वा तत्संबंधित कएल गेल कोनो संशोधन कोनो न्यायालयमे कोनो आधार पर प्रश्नगत नहि कएल जाएत ।

(5) शंका सभकेँ दूर करबाक लेल ई घोषित कएल जाइत अछि जे एहि अनुच्छेदक अधीन एहि संविधानक उपबंधक परिवर्धन, परिवर्तन अथवा निरसनक रूपमे संशोधन करबाक लेल संसदक संविधायी शक्ति पर कोनो प्रकारक निर्बंधन नहि होएत ।]

¹ संविधान (सातम संशोधन) अधिनियम, 1956 केर धारा 29 अओर अनुसूची द्वारा (01-11-1956 सँ) “पहिल अनुसूची केर भाग ‘क’ आओर भाग ‘ख’ मे विनिर्दिष्ट” शब्द आओर अक्षर सभक लोप कएल गेल ।

² संविधान (चौबीसम संशोधन) अधिनियम, 1971 केर धारा 3 द्वारा (05-11-1971 सँ) अंतःस्थापित ।

³ संविधान (बियालिसम संशोधन) अधिनियम, 1976 केर धारा 55 द्वारा (03-01-1977 सँ) अंतःस्थापित । उच्चतम न्यायालय *मिनर्वा मिल्स लिमिटेड आओर अन्य बनाम भारत संघ आओर अन्य* ए.आई.आर. 1980 एस.सी. 1789 क मामला मे एहि धारा केँ अविधिमानी घोषित कएल अछि ।

भाग-21

¹[अस्थायी, संक्रमणकालीन ओ विशेष उपबंध]

369. राज्य सूचीक किछु विषय सभक संबंधमे विधि बनएबाक संसदक एहि प्रकारक अस्थायी शक्ति जेना ओ समवर्ती सूचीक विषय हो-एहि संविधानमे कोनो बातक रहितहुँ, संसद केँ एहि संविधानक प्रारंभसँ पाँच वर्षक अवधि केर मध्य निम्नलिखित विषयक लेल विधि बनएबाक एहि प्रकार शक्ति होएत जेना ओ विषय समवर्ती सूचीमे प्रगणित हो, अर्थात् :-

(क) सूती एवं ऊनी वस्त्र सभ, काँच कपास (जकरा अंतर्गत काटल गेल रूइया आओर बिना काटल गेल रूइया अथवा कपास अछि), कपासक बीज, कागज (जकरा अंतर्गत समाचार पत्रक कागज अछि) खाद्य पदार्थ (जकरा अंतर्गत खाद्य तेलहन आओर तेल अछि), पशु-चारा (जकरा अंतर्गत खल्ली आओर अन्य मिश्रित चारा अछि), कोयला (जकरा अंतर्गत कोयला एवं कोयलाक अन्य उत्पाद अछि), लोहा, इस्पात आओर अबरखक कोनो राज्यक भीतर व्यापार आओर वाणिज्य एवं ओकर उत्पादन, प्रदाय आ वितरण ;

(ख) खंड (क) मे वर्णित विषय मे सँ कोनो विषय मे संबंधित विधि सभक विरुद्ध अपराध, ओहि विषय मे सँ ककरो संबंधमे उच्चतम न्यायालयसँ भिन्न सभ न्यायालयक अधिकारिता एवं शक्ति सभ, अथवा ओहि विषय मे सँ ककरो संबंधमे शुल्क किन्तु एकर अंतर्गत कोनो न्यायालयमे लेल जाएबला शुल्क नहि अछि,

मुदा संसद द्वारा बनाओल गेल कोनो विधि, जकरा संसद एहि अनुच्छेदक उपबंध सभक अभाव मे बनएबाक लेल सक्षम नहि अछि, उक्त अवधिक समाप्ति पर अक्षमताक मात्रा धरि ओहिसभ बातक अलावे प्रभावी नहि रहत जकरा ओहि अवधिक समाप्तिक पहिने कएल गेल अछि अथवा करबाक लेल लोप कएल गेल अछि ।

¹ संविधान (तेरहम संशोधन) अधिनियम, 1962 केर धारा 2 द्वारा (01-12-1963 सँ) “अस्थायी एवं अंतःकालीन उपबंध” केर स्थान पर प्रतिस्थापित ।

(भाग 21-अस्थायी, संक्रमणकालीन ओ विशेष उपबंध)

****1[370. जम्मू-कश्मीर राज्यक संबंधमे अस्थायी उपबंध-(1) एहि संविधानमे कोनो बातक रहितहु,**

(क) अनुच्छेद 238 केर उपबंध जम्मू-कश्मीर राज्यक संबंधमे लागू नहि होएत ;

(ख) उक्त राज्यक लेल विधि बनएबाक संसदक शक्ति, -

(i) संघ सूची आओर समवर्ती सूचीक ओहि विषय धरि सीमित होएत जकरा राष्ट्रपति, ओहि राज्यक सरकार सँ परामर्श क' कए ओहि विषयक तत्संबंधी विषय घोषित कए देल जाए जे भारत अधिक्षेत्रमे ओहि राज्यक अधिमिलन कें शासित करएवला अधिमिलन पत्रमे एहन विषय सभक रूपमे विनिर्दिष्ट अछि जकरा संबंधमे अधिक्षेत्र विधान-मंडल ओहि राज्यक लेल विधि बना सकैत अछि; आओर

**** राष्ट्रपति संसदक अनुशंसा पर भारतक संविधानक अनुच्छेद 370 केर खंड (1) केर संग पठित अनुच्छेद 370 केर खंड (3) द्वारा प्रदत्त शक्ति सभक प्रयोग करैत ई घोषणा करैत अछि जे 6 अगस्त, 2019 सँ उक्त अनुच्छेद 370 केर सभ खंड, सिवाय निम्नलिखितक, जे नीचा देल गेल अछि ताहि अनुसार अछि, प्रचालन मे नहि रहत, अर्थात :-**

“370. एहि संविधानक समय-समय पर यथा संशोधित, सभ उपबंध बिना कोनो उपांतरण एवं अपवाद सभक अनुच्छेद 152 आ अनुच्छेद 308 आओर एहि संविधानक कोनो अन्य अनुच्छेद अथवा जम्मू-कश्मीरक संविधान मे कोनो अन्य उपबंध आ कोनो विधि, दस्तावेज, निर्णय, अध्यादेश, आदेश, उपविधि, नियम, विनियम, अधिसूचना आओर भारतक राज्यक्षेत्र मे विधिक बल राखए वला कोनो रूढ़ि अथवा प्रथा अथवा कोनो अन्य लिखत, संघी आओर अनुबंध जे अनुच्छेद 363 केर अधीन यथा परिकल्पित अथवा अन्यथा अछि, मे तत्प्रतिकूल कोनो बातक अन्तर्विष्ट रहितहुँ, जम्मू-कश्मीर राज्य कें लागू होयत।”

[देखू, परिशिष्ट 3 (C.O.273)]

¹ भारतक संविधानक खंड (3) द्वारा प्रदत्त शक्ति सभक प्रयोग करैत राष्ट्रपति जम्मू-कश्मीर राज्यक संविधान सभाक अनुशंसा पर ई घोषणा कएल, जे 17 नवंबर, 1952 सँ उक्त अनुच्छेद 370 एहि उपांतरणक संग प्रवर्तनीय होएत जे ओकर खंड (1) मे स्पष्टीकरणक स्थान पर निम्नलिखित स्पष्टीकरण राखि देल गेल अछि, अर्थात :-

“स्पष्टीकरण-एहि अनुच्छेदक प्रयोजन सभक लेल राज्यक सरकार सँ ओ व्यक्ति अभिप्रेत अछि जकरा राष्ट्रपति द्वारा राज्यक विधान सभाक संस्तुति पर जम्मू-कश्मीरक सदर-ए-रियासत*क रूपमे मान्यता देल गेल अछि, जे राज्यक मंत्रिपरिषदक सलाह पर कार्य कए रहल अछि।”।

(सं.आ. 44, दिनांक 15 नवंबर, 1952)।

*आब “राज्यपाल”

भारतक संविधान

(भाग 21-अस्थायी, संक्रमणकालीन ओ विशेष उपबंध)

(ii) उक्त सूची सभक ओहि अन्य विषय सभ धरि सीमित रहत जे राष्ट्रपति, ओहि राज्यक सरकारक सहमति सँ, आदेश द्वारा, विनिर्दिष्ट करथि ।

स्पष्टीकरण-एहि अनुच्छेदक प्रयोजनक लेल, ओहि राज्यक सरकार सँ ओ व्यक्ति अभिप्रेत अछि जकरा राष्ट्रपति सँ जम्मू-कश्मीरक महाराजाक 5 मार्च 1948 केर उद्घोषणाक अधीन तत्समय पदस्थ मंत्रि-परिषदक सलाह पर कार्य करएवला जम्मू-कश्मीरक महाराजाक रूपमे तत्समय मान्यता प्राप्त छल ;

(ग) अनुच्छेद 1 आओर एहि अनुच्छेदक उपबंध ओहि संबंधमे लागू होएत;

(घ) एहि संविधानक एहन अन्य उपबंध एहन अपवाद आओर उपांतरण सभक अधीन रहैत, जे राष्ट्रपति आदेश* द्वारा विनिर्दिष्ट करए, ओहि राज्यक संबंधमे लागू होएत :

मुदा एहन कोनो आदेश जे उपखंड (ख) केर पैरा (i) मे निर्दिष्ट राज्यक अधिमिलन पत्र मे विनिर्दिष्ट विषय सभसँ संबंधित अछि, ओहि राज्यक सरकार सँ परामर्श करबाक बादहि कएल जाएत, अन्यथा नहि :

मुदा ई आओर जे एहन कोनो आदेश जे अंतिम पूर्ववर्ती शर्त मे निर्दिष्ट विषय सभसँ भिन्न विषय सभसँ संबंधित अछि, ओहि सरकारक सहमतिक बादहि कएल जाएत, अन्यथा नहि ।

(2) जँ खंड (1) के उपखंड (ख) के पैरा (ii) मे अथवा ओहि खंडक उपखंड (घ) दोसर परंतुक मे निर्दिष्ट ओहि राज्यक सरकारक सहमति, ओहि राज्यक संविधान बनएबाक प्रयोजनक लेल संविधान सभा केँ बजाओल जाएबा सँ पूर्व देल जाए तखन ओकरा ओहि संविधान सभाक समक्ष ओहि निर्णयक लेल राखल जाएत जे ओ ओहिपर करथि ।

(3) एहि अनुच्छेदक पूर्वगामी उपबंध मे कोनो बातक रहितहुँ, राष्ट्रपति लोक अधिसूचना द्वारा घोषणा क' सकत जे ई अनुच्छेद प्रवर्तनमे नहि रहत अथवा ओहि अपवाद आओर उपांतरण सभक सहितहि अथवा ओहि तिथिसँ प्रवर्तनमे रहत, जे ओ विनिर्दिष्ट करथि :

मुदा राष्ट्रपति द्वारा एहन अधिसूचना निकालल जाएबासँ पूर्व '[खंड (2) मे निर्दिष्ट ओहि राज्यक संविधान सभा] क संस्तुति आवश्यक होएत ।

* देखू, परिशिष्ट-2

¹ सी.ओ. 272 दिनांक 5-8-2019 द्वारा धारा 2 केर “खंड (2) मे निर्दिष्ट राज्यक संविधान सभा” केर स्थान पर (5-8-2019सँ) प्रतिस्थापित ।

(भाग 21-अस्थायी, संक्रमणकालीन ओ विशेष उपबंध)

¹[371. ²*** महाराष्ट्र आओर गुजरात राज्यक संबंधमे विशेष उपबंध-³[(1) *
* * * *]

(2) एहि संविधानमे कोनो बातक रहितहुँ, राष्ट्रपति, ⁴[महाराष्ट्र अथवा गुजरात राज्य] क संबंधमे कएल गेल आदेश द्वारा-

(क) यथास्थिति, विदर्भ, मराठवाड़ा ⁵[आओर शेष महाराष्ट्र अथवा] सौराष्ट्र, कच्छ अथवा शेष गुजरातक लेल पृथक विकास बोर्ड सभक स्थापनाक लेल, एहि उपबंध सहित जे एहि बोर्ड मे सँ प्रत्येक कार्यकरण पर एक प्रतिवेदन राज्य विधान सभाक समक्ष प्रतिवर्ष राखल जाएत,

(ख) समस्त राज्यक आवश्यकता सभ केँ ध्यानमे रखैत, उक्त क्षेत्रक विकास व्ययक लेल निधि सभक समतापूर्ण आवंटनक लेल, अथवा

(ग) समस्त राज्यक आवश्यकता सभकेँ ध्यानमे रखैत, उक्त सभ क्षेत्रक संबंधमे, तकनीकी शिक्षा आओर व्यावसायिक प्रशिक्षणक लेल पर्याप्त सुविधा सभक आओर राज्य सरकारक नियंत्रणक अधीन सेवा सभमे नियोजनक लेल पर्याप्त अवसर सभक व्यवस्था करएवला समतापूर्ण व्यवस्था करबाक लेल राज्यपालक कोनो विशेष उत्तरदायित्वक लेल उपबंध क' सकत ।]

⁶[371क. नागालैंड राज्यक संबंधमे विशेष उपबंध-(1) एहि संविधानमे कोनो बातक रहितहुँ-

(क) निम्नलिखितक संबंधमे संसदक कोनो अधिनियम नागालैंड राज्य पर ताधरि लागू नहि होएत जाधरि नागालैंडक विधान सभा संकल्प द्वारा एहन निर्णय नहि करैत अछि, अर्थात्-

(i) नागासभक धार्मिक आ सामाजिक प्रथा सभ;

(ii) नागा रूढ़िजन्य विधि आओर प्रक्रिया ;

(iii) सिविल एवं आपराधिक न्याय प्रशासन, जतए निर्णय नागा रूढ़िजन्य विधिक अनुसार होएबाक चाही ;

(iv) भूमि आओर ओकर संपत्ति स्रोत सभक स्वामित्व आओर अंतरण ;

नागालैंड राज्य पर लागू होएत जाधरि नागालैंड विधान सभा एक प्रस्ताव द्वारा एहन निर्णय नहि ल' लिअए :

¹ संविधान (सातम संशोधन) अधिनियम, 1956 केर धारा 22 द्वारा (01-11-1956 सँ 371 केर स्थान पर प्रतिस्थापित ।

² संविधान (बत्तीसम संशोधन) अधिनियम, 1973 केर धारा 2 द्वारा (01-07-1974 सँ) “आंध्र प्रदेश”, शब्दक लोप कएल गेल ।

³ संविधान (बत्तीसम संशोधन) अधिनियम, 1973 केर धारा 2 द्वारा (01-07-1974 सँ) खंड (1) केर लोप कएल गेल ।

⁴ बंबई पुनर्गठन अधिनियम, 1960 (1960 केर 11) केर धारा 85 द्वारा (01-05-1960 सँ) “बंबई राज्य” केर स्थान पर प्रतिस्थापित ।

⁵ बंबई पुनर्गठन अधिनियम, 1960 (1960 केर 11) केर धारा 85 द्वारा (01-05-1960 सँ) “शेष महाराष्ट्र” केर स्थान पर प्रतिस्थापित ।

⁶ संविधान (तेहरम संशोधन) अधिनियम, 1962 केर धारा 2 द्वारा (01/12/1963) सँ अंतः स्थापित ।

(भाग 21-अस्थायी, संक्रमणकालीन ओ विशेष उपबंध)

(ख) नागालैंडक राज्यपालक नागालैंड मे विधि आओर व्यवस्थाक संबंधमे ताधरि विशेष उत्तरदायित्व रहत जाधरि ओहि राज्यक निर्माणसँ पूर्व नागा पहाड़ी ल्युएनसांग क्षेत्रमे विद्यमान आन्तरिक अशान्ति, ओकर विचारमे, ओहि अथवा ओकर कोनो भागमे बनल रहैत अछि आओर राज्यपाल, ओहि संबंधमे अपन कार्यक निर्वहन करबामे कएल जाएवला कार्रवाईक संबंधमे अपन व्यक्तिगत निर्णयक प्रयोग, मंत्री-परिषदसँ परामर्श करबाक पश्चात् करताह :

मुदा जँ ई प्रश्न उठैत अछि जे कोनो विषय एहन विषय अछि अथवा नहि ताहि संबंधमे राज्यपालसँ एहि उपखंडक अधीन अपेक्षा कएल गेल अछि जे ओ अपन व्यक्तिगत निर्णयक प्रयोग करथि तँ राज्यपालक अपन विवेकसँ कएल गेल निर्णय अंतिम होएत आओर राज्यपाल द्वारा कएल गेल कोनो बातक विधिमान्यता एहि आधार पर प्रश्नगत नहि कएल जाएत जे हुनका अपन व्यक्तिगत निर्णयक प्रयोग क' कार्य करबाक चाही छल अथवा नहि :

मुदा जँ राज्यपालसँ प्रतिवेदन भेटला पर अथवा अन्यथा राष्ट्रपतिकेँ ई संतुष्टि भ' जाइत छनि जे आब ई आवश्यक नहि अछि जे नागालैंड मे विधि आओर व्यवस्थाक संबंधमे राज्यपालक विशेष उत्तरदायित्व रहत तँ ओ, आदेश द्वारा, निर्देश द' सकताह जे राज्यपालक एहन दायित्व ओहि तिथिसँ नहि रहत जे आदेशमे विनिर्दिष्ट कएल जाए :

(ग) अनुदानक कोनो माँग केर संबंधमे अपन अनुशंसा करबामे, नागालैंडक राज्यपाल ई सुनिश्चित करत कि कोनो विनिर्दिष्ट सेवा अथवा प्रयोजनक लेल भारतक संचित निधिमे सँ भारत सरकार द्वारा देल गेल कोनो धन ओहि सेवा अथवा प्रयोजन सँ संबंधित अनुदानक माँगमे, नहि कि कोनो अन्य माँगमे, सम्मिलित कएल जाए ;

(घ) ओहि तिथिसँ जकरा नागालैंडक राज्यपाल एहि निमित्त लोक अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करत, ल्युएनसांग जिलाक लेल एक प्रादेशिक परिषद स्थापित कएल जाएत जे पैतीस सदस्य सभसँ मिलिकए बनत आओर राज्यपाल निम्नलिखित बात सभक उपबंध करबाक लेल नियम अपन विधिक सँ बनाओत:-

(i) प्रादेशिक परिषदक संरचना आओर ओ प्रक्रिया जाहिमे प्रादेशिक परिषदक सदस्य चयनित कएल जाएत :

मुदा ल्युएनसांग जिलाक उपायुक्त प्रादेशिक परिषदक पदेन अध्यक्ष होएत आओर प्रादेशिक परिषदक उपाध्यक्ष ओहिक सदस्य सभक द्वारा अपना मे सँ निर्वाचित कएल जाएत ;

(ii) प्रादेशिक परिषदक सदस्य चयन कएल जएबाक लेल अथवा सदस्य होएबाक लेल अर्हता सभ ;

(iii) प्रादेशिक परिषदक सदस्य सभक पदावधि आओर हुनका देल जाएवला वेतन अथवा भत्ता सभ, जँ कोनो होअए ;

(भाग 21-अस्थायी, संक्रमणकालीन ओ विशेष उपबंध)

(iv) प्रादेशिक परिषदक प्रक्रिया आओर कार्य संचालन ;

(v) प्रादेशिक परिषदक अधिकारी सभ आओर कर्मचारीगणक नियुक्ति अथवा सेवाक शर्त सभ ; आओर

(vi) कोनो अन्य विषय जाहि संबंधमे प्रादेशिक परिषदक गठन आओर ओकर उचित कार्यकरणक लेल नियम बनाएब आवश्यक अछि ।

(2) एहि संविधानमे कोनो बातक रहितहुँ, नागालैंड राज्यक निर्माणक तिथिसँ दस वर्षक अवधि धरि अथवा एहन अतिरिक्त अवधिक लेल जकरा राज्यपाल, प्रादेशिक परिषदक अनुशंसा पर, लोक अधिसूचना द्वारा, एहि निमित्त विनिर्दिष्ट करथि-

(क) त्युएनसांग जिलाक प्रशासन राज्यपाल द्वारा चलाओल जाएत ;

(ख) जतए भारत सरकार द्वारा नागालैंड सरकारक, संपूर्ण नागालैंड राज्यक आवश्यकता सभक पूर्तिक लेल कोनो प्रकारक धन देल जाइत अछि ओतए, राज्यपाल अपन विवेकसँ त्युएनसांग जिला आओर शेष राज्यक बीच ओहि धनक समतापूर्ण आवंटनक लेल प्रबंध करत ;

(ग) नागालैंड विधान-मंडलक कोनो अधिनियम त्युएनसांग जिला पर ताधरि लागू नहि होएत जाधरि राज्यपाल, प्रादेशिक परिषदक अनुशंसा पर, लोक अधिसूचना द्वारा, एहि प्रकारक निदेश नहि दैत अछि आओर एहन कोनो अधिनियमक संबंधमे ओ निदेश दैत राज्यपाल ई निर्दिष्ट क' सकताह जे ओ अधिनियम त्युएनसांग जिला अथवा ओकर कोनो भाग पर लागू होएबामे एहन अपवाद अथवा उपांतरण सभक अधीन रहैत, प्रभावी होएत जकरा राज्यपाल प्रादेशिक परिषदक अनुशंसा पर विनिर्दिष्ट करथि :

मुदा एहि उपखंडक अधीन देल गेल कोनो निदेश एहि प्रकारँ देल जा सकत जाहिसँ ओकर भूतलक्षी प्रभाव हो ;

(घ) राज्यपाल त्युएनसांग जिलाक शान्ति, उन्नति आओर सुशासनक लेल विनियम बनेताह आओर एहि प्रकार बनाओल गेल विनियम ओहि जिला पर तत्समय लागू संसदक कोनो अधिनियम अथवा कोनो अन्य विधिक, जँ आवश्यक होइ तँ भूतलक्षी प्रभाव सँ निरसन अथवा संशोधन क' सकताह ;

(ङ) (i) नागालैंड विधान सभा मे त्युएनसांग जिलाक प्रतिनिधित्व करएवला सदस्य सभमे सँ एक सदस्य केँ राज्यपाल, मुख्यमंत्रीक सलाह पर त्युएनसांग कार्य मंत्री नियुक्त करताह आओर मुख्यमंत्री अपन सलाह देबामे पूर्वोक्त¹ सदस्य सभक बहुसंख्याक अनुशंसा पर कार्य करत¹ ;

¹ संविधान (कठिनाई सभक निराकरण) आदेश, सं. 10 केर पैरा मे (01-12-1963 सँ प्रभावित) ई उपबंध अछि जे भारतक संविधानक अनुच्छेद 371 'क' एहि प्रकार प्रभावी होएत जे ओकर खंड (2) केर उपखंड (ङ) केर पैराग्राफ (i) मे निम्नलिखित शर्त जोड़ि देल गेल हो, अर्थात :-

“मुदा राज्यपाल, मुख्यमंत्रीक सलाह पर, कोनो व्यक्ति केँ त्युएनसांग कार्य मंत्रीक रूपमे एहन समय धरिक लेल नियुक्त क' सकताह, जाधरि नागालैंडक विधान सभा मे त्युएनसांग जिलाक लेल, आवंटित स्थान सभकेँ भरबाक लेल विधिक अनुसार व्यक्ति केँ नियुक्त नहि कएल जाइत अछि ।”

भारतक संविधान

(भाग 21-अस्थायी, संक्रमणकालीन ओ विशेष उपबंध)

(ii) ल्युएनसांग कार्य मंत्री ल्युएनसांग जिला सँ संबंधित सभ विषयक संबंधमे कार्य करत आओर ओकर ओहि संबंधमे राज्यपालसँ प्रत्यक्षतः जुड़ल रहत आ ओहि संबंधमे मुख्यमंत्रीकेँ जानकारी दैत रहत;

(च) एहि खंडक पूर्वगामी उपबंध सभमे कोनो बातक रहितहुँ, ल्युएनसांग जिला सँ संबंधित सभ विषय पर अंतिम निर्णय राज्यपाल अपन विवेकसँ करताह;

(छ) अनुच्छेद 54 आओर अनुच्छेद 55 मे एवं अनुच्छेद 80 केर खंड (4) मे राज्यक विधान सभाक निर्वाचित सदस्य सभक अथवा एहन प्रत्येक सदस्यक प्रति निर्देश सभक अंतर्गत एहि अनुच्छेदक अधीन स्थापित प्रादेशिक परिषद द्वारा निर्वाचित नागालैंड विधान सभाक सदस्य सभ अथवा सदस्यक प्रति निर्देश होएत;

(ज) अनुच्छेद 170 मे-

(i) खंड (1) नागालैंड विधान सभाक संबंधमे एहि, प्रकार प्रभावी होएत जेना “साठि” शब्दक स्थान पर “छियालीस” शब्द राखि देल गेल होअए;

(ii) उक्त खंडमे, ओहि राज्यमे प्रादेशिक निर्वाचन-क्षेत्र सभसँ प्रत्यक्ष निर्वाचनक प्रति निर्देश केर अंतर्गत एहि अनुच्छेदक अधीन स्थापित प्रादेशिक परिषदक सदस्य सभक द्वारा निर्वाचन होएत;

(iii) खंड (2) आओर खंड (3) मे प्रादेशिक निर्वाचन-क्षेत्र सभक प्रति निर्देश सँ कोहिमा आओर मोकोकचुंग जिला सभमे प्रादेशिक निर्वाचन-क्षेत्र सभक प्रति निर्देश अभिप्रेत होएत।

(3) जँ एहि अनुच्छेदक पूर्वगामी उपबंध सभमे सँ कोनो उपबंधकेँ प्रभावी करबामे कठिनाई, उत्पन्न होइत अछि तँ राष्ट्रपति, आदेश द्वारा, कोनो एहन बात (जकरा, अंतर्गत कोनो अन्य अनुच्छेदक कोनो अनुकूलन अथवा उपांतरण अछि) क’ सकत जे ओहि कठिनाई केँ दूर करबाक प्रयोजनक लेल हुनका आवश्यक प्रतीत होइत छनि :

मुदा एहन कोनो आदेश नागालैंड राज्यक निर्माणक तिथिसँ तीन वर्षक समाप्ति पश्चात् नहि कएल जाएत।

स्पष्टीकरण-एहि अनुच्छेदमे, कोहिमा, मोकोकचुंग आओर ल्युएनसांग जिला सभक ओएह अर्थ अछि जे नागालैंड राज्य अधिनियम, 1962 मे अछि।

1371ख. असम राज्यक संबंधमे विशेष उपबंध-एहि संविधानमे कोनो बातक रहितहुँ, राष्ट्रपति, असम राज्यक संबंधमे कएल गेल आदेश द्वारा, ओहि राज्यक विधान सभाक एक समितिक गठन

¹ संविधान (बाइसम संशोधन) अधिनियम, 1969 केर धारा 4 द्वारा (25-09-1969 सँ) अंतःस्थापित।

(भाग 21-अस्थायी, संक्रमणकालीन ओ विशेष उपबंध)

आओर कार्य सभक लेल, जे समिति छठम अनुसूची केर पैरा 20 सँ संलग्न सारणी केर ¹[भाग 1] मे विनिर्दिष्ट जनजाति क्षेत्र सभसँ निर्वाचित ओहि विधान सभाक सदस्य सभसँ आओर ओहि विधान सभाक ओतबा अन्य सदस्य सभसँ मिलिकए बनत जतबा आदेशमे विनिर्दिष्ट कएल जाए अथवा एहन समितिक गठन आओर ओकर उचित कार्यान्वयन लेल ओहि विधान सभाक प्रक्रियाक नियम सभमे कएल जाएवला उपांतरण सभक लेल उपबंध क' सकत ।]

²[371ग. मणिपुर राज्यक संबंधमे विशेष उपबंध-(1) एहि संविधानमे कोनो बातक रहितहुँ, राष्ट्रपति, मणिपुर राज्यक संबंधमे कएल गेल आदेश द्वारा, ओहि राज्यक विधान सभाक एक समितिक गठन आओर कार्य सभक लेल, जे समिति ओहि राज्यक पहाड़ी क्षेत्र सभसँ निर्वाचित ओहि विधान सभाक सदस्य सभसँ मिलिकए बनत, राज्य सरकारक क्रियाकलापक नियम सभसँ आओर राज्यक विधान सभाक प्रक्रियाक नियम सभमे कएल जाएवला उपांतरण सभक लेल आओर एहन समितिक उचित कार्यान्वयन सुनिश्चित करबाक उद्देश्य सँ राज्यपालक कोनो विशेष उत्तरदायित्वक लेल उपबंध क' सकत ।

(2) राज्यपाल प्रतिवर्ष अथवा जखन कखनो राष्ट्रपति एहन अपेक्षा करताह, मणिपुर राज्यक पहाड़ी क्षेत्र सभक प्रशासनक संबंधमे राष्ट्रपतिकें प्रतिवेदन देत आओर संघक कार्यपालिका शक्तिक विस्तार उक्त क्षेत्र सभक प्रशासनक लेल राज्य केँ निदेश देबा धरि होएत ।

स्पष्टीकरण-एहि अनुच्छेदमे, “पहाड़ी क्षेत्र” सँ एहन क्षेत्र अभिप्रेत अछि जकरा राष्ट्रपति, आदेश द्वारा, पहाड़ी क्षेत्र घोषित करथि ।]

³[371घ. ⁴[आंध्र प्रदेश राज्य अथवा तेलंगाना राज्य] केर संबंधमे विशेष उपबंध-⁵[(1) राष्ट्रपति, आंध्र प्रदेश राज्य अथवा तेलंगाना राज्यक संबंधमे कएल गेल आदेश द्वारा, प्रत्येक राज्यक आवश्यकता सभकेँ ध्यानमे रखैत दुनू राज्य सभक विभिन्न भाग सभक लोकक लेल लोक नियोजनक विषय मे आओर शिक्षाक विषय मे समतापूर्ण अवसर सभ आओर सुविधा सभक उपबंध क' सकत आओर दुनू राज्यक विभिन्न भागक लेल भिन्न-भिन्न उपबंध कएल जा सकत ।]

¹ पूर्वोत्तर क्षेत्र (पुनर्गठन) अधिनियम, 1971 (1971 केर 81) केर धारा 71 द्वारा (21-01-1972 सँ) “भाग ‘क’” केर स्थान पर प्रतिस्थापित ।

² संविधान (सत्ताइसम संशोधन) अधिनियम, 1971 केर धारा 5 द्वारा (15-02-1972 सँ) अंतःस्थापित ।

³ अनुच्छेद 371घ आओर 371 ड संविधानक (बत्तीसम संशोधन) अधिनियम 1973 द्वारा 01-7.1974 सँ प्रतिस्थापित ।

⁴ आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2014 केर धारा 97 द्वारा (02-06-2014 सँ) “आंध्र प्रदेश राज्य”क स्थान पर प्रतिस्थापित ।

⁵ उपरोक्त धारा 97 द्वारा खंड (1) केर स्थान पर (2-6-2014सँ) प्रतिस्थापित ।

(भाग 21-अस्थायी, संक्रमणकालीन ओ विशेष उपबंध)

(2) खंड(1) केर अधीन कएल गेल आदेश, विशिष्टतया-

(क) राज्य सरकार सँ ई अपेक्षा क' सकत जे ओ राज्यक सिविल सेवामे पद सभक कोनो वर्ग एवं वर्ग सभक अथवा राज्यक अधीन सिविल पद सभक कोनो वर्ग एवं वर्ग सभक राज्यक भिन्न भाग सभक लेल भिन्न स्थानीय उपवर्ग सभमे गठन करताह आओर एहि सिद्धान्त सभक अथवा प्रक्रियाक अनुसार जे आदेशमे विनिर्दिष्ट कएल जाए, ओहि पद सभकें धारण करएवाला व्यक्ति सभक एहि प्रकार गठित स्थानीय उपवर्ग सभमे आवंटित करथि ;

(ख) राज्यक कोनो भाग वा कोनो भाग सभकें 'स्थानीय क्षेत्र' विनिर्दिष्ट कए सकताह, जे-

(i) राज्य सरकारक अधीन कोनो स्थानीय उपवर्गमे (चाहे, ओकर गठन एहि अनुच्छेदक अधीन आदेशक अनुसरणमे एवं अन्यथा कएल गेल अछि) पद सभक सीधा भर्तीक लेल,

(ii) राज्यक भीतर कोनो स्थानीय प्राधिकारीक अधीन कोनो उपवर्गमे पद सभक लेल सीधा भर्तीक लेल, आओर

(iii) राज्यक भीतर कोनो विश्वविद्यालय मे अथवा राज्य सरकारक अधीन कोनो अन्य शिक्षा संस्थानमे प्रवेशक प्रयोजनक लेल, स्थानीय क्षेत्र बुझल जाएत;

(ग) ओतवा धरि विस्तार ओ प्रक्रिया विनिर्दिष्ट क' सकताह जाहि अधीन, यथास्थिति, ओहि उपवर्ग, विश्वविद्यालय अथवा अन्य शिक्षा संस्थाक संबंधमे एहन अभ्यर्थी सभकें, जे आदेशमे विनिर्दिष्ट कोनो अवधिक लेल स्थानीय क्षेत्रमे निवास अथवा अध्ययन कएल अछि-

(i) उपखंड (ख) मे निर्दिष्ट ओहि काडर मे जे एहि निमित्त आदेशमे विनिर्दिष्ट कएल जाए, पद सभक लेल सीधा भर्तीक विषय मे ;

(ii) उपखंड (ख) मे निर्दिष्ट एहन विश्वविद्यालय अथवा अन्य शिक्षण संस्थान मे जे एहि निमित्त आदेशमे विनिर्दिष्ट कएल जाए, प्रवेशक विषय मे,

अधिमान देल जाएत अथवा ओकरा लेल आरक्षण, कएल जाएत ।

(3) राष्ट्रपति, आदेश द्वारा, '[आंध्र प्रदेश राज्यक लेल आओर तेलंगाना राज्यक लेल] एक प्रशासनिक अधिकरणक गठनक लेल उपबंध क' सकत जे अधिकरण निम्नलिखित विषयक अंतर्गत ओहि अधिकारिता, शक्ति आओर प्राधिकारक जकरा अंतर्गत ओ अधिकारिता, शक्ति आओर प्राधिकार अछि जे संविधान (बत्तीसम संशोधन) अधिनियम, 1973 केर प्रारंभसँ ठीक पहिने (बत्तीसम संशोधन) अधिनियम, 1973 केर प्रारंभसँ ठीक पहिने (उच्चतम न्यायालयसँ भिन्न) कोनो न्यायालय द्वारा अथवा कोनो अधिकरण आओर अन्य प्राधिकारी द्वारा प्रयोक्तव्य छल प्रयोग करत जे आदेशमे विनिर्दिष्ट कएल जाए, अर्थात :-

¹ आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2014 केर धारा 97 द्वारा (02-06-2014 सँ) "आंध्र प्रदेश राज्य"क स्थान पर प्रतिस्थापित ।

(भाग 21-अस्थायी, संक्रमणकालीन ओ विशेष उपबंध)

(क) राज्यक सिविल सेवामे ओहि वर्ग अथवा वर्ग सभक पद सभ पर अथवा राज्यक अधीन एहन वर्ग अथवा वर्ग सभक सिविल पद सभ पर अथवा राज्यक भीतर कोनो स्थानीय प्राधिकारीक नियंत्रणक अधीन एहन वर्ग अथवा वर्ग सभक पद सभ पर जे आदेशमे विनिर्दिष्ट कएल जाए, नियुक्ति, आवंटन अथवा प्रोन्नति ;

(ख) राज्यक सिविल सेवामे ओहि वर्ग आओर वर्ग सभक पद सभ पर अथवा राज्यक अधीन ओहि वर्ग आओर वर्ग सभक सिविल पद सभ पर अथवा राज्यक भीतर कोनो स्थानीय प्राधिकारीक नियंत्रणक अधीन ओहि वर्ग आओर वर्ग सभक पद सभ पर जे आदेशमे विनिर्दिष्ट कएल जाए, नियुक्त, आवंटित अथवा प्रोन्नत व्यक्ति सभक वरीयता ;

(ग) राज्यक सिविल सेवामे एहन वर्ग अथवा वर्ग सभक पद पर आओर राज्यक अधीन ओहि वर्ग अथवा वर्ग सभक सिविल पद सभ पर अथवा राज्यक भीतर कोनो स्थानीय प्राधिकारीक नियंत्रणक अधीन एहन वर्ग अथवा वर्ग सभक पद सभ पर नियुक्त, आवंटित आओर प्रोन्नत व्यक्ति सभक सेवाक एहन अन्य शर्त जे आदेशमे विनिर्दिष्ट कएल जाए ।

(4) खंड (3) केर अधीन कएल गेल आदेश-

(क) प्रशासनिक अधिकरणक ओकर अधिकारिताक भीतर कोनो विषयसँ संबंधित शिकायत सभक निवारणक लेल एहन अभ्यावेदन प्राप्त करबाक लेल, जे राष्ट्रपति आदेशमे विनिर्दिष्ट करताह आओर ओहि पर एहन आदेश करबाक लेल जे ओ प्रशासनिक अधिकरण ठीक बुझैत छथि, प्राधिकृत क' सकताह ;

(ख) प्रशासनिक अधिकरणक शक्ति सभ आओर प्राधिकार अथवा प्रक्रियाक संबंधमे एहन उपबंध (जकरा अंतर्गत प्रशासनिक अधिकरणक अपन अवमानक लेल दंड देबाक शक्तिक संबंधमे उपबंध अछि) अंतर्विष्ट क' सकत जे राष्ट्रपति आवश्यक बुझताह ;

(ग) प्रशासनिक अधिकरणक अधिकारिताक भीतर आबएवला विषय सभसँ संबंधित आओर ओहि आदेशक प्रारंभसँ ठीक पहिने (उच्चतम न्यायालयसँ भिन्न) कोनो न्यायालय अथवा कोनो अधिकरण अथवा अन्य प्राधिकारीक समक्ष लंबित कार्यवाही सभक एहन वर्ग सभक, जे आदेशमे विनिर्दिष्ट कएल जाए, अंतरणक लेल उपबंध क' सकताह ;

(घ) एहन अनुपूरक, आनुषांगिक आओर पारिणामिक उपबंध (जकरा अंतर्गत शुल्कक संबंधमे आओर परिसीमा, साक्ष्यक संबंधमे वा तत्समय प्रवृत्त कोनो विधिकेँ कोनो अपवाद अथवा उपांतरण सभक अधीन रहैत लागू करबाक लेल उपबंध अछि) अंतर्विष्ट क' सकताह जे राष्ट्रपति आवश्यक बुझथि ।

(भाग 21-अस्थायी, संक्रमणकालीन ओ विशेष उपबंध)

* (5) प्रशासनिक अधिकरणक कोनो मामिलाकेँ अंतिम रूपसँ निपटाबय बला आदेश, राज्य सरकार द्वारा ओकर पुष्टि कएल गेला पर अथवा आदेश कएल जाएबाक तिथिसँ तीन मासक समाप्ति पर, जे पहिने होअए।

मुदा राज्य सरकार, विशेष आदेश द्वारा, जे लिखित रूपमे कएल जाएत आओर ओकर कारण विनिर्दिष्ट कएल जाएत, प्रशासनिक अधिकरणक कोनो आदेश केँ ओकर प्रभावी भेलासँ पूर्व उपांतरित अथवा निरस्त क' सकत आओर मामिला मे प्रशासनिक अधिकरणक आदेश, यथास्थिति एहन उपांतरित रूपमे प्रभावी होएत वा ओ निष्प्रभावी भ' जाएत।

(6) राज्य सरकार द्वारा खंड (5) केर अधीन प्रावधान कएल गेल प्रत्येक विशेष आदेश कएल जाएबाक पश्चात्, यथाशीघ्र राज्य विधान-मंडलक सदनक समक्ष राखल जाएत।

(7) राज्यक उच्च न्यायालयकेँ प्रशासनिक अधिकरण पर अधीक्षणक शक्ति नहि होएत आओर (उच्चतम न्यायालयसँ भिन्न) कोनो न्यायालय अथवा कोनो अधिकरण, प्रशासनिक अधिकरणक अथवा ओकर संबंधमे अधिकारिता, शक्ति वा प्राधिकारक अधीन कोनो विषय पर कोनो अधिकारिता, शक्ति वा प्राधिकारक प्रयोग नहि करत।

(8) जँ राष्ट्रपति संतुष्ट भ' जाइत छथि जे प्रशासनिक अधिकरणक निरन्तर बनल रहब आवश्यक नहि अछि तँ राष्ट्रपति आदेश द्वारा प्रशासनिक अधिकरणक उन्मूलन कए सकताह आ एहन उन्मूलन सँ ठीक पहिने अधिकरणक समक्ष लंबित मामिलाक अंतरण आओर निपटानक लेल ओहि आदेशमे एहन उपबंध क' सकताह जे ओ ठीक बुझथि।

(9) कोनो न्यायालय, अधिकरण अथवा अन्य प्राधिकारीक कोनो निर्णय, आज्ञाति अथवा आदेशक रहितहुँ, -

(क) कोनो व्यक्ति कोनो नियुक्ति, पदस्थापना, प्रोन्नति अथवा अंतरणक संबंधमे जे-

(i) 1 नवंबर, 1956 सँ पहिने, यथा विद्यमान हैदराबाद राज्य सरकारक अथवा ओकरा भीतर कोनो स्थानीय प्राधिकारक अधीन कोनो पद पर जे ओहि तिथिसँ पहिने कोनो पर कएल गेल छल, अथवा

(ii) संविधान (बत्तीसम संशोधन) अधिनियम 1973 केर प्रारंभसँ पहिने आंध्र प्रदेश राज्यक सरकारक अधीन अथवा ओहि राज्यक भीतर कोनो स्थानीय अथवा अन्य प्राधिकारीक अधीन कोनो पद पर कएल गेल छल, आओर

(ख) उपखंड (क) मे निर्दिष्ट कोनो व्यक्ति द्वारा अथवा ओकर समक्ष कएल गेल कोनो कार्रवाई अथवा बातक संबंधमे, मात्र एहि आधार पर जे एहन व्यक्ति नियुक्ति, पदस्थापना,

* उच्चतम न्यायालय पी. सांबमूर्ति आओर अन्य बनाम आंध्र प्रदेश राज्य आ एक अन्य (1987) 1 एस. सी. सी. 362 अनुच्छेद 371 'घ' केर उपधारा (5) आओर ओकर परंतुक केँ असंवैधानिक आओर शून्य घोषित कएलक।

(भाग 21-अस्थायी, संक्रमणकालीन ओ विशेष उपबंध)

प्रोन्नति अथवा स्थानांतरण, एहन नियुक्ति, पदस्थापना, प्रोन्नति अथवा स्थानांतरणक संबंधमे यथास्थिति, हैदराबाद राज्यक भीतर अथवा आंध्र प्रदेश राज्यक कोनो भागक भीतर निवासक लेल कोनो अपेक्षाक उपबंध करएवला तत्समय प्रवृत्त विधिक अनुसार नहि कएल गेल छल, ई नहि बुझल जाएत जे ओ अवैध अथवा शून्य अछि अथवा कहियो अवैध अथवा शून्य रहल छल ।

(10) एहि अनुच्छेदक आओर राष्ट्रपति द्वारा ओकर अधीन कएल गेल कोनो आदेशक उपबंध एहि संविधानक कोनो अन्य उपबंधमे अथवा तत्समय प्रवृत्त कोनो अन्य विधिमे कोनो बातक रहितहुँ प्रभावी होएत ।

371ड. आंध्र प्रदेशमे केन्द्रीय विश्वविद्यालयक स्थापना-संसद विधि द्वारा, आंध्र प्रदेश राज्यमे एक विश्वविद्यालयक स्थापनाक लेल उपबंध क' सकत ।

¹[371च. सिक्किम राज्यक संबंधमे विशेष उपबंध]-एहि संविधानमे कोनो बातक रहितहुँ, -

(क) सिक्किम राज्यक विधान सभा कम-सँ-कम तीस सदस्य सभसँ मिलिकए बनत;

(ख) संविधान (छत्तीसम संशोधन) अधिनियम, 1975 केर प्रारंभक तिथिसँ (जकरा एहि अनुच्छेदमे एकर पश्चात् नियत दिन कहल गेल अछि)-

(i) सिक्किमक विधान सभा, जे अप्रैल, 1974 मे सिक्किममे भेल निर्वाचनक परिणामस्वरूप उक्त निर्वाचनमे निर्वाचित बत्तीस सदस्य सभसँ (जकरा एहिमे एकर पश्चात् आसीन सदस्य कहल गेल अछि) मिलिकए बनल अछि, एहि संविधानक अधीन सम्यक रूपसँ गठित सिक्किम राज्यक विधान सभा बुझल जाएत ;

(ii) आसीन सदस्य एहि संविधानक अधीन सम्यक रूपसँ निर्वाचित सिक्किम राज्यक विधान सभाक सदस्य बुझल जाएत ; आओर

(iii) सिक्किम राज्यक उक्त विधान सभा एहि संविधानक अधीन राज्यक विधानक शक्ति सभक प्रयोग आओर कार्यक पालन करत ;

¹ संविधान (छत्तीसम संशोधन) अधिनियम, 1975 केर धारा 3 द्वारा (26-04-1975 सँ) अनुच्छेद 371 अंतःस्थापित ।

(भाग 21-अस्थायी, संक्रमणकालीन ओ विशेष उपबंध)

(ग) खंड (ख) केर अधीन सिक्किम राज्यक विधान सभा बुझल गेल विधान सभाक दशामे, अनुच्छेद 172 केर खंड (1) मे ¹[पाँच वर्ष] केर अवधिक प्रति निर्देशक ई अर्थ लगाओल जाएत जे ओ ¹[पाँच वर्ष] केर अवधिक प्रति निर्देशक ई अर्थ लगाओल जाएत जे ओ ²[चारि वर्ष] केर अवधिक प्रति निर्देश अछि आओर ²[चारि वर्ष] केर उक्त अवधि नियत दिनसँ प्रारंभ भेल बुझल जाएत ;

(घ) जाधरि संसद विधि द्वारा अन्य उपबंध नहि करैत अछि ताधरि सिक्किम राज्यक लेल लोकसभामे एक स्थान आवंटित कएल जाएत आओर सिक्किमक राज्य एक संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र बनत जकर नाम सिक्किम संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र होएत ;

(ङ) नियत दिनकेँ विद्यमान लोकसभामे सिक्किम राज्यक प्रतिनिधि सिक्किम राज्यक विधान सभाक सदस्य सभ द्वारा निर्वाचित कएल जाएत ;

(च) संसद, सिक्किमक जनताक विभिन्न अनुभाग सभक अधिकार सभ आओर हित सभक संरक्षा करबाक प्रयोजनक लेल सिक्किम राज्यक विधान सभामे ओहि स्थान सभक संख्याक लेल जे ओहि अनुभाग सभक अभ्यर्थी सभ द्वारा भरल जा सकत आओर एहन सभा निर्वाचन-क्षेत्र सभमे परिसीमनक लेल, जाहिसँ मात्र एहन अनुभाग सभक अभ्यर्थी सिक्किम राज्यक विधान सभाक निर्वाचनक लेल ठाढ़ भ' सकत, उपबंध क' सकत ;

(छ) सिक्किमक राज्यपालक, शान्तिक लेल आओर सिक्किमक जनताक विभिन्न अनुभाग सभक सामाजिक आओर आर्थिक उन्नति सुनिश्चित करबाक लेल साम्यपूर्ण व्यवस्था करबाक लेल विशेष उत्तरदायित्व होएत आओर एहि खंडक अधीन अपन विशेष उत्तरदायित्वक निर्वहन करबामे सिक्किमक राज्यपाल एहन निदेश सभक अधीन रहैत जे राष्ट्रपति समय-समय पर देब ठीक बुझथि, अपन विवेकसँ काज करताह ;

(ज) सभ संपत्ति आओर परिसंपत्ति (चाहे ओ सिक्किम राज्यमे समाविष्ट राज्यक्षेत्र सभक भीतर होए अथवा बाहर) जे नियत दिनसँ ठीक पहिने सिक्किम सरकार मे अथवा सिक्किम सरकारक प्रयोजन सभक लेल कोनो अन्य प्राधिकारी अथवा व्यक्ति मे निहित छल, नियत दिनसँ सिक्किम राज्यक सरकार मे निहित भ' जाएत ;

¹ संविधान (बियालिसम संशोधन) अधिनियम, 1976 केर धारा 56 द्वारा (03-01-1977 सँ) “पाँच वर्ष” केर स्थान पर प्रतिस्थापित आओर तत्पश्चात् संविधान (चौवालीसम संशोधन) अधिनियम, 1978 केर धारा 43 द्वारा (06-09-1979 सँ) “छओ वर्ष” केर स्थान पर) प्रतिस्थापित ।

² संविधान (बियालिसम संशोधन) अधिनियम, 1976 केर धारा 56 द्वारा (03-07-1977 सँ) “चारि वर्ष” केर स्थान पर प्रतिस्थापित आओर तत्पश्चात् संविधान (चौवालीसम संशोधन) अधिनियम, 1978 केर धारा 43 द्वारा (06-09-1979 मे) क्रमशः “पाँच वर्ष” केर स्थान पर प्रतिस्थापित ।

(भाग 21-अस्थायी, संक्रमणकालीन ओ विशेष उपबंध)

(झ) सिक्किम राज्यमे समाविष्ट राज्यक्षेत्र सभमे नियत दिनसँ ठीक पहिने उच्च न्यायालयक रूपमे कार्यरत उच्च न्यायालय नियत दिनकेँ आओर सिक्किम राज्यक उच्च न्यायालय बुझल जाएत ;

(ञ) सिक्किम राज्यक राज्यक्षेत्रमे सर्वत्र सिविल, आपराधिक आओर राजस्व अधिकारिता बला सभ न्यायालय एवं सभ न्यायिक, कार्यपालक आओर अनुसचिवीय प्राधिकारी आओर अधिकारी नियत दिनकेँ वा ओहि दिनसँ अपन-अपन कार्य सभकेँ एहि संविधानक उपबंध सभमे अधीन रहैत, करैत रहताह ;

(ट) सिक्किम राज्यमे समाविष्ट राज्यक्षेत्रमे अथवा ओकर कोनो भागमे नियत दिनसँ ठीक पहिने प्रवृत्त सभ विधि ओतए ताधरि प्रवृत्त बनल रहत जाधरि कोनो सक्षम विधान-मंडल अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा ओकर संशोधन अथवा निरसन नहि क' देल जाइत अछि ;

(ठ) सिक्किम राज्यक प्रशासनक संबंधमे कोनो एहन विधिकेँ, जे खंड (ट) मे निर्दिष्ट अछि, लागू कएल जाएबाकेँ सुलभ बनएबाक प्रयोजनक लेल आओर कोनो एहन विधिक उपबंध सभकेँ एहि संविधानक उपबंध सभक अनुरूप बनएबाक प्रयोजनक लेल राष्ट्रपति, नियत दिनसँ दू वर्षक भीतर आदेश द्वारा, एहन विधिमे निरसनक रूपमे अथवा संशोधनक रूपमे एहन अनुकूलन आओर उपांतरण क' सकत जे आवश्यक अथवा समीचीन होए आओर तखन प्रत्येक एहन विधि एहि प्रकार कएल गेल अनुकूलन सभ आओर उपांतरण सभक अधीन रहैत प्रभावी होएत आओर कोनो एहन अनुकूलन अथवा उपांतरणकेँ कोनो न्यायालयमे प्रश्नगत नहि कएल जाएत;

(ड) उच्चतम न्यायालय अथवा कोनो अन्य न्यायालयकेँ, सिक्किमक संबंधमे कोनो एहन संधि, अनुबंध, वचनबंध अथवा ओहने अन्य दस्तावेजसँ, जे नियत दिनसँ पहिने कएल गेल छल अथवा निष्पादित कएल गेल छल आओर जाहिमे भारत सरकार वा ओकर पूर्ववर्ती कोनो सरकार पक्षकार छल, उत्पन्न कोनो विवाद अथवा अन्य विषयक संबंधमे अधिकारिता नहि होएत, मुदा एहि खंडक कोनो बातक ई अर्थ नहि लगाओल जाएत जे ओ अनुच्छेद 143 केर उपबंध सभक अल्पीकरण करैत अछि ;

(ढ) राष्ट्रपति, लोक अधिसूचना द्वारा, कोनो एहन अधिनियमक विस्तार, जे ओहि अधिसूचनाक तिथिकेँ भारतक कोनो राज्यमे प्रवृत्त अछि, एहन निर्बंधन सभक अथवा उपांतरण सभक सहित, जे ओ ठीक बुझैत अछि, सिक्किम राज्य पर क' सकत ;

(ण) जँ एहि अनुच्छेदक पूर्वगामी उपबंध, सभमे सँ कोनो उपबंधकेँ प्रभावी करबामे कोनो अवरोध उत्पन्न होइत अछि तँ राष्ट्रपति, आदेश* द्वारा, कोनो एहन बात (जकरा अंतर्गत कोनो अन्य अनुच्छेदक कोनो अनुकूलन अथवा उपांतरण अछि) क' सकत जे ओहि अवरोधकेँ दूर करबाक प्रयोजनक लेल हुनका आवश्यक प्रतीत होनि :

* विधान (कठिनाई सभक निराकरण) आदेश सं. 11 (सं. आ. 99) देखू ।

(भाग 21-अस्थायी, संक्रमणकालीन ओ विशेष उपबंध)

मुदा एहन कोनो आदेश नियत दिनसँ दू वर्षक समाप्तिक पश्चात् नहि कएल जाएत ;

(त) सिक्किम राज्य अथवा ओहिमे समाविष्ट राज्यक्षेत्र सभक अथवा ओकरा संबंधमे, नियत दिनकेँ प्रारंभ होमयवला आओर ओहि तिथिसँ जकरा संविधान (छत्तीसम संशोधन) अधिनियम, 1975 राष्ट्रपतिक अनुमति प्राप्त करैत अछि, ठीक पहिने समाप्त होमयवला अवधिक अंतर्गत कएल गेल सभ बात आओर कार्रवाई, जतए धरि ओ संविधान (छत्तीसम संशोधन) अधिनियम, 1975 द्वारा यथा संशोधित एहि संविधानक उपबंधक अनुरूप अछि, सभ प्रयोजनक लेल एहि प्रकार यथा संशोधित एहि संविधानक अधीन विधिमान्यतः कएल गेल बुझल जाएत ।]

¹[371छ. मिजोरम राज्यक संबंधमे विशेष उपबंध-एहि संविधानमे कोनो बातक रहितहुँ-

(क) निम्नलिखितक संबंधमे संसदक कोनो अधिनियम मिजोरम राज्यकेँ ताधरि लागू नहि होएत जाधरि मिजोरम राज्यक विधान सभा संकल्प द्वारा एहन निर्णय नहि करैत अछि, अर्थात -

- i. मिजो लोक सभक धार्मिक अथवा सामाजिक प्रथा सभ ;
- ii. मिजो रूढ़िजन्य विधि आओर प्रक्रिया
- iii. सिविल आओर आपराधिक न्याय प्रशासन जतए निर्णय मिजो रूढ़िजन्य विधिक अनुसार होएबाक अछि ;
- iv. भूमिक स्वामित्व आ अंतरण:

मुदा एहि खंडक कोनो बात, संविधान (तिरपनम संशोधन) अधिनियम, 1986 केर प्रारंभसँ ठीक पहिने मिजोरम केन्द्र शासित प्रदेशमे प्रवृत्त कोनो केन्द्रीय अधिनियमकेँ लागू नहि होएत;

(ख) मिजोरम राज्यक विधान सभा कम-सँ-कम चालीस सदस्यसँ मिलिकए बनत ।]

²[371ज. अरुणाचल प्रदेश राज्यक संबंधमे विशेष उपबंध- एहि संविधानमे कोनो बातक होइतहुँ—

(क) अरुणाचल प्रदेशक राज्यपालक अरुणाचल प्रदेश राज्यमे विधि आओर व्यवस्थाक संबंधमे विशेष उत्तरदायित्व रहत आओर राज्यपाल, ओहि संबंधमे अपन कार्यक निर्वहन करबामे कएल जाएवला कार्रवाईक लेल अपन व्यक्तिगत निर्णयक प्रयोग मंत्रि-परिषदसँ परामर्श करबाक पश्चात् करत :

¹ संविधान (तिरपनम संशोधन) अधिनियम, 1986 केर धार 2 द्वारा (20-02-1987 सँ) अनुच्छेद 371 छ, अंतःस्थापित ।

² संविधान (पचपनम संशोधन) अधिनियम, 1986 केर धारा 2 द्वारा (20-02-1987 सँ) अनुच्छेद 371ज, अंतःस्थापित ।

(भाग 21-अस्थायी, संक्रमणकालीन ओ विशेष उपबंध)

मुदा जै ई प्रश्न उठैत अछि जे कोनो मामिला एहन अछि अथवा नहि जकरा संबंधमे राज्यपालसँ एहि खंडक अधीन अपेक्षा कएल गेल अछि जे ओ अपन व्यक्तिगत निर्णयक प्रयोग क' कए कार्य करत तँ राज्यपालक अपन विवेकसँ कएल गेल निर्णय अंतिम होएत आओर राज्यपाल द्वारा कएल गेल कोनो बातक विधिमान्यता एहि आधार पर प्रश्नगत नहि कएल जाएत जे हुनका अपन व्यक्तिगत निर्णयक प्रयोग क' कए कार्य करबा चाही छल अथवा नहि :

मुदा ई अन्यथा जे जै राज्यपालसँ प्रतिवेदन भेटला पर अथवा राष्ट्रपतिकें ई समाधान भ' जाइत अछि जे आब ई आवश्यक नहि अछि जे अरुणाचल प्रदेश राज्यमे विधि आओर व्यवस्थाक संबंधमे राज्यपालक विशेष उत्तरदायित्व रहए तँ ओ आदेश द्वारा, निदेश द' सकताह जे राज्यपालक एहन उत्तरदायित्व ओहि तिथिसँ नहि रहत जे आदेशमे विनिर्दिष्ट कएल जाएत ;

(ख) अरुणाचल प्रदेश राज्यक विधान सभा कम-सँ-कम तीस सदस्य सभसँ मिलिकए बनत ।]

¹[371झ. गोवा राज्यक संबंधमे विशेष उपबंध-एहि संविधानमे कोनो बातक रहितहुँ, गोवा राज्यक विधान सभा कम-सँ-कम तीस सदस्य सभसँ मिलिकए बनत ।]

²[371ज. कर्नाटक राज्यक संबंधमे विशेष उपबंध-(1) राष्ट्रपति, कर्नाटक राज्यक संबंधमे कएल गेल आदेश द्वारा, -

(क) हैदराबाद-कर्नाटक क्षेत्रक लेल, एक पृथक विकास बोर्डक स्थापनाक लेल, एहि उपबंध सहित जे एहि बोर्डक कार्यकरण पर एक प्रतिवेदन प्रत्येक वर्ष राज्य विधान सभाक समक्ष राखल जाएत ;

(ख) समस्त राज्यक आवश्यकता सभकेँ ध्यानमे रखैत, उक्त क्षेत्रक विकास व्ययक लेल साम्यपूर्ण आवंटनक लेल ; आओर

(ग) समस्त राज्यक आवश्यकता सभकेँ ध्यानमे रखैत, उक्त क्षेत्र सँ संबंधित लोक सभक लेल लोक नियोजन, शिक्षा आओर व्यावसायिक प्रशिक्षणक विषय सभक साम्यपूर्ण अवसर आओर सुविधाक लेल, राज्यपालक कोनो विशेष उत्तरदायित्वक लेल उपबंध क' सकत ।

(2) खंड (1) केर उपखंड (ग) केर अधीन कएल गेल आदेश द्वारा-

(क) हैदराबाद-कर्नाटक क्षेत्रमे शैक्षणिक आओर व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्था सभमे, एहन छात्र सभक लेल जे जन्मसँ अथवा अधिवास द्वारा ओहि क्षेत्रक अछि, स्थान सभक अनुपातिक आरक्षणक लेल उपबंध कएल जा सकत ; आओर

¹ संविधान (छप्पनम संशोधन) अधिनियम, 1987 केर धारा 2 द्वारा (30-05-1987 सँ) अंतःस्थापित ।

² संविधान (अनठानवेयम संशोधन) अधिनियम, 2012 केर धारा 2 द्वारा (01-10-2013 सँ) अंतःस्थापित ।

(भाग 21-अस्थायी, संक्रमणकालीन ओ विशेष उपबंध)

(ख) हैदराबाद-कर्नाटक क्षेत्रमे राज्य सरकारक अधीन आओर राज्य सरकारक नियंत्रणाधीन कोनो निकाय अथवा संगठनमे पद सभ अथवा पद केर वर्ग सभक पहिचान करबाक लेल आओर ओहि व्यक्ति सभक लेल, जे जन्मसँ अथवा अधिवास द्वारा ओहि क्षेत्रक छथि, एहन पद सभक आनुपातिक आरक्षणक लेल आओर ओहि पद सभ पर सीधा भर्ती द्वारा अथवा प्रोन्नति द्वारा अथवा एहन कोनो अन्य प्रक्रियामे, जे आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट कएल जाय, नियुक्तिक लेल उपबंध कएल जा सकत ।]

372. विद्यमान विधिक प्रवृत्त बनल रहब आओर ओकर अनुकूलन-(1) अनुच्छेद 395 मे निर्दिष्ट अधिनियमिति सभक एहि संविधान द्वारा निरसन होएबा पर सेहो, मुदा एहि संविधानक अन्य उपबंध सभक अधीन रहैत, एहि संविधानक प्रारंभसँ ठीक पहिने भारतक राज्यक्षेत्रमे सभ प्रवृत्त विधि ओतए ताधरि प्रवृत्त बनल रहत जाधरि कोनो सक्षम विधान मंडल अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा ओकरा परिवर्तित अथवा निरसित अथवा संशोधित नहि क' देल जाएत ।

(2) भारतक राज्यक्षेत्रमे कोनो प्रवृत्त विधिक उपबंध सभक एहि संविधानक उपबंधक अनुरूप बनएबाक प्रयोजनक लेल राष्ट्रपति, आदेश* द्वारा, एहन विधिमे निरसनक रूपमे अथवा संशोधनक रूपमे एहन अनुकूलन आओर उपांतरण क' सकत जे आवश्यक अथवा समीचीन होए आओर ई उपबंध क' सकत जे ओ विधि ओहि तिथिसँ जे आदेशमे विनिर्दिष्ट कएल जाए, एहि प्रकार कएल गेल अनुकूलन आओर उपांतरण सभक अधीन रहैत प्रभावी होएत आओर कोनो एहन अनुकूलन अथवा उपांतरणकें कोनो न्यायालयमे प्रश्नगत नहि कएल जाएत ।

(3) खंड (2) मे एहन कोनो बात नहि बुझल जाएत-

(क) राष्ट्रपतिकें एहि संविधानक प्रारंभसँ ¹[तीन वर्ष] केर समाप्तिक पश्चात् कोनो विधिक कोनो अनुकूलन अथवा उपांतरण करबाक लेल सशक्त करएवला, अथवा

(ख) कोनो सक्षम विधान-मंडल अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारीकें, राष्ट्रपति द्वारा उक्त खंडक अधीन अनुकूलित अथवा उपांतरित कोनो विधिक निरसन वा संशोधन करबासँ रोकएवला नहि बुझल जाएत ।

* देखू, अधिसूचना सं. का. नि. आ. 115, तिथि 5 जून 1950, भारतक राजपत्र, असाधारण भाग 2, अनुभाग 3, पृ. 51; अधिसूचना सं. का. नि. आ. 870, तिथि 4 नवंबर, 1950, भारतक राजपत्र, असाधारण, भाग 2, अनुभाग 3, पृ. 903; अधिसूचना सं. का. नि. आ. 508 तिथि 4 अप्रैल, 1951, भारतक राजपत्र, असाधारण, भाग 2, अनुभाग 3, पृ. 287; अधिसूचना सं. का. नि. आ. 1140 ख, तिथि 2 जुलाई, 1952, भारतक राजपत्र, असाधारण, भाग 2, अनुभाग 3, पृ. 616/1, आओर त्रावणकोर-कोचीन भूमि अर्जन विधि अनुकूलन आदेश, 1952, तिथि 20 नवंबर, 1952, भारतक राजपत्र, असाधारण, भाग 2, अनुभाग 3, पृ. 923 द्वारा यथासंशोधित विधि अनुकूलन आदेश, 1950, तिथि 26 जनवरी, 1950, भारतक राजपत्र, असाधारण, पृ. 449

¹ संविधान (पहिल संशोधन) अधिनियम, 1951 केर धारा 12 द्वारा (18-06-1951 सँ) “दू वर्ष” केर स्थान पर प्रतिस्थापित ।

(भाग 21-अस्थायी, संक्रमणकालीन ओ विशेष उपबंध)

स्पष्टीकरण 1-एहि अनुच्छेदमे, “प्रवृत्त विधि” पदक अंतर्गत एहन विधि अछि जे एहि संविधानक प्रारंभसँ पहिने भारतक राज्यक्षेत्रमे कोनो विधान मंडल द्वारा अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा पारित कएल गेल अछि अथवा बनाओल गेल अछि आओर पहिने सेहो निरसित नहि क’ देल गेल अछि, भनहि ओ अथवा ओकर कोनो भाग तखन पूर्णतः अथवा कोनो विशिष्ट क्षेत्र सभमे प्रवर्तनमे नहि होए।

स्पष्टीकरण 2-भारतक राज्यक्षेत्रमे कोनो विधान मंडल द्वारा अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा पारित कएल गेल अथवा बनाओल गेल एहन विधि जकरा एहि संविधानक प्रारंभसँ ठीक पहिने राज्यक्षेत्रातीत प्रभाव छल आओर भारतक राज्यक्षेत्रमे सेहो प्रभाव छल, यथापूर्वोक्त कोनो अनुकूलन आओर उपांतरण सभक अधीन रहैत, एहन राज्यक्षेत्रातीत प्रभाव बनल रहत।

स्पष्टीकरण 3-एहि अनुच्छेदक कोनो बातक ई अर्थ नहि लगाओल जाएत जे ओ कोनो अस्थायी प्रवृत्त विधिकेँ ओकर समाप्ति लेल नियत तिथिसँ, अथवा ओहि तिथिसँ जकरा, जँ ओ संविधान प्रवृत्त नहि भेल होएत तँ, ओ समाप्त भ’ जाएत, आगू प्रवृत्त बनाओल रखैत अछि।

स्पष्टीकरण 4-कोनो प्रांतक राज्यपाल द्वारा भारत शासन अधिनियम, 1935 केर धारा 88 केर अधीन प्रख्यापित आओर एहि संविधानक प्रारंभसँ ठीक पहिने प्रवृत्त अध्यादेश, जँ तत्स्थानी राज्यक राज्यपाल द्वारा पहिनहि वापस नहि ल’ लेल गेल अछि तँ एहन प्रारंभक पश्चात् अनुच्छेद 382 केर खंड (1) केर अधीन कार्यरत ओहि राज्यक विधान सभाक प्रथम अधिवेशनसँ छओ सप्ताहक समाप्ति पर प्रवर्तनमे नहि रहत आओर एहि अनुच्छेदक कोनो बातक ई अर्थ नहि लगाओल जाएत जे ओ एहन कोनो अध्यादेशकेँ उक्त अवधिसँ आगू प्रवृत्त बनौने रखैत अछि।

1[372क. विधि सभक अनुकूलन करबाक राष्ट्रपतिक शक्ति-(1) संविधान (सातम संशोधन) अधिनियम 1956 केर प्रारंभसँ ठीक पहिने भारतमे अथवा ओकर कोनो भागमे प्रवृत्त कोनो विधिक उपबंध सभकेँ ओहि अधिनियम द्वारा यथा संशोधित एहि संविधानक उपबंध सभक अनुरूप बनएबाक प्रयोजन सभक लेल, राष्ट्रपति 1 नवंबर, 1957 सँ पहिने कएल गेल आदेश* द्वारा, एहन विधिमे निरसनक रूपमे अथवा संशोधनक रूपमे एहन अनुकूलन आओर उपांतरण क’ सकत जे आवश्यक अथवा समीचीन होए आओर एहन उपबंध क’ सकत जे ओ विधि ओहि तिथिसँ जे आदेशमे विनिर्दिष्ट कएल जाए, एहि प्रकार कएल गेल अनुकूलन आओर उपांतरण सभक अधीन रहैत प्रभावी होएत आओर कोनो एहन अनुकूलन अथवा उपांतरणकेँ कोनो न्यायालयमे प्रश्नगत नहि कएल जाएत।

(2) खंड (1) केर कोनो बात, कोनो सक्षम विधान मंडल अथवा सक्षम प्राधिकारीकेँ, राष्ट्रपति द्वारा उक्त खंडक अधीन अनुकूलित अथवा उपांतरित कोनो विधिक निरसन अथवा संशोधन करबासँ रोकए बला नहि बुझल जाएत।]

¹ अनुच्छेद 372 क, संविधान (सातम संशोधन) अधिनियम, 1956 केर धारा 23 द्वारा (01-11-1956 सँ) अंतःस्थापित।

* देखू 1956 आओर 1957 केर विधि अनुकूलन आदेश।

373. निवारक निरोधमे राखल गेल व्यक्तिक संबंधमे कतिपय स्थितिमे आदेश करबाक राष्ट्रपतिक शक्ति-जाधरि अनुच्छेद 22 केर खंड (7) केर अधीन संसद उपबंध नहि करैत अछि, अथवा जाधरि एहि संविधानक प्रारंभसँ एक वर्ष समाप्त नहि भ' जाइत अछि, एहिमे सँ जे पहिने हो, ताधरि उक्त अनुच्छेद एहन प्रभावी होएत मानू ओकर खंड (4) आओर खंड (7) मे संसदक प्रति कोनो निर्देशक स्थान पर राष्ट्रपतिक प्रति निर्देश आओर ओहि खंडमे संसद द्वारा बनाओल गेल विधिक प्रति निर्देशक स्थान पर राष्ट्रपति द्वारा कएल गेल आदेशक प्रति निर्देश राखि देल गेल होअए।

374. संघीय न्यायालयक न्यायाधीश आओर संघीय न्यायालयमे वा परिषद महामहिम केर समक्ष लंबित कार्यवाहीक विषयमे उपबंध-(1) एहि संविधानक प्रारंभसँ ठीक पहिने संघीय न्यायालयक पद धारण करएवाला न्यायाधीश, जँ ओ अन्यथा निर्वाचन नहि क' चुकल होअय तँ, एहन प्रारंभ पर उच्चतम न्यायालयक न्यायाधीश भ' जाएत आओर ताधरि एहन वेतन सभ आओर भत्ता सभक अथवा अनुपस्थित छुट्टी आओर पेंशनक, संबंधमे एहन अधिकार सभक हकदार होएत जे उच्चतम न्यायालयक न्यायाधीश सभक संबंधमे अनुच्छेद 125 केर अधीन उपबंधित अछि।

(2) एहि संविधानक प्रारंभ पर संघीय न्यायालयमे लंबित सभ सिविल अथवा आपराधिक वाद, अपील आओर कार्यवाही, उच्चतम न्यायालयकें अंतरित भ' जाएत आओर उच्चतम न्यायालयकें ओकरा सुनबा आओर ओकर अवधारण करबाक अधिकारिता होएत आओर संघीय न्यायालय द्वारा एहि संविधानक प्रारंभसँ पहिने सुनाओल गेल अथवा देल गेल निर्णय सभ आओर आदेश सभक ओ बल आओर प्रभाव होएत मानू ओ उच्चतम न्यायालय द्वारा सुनाओल गेल होअय अथवा देल गेल होअय।

(3) एहि संविधानक कोनो बात भारतक राज्यक्षेत्रक भीतर कोनो न्यायालयकें कोनो निर्णय, आज्ञा अथवा आदेशक अथवा ओकर संबंधमे अपील आओर याचिका सभकें निपटएबाक लेल सपरिषद महामहिम द्वारा अधिकारिताक प्रयोग विधि द्वारा प्राधिकृत अछि आओर एहन अपील अथवा याचिका पर एहि संविधानक प्रारंभक पश्चात् कएल गेल सपरिषद महामहिमक कोनो आदेश सभ प्रयोजनक लेल एहन प्रभावी होएत मानू ओ उच्चतम न्यायालय द्वारा ओकर अधिकारिताक प्रयोगमे जे एहन न्यायालयकें एहि संविधान द्वारा प्रदान कएल गेल अछि, कएल गेल कोनो आदेश अथवा आज्ञा अछि।

(4) एहि संविधानक प्रारंभसँ पहिनहि अनुसूची केर भाग (ख) मे विनिर्दिष्ट कोनो राज्यमे प्रिवी कौंसिलक रूपमे कार्यरत प्राधिकारीक ओहि राज्यक भीतर कोनो न्यायालयक कोनो निर्णय, आज्ञा अथवा आदेशक आओर ओकर संबंधमे अपील सभ आओर याचिका सभक ग्रहण करबाक अथवा निपटएबाक अधिकारिता समाप्त भ' जाएत आओर उक्त प्राधिकारीक समक्ष एहन प्रारंभ पर लंबित सभ अपील आओर अन्य कार्यवाही सभ उच्चतम न्यायालयकें अंतरित क' देल जाएत आओर ओकर द्वारा निपटाओल जाएत।

(5) एहि अनुच्छेदक उपबंध सभकें प्रभावी करबाक लेल संसद विधि द्वारा आओर उपबंध क' सकत।

(भाग 21-अस्थायी, संक्रमणकालीन ओ विशेष उपबंध)

375. संविधानक उपबंधक अधीन रहैत न्यायालय, प्राधिकारी आओर अधिकारीकेँ कार्यशील रहब-भारतक राज्यक्षेत्रमे सर्वत्र सिविल, आपराधिक आओर राजस्व अधिकारिता बला सभ न्यायालय आओर सभ न्यायिक आओर सभ न्यायिक कार्यपालक आओर अनुसचिवीय प्राधिकारी आओर अधिकारी अपन-अपन कार्य सभकेँ एहि संविधानक उपबंध सभक अधीन रहैत, करैत रहताह ।

376. उच्च न्यायालयक न्यायाधीश सभक लेल उपबंध-(1) अनुच्छेद 217 केर खंड(2) मे कोनो बातक रहितहुँ, एहि संविधानक प्रारंभसँ ठीक पहिने कोनो प्रांतक उच्च न्यायालयक पद धारण करएबला न्यायाधीश, जँ ओ अन्यथा निर्वाचन नहि क' चुकल हो तँ, एहन प्रारंभ पर तत्स्थानी राज्यक उच्च न्यायालयक' न्यायाधीश भ' जाएत आओर ताधरि एहन वेतन आओर भत्ता सभक एवं अनुपस्थिति छुट्टी आओर पेंशनक संबंधमे एहन अधिकार सभक हकदार होएत जे एहन उच्च न्यायालयक न्यायाधीश सभक संबंधमे अनुच्छेद 221 केर अधीन उपबंधित अछि । ¹[एहन न्यायाधीश एहि बातक रहितहुँ जे ओ भारतक नागरिक नहि अछि, ओहि उच्च न्यायालयक मुख्य न्यायमूर्ति अथवा कोनो अन्य उच्च न्यायालयक मुख्य न्यायमूर्ति अथवा अन्य न्यायाधीश नियुक्त होएबाक पात्र होएताह ।]

(2) एहि संविधानक प्रारंभसँ ठीक पहिने पहिल अनुसूचीक भाग ख मे विनिर्दिष्ट कोनो राज्यक तत्संबंधी कोनो भारतीय राज्यक उच्च न्यायालयक पद धारण करएबला न्यायाधीश, जँ ओ अन्यथा निर्वाचन नहि कएने हो तँ, एहन प्रारंभ पर एहि प्रकारेँ विनिर्दिष्ट राज्यक उच्च न्यायालयक न्यायाधीश भ' जाएत आओर अनुच्छेद 217 केर खंड (1) आओर खंड (2) मे कोनो बातक रहितहुँ, मुदा ओहि अनुच्छेदक खंड (1) केर शर्तक अधीन रहैत, एहन अवधिक समाप्ति धरि पद धारण करैत रहताह जे राष्ट्रपति आदेश द्वारा सुनिश्चित करथि ।

(3) एहि अनुच्छेदमे, “न्यायाधीश” पदक अंतर्गत कार्यकारी न्यायाधीश अथवा अपर न्यायाधीश नहि अछि ।

377. भारतक नियंत्रक-महालेखापरीक्षकक विषयमे उपबंध-एहि संविधानक प्रारंभसँ ठीक पहिने पद धारण करएबला भारतक महालेखापरीक्षक, जँ ओ अन्यथा निर्वाचन नहि क' चुकल हो तँ, एहन प्रारंभ पर भारतक नियंत्रक-महालेखापरीक्षक भ' जाएत आओर तखन एहन वेतन सभ एवं अनुपस्थिति छुट्टी आओर पेंशनक संबंधमे अनुच्छेद 148 केर खंड (3) केर अधीन उपबंधित अछि आओर अपन ओहि पदावधिक समाप्ति धरि पद धारण करबाक अधिकार होएत जे ओहि प्रारंभसँ ठीक पहिने ओकरा लागू होमयबला उपबंध सभक अधीन सुनिश्चित कएल जाए ।

¹ संविधान (पहिल संशोधन) अधिनियम, 1951 केर धारा 13 द्वारा (18-06-1951 सँ) जोड़ल गेल ।

(भाग 21-अस्थायी, संक्रमणकालीन ओ विशेष उपबंध)

378. लोक सेवा आयोगक विषयमे उपबंध-(1) एहि संविधानक प्रारंभसँ ठीक पहिने भारत अधिक्षेत्रक लोक सेवा आयोगक पद धारण करएवला सदस्य, जँ ओ अन्यथा निर्वाचन नहि क' चुकल होअय तँ एहन प्रारंभ पर संघक लोक सेवा आयोगक सदस्य भ' जाएत आओर अनुच्छेद 316 केर खंड (1) आओर खंड (2) मे कोनो बातक रहितहुँ, मुदा ओहि अनुच्छेदक खंड (2) केर परंतुक केर अधीन रहैत, अपन ओहि पदावधिक समाप्ति धरि पद धारण करैत रहताह जे एहन प्रारंभसँ ठीक पहिने एहन सदस्य सभक लागू नियम सभक अधीन सुनिश्चित अछि ।

(2) एहि संविधानक प्रारंभसँ ठीक पहिने कोनो प्रांतक लोक सेवा आयोगक अथवा प्रांत सभक समूहक आवश्यकता सभक पूर्ति करएवला कोनो लोक सेवा आयोगक पद धारण करएवला सदस्य, जँ ओ अन्यथा निर्वाचन नहि क' चुकल होअय तँ, एहन प्रारंभ पर, यथास्थिति, तत्संबंधी राज्यक लोक सेवा आयोगक सदस्य अथवा तत्संबंधी राज्य सभक आवश्यकताक पूर्ति करएवला संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोगक सदस्य भ' जाएत आओर अनुच्छेद 316 केर खंड (1) आओर खंड (2) मे कोनो बातक रहितहुँ, मुदा ओहि अनुच्छेद केर खंड (2) केर परंतुक केर अधीन रहैत, अपन ओहि पदावधिक समाप्ति धरि पद धारण करैत रहताह, जे एहन प्रारंभसँ ठीक पहिने एहन सदस्य सभक लागू नियम सभक अधीन सुनिश्चित अछि ।

¹[**378क. आंध्र प्रदेशक विधान सभाक अवधिक विषयमे विशेष उपबंध-**अनुच्छेद 172 मे कोनो बातक रहितहुँ, राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 केर धारा 28 आओर धारा 29 केर उपबंध सभक अधीन गठित आंध्र प्रदेश राज्यक विधान सभा, जँ पहिनहि विघटित नहि क' देल जाइत अछि तँ, उक्त धारा 29 मे निर्दिष्ट तिथिसँ पाँच वर्षक अवधि धरि बनल रहत, एहिसँ बेसी नहि आओर उक्त अवधिक समाप्तिक परिणाम ओहि विधान-सभाक विघटन होएत ।]

379. [अंतर्कालीन संसद एवं ओकर अध्यक्ष एवं उपाध्यक्षक विषयमे उपबंध]- संविधान (सातम संशोधन) अधिनियम, 1956 केर धारा 29 आओर अनुसूची द्वारा (01/11/1956 सँ) लोप कएल गेल ।

380. [राष्ट्रपतिक विषयमे उपबंध]- संविधान (सातम संशोधन) अधिनियम, 1956 केर धारा 29 आओर अनुसूची द्वारा (01/11/1956 सँ) लोप कएल गेल ।

381. [राष्ट्रपतिक मंत्रि परिषद]- संविधान (सातम संशोधन) अधिनियम, 1956 केर धारा 29 आओर अनुसूची द्वारा (01/11/1956 सँ) लोप कएल गेल ।

382. [पहिल अनुसूचीक भाग क मे स्थित राज्य सभक अंतर्कालीन विधान-मंडलक विषयमे उपबंध]- संविधान (सातम संशोधन) अधिनियम, 1956 केर धारा 29 आओर अनुसूची द्वारा (01/11/1956 सँ) लोप कएल गेल ।

383. [प्रांत सभक राज्यपाल सभक लेल उपबंध]- संविधान (सातम संशोधन) अधिनियम, 1956 केर धारा 29 आओर अनुसूची द्वारा (01/11/1956 सँ) लोप कएल गेल ।

¹ अनुच्छेद 378 क, संविधान (सातम संशोधन) अधिनियम केर धारा 24 द्वारा (01-11-1956सँ) अंतःस्थापित ।

(भाग 21-अस्थायी, संक्रमणकालीन ओ विशेष उपबंध)

384. [राज्यपाल सभक मंत्रि परिषद]-संविधान (सातम संशोधन) अधिनियम, 1956 केर धारा 29 आओर अनुसूची द्वारा (01/11/1956 सँ) लोप कएल गेल।

385. [पहिल अनुसूचीक भाग ख मे स्थित राज्य सभक अंतर्कालीन विधान-मंडलक विषयमे उपबंध]-संविधान (सातम संशोधन) अधिनियम, 1956 केर धारा 29 आओर अनुसूची द्वारा (01/11/1956 सँ) लोप कएल गेल।

386. [पहिल अनुसूचीक भाग ख मे प्रदेशक मंत्रि-परिषद]-संविधान (सातम संशोधन) अधिनियम, 1956 केर धारा 29 आओर अनुसूची द्वारा (01/11/1956 सँ) लोप कएल गेल।

387. [कतिपय निर्वाचनक प्रयोजनक लेल जनसंख्या निर्धारणक विषयमे विशेष उपबंध]-संविधान (सातम संशोधन) अधिनियम, 1956 केर धारा 29 आओर अनुसूची द्वारा (01/11/1956 सँ) लोप कएल गेल।

388. [अंतर्कालीन संसद एवं राज्यक अंतर्कालीन विधान-मंडलमे आकस्मिक रिक्तिक विषयमे उपबंध]-संविधान (सातम संशोधन) अधिनियम, 1956 केर धारा 29 आओर अनुसूची द्वारा (01/11/1956 सँ) लोप कएल गेल।

389. [अधिक्षेत्र विधान-मंडल आ प्रांत एवं भारतीय राज्यक विधान-मंडलमे लंबित विधेयकक विषयमे उपबंध]-संविधान (सातम संशोधन) अधिनियम, 1956 केर धारा 29 आओर अनुसूची द्वारा (01/11/1956 सँ) लोप कएल गेल।

390. [एहि संविधानक प्रारंभ एवं 1950 केर 31 मार्चक मध्य प्राप्त अथवा जमा कएल वा व्यय कएल गेल धन]-संविधान (सातम संशोधन) अधिनियम, 1956 केर धारा 29 आओर अनुसूची द्वारा (01/11/1956 सँ) लोप कएल गेल।

391. [कतिपय आकस्मिकतामे पहिल आ चारिम अनुसूचीक संशोधन करबाक राष्ट्रपतिक शक्ति]-संविधान (सातम संशोधन) अधिनियम, 1956 केर धारा 29 आओर अनुसूची द्वारा (01/11/1956 सँ) लोप कएल गेल।

392. समस्याकें दूर करबाक राष्ट्रपतिक शक्ति-(1) राष्ट्रपति, कोनो एहन कठिनाई कें जे विशिष्टतया भारत शासन अधिनियम, 1935 केर उपबंध सभसँ एहि संविधानक उपबंध सभकें संक्रमणक संबंधमे होअय, दूर करबाक प्रयोजनक लेल आदेश द्वारा निदेश द' सकताह जे ई संविधान ओहि आदेशमे विनिर्दिष्ट अवधिक अंतर्गत उपांतरण, परिवर्धन अथवा लोपक रूपमे एहन अनुकूलन सभक अधीन रहैत प्रभावी होएत, जे ओ आवश्यक अथवा समीचीन बुझथि :

मुदा एहन कोनो आदेश भाग 5 केर अध्याय 2 केर अधीन सम्यक रूपसँ गठित संसदक प्रथम अधिवेशनक पश्चात् नहि कएल जाएत।

(2) खंड (1) केर अधीन कएल गेल प्रत्येक आदेश संसदक समक्ष राखल जाएत।

(3) एहि अनुच्छेद, अनुच्छेद 324, अनुच्छेद 367 केर खंड (3) आओर अनुच्छेद 391 द्वारा राष्ट्रपतिकें प्रदत्त शक्तिसभ, एहि संविधानक प्रारंभसँ पहिने, भारत अधिक्षेत्रक महाराज्यपाल द्वारा प्रयोक्तव्य होएत।

भाग-22

संक्षिप्त नाम, प्रारंभ , ¹[हिन्दीमे प्राधिकृत पाठ] एवं निरसन

393. संक्षिप्त नाम-एहि संविधानक संक्षिप्त नाम भारतक संविधान अछि ।

394. प्रारंभ-एहि अनुच्छेद आओर अनुच्छेद 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 366, 367, 379, 380, 388, 391, 392 आओर 393 तुरंत प्रवृत्त होएत आओर एहि संविधानक शेष उपबंध 26 जनवरी, 1950 केँ प्रवृत्त होएत, जे दिन एहि संविधानमे एहि संविधानक प्रारंभक रूपमे निर्दिष्ट कएल गेल अछि ।

²[**394क. हिन्दी भाषामे प्राधिकृत पाठ**]-⁽¹⁾ राष्ट्रपति अपन अधिकारक अधीन प्रकाशित करौताह—

(क) एहि संविधानक हिन्दी भाषामे अनुवादकेँ, जाहि पर संविधान सभाक सदस्य सभ हस्ताक्षर कएने छलाह, एहन उपांतरण सभक संग जे ओकरा केन्द्रीय अधिनियम सभक हिन्दी भाषामे प्राधिकृत पाठ सभमे अपनाओल गेल भाषा, शैली आओर शब्दावलीक अनुरूप बनएबाक लेल आवश्यक अछि, आओर एहि प्रकाशनक पूर्व कएल गेल एहि संविधानक एहन सभ संशोधन सभकेँ ओहिमे सम्मिलित करैत, एवं

(ख) अंग्रेजी भाषामे कएल गेल एहि संविधानक प्रत्येक संशोधनक हिन्दी भाषामे अनुवादकेँ, अपन प्राधिकारसँ प्रकाशित कराओत ।

(2) खंड (1) केर अधीन प्रकाशित एहि संविधान आओर एकर प्रत्येक संशोधनक अनुवादक वएह अर्थ लगाओल जाएत जे ओकर मूल केर अर्थ अछि आओर जँ एहन अनुवादक कोनो भागक एहि प्रकार अर्थ लगएबामे कोनो कठिनाई उत्पन्न होइत अछि तँ राष्ट्रपति ओकर उपयुक्त पुनरीक्षण करौताह ।

(3) एहि संविधानक आओर एकर प्रत्येक संशोधनक एहि अनुच्छेदक अधीन प्रकाशित अनुवाद, सभ प्रजोजनक लेल, ओकर हिन्दी भाषामे प्राधिकृत पाठ बुझल जाएत ।]

395. निरसन-भारत स्वतंत्रता अधिनियम, 1947 आओर भारत शासन अधिनियम, 1935 केर, पश्चात् कथित अधिनियमक, संशोधक अथवा अनुपूरक सभ अधिनियमिति सभक संग, जकरा अंतर्गत प्रिवी कौंसिल अधिकारिता उन्मूलन अधिनियम, 1949 नहि अछि, एकर द्वारा निरसन कएल जाइत अछि ।

¹ संविधान (अनठावनम संशोधन) अधिनियम, 1987 केर धारा 2 द्वारा (9-12-1987 सँ) अंतःस्थापित ।

² अनुच्छेद 394 क, संविधान (अनठावनम संशोधन) अधिनियम, 1987 केर धारा 3 द्वारा (9-12-1987 सँ) अंतः स्थापित ।

1|पहिल अनुसूची

[अनुच्छेद 1 आ अनुच्छेद 4]

1. राज्य

नाम	राज्यक्षेत्र
1. आंध्र प्रदेश	² [ओ राज्यक्षेत्र जे आंध्र राज्य अधिनियम, 1953 केर धारा 3 केर उपधारा (1) मे, राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 केर धारा 3 केर उपधारा (1) मे, आंध्र प्रदेश आओर मद्रास (सीमा-परिवर्तन) अधिनियम, 1959 केर प्रथम अनुसूचीमे आओर आंध्र प्रदेश आओर मैसूर (राज्यक्षेत्र अंतरण) अधिनियम, 1968 केर अनुसूचीमे विनिर्दिष्ट अछि, मुदा ओ राज्यक्षेत्र एकर अंतर्गत नहि अछि, जे आंध्र प्रदेश आओर मद्रास (सीमा-परिवर्तन) अधिनियम, 1959 केर द्वितीय अनुसूचीमे ³ (एवं आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2014 केर धारा 3 मे विनिर्दिष्ट अछि।]
2. असम	ओ राज्यक्षेत्र जे एहि संविधानक प्रारंभसँ ठीक पहिने असम प्रांत, खासी राज्य सभ आओर असम जनजाति क्षेत्र सभमे समाविष्ट छल, मुदा ओ राज्यक्षेत्र एकर अंतर्गत नहि अछि जे असम (सीमा परिवर्तन) अधिनियम, 1951 केर अनुसूचीमे विनिर्दिष्ट अछि ⁴ [आओर ओ राज्यक्षेत्र सेहो एकर अंतर्गत नहि अछि जे नागालैंड राज्य, अधिनियम, 1962 केर धारा 3 केर उपधारा (1) मे विनिर्दिष्ट अछि] ⁵ [आओर ओ राज्यक्षेत्र] एकर अंतर्गत नहि अछि ⁶ [जे पूर्वोत्तर क्षेत्र (पुनर्गठन) अधिनियम, 1971 केर धारा 5, धारा 6 आओर धारा 7 मे विनिर्दिष्ट अछि।] ⁶ [आओर ओ राज्यक्षेत्र सेहो एकर अंतर्गत नहि अछि] जे संविधान (नवम संशोधन) अधिनियम, 1960 केर धारा 3 केर खंड (क) मे अन्तर्विष्ट कोनो बातक रहितहुँ, जतए धरि ओकर संबंध संविधान (एक सयम संशोधन) अधिनियम, 2015 केर दोसर अनुसूची केर भाग 1 मे निर्दिष्ट राज्यक्षेत्र सभसँ अछि संविधानक (एक सयम संशोधन) अधिनियम, 2015 केर दोसर अनुसूचीक भाग 1 मे निर्दिष्ट अछि।]

- ¹ संविधान (सातम संशोधन) अधिनियम, 1956 केर धारा 2 द्वारा (01-11-1956 सँ) पहिल अनुसूची केर स्थान पर प्रतिस्थापित
- ² आंध्र प्रदेश आओर मैसूर (राज्यक्षेत्र अंतरण) अधिनियम, 1968 (1968 केर 36) केर धारा 4 द्वारा (01-10-1968 सँ) पूर्ववर्ती प्रविष्टिक स्थान पर प्रस्थापित।
- ³ आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2014 (2014 केर 6) केर धारा 10 द्वारा (02-06-2014 सँ) अंतःस्थापित।
- ⁴ नागालैंड राज्य अधिनियम, 1962 (1962 केर 27) केर धारा 4 द्वारा (01-12-1963 सँ) जोड़ल गेल।
- ⁵ पूर्वोत्तर क्षेत्र (पुनर्गठन) अधिनियम, 1971 (1971 केर 81) केर धारा 9 द्वारा (21-01-1972 सँ) जोड़ल गेल।
- ⁶ संविधान (एक सयम संशोधन) अधिनियम, 2015 केर धारा 3 द्वारा (31-07-2015 सँ) जोड़ल गेल। उक्त अधिनियम केर पाठ हेतु परिशिष्ट 1 देखू।

भारतक संविधान

(पहिल अनुसूची)

नाम	राज्यक्षेत्र
3. बिहार	¹ [ओ राज्यक्षेत्र जे एहि संविधानक प्रारंभसँ ठीक पहिने अछि तँ बिहार प्रांतमे समाविष्ट छल अथवा एहि प्रकार प्रशासित छल जेना ओ ओहि प्रांतक भाग रहल हो आओर ओ राज्यक्षेत्र जे बिहार आओर उत्तर प्रदेश (सीमा-परिवर्तन) अधिनियम, 1968 केर धारा 3 केर उपधारा (1) केर खंड (क) मे विनिर्दिष्ट अछि, मुदा ओ राज्यक्षेत्र एकर अंतर्गत नहि अछि जे बिहार आओर पश्चिमी बंगाल (राज्यक्षेत्र अंतरण) अधिनियम, 1956 केर धारा 3 केर उपधारा (1) मे विनिर्दिष्ट अछि आओर ओ राज्यक्षेत्र सेहो एकर अंतर्गत नहि अछि जे पहिल वर्णित अधिनियम केर धारा 3 केर उपधारा (1) केर खंड (ख) मे विनिर्दिष्ट अछि ² [आओर ओ राज्यक्षेत्र जे बिहार पुनर्गठन अधिनियम, 2000 केर धारा 3 मे विनिर्दिष्ट अछि।]]
³ [4. गुजरात	ओ राज्यक्षेत्र जे बंबई पुनर्गठन अधिनियम 1960 केर धारा 3 केर उपधारा (1) मे विनिर्दिष्ट अछि।]
5. केरल	ओ राज्यक्षेत्र जे राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 केर धारा 5 केर उपधारा (1) मे विनिर्दिष्ट अछि।
6. मध्य प्रदेश	ओ राज्यक्षेत्र जे राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 केर धारा 9 केर उपधारा (1) मे ⁴ [एवं राजस्थान आओर मध्य प्रदेश (राज्यक्षेत्र अंतरण) अधिनियम 1959 केर पहिल अनुसूचीमे विनिर्दिष्ट अछि। ⁵ [मुदा एकर अंतर्गत मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 केर धारा 3 मे विनिर्दिष्ट राज्यक्षेत्र नहि अछि।]

¹ बिहार आओर उत्तर प्रदेश (सीमा परिवर्तन) अधिनियम, (1968 केर 24) केर धारा 4 द्वारा (10-06-1970 सँ) पूर्ववर्ती प्रविष्टि केर स्थान पर प्रतिस्थापित।

² बिहार पुनर्गठन अधिनियम 2000 (2000 केर 30) केर धारा 5 द्वारा (15-11-2000 सँ) जोड़ल गेल।

³ बंबई पुनर्गठन अधिनियम, 1960 (1960 केर 11) केर धारा 4 द्वारा (1-05-1960 सँ) प्रविष्टि 4 केर स्थान पर प्रतिस्थापित।

⁴ राजस्थान आओर मध्य प्रदेश (राज्यक्षेत्र अंतरण) अधिनियम 1959 (1959 केर 47) केर धारा 4 द्वारा (1-10-1959 सँ) अंतः स्थापित।

⁵ मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 (2000 केर 28) केर धारा 5 द्वारा (1-11-2000 सँ) अन्तःस्थापित।

नाम	राज्यक्षेत्र
¹ [7. तमिलनाडु]	ओ राज्यक्षेत्र जे एहि संविधानक प्रारंभसँ ठीक पहिने चाहे तँ मद्रास प्रांतमे समाविष्ट छल चाहे एहि प्रकार प्रशासित छल जेना ओ ओहि प्रांतक भाग रहल होअए आओर ओ राज्यक्षेत्र जे राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 केर धारा 4 मे ² [एवं आंध्र प्रदेश आओर मद्रास (सीमा-परिवर्तन) अधिनियम, 1959 केर द्वितीय अनुसूचीमे] विनिर्दिष्ट अछि,] मुदा ओ राज्यक्षेत्र एकर अंतर्गत नहि अछि जे आंध्र राज्य अधिनियम, 1953 केर धारा 3 केर उपधारा (1) आओर धारा 4 केर उपधारा (1) मे विनिर्दिष्ट अछि आओर ³ [ओ राज्यक्षेत्र सेहो एकर अंतर्गत नहि अछि जे राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 केर धारा 5 केर उपधारा (1) केर खंड (ख), धारा 6 आओर धारा 7 केर उपधारा (1) केर खंड (घ) मे विनिर्दिष्ट अछि आओर ओ राज्यक्षेत्र सेहो एकर अंतर्गत नहि अछि जे आंध्र प्रदेश आओर मद्रास (सीमा परिवर्तन) अधिनियम, 1959 केर पहिल अनुसूचीमे विनिर्दिष्ट अछि ।]
⁴ [8. महाराष्ट्र]	ओ राज्यक्षेत्र जे राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 केर धारा 8 केर उपधारा (1) मे विनिर्दिष्ट अछि, मुदा ओ राज्यक्षेत्र एकर अंतर्गत नहि अछि जे बंबई पुनर्गठन अधिनियम, 1960 केर धारा 3 केर उपधारा (1) मे निर्दिष्ट अछि ।]
⁵ [⁶ [9.] कर्नाटक]	ओ राज्यक्षेत्र जे राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 केर धारा 7 केर उपधारा (1) मे विनिर्दिष्ट अछि ⁷ [मुदा ओ राज्यक्षेत्र एकर अंतर्गत नहि अछि जे आंध्र प्रदेश आओर मैसूर (राज्यक्षेत्र अंतरण) अधिनियम, 1968 केर अनुसूचीमे विनिर्दिष्ट अछि ।]

- ¹ मद्रास राज्य (नाम परिवर्तन) अधिनियम, 1968 (1968 केर 53) केर धारा 5 द्वारा (14-01-1969 सँ) “7. मद्रास” केर स्थान पर प्रतिस्थापित ।
- ² आंध्र प्रदेश आओर मद्रास (सीमा-परिवर्तन) अधिनियम, 1959 (1959 केर 56) केर धारा 6 द्वारा (1-04-1960 सँ) प्रतिस्थापित ।
- ³ आंध्र प्रदेश आओर मद्रास (सीमा परिवर्तन) अधिनियम, 1959 (1959 केर 56) केर धारा 6 द्वारा (1-04-1960 सँ) किछु शब्द सभक स्थान पर प्रतिस्थापित ।
- ⁴ बंबई पुनर्गठन अधिनियम, 1960 (1960 केर 11) केर धारा 4 द्वारा (1-05-1960 सँ) अंतः स्थापित ।
- ⁵ मैसूर राज्य (नाम परिवर्तन) अधिनियम, 1973 (1973 केर 31) केर धारा 5 द्वारा (1-11-1973 सँ) “9. मैसूर” केर स्थान पर प्रतिस्थापित ।
- ⁶ बंबई पुनर्गठन अधिनियम, 1960 (1960 केर 11) केर धारा 4 द्वारा (1-05-1960 सँ) प्रविष्ट 8 सँ 14 धरिकें प्रविष्ट 9 सँ 15 धरिक रूप मे पुनःसंख्याकित कएल गेल ।
- ⁷ आंध्र प्रदेश आओर मैसूर (राज्यक्षेत्र अंतरण) अधिनियम, 1968 (1968 केर 36) केर धारा 4 द्वारा (1-10-1968 सँ) अंतःस्थापित ।

नाम	राज्यक्षेत्र
¹ [10.] ² [ओडिशा]	ओ राज्यक्षेत्र जे एहि संविधानक प्रारंभसँ ठीक पहिने चाहे तँ उड़ीसा प्रांतमे समाविष्ट छल चाहे एहि प्रकारँ प्रशासित छल जेना ओ ओहि प्रांतक भाग रहल होअय ।
¹ [11.] पंजाब	ओ राज्यक्षेत्र जे राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 केर धारा 11 मे विनिर्दिष्ट अछि ³ [आओर ओ राज्यक्षेत्र जे अर्जित राज्यक्षेत्र (विलयन) अधिनियम, 1960 केर पहिल अनुसूचीक भाग 2 मे विनिर्दिष्ट अछि,] ⁴ [मुदा ओ राज्यक्षेत्र एकर अंतर्गत नहि अछि जे संविधान (नवम संशोधन) अधिनियम, 1960 केर पहिल अनुसूची केर भाग 2 मे विनिर्दिष्ट अछि] ⁵ [आओर ओ राज्यक्षेत्र सेहो एकर अंतर्गत नहि अछि जे पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 केर धारा 3 केर उपधारा (1), धारा 4 आओर धारा 5 उपधारा (1) मे विनिर्दिष्ट अछि ।]
¹ [12.] राजस्थान	ओ राज्यक्षेत्र जे राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 केर धारा 10 मे विनिर्दिष्ट अछि, ⁶ [मुदा ओ राज्यक्षेत्र एकर अंतर्गत नहि अछि जे राजस्थान आओर मध्य प्रदेश (राज्यक्षेत्र अंतरण) अधिनियम, 1959 केर पहिल अनुसूचीमे विनिर्दिष्ट अछि ।]

- ¹ बंबई पुनर्गठन अधिनियम, 1960 (1960 केर 11) केर धारा 4 द्वारा (1-05-1960 सँ) प्रविष्टि 8 सँ 14 धरिकँ प्रविष्टि 9 सँ 15 धरिक रूपमे पुनःसंख्याकित कएल गेल ।
- ² उड़ीसा (नाम परिवर्तन) अधिनियम, 2011 (2011 केर 15) केर धारा 6 द्वारा (1-11-2011 सँ) 'उड़ीसा' केर स्थान पर प्रतिस्थापित ।
- ³ अर्जित राज्यक्षेत्र (विलयन) अधिनियम, 1960 (1960 केर 64) केर धारा 4 द्वारा (17-01-1961 सँ) अंतःस्थापित ।
- ⁴ संविधान (नवम संशोधन) अधिनियम, 1960 केर धारा 3 द्वारा (17-01-1961 सँ) जोड़ल गेल ।
- ⁵ पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 (1966 केर 31) केर धारा 7 द्वारा (1-11-1966 सँ) जोड़ल गेल ।
- ⁶ राज्यस्थान आओर मध्य प्रदेश (राज्यक्षेत्र अंतरण) अधिनियम, 1959 (1959 केर 47) केर धारा 4 द्वारा (1-10-1959 सँ) अंतःस्थापित ।

नाम	राज्यक्षेत्र
¹ [13.] उत्तर प्रदेश	² [ओ राज्यक्षेत्र जे एहि संविधानक प्रारंभसँ ठीक पहिने चाहे तँ संयुक्त प्रांत नामसँ ज्ञात प्रांतमे समाविष्ट छल अथवा एहि प्रकारँ प्रशासित छल जेना ओ ओहि प्रांतक भाग रहल होअय, ओ राज्यक्षेत्र जे बिहार आओर उत्तर प्रदेश (सीमा परिवर्तन) अधिनियम, 1968 केर धारा 3 केर उपधारा (1) केर खंड (ख) मे विनिर्दिष्ट अछि आओर ओ राज्यक्षेत्र जे हरियाणा आओर उत्तर प्रदेश (सीमा-परिवर्तन) अधिनियम, 1979 केर धारा 4 केर उपधारा (1) केर खंड (ख) मे विनिर्दिष्ट अछि, मुदा ओ राज्यक्षेत्र एकर अंतर्गत नहि अछि जे बिहार आओर उत्तर प्रदेश (सीमा परिवर्तन) अधिनियम, 1968 केर धारा 3 केर उपधारा (1) केर खंड (क) ³ [एवं उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 केर धारा 3] मे विनिर्दिष्ट अछि आओर ओ राज्यक्षेत्र सेहो एकर अंतर्गत नहि अछि जे हरियाणा आओर उत्तर प्रदेश (सीमा परिवर्तन) अधिनियम 179 केर धारा 4 केर उपधारा (1) केर खंड (क) मे विनिर्दिष्ट अछि।]
¹ [14.] पश्चिमी बंगाल	ओ राज्यक्षेत्र जे एहि संविधानक प्रारंभसँ ठीक पहिने चाहे तँ पश्चिमी बंगाल प्रांतमे समाविष्ट छल अथवा एहि प्रकार प्रशासित छल जेना ओ ओहि प्रांतक भाग रहल होय आओर चन्द्रनगर (विलयन) अधिनियम, 1954 केर धारा 2 केर खंड (ग) मे यथा परिभाषित चन्द्रनगरक राज्यक्षेत्र आओर ओ राज्यक्षेत्र सेहो जे बिहार आओर पश्चिमी बंगाल (राज्यक्षेत्र अंतरण) अधिनियम, 1956 केर धारा 3 केर उपधारा (1) मे विनिर्दिष्ट अछि ⁴ [आओर ओ राज्यक्षेत्र सेहो, जे पहिल अनुसूचीक भाग 3 मे निर्दिष्ट अछि, मुदा ओ राज्यक्षेत्र एकर अंतर्गत नहि अछि, जे संविधान (नवम संशोधन) अधिनियम, 1960 केर धारा 3 केर खंड (ग) मे अन्तर्विष्ट कोनो बातक रहितहुँ, जतए धरि ओकर संबंध संविधान (एक सयम संशोधन) अधिनियम, 2015 केर पहिल अनुसूचीक भाग 3 मे निर्दिष्ट राज्यक्षेत्र सभ आओर दोसर अनुसूचीक भाग 3 मे विनिर्दिष्ट राज्यक्षेत्र सभसँ अछि, संविधान (एक सयम संशोधन) अधिनियम, 2015 केर दोसर अनुसूची केर भाग 3 मे विनिर्दिष्ट अछि।]

- ¹ बंबई पुनर्गठन अधिनियम, 1960 (1960 केर 11) केर धारा 4 द्वारा (1-05-1960 सँ) प्रविष्टि 8 सँ 14 धरिकें प्रविष्टि 9 सँ 15 धारिक रूपमे पुनःसंख्यायित कएल गेल।
- ² हरियाणा आओर उत्तर प्रदेश (सीमा परिवर्तन) अधिनियम, 1979 (1979 केर 31) केर धारा 5 द्वारा (15-9-1983 सँ) “13. उत्तर प्रदेश” केर सोझाक प्रविष्टिक स्थान पर प्रतिस्थापित।
- ³ उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 (2000 केर 29) केर धारा 5 द्वारा (9-11-2000 सँ) अंतःस्थापित।
- ⁴ संविधान (एक सयम संशोधन) अधिनियम, 2015 केर धारा 3 द्वारा (31-7-2015 सँ) जोड़ल गेल। उक्त अधिनियमक पाठक लेल परिशिष्ट 1 देखू।

भारतक संविधान

(पहिल अनुसूची)

नाम	राज्यक्षेत्र
¹ [² ** * * *]]	
³ [⁴ [15.] नागालैंड	ओ राज्यक्षेत्र जे नागालैंड राज्य अधिनियम, 1962 केर धारा 3 केर उपधारा (1) मे विनिर्दिष्ट अछि।]
³ [⁵ [16.] नागालैंड	⁶ [ओ राज्यक्षेत्र जे पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 केर धारा 3 केर उपधारा (1) मे विनिर्दिष्ट अछि आओर ओ राज्यक्षेत्र जे हरियाणा आओर उत्तर प्रदेश (सीमा परिवर्तन) अधिनियम, 1979 केर धारा 4 केर उपधारा (1) केर खंड (क) मे विनिर्दिष्ट अछि, मुदा ओ राज्यक्षेत्र एकर अंतर्गत नहि अछि, जे ओहि अधिनियमक धारा 4 केर उपधारा (1) केर खंड (ख) मे विनिर्दिष्ट अछि।]
³ [⁷ [17.] हिमाचल प्रदेश	ओ राज्यक्षेत्र जे एहि संविधानक प्रारंभसँ ठीक पहिने एहि प्रकारँ प्रशासित छल जेना ओ हिमाचल प्रदेश आओर बिलासपुरक नामसँ ज्ञात मुख्य आयुक्त वला प्रांत रहल होअय आओर ओ राज्यक्षेत्र जे पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 केर धारा 5 केर उपधारा (1) मे विनिर्दिष्ट अछि।]
³ [⁸ [18.] मणिपुर	ओ राज्यक्षेत्र जे एहि संविधानक प्रारंभसँ ठीक पहिने एहि प्रकारँ प्रशासित छल जेना ओ मणिपुरक नामसँ ज्ञात मुख्य आयुक्त वला प्रांत रहल हो।]

- ¹ ** जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 (2019 केर 34) केर धारा 6 द्वारा (31-10-2019 सँ) जम्मू-कश्मीर सँ संबंधित प्रविष्टि 15 केँ हटा देल गेल।
- ² बंबई पुनर्गठन अधिनियम, 1960 (1960 केर 11) केर धारा 4 द्वारा (1-5-1960 सँ) प्रविष्टि 8 सँ 14 धरिकें प्रविष्टि 9 सँ 15 धरिक रूप मे पुनःसंख्याकित कएल गेल।
- ³ जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 (2019 केर 34) केर धारा 6 द्वारा (31-10-2019 सँ) प्रविष्टि 16 सँ प्रविष्टि 29 केँ प्रविष्टि 15 सँ प्रविष्टि 28 केर रूप मे पुनःसंख्याकित कएल गेल।
- ⁴ नागालैंड राज्य अधिनियम, 1962 (1962 केर 27) केर धारा 4 द्वारा (1-12-1963 सँ) अंतःस्थापित।
- ⁵ पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 (1966 केर 31) केर धारा 7 द्वारा (1-11-1966 सँ) अंतःस्थापित आओर तत्पश्चात हरियाणा आओर उत्तर प्रदेश (सीमा-परिवर्तन) अधिनियम, 1979 (1979 केर 31) केर धारा 5 द्वारा (15-9-1983 सँ) ओहि केर प्रविष्टिकें संशोधित कएल गेल।
- ⁶ हरियाणा आओर उत्तर प्रदेश (सीमा-परिवर्तन) अधिनियम, 1979 (1979 केर 31) केर धारा 5 द्वारा (15-9-1983 सँ) “17. हरियाणा” क समक्षक प्रविष्टिक स्थान पर प्रतिस्थापित।
- ⁷ हिमाचल प्रदेश राज्य अधिनियम, 1970 (1970 केर 53) केर धारा 4 द्वारा (25-1-1971 सँ) अंतःस्थापित।
- ⁸ पूर्वोत्तर क्षेत्र (पुनर्गठन) अधिनियम, 1971 (1971 केर 81) केर धारा 9 द्वारा (21-01-1972 सँ) अंतःस्थापित।

नाम	राज्यक्षेत्र
¹ [19.] त्रिपुरा	ओ राज्यक्षेत्र एहि संविधानक प्रारंभसँ ठीक पहिने एहि प्रकारँ प्रशासित छल जेना ओ त्रिपुराक नामसँ ज्ञात मुख्य आयुक्त वला प्रांत रहल होअय ² [आओर ओ राज्यक्षेत्र जे संविधान (नवम संशोधन) अधिनियम, 1960 केर धारा 3 केर खंड (घ) मे अन्तर्विष्ट कोनो बातक रहितहुँ जतए धरि ओकर संबंध संविधान (एक सयम संशोधन) अधिनियम, 2015 केर पहिल अनुसूची केर भाग 2 मे विनिर्दिष्ट राज्यक्षेत्र सभसँ अछि, संविधानक (एक सयम संशोधन) अधिनियम, 2015 केर पहिल अनुसूची केर भाग 2 मे विनिर्दिष्ट अछि ।]
¹ [20.] मेघालय	ओ राज्यक्षेत्र जे पूर्वोत्तर क्षेत्र (पुनर्गठन) अधिनियम, 1971 केर धारा 5 मे विनिर्दिष्ट अछि ² [आओर ओ राज्यक्षेत्र, जे पहिल अनुसूचीक भाग 1 मे निर्दिष्ट अछि मुदा ओ राज्यक्षेत्र एकर अंतर्गत नहि अछि, जे संविधानक (एक सयम संशोधन) अधिनियम, 2015 केर दोसर अनुसूचीक भाग 2 मे विनिर्दिष्ट अछि ।]
¹ [³ [21.] सिक्किम	ओ राज्यक्षेत्र जे संविधानक (छत्तीसम संशोधन) अधिनियम, 1975 केर प्रारंभसँ ठीक पहिने सिक्किममे समाविष्ट छल ।]
¹ [⁴ [22.] मिजोरम	ओ राज्यक्षेत्र जे पूर्वोत्तर क्षेत्र (पुनर्गठन) अधिनियम, 1971 केर धारा 6 मे विनिर्दिष्ट अछि ।]
¹ [⁵ [23.] अरुणाचल प्रदेश	ओ राज्यक्षेत्र जे पूर्वोत्तर क्षेत्र (पुनर्गठन) अधिनियम, 1971 केर धारा 7 मे विनिर्दिष्ट अछि ।]
¹ [⁶ [24.] गोवा	ओ राज्यक्षेत्र जे गोवा, दमन आओर दीव पुनर्गठन अधिनियम, 1987 केर धारा 3 मे विनिर्दिष्ट अछि ।]

¹ जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 (2019 केर 34) केर धारा 6 द्वारा (31-10-2019 सँ) प्रविष्टि 16 सँ 29 केँ प्रविष्टि 15 सँ 28 केर रूपमे पुनः संख्यांकित कएल गेल ।

² संविधान (एक सयम संशोधन) अधिनियम, 2015 केर धारा 3 द्वारा (31-07-2015 सँ) जोड़ल गेल । उक्त अधिनियमक पाठक लेल परिशिष्ट 1 देखू ।

³ संविधान (छत्तीसम संशोधन) अधिनियम, 1975 केर धारा 2 द्वारा (26-4-1975 सँ) अंतःस्थापित ।

⁴ मिजोरम राज्य अधिनियम, 1986 (1986 केर 34) केर धारा 4 द्वारा (20-2-1987 सँ) अंतःस्थापित ।

⁵ अरुणाचल प्रदेश राज्य अधिनियम, 1986 (1986 केर 69) केर धारा 4 द्वारा (20-2-1987 सँ) अंतःस्थापित ।

⁶ गोवा, दमन आ दीव पुनर्गठन अधिनियम, 1987 (1987 केर 18) केर धारा 5 द्वारा (30-5-1987 सँ) अंतःस्थापित ।

भारतक संविधान

(पहिल अनुसूची)

नाम	राज्यक्षेत्र
¹ [² [25.] छत्तीसगढ़]	मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 केर धारा 3 मे विनिर्दिष्ट राज्यक्षेत्र ।]
¹ [³ [26.] ⁴ [उत्तराखंड]	ओ राज्यक्षेत्र जे उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 केर धारा 3 मे विनिर्दिष्ट अछि ।]
¹ [⁵ [27.] झारखंड]	ओ राज्यक्षेत्र जे बिहार पुनर्गठन अधिनियम, 2000 केर धारा 3 मे विनिर्दिष्ट अछि ।]
¹ [⁶ [28.] तेलंगाना]	ओ राज्यक्षेत्र जे आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2014 केर धारा 3 मे विनिर्दिष्ट अछि ।]

2. केन्द्र शासित प्रदेश

नाम	क्षेत्र विस्तार
1. दिल्ली	ओ राज्यक्षेत्र जे एहि संविधानक प्रारंभसँ ठीक पहिने दिल्लीक मुख्य आयुक्त वला प्रांतमे समाविष्ट छल ।
⁷ [* * * * *]	
⁸ [2.] अंदमान आओर निकोबार द्वीप समूह	ओ राज्यक्षेत्र जे एहि संविधानक प्रारंभसँ ठीक पहिने अंदमान आओर निकोबार द्वीप सभक मुख्य आयुक्त वला प्रांतमे समाविष्ट छल ।

- ¹ जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 (2019 केर 34) केर धारा 6 द्वारा (31-10-2019 सँ) प्रविष्टि 16 सँ 29 केँ प्रविष्टि 15 सँ 28 केर रूप मे पुनःसंख्याकित कएल गेल ।
- ² मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 (2000 केर 28) केर धारा 5 द्वारा (1-11-2000 सँ) जोड़ल गेल ।
- ³ उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 (2000 केर 29) केर धारा 5 द्वारा (9-11-2000 सँ) अंतःस्थापित ।
- ⁴ उत्तरांचल (नाम परिवर्तन) अधिनियम, 2006 (2006 केर 52) केर धारा 4 द्वारा (1-1-2007 सँ) “उत्तरांचल” शब्दक स्थान पर प्रतिस्थापित ।
- ⁵ बिहार पुनर्गठन अधिनियम, 2000 (2000 केर 30) केर धारा 5 द्वारा (15-11-2000 सँ) जोड़ल गेल ।
- ⁶ आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2014 (2014 केर 6) केर धारा 10 द्वारा (2-06-2014 सँ) अंतःस्थापित ।
- ⁷ हिमाचल प्रदेश राज्य अधिनियम, 1970 (1970 केर 53) केर धारा 4 द्वारा (25-01-1971 सँ) “हिमाचल प्रदेश” सँ संबंधित प्रविष्टि 2 केर लोप कएल गेल आओर प्रविष्टि 3 सँ 10 धरिकें प्रविष्टि 2 सँ 9 केँ क्रमिक रूपमे पुनः संख्याकित कएल गेल एवं तत्पश्चात् पूर्वोत्तर क्षेत्र (पुनर्गठन अधिनियम, 1971 (1971 केर 81) केर धारा 9 द्वारा (21-1-1972 सँ) मणिपुर आओर त्रिपुरासँ संबंधित प्रविष्टि अर्थात् प्रविष्टि 2 आओर 3 केर लोप कएल गेल ।
- ⁸ पूर्वोत्तर क्षेत्र (पुनर्गठन) अधिनियम, 1971 (1971 केर 81) केर धारा 9 द्वारा (21-01-1972 सँ) प्रविष्टि 4 सँ 9 धरिकें क्रमशः प्रविष्टि 2 सँ 7 धरिक रूप मे पुनः संख्याकित कएल गेल ।

नाम	विस्तार
¹ [3.] ² [लक्षद्वीप]	ओ राज्यक्षेत्र जे राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 केर धारा 6 मे विनिर्दिष्ट अछि।
³ [¹ [4.]] दादरा आ नागर हवेली एवं दमन आ दीव	ओ राज्यक्षेत्र जे 11 अगस्त, 1961 सँ ठीक पहिने स्वतंत्र दादरा आ नागर हवेलीमे समाविष्ट छल आ राज्यक्षेत्र जे गोवा, दमन आ दीव पुनर्गठन अधिनियम, 1987 केर धारा 4 मे विनिर्दिष्ट अछि।]
⁴ [¹ [*] ³ [* * * *]	
⁵ [¹ [6.] ⁶ [पुडुचेरी]	ओ राज्यक्षेत्र जे 16 अगस्त 1962 सँ ठीक पहिने भारतमे पांडिचेरी, कारिकल, माही आ यनमक नामसँ ज्ञात फ्रांसीसीक द्वारा क्षेत्रमे समाविष्ट छल।]
⁷ [¹ [7.] चंडीगढ़	ओ राज्यक्षेत्र जे पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 क धारा 4 मे विनिर्दिष्ट अछि।]

- ¹ लक्कादीव, मिनिकोय आ अमीनदीवी द्वीप समूह (नाम-परिवर्तन) अधिनियम, 1973 (1973 केर 34) केर धारा 5 केँ द्वारा (1-11-1973 सँ) “लक्कादीव, मिनिकोय, अमीनदीवी द्वीप समूहक” स्थान पर प्रतिस्थापित।
- ² दादरा आ नागर हवेली एवं दमन आ दीव (केन्द्र शासित प्रदेश विलयन अधिनियम, 2019 (2019 केर 44) केर धारा 5 द्वारा (26-1-2020 सँ) प्रविष्टि 4 आ 5 केर स्थान पर प्रतिस्थापित संविधानक दसम संशोधन अधिनियम, 1961 केर धारा 2 द्वारा (11-8-1961 सँ) दादरा आ नागर हवेली सँ संबंधित प्रविष्टि 4 अन्तःस्थापित कएल गेल।
- ³ गोवा, दमन आ दीव पुनर्गठन अधिनियम, 1987 (1987 केर 18) धारा 5 केर द्वारा (30-05-1987 सँ) प्रविष्टि 5 केर स्थान पर प्रतिस्थापित।
- ⁴ गोवा, दमन आ दीव पुनर्गठन अधिनियम, 1987 (1987 केर 18) धारा 5 केर द्वारा (30-05-1987 सँ) प्रविष्टि 5 केर स्थान पर प्रतिस्थापित।
- ⁵ संविधान (चौदहम संशोधन) अधिनियम, 1962 केर धारा 3 द्वारा भूतलक्षी प्रभावसँ अंतःस्थापित।
- ⁶ पांडिचेरी (नाम परिवर्तन) अधिनियम, 2006 (2006 केर 44) केँ धारा 5 द्वारा (1-10-2006 सँ) “पांडिचेरी” केर स्थान पर प्रतिस्थापित।
- ⁷ पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 (1966 केर 31) केर धारा 7 द्वारा (1-11-1966 सँ) अंतःस्थापित।

भारतक संविधान

(पहिल अनुसूची)

नाम	क्षेत्र विस्तार
¹ [* * * *]	
¹ [* * * *]	
² [¹ [8.] जम्मू कश्मीर	ओ राज्यक्षेत्र, जे जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 केर धारा 4 मे विनिर्दिष्ट अछि।
9. लद्दाख	ओ राज्यक्षेत्र, जे जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 केर धारा 3 मे विनिर्दिष्ट अछि।]

¹ मिजोरम राज्य अधिनियम, 1986 (1986 क 34) केर धारा 4 द्वारा (20-2-1987 सँ) मिजोरम संबंधी प्रविष्टि 8 केँ लोप कएल गेल आ अरुणाचल प्रदेश संबंधी प्रविष्टि 9 केँ प्रविष्टि 8 केर रूपमे पुनः संख्याकित कएल गेल आ अरुणाचल प्रदेश संबंधी प्रविष्टि 8 केर अरुणाचल प्रदेश अधिनियम, 1986 (1986 केर 69) केर धारा 4 द्वारा (20-2-1987 सँ) लोप कएल गेल।

² जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 (2019 केर 34) केर धारा 6 द्वारा (31-10-2019 सँ) अन्तःस्थापित।

दोसर अनुसूची

[अनुच्छेद 59(3), 65(3), 75(6), 97, 125, 148(3), 158(3),
164(5), 186 आ 221]

भाग क

राष्ट्रपति एवं ^{1***} राज्यक राज्यपालक संबंधमे उपबंध

1. राष्ट्रपति आ ^{1***} राज्यक राज्यपाल सभक प्रति मास निम्नलिखित परिलब्धि सब प्रदान कएल जाएत, अर्थात् :-

राष्ट्रपति 10, 000 रूपैया* ।

राज्यक राज्यपाल 5, 500 रूपैया** ।

2. राष्ट्रपति आ ^{2***} राज्यक राज्यपाल सभकेँ एहनो भत्ता सब प्रदान कएल जाएत जे एहि संविधानक आरंभ कालसँ ठीक पहिने जे क्रमशः भारत अधिक्षेत्रक महाराज्यपाल आ संबंधित प्रांतक राज्यपालकेँ भेटैत छल ।

3. राष्ट्रपति आ ³[राज्यक] राज्यपाल अपन-अपन संपूर्ण पदावधिमे एहन सभ तरहक विशेषाधिकारक अधिकारी होएताह जे एहि संविधानक आरंभसँ पहिने क्रमशः महाराज्यपाल आ संबंधित प्रांतक-राज्यपाल सभकेँ प्राप्त छल ।

4. जखन उपराष्ट्रपति आ कोनो अन्य व्यक्ति राष्ट्रपतिक कार्य सभक निर्वहन करैत छथि वा ओहि रूपमे काज कए रहल वा कोनो व्यक्ति राज्यपालक कार्यक निर्वहन करैत छथि तखन ओ एहन सभ परिलब्धि, भत्ता आ विशेषाधिकार सभक अधिकारी होएताह जकर यथास्थिति ओ राष्ट्रपति आ राज्यपाल अधिकारी जिनकर कार्य सभक ओ निर्वहन करैत छथि वा यथास्थिति, जाहि पदक लेल ओ काज करैत छथि ।

4* * * *

¹ संविधान (सातम संशोधन) अधिनियम, 1956 केर धारा 29 आ अनुसूची द्वारा 1-11-1956 सँ) “पहिल अनुसूचीक भाग ‘क’ मे विनिर्दिष्ट” शब्द आ अक्षर सभक लोप कएल गेल ।

* वित्त अधिनियम, 2018 (2018 केर 13) केर धारा 137 द्वारा (1-1-2016 सँ) आब ई “पाँच लाख रूपैया” अछि ।

** वित्त अधिनियम, 2018 (2018 केर 13) केर धारा 161 द्वारा (1-1-2016 सँ) आब ई तीन लाख पचास हजार रूपैया अछि ।

² संविधान (सातम संशोधन) अधिनियम, 1956 केर धारा 29 आ अनुसूची द्वारा (1-11-1956 सँ) “एहन विनिर्दिष्ट” शब्द सभक लोप कएल गेल ।

³ संविधान (सातम संशोधन) अधिनियम, 1956 केर धारा 29 आ अनुसूची द्वारा (1-11-1956 सँ) एहन राज्य सभक स्थान पर प्रतिस्थापित ।

⁴ संविधान (सातम संशोधन) अधिनियम, 1956 केर धारा 29 आ अनुसूची द्वारा (1-11-1956 सँ) भाग ‘ख’ केँ लोप कएल गेल ।

भारतक संविधान

(दोसर अनुसूची)

भाग ग

**लोक सभाक अध्यक्ष आओर उपाध्यक्ष एवं राज्य सभाक सभापति एवं
उपसभापति ^{1*** 2}[राज्य]क विधान सभाक अध्यक्ष आओर उपाध्यक्षक एवं
विधान परिषदक सभापति एवं उपसभापतिक संबंधमे उपबंध**

7. लोक सभाक अध्यक्ष आ राज्य सभाक सभापतिक एहन वेतन आ भत्ता सब प्रदान कएल जाएत जे एहि संविधानक आरंभसँ पहिने भारत अधिक्षेत्रक संविधान सभाक अध्यक्षकेँ भेटैत छल एवं लोक सभाक उपाध्यक्षकेँ आ राज्य सभाकेँ उपसभापतिकेँ एहन वेतन आ भत्ता सब प्रदान कएल जाएत जे एहि संविधानक आरंभसँ ठीक पहिने भारत अधिक्षेत्रक संविधान सभाक उपाध्यक्षकेँ भेटैत छल ।

8. ^{3***} राज्यक विधान सभाक अध्यक्ष आ उपाध्यक्षकेँ एवं ⁴[राज्य]क विधान परिषदक सभापति आ उपसभापतिकेँ एहन वेतन आ भत्ता सभक निर्धारण कएल जाएत जे एहि संविधानक प्रारंभसँ ठीक पहिने क्रमशः संबंधित प्रांतक विधान सभाक अध्यक्ष आ उपाध्यक्षकेँ एवं विधान परिषदक सभापति आ उपसभापतिकेँ भुगतये छल आ जतय एहन प्रारंभसँ ठीक पहिने संबंधित प्रांतक कोनो विधान परिषद नहि छल । ओतए ओहि राज्यक विधान परिषदक सभापति आ उपसभापतिकेँ एहन वेतन आ भत्ता सभक भुगतान प्रदान कएल जाएत जे ओहि राज्यक राज्यपाल सुनिश्चित करथि ।

¹ संविधान (सातम संशोधन) अधिनियम, 1956 केर धारा 29 आ अनुसूची द्वारा (1-11-1956 सँ) “पहिल अनुसूचीक भाग ‘क’ मे कोनो राज्यक” शब्द सब आ अक्षरक लोप कएल गेल ।

² संविधान (सातम संशोधन) अधिनियम, 1956 केर धारा 29 आ अनुसूची द्वारा (1-11-1956 सँ) “कोनो एहन राज्य” केर स्थान पर प्रतिस्थापित ।

³ संविधान (सातम संशोधन) अधिनियम, 1956 केर धारा 29 आ अनुसूची द्वारा (1-11-1956 सँ) “पहिल अनुसूचीक भाग ‘क’ मे विनिर्दिष्ट कोनो राज्यक” शब्द सब आ अक्षरक लोप कएल गेल ।

⁴ संविधान (सातम संशोधन) अधिनियम, 1956 केर धारा 29 आ अनुसूची द्वारा (1-11-1956 सँ) “कोनो एहन राज्यक” स्थान पर प्रतिस्थापित ।

(दोसर अनुसूची)

भाग घ

उच्चतम न्यायालय आओर उच्च न्यायालय सभक न्यायमूर्तिक विषयमे उपबंध¹***

9. [(1)] उच्चतम न्यायालयक न्यायमूर्ति सभक वास्तविक सेवामे बिताओल गेल समयक लेल प्रतिमास निम्नलिखित दरसँ वेतनक निर्धारण कएल जाएत, अर्थात्:-

मुख्य न्यायमूर्ति .. ² [10, 000 रूपैया]*

कोनो अन्य न्यायाधीश .. ³ [9, 000 रूपैया]**

मुदा जँ उच्चतम न्यायालयक कोनो न्यायमूर्ति अपन नियुक्तिक समय भारत सरकारक वा हुनकर पूर्ववर्ती सरकार सभमे सँ कोनोक अथवा राज्य सरकारक वा हुनकर पूर्ववर्ती सरकार सभमे सँ कोनोक पूर्व सेवाक संबंधमे (निःशक्तता वा क्षति पेंशनसँ भिन्न) कोनो पेंशन प्राप्त क' रहल छथि तँ उच्चतम न्यायालयमे सेवाक लेल हुनकर वेतनमे सँ ⁴[निम्नलिखितकें घटा देल जाएत, अर्थात्:-

(क) ओहि पेंशनक राशि; आओर

(ख) जँ हुनक एहन नियुक्तिसँ पहिने, एहन पूर्व सेवाक संबंधमे अपनाकें प्राप्त पेंशनक एक भागक बदलामे हुनकर सारांशित मूल्य प्राप्त कएलनि अछि तँ पेंशनक ओहि भागक राशि; आओर

(ग) जँ हुनक एहन नियुक्तिसँ पहिने, एहन पूर्व सेवाक संबंधमे निवृत्ति-उपदान प्राप्त केलनि अछि तँ ओहि उपदानक समतुल्य पेंशन ।]

(2) उच्चतम न्यायालयक सभ न्यायमूर्ति, बिना किराया देने, शासकीय निवासक उपयोगक अधिकारी होएताह ।

(3) एहि पैरा केर उप-पैरा (2) केर कोनो बात ओहि न्यायमूर्तिक, जे एहि संविधानक प्रारंभसँ ठीक पहिने-

¹ संविधान (सातम संशोधन) अधिनियम, 1956 केर धारा 25 'क' द्वारा (1-11-1956 सँ) “पहिल अनुसूचीक भाग ‘क’ केर राज्य सभमे” शब्द सभक आ अक्षरक लोप कएल गेल अछि ।

² संविधान (चौवनम संशोधन) अधिनियम, 1986 केर धारा 4 द्वारा (1-4-1986 सँ) “5,000 रूपैया” केर स्थान पर “10000 रूपैया” प्रतिस्थापित ।

* उच्च न्यायालय आओर उच्चतम न्यायमूर्ति (वेतन आर सेवा शर्त) संशोधन अधिनियम, 2018 (2018 केर 10) केर धारा 6 केर अनुसार (1-1-2016 सँ) आब ई “दू लाख अस्सी हजार रूपैया” अछि ।

³ संविधान (चौवनम संशोधन) अधिनियम, 1986 केर धारा 4 द्वारा (1-4-1986 सँ) “4,000 रूपैया” केर स्थान पर प्रतिस्थापित ।

** उच्च न्यायालय आओर उच्चतम न्यायालय न्यायमूर्ति (वेतन आओर सेवा शर्त) संशोधन अधिनियम, 2018 (2018 केर 10) केर धारा 6 केँ अनुसार (1-1-2016 सँ) आब ई “दू लाख पचास हजार रूपैया” अछि ।

⁴ संविधान (सातम संशोधन) अधिनियम, 1956 केर धारा 25 (ख) द्वारा (1-11-1956 सँ) “ओहि पेंशनक राशि घटा देल जाएत” केर स्थान पर प्रतिस्थापित ।

(क) संघीय न्यायालयक मुख्य-न्यायाधीशक रूपमे पद धारण क' रहल छलाह आओर जे एहन आरंभ पर अनुच्छेद 374 केर खंड (1) केर अधीन उच्चतम न्यायालयक मुख्य न्यायमूर्ति बनि गेल छथि, वा

(ख) संघीय न्यायालयक कोनो अन्य न्यायाधीशक रूपमे आओर जे एहन आरंभ पर उक्त खंडक अधीन उच्चतम न्यायालयक (मुख्य न्यायमूर्तिसँ भिन्न) न्यायाधीश बनि गेल छथि,

ओहि अवधिमे, जाहिमे ओ एहन मुख्य न्यायमूर्ति वा अन्य न्यायमूर्तिक रूपमे पद धारण करैत अछि, लागू नहि होएत आओर एहन सब न्यायाधीश, जे एहि तरहक उच्चतम न्यायालयक मुख्य न्यायमूर्ति वा अन्य न्यायमूर्ति बनि जाइत छथि, यथास्थिति, एहन मुख्य न्यायमूर्ति वा अन्य न्यायाधीशक रूपमे वास्तविक सेवामे बिताओल समयक लेल एहि पैराक उप-पैरा (1) मे विनिर्दिष्ट वेतनक अतिरिक्त विशेष वेतनक रूपमे एहन राशि प्राप्त करबाक अधिकारी होएताह जे एहि प्रकारँ विनिर्दिष्ट वेतन आओर एहन वेतनक अंतरक बराबर अछि जे ओ एहन आरंभसँ ठीक पहिने प्राप्त कए रहल छलाह ।

(4) उच्चतम न्यायालयक सभ न्यायमूर्ति भारतक राज्यक्षेत्रक भीतर अपन कर्तव्यपालनमे कएल गेल यात्रामे उपगत व्ययक प्रतिपूर्तिक लेल एहन युक्तिसंगत भत्ता सब प्राप्त करताह आओर यात्रा संबंधी हुनका एहन युक्तिसंगत सुविधा देल जाएतनि जे राष्ट्रपति समय-समय पर विहित करथि ।

(5) उच्चतम न्यायालयक न्यायमूर्तिक अनुपस्थिति छुट्टीक (जकर अंतर्गत छुट्टी भत्ता सब अछि) आओर पेंशनक संबंधमे अधिकार ओहि उपबंध सबसँ शासित होएत जे एहि संविधानक प्रारंभसँ ठीक पहिने संघीय न्यायालयक न्यायाधीश सभ पर लागू छल ।

10. ¹[(1)] उच्च न्यायालयक न्यायमूर्ति सभकेँ वास्तविक सेवामे बिताओल समयक लेल प्रति मास निम्नलिखित दरसँ वेतनक निर्धारण कएल जाएत, अर्थात् :-

मुख्य न्यायमूर्ति	..	² [9, 000 रूपैया]*
कोनो अन्य न्यायाधीश	..	³ [8, 000 रूपैया:]**

¹ संविधान (सातम संशोधन) अधिनियम, 1956 केर धारा 25 (ग) (i) द्वारा (1-11-1956 सँ) उप-पैरा (1) केर स्थान पर प्रतिस्थापित ।

² संविधान (चौबनम संशोधन) अधिनियम, 1986 केर धारा 4 द्वारा (1-4-1986 सँ) “4,000 रूपैया” केर स्थान पर प्रतिस्थापित ।

* उच्च न्यायालय आओर उच्चतम न्यायालयक न्यायमूर्ति (वेतन आओर सेवा शर्त) संशोधन अधिनियम, 2018 (2018 केर 10) केर धारा 2 केर अनुसार (1-1-2016 भूतलक्षी प्रभावसँ) आब ई “दू लाख पचास हजार रूपैया” अछि ।

³ संविधान (चौबनम संशोधन) अधिनियम, 1986 केर धारा 4 द्वारा (1-4-1986 सँ) “3,500 रूपैयाक स्थान पर प्रतिस्थापित ।

** उच्च न्यायालय आओर उच्चतम न्यायालय न्यायमूर्तिक (वेतन आओर सेवा शर्त) संशोधन अधिनियम, 2018 (2018 केर 10) केर धारा 2 केर अनुसार (1-1-2016 भूतलक्षी प्रभावसँ) आब ई “दू लाख पच्चीस हजार रूपैया” अछि ।

(दोसर अनुसूची)

मुदा जै कोनो उच्च न्यायालयक कोनो न्यायमूर्ति अपन नियुक्तिक समय भारत सरकारक वा ओकर पूर्ववर्ती सरकार सभमे सँ कोनोक अथवा राज्यक सरकारक वा ओकर पूर्ववर्ती सरकार सभमे सँ किनको पूर्व सेवाक संबंधमे (निःशक्तता वा क्षति पेंशनसँ भिन्न) कोनो पेंशन प्राप्त क' रहल छथि तँ उच्च न्यायालयमे सेवाक लेल हुनक वेतनमे सँ निम्नलिखितकें घटा देल जाएत, अर्थात् :-

(क) ओहि पेंशनक राशि; आओर

(ख) जँ ओ एहन नियुक्तिसँ पहिने, एहन पूर्व सेवाक संबंधमे स्वयंकें देय पेंशनक एक भागक बदलामे ओकर निर्धारण मूल्य प्राप्त कएलनि अछि, तँ पेंशनक ओहि भागक राशि; आओर

(ग) जँ ओ एहन नियुक्तिसँ पहिने, एहन पूर्व सेवाक संबंधमे निवृत्ति-उपदान प्राप्त कएलनि अछि, तँ ओहि उपदानक समतुल्य पेंशन ।]

(2) एहन सब व्यक्ति, जे ओहि संविधानक प्रारंभसँ ठीक पहिने-

(क) कोनो प्रांतक उच्च न्यायालयक मुख्य न्यायमूर्तिक रूपमे पद धारण क' रहल छलाह आओर एहन प्रारंभ पर अनुच्छेद 376 केर खंड (1) केर अधीन तत्संबंधी राज्यक उच्च न्यायालयक मुख्य न्यायमूर्ति बनि गेल छथि, वा

(ख) कोनो प्रांतक उच्च न्यायालयक कोनो अन्य न्यायाधीशक रूपमे पद धारण कएने छलाह आओर जे एहन प्रारंभ पर उक्त खंडक अधीन तत्संबंधी राज्यक उच्च न्यायालयक (मुख्य न्यायमूर्तिसँ भिन्न) न्यायाधीश बनि गेल छथि जँ ओ एहन प्रारंभसँ ठीक पहिने एहि पैराक उप-पैरा (1) मे विनिर्दिष्ट दरसँ उच्चतर दर पर वेतन प्राप्त क' रहल छथि तँ, यथास्थिति, एहन मुख्य न्यायमूर्ति वा अन्य न्यायाधीशक रूपमे वास्तविक सेवामे बिताओल समयक लेल एहि पैराक उप-पैरा (1) मे विनिर्दिष्ट वेतनक अतिरिक्त विशेष वेतनक रूपमे एहन राशि प्राप्त करबाक अधिकारी होएताह जे एहि प्रकार विनिर्दिष्ट वेतन आओर एहन वेतनक अंतरक समान अछि जे ओ एहन प्रारंभसँ ठीक पहिने प्राप्त क' रहल छथि ।

¹[(3) एहन कोनो व्यक्ति, जे संविधानक (सातम संशोधन) अधिनियम, 1956 केर, प्रारंभसँ ठीक पहिने, पहिल अनुसूचीक भाग ख मे विनिर्दिष्ट कोनो राज्यक उच्च न्यायालयक मुख्य न्यायमूर्तिक रूपमे पद धारण क' रहल छथि आओर जे एहन प्रारंभ पर उक्त अधिनियम द्वारा यथा संशोधित उक्त अनुसूचीमे विनिर्दिष्ट कोनो राज्यक उच्च न्यायालयक मुख्य न्यायमूर्ति बनि गेल छथि, जँ ओ एहन प्रारंभसँ ठीक पहिने अपन वेतनक अतिरिक्त भत्ता सभक रूपमे कोनो राशि प्राप्त क' रहल छथि तँ, एहन मुख्य न्यायमूर्तिक रूपमे वास्तविक सेवामे बिताओल समयक लेल एहि पैराक उप-पैरा (1) मे विनिर्दिष्ट वेतनक अतिरिक्त भत्ताक रूपमे वएह राशि प्राप्त करबाक अधिकारी होएताह ।]

¹ संविधान (सातम संशोधन) अधिनियम, 1956 केर धारा 25 (ग) (ii) द्वारा (1-11-1956 सँ) उप-पैरा (3) आओर उप-पैरा (4) केर स्थान पर प्रतिस्थापित ।

भारतक संविधान

(दोसर अनुसूची)

11. एहि भागमे, जाधरि संदर्भसँ अन्यथा अपेक्षित नहि हो, -

(क) “मुख्य न्यायमूर्ति” पदक अंतर्गत कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति छथि आओर “न्यायाधीश” पदक अंतर्गत तदर्थ न्यायाधीश छथि;

(ख) “वास्तविक सेवा” क अंतर्गत-

(i) न्यायाधीश द्वारा न्यायाधीशक रूपमे कर्तव्य पालनमे वा एहन अन्य कार्य सभक पालनमे राष्ट्रपतिक अनुरोध पर ओ निर्वहन करबाक भार अपना ऊपर लेने छथि, बिताओल समय अछि।

(ii) ओ समयकेँ छोड़ि जाहि समयमे न्यायाधीश छुट्टी ल’ कए अनुपस्थित रहैत अछि दीर्घावकाशमे छथि; आओर

(iii) उच्च न्यायालयसँ उच्चतम न्यायालयकेँ वा एक उच्च न्यायालयसँ दोसर उच्च न्यायालयकेँ अंतरण पर जएबा पर पदग्रहण-काल अछि।

भाग ड

भारतक नियंत्रक-महालेखापरीक्षक विषयमे उपबंध

12 (1) भारतक नियंत्रक-महालेखापरीक्षककेँ *चारि हजार रूपैया प्रतिमासक दरसँ वेतन देल जाएत।

(2) एहन कोनो व्यक्ति, जे एहि संविधानक प्रारंभसँ ठीक पहिने भारतक महालेखापरीक्षक केर रूपमे पद धारण क’ रहल छलाह आओर जे एहन प्रारंभ पर अनुच्छेद 377 केर अधीन भारतक नियंत्रक-महालेखापरीक्षक बनि गेल छथि, जे एहि पैरा केर उप-पैरा (1) मे विनिर्दिष्ट वेतनक अतिरिक्त विशेष वेतनक रूपमे एहन राशि प्राप्त करबाक अधिकारी होएताह जे एहि प्रकारक विनिर्दिष्ट वेतन आर एहन वेतनक अंतरक समान अछि जे ओ एहि प्रारंभसँ ठीक पहिने भारतक महालेखापरीक्षकक रूपमे प्राप्त क’ रहल छलाह।

(3) भारतक नियंत्रक-महालेखापरीक्षकक अनुपस्थिति, छुट्टी आ पेंशन एवं अन्य सेवा-शर्तक संबंधमे अधिकार ओहि उपबंध सबसँ यथास्थिति, शासित होएत वा शासित होइत रहत। जे एहि संविधानक प्रारंभसँ ठीक पहिने भारतक महालेखापरीक्षककेँ लागू छल आ ओहि उपबंध सभमे महाराज्यपालक प्रति समस्त निर्देशक ई अर्थ लगाओल जाइत जे राष्ट्रपतिक प्रति निर्देश प्राप्त अछि।

* नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्ति एवं सेवाशर्त) अधिनियम, 1971 (1971 केर 56) केर धारा 3 द्वारा भारतक नियंत्रक-महालेखापरीक्षक केँ उच्चतम न्यायालयक न्यायाधीशक समान वेतन देल जाएत। उच्च न्यायालय आ उच्चतम न्यायालय न्यायमूर्ति (वेतन आ सेवाशर्त) संशोधन अधिनियम, 2018 (2018 केर 10) केर धारा 6 द्वारा (1-1-2016 भूतलक्षी प्रभावसँ) उच्चतम न्यायालयक न्यायमूर्तिक वेतन “दू लाख पचास हजार रूपैया” प्रति मास बढ़ा देल गेल अछि।

तेसर अनुसूची

[अनुच्छेद 75 (4), 99, 124 (6), 148 (2), 164 (3), 188 आ 219]*

शपथ वा प्रतिज्ञानक प्रारूप

I

संघक मंत्रीक लेल पदक शपथक प्रारूप :-

“हम, अमुक, ईश्वरक शपथ लैत छी सत्यनिष्ठासँ प्रतिज्ञान करैत छी जे हम विधि द्वारा स्थापित भारतक संविधानक प्रति सत्य श्रद्धा आ निष्ठा राखब, ¹[हम भारतक प्रभुता आ अखंडता अक्षुण्ण राखब,] हम संघक मंत्रीक रूपमे अपन कर्तव्य श्रद्धापूर्वक आ शुद्ध अंतःकरणसँ निर्वहन करब एवं हम भय वा पक्षपात, अनुराग वा द्वेषक बिना, सब प्रकारक लोकक प्रति संविधान आ विधिक अनुसार न्याय करब।”

II

संघक मंत्रीक लेल गोपनीयताक शपथक प्रारूप :-

“हम, अमुक, ईश्वरक शपथ लैत छी जे कोनो विषय संघक मंत्रीक रूपमे हमरा विचारक लेल आनल जाएत अथवा हमरा ज्ञात होइत जे कोनो व्यक्ति वा व्यक्ति सबकें तखन केर अलावा जखन एहन मंत्रीक रूपमे अपन कर्तव्यक सम्यक निर्वहनक लेल एहन करब अपेक्षित रहए, हम प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूपसँ संसूचित वा प्रकट नहि करब।”

²[III

क

संसदक निर्वाचनक लेल अभ्यर्थी द्वारा लेल जाएवला शपथ वा कएल जाएवला प्रतिज्ञानक प्रारूप :-]

* अनुच्छेद 84 (क) आ अनुच्छेद 173 (क) सेहो देखल जाय।

¹ संविधान (सोलहम संशोधन) अधिनियम, 1963 केर धारा 5 द्वारा (5-10-1963 सँ) अंतःस्थापित।

² संविधान (सोलहम संशोधन) अधिनियम, 1963 केर धारा 5 द्वारा (5.10.1963 सँ) प्रारूप 3 केर स्थान पर प्रतिस्थापित।

भारतक संविधान

(तेसर अनुसूची)

“हम, अमुक, जे राज्य सभा (वा लोक सभा) मे स्थान भरबाक लेल अभ्यर्थीक रूपमे नाम निर्देशित भेलहुँ अछि, ईश्वरक शपथ लैत छी सत्यनिष्ठासँ प्रतिज्ञान करैत छी जे हम विधि द्वारा स्थापित भारतक संविधानक प्रति सत्य श्रद्धा आ निष्ठा राखब, आ हम भारतक प्रभुता आ अखंडता अक्षुण्ण राखब ।”

ख

संसदक सदस्य द्वारा लेल जाएवला शपथ वा कएल जाएवला प्रतिज्ञानक प्रारूप :-

“हम, अमुक, जे राज्य सभा (वा लोक सभा)क सदस्य निर्वाचित (वा नामनिर्देशित) भेलहुँ अछि, ईश्वरक शपथ लैत छी सत्यनिष्ठासँ प्रतिज्ञान करैत छी जे हम विधि द्वारा स्थापित भारतक संविधानक प्रति सत्य श्रद्धा आ निष्ठा राखब, हम भारतक प्रभुता आ अखंडता अक्षुण्ण राखब एवं जाहि पदकें हम ग्रहण करएवला छी ओकर कर्तव्यक श्रद्धापूर्वक निर्वहन करब ।”]

IV

उच्चतम न्यायालयक न्यायमूर्ति सभ आ भारतक नियंत्रक-महालेखापरीक्षकक द्वारा लेल जाएवला शपथ वा कएल जाएवला प्रतिज्ञानक प्रारूप :-

“हम, अमुक, जे भारतक उच्चतम न्यायालयक मुख्य न्यायमूर्ति ¹(वा न्यायाधीश) (वा भारतक नियंत्रक-महालेखापरीक्षक) नियुक्त भेलहुँ अछि, ईश्वरक शपथ लैत छी सत्यनिष्ठासँ प्रतिज्ञान करैत छी जे हम विधि द्वारा स्थापित भारतक संविधानक प्रति सत्य श्रद्धा आ निष्ठा राखब, ¹[हम भारतक प्रभुता आ अखंडता अक्षुण्ण राखब,] एवं हम सम्यक प्रकारसँ आ श्रद्धापूर्वक एवं अपन पूर्ण योग्यता, ज्ञान आ विवेकसँ अपन पदक कर्तव्य भय वा पक्षपात, अनुराग वा द्वेषक बिना पालन करब एवं हम संविधान आ विधि सभक मर्यादा बनौने राखब ।”

¹ संविधान (सोलहम संशोधन) अधिनियम, 1963 केर धारा 5 द्वारा (5-10-1963 सँ) अंतःस्थापित ।

(तेसर अनुसूची)

V

कोनो राज्यक मंत्रीक लेल पदक शपथ केर प्रारूप :-

“हम, अमुक, ईश्वरक शपथ लैत छी जे हम विधि द्वारा स्थापित भारतक संविधानक प्रति सत्य श्रद्धा आ निष्ठा राखब, ¹[हम भारतक संप्रभुता आ अखंडता अक्षुण्ण राखब,] हम..... राज्यक मंत्रीक रूपमे अपन कर्तव्यक श्रद्धापूर्वक आ शुद्ध अंतःकरणसँ निर्वहन करब एवं हम भय वा पक्षपात, अनुराग वा द्वेषक बिना, सब प्रकारक लोकक प्रति संविधान आ विधिक अनुसार न्याय करब ।”

VI

कोनो राज्यक मंत्रीक लेल गोपनीयताक शपथ केर प्रारूप :-

“हम, अमुक, ईश्वरक शपथ लैत छी जे ओ विषय जे ----- राज्यक मंत्रीक रूपमे सत्यनिष्ठासँ प्रतिज्ञान करैत छी हमरा विचारक लेल आनल जाएत अथवा हमरा ज्ञात होएत तकरा कोनो व्यक्ति वा व्यक्ति सभकेँ तखन केर अतिरिक्त जखन एहन मंत्रीक रूपमे अपन कर्तव्यक सम्यक निर्वहनक लेल एहन करब अपेक्षित रहए, हम प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूपसँ संसूचित वा प्रकट नहि करब ।”

²[VII

क

कोनो राज्यक विधान-मंडलक लेल निर्वाचनक लेल अभ्यर्थी द्वारा लेल जाएवला शपथ वा कएल जाएवला प्रतिज्ञानक प्रारूप :-

“हम, अमुक, जे विधान सभा (वा विधान परिषद) मे स्थान भरबाक लेल अभ्यर्थीक रूपमे नामनिर्देशित भेलहुँ अछि, ईश्वरक शपथ लैत छी जे हम विधि द्वारा सत्यनिष्ठासँ प्रतिज्ञान करैत छी स्थापित भारतक संविधानक प्रति सत्य श्रद्धा आ निष्ठा राखब, आ हम भारतक संप्रभुता आ अखंडता अक्षुण्ण राखब ।”

¹ संविधान (सोलहम संशोधन) अधिनियम, 1963 केर धारा 5 द्वारा (5-10-1963 सँ) अंतःस्थापित ।

² संविधान (सोलहम संशोधन) अधिनियम, 1963 केर धारा 5 द्वारा (5-10-1963 सँ) प्रारूप 7 केर स्थान पर प्रतिस्थापित ।

भारतक संविधान

(तेसर अनुसूची)

ख

कोनो राज्यक विधान-मंडलक सदस्य द्वारा लेल जाएवला शपथ वा कएल जाएवला प्रतिज्ञानक प्रारूप:-

“हम, अमुक, जे विधान सभा (वा विधान परिषद)क सदस्य निर्वाचित (वा नामनिर्देशित) भेलहुँ
अछि ईश्वरक शपथ लैत छी जे हम विधि द्वारा स्थापित भारतक संविधानक प्रति सत्य
सत्यनिष्ठासँ प्रतिज्ञान करैत छी
श्रद्धा आ निष्ठा राखब, हम भारतक संप्रभुता आ अखंडता अक्षुण्ण राखब एवं जाहि पदकेँ हम ग्रहण
करएवला छी ओकर कर्तव्यक श्रद्धापूर्वक निर्वहन करब ।”]

VIII

उच्च न्यायालयक न्यायमूर्ति सभक द्वारा लेल जाएवला शपथ वा कएल जाएवला प्रतिज्ञानक प्रारूप :-

“हम, अमुक, जे उच्च न्यायालयक मुख्य न्यायमूर्ति (वा न्यायाधीश) नियुक्त भेलहुँ
अछि ईश्वरक शपथ लैत छी जे हम विधि द्वारा स्थापित भारतक संविधानक प्रति सत्य श्रद्धा
सत्यनिष्ठासँ प्रतिज्ञान करैत छी
आ निष्ठा राखब, ¹[हम भारतक संप्रभुता आ अखंडता अक्षुण्ण राखब,] एवं हम सम्यक प्रकारसँ आ
श्रद्धापूर्वक एवं अपन पूर्ण योग्यता, ज्ञान आ विवेकसँ अपन पदक कर्तव्यक भय वा पक्षपात, अनुराग
वा द्वेषक बिना पालन करब एवं हम संविधान आ विधि सभक मर्यादा बनौने राखब ।”

¹ संविधान (सोलहम संशोधन) अधिनियम, 1963 केर धारा 5 द्वारा (5-10-1963 सँ) अंतःस्थापित ।

¹चारिम अनुसूची

[अनुच्छेद 4 (1) अनुच्छेद 80 (2)]

राज्य सभामे स्थानक आवंटन

निम्नलिखित सारणीक पहिल स्तंभमे विनिर्दिष्ट प्रत्येक राज्य वा केन्द्र शासित प्रदेशकेँ ओतबे स्थान आवंटित कएल जाएत जतेक ओकर दोसर स्तंभमे, यथास्थिति, ओहि राज्य वा ओहि केन्द्र शासित प्रदेशक समक्ष विनिर्दिष्ट अछि:

सारणी

1.	आंध्र प्रदेश	² [11]
³ [2.	तेलंगाना.....	7]
⁴ [3]	असम.....	7
⁴ [4]	बिहार	⁵ [16]
⁶ [4[5.]	झारखंड	6]
⁷ [8[4[6.]	गोवा	1]]
⁹ [8[4[7.]	गुजरात	11]
¹⁰ [8[4[8.]	हरियाणा	5]]
⁸ [4[9.]	केरल	9

-
- ¹ संविधान (सातम संशोधन) अधिनियम, 1956 केर धारा 3 द्वारा (1-11-1956 सँ) चारिम अनुसूचीक स्थान पर प्रतिस्थापित।
- ² आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2014 (2014 केर 6) केर धारा 12 द्वारा (2-6-2014 सँ) 18 केर स्थान पर प्रतिस्थापित।
- ³ आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, (2014 केर धारा 12 द्वारा (2-6-2014 सँ) अन्तःस्थापित।
- ⁴ आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2014 (2014 केर धारा 12 द्वारा (2-6-2014 सँ) 2 सँ 30 धरि केर प्रविष्टिकेँ क्रमशः 3 सँ 31 धरि प्रविष्टिक रूपमे पुनः संख्यांकित कएल गेल।
- ⁵ बिहार पुनर्गठन अधिनियम, 2000 (2000 केर 30) केर धारा 7 द्वारा (15-11-2000 सँ) “22” केर स्थान पर प्रतिस्थापित।
- ⁶ बिहार पुनर्गठन अधिनियम, 2000 (2000 केर 30) केर धारा 7 द्वारा (15-11-2000 सँ) “22” केर स्थान पर प्रतिस्थापित।
- ⁷ गोवा, दमन आ दीव पुनर्गठन अधिनियम, 1987 (1987 केर 18) केर धारा 6 (क) आओर (30-5-1987 सँ) (ख) प्रविष्टि 4 सँ 26 केर क्रमशः प्रविष्टि 5 सँ 27 केर रूपमे पुनःसंख्यांकित आओर प्रविष्टि “4 गोवा...1” अंतःस्थापित।
- ⁸ बिहार पुनर्गठन अधिनियम, 2000 (2000 केर 30) केर धारा 7 द्वारा (15-11-2000 सँ) प्रविष्टि 4 सँ 29 केँ क्रमशः प्रविष्टि 5 सँ 30 केर रूपमे पुनःसंख्यांकित कएल गेल।
- ⁹ बंबई पुनर्गठन अधिनियम, 1960 (1960 केर 11) केर धारा 6 द्वारा (1-5-1960 सँ) प्रविष्टि “4” केर स्थान पर प्रतिस्थापित।
- ¹⁰ पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 (1966 केर 31) केर धारा 9 द्वारा (1-11-1966 सँ) अंतःस्थापित।

¹ [² [10.]]	मध्य प्रदेश ³ [11]
⁴ [¹ [² [11.]]	छत्तीसगढ़ ⁵ [11]
⁵ [¹ [² [12.]]	तमिलनाडु ⁶ [18]
⁷ [¹ [² [13.]]	महाराष्ट्र 19]
⁸ [¹ [² [14.]]	कर्नाटक 12]
¹ [² [15.]]	⁹ [ओडिशा] 10]
¹ [² [16.]]	पंजाब ¹⁰ [7]
¹ [² [17.]]	राजस्थान 10]
¹ [² [18.]]	उत्तर प्रदेश ¹¹ [31.]
¹² [¹ [² [19.]]	¹³ [उत्तराखंड] 3]
¹ [² [20.]]	पश्चिमी बंगाल 16]
¹⁴ [¹ [² [**]]	* * * *]
¹⁵ [¹⁶ [¹ [² [21.]]	नागालैंड 1]]

- ¹ बिहार पुनर्गठन अधिनियम, 2000 (2000 केर 30) केर धारा 7 द्वारा (15-11-2000 सँ) प्रविष्टि 4 सँ 29 कें क्रमशः प्रविष्टि 5 सँ 30 केर रूपमे पुनःसंख्यांकित कएल गेल ।
- ² आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2014 (2014 केर 6) केर धारा 12 द्वारा (2-6-2014 सँ) 2 सँ 30 धरिक प्रविष्टिकें क्रमशः 3 सँ 31 धरिक प्रविष्टिक रूपमे पुनःसंख्यांकित कएल गेल ।
- ³ मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 (2000 केर 28) केर धारा 7 द्वारा (1-11-2000 सँ) “16” केर स्थान पर प्रतिस्थापित ।
- ⁴ मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 (2000 केर 28) केर धारा 7 द्वारा (1-11-2000 सँ) अंतःस्थापित ।
- ⁵ मद्रास राज्य (नाम-परिवर्तन) अधिनियम, 1968 (1968 केर 53) केर धारा 5 द्वारा (14-1-1969 सँ) “8. मद्रास” (“11” केर रूपमे पुनःसंख्यांकित) केर स्थान पर प्रतिस्थापित ।
- ⁶ आंध्र प्रदेश आ मद्रास (सीमा-परिवर्तन) अधिनियम, 1959 (1959 केर 56) केर धारा 8 द्वारा (1-4-1960 सँ) “17” केर स्थान पर प्रतिस्थापित ।
- ⁷ बंबई पुनर्गठन अधिनियम, 1960 (1960 केर 11) धारा 6 द्वारा (1-5-1960 सँ) अंतःस्थापित ।
- ⁸ मैसूर राज्य (नाम-परिवर्तन) अधिनियम, 1973 (1973 केर 13) केर धारा 5 द्वारा (1-11-1973 सँ) “10. मैसूर” केर स्थान पर प्रतिस्थापित ।
- ⁹ उड़ीसा (नाम-परिवर्तन) अधिनियम, 2011 (2011 केर 15) केर धारा 7 द्वारा (1-11-2011 सँ) “उड़ीसा” केर स्थान पर प्रतिस्थापित ।
- ¹⁰ पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 (1966 केर 31) केर धारा 9 द्वारा (1-11-1966 सँ) “11” केर स्थान पर प्रतिस्थापित ।
- ¹¹ उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 (2000 केर 29) केर धारा 7 द्वारा (9-11-2000 सँ) “34” केर स्थान पर प्रतिस्थापित ।
- ¹² उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 (2000 केर 29) केर धारा 7 द्वारा (9-11-2000 सँ) अंतःस्थापित ।
- ¹³ उत्तरांचल (नाम परिवर्तन) अधिनियम, 2006 (2006 केर 52) केर धारा 5 द्वारा (1-1-2007 सँ) “उत्तरांचल” केर स्थान पर प्रतिस्थापित ।
- ¹⁴ ** जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 (2019 केर 34) केर धारा 8 द्वारा (31-10-2019 सँ) जम्मू-कश्मीरसँ संबंधित प्रविष्टि 21 कें हटा देल गेल ।
- ¹⁵ जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 (2019 केर 34) केर धारा 8 द्वारा (31-10-2019 सँ) प्रविष्टि 22 सँ प्रविष्टि 31 कें क्रमशः प्रविष्टि 21 सँ प्रविष्टि 30 केर रूपमे पुनःसंख्यांकित कएल गेल ।
- ¹⁶ नागालैंड राज्य अधिनियम, 1962 (1962 केर 27) केर धारा 6 द्वारा (1-12-1963 सँ) अंतःस्थापित ।

(चारिम अनुसूची)

¹ [² [³ [⁴ [22.]	हिमाचल प्रदेश 3]]]
³ [² [⁴ [23.]	मणिपुर 1]
³ [² [⁴ [24.]	त्रिपुरा 1]]
³ [² [⁴ [25.]	मेघालय 1]]
⁵ [³ [² [⁴ [26.]	सिक्किम 1]]
⁶ [³ [² [⁴ [27.]	मिजोरम 1]]
⁷ [³ [² [⁴ [28.]	अरुणाचल प्रदेश 1]]
³ [² [⁴ [29.]	दिल्ली 3]
³ [² [⁴ [30.]	⁸ [पुडुचेरी] 1]]
⁹ [³ [² [⁴ [31.]	जम्मू-कश्मीर 4]
योग ¹⁰[233]	

- ¹ हिमाचल प्रदेश राज्य अधिनियम, 1970 (1970 केर 53) केर धारा 5 द्वारा (25-1-1971 सँ) अंतःस्थापित ।
- ² बिहार पुनर्गठन अधिनियम, 2000 (2000 केर 30) केर धारा 7 द्वारा (15-11-2000 सँ) प्रविष्टि 4 सँ 29 केँ क्रमशः प्रविष्टि 5 सँ 30 केर रूपमे पुनःसंख्याकित कएल गेल ।
- ³ आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2014 (2014 केर 6) केर धारा 12 द्वारा (2-6-2014 सँ) 2 सँ 30 धरिक प्रविष्टिकेँ क्रमशः 3 सँ 31 धरिक प्रविष्टिक रूपमे पुनःसंख्याकित कएल गेल ।
- ⁴ जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 (2019 केर 34) केर धारा 8 द्वारा (31-10-2019 सँ) प्रविष्टि 22 सँ प्रविष्टि 31 केँ क्रमशः प्रविष्टि 21 सँ प्रविष्टि 30 केर रूपमे पुनःसंख्याकित कएल गेल ।
- ⁵ संविधान (छत्तीसम संशोधन) अधिनियम, 1975 केर धारा 4 द्वारा (26-4-1975 सँ) अंतःस्थापित ।
- ⁶ मिजोरम राज्य अधिनियम, 1986 (1986 केर 34) केर धारा 5 द्वारा (20-2-1987 सँ) अंतःस्थापित ।
- ⁷ अरुणाचल प्रदेश राज्य अधिनियम, 1986 (1986 केर 69) केर धारा 5 द्वारा (20-2-1987 सँ) अंतःस्थापित ।
- ⁸ पांडिचेरी (नाम-परिवर्तन) अधिनियम, 2006 (2006 केर 44) केर धारा 4 द्वारा (1-10-2006 सँ) “पांडिचेरी” केर स्थान पर प्रतिस्थापित ।
- ⁹ जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 (2019 केर 34) केर धारा 8 द्वारा (31-10-2019 सँ) अन्तःस्थापित ।
- ¹⁰ गोवा, दमन आ दीव पुनर्गठन, 1987 (1987 केर 18) केर धारा 6 द्वारा (30-5-1987 सँ) “232” केर स्थान पर प्रतिस्थापित ।

पाँचम अनुसूची

[अनुच्छेद 244 (1)]

अनुसूचित क्षेत्र आओर अनुसूचित जनजातिक प्रशासन ओ नियंत्रणक
विषयमे उपबंध

भाग क

सामान्य

1. **विवेचन**-एहि अनुसूचीमे, जाधरि संदर्भसँ अपेक्षित नहि होअए, “राज्य” पदक अंतर्गत ^{1***}
²[असम राज्य, ³[⁴मेघालय, त्रिपुरा आ मिजोरम]] नहि अछि।

2. **अनुसूचित क्षेत्र सभमे कोनो राज्यक कार्यपालिका शक्ति**-एहि अनुसूचीक उपबंध सभक अधीन
रहैत, कोनो राज्यक कार्यपालिका शक्तिक विस्तार ओकर अनुसूचित क्षेत्र सब पर अछि।

3. **अनुसूचित क्षेत्र सभक प्रशासनक संबंधमे राष्ट्रपतिकें राज्यपाल** ^{5***} द्वारा प्रतिवेदन-एहन
प्रत्येक राज्यक राज्यपाल ^{5***}, जाहिमे अनुसूचित क्षेत्र अछि, प्रतिवर्ष वा जखन राष्ट्रपति एहि
प्रकारक अपेक्षा करथि, ओहि राज्यक अनुसूचित क्षेत्र सभक प्रशासनक संबंधमे राष्ट्रपतिकें प्रतिवेदन
देल जाएत आ संघक कार्यपालिका शक्तिक विस्तार राज्यकें उक्त क्षेत्र सबक प्रशासनक विषयमे
निर्देश देबा धरि होएत।

भाग ख

अनुसूचित क्षेत्र आओर अनुसूचित जनजातिक प्रशासन आओर नियंत्रण

4. **जनजाति सलाहकार परिषद**-(1) एहन प्रत्येक राज्यमे, जाहिमे अनुसूचित क्षेत्र अछि आ
जखन राष्ट्रपति एहन निर्देश देथि तँ कोनो एहन राज्यमे सेहो, जाहिमे अनुसूचित जनजाति सब अछि
मुदा अनुसूचित क्षेत्र नहि अछि, एकटा जनजाति सलाहकार परिषद स्थापित कएल जाएत, जाहिमे
बीससँ अनधिक सदस्य लोकनिसँ मिलकए बनत जाहिमे सँ यथासाध्य निकटतम तीन-चौथाई ओहि
राज्यक विधान सभामे अनुसूचित जनजाति सभक प्रतिनिधि होएत:

¹ संविधान (सातम संशोधन) अधिनियम, 1956 केर धारा 29 आ अनुसूची द्वारा (1-11-1956 सँ) “पहिल अनुसूचीकें भाग
‘क’ वा भाग ‘ख’ मे विनिर्दिष्ट राज्य अभिप्रेत अछि मुदा” शब्द सभक आ अक्षर सभक लोप कएल गेल।

² पूर्वोत्तर क्षेत्र (पुनर्गठन) अधिनियम, 1971 (1971 केर 81) केर धारा 71 द्वारा (21-1-1972 सँ) “असम राज्य”क स्थान
पर प्रतिस्थापित।

³ संविधान (उनचासम संशोधन) अधिनियम, 1984 केर धारा 3 द्वारा (1-4-1985 सँ) “आ मेघालय” केर स्थान पर प्रतिस्थापित।

⁴ मिजोरम राज्य अधिनियम, 1986 (1986 केर 34) केर धारा 39 द्वारा (20-2-1987 सँ) “मेघालय आ त्रिपुरा” केर स्थान पर
प्रतिस्थापित।

⁵ संविधान (सातम संशोधन) अधिनियम, 1956 केर धारा 29 आ अनुसूची द्वारा (1-11-1956 सँ) “वा राजप्रमुख” शब्द
सभक लोप कएल गेल।

(पाँचम अनुसूची)

मुदा जँ ओहि राज्यक विधान सभामे अनुसूचित जनजाति सभक प्रतिनिधि लोकनिक संख्या जनजाति सलाहकार परिषदमे एहन प्रतिनिधि लोकनिसँ भरल जाएवला स्थानक संख्यासँ कम रहैछ तँ शेष स्थान ओहि जनजाति लोकनिक अन्य सदस्य सबसँ भरल जाएत ।

(2) जनजाति सलाहकार परिषदक ई कर्तव्य होएत जे ओ ओहि राज्यक अनुसूचित जनजाति लोकनिक कल्याण आ उन्नतिसँ संबंधित एहन विषय सभ पर सलाह द' सकत जे ओकरा राज्यपाल^{1***} द्वारा निर्दिष्ट कएल जाए ।

(3) राज्यपाल^{2***}

(क) परिषदक सदस्य लोकनिक संख्याकें, ओकर नियुक्तिक आ परिषदक अध्यक्ष एवं ओकर अधिकारी आ सेवक लोकनिक नियुक्तिक प्रक्रियाकें;

(ख) ओकर अधिवेशनक संचालन एवं साधारणतः ओकर प्रक्रियाकें, आ

(ग) आन सब आनुषंगिक विषय सबकें, यथास्थिति, विहित वा वनियमित करबाक लेल नियम बना सकत ।

5. अनुसूचित क्षेत्र सबमे लागू विधि-(1) एहि संविधानमे कोन बातकें रहैत, राज्यपाल,^{1***} लोक अधिसूचना द्वारा निदेश द' सकताह जे संसदक वा ओहि राज्यक विधान-मंडलक कोनो विशिष्ट अधिनियम ओहि राज्यक अनुसूचित क्षेत्र वा ओकर कोनो भागमे लागू नहि होएत अथवा ओहि राज्यक अनुसूचित क्षेत्र वा ओकर कोनो भागकें एहन अपवाद सभक आ उपांतरण सब अधीन रहैत लागू होएत जे ओ अधिसूचनामे विनिर्दिष्ट कएल आ ओहि उप-पैराक अधीन देल गेल कोनो निदेश एहि प्रकारें देल जा सकत जे ओकर भूतलक्षी प्रभाव होए ।

(2) राज्यपाल^{1***} कोनो राज्यमे कोनो एहन क्षेत्रक शांति आ सुशासनक लेल विनियम बना सकत जँ ओहि समय अनुसूचित क्षेत्र रहैत अछि ।

विशिष्टतया आ पूर्वगामी शक्तिक व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव बिना एहन विनियम-

(क) एहन क्षेत्रक अनुसूचित जनजाति लोकनिक सदस्य सभक द्वारा वा ओहिमे भूमिकें अंतरणक प्रतिषेध वा निर्बंधन क' सकत ।

(ख) एहन क्षेत्रक जनजाति लोकनिक सदस्य सभक भूमिक आवंटनक विनियमन क' सकत;

¹ संविधान (सातम संशोधन) अधिनियम, 1956 केर धारा 29 आ अनुसूची द्वारा (1-11-1956 सँ) “यथास्थिति, राज्यपाल या राजप्रमुख” शब्दक लोप कएल गेल ।

² संविधान (सातम संशोधन) अधिनियम, 1956 केर धारा 29 आ अनुसूची द्वारा (1-11-1956 सँ) “वा राजप्रमुख” शब्दक लोप कएल गेल ।

(ग) एहन लोकक द्वारा जे एहन क्षेत्रक अनुसूचित जनजाति लोकनिक सदस्य सबकेँ धन उधार दैत अछि, साहूकारक रूपमे व्यवसाय करबाक विनियमन क' सकत ।

(3) एहन कोनो विनियम केँ बनएबामे जे एहि पैरा केर उप-पैरा (2) मे विनिर्दिष्ट अछि, राज्यपाल ¹**** संसदक वा ओहि राज्यक विधान-मंडलक अधिनियमक वा कोनो विद्यमान विधिकेँ, जे प्रश्रुत क्षेत्रमे ओहि समय लागू अछि, निरसन वा संशोधन क' सकत ।

(4) एहि पैरा केर अधीन बनाओल गेल सब विनियम राष्ट्रपतिक समक्ष अतिशीघ्र प्रस्तुत कएल जाएत आ जाधरि ओ एहि पर अनुमति नहि द' दैत छथि, ताधरि ओकर कोनो प्रभाव नहि पड़त ।

(5) एहि पैरा केर अधीन कोनो विनियम ताधरि नहि बनाओल जाएत जाधरि विनियम बनबयबला राज्यपाल ¹** ओहि जनजाति सलाहकार परिषदवला राज्यक दशामे एहन परिषदसँ परामर्श नहि कएने छथि ।

भाग ग

अनुसूचित क्षेत्र

6. अनुसूचित क्षेत्र-(1) एहि संविधानमे, “अनुसूचित क्षेत्र” पदसँ एहन क्षेत्र अभिप्रेत अछि, जकरा राष्ट्रपति आदेश * द्वारा अनुसूचित क्षेत्र घोषित करथि ।

(2) राष्ट्रपति, कोनो समय आदेश ** द्वारा-

(क) निर्देश द' सकैत छथि जे कोनो संपूर्ण अनुसूचित क्षेत्र वा ओकर कोनो विनिर्दिष्ट भाग अनुसूचित क्षेत्र वा एहन क्षेत्रक भाग नहि रहत,

²[(कक) कोनो राज्यक कोनो अनुसूचित क्षेत्रक क्षेत्रकेँ ओहि राज्यक राज्यपालसँ परामर्श करबाक पश्चात्, बढ़ा सकताह,]

(ख) कोनो अनुसूचित क्षेत्रमे, मात्र सीमा सभक परिशोधन क' कए परिवर्तन क' सकताह,

¹ संविधान (सातम संशोधन) अधिनियम, 1956 केर धारा 29 आ अनुसूची द्वारा “वा राजप्रमुख” शब्दक लोप (1-11-1956 सँ) कएल गेल ।

* अनुसूचित क्षेत्र (भाग ‘क’ राज्य) आदेश, 1950 (सी. ओ. 9) अनुसूचित क्षेत्र (भाग ‘ख’ राज्य) आदेश, 1950 (सी. ओ. 26), अनुसूचित क्षेत्र (हिमाचल प्रदेश) आदेश, 1975 (सी. ओ. 102) आ अनुसूचित क्षेत्र (बिहार, गुजरात, मध्य प्रदेश आ उड़ीसा राज्य) आदेश, 1977 (सी. ओ. 109) देखल जाय ।

** मद्रास अनुसूचित क्षेत्र (समाप्ति) आदेश, 1950 (सी. ओ. 30) आ आंध्र अनुसूचित क्षेत्र (समाप्ति) आदेश, 1955 (सं. आ. 50) देखल जाय ।

² संविधान पाँचम अनुसूची (संशोधन) अधिनियम, 1976 (1976 केर 101) केर धारा 2 द्वारा (7-9-1976 सँ) अंतःस्थापित ।

(पाँचम अनुसूची)

(ग) कोनो राज्यक सीमा सभक कोनो परिवर्तन पर वा संघमे कोनो नव राज्यक प्रवेश पर वा नव राज्यक स्थापना पर एहन कोनो क्षेत्रकें, जे पहिनेसँ कोनो राज्यमे सम्मिलित नहि अछि, अनुसूचित क्षेत्र वा ओकर भाग घोषित क' सकत;

¹[(घ) कोनो राज्य वा राज्य सभक संबंधमे एहि पैरा केर अधीन कएल गेल आदेश वा आदेश सभकें विखंडित क' सकत आ संबंधित राज्यक राज्यपालसँ परामर्श क' कए ओहि क्षेत्र सबकें जे अनुसूचित क्षेत्र होएत, पुनः परिनिश्चित करबाक लेल नव आदेश क' सकत;]

आ एहन कोनो आदेशमे एहन आनुषांगिक आ पारिणामिक उपबंध भ' सकत जे राष्ट्रपतिकें आवश्यक आ उचित प्रतीत होअए; मुदा जेना ऊपर कहल गेल अछि ओकर अतिरिक्त एहि पैरा केर उप-पैरा (1) केर अधीन कएल गेल आदेशमे कोनो पश्चातवर्ती आदेश द्वारा परिवर्तन नहि कएल जाएत ।

भाग घ

अनुसूचीक संशोधन

7. अनुसूचीक संशोधन-(1) संसद, समय-समय पर विधि द्वारा, एहि अनुसूचीक उपबंध सभमे सँ कोनोक परिवर्द्धन, परिवर्तन वा निरसनक रूपमे, संशोधन क' सकत आ जखन अनुसूचीक एहि प्रकारें संशोधन कएल जाइत अछि, तखन एहि संविधानमे एहि अनुसूची केर प्रति कोनो निर्देशक ई अर्थ लगाओल जाएत जे ओ एहि प्रकारें संशोधित एहन अनुसूचीक प्रति निर्देश अछि ।

(2) एहन कोनो विधि, जे एहि पैराक उप-पैरा (1) मे उल्लिखित अछि, जे संविधानक अनुच्छेद 368 केर प्रयोजन सभक लेल एहि संविधानक संशोधन नहि बुझल जाएत ।

¹ संविधान पाँचम अनुसूची (संशोधन) अधिनियम, 1976 (1976 केर 101) केर धारा 2 द्वारा (7-9-1976 सँ) अंतःस्थापित ।

छठम अनुसूची

[अनुच्छेद 244 (2) आ अनुच्छेद 275 (1)]

[असम, मेघालय, त्रिपुरा आओर मिजोरम राज्य] सभक जनजाति क्षेत्रक

प्रशासनक विषयमे उपबंध

²1. स्वशासी जिला सब आ स्वशासी क्षेत्र-(1) एहि पैरा केर उपबंध सभक अधीन रहैत, एहि अनुसूची केर पैरा 20 सँ संलग्न सारणी केर ³[⁴भाग 1, भाग 2 आ भाग 2 क] केर प्रत्येक मद केर आ भाग 3] केर जनजाति क्षेत्र सभक एकटा स्वशासी जिला होएत।

2. जँ कोनो स्वशासी जिलामे भिन्न-भिन्न अनुसूचित जनजाति सब अछि तँ राज्यपाल, लोक अधिसूचना द्वारा, एहन क्षेत्र वा क्षेत्र सबकेँ जाहिमे ओ बसल अछि, स्वशासी क्षेत्र सभमे विभाजित क' सकताह।

(3) राज्यपाल, लोक अधिसूचना द्वारा, -

(क) ओहि सारणीक ³[कोनो भाग] मे कोनो क्षेत्रकेँ सम्मिलित क' सकत;

(ख) ओहि सारणीक ³[कोनो भाग] मे कोनो क्षेत्रकेँ अपवर्जित क' सकत;

(ग) नव स्वशासी जिला बना सकत;

(घ) कोनो स्वशासी जिलाक क्षेत्र बढ़ा सकत;

(ङ) कोनो स्वशासी जिलाक क्षेत्र घटा सकत;

(च) दू वा बेसी स्वशासी जिला सब वा ओकर भाग सभकेँ मिला सकत जाहिसँ एकटा जिला बनि सकए;

⁵[(चच) कोनो स्वशासी जिलाक नाममे परिवर्तन क' सकत;]

(छ) कोनो स्वशासी जिलाक सीमा सभकेँ परिनिश्चित क' सकत;

¹ मिजोरम राज्य अधिनियम, 1986 (1986 केर 34) केर धारा 39 द्वारा (20-2-1987 सँ) किछु शब्दक स्थान पर प्रतिस्थापित।

² संविधान छठम अनुसूची (संशोधन) अधिनियम, 2003 (2003 केर 44) केर धारा 2 द्वारा असममे लागू होएबाक लेल पैरा 1 मे उप-पैरा (2) केर पश्चात, निम्नलिखित परंतुककेँ अंतःस्थापित क' संशोधित कएल गेल अर्थात् :-

“मुदा एहि उप-पैराक कोनो बात”, बोडोलैंड प्रादेशिक क्षेत्रकेँ जिला सब पर (7-9-2003 सँ) लागू नहि होएत।

³ पूर्वोत्तर क्षेत्र (पुनर्गठन) अधिनियम, 1971 (1971 केर 81) केर धारा 71 (i) आ आठम अनुसूची द्वारा (21-1-1972 सँ) भाग ‘क’ केर स्थान पर प्रतिस्थापित।

⁴ संविधान (उनचासम संशोधन) अधिनियम, 1984 केर धारा 4 द्वारा (1-4-1985 सँ) “भाग 1 आ भाग 2” केर स्थान पर प्रतिस्थापित।

⁵ असम पुनर्गठन अधिनियम, 1969 (1969 केर 55) केर धारा 74 आ चारिम अनुसूची द्वारा (2-4-1970 सँ) अंतःस्थापित।

(छठम अनुसूची)

मुदा राज्यपाल एहि उप-पैरा केर खंड (ग), खंड (घ), खंड (ङ) आ खंड (च) केर अधीन कोनो आदेश एहि अनुसूचीक पैरा 14 केर उप-पैरा (1) केर अधीन नियुक्त आयोगक प्रतविदेन पर विचार कएलाक पश्चात् करत, अन्यथा नहि;

¹[मुदा ई आओर जे राज्यपाल द्वारा उप-पैराक अधीन कएल गेल आदेशमे एहन आनुषंगिक आ परिणामिक उपबंध (जकरा अंतर्गत पैरा 20 केर आ ओहि सारणी केर कोनो भागक कोनो मदक कोनो संशोधन अछि।) अंतर्विष्ट भ' सकत जे राज्यपालकें ओहि आदेशक उपबंध सबकें प्रभावी करबाक लेल आवश्यक बुझना जाइछ।]

2. जिला परिषद सभक आ क्षेत्रीय परिषद सभक गठन-³[(1) प्रत्येक स्वशासी जिलाक लेल एकटा जिला परिषद बनत जे तीससँ अनधिक सदस्य लोकनि सँ मिल क' बनत जाहिमे सँ चारिसँ अनधिक व्यक्ति राज्यपाल द्वारा नाम निर्देशित कएल जाएत आ शेष वयस्क मताधिकारक आधार पर निर्वाचित कएल जाएत।]

(2) एहि अनुसूचीक पैरा 1 केर उप-पैरा (2) केर अधीन स्वशासी प्रदेशक रूपमे गठित प्रत्येक क्षेत्रक लेल अलग प्रादेशिक परिषद होएत।

¹ पूर्वोत्तर क्षेत्र (पुनर्गठन) अधिनियम, 1971 (1971 केर 81) केर धारा 71 (i) आ आठम अनुसूची द्वारा (21-1-1972 सँ) अंतःस्थापित।

² संविधान छठम अनुसूची (संशोधन) अधिनियम, 2003 (2003 केर 44) केर धारा 2 द्वारा पैरा 12 असम राज्यकें लागू करबाक लेल निम्नलिखित रूपसँ संशोधित कएल गेल, अर्थात् :-

“मुदा ई, जे बोडोलैंड प्रादेशिक परिषद छियालीस सँ अनधिक सदस्यलोकनि सँ मिलकें बनत जाहिमे सँ चालीस सदस्य लोकनि सँ वयस्क मताधिकारक आधार पर निर्वाचित कएल जाएत; जाहिमे सँ तीस अनुसूचित जनजाति लोकनिक लेल, पाँच गैर जनजातीय समुदाय सभक लेल, पाँच सभ समुदायक लेल आरक्षित रहत एवं शेष छओ राज्यपाल द्वारा नाम निर्देशित कएल जाएत जिनक अधिकार आ विशेषाधिकार जेकर अंतर्गत मत देबाक अधिकार सेहो अछि; वएह होएत जे आन सदस्य लोकनि सँ अछि; बोडोलैंड प्रादेशिक क्षेत्र जिला सभक ओहि समुदाय सभमे सँ, जिनकर प्रतिनिधित्व नहि अछि, कम- सँ-कम दू गोटा महिला सदस्य होएत”।

संविधान छठम अनुसूची (संशोधन) अधिनियम, 1995 (1995 केर 42) केर धारा 2 द्वारा असममे लागू होएबाक लेल पैरा 2 मे उप-पैरा (3) केर पश्चात् निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित क' संशोधित कएल गेल, अर्थात्:-

“मुदा उत्तरी कछार पहाड़ी जिला सभक लेल गठित जिला परिषद, उत्तरी कछार पहाड़ी स्वशासी परिषद कहाओल जाएत आ कार्बी आंगलांग जिला सभक लेल गठित जिला परिषद, कार्बी आंगलांग स्वशासी परिषद कहाओत।”;

संविधानक छठम अनुसूची (संशोधन) अधिनियम, 2003 (2003 केर 44) केर धारा 2 द्वारा असममे लागू होएबाक लेल पैरा 2 केर उप-पैरा (3) मे परंतुक केर पश्चात् निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित क' संशोधित कएल गेल, अर्थात्:-

“मुदा ई आ जे बोडोलैंड प्रादेशिक क्षेत्र जिला सभक लेल गठित जिला परिषद बोडोलैंड प्रादेशिक परिषद कहाओत।”

¹ असम पुनर्गठन (मेघालय) अधिनियम, 1969 (1969 केर 55) केर धारा 74 आ चारिम अनुसूची द्वारा (2-4-1970 सँ) उप-पैरा (1) केर स्थान पर प्रतिस्थापित।

(3) प्रत्येक जिला परिषद आ प्रत्येक क्षेत्रीय परिषद क्रमशः “(जिला सभक नाम)” कें जिला परिषद आ “(प्रदेशक नाम)” क “प्रादेशिक परिषद” नामक निगमित निकाय होएत, ओकर शाश्वत उत्तराधिकार होएत आ ओकर सामान्य मुद्रा होएत आ उक्त नामसँ ओ वाद आनत आ ओहि पर वाद आनल जाएत ।

(4) एहि अनुसूचीक उपबंध सभक अधीन रहैत स्वशासी जिला सभक प्रशासन एहन जिलाक जिला परिषदमे ओतए धरि निहित रहत जाधरि ओ एहि अनुसूची केर अधीन एहन जिलाक भीतर कोनो क्षेत्रीय परिषदमे निहित नहि अछि आ स्वशासी प्रदेशक प्रशासन एहन प्रदेशक क्षेत्रीय परिषदमे निहित होएत ।

(5) क्षेत्रीय परिषदवला स्वशासी जिला सभमे क्षेत्रीय परिषदक प्राधिकारीक अधीन क्षेत्र सभक संबंधमे जिला परिषदकें, एहि अनुसूची द्वारा एहन क्षेत्र सभक संबंधमे प्राप्त शक्ति सभक अतिरिक्त कोनो एहन शक्ति सब होएत जे ओकरा क्षेत्रीय परिषद द्वारा प्रत्यायोजित कएल जाएत ।

(6) राज्यपाल, संबंधित स्वशासी जिला सब वा क्षेत्रक भीतर विद्यमान जनजाति परिषद सभ वा अन्य प्रतिनिधि जनजाति संगठनसँ परामर्श कए, जिला परिषद आ क्षेत्रीय परिषदक पहिल गठनक लेल नियम बनाओल जाएत आ एहन नियम सभमे निम्नलिखितक लेल उपबंध कएल जाएत, अर्थात् :-

(क) जिला परिषद आ क्षेत्रीय परिषदक संरचना एवं ओहिमे स्थान सभक आवंटन;

(ख) ओहि परिषद सभक लेल निर्वाचन सभक प्रयोजनक लेल क्षेत्रीय निर्वाचन-क्षेत्र सभक परिसीमन;

(ग) एहन निर्वाचन सभमे मतदानक लेल अर्हता आ ओकरा लेल निर्वाचक नामावलीक तैयारी;

(घ) एहन निर्वाचन सभमे एहन परिषद सभक सदस्य निर्वाचित होएबाक लेल अर्हता;

(ङ) ¹[क्षेत्रीय परिषद] सभक सदस्य लोकनिक पदावधि;

¹ असम पुनर्गठन (मेघालय) अधिनियम, 1969 (1969 केर 55) केर धारा 74 आ चारिम अनुसूची द्वारा (2-4-1970 सँ) “एहन परिषद” सभक स्थान पर प्रतिस्थापित ।

(छठम अनुसूची)

(च) एहन परिषद सभक लेल निर्वाचन वा नाम निर्देशनसँ संबंधित वा संसक्त कोनो अन्य विषय;

(छ) जिला परिषद सभक आ क्षेत्रीय परिषद सभक प्रक्रिया आ ओकर काजक संचालन ¹[जाहि अंतर्गत कोनो रिक्ति रहलाक बादो काज करबाक शक्ति अछि];

(ज) जिला आ क्षेत्रीय परिषद सभक अधिकारीगण आ कर्मचारी लोकनिक नियुक्ति ।

¹[(6क) जिला परिषदक निर्वाचित सदस्य, जँ जिला परिषद पैरा 16 केर अधीन पहिनेसँ ओकर विघटन नहि कएल जाइत अछि, तँ परिषदक लेल साधारण निर्वाचनक पश्चात् परिषदक प्रथम अधिवेशनक लेल नियत तिथिसँ पाँच सालक अवधि धरि पद धारण करत आ नाम निर्देशित सदस्य राज्यपालक प्रसादपर्यंत पद धारण करत ।

मुदा पाँच सालक ओहि अवधिकँ, जखन-जखन आपातक उद्घोषणा प्रवर्तनमे रहैत अछि तखन वा जँ एहन परिस्थिति सब विद्यमान रहैत अछि, जकरा कारण निर्वाचन कराएब राज्यपालक विचारमे असाध्य अछि, तँ, राज्यपाल एहन अवधिक लेल बढ़ा सकैत छथि जे एक बेरमे एक सालसँ अधिक नहि होएत आ जखन आपातक उद्घोषणा प्रवर्तनमे रहैछ तखन उद्घोषणाकँ प्रवृत्त नहि रहि जएबाक पश्चात् कोनो स्थितिमे ओकर विस्तार छओ मासक अवधिसँ बेसी नहि होएत:

मुदा ई आओर जे आकस्मिक रिक्तिकँ भारबाक लेल निर्वाचित सदस्य ओहि सदस्यक, जकर स्थान ओ ग्रहण करैत छथि, शेष पदावधिक लेल पद धारण करताह ।]

(7) जिला परिषद वा क्षेत्रीय परिषद स्वयं प्रथम गठनक पश्चात् [राज्यपालक अनुमोदनसँ] एहि पैरा केर उप-पैरा (6) मे विनिर्दिष्ट विषय सभक लेल नियम बना सकत आ ¹[ओहने अनुमोदनसँ]-

(क) अधीनस्थ स्थानीय परिषद सभ वा बोर्ड सभ बनाओल जाएत एवं ओकर प्रक्रिया आ ओकर कार्य संचालनक, आ

(ख) यथास्थिति, जिला वा क्षेत्रीय प्रशासनक विषयक कार्य करबासँ संबंधित साधारणतया सभ विषयक विनियमन करएवला नियम सब बना सकत ।

¹ असम पुनर्गठन (मेघालय) अधिनियम, 1969 (1969 केर 55) केर धारा 74 आ चारिम अनुसूची द्वारा (2-4-1970 सँ) अंतःस्थापित ।

मुदा जाधरि जिला परिषद वा क्षेत्रीय परिषद द्वारा एहि उप-पैरा केर अधीन नियम नहि बनाओल जाएत, ताधरि राज्यपाल द्वारा एहि पैरा केर उप-पैरा (6) केर अधीन बनाओल गेल नियम, प्रत्येक एहन परिषदक लेल निर्वाचन सब, ओकर अधिकारीगण आ कर्मचारी लोकनि एवं ओकर प्रक्रिया आ ओकर कार्य संचालनक संबंधमे प्रभावी होएत।

1 * * * *

23. विधि बनएबाक जिला परिषद सभक आ क्षेत्रीय परिषद सभक शक्ति-(1) स्वशासी प्रदेशक

¹ असम पुनर्गठन (मेघालय) अधिनियम, 1969 (1969 केर 55) केर धारा 74 आ चारिम अनुसूची द्वारा (2-4-1970 सँ) दोसर प्रावधानकें लोप कएल गेल।

² संविधान छठम अनुसूची (संशोधन) अधिनियम, 2003 (2003 केर 44) केर धारा 2 द्वारा (7-9-2003 सँ) पैरा 3 असम राज्यकें लागू करबामे निम्नलिखित रूपसँ संशोधित कएल गेल जाहिसँ उप-पैरा (3) निम्नलिखित रूपसँ प्रतिस्थापित भ' सकए, अर्थात् :-

“(3) पैरा 3 'क' उप-पैरा (2) वा पैरा 3 'ख' केर उप-पैरा (2) मे जेहन अन्यथा उपबंधित अछि, ओकर अतिरिक्त एहि पैरा वा पैरा 3 क कें उप-पैरा (1) वा पैरा 3 ख कें उप-पैरा (1) कें अधीन बनाओल गेल सब विधि राज्यपालक समक्ष शीघ्र प्रस्तुत कएल जाएत आ आधारि ओ ओहि पर अनुमति नहि द' दैत छथि ताधरि प्रभावी नहि होएत।”

3. संविधान छठम अनुसूची (संशोधन) अधिनियम, 1995 (1995 केर 42) केर धारा 2 द्वारा असम राज्यकें लागू होएबाक लेल पैरा 3 केर पश्चात् निम्नलिखित पैरा अंतःस्थापित कएल गेल, अर्थात् :-

“3 'क' उत्तरी कछार पहाड़ी स्वशासी परिषद आ कार्बी आंगलांग स्वशासी परिषदक विधि बनएबाक अतिरिक्त शक्ति सब”-(1) पैरा 3 केर उपबंध सब पर प्रतिकूल प्रभाव देने बिना उत्तरी कछार पहाड़ी स्वशासी परिषद आ कार्बी आंगलांग स्वशासी परिषदकें, संबंधित जिलाक भीतर निम्नलिखित विधि सब बनएबाक शक्ति होएत, अर्थात् :-

(क) सातम अनुसूचीक सूची 1 केर प्रविष्टि 7 आ प्रविष्टि 52 केर उपबंध सभक अधीन रहैत उद्योग;

(ख) संचार, अर्थात् सड़क, पुल, फेरी आ अन्य संचार साधन, जे सातम अनुसूची केर सूची 1 मे विनिर्दिष्ट नहि अछि, नगरपालिका ट्राम, रज्जुमार्ग, अंतर्देशीय जलमार्ग सभक संबंधमे सातम अनुसूचीक सूची 1 आ सूची 3 केर उपबंध सभक अधीन रहैत अंतर्देशीय जलमार्ग आ ओकरा पर यातायात, यात्रिक वाहन सबसँ भिन्न वाहन;

(ग) पशुधनक परिरक्षण, संरक्षण आ सुधार एवं जीवजंतु सभक रोगक निवारण, पशु चिकित्सा, प्रशिक्षण आ व्यवसाय; पशुशाला;

(घ) प्राथमिक आ माध्यमिक शिक्षा;

(ङ) कृषि जकर अंतर्गत कृषि शिक्षा आ अनुसंधान, नामक जीव सभसँ संरक्षण आ पादप रोगक निवारण अछि;

(च) मत्स्य उद्योग;

(छ) सातम अनुसूचीक सूची 1 केर प्रविष्टि 56 केर उपबंध सभक अधीन रहैत जल, अर्थात् जल प्रदाय, पटौनी आ नहर सब, जल निकासी आ तटबंध, जल भंडारण आ जलशक्ति;

(ज) सामाजिक सुरक्षा आ सामाजिक बीमा; नियोजन आ बेकारी;

(छठम अनुसूची)

- (झ) गाम सभमे धानक खेत, बाजार, शहर आदिक संरक्षणक लेल बाढ़ि नियंत्रण योजना सभ (जे तकनीकी प्रकृतिक नहि होअए);
- (ञ) नाट्यशाला आ नाट्यप्रदर्शन; सातम अनुसूचीक सूची 1 केर प्रविष्टि 60 केर उपबंध सभक अधीन रहैत, सिनेमा, खेलकूद, मनोरंजन आ आमोद-प्रमोद;
- (ट) लोक स्वास्थ्य आ स्वच्छता, अस्पताल आ औषधालय;
- (ठ) लघु सिंचाई;
- (ड) खाद्य पदार्थ, पशु चारा, काँच पटुआ आ काँच पटुआक व्यापार आ वाणिज्य एवं ओकर उत्पादन, आपूर्ति आ वितरण;
- (ढ) राज्य द्वारा नियंत्रित वा वित्तपोषित पुस्तकालय, संग्रहालय आ ओहने अन्य संस्था सभ संसद द्वारा बनाओल गेल विधि द्वारा वा ओकर अधीन राष्ट्रीय महत्त्वक घोषित कएल गेल प्राचीन आ ऐतिहासिक संस्मारक सभ आ अभिलेख सभसँ भिन्न प्राचीन आ ऐतिहासिक संस्मारक आ अभिलेख; आओर
- (ण) भूमिक अन्य संक्रमण ।

(2) पैरा 3 केर अधीन वा एहि पैरा केर अधीन उत्तरी कछार पहाड़ी स्वशासी परिषद आ कार्बी आंगलांग स्वशासी परिषद द्वारा बनाओल गेल सभ विधि; जाधरि ओकर संबंध सातम अनुसूचीक सूची 3 मे विनिर्दिष्ट विषय सभसँ अछि, राज्यपालक समक्ष शीघ्र प्रस्तुत कएल जाएत, जे ओकरा राष्ट्रपतिक विचारक लेल आरक्षित राखि लेल जाएत ।

(3) जखन कोनो विधि राष्ट्रपतिक विचारक लेल आरक्षित राखि लेल जाइत अछि तखन राष्ट्रपति घोषित करताह जे ओ उक्त विधि पर अनुमति दैत छथि वा अनुमति रोकि लैत छथि:

मुदा राष्ट्रपति राज्यपालकेँ ई निदेश दए सकताह जे ओ विधिकेँ, यथास्थिति, उत्तरी कछार पहाड़ी स्वशासी परिषद वा कार्बी आंगलांग स्वशासी परिषदकेँ एहन संदेशक संग ई अनुरोध करैत विधिकेँ घुरा दैथ जे उक्त परिषद विधि वा ओकर कोनो विनिर्दिष्ट उपबंध सब पर पुनर्विचार करए आ विशिष्टतया, कोनो एहन संशोधन सब पर पुनःस्थापनक वांछनीयता पर विचार करए जकर ओ अपन संदेशमे संस्तुति कएलनि अछि आ जखन विधि एहि प्रकारेँ विधि घुरा देल जाइत अछि, तखन एहन संदेश भेटबाक तिथिसँ छओ मासक अवधिक भीतर परिषद एहन विधि पर तदनुसार विचार करत आ जँ विधि उक्त परिषद द्वारा संशोधन सहित वा ओकर बिना फेरसँ पारित क' देल जाइत अछि तँ ओकरा राष्ट्रपतिक समक्ष विचारक लेल फेरसँ प्रस्तुत कएल जाएत ।

संविधान छठम अनुसूची (संशोधन) अधिनियम, 2003 (2003 केर 44) केर धारा 2 द्वारा असम राज्यकेँ लागू होएबाक लेल पैरा 3 'क' केर पश्चात् क्रमशः निम्नलिखित अंतःस्थापित कएल गेल, अर्थात्, :-

3ख. बोडोलैंड क्षेत्रीय परिषदक विधि सब बनएबाक अतिरिक्त शक्ति-(1) पैरा 3 केर उपबंध सब पर प्रतिकूल प्रभाव देने बिना बोडोलैंड क्षेत्रीय परिषदकेँ अपन क्षेत्र सभमे, निम्नलिखित केर संबंधमे विधि सब बनएबाक शक्ति होएत, अर्थात्:-

- कृषि, जकर, अंतर्गत कृषि शिक्षा आ अनुसंधान, नाशक जीव सबसँ संरक्षण आ पादप रोगक निवारण अछि; (ii) पशुपालन आ पशु चिकित्सा अर्थात्, पशुधनक परिरक्षण, संरक्षण आ सुधार एवं जीव-जंतु सभक रोग सभक निवारण, पशुचिकित्सा प्रशिक्षण आ व्यवसाय, पशुशाला; (iii) सहकारिता; (iv) सांस्कृतिक कार्य; (v) शिक्षा अर्थात् प्राथमिक शिक्षा, उच्चतर माध्यमिक शिक्षा जाहिमे वृत्तिक प्रशिक्षण, प्रौढ़ शिक्षा, महाविद्यालयक शिक्षा (सामान्य) सब अछि; (vi) मत्स्य उद्योग; (vii) ग्राम, धानक खेत, बाजार आ शहर सभक संरक्षणक लेल बाढ़ नियंत्रण (जे तकनीकी प्रकृतिक नहि होअए); (viii) खाद्य आ सिविल आपूर्ति; (ix) वन (आरक्षित वनकेँ छोड़िकए); (x) हथकरघा आ वस्त्र; (xi) स्वास्थ्य आ परिवार कल्याण; (xii) सातम अनुसूचीक सूची 1 केर

प्रविष्टि 84 केर उपबंध सभक अधीन रहैत मादक मद्य, अफीम आ व्युत्पन्न; (xiii) पट्टीनी; (xiv) श्रम आ रोजगार; (xv) भूमि आ राजस्व; (xvi) पुस्तकालय सेवा सब (राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित आ नियंत्रित); (xvii) लॉटरी (सातम अनुसूचीक सूची 1 केर प्रविष्टि 40 केर उपबंध सभक अधीन रहैत नाट्यशाला, नाट्यप्रदर्शन आ सिनेमा (सातम अनुसूचीक सूची 1 केर प्रविष्टि 60 केर उपबंध सभक अधीन रहैत); (xviii) बाजार आ मेला सब; (xix) नगर निगम, सुधारन्यास, जिला बोर्ड आ अन्य स्थानीय प्राधिकारी; (xx) राज्य द्वारा नियंत्रित वा वित्तपोषित संग्रहालय आ पुरातत्त्व विज्ञान संस्थान, संसद द्वारा बनाओल गेल कोनो विधि द्वारा वा ओकर राष्ट्रीय महत्वकें घोषित कएल गेल प्राचीन आ ऐतिहासिक संस्मारक सभ आ अभिलेख सबसँ भिन्न, प्राचीन आ ऐतिहासिक संस्मारक आ अभिलेख; (xxi) पंचायत आ ग्रामीण विकास; (xxii) योजना आ विकास; (xxiii) मुद्रण आ लेखन सामग्री; (xxiv) लोक स्वास्थ्य अभियांत्रिकी; (xxv) लोकनिर्माण विभाग; (xxvi) प्रचार आ लोकसंपर्क; (xxvii) जन्म आ मृत्युक पंजीकरण; (xxviii) सहायता आ पुनर्वास; (xxix) रेशम उत्पादन; (xxx) सातम अनुसूचीक सूची 1 केर प्रविष्टि 7 आ प्रविष्टि 52 केर उपबंध सभक अधीन रहैत लघु; कुटीर आ ग्रामीण उद्योग; (xxxi) समाज कल्याण; (xxxii) मृदा संरक्षण; (xxxiii) खेलकूद आ युवा कल्याण; (xxxiv) सांख्यिकी; (xxxv) पर्यटन; (xxxvi) परिवहन (सड़क, पुल, फेरी आ अन्य संचार साधन, जे सातम अनुसूचीक सूची 1 मे विनिर्दिष्ट नहि अछि, नगरपालिका ट्राम, रज्जुमार्ग, अन्तर्देशीय जलमार्ग सभक संदर्भमे सातम अनुसूचीक सूची 1 आ सूची 3 केर उपबंध सभक अधीन रहैत, अन्तर्देशीय जलमार्ग आ ओहि पर यातायात, यांत्रिक वाहन सबसँ भिन्न वाहन); (xxxvii) राज्य सरकार द्वारा नियंत्रित आ वित्तपोषित जनजातीय अनुसंधान संस्थान; (xxxviii) शहरी विकास-नगर आ ग्रामीण योजना); (xxxix) सातम अनुसूचीक सूची 1 केर प्रविष्टि 50 केर उपबंध सभक अधीन रहैत बटखरा आ माप-तौल; आ (XL) मैदानी जनजातीय आ पिछड़ल वर्ग लोकनिक कल्याण;

मुदा एहन विधि सभक कोनो बात, --

- (क) एहि अधिनियमक प्रारंभक तिथि पर कोनो नागरिककें ओकर भूमिक संबंधमे विद्यमान अधिकार सभक आ विशेषाधिकार सबकें समाप्त वा उपांतरित नहि करत; आ
 - (ख) कोनो नागरिककें विरासत, आवंटन, व्यवस्थापक रूपमे वा अंतरणक कोनो अन्य प्रक्रियासँ भूमि अर्जित करबा सँ अनुज्ञात नहि करत मुदा एहन नागरिक बोडोलैंड क्षेत्रीय क्षेत्र जिलाक भीतर भूमिक एहन अर्जनक लेल अन्यथा पात्र अछि ।
- (2) पैरा 3 केर अधीन वा एहि पैरा केर अधीन बनाओल गेल सब विधि, जाधरि ओकर संबंध सातम अनुसूचीक सूची 3 मे विनिर्दिष्ट विषय सबसँ अछि, राज्यपालक समक्ष शीघ्र प्रस्तुत कएल जाएत जे ओकरा राष्ट्रपतिक विचारक लेल आरक्षित राखत ।
 - (3) जखन कोनो विधि राष्ट्रपतिक विचारक लेल आरक्षित राखि लेल जाइत अछि, तखन राष्ट्रपति घोषित करताह जे ओ उक्त विधि पर अनुमति दैत छथि आ कि अनुमति रोकि लैत छथि:-
मुदा राष्ट्रपति राज्यपालकें ई संदेश द' सकताह जे ओ विधिकें, बोडोलैंड क्षेत्रीय परिषदकें एहन सूचनाक संग ई अनुरोध करैत घुरा सकैत छथि जे उक्त परिषद विधि वा ओकर कोनो विनिर्दिष्ट उपबंध सब पर पुनर्विचार करताह आ विशिष्टतया, कोनो एहन संशोधन सबकें पुनः स्थापित करबाक वांछनीयता पर विचार करताह जकर ओ एहि संदेशमे संस्तुति कएलनि अछि आ जे विधि एहि प्रकार घुरा देल जाइत अछि तखन उक्त परिषद, एहन संदेशक प्राप्तिक तिथिसँ छओ मासक अवधिकें भीतर एहन विधि पर तदनुसार विचार करताह आ जँ विधि उक्त परिषद द्वारा, संशोधन सहित वा ओकर बिना, फेरसँ पारित क' देल जाएत, तँ राष्ट्रपतिक समक्ष ओकर विचारक लेल प्रस्तुत कएल जाएत ।”

(छठम अनुसूची)

क्षेत्रीय परिषदक एहन क्षेत्रक भीतर सब क्षेत्रक संबंधमे आ स्वशासी जिलाक जिला परिषदकेँ एहन क्षेत्र सबकेँ छोड़िकए, जँ ओहि जिलाक भीतरक क्षेत्रीय परिषद सभक, जँ कोनो होअए, ओहि जिला सभक भीतरक आन सब क्षेत्रक संबंधमे निम्नलिखित विषय सभक लेल विधि बनएबाक शक्ति होएत, अर्थात् :-

(क) कोनो आरक्षित वनक भूमिसँ भिन्न आन भूमिक, कृषि वा चारागाहक प्रयोजन सभक लेल अथवा निवासक वा कृषिसँ भिन्न आन समस्त प्रयोजनक लेल अथवा कोनो एहन आन प्रयोजनक लेल जकर कोनो गाम वा नगरकेँ समस्त निवासीकेँ हितक अभिवृद्धि संभाव्य अछि, आवंटन, अधिभोग वा उपयोग अथवा अलग राखब;

मुदा एहन समस्त विधिक कोनो बात ¹[संबंधित राज्यक सरकारकेँ] अनिवार्य अर्जन प्राधिकृत करएवला तत्समय प्रवृत्त विधिक अनुसार कोनो भूमिक जँ ओ अधिभोगमे होअए वा नहि, लोक प्रयोजन सभक लेल अनिवार्य अर्जन करबासँ निवारित नहि करत;

(ख) कोनो एहन वनक प्रबंध जे आरक्षित वन नहि अछि;

(ग) कृषिक प्रयोजनक लेल कोनो नहर वा जल सरणीक उपयोग;

(घ) झूम केर पद्धतिक वा परवर्ती खेतीक आन पद्धति सभक विनियमन;

(ङ) गाम वा नगर समिति सभ वा परिषद सभक स्थापना आ ओकर शक्ति;

(च) गाम वा नगर प्रभासनसँ संबंधित कोनो आन विषय जकर अंतर्गत गाम वा नगर पुलिस आ लोक स्वास्थ्य आ स्वच्छता अछि;

(छ) प्रमुख वा मुखिया सभक नियुक्ति वा उत्तराधिकार;

(ज) संपत्तिक विरासत;

²[(झ) विवाह आ विवाह-विच्छेद;]

(ञ) सामाजिक प्रथा सभ ।

(2) एहि पैरामे, “आरक्षित वन” सँ एहन क्षेत्र अभिप्रेत होएत जे असम वन विनियम, 1991 केर अधीन वा प्रश्रुत क्षेत्रमे तत्समय प्रवृत्त कोनो आन विधिकेँ अधीन आरक्षित वन अछि ।

¹ पूर्वोत्तर क्षेत्र (पुनर्गठन) अधिनियम, 1971 (1971 केर 81) केर धारा 71 (i) आ आठम अनुसूची द्वारा (21-1-1972 सँ) कतिपय शब्दक स्थान पर प्रतिस्थापित ।

² असम पुनर्गठन (मेघालय) अधिनियम, 1969 (1969 केर 55) केँ धारा 74 आ चारिम अनुसूची द्वारा (2-4-1970 सँ) खंड ‘i’ केर स्थान पर प्रतिस्थापित ।

(3) एहि पैराक अधीन बनाओल गेल समस्त विधि राज्यपालक समक्ष तुरंत प्रस्तुत कएल जाएत आ जाधरि ओ ओकरा पर अनुमति नहि द' दैत छथि ताधरि प्रभावी नहि होएत।

14. स्वशासी जिला आ स्वशासी क्षेत्र सभमे न्याय प्रशासन-(1) स्वशासी प्रदेशक क्षेत्रीय परिषद एहन प्रदेशक भीतरक क्षेत्र सभक संबंधमे आ स्वशासी जिलाक जिला परिषद एहन क्षेत्रसँ भिन्न जे ओहि जिलाक भीतरक क्षेत्रीय परिषदकेँ, जँ कोनो होअए, प्राधिकारक अधीन अछि, ओहि जिलाक भीतर'क अन्य क्षेत्रक संबंधमे एहन वाद आ विषयक विचारणक लेल जे एहन पक्षकार सभक मध्य अछि, जाहिमेसँ समस्त पक्षकार एहन क्षेत्र सभक भीतरक अनुसूचित जनजाति सभक अछि एवं जे ओहि वाद आ विषयसँ भिन्न अछि, जकरा एहि अनुसूचीक पैरा 5 केर उप-पैरा (1) केर उपबंध लागू होइत अछि, ओहि राज्यक कोनो न्यायालयक अपवर्जन क' कए ग्राम परिषद सभ वा न्यायालय सभक गठन क' सकत आ उपयुक्त व्यक्ति सबकेँ एहन ग्राम परिषदक सदस्य वा एहन न्यायालयक पीठासीन अधिकारी नियुक्त क' सकत जे एहि अनुसूचीक पैरा 3 केर अधीन बनाओल गेल विधिकेँ प्रशासनक लेल आवश्यक होएत।

(2) एहि संविधानमे कोनो बातक रहैत स्वशासी क्षेत्रक क्षेत्रीय परिषद वा ओहि क्षेत्रीय परिषद द्वारा एहि निमित्त गठित कोनो न्यायालय वा जे कोनो स्वशासी जिला सभक भीतरक कोनो क्षेत्रक लेल कोनो क्षेत्रीय परिषद नहि अछि तँ, एहन जिला सभक जिला परिषद वा ओहि जिला परिषद द्वारा ओहि निमित्त गठित कोनो न्यायालय एहन समस्त वाद आ मामिला सभक संबंधमे जे, यथास्थिति एहन क्षेत्र वा क्षेत्रक भीतर एहि पैराक उप-पैरा (1) केर अधीन गठित कोनो ग्राम परिषद वा न्यायालय द्वारा विचारणीय अछि एवं जे ओहि वाद आ मामिला सबसँ भिन्न अछि जे एहि अनुसूचीक पैरा 5 केर उप-पैरा (1) केर उपबंध लागू होइत अछि अपील न्यायालयक शक्ति सभक प्रयोग करत एवं उच्च न्यायालय आ उच्चतम न्यायालयसँ भिन्न कोनो अन्य न्यायालयकेँ एहन वाद वा मामिला सभमे अधिकारिता नहि होएत।

(3) उच्च न्यायालय ^{2***} केँ ओहि वाद आ मामिला सभमे जे एहि पैराक उप-पैरा (2) केर उपबंध लागू होइत अछि, एहन अधिकारिता होएत आ ओ ओकर प्रयोग करत जे राज्यपाल समय-समय पर आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट करए।

¹ संविधानक छठम अनुसूची (संशोधन) अधिनियम, 2003 (2003 केर 44) केर धारा 2 द्वारा (7-9-2003 सँ) पैरा 4 असम राज्यकेँ लागू करबामे निम्नलिखित रूपसँ संशोधित कएल गेल जाहिसँ उप-पैरा (5) केर पश्चात-निम्नलिखित अंतःस्थापित कएल जाए सकए, अर्थात्:-

“(6) एहि पैराक कोनो बात, एहि अनुसूचीक पैरा 2 केर उप-पैरा (3) केर परंतुक केर अधीन गठित बोडोलैंड क्षेत्रीय परिषदक लेल लागू नहि होएत।”

² पूर्वोत्तर क्षेत्र (पुनर्गठन) अधिनियम, 1971 (1971 केर 81) केर धारा 71 (झ) आ आठम अनुसूची द्वारा (21-1-1972 सँ) “असम केँ” शब्दक लोप कएल गेल।

(छठम अनुसूची)

(4) यथास्थिति, क्षेत्रीय परिषद वा जिला परिषद राज्यपालक पूर्व अनुमोदनसँ निम्नलिखित केर विनियमनक लेल नियम बना सकत, अर्थात्:-

(क) ग्राम परिषद आ न्यायालयक गठन आओर एहि पैरा केर अधीन ओकर द्वारा प्रयोक्तव्य समस्त शक्ति;

(ख) एहि पैरा केर उप-पैरा (1) केर अधीन समस्त वाद आ मामिला केर विचारणमे ग्राम परिषद वा न्यायालय सभक द्वारा अनुसरण कएल जाएवला प्रक्रिया;

(ग) एहि पैरा केर उप-पैरा (2) केर अधीन अपील सभ आ आन कार्यवाही सभमे क्षेत्रीय परिषद वा जिला परिषद अथवा एहन परिषद द्वारा गठित कोनो न्यायालय द्वारा अनुसरण कएल जाएवला प्रक्रिया;

(घ) एहन परिषद सभ आ न्यायालय सभक निर्णय आ आदेश सभक प्रवर्तन;

(ङ) एहि पैरा केर उप-पैरा (1) आ उप-पैरा (2) केर उपबंध सभकेँ कार्यान्वित करबाक लेल आन आनुषंगिक विषय ।

¹[(5)] ओहि तिथिकेँ आ ओहि तिथिसँ जे राष्ट्रपति ²[संबंधित राज्यक सरकारसँ परामर्श करबाक पश्चात्] अधिसूचना द्वारा, एहि निमित्त नियत करथि, ई पैरा एहन स्वशासी जिला सभ वा स्वशासी क्षेत्रक संबंधमे, जे ओहि अधिसूचनामे विनिर्दिष्ट कएल जाए, ओहि प्रकारेँ प्रभावी होएत जेना-

(i) उप-पैरा (1) मे “जे एहन समस्त पक्षकारक मध्य अछि जाहिमे सब पक्षकारक एहन क्षेत्रक भीतरक अनुसूचित जनजाति सभक लेल अछि एवं जे ओहि वाद आ मामिलासँ अलग अछि, जकरा एहि अनुसूचीक पैरा 5 केर उप-पैरा (1) केर उपबंध लागू होइत अछि,” समस्त शब्दक स्थान पर, “जे एहि अनुसूचीक पैरा 5 केर उप-पैरा (1) मे निर्दिष्ट प्रकृतिक एहन वाद आ मामिला नहि अछि, जकरा राज्यपाल एहि निमित्त विनिर्दिष्ट करताह,” शब्द राखि देने होथि;

(ii) उप-पैरा (2) आ (3) केँ लोप क’ देल गेल;

(iii) उप-पैरा (4) मे-

(क) “यथास्थिति, क्षेत्रीय परिषद वा जिला परिषद, राज्यपालक पूर्व अनुमोदनसँ, निम्नलिखितक विनियमनक लेल नियम बना सकत, अर्थात्-शब्दक स्थान पर, “राज्यपाल निम्नलिखित केर विनियमक लेल नियम बना सकत, अर्थात्:-” शब्द पुनःस्थापित क’ देल गेल; आओर

¹ असम पुनर्गठन (मेघालय) अधिनियम, 1969 (1969 केर 55) केर धारा 74 आ चारिम अनुसूची द्वारा (2-4-1970 सँ) अंतःस्थापित ।

² पूर्वोत्तर क्षेत्र (पुनर्गठन) अधिनियम, 1971 (1971 केर 81) केर धारा 71 (i) आ आठम अनुसूची द्वारा (21-1-1972 सँ) कतिपय शब्दक स्थान पर प्रतिस्थापित ।

(ख) खंड (क) केर स्थान पर, निम्नलिखित खंड राखि देल गेल, अर्थात्:-

“(क) ग्राम परिषद आ न्यायालय सभक गठन एहि पैरा केर अधीन ओकर द्वारा प्रयोक्तव्य शक्ति सब आ जे न्यायालय जकर ग्राम परिषद आ न्यायालय सभक निर्णयसँ अपील भ’ सकत;”

(ग) खंड (ग) केर स्थान पर, निम्नलिखित खंड राखि देल गेल, अर्थात् :-

“(ग) क्षेत्रीय परिषद वा जिला परिषद अथवा एहन परिषद द्वारा गठित कोनो न्यायालयक समक्ष उप-पैरा (5) केर अधीन राष्ट्रपति द्वारा नियत तिथिसँ ठीक पहिने लिखित अपील सभ आ अन्य कार्यवाही सभक अंतरण”; आ

(घ) खंड (ङ) मे “उप-पैरा (1) आ उप-पैरा (2)” शब्द कोष्टक आ अंक सभक स्थान पर, “उप-पैरा (1)” शब्द, कोष्टक आ अंक राखि देल गेल ।]

5. कतिपय वाद, मामिला आ अपराध सभक विचारणक लेल क्षेत्रीय परिषद आ जिला परिषद सबकेँ एवं कोनो न्यायालय आ अधिकारी लोकनिकेँ सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 आ दंड प्रक्रिया संहिता, 1898¹ केर अधीन शक्ति प्रदान कएल जाएब-(1) राज्यपाल, कोनो स्वशासी जिला वा स्वशासी प्रदेश सभमे कोनो एहन प्रवृत्त विधिसँ, जे एहन विधि अछि जकरा राज्यपाल एहि निमित्त विनिर्दिष्ट करए, उद्भूत वाद वा मामिलाकेँ विचारणक लेल अथवा भारतीय दंड संहिताक अधीन वा एहन जिला वा क्षेत्रमे तत्समय लागू कोनो आन विधिक अधीन मृत्युसँ, आजीवन निर्वासनसँ वा पाँच सालसँ अन्यून अवधिक लेल कारावाससँ दंडनीय अपराध सभक विचारणक लेल, एहन जिला वा क्षेत्र पर प्राधिकार राखएबला जिला परिषद वा क्षेत्रीय परिषदकेँ अथवा एहन जिला परिषद द्वारा गठित न्यायालयक सबकेँ अथवा राज्यपाल द्वारा एहि निमित्त नियुक्त कोनो अधिकारीकेँ यथास्थिति, सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 वा दंड प्रक्रिया संहिता, 1898¹ केर अधीन एहन शक्ति सब प्रदान क’ सकत जे ओ समुचित बुझए, आ तखन, उक्त परिषद, न्यायालय वा अधिकारी एहि प्रकारेँ प्रदत्त शक्ति सभक प्रयोग करैत वाद, मामिला वा अपराध सभक विचार करत ।

(2) राज्यपाल, एहि पैराक उप-पैरा (1) केर अधीन कोनो जिला परिषद, क्षेत्रीय परिषद, न्यायालय वा अधिकारीकेँ प्रदत्त समस्त शक्तिमे सँ कोनो शक्तिकेँ आपस ल’ सकत वा उपांतरित क’ सकत ।

(3) एहि पैरामे अभिव्यक्त रूपसँ यथा उपबंधितक अतिरिक्त, सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 आ दंड प्रक्रिया संहिता, 1898¹ कोनो स्वशासी जिला सभमे वा कोनो स्वशासी प्रदेशमे, जाहि पर

¹ दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 केर 2) देखू ।

(छठम अनुसूची)

एहि पैरा केर उपबंध लागू होइत अछि, कोनो बाद, मामिला वा अपराध सभक विचारक लेल लागू नहि होएत ।

¹[(4) राष्ट्रपति द्वारा कोनो स्वशासी जिला सभक वा स्वशासी क्षेत्रक संबंधमे पैरा 4 केर उप-पैरा (5) केर अधीन नियत तिथिकेँ आओर ओहि तिथिसँ ओहि जिला सभ वा क्षेत्रमे लागू होएबामे एहि पैराक कोनो बातक संबंधमे ई नहि बूझल जाएत जे ओ कोनो जिला परिषद वा क्षेत्रीय परिषदकेँ वा जिला परिषद द्वारा गठित न्यायालय सबकेँ एहि पैराक उप-पैरा (1) मे विनिर्दिष्ट शक्ति सभमे सँ कोनो शक्ति प्रदान करबाक लेल राज्यपालकेँ प्राधिकृत करैत अछि]

²[6 **प्राथमिक विद्यालय, आदि स्थापित करबाक जिला परिषदक शक्ति**-(1) स्वशासी जिलामे जिला परिषद् प्राथमिक विद्यालय, औषधालय, बजार, ³[पशुशाला,], फेरी, मत्स्यक्षेत्र, सड़क, सड़क परिवहन आ जलमार्ग सभक स्थापना, निर्माण आ प्रबंध क' सकत एवं राज्यपालक पूर्व अनुमोदनसँ, ओकर विनियमन आ नियंत्रणक लेल विनियम बना सकत आ, विशिष्टतया, ओ भाषा आ ओ प्रक्रिया विहित क' सकत, जाहिसँ जिलाक प्राथमिक विद्यालय सभमे प्राथमिक शिक्षा देल जाएत ।

(2) राज्यपाल, जिला परिषदक सहमतिसँ ओहि परिषदकेँ वा ओकर अधिकारी लोकनिकेँ कृषि, पशुपालन, सामुदायिक परियोजना सभ, सहकारी समिति सभ, समाज कल्याण, ग्राम योजना वा कोनो आन एहन विषयक संबंधमे, जाहि पर ⁴**** राज्यक कार्यपालिका शक्तिक विस्तार अछि, कार्य सशर्त वा बिना शर्त सौंपि सकत ।

7. जिला आ क्षेत्रीय निधि सब-(1) प्रत्येक स्वशासी जिला सभक लेल एकटा जिला निधि आ प्रत्येक स्वशासी क्षेत्रक लेल एकटा क्षेत्रीय निधि गठित कएल जाएत जाहिमे क्रमशः ओहि जिला सभक जिला परिषद द्वारा आ ओहि क्षेत्रक क्षेत्रीय परिषद द्वारा एहि संविधानक उपबंध सभक अनुसार, यथास्थिति, ओहि जिला सभक वा क्षेत्रक प्रशासनकेँ अनुक्रममे प्राप्त सब धनराशि जमा कएल जाएत ।

¹ असम पुनर्गठन (मेघालय) अधिनियम, 1969 (1969 केर 55) केर धारा 74 आ चारिम अनुसूची द्वारा (2-4-1970 सँ) अंतःस्थापित ।

² असम पुनर्गठन (मेघालय) अधिनियम, (1969 केर 55) केर धारा 74 आ चारिम अनुसूची द्वारा (2-4-1970 सँ) पैरा 6 केर स्थान पर प्रतिस्थापित ।

³ निरसन आ संशोधन अधिनियम, 1974 (1974 केर 56) केर धारा 4 द्वारा (20-12-1974 सँ) “ पशुशाला” केर स्थान पर प्रतिस्थापित ।

⁴ पूर्वोक्त क्षेत्र (पुनर्गठन) अधिनियम, (1971 केर 81) केर धारा 71 (i) आ आठम अनुसूची द्वारा (21-1-1972 सँ) “यथास्थिति, असम वा मेघालय” शब्द सभक लोप कएल गेल ।

¹[(2) राज्यपाल, यथास्थिति, जिला निधि वा क्षेत्रीय निधिक प्रबंधक लेल आ उक्त निधिमे धन जमा करब, ओहिमे सँ धनराशि निकालब, ओकर धनक अभिरक्षा आ पूर्वोक्त विषय सबसँ संबंधित वा आनुषंगिक कोनो आन विषयक संबंधमे अनुसरण कएल जाएवला प्रक्रियाक लेल नियम बना सकताह।

(3) यथास्थिति, जिला परिषद वा क्षेत्रीय परिषदक लेखा सब एहन प्रारूपमे राखल जाएत जे भारतक नियंत्रक-महालेखापरीक्षक राष्ट्रपतिक अनुमोदनसँ, विहित करए।

(4) नियंत्रक-महालेखापरीक्षक जिला परिषदक लेखा सभक संपरीक्षा एहन प्रक्रियासँ कराओल जाएत जे ओ ठीक बूझथि आ नियंत्रक-महालेखापरीक्षककें एहन लेखा सबसँ संबंधित प्रतिवेदन राज्यपालक समक्ष प्रस्तुत कएल जाएत जे ओकरा परिषदक समक्ष रखबाओत।]

8. भू-राजस्वक निर्धारण आ संग्रहण करबाक एवं कर केर अधिरोपण करबाक शक्ति-(1) स्वशासी क्षेत्रक भीतरक समस्त भूमिक संबंधमे एहन क्षेत्रक क्षेत्रीय परिषदकें आ जे जिला सभमे कोनो क्षेत्रीय परिषद अछि तँ ओकर प्राधिकारक अधीन आबयबला क्षेत्र सभमे स्थित भूमि सबकें छोड़ि कए जिला सभक भीतरक समस्त भूमिक संबंधमे स्वशासी जिला सभक जिला परिषदक एहन भूमिक संबंधमे ओहि सिद्धांतक अनुसार राजस्वक निर्धारण आ संग्रहण करबाक शक्ति होएत जकर ²[साधारणतया राज्यमे भू-राजस्वक प्रयोजनक लेल भूमिक निर्धारणमे राज्यक सरकार द्वारा तत्समय अनुसरण कएल जाइत अछि।]

(2) स्वशासी क्षेत्रक भीतरक क्षेत्र सभक संबंधमे एहन क्षेत्रक, क्षेत्रीय परिषदकें आ स्वशासी जिला सभमे परिषद अछि तँ ओकर प्राधिकारक अधीन आबएवला क्षेत्र सबकें छोड़ि कए जिला सभक भीतरक समस्त क्षेत्रक संबंधमे स्वशासी जिलाक जिला परिषदकें, भूमि आ भवन सभ पर कर सभक एवं एहन क्षेत्र सभमे रहएवला लोक सभ पर पथकर केर उद्ग्रहण आ संग्रहण करबाक शक्ति होएत।

(3) स्वशासी जिला सभक जिला परिषदकें एहन जिला सभक भीतर निम्नलिखित सभ वा कोनो कर सभक उद्ग्रहण आ संग्रहण करबाक शक्ति होएत, अर्थात्:-

(क) वृत्ति, व्यापार, आजीविका आ नियोजन पर कर;

(ख) जीवजंतु, वाहन आ नौका सब पर कर;

¹ असम पुनर्गठन (मेघालय) अधिनियम, 1969 (1969 केर 55) केर धारा 74 आ चारिम अनुसूची द्वारा (2-4-1970 सँ) उप-पैरा (2) केर स्थान पर प्रतिस्थापित।

² पूर्वोक्त क्षेत्र (पुनर्गठन) अधिनियम, 1971 (1971 केर 81) केर धारा 71 (i) आ आठम अनुसूची द्वारा (21-1-1972 सँ) किछु शब्द सभक स्थान पर प्रतिस्थापित।

(छठम अनुसूची)

(ग) कोनो बाजारमे विक्रयक लेल वस्तुक प्रवेश पर कर आ फेरीसँ ल' जाएवला यात्री आ वस्तु सभ पर पथकर;¹***

(घ) विद्यालय, औषधालय वा सड़क सबकेँ रख-रखाव करबाक लेल कर;²[आओर]

³[(ङ) मनोरंजन आ आमोद-प्रमोद पर कर।]

(4) एहि पैरा केर उप-पैरा (2) आ उप-पैरा (3) मे विनिर्दिष्ट कर सभमे सँ कोनो कर केर उद्ग्रहण आ संग्रहणक उपबंध करबाक लेल, यथास्थिति, क्षेत्रीय परिषद वा जिला परिषद विनियम बना सकत ⁴[आ एहन प्रत्येक विनियम राज्यपालक समक्ष तुरंत प्रस्तुत कएल जाएत आ जाधरि ओ ओहि पर अनुमति नहि द' दैत अछि ताधरि ओकर कोनो प्रभाव नहि होएत।]

⁵9. खनिज सभक पूर्वेक्षण वा निष्कर्षणक प्रयोजनक लेल अनुज्ञप्ति अथवा पट्टा सभ-

(1) कोनो स्वशासी जिलाक भीतरक कोनो क्षेत्रक संबंधमे ⁶[राज्यक सरकार] द्वारा खनिज सभक पूर्वेक्षण वा निष्कर्षणक प्रयोजनक लेल देल गेल अनुज्ञप्ति वा पट्टा सबसँ प्रत्येक वर्ष प्रोद्भूत होमयवला स्वामित्वक एहन भाग, जिला परिषदकेँ देल जाएत जे ओहि ⁶[राज्यक सरकार] आ एहन जिला सभक जिला परिषदक बीच अनुबंध पाओल जाए।

(2) जँ जिला परिषदकेँ देल जाएवला एहन स्वामित्वक अंशक विषयमे कोनो विवाद उत्पन्न होइत अछि, तँ ओ राज्यपालकेँ अवधारणाक लेल निर्देशित कएल जाएत आ राज्यपाल द्वारा अपन विवेकक अनुसार सुनिश्चित रकम एहि पैरा केर उप-पैरा (1) केर अधीन जिला परिषदकेँ भुगतेय राशि बूझल जाएत आ राज्यपालक निर्णय अंतिम होएत।

¹ संविधान (एक सए एकम संशोधन)। अधिनियम, 2016 केर धारा 16 (i) द्वारा (16-9-2016 सँ) “आओर” शब्दक लोप कएल गेल।

² संविधान (एक सए एकम संशोधन) अधिनियम, 2016 केर धारा 16 (ii) द्वारा (16-9-2016 सँ) अंतःस्थापित।

³ संविधान (एक सए एकम संशोधन) अधिनियम, 2016 केर धारा 16 (iii) द्वारा (16-9-2016 सँ) अंतःस्थापित।

⁴ असम पुनर्गठन (मेघालय) अधिनियम, 1969 (1969 केर 55) केर धारा 74 आ चारिम अनुसूची द्वारा (2-4-1970 सँ) अंतःस्थापित।

⁵ संविधान छठम अनुसूची (संशोधन) अधिनियम, 1988 (1988 केर 67) केर धारा 2 द्वारा (16-12-1988 सँ) पैरा 9 त्रिपुरा आ मिजोरम राज्य सभकेँ लागू करबामे निम्नलिखित रूपसँ संशोधित कएल गेल जाहिसँ उप-पैरा (2) केर पश्चात् निम्नलिखित उप-पैरा अंतःस्थापित कएल जाए सकत, अर्थात्:-

“(3) राज्यपाल, आदेश द्वारा, ई निदेश द' सकत जे एहि पैरा केर अधीन जिला परिषदकेँ देल जाएवला स्वामित्वक भाग ओहि परिषदकेँ, यथास्थिति, उप-पैरा (1) केर अधीन कोनो अनुबंध वा उप-पैरा (2) केर अधीन कोनो अवधारणक तिथिसँ एक वर्षक अवधिक भीतर कएल जाएत।”

⁶ पूर्वोत्तर क्षेत्र (पुनर्गठन) अधिनियम, 1971 (1971 केर 81) केर धारा 71 (i) आ आठम अनुसूची द्वारा (21-1-1972 सँ) “असम सरकार”क स्थान पर प्रतिस्थापित।

¹10. जनजाति सभसँ भिन्न व्यक्तिसभक साहूकारी आ व्यापारक नियंत्रणक लेल विनियम बनएबाक जिला परिषदक शक्ति-(1) स्वशासी जिलाक जिला परिषद ओहि जिला सभमे निवासी जनजाति लोकनिसँ भिन्न व्यक्ति लेल ओहि जिलाक भीतर साहूकारी वा व्यापारक विनियमन आ नियंत्रणक लेल विनियम बना सकत।

(2) विशिष्टतया आ पूर्वगामी शक्तिक व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़लाक बिना, एहन विनियम-

(क) विहित क' सकत जे ओहि निमित्त देल गेल अनुज्ञप्तिक धारककें अतिरिक्त आओर कोनो अनुज्ञप्ति प्राप्त व्यक्तिसँ भिन्न कोनो व्यक्ति साहूकारीक कारोबार नहि करत;

(ख) साहूकार द्वारा प्रभारित वा वसूल कएल जाएवला सूदक अधिकतम दर विहित क' सकत;

(ग) साहूकार सभक द्वारा लेखा सभ राखल जाएवला आ जिला परिषद सभक द्वारा एहि निमित्त नियुक्त अधिकारी सभक द्वारा एहन लेखा सभक निरीक्षणक उपबंध क' सकत;

(घ) विहित क' सकत जे कोनो व्यक्ति, जे जिला सभमे निवासी अनुसूचित जनजाति सभक सदस्य नहि अछि, जिला परिषद द्वारा एहि निमित्त देल गेल अनुज्ञप्तिक अधीन कोनो वस्तुक थोक वा फुटकर कारोबार करत, अन्यथा नहि:

¹ संविधान छठम अनुसूची (संशोधन) अधिनियम, 1988 (1988 केर 67) केर धारा 2 द्वारा (16-12-1988 सँ) पैरा 10 त्रिपुरा आ मिजोरम राज्य सभकें लागू करबामे निम्नलिखित रूपसँ संशोधित कएल गेल:

(क) शीर्षकमे सँ “जनजाति सबसँ भिन्न व्यक्ति सभक” शब्द सभक लोप कएल जाएत;

(ख) उप-पैरा (1) मे सँ “जनजाति सबसँ भिन्न” शब्द सभक लोप कएल जाएत;

(ग) उप-पैरा (2) मे, खंड (घ) केर स्थान पर, निम्नलिखित खंड राखल जाएत, अर्थात् :-

“(घ) विहित क' सकत जे कोनो व्यक्ति, जे जिलाक निवासी अछि जिला परिषद द्वारा एहि निमित्त देल गेल अनुज्ञप्तिक अधीन कोनो थोक वा फुटकर व्यापार करत अन्यथा नहि।”

(छठम अनुसूची)

मुदा एहि पैरा केर अधीन एहन विनियम ताधरि नहि बनाओल जाए सकत जाधरि जिला परिषदक कुल सदस्य संख्याक कम-सँ-कम तीन-चौथाई बहुमत द्वारा पारित नहि क' देल जाइत अछि:-

मुदा ई आओर जे एहन कोनो विनियमक अधीन कोनो एहन साहूकार वा व्यापारीकें जे एहन विनियमन सभक बनाओल जएबाक पहिनेसँ एहि जिला सभक भीतर कारोबार करैत रहैत अछि, अनुज्ञप्ति देबासँ मना करबाक लेल सक्षम नहि होएत।

(3) एहि पैरा केर अधीन बनाओल गेल सभ विनियम राज्यपालक समक्ष तुरंत प्रस्तुत कएल जाएत आ जाधरि ओ ओहि पर अनुमति नहि द' दैत छथि ताधरि ओकर कोनो प्रभाव नहि होएत।

* * * *

11. अनुसूचीक अधीन बनाओल गेल विधि नियम आ विनियम सभक प्रकाशन-जिला परिषद वा प्रादेशिक परिषद द्वारा एहि अनुसूचीक अधीन बनाओल गेल सब विधि, नियम आ विनियम राज्यक राजपत्रमे तुरंत प्रकाशित कएल जाएत आ एहन प्रकाशन पर विधिक बल रहत।

****_***12. ¹[असम राज्यमे स्वशासी जिला आ स्वशासी प्रदेश सभकें संसदक आओर असम राज्यक विधान-मंडलक अधिनियम सभक लागू होएब]-(1) एहि संविधानमे कोनो बातक रहैत, -**

* संविधान छठम अनुसूची (संशोधन) अधिनियम, 2003 (2003 केर 44) केर धारा 2 द्वारा (7-9-2003 सँ) पैरा 10 असम राज्यकें लागू करबामे निम्नलिखित रूपसँ संशोधित कएल गेल जाहिमे उप-पैरा (3) केर पश्चात् निम्नलिखित अंतःस्थापित कएल गेल:-

“(4) एहि पैरा केर कोनो बात, एहि अनुसूचीक पैरा 2 केर उप-पैरा (3) केर परंतुक केर अधीन गठित बोडोलैंड प्रादेशिक परिषदमे लागू नहि होएत।”

** संविधान छठम अनुसूची (संशोधन) अधिनियम, 1995 (1995 केर 42) केर धारा 2 द्वारा (12-9-1995 सँ) पैरा 12 असम राज्यकें लागू करबाक लेल निम्नलिखित रूपसँ संशोधित कएल गेल, अर्थात् :-

“पैरा 12 केर उप-पैरा (1) केर खंड (क) मे, “एहि अनुसूचीक पैरा 3 वा पैरा 3 ‘क’ मे एहन विषय सभक रूपमे विनिर्दिष्ट कएल गेल अछि” शब्द, अंक आ अक्षरक स्थान पर, “एहि अनुसूचीक पैरा 3 वा पैरा 3 ‘क’ वा पैरा 3 ‘ख’ मे एहन विषय सभक रूपमे विनिर्दिष्ट कएल गेल अछि” शब्द, अंक आ अक्षर राखल जाएत;

*** संविधान छठम अनुसूची (संशोधन) अधिनियम, 2003 (2003 केर 44) केर धारा 2 द्वारा (7-9-2003 सँ) पैरा 12 असम राज्यकें लागू करबाक लेल निम्नलिखित रूपसँ संशोधित कएल गेल, अर्थात् :-

पैरा 12 केर उप-पैरा (1) केर खंड (क) मे, “एहि अनुसूचीक पैरा 3 वा पैरा 3 ‘क’ मे एहन विषय सभक रूपमे विनिर्दिष्ट कएल गेल अछि” शब्द, अंक, आ अक्षरक स्थान पर, “एहि अनुसूचीक पैरा 3 ‘क’ वा पैरा 3 ‘ख’ मे एहन विषय सभक रूपमे विनिर्दिष्ट कएल गेल अछि” शब्द, अंक आ अक्षर राखल जाएत।

¹ पूर्वोत्तर क्षेत्र (पुनर्गठन) अधिनियम, 1971 (1971 केर 81) केर धारा 71 (i) आ आठम अनुसूची द्वारा (21-1-1972 सँ) शीर्षकक स्थान पर प्रतिस्थापित।

भारतक संविधान

(छठम अनुसूची)

(क) ¹[असम राज्यक विधान मंडल]क कोनो अधिनियम, जे एहन विषय सभमे सँ कोनो विषयक संबंधमे अछि जकरा एहि अनुसूचीक पैरा 3 मे एहन विषयसभक रूपमे विनिर्दिष्ट कएल गेल अछि, जकर संबंधमे जिला परिषद वा क्षेत्रीय परिषद विधि सभ बना सकत आ ¹[असम राज्यक विधान-मंडल]क कोनो अधिनियम, जे कोनो अनासुत एल्कोहली लिक्वर (मद्य रस)क उपभागकें प्रतिषिद्ध वा निर्बंधित करैत अछि, ²[ओहि राज्यमे] कोनो स्वशासी जिला सभ वा स्वशासी क्षेत्रमे ताधरि लागू नहि होएत जाधरि दुनू दशा सभमे सँ प्रत्येकमे एहन जिला सभक जिला परिषद वा एहन क्षेत्र पर अधिकारिता राखए वला जिला परिषद, लोक अधिसूचना द्वारा, एहि प्रकारें निदेश नहि द' दैत अछि आ जिला परिषद कोनो अधिनियमक संबंधमे एहन निदेश दैत काल ओ निदेश द' सकत जे ओ अधिनियम एहन जिला सभ वा क्षेत्र वा ओकर कोनो भागमे लागू होएबामे एहन अपवाद वा उपांतरण सभक अधीन रहैत प्रभावी होएत जे ओ ठीक बूझए;

(ख) राज्यपाल, लोक अधिसूचना द्वारा, निदेश द' सकत जे संसदक वा ¹[असम राज्यक विधान मंडल]क कोनो अधिनियम, जे एहि उप-पैरा केर खंड (क) केर उपबंध लागू नहि होएत ²[ओहि राज्यमे] कोनो स्वशासी जिला सभ वा स्वशासी क्षेत्रमे लागू नहि होएत अथवा एहन जिला सभ वा क्षेत्र वा ओकर कोनो भागकें एहन अपवाद वा उपांतरण सभक अधीन रहैत लागू होएत जे ओ एहि अधिसूचनामे विनिर्दिष्ट करए।

(2) एहि पैरा केर उप-पैरा (1) केर अधीन देल गेल कोनो निदेश एहि प्रकारें देल जाए सकत जे ओकर भूतलक्षी प्रभाव होए।

³[12क. मेघालय राज्यमे स्वशासी जिला आओर स्वशासी क्षेत्र सभकें संसदक आ मेघालय राज्यक विधान-मंडलक अधिनियम सभक लागू होएब-एहि संविधानमे कोनो बातक रहैत-]

¹ पूर्वोत्तर क्षेत्र (पुनर्गठन) अधिनियम, (1971 केर 81) केर धारा 71 (i) आ आठम अनुसूची द्वारा (21-1-1972 सँ) “राज्यक विधान-मंडल”क स्थान पर प्रतिस्थापित।

² पूर्वोत्तर क्षेत्र (पुनर्गठन) अधिनियम, 1971 (1971 केर 81) केर धारा 71 (i) आ आठम अनुसूची द्वारा (21-1-1972 सँ) प्रतिस्थापित।

³ पूर्वोत्तर क्षेत्र (पुनर्गठन) अधिनियम, 1971 (1971 केर 81) केर धारा 71 (i) आ आठम अनुसूची द्वारा (21-1-1972 सँ) पैरा 12 ‘क’ केर स्थान पर प्रतिस्थापित।

(छठम अनुसूची)

(क) जँ एहि अनुसूचीक पैरा 3 केर उप-पैरा (1) मे विनिर्दिष्ट विषय सभमे सँ कोनो विषयक संबंधमे मेघालय राज्यक कोनो जिला परिषद वा क्षेत्रीय परिषद द्वारा बनाओल गेल कोनो विधिक कोनो उपबंध वा जँ एहि अनुसूचीक पैरा 8 वा पैरा 10 केर अधीन ओहि राज्यमे कोनो जिला परिषद वा क्षेत्रीय परिषद द्वारा बनाओल गेल कोनो विनियमक कोनो उपबंध, मेघालय राज्यक विधान-मंडल द्वारा ओहि विषयक संबंधमे बनाओल गेल कोनो विधि जे कोनो उपबंधक विरुद्ध अछि तँ, यथास्थिति, ओहि जिला परिषद वा प्रादेशिक परिषद द्वारा बनाओल गेल विधि वा बनाओल गेल विनियम, चाहे ओ मेघालय राज्यक विधान-मंडल द्वारा बनाओल गेल विधिसँ पहिने बनाओल गेल हो वा ओकर पश्चात् ओहि विरोधक मात्रा धरि शून्य होएत आ मेघालय राज्यक विधान-मंडल द्वारा बनाओल गेल विधि अभिभावी होएत;

(ख) राष्ट्रपति, संसदक कोनो अधिनियमक संबंधमे, अधिसूचना द्वारा निदेश द' सकत जे ओ मेघालय राज्यमे कोनो स्वशासी जिला सभ वा स्वशासी क्षेत्रमे लागू नहि होएत अथवा एहन जिला सभ वा क्षेत्र वा ओकर कोनो भागमे एहन अपवाद वा उपांतरण सभक अधीन रहैत लागू होएत जे ओ अधिसूचनामे विनिर्दिष्ट करए आ एहन कोनो निर्देश एहि प्रकारें देल जा सकत जे ओकर भूतलक्षी प्रभाव होअए।]

¹[12कक. त्रिपुरा राज्यमे स्वशासी जिला आओर स्वशासी प्रदेश सभमे संसदक आ त्रिपुरा राज्यक विधान मंडलक अधिनियम सभक लागू होएब-एहि संविधानमे कोनो बातक रहैत]

त्रिपुरा राज्यक विधान-मंडलक कोनो अधिनियम, जे एहन विषय सभमे सँ कोनो विषयक संबंधमे अछि जकरा एहि अनुसूचीक पैरा 3 मे एहन विषय सभक रूपमे विनिर्दिष्ट कएल गेल अछि जेकर संबंधमे जिला परिषद वा क्षेत्रीय परिषद विधि सब बना सकत, आ त्रिपुरा राज्यक विधान-मंडलक कोनो अधिनियम जे कोनो अनासुत एल्कोहालिक लिकर (मद्य रस)क उपभोगकें प्रतिषिद्ध वा निर्बंधित करैत अछि, ओहि राज्यमे कोनो स्वशासी जिला सभ वा स्वशासी प्रदेशमे ताधरि लागू नहि होएत जाधरि, दुनू दशा सभमे सँ प्रत्येकमे, ओहि जिला सभक जिला परिषद वा एहन क्षेत्र पर अधिकारिता राखए वला जिला परिषद लोक अधिसूचना द्वारा, एहि प्रकारें निदेश नहि द' दैत अछि आ जिला परिषद कोनो अधिनियमक संबंधमे एहन निदेश देबाक समय ओ निर्देश द' सकत जे अधिनियम ओहि जिला वा क्षेत्र वा ओकर कोनो भागकें लागू होएबामे एहन अपवाद वा उपांतरण सभक अधीन रहैत प्रभावी होएत जे ओ ठीक बुझए;

¹ पैरा 12 'कक' संविधान (उनचासम संशोधन) अधिनियम, 1984 केर धारा 4 द्वारा (1-4-1985 सँ) अंतःस्थापित कएल गेल आओर तत्पश्चात् संविधान छठम अनुसूची (संशोधन) अधिनियम, 1988 (1988 केर 67 केर धारा 2 द्वारा (16-12-1988 सँ) पैरा 12 'कक' आ 12 'ख' केर स्थान पर प्रतिस्थापित।

(ख) राज्यपाल, लोक अधिसूचना द्वारा निर्देश द' सकैत अछि जे त्रिपुरा राज्यक विधान-मंडलक कोनो अधिनियम, जे एहि उप-पैरा खंड (क) उपबंध लागू नहि होएत, ओहि राज्यमे कोनो स्वशासी जिला वा स्वशासी क्षेत्र पर लागू नहि होएत अथवा एहन जिला वा क्षेत्र आ ओकर कोनो भागक एहन अपवाद सभ वा उपांतरणक अधीन रहैत ओ लागू होएत जेना ओ ओहि अधिसूचनामे विनिर्दिष्ट करैत छथि;

(ग) राष्ट्रपति, संसदक कोनो अधिनियमक संबंधमे, अधिसूचना द्वारा निदेश द' सकैत छथि जे ओ त्रिपुरा राज्यमे कोनो स्वशासी जिला वा स्वशासी क्षेत्र पर लागू नहि होएत अथवा एहन जिला वा क्षेत्र वा ओकर कोनो भागक एहन अपवाद वा उपांतरण सभक अधीन रहैत लागू होएत जे ओ अधिसूचनामे विनिर्दिष्ट क' सकैत छथि आ एहन कोनो निदेश एहि प्रकारें देल जा सकैत अछि जे ओकर भूतलक्षी प्रभाव होअए।

[12ख. मिजोरम राज्यमे स्वशासी जिला आ स्वशासी प्रदेश सभकें संसद आओर मिजोरम राज्यक विधान-मंडलक अधिनियम सभक लागू होएब-एहि संविधानमे कोनो बातक होइतहुँ-

(क) मिजोरम राज्यक विधान-मंडलक कोनो अधिनियमक जे एहन विषय सभमे सँ कोनो विषयक संबंधमे अछि, जकरा एहि अनुसूचीक पैरा 3 मे एहन विषय सभक रूपमे विनिर्दिष्ट कएल गेल हो जकरा संबंधमे जिला परिषद वा क्षेत्रीय परिषद विधि सभ बना सकैत अछि आओर मिजोरम राज्यक विधान-मंडलक कोनो अधिनियम जे कोनो अनासुत एल्कोहलिक लिकर (मद्य रस)क उपभोग कें प्रतिबंधित वा निषेध करैत अछि, ओहि राज्यमे कोनो स्वशासी जिला वा स्वशासी क्षेत्रमे ताधरि लागू नहि होएत, जाधरि, दुनू दशामे सँ प्रत्येकमे, ओहि जिलाक जिला परिषद वा एहन क्षेत्र पर अधिकारिता राखए वला परिषद, लोक अधिसूचना द्वारा, एहि प्रकारक निदेश नहि दैत अछि आ जिला परिषद कोनो अधिनियमक संबंधमे एहन निर्देश दैत समय ई निदेश द' सकैत अछि जे ओ अधिनियम ओहि जिला वा क्षेत्र वा ओकर कोनो भागमे लागू होएबामे एहन अपवाद सभक वा उपांतरण सभक अधीन रहैत प्रभावी होएत, जे ओ ठीक बुझैत होअए;

(ख) राज्यपाल, लोक अधिसूचना द्वारा, निर्देश द' सकैत छथि जे मिजोरम राज्यक विधान-मंडलक कोनो अधिसूचना, जकरा एहि उप-पैरा केर खंड (क) केर उपबंध लागू नहि होइत अछि, ओहि राज्यमे कोनो स्वशासी जिला वा स्वशासी क्षेत्रमे लागू नहि होएत अथवा एहन जिला वा क्षेत्र वा ओकर कोनो भागक एहन अपवाद सभ वा उपांतरण सभक अधीन रहैत लागू होएत, जे ओ एहि अधिसूचनामे विनिर्दिष्ट करए;

(छठम अनुसूची)

(ग) राष्ट्रपति, संसदक कोनो अधिनियमक संबंधमे, अधिसूचना द्वारा निर्देश द' सकैत छथि जे ओ मिजोरम राज्यमे कोनो स्वशासी जिला वा स्वशासी क्षेत्रमे लागू नहि होएत अथवा एहन जिला वा क्षेत्र वा ओकर कोनो भागक एहन अपवाद सभ वा उपांतरण सभक अधीन रहैत लागू होएत, जे ओ अधिसूचनामे विनिर्दिष्ट क' सकैत छथि आओर एहन कोनो निर्देश एहि प्रकार देल जा सकैत अछि जे ओकर भूतलक्षी प्रभावी होए।

13. स्वशासी जिला सभसँ संबंधित अनुमानित प्राप्ति आ व्ययकें वार्षिक वित्तीय विवरणमे अलगसँ देखाओल जाएब-कोनो स्वशासी जिलासँ संबंधित अनुमानित प्राप्ति आ व्यय, जे ^{1***} राज्यक संचित निधिमे जमा होएबाक अछि वा ओहिमे सँ कएल जाएबाक अछि, पहिने जिला परिषदक समक्ष विचार-विमर्शक लेल राखल जाएत आ पुनः एहन विचार-विमर्शक पश्चात् अनुच्छेद 202 केर अधीन राज्यक विधान-मंडलक समक्ष राखल जाएवला वार्षिक वित्तीय विवरणमे पृथक् रूपसँ देखाओल जाएत।

²14. स्वशासी जिला सभ आओर स्वशासी क्षेत्र सभक प्रशासनक जाँच करब आओर ओहि पर प्रतिवेदन देबाक लेल आयोगक नियुक्ति-(1) राज्यपाल, राज्यमे स्वशासी जिला सभ आओर स्वशासी क्षेत्र सभक प्रशासनक संबंधमे अपना द्वारा विनिर्दिष्ट कोनो विषयक, जकर अंतर्गत एहि अनुसूचित पैरा 1 केर उप-पैरा (3) केर खंड (ग), खंड (घ), खंड (ङ) आओर खंड (च) मे विनिर्दिष्ट विषय अछि, जाँच करब आओर ओहि पर प्रतिवेदन देबाक लेल कोनो समय पर आयोग नियुक्त क' सकैत अछि, वा राज्यमे स्वशासी जिला सभ आ स्वशासी क्षेत्र सभक साधारणतया प्रशासन आ विशेष रूपसँ-

(क) एहन जिला सभ आ प्रदेश सभमे शैक्षिक आ चिकित्सा सुविधाक आ संचार केर प्रावधानक,

(ख) एहन जिला सभ आ प्रदेश सभक संबंधमे कोनो नव वा विशिष्ट विधानक आवश्यकता छल, आ

(ग) जिला परिषद सभ आ क्षेत्रीय परिषद सभ द्वारा बनाओल गेल विधि, नियम आ विनियम सभक प्रशासन;

आ आयोग द्वारा अनुसरण कएल जाएवला प्रक्रिया परिनिश्चित कए सकत।

¹ पूर्वोत्तर क्षेत्र (पुनर्गठन) अधिनियम, 1971 (1971 केर 81) केर धारा 71 (i) आ आठम अनुसूची द्वारा (21-1-1972 सँ) “असम” शब्दक लोप कएल गेल।

² संविधानक छठम अनुसूची (संशोधन) अधिनियम, 1995 (1995 केर 42) केर धारा 2 द्वारा पैरा 14 असम राज्यमे लागू होएबाक लेल निम्नलिखित रूपसँ संशोधित कएल गेल, अर्थात् ;

“पैरा 14 केर उप-पैरा (2) मे, “राज्यपालक ओहिसँ संबंधित अनुशंसा सभक संग” शब्द सभक लोप कएल जाएत।”

(2.) संबंधित मंत्री, प्रत्येक एहन आयोगक प्रतिवेदनकें, राज्यपालक ओहिसँ संबंधित अनुशंसा सभक संग, ओहि पर ¹[राज्यक सरकार] द्वारा कएल जएबाक लेल प्रस्तावित कार्यवाहीक संबंधमे व्याख्यात्मक ज्ञापन सहित, राज्यक विधान-मंडलक समक्ष रखताह ।

(3.) राज्यपाल राज्य सरकारक कार्यकें अपन मंत्रीसभक कार्य आवंटन करैत काल अपन मंत्री सभमे सँ एक मंत्रीकें राज्यक स्वशासी जिला सभ आ स्वशासी क्षेत्र सभक कल्याणक विशेष प्रभारी मंत्री बना सकैत छथि ।

²15.जिला आ क्षेत्रीय परिषद सभक कार्य सभ आओर संकल्प सभकें निरस्त वा निलंबन कएल जाएब-⁽¹⁾ जँ राज्यपालकें कोनो समय ई संतुष्टि भ’ जाइत छनि जे जिला परिषद वा क्षेत्रीय परिषदक कोनो कार्य वा संकल्पसँ भारतक सुरक्षाक संकटक संभावना अछि ³[वा लोक व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़बाक संभावना अछि, तँ ओ एहन कार्य वा संकल्पकें निरस्त वा निलंबन क’ सकैत छथि आओर एहन कार्यवाई (जकर अंतर्गत परिषदक निलंबन आओर परिषदमे निहित वा ओकरा द्वारा प्रयुक्त सबटा वा कोनहुँ शक्ति सभकें अपन हाथमे ल’ लेबाक अछि) क’ सकताह जे ओ एहन कार्यकें कएल जएबाक वा ओकरा चालू राखल जएबाक अथवा एहन संकल्पकें प्रभावी कएल जएबाक निवारण करबाक लेल आवश्यक बूझथि ।

(2.) राज्यपाल द्वारा एहि पैरा केर उप-पैरा (1) केर अधीन कएल गेल आदेश, ओहि लेल जे कारण अछि ओकर सहित, राज्यक विधान-मंडल समक्ष यथासंभव शीघ्र राखल जाएत आ जँ ओ आदेश, राज्यक विधान-मंडल द्वारा प्रतिसंहरण नहि क’ देल जाइत अछि तँ ओ ओहि तिथिसँ, जकरा ओ एहि प्रकारें कएल गेल छल, बारह मासक अवधि धरि प्रवृत्त बनल रहत ।

मुदा जँ आओर जतेक बेर, एहन आदेशक प्रवृत्त बना कए रखबाक अनुमोदन करएबला संकल्प राज्यक विधान-मंडल द्वारा पारित क’ देल जाइत अछि तँ ओ आदेश, जँ राज्यपाल द्वारा रद्द नहि कए देल जाइत अछि तँ, ओहि तिथिसँ, जकरा ओ एहि पैरा केर अधीन अन्यथा प्रवर्तनमे नहि रहत, बारह मासक आओर अवधि धरि प्रवृत्त बनल रहत ।

¹ पूर्वोत्तर क्षेत्र (पुनर्गठन) अधिनियम, 1971 (1971 केर 81) केर धारा 71 (i) आओर आठम अनुसूची द्वारा (21-1-1972 सँ) “असम सरकार”क स्थान पर प्रतिस्थापित ।

² संविधान छठम अनुसूची (संशोधन) अधिनियम, 1988 (1988 केर 67) केर धारा 2 द्वारा (16-2-1988 सँ) पैरा 15 त्रिपुरा आओर मिजोरम राज्यकें लागू करबामे निम्नलिखित रूपसँ संशोधित कएल गेल अछि:-

पैरा 15 केर उप-पैरा (2) मे....

(क) आरंभिक भागमे, “राज्यक विधानमंडल द्वारा” शब्द सभक स्थान पर, “राज्यपाल द्वारा” शब्द प्रतिस्थापित;

(ख) परंतुककें लोप कएल जाएत ।

³ असम पुनर्गठन (मेघालय) अधिनियम, 1969 (1969 केर 55) केर धारा 74 आओर चारिम अनुसूची द्वारा (2-4-1970 सँ) अंतःस्थापित ।

(छठम अनुसूची)

¹ 16. जिला परिषद वा प्रादेशिक परिषदक विघटन-²[(1) राज्यपाल, एहि अनुसूचीक पैरा 14 केर अधीन नियुक्त आयोगक संस्तुति पर, लोक अधिसूचना द्वारा, कोनो जिला परिषद वा क्षेत्रीय परिषदक विघटन क' सकैछ, आओर-

(क) निदेश द' सकैछ जे परिषदक पुनर्गठनक लेल नव साधारण निर्वाचन शीघ्र कएल जाए; वा

(ख) राज्यक विधान-मंडलक पूर्व अनुमोदनसँ एहन परिषदक प्राधिकारक अधीन आबएवला क्षेत्रक प्रशासन बारह माससँ बेसी अवधिक लेल नहि अपन हाथमे ल' सकत अथवा एहन क्षेत्रक प्रशासन एहन आयोगक जकर उक्त पैरा केर अधीन नियुक्त कएल गेल अछि वा अन्य एहन कोनो निकायक जकरा ओ उपयुक्त बुझैत अछि, उक्त अवधिक लेल द' सकैत अछि;

मुदा जखन एहि पैरा केर खंड (क) केर अधीन कोनो आदेश कएल गेल हो, तखन राज्यपाल प्रश्रगत क्षेत्रक प्रशासनक संबंधमे, नव साधारण निर्वाचन होएबा पर परिषदक पुनर्गठनक लंबित रहबा धरि, एहि पैरा केर खंड (ख) मे निर्दिष्ट कार्यवाई क' सकैत अछि:

मुदा ई आओर जे, यथास्थिति, जिला परिषद वा क्षेत्रीय परिषदक राज्यक विधान-मंडलक समक्ष अपन विचार सभकेँ रखबाक अवसर देने बिना ओहि पैरा केर खंड (ख) केर अधीन कोनो कार्यवाई नहि कएल जाएत।

¹ संविधानक छठम अनुसूची (संशोधन अधिनियम) 1988 (1988 केर 67) केर धारा 2 द्वारा (16-12-1988 सँ) पैरा 16 त्रिपुरा आओर मिजोरम राज्यकेँ लागू करबामे निम्नलिखित रूपसँ संशोधित कएल गेल अछि:-

(क) उप-पैरा (1) केर खंड (ख) मे आबए वला “राज्यक विधानमंडलक पूर्व अनुमोदन सँ” शब्द सभ आओर दोसर परन्तुक केर लोप कएल जाएत;

(ख) उप-पैरा (3) केर स्थान पर निम्नलिखित उप-पैरा राखल जाएत, अर्थात् :-

“(3) एहि पैरा केर उप-पैरा (1) वा उप-पैरा (2) केर अधीन कएल गेल प्रत्येक आदेश, ओकरा लेल जे कारण अछि ओकर सहित, राज्यक विधान मंडलक समक्ष राखल जाएत।”

² असम पुनर्गठन (मेघालय) अधिनियम, 1969 (1969 केर 55) केर धारा 74 आओर चारिम अनुसूची द्वारा (2-4-1970 सँ) पैरा 16 केर ओकर उप-पैरा (1) केर रूपमे पुनर्संख्याकित कएल गेल।

¹[(2) जै राज्यपालकें कोनो समय ई संतुष्टि भ' जाइत छनि जे एहन स्थिति उत्पन्न भ' गेल अछि जाहिमे स्वशासी जिला वा स्वशासी क्षेत्रक प्रशासन एहि अनुसूचीक उपबंध सभक अनुसार नहि चलाओल जा सकैत अछि तँ ओ, यथास्थिति, जिला परिषद वा क्षेत्रीय परिषदमे निहित वा ओकरा द्वारा प्रयोग करबाक लेल सभ वा कोनो कार्य वा शक्ति सभ, लोक अधिसूचना द्वारा, छओ माससँ बेसी अवधिक लेल अपन हाथमे नहि ल' सकैत अछि आओर ई घोषणा क' सकैछ जे एहन कार्य वा शक्तिसभ उक्त अवधिक बीच एहन व्यक्ति वा प्राधिकारी द्वारा प्रयोग करबाक लेल होएत, जकर ओ एहि निमित्त निर्दिष्ट करथि:

मुदा राज्यपाल आरंभिक आदेशक प्रवर्तन, अतिरिक्त आदेश वा आदेश सभ द्वारा एक बेरमे छओ माससँ बेसी अवधिक लेल नहि बढ़ा सकैत छथि ।

(3.) एहि पैरा केर उप-पैरा(2) केर अधीन कएल गेल प्रत्येक आदेश, ओकरा लेल जे कारण अछि ओकर सहित, राज्यक विधान-मंडलक समक्ष राखल जाएत आओर ओ आदेश ओहि तिथिसँ जकरा राज्य विधान-मंडल ओहि आदेशक लेल जएबाक पश्चात् प्रथम बेर बैसैत अछि, तीस दिनक समाप्ति पर प्रवर्तनमे नहि रहत जै ओ अवधिक समाप्तिसँ पहिने राज्य विधान-मंडल द्वारा ओकर अनुमोदन नहि कए देल जाइत अछि ।]

²17. स्वशासी जिला सभमे-निर्वाचन क्षेत्रकें बनएबामे एहन जिलासँ क्षेत्रक अपवर्जन-राज्यपाल, ³[असम वा मेघालय ⁴[वा त्रिपुरा ⁵[वा मिजोरम]] केर विधान सभा] क निर्वाचन सभक प्रयोजनक लेल, आदेश द्वारा, ई घोषणा क' सकैत अछि जे, ⁶[यथास्थिति, असम वा मेघालय ⁴[वा त्रिपुरा ⁵[वा मिजोरम]] राज्यमे] कोनो स्वशासी जिलाक भीतरक कोनो क्षेत्र एहन कोनो जिलाक लेल विधान सभामे आरक्षित स्थान वा स्थानसभकें भरबाक लेल कोनो निर्वाचन-क्षेत्रक भाग नहि होएत, मुदा विधान सभामे एहि प्रकारें आरक्षित, नहि कएल गेल एहन स्थान वा स्थान सभकें भरबाक लेल आदेशमे विनिर्दिष्ट निर्वाचन-क्षेत्रक भाग होएत ।

⁷[18.* * * * *]

¹ असम पुनर्गठन (मेघालय) अधिनियम, 1969 (1969 केर 55) धारा 74 आओर चारिम अनुसूची द्वारा (2-4-1970 सँ) जोड़ल गेल ।

² संविधान छठम अनुसूची (संशोधन) अधिनियम, 2003 (2003 केर 44) केर धारा 2 द्वारा पैरा 17 असम राज्यकें लागू करबामे निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित कए संशोधित कएल गेल, अर्थात्:-
“मुदा एहि पैरा केर कोनो बात बोडोलैंड क्षेत्रीय क्षेत्रक जिलाकें लागू नहि होएत ।”

³ पूर्वोत्तर क्षेत्र (पुनर्गठन) अधिनियम, 1971 (1971 केर 81) केर धारा 17 (i) आओर आठम अनुसूची द्वारा (21-1-1972 सँ) “असमक विधानसभा” केर स्थान पर प्रतिस्थापित ।

⁴ संविधान (उनचासम संशोधन) अधिनियम, 1984 केर धारा 4 द्वारा (1-4-1985 सँ) अंतःस्थापित ।

⁵ मिजोरम राज्य अधिनियम, 1986 (1986 केर 34) केर धारा 39 द्वारा (20-2-1987 सँ) अंतःस्थापित ।

⁶ पूर्वोत्तर क्षेत्र (पुनर्गठन) अधिनियम, 1971 (1971 केर 81) केर धारा 71 (i) आओर आठम अनुसूची द्वारा (21-1-1972 सँ) “असमक विधान सभा” केर स्थान पर अंतःस्थापित ।

⁷ पूर्वोत्तर क्षेत्र (पुनर्गठन) अधिनियम, 1971 (1971 केर 81) केर धारा 71 (i) आओर आठम अनुसूची द्वारा (21-1-1972 सँ) पैरा 18 कें लोप कएल गेल ।

(छठम अनुसूची)

¹19. **संक्रमणकालीन उपबंध-**(1) राज्यपाल, एहि संविधानक प्रारंभक पश्चात् यथासंभव शीघ्र, एहि अनुसूचीक अधीन राज्यमे प्रत्येक स्वशासी जिलाक लेल जिला परिषदक गठनक लेल कार्यवाई करत आओर जाधरि कोनो स्वशासी जिलाक लेल जिला परिषद एहि प्रकारें गठित नहि कएल जाइत अछि ताधरि एहन जिलाक प्रशासन राज्यपालमे निहित होएत आओर एहन जिलाक भीतरक क्षेत्र सभकें प्रशासनक एहि अनुसूचीक पूर्वगामी उपबंध सभक स्थान पर निम्नलिखित उपबंध लागू होएत, अर्थात्:-

(क) संसदक वा ओहि राज्यक विधान-मंडलक कोनो अधिनियम एहन क्षेत्रकें ताधरि लागू नहि होएत जाधरि राज्यपाल, लोक अधिसूचना द्वारा, एहि प्रकारें निदेश नहि द' दैत छथि आओर राज्यपाल कोनो अधिनियमक संबंधमे एहन निदेश दैत समय ई निर्देश द' सकैत छथि जे अधिनियम एहन क्षेत्र वा ओकर कोनो विनिर्दिष्ट भागक लागू होएबामे एहन अपवाद सभ वा उपांतरण सभक अधीन रहैत प्रभावी होएत जे ओ ठीक बुझैत छथि;

(ख) राज्यपाल एहन कोनो क्षेत्रक शक्ति आओर सुशासनक लेल विनियम बना सकैत छथि आओर एहि प्रकारें बनाओल गेल विनियम संसदक वा ओहि राज्यक विधान-मंडलक कोनो अधिनियमक वा कोनो विद्यमान विधिकें, जे एहन क्षेत्रकें तत्समय लागू अछि, निरसन वा संशोधन क' सकताह ।

(2) राज्यपाल द्वारा एहि पैरा केर उप-पैरा(1) केर खंड (क) केर अधीन देल गेल कोनो निर्देश एहि प्रकारें देल जा सकैत अछि जे ओकर भूतलक्षी प्रभाव होएत ।

¹ संविधान छठम अनुसूची (संशोधन) अधिनियम, 2003 (2003 केर 44) केर धारा 2 द्वारा 2 द्वारा (7-9-2003 सँ) पैरा 19 असम राज्यकें लागू करबामे निम्नलिखित रूपसँ संशोधित कएल गेल जाहिसँ उप-पैरा (3) केर पश्चात् उप-पैरा निम्नलिखित रूपसँ अंतःस्थापित कएल गेल, अर्थात्:-

(4) एहि अधिनियमक प्रारंभक पश्चात्, यथाशीघ्र असमसे बोडोलैंड क्षेत्रीय क्षेत्र जिलाक लेल एकटा अंतरिम कार्यपालक परिषद, राज्यपाल द्वारा बोडो आन्दोलनक नेता सभमे सँ, जकर अंतर्गत समझौता सभक जापनक हस्ताक्षरकर्ता सेहो अछि, बनाओल जाएत आओर ओहिमे ओहि क्षेत्रक गैर जनजातीय समुदाय सभकें सेहो पर्याप्त प्रतिनिधित्व देल जाएत:-

मुदा अन्तरिम परिषद छओ मासक अवधिक लेल होएत जाहि कालमे परिषदक निर्वाचन करएबाक प्रयास कएल जाएत ।

स्पष्टीकरण:-एहि उप-पैरा केर प्रयोजन सभक लेल “समझौताक जापन” पद सँ भारत सरकार, असम सरकार आओर बोडो लिबरेशन टाइगर्सक बीच 10 फरवरी, 2003 कें हस्ताक्षरित जापन अभिप्रेत अछि ।¹

(3) एहि पैरा केर उप-पैरा (1) केर खंड (ख) केर अधीन बनाओल गेल सभ विनियम राष्ट्रपतिक समक्ष शीघ्र प्रस्तुत कएल जाएत आओर जाधरि ओ ओहि पर अनुमति नहि दैत छथि ताधरि ओकर कोनो प्रभाव नहि होएत।

¹[20. जनजाति क्षेत्र-(1) नीचाँ देल गेल सारणीक भाग 1, भाग 2, ²[भाग 2 क] आओर भाग 3 मे विनिर्दिष्ट क्षेत्र क्रमशः असम राज्य, मेघालय राज्य, ²[त्रिपुरा राज्य] आओर मिजोरम ³[राज्य]क जनजाति क्षेत्र होएत।]

(2) ⁴[नीचाँ देल गेल सारणीक भाग 1, भाग 2 वा भाग 3 मे] कोनो जिलाक प्रति निर्देशक ई अर्थ लगाओल जाएत जे ओ पूर्वोत्तर क्षेत्र (पुनर्गठन) अधिनियम 1971 केर धारा 2 केर खंड (ख) केर अधीन तय कएल गेल दिनसँ ठीक पहिने विद्यमान ओहि नामकें स्वशासी जिलामे समाविष्ट राज्यक्षेत्र सभक प्रति निर्देश अछि:

मुदा एहि अनुसूचीक पैरा 3 केर उप-पैरा (1) केर खंड (ड) आओर खंड (च), पैरा 4, पैरा 5, पैरा 6, उप-पैरा (2), उप-पैरा (3) केर खंड (क), खंड (ख) आओर खंड (घ) आओर पैरा 8 केर उप-पैरा(4) आ पैरा 10 केर उप-पैरा (2) केर खंड (घ) केर प्रयोजन सभक लेल शिलांग नगरपालिकामे समाविष्ट क्षेत्रक कोनो भागक विषयमे ई नहि बुझल जाएत जे ओ ⁵[खासी पहाड़ी जिला] केर भीतर अछि।

²[(3) नीचाँ देल गेल सारणीक भाग 2 क मे “त्रिपुरा जनजाति क्षेत्र जिला” केर प्रति निर्देशक ई अर्थ लगाओल जाएत, जे ओ त्रिपुरा जनजाति क्षेत्र स्वशासी जिला परिषद अधिनियम 1979 केर पहिल अनुसूचीमे विनिर्दिष्ट जनजाति क्षेत्र सभमे समाविष्ट राज्यक्षेत्रक प्रति निर्देश अछि।]

¹ पूर्वोत्तर क्षेत्र (पुनर्गठन) अधिनियम, 1971 (1971 केर 81) केर धारा 71 (i) आओर आठम अनुसूचीक पैरा 20 केर स्थान पर (21-1-1972 सँ) प्रतिस्थापित।

² संविधान (उनचासम संशोधन) अधिनियम, 1984 केर धारा 4 द्वारा (1-4-1985 सँ) अंतःस्थापित।

³ मिजोरम राज्य अधिनियम, 1986 (1986 केर 34) केर धारा 39 द्वारा (20-2-1987 सँ) “केन्द्र शासित प्रदेश” केर स्थान पर प्रतिस्थापित।

⁴ संविधान (उनचासम संशोधन) अधिनियम, 1984 केर धारा 4 द्वारा “निम्नलिखित सारणीक कोनो संदर्भमे” (1-4-1985 सँ) प्रतिस्थापित।

⁵ मेघालय सरकारक अधिसूचना सं.डी.सी.ए. 31/72/11, तिथि 14 जून, 1973, मेघालयक राजपत्र, भाग 5 ‘क’ तिथि 23-6-1973 सँ, पृ. 200 प्रतिस्थापित।

(छठम अनुसूची)

सारणी

भाग-1

1. उत्तरी कछार पहाड़ी जिला ।
2. ¹[कार्बी आंगलांग जिला ।]
- 2³[3. बोडोलैंड क्षेत्रीय क्षेत्रक जिला ।]

भाग 2

- ³[1. खासी पहाड़ी जिला ।
2. जैतिया पहाड़ी जिला ।]
3. गारो पहाड़ी जिला ।

⁴[भाग 2 क

त्रिपुरा जनजाति क्षेत्र जिला]

भाग 3

5* * *

- ⁶[1. चक्रमा जिला ।
- ⁷[2. मारा जिला ।
3. लई जिला]]

⁸[20क. मिजो जिला परिषदक विघटन-(1) एहि अनुसूचीमे कोनो बातक होइतहुँ, विहित तिथिसँ ठीक पहिने विद्यमान मिजो जिलाक जिला परिषद (जकरा एहिमे एकर पश्चात् मिजो जिला परिषद कहल गेल अछि) विघटित भ' जाएत आओर विद्यमान नहि रहि जाएत ।

-
- ¹ असम सरकार द्वारा 14-10-1976 केर अधिसूचना सं.टी.ए.डी./ आर. 115/74/47 द्वारा 'मिकीर पहाड़ी जिला' केर स्थान पर प्रतिस्थापित ।
 - ² संविधान छठम अनुसूची (संशोधन) अधिनियम, 2003 (2003 केर 44) केर धारा 2 द्वारा (7-9-2003 सँ) अंतःस्थापित ।
 - ³ मेघालय सरकारक अधिसूचना सं.डी.सी.ए. 31/72/11, 14 जून, 1973, मेघालयक राजपत्र, भाग 5 'क' तिथि 23-6-1973, पृ. 200 द्वारा प्रतिस्थापित ।
 - ⁴ संविधान (उनचासम संशोधन) अधिनियम, 1984 केर धारा 4 द्वारा (1-4-1985 सँ) अंतःस्थापित ।
 - ⁵ केन्द्र शासित प्रदेश शासन (संशोधन) अधिनियम, 1971 (1971 केर 83) केर धारा 13 द्वारा (29-4-1972 सं) "मिजो जिला" शब्द सभक लोप कएल गेल ।
 - ⁶ मिजोरमक राजपत्र 1972, तिथि 5 मई, 1972, जिल्द 1, भाग 2, पृ. 72 मे प्रकाशित मिजोरम जिला परिषद (विविध उपबंध) आदेश, 1972 द्वारा (29-4-1972 सँ) अंतःस्थापित ।
 - ⁷ संविधान छठम अनुसूची (संशोधन) अधिनियम, 1988 (1988 केर 67) केर धारा 2 द्वारा (16-12-1988 सँ) क्रम सं. 2 आ 3 आओर ओहि सँ प्रविष्टि सभक स्थान पर प्रतिस्थापित ।
 - ⁸ अनुच्छेद 20क उत्तर-पूर्व क्षेत्र (पुनर्गठन) अधिनियम, 1971 (1971 केर 81) धारा 14 द्वारा पैराग्राफ आ आगूक उप-पैराक लेल केन्द्र शासित प्रदेश सरकार (संशोधन) अधिनियम, 1971 (1971 केर 83) धारा 13 द्वारा, पैरा 20क केर लेल (16-2-1972 सँ) प्रतिस्थापित ।

(2) मिजोरम केन्द्र शासित प्रदेशक प्रशासक, एक वा बेसी आदेश सभ द्वारा, निम्नलिखित सभटा वा कोनो विषय सभक लेल उपबंध क' सकत, अर्थात्:-

(क) मिजो जिला परिषदक परिसंपत्ति, अधिकार आ दायित्व सभक (जेकर अंतर्गत ओकरा द्वारा कएल गेल कोनो संविदाक अधीन अधिकार आ दायित्व अछि) पूर्णतः वा अंशतः केन्द्र वा कोनो प्राधिकारीकें अंतरण;

(ख) कोनो एहन विधिक कार्यवाही सभमे, जाहिमे मिजो जिला परिषद एक पक्षकार अछि, मिजो जिला परिषदक स्थान पर केन्द्रक वा कोनो अन्य प्राधिकारीक पक्षकारक रूपमे राखल जाएवला अथवा केन्द्र वा कोनो अन्य प्राधिकारीक पक्षकारक रूपमे प्रतिस्थापित कएल जाएब;

(ग) मिजो जिला परिषदक कोनो कर्मचारी सभकें केन्द्रक वा कोनो अन्य प्राधिकारीक अथवा ओकरा द्वारा अंतरण वा पुनर्नियोजन, एहन अंतरण वा पुनर्नियोजनक पश्चात् ओ कर्मचारी सभकें लागू होबयवला सेवाक निबंधन आओर शर्त सभ;

(घ) मिजो जिला परिषद द्वारा बनाओल गेल आ ओकर विघटनसँ ठीक पहिने लागू कोनो कानून केर निरंतरता चाहे ओ निरस्त वा संशोधनक रूपमे अधीन रहत जे प्रशासक द्वारा एहि निमित्त कएल जाए, ताधरि लागू रहत जाधरि कोनो सक्षम विधान-मंडल द्वारा वा अन्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा एहन कानून सभमे परिवर्तन, निरसन वा संशोधन नहि क' देल जाइत अछि।

(ङ) एहन आनुषंगिक, पारिणामिक आओर अनुपूरक विषय जे प्रशासक आवश्यक बूझए।

स्पष्टीकरण:-एहि पैरामे आओर एहि अनुसूचीक पैरा 20 ख मे, “विहित तिथि” पदसँ ओ तिथि अभिप्रेत अछि जकरा मिजोरम केन्द्र शासित प्रदेशक विधान सभाक, केन्द्र शासित प्रदेशक शासन अधिनियम, 1963 केर उपबंध सभक अधीन आओर ओकर अनुसार, सम्यक रूपसँ गठन होइत अछि।

¹[*20ख. मिजोरम केन्द्र शासित प्रदेशमे स्वशासी प्रदेश सभक स्वशासी जिला होएब आओर ओकर पारिणामिक संक्रमणकालीन उपबंध]-(1) एहि अनुसूचीमे कोनो बातक होइतहुँ, -

(क) मिजोरम केन्द्र शासित प्रदेशमे विहित तिथिसँ ठीक पहिने विद्यमान प्रत्येक स्वशासी प्रदेश ओहि तिथिक आओर ओहि तिथिसँ केन्द्र शासित प्रदेशक स्वशासी जिला (जकरा एकर पश्चात्, तत्संबंधी नव जिला कहल गेल अछि) भ' जाएत आ ओकर प्रशासक, एक वा अधिक आदेश सभक द्वारा, निर्देश द' सकत जे एहि अनुसूचीक पैरा 20 मे (जकर अंतर्गत ओहि पैरासँ संलग्न सारणीक भाग 3 अछि) एहन पारिणामिक संशोधन कएल जाएत जे एहि खंडक उपबंध सभकें प्रभावी करबाक लेल आवश्यक अछि आओर तखन उक्त पैरा आ उक्त भाग 3 केर विषयमे ई बुझल जाएत जे ओकर तदनुसार संशोधन क' देल गेल अछि;

¹ केन्द्र शासित प्रदेशक सरकार द्वारा (संशोधन) अधिनियम, 1971 (1971 केर धारा 83 द्वारा), धारा 13 पैरा 20 'क' केर स्थान पर (16-2-1972 सँ) प्रतिस्थापित।

(छठम अनुसूची)

(ख) मिजोरम केन्द्र शासित प्रदेशमे विहित तिथिसँ ठीक पहिने विद्यमान स्वशासी प्रदेशक प्रत्येक प्रादेशिक परिषद (जकरा एहिमे एकर पश्चात् विद्यमान प्रादेशिक परिषद कहल गेल अछि) एहि तिथिकेँ आओर ओहि तिथिसँ जाधरि तदनुरूप नव जिलाक लेल परिषदक सम्यक् रूपसँ गठन नहि होइत अछि ताधरि, ओहि जिलाक जिला परिषद (जकरा एहिमे एकर पश्चात् तदनुरूप जिला परिषद कहल गेल अछि) बुझल जाएत ।

(2) विद्यमान क्षेत्रीय परिषदक प्रत्येक निर्वाचित वा नामित कएल गेल सदस्य तदनुरूप नव जिला परिषदक लेल, यथास्थिति, निर्वाचित वा नामित कएल गेल बुझल जाएत आ ताधरि पद धारण करत जाधरि एहि अनुसूचीक अधीन तदनुरूप नव जिलाक लेल जिला परिषदक सम्यक् रूपसँ गठन नहि होइत अछि ।

(3) जाधरि तत्संबंधी नव जिला परिषद द्वारा एहि अनुसूचीक पैरा 2 केर उप-पैरा (7) आ उप-पैरा 4 केर उप-पैरा (4) केर अधीन नियम नहि बनाओल जाइत अछि ताधरि विद्यमान क्षेत्रीय परिषद द्वारा उक्त उपबंध सभक अधीन बनाओल गेल नियम, जे विहित तिथिसँ ठीक पहिने लागू अछि, तदनुरूप नव जिला परिषदक संबंधमे एहन अनुकूलन सभ आ उपांतरण सभक अधीन रहैत प्रभावी होएत जे मिजोरम केन्द्र शासित क्षेत्रक प्रशासक द्वारा ओहिमे कएल जाएत ।

(4) मिजोरम केन्द्र शासित क्षेत्रक प्रशासक, एक वा अधिक आदेश सभ द्वारा, निम्नलिखित सभटा वा कोनो विषय सभक लेल उपबंध क' सकत, अर्थात् :-

(क) विद्यमान क्षेत्रीय परिषदक परिसंपत्ति, अधिकार आ दायित्व सभक (जकर अंतर्गत ओकरा द्वारा कएल गेल कोनो संविदाक अधीन अधिकार आओर दायित्व अछि) पूर्णतः वा अंशतः तत्संबंधी नव जिला परिषदक अंतरण;

(ख) कोनो एहन विधिक कार्यवाही सभमे, जाहिमे विद्यमान क्षेत्रीय परिषद एकटा पक्षकार अछि, विद्यमान क्षेत्रीय परिषदक स्थान पर तदनुरूप नव जिला परिषदक पक्षकारक रूपमे राखल जाएब;

(ग) विद्यमान प्रादेशिक परिषदक कोनो कर्मचारी सभक तत्स्थानी नव जिला परिषदकेँ वा ओकर द्वारा अंतरण वा पुनर्नियोजन, एहन अंतरणक पुनर्नियोजनक पश्चात् ओहन कर्मचारी सभकेँ लागू होबए वला सेवाक निबंधन आओर शर्त सभ;

(घ) विद्यमान क्षेत्रीय परिषद द्वारा बनाओल गेल आ विहित तिथिसँ ठीक पहिने लागू कोनो विधि सभक, एहन अनुकूलन आ उपांतरण सभकेँ चाहे ओ निरसनक रूपमे होएए वा संशोधनक रूपमे, जे प्रशासक द्वारा अधीन रहैत एहि निमित्त कएल जाए, ताधरि लागू रहत जाधरि सक्षम विधान-मंडल द्वारा वा अन्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा एहन विधि सभमे परिवर्तन, निरसन वा संशोधन नहि कए देल जाइत अछि;

(ङ) एहन आनुषंगिक पारिणामिक आओर अनुपूरक विषय जे प्रशासक आवश्यक बुझए।

¹“**20‘खक’**. राज्यपाल द्वारा अपन कार्यक निर्वहनमे विवेकीय शक्तिक प्रयोग—राज्यपाल, एहि अनुसूचीक पैरा 1 केर उप-पैरा (2) आ उप-पैरा (3), पैरा 2 केर उप-पैरा (1), उप-पैरा (6) उप-पैरा (6 ‘क’) केर पहिल परंतुककेँ छोड़ि कए आ उप-पैरा (7), पैरा 3 केर उप-पैरा (3) पैरा 4 केर उप-पैरा (4), पैरा 5, पैरा 6 केर उप-पैरा (1), पैरा 7 केर उप-पैरा (2), पैरा 8 केर उप-पैरा (4) पैरा 9 केर उप-पैरा (3), पैरा 10 केर उप-पैरा (3), पैरा 14 केर उप-पैरा (1), पैरा 15 केर उप-पैरा (1) आ पैरा 16 केर उप-पैरा (1) आ (2) केर अधीन अपन कार्यक निर्वहनमे, मंत्रिपरिषद आ, यथास्थिति, उत्तरी कछाड़ पहाड़ी स्वशासी परिषद वा कार्बी आंगलांग पहाड़ी स्वशासी परिषदसँ परामर्श कएलाक पश्चात एहन कार्रवाई करत, जे ओ स्वविवेकानुसार आवश्यक बुझैत छथि।”

²“**20‘खख’**. राज्यपाल द्वारा अपन कार्यक निर्वहनमे विवेकीय शक्तिक प्रयोग— राज्यपाल, एहि अनुसूचीक पैरा 1 केर उप-पैरा (2) आ (3), पैरा 2 केर उप-पैरा (1), उप-पैरा (1) आ उप-पैरा (7), पैरा 3 केर उप-पैरा (3) पैरा 4 केर उप-पैरा (4), पैरा 5, पैरा 6 केर उप-पैरा (1), पैरा 7 केर उप-पैरा (2), पैरा 9 केर उप-पैरा (3), पैरा 14 केर उप-पैरा (1), पैरा 15 केर उप-पैरा (1) आ पैरा 16 केर उप-पैरा (1) आ (2) केर अधीन अपन कार्यक निर्वहनमे, मंत्रिपरिषदसँ आ जँ ओ आवश्यक बुझथि तँ संबंधित जिला परिषद वा क्षेत्रीय परिषदसँ परामर्श कएलाक पश्चात्, एहन कार्रवाई करताह, जे स्वविवेकानुसार आवश्यक बुझथि।”

¹ संविधान छठम अनुसूची (संशोधन) अधिनियम, 1995 (1995 केर 42) केर धारा 2 द्वारा (12-09-1985 सँ) असममे लागू होएबाक लेल पैरा 20 ‘ख’ अंतःस्थापित कएल गेल।

² संविधान छठम अनुसूची (संशोधन) अधिनियम, 1988 (1988 केर 67) केर धारा 2 द्वारा (16-12-1988 सँ) त्रिपुरा आ मिजोरम राज्यकेँ लागू करबामे, पैरा 20 ‘ख’ अंतःस्थापित कएल गेल।

(छठम अनुसूची)

¹[20ग. विवेचन-एहि निमित्त बनाओल गेल कोनो उपबंधक अधीन रहैत, एहि अनुसूचीक उपबंध मिजोरम केन्द्र शासित क्षेत्रकें ओकर लागू होएबामे एहि प्रकारें प्रभावी होएत-

(1) मानू जे राज्यक राज्यपाल आओर राज्यक सरकारक प्रति निर्देश अनुच्छेद 239 केर अधीन नियुक्त केन्द्र शासित क्षेत्रक प्रशासनक प्रति निर्देश होअए; (“राज्यक सरकार” पदक अलावा) राज्यक प्रति निर्देश मिजोरम केन्द्र शासित क्षेत्रक प्रति निर्देश होमए आओर राज्य विधान-मंडलक प्रति निर्देश मिजोरम केन्द्र शासित क्षेत्रक विधान सभाक प्रति निर्देश होमए;

(2) मानू जे-

(क) पैरा 4 केर उप-पैरा (5) मे संबंधित राज्यक सरकारसँ परामर्श करबाक उपबंधकें लोप क’ देल गेल होअए;

(ख) पैरा 6 केर उप-पैरा (2) मे, “जाहि पर राज्यक कार्यापालिका शक्तिक विस्तार अछि” शब्द सभक स्थान पर “जकर संबंधमे मिजोरम केन्द्र शासित प्रदेशक विधान सभाक नियम सभ बनएबाक शक्ति अछि” शब्द राखि देल गेल होअए;

(ग) पैरा 13 मे, “अनुच्छेद 202 क अधीन” शब्द आ अंक सभक लोप क’ देल गेल होअए।

21. अनुसूचीक संशोधन-(1) संसद, समय-समय पर विधि द्वारा एहि अनुसूचीक उपबंध सभमे परिवर्धन, परिवर्तन वा निरसनक रूपमे संशोधन क’ सकैत अछि आओर जाधरि अनुसूचीक एहि प्रकारें संशोधन कएल जाइत अछि तावत एहि संविधानमे एहि अनुसूचीक प्रति कोनो निर्देशक ई अर्थ लगाओल जाएत जे ओ एहि प्रकारें संशोधित एहन अनुसूचीक प्रति निर्देश अछि।

(2) एहन कोनो विधि जे एहि परिच्छेदक उप-पैरा (1) मे उल्लिखित अछि, एहि संविधानक अनुच्छेद 368 केर प्रयोजन सभक लेल एहि संविधानक संशोधन नहि बुझल जाएत।

¹ केन्द्र शासित प्रदेशक सरकार (संशोधन) अधिनियम, 1971 (1971 केर 83), धारा 13 द्वारा पैरा 20 ‘क’ लेल (16-2-1972 सँ) प्रतिस्थापित।

सातम अनुसूची

(अनुच्छेद 246)

सूची 1-संघ सूची

1. भारतक आओर ओकर प्रत्येक भागक रक्षा, जकर अंतर्गत रक्षाक लेल तैयारी आ एहन सभटा कार्य अछि, जे युद्धक समय युद्धक संचालन आओर ओकर समाप्तिक पश्चात् प्रभावी सैन्य वियोजनमे सहायक होअए।

2. नौसेना, सेना आओर वायुसेना; देशक अन्य सशस्त्र बल।

¹[2क. देशक कोनो सशस्त्र बल वा देशक नियंत्रणक अधीन कोनो अन्य बलक वा ओकर कोनो टुकड़ी वा इकाई के कोनो राज्यमे सिविल शक्तिक सहायतामे अभिनियोजन; एहन अभिनियोजनक समय एहन बल सभक सदस्य सभक शक्ति, सशस्तीकरण, विशेषाधिकार आओर दायित्व]

3. छावनी क्षेत्र सभक परिसीमन, एहन क्षेत्र सभमे स्थानीय स्वशासन, एहन क्षेत्र सभक भीतर छावनी प्राधिकार सभक गठन आओर ओकर शक्तिसभ आ एहन क्षेत्र सभमे गृह वास-सुविधाक विनियमन (जकर अंतर्गत किरायाक नियंत्रण अछि)।

4. नौसेना, सेना आओर वायुसेनाक काज।

5. आयुध, आग्नेयास्त्र, गोला-बारूद आओर विस्फोटक।

6. परमाणु ऊर्जा आओर ओकर उत्पादनक लेल आवश्यक खनिज संपत्ति स्रोत।

7. संसद द्वारा विधि द्वारा रक्षाक प्रयोजनक लेल वा युद्धक संचालनक लेल आवश्यक घोषित कएल गेल उद्योग।

8. केन्द्रीय खुफिया अन्वेषण-ब्यूरो।

9. रक्षा, विदेश कार्य वा भारतक सुरक्षा संबंधी कारणसँ निवारक निरोध; एहि प्रकारँ निरोधमे राखल गेल व्यक्ति।

10. विदेश कार्य, सभटा विषय जकर द्वारा देशक कोनो विदेशसँ संबंध होइत अछि।

11. राजनयिक, दूत आओर व्यापारिक प्रतिनिधित्व।

12. संयुक्त राष्ट्र संघ।

13. अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन सभ, आओर अन्य निकाय सभमे भाग लेब आओर ओहिमे कएल गेल निर्णय सभक क्रियान्वयन।

14. विदेश सभसँ संधि आओर समझौता करब आओर विदेश सभसँ कएल गेल संधि, अनुबंध आओर अभिसमय सभक कार्यान्वयन।

¹ संविधान (बीयालिसम संशोधन अधिनियम, 1976 केर धारा 57 द्वारा (3-1-1977 सँ) अंतःस्थापित।

15. युद्ध आओर शान्ति ।
16. वैदेशिक क्षेत्राधिकार ।
17. नागरिकता, देशीयकरण आओर अन्यदेशीय ।
18. प्रत्यर्पण ।
19. भारतमे प्रवेश आओर उत्प्रवास आओर निष्कासन, पासपोर्ट आओर वीजा ।
20. भारतसँ बाहरक स्थान सभक तीर्थयात्रा ।
21. मुक्त समुद्री क्षेत्र वा आकाशमे कएल गेल दस्युता आओर अपराध; स्थल वा मुक्त समुद्र क्षेत्र वा आकाशमे नियमक विरुद्ध कएल गेल अपराध ।
22. रेल ।
23. एहन राजमार्ग जकरा संसद द्वारा बनाओल विधि द्वारा वा ओकर अधीन राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित कएल गेल अछि ।
24. यंत्र चालित जहाजक संबंधमे एहन अंतर्देशीय जलमार्ग सभ पर जहाज परिवहन आओर नौ-परिवहन जे संसदक विधि द्वारा राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित कएल गेल अछि; एहन जलमार्ग सभ पर मार्गक नियम ।
25. समुद्री जहाज परिवहन आओर नौ-परिवहन, जेकर अंतर्गत ज्वारीय पानिमे जहाज परिवहन आओर नौ-परिवहन अछि; वाणिज्यिक समुद्री बेड़ाक लेल शिक्षा आओर प्रशिक्षणक व्यवस्था आ राज्यसभ आओर अन्य अभिकरण सभ द्वारा देल जाएवला एहन शिक्षा आओर प्रशिक्षणक विनियमन ।
26. प्रकाशस्तंभ, जकर अंतर्गत प्रकाश जहाज, ध्यानाकर्षक प्रकाश आ जहाज परिवहन आओर वायुयानक सुरक्षाक लेल अन्य व्यवस्था अछि ।
27. एहन बंदरगाह जे संसद द्वारा बनाओल गेल नियम वा विद्यमान नियम द्वारा वा ओकर अधीन प्रमुख बंदरगाह घोषित कएल जाइत अछि, जकर अंतर्गत ओकर परिसीमन आओर ओहिमे बंदरगाह प्राधिकार सभक गठन आओर ओकर शक्ति सभ अछि ।
28. बंदरगाह संगरोधन, जकर अंतर्गत ओहिसँ संबंध अस्पताल अछि; नाविक आओर समुद्रीय अस्पताल ।
29. वायुमार्ग, वायुयान आओर विमान चालन; विमान क्षेत्र सभक व्यवस्था; विमान यातायात आओर विमान क्षेत्र सभक विनियमन आओर संगठन; वायुयान शिक्षा प्रशिक्षणक लेल व्यवस्था आओर राज्य सभ आओर अन्य अभिकरण सभ द्वारा देल जाएवला एहन शिक्षा आओर प्रशिक्षणक विनियमन ।
30. रेल, समुद्र वा वायुमार्ग द्वारा अथवा यंत्र चालित जहाज सभमे राष्ट्रीय जलमार्ग सभ द्वारा यात्री आओर वस्तुक वाहन ।

31. डाक आ तार; दूरभाष, बेतार, प्रसारण आओर ओहने अन्य संचार साधन ।
32. देशक संपत्ति आओर ओहिसँ राजस्व, मुदा कोनो ^{1***} राज्यमे स्थित संपत्तिक संबंधमे, ओत' धरिक जत' धरि संसद विधि द्वारा अन्यथा उपबंध करए, ओहि राज्यक विधानक अधीन रहत ।
- ²[33 * * * * *]
34. देशी राज्यक शासक सभक संपदाक लेल प्रतिपाल्य अधिकरण ।
35. देशक लोक ऋण ।
36. मुद्रा, सिक्का केर निर्माण आओर वैध निविदा, विदेशी मुद्रा ।
37. विदेशी ऋण ।
38. भारतीय रिजर्व बैंक ।
39. डाकघर बचत बैंक ।
40. भारत सरकार वा कोनो राज्यक सरकार द्वारा संचालित लॉटरी ।
41. विदेश सभक संग व्यापार आ वाणिज्य; सीमाशुल्क सीमांतक आर-पार आयात आओर निर्यात; सीमाशुल्क सीमांतक परिभाषा ओ निर्धारण ।
42. अंतर्राज्यीय व्यापार एवं वाणिज्य ।
43. व्यापार निगमक, जकर अंतर्गत बैंकिंग, बीमा आओर वित्तीय नियम अछि किन्तु सहकारी समिति नहि अछि; निगमन, विनियमन आओर परिसमापन ।
44. विश्वविद्यालय सभकें छोड़िकए एहन नियमक, चाहे ओ व्यापार नियम होअए वा नहि, जकर उद्देश्य एकटा राज्य धरि सीमित नहि अछि, निगमन, विनियमन आओर परिसमापन ।
45. बैंकिंग ।
46. विनियम-पत्र, चेक, बचन-पत्र आओर ओहने अन्य दस्तावेज ।
47. बीमा ।
48. स्टॉक एक्सचेंज आओर भावी सौदा बाजार ।
49. पेटेंट, अविष्कार आओर डिजाइन, प्रतिलिप्याधिकार; व्यापार चिह्न आओर बिक्री योग्य वस्तु चिह्न ।

¹ संविधान (सातम संशोधन) अधिनियम, 1956 केर धारा 29 आओर अनुसूची द्वारा (1-11-1956 सँ) “पहिल अनुसूचीक भाग ‘क’ वा भाग ‘ख’ मे विनिर्दिष्ट शब्द आओर अक्षर सभक लोप कएल गेल ।”

² संविधान (सातम संशोधन) अधिनियम, 1956 केर धारा 26 द्वारा (1-11-1956 सँ) प्रविष्टि 33 कें लोप कएल गेल ।

(सातम अनुसूची)

50. बटखरा आओर माप सभक मानक नियत करब ।

51. भारतसँ बाहर निर्यात कएल जाएवला वा एक राज्यसँ दोसर राज्यकेँ परिवहन कएल जाएवला वस्तु केर गुणवत्ताक मानक नियत करब ।

52. ओ उद्योग जकर संबंधमे संसद विधि द्वारा घोषणा कएने अछि, जे ओहि पर देशक नियंत्रण लोकहितमे समीचीन अछि ।

53. तेलक्षेत्र आओर खनिज तेल संपत्ति स्रोत सभक विनियमन आ विकास; पेट्रोलियम आ पेट्रोलियम उत्पाद; अन्य द्रव्य आओर पदार्थ जेकर विषयमे संसद विधि द्वारा घोषणा कएलक अछि जे ओ खतरनाक रूपसँ ज्वलनशील अछि ।

54. ओहि सीमा धरि खान सभक विनियमन आओर खनिज सभक विकास जत' धरि देशक नियंत्रणक अधीन एहन विनियमन आ विकासक संसद, विधि द्वारा, लोकहितमे समीचीन घोषित करए ।

55. खान आओर तेलक्षेत्र सभमे श्रम आ सुरक्षाक विनियमन ।

56. ओहि सीमा धरि अंतर्राज्यिक नदी सभ आ नदी-घाटी केर विनियमन आ विकास जत' धरि संघक नियंत्रणक अधीन एहन विनियमन आओर विकासक संसद विधि द्वारा, लोकहितमे समीचीन घोषणा करए ।

57. राज्यक्षेत्रीय सागरखंडसँ आगू माछ पकड़ब आओर मत्स्य पालन ।

58. संघक अभिकरण सभ द्वारा नोन केर विनिर्माण, आपूर्ति आओर वितरण, अन्य अभिकरण सभ द्वारा कएल गेल नोनक विनिर्माण, आपूर्ति आओर वितरणक विनियमन आ नियंत्रण ।

59. अफीमक खेती, ओकर विनिर्माण आ निर्यातक लेल विक्रय ।

60. प्रदर्शनक लेल चलचित्र फिल्म सभक स्वीकृति ।

61. देशक कर्मचारी सभसँ संबंधित औद्योगिक विवाद ।

62. एहि संविधानक प्रारंभ पर राष्ट्रीय पुस्तकालय, भारतीय संग्रहालय, इंपीरियल युद्ध संग्रहालय, विक्टोरिया स्मारक आ भारतीय युद्ध स्मारक नाम सभसँ ज्ञात संस्था सभ आओर भारत सरकार द्वारा पूर्णतः वा अंशतः वित्तपोषित आ संसद द्वारा, विधि द्वारा राष्ट्रीय महत्वक घोषित कोनो अन्य संस्था ।

63. एहि संविधानक प्रारंभ पर काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय आओर ¹[दिल्ली विश्वविद्यालय] नाम सभसँ ज्ञात संस्था सभ; ¹[अनुच्छेद 371 'ड' केर अनुसरणमे स्थापित विश्वविद्यालय;] संसद द्वारा, विधि द्वारा राष्ट्रीय महत्वक घोषित कोनो अन्य संस्था ।

¹ संविधान (बत्तीसम संशोधन) अधिनियम, 1973 केर धारा 4 द्वारा (1-7-1974 सँ) "दिल्ली विश्वविद्यालय आओर" केर स्थान पर प्रतिस्थापित ।

64. भारत सरकार द्वारा पूर्णतः वा अंशतः वित्तपोषित आ संसद द्वारा, विधि द्वारा, राष्ट्रीय महत्त्वक घोषित वैज्ञानिक वा तकनीकी शिक्षण संस्था सभ ।

65. देशक अभिकरण आओर संस्था सभ जे-

(क) वृत्तिक, व्यावसायिक वा तकनीकी प्रशिक्षणक लेल अछि, जकर अंतर्गत (ख) पुलिस अधिकारी सभक प्रशिक्षण अछि; वा विशेष अध्ययन वा अनुसंधानक अभिवृद्धिक लेल अछि; वा

(ग) अपराधक अन्वेषण वा सत्यापन करबामे वैज्ञानिक वा तकनीकी सहायताक लेल अछि ।

66. उच्चतर शिक्षा वा अनुसंधान संस्थान सभमे आ वैज्ञानिक आओर तकनीकी संस्था सभमे मानक सभक समन्वय आ अवधारणा ।

67. ¹[संसद द्वारा बनाओल गेल विधि द्वारा वा ओकर अधीन] राष्ट्रीय महत्त्वक घोषित प्राचीन आओर ऐतिहासिक स्मारक आओर अभिलेख वा पुरातात्विक स्थल आ अवशेष ।

68. भारतीय सर्वेक्षण, भारतीय भू-वैज्ञानिक, वनस्पति विज्ञान, प्राणी विज्ञान आओर मानव शास्त्र सर्वेक्षण; मौसम विज्ञान संगठन ।

69. जनगणना ।

70. संघ लोक सेवा; अखिल भारतीय सेवा, संघ लोक सेवा आयोग ।

71. संघक पेंशन, अर्थात् भारत सरकार द्वारा वा भारतक संचित निधिमे सँ देय पेंशन ।

72. संसदक लेल, राज्य सभक विधान-मंडलक लेल आ राष्ट्रपति आओर उप-राष्ट्रपतिक पदक लेल निर्वाचन; निर्वाचन आयोग ।

73. संसद सदस्य सभक, राज्य सभाक सभापति आओर उपसभापति आ लोक सभाक अध्यक्ष आ उपाध्यक्षक वेतन आओर भत्ता ।

74. संसदक प्रत्येक सदनक आ प्रत्येक सदनक सदस्य आओर समितिक शक्ति, विशेषाधिकार आ उन्मुक्ति; संसदक समिति सभ वा संसद द्वारा नियुक्त आयोग सभक समक्ष साक्ष्य देब वा दस्तावेज प्रस्तुत करबाक लेल व्यक्ति सभकेँ उपस्थित कराएब ।

75. राष्ट्रपति आओर राज्यपाल सभक उपलब्धि सभ, भत्ता, विशेषाधिकार आओर अनुपस्थिति छुट्टीक संबंधमे अधिकार; संघक मंत्री सभक वेतन आओर भत्ता; नियंत्रक-महालेखापरीक्षकक वेतन, भत्ता आ अनुपस्थिति छुट्टीक संबंधमे अधिकार आओर सेवाक अन्य शर्त सभ ।

¹ संविधान (सातम संशोधन) अधिनियम, 1956 केर धारा 27 द्वारा (1-11-1956 सँ) “संसद द्वारा विधि द्वारा घोषित” केर स्थान पर प्रतिस्थापित ।

76. संघ आओर राज्यक लेखा सभक अंकेक्षण ।

77. उच्चतम न्यायालयक गठन, संगठन, अधिकारिता आओर शक्ति (जकर अंतर्गत ओहि न्यायालयक अवमानना अछि) आओर ओहिमे लेल जाएवला शुल्क; उच्चतम न्यायालयक समक्ष विधि-व्यवसाय करबाक हकदार व्यक्ति ।

78. उच्च न्यायालय सभक अधिकारी आ सेवक सभक विषयमे उपबंध सभकेँ छोड़ि कए उच्च-न्यायालय सभक गठन आ संगठन ¹[(जकर अंतर्गत दीर्घावकाश अछि)]; उच्च न्यायालय सभक समक्ष विधि-व्यवसाय करबाक हकदार व्यक्ति ।

²[79. कोनो उच्च न्यायालयक क्षेत्राधिकार कोनो केन्द्र शासित प्रदेश पर विस्तारण आओर ओहिसँ अपवर्जन ।]

80. कोनो राज्यक पुलिस बल केर सदस्य सभक शक्ति आओर क्षेत्राधिकारक ओहि राज्यसँ बाहर कोनो क्षेत्र पर विस्तारण, मुदा एहि प्रकारेँ नहि जे एक राज्यक पुलिस ओहि राज्यसँ बाहर कोनो क्षेत्रमे ओहि राज्यक सरकारक सहमतिक बिना जाहिमे एहन क्षेत्र स्थित अछि, शक्ति आ क्षेत्राधिकारक प्रयोग करबामे समर्थ भ' सकए; कोनो राज्यक पुलिस बलक सदस्य सभकेँ शक्ति आओर अधिकारिता ओहि राज्यसँ बाहर रेल क्षेत्र सभ पर विस्तारण ।]

81. अंतर्राज्यिक प्रव्रजन; अंतर्राज्यिक संगरोधन ।

82. कृषि-आयसँ भिन्न आय पर कर ।

83. सीमा शुल्क जकर अंतर्गत निर्यात शुल्क अछि ।

³84. भारतमे विनिर्मित वा उत्पादित निम्नलिखित वस्तु पर उत्पाद-शुल्क, -

(क) अपरिष्कृत पेट्रोलियम;

(ख) उच्च गति डीजल;

(ग) मोटर स्प्रिट (सामान्य रूपसँ पेट्रोलक रूपमे ज्ञात);

(घ) प्राकृतिक गैस;

(ङ) विमानन टर्बाइन ईंधन; आओर

(च) तमाकू आ तमाकू उत्पाद ।]

85. निगम कर ।

¹ संविधान (पन्द्रहम संशोधन) अधिनियम, 1963 केर धारा 12 द्वारा (भूतलक्षी प्रभावसँ अंतःस्थापित) ।

² संविधान (सातम संशोधन) अधिनियम, 1956 केर धारा 29 आओर अनुसूची द्वारा (1-11-1956 सँ) प्रविष्टि 79 केर स्थान पर प्रतिस्थापित ।

³ संविधान (एक सय एकम संशोधन) अधिनियम, 2016 केर धारा 17 (क) (i) द्वारा (16-9-2016 सँ) प्रविष्टि 84 केर स्थान पर प्रतिस्थापित ।

86. व्यक्ति आओर कंपनी सभक परिसंपत्ति, जेकर अंतर्गत कृषि-भूमि नहि अबैत अछि, पूँजी मूल्य पर कर; कंपनीक पूँजी पर कर।

87. कृषि भूमिसँ भिन्न संपत्तिक संबंधमे शुल्क।

88. कृषि भूमिसँ भिन्न संपत्तिक उत्तराधिकारक संबंधमे शुल्क।

89. रेल, समुद्र वा वायुमार्ग द्वारा ल' जाएवला वस्तु वा यात्री सभ पर सीमा कर; रेल भाड़ा आ वस्तु भाड़ा सभ पर कर।

90. स्टॉक एक्सचेंज आ भावी सौदा बाजारक संव्यवहार सभ पर स्टाम्प शुल्कसँ भिन्न कर।

91. विनिमय-पत्र, चेक, वचनपत्र, वहनपत्र, प्रत्ययपत्र, बीमा पॉलिसी, शेयरक अंतरण, डिबेंचर, परोक्षि आ प्राप्ति संबंधमे स्टॉप शुल्कक दर।

¹[92. * * * * *]

²[92क. समाचार पत्रसभसँ भिन्न वस्तुक क्रय वा विक्रय पर ओहि दशामे कर जाहिमे एहन क्रय वा विक्रय अंतर्राज्यिक व्यापार वा वाणिज्यक क्रममे होइत अछि।]

³[92ख. वस्तुक प्रेषण पर (चाहे प्रेषण ओकर करएवला व्यक्तिकेँ वा कोनो अन्य व्यक्तिकेँ कएल गेल अछि), ओहि दशामे कर जाहिमे एहन प्रेषण अंतर्राज्यिक व्यापार वा वाणिज्यक क्रममे होइत अछि।]

⁴[92ग. * * * * *]

93. एहि सूचित विषय सभमे सँ कोनो विषयसँ संबंधित विधि सभक विरुद्ध अपराध।

94. एहि सूचीक विषय सभमे सँ कोनो विषयक प्रयोजन सभक लेल जाँच, सर्वेक्षण आओर आँकड़ा सभ।

95. उच्चतम न्यायालयसँ भिन्न सभ न्यायालय सभक सूचीक विषय सभमे सँ कोनो विषयक संबंधमे अधिकारिता आ शक्ति; नावधिकरण विषयक अधिकारिता।

96. एहि सूचीक विषय सभमे सँ कोनो विषयक संबंधमे शुल्क, मुदा ओकर अंतर्गत कोनो न्यायालय सभमे लेल जाएवला शुल्क नहि अछि।

97. कोनो अन्य विषय जे सूची II वा सूची III मे प्रगणित नहि अछि आओर जेकर अंतर्गत कोनो एहन कर जे ओहि सूची सभमे सँ कोनो सूचीमे उल्लिखित नहि अछि।

¹ संविधान (एक सए एकम संशोधन) अधिनियम, 2016 केर धारा 17 (क) (ii) द्वारा (16-9-2016 सँ) प्रविष्टि 92 केँ लोप कएल गेल।

² संविधान (छठम संशोधन) अधिनियम, 1956 केर धारा 2 द्वारा (11-9-1956 सँ) अंतःस्थापित।

³ संविधान (छियालीसम संशोधन) अधिनियम, 1982 केर धारा 5 द्वारा (2-2-1983 सँ) अंतःस्थापित।

⁴ प्रविष्टि 92 'ग' संविधान (अठसियम संशोधन) अधिनियम, 2003 केर धारा 4 द्वारा (जे प्रवृत्त नहि भेल) अंतःस्थापित कएल गेल छल आओर ओकर संविधान (एक सए एकम संशोधन) अधिनियम, 2016 केर धारा 17 (क) (ii) द्वारा (16-9-2016 सँ) लोप कएल गेल।

सूची 2-राज्य सूची (प्रदेश सूची)

1. लोक व्यवस्था (मुदा एकर अंतर्गत सिविल शक्तिक सहायताक लेल ¹[नौसेना, थल-सेना वा वायु सेना वा संघक कोनो अन्य सशस्त्र बलक वा संघक नियंत्रणाधीन कोनो अन्य बलक वा ओकर कोनो टुकड़ी वा इकाईक प्रयोग] नहि अछि) ।

²[2. सूची 1 केर प्रविष्टि 2 क केर उपबंध सभक अधीन रहैत पुलिस (जेकर अंतर्गत रेल आ ग्राम पुलिस अछि) ।]

3. ^{3***} उच्च न्यायालयक अधिकारी आओर सेवक; किराया आओर राजस्व न्यायालय सभक प्रक्रिया; उच्चतम न्यायालयसँ भिन्न सभ न्यायालय सभमे लेल जाएवला शुल्क ।

4. कारागार, सुधारगृह, बाल-सुधार संस्था सभ आओर ओहि प्रकारक अन्य संस्था सभक उपयोग करबाक लेल अन्य राज्य सभक संग व्यवस्था करब ।

5. स्थानीय शासन, अर्थात् नगर निगम, सुधार न्यास, जिला बोर्ड, खनन-बस्ती प्राधिकारी सभ आओर स्थायी स्वशासन वा ग्राम प्रशासनक प्रयोजन सभक लेल अन्य स्थानीय प्राधिकारी सभ केर गठन आ शक्ति सभ ।

6. लोक स्वास्थ्य आओर स्वच्छता; अस्पताल आ औषधालय ।

7. भारतसँ बाहरक स्थान सभक तीर्थयात्रा सभसँ भिन्न तीर्थयात्रा सभ ।

8. मादक मद्य, अर्थात् मादक मद्यक उत्पादन, विनिर्माण, कब्जा, परिवहन क्रय आ विक्रय ।

9. दिव्यांग आ बेरोजगार लोककेँ सहायता ।

10. शव गाड़ब आओर कब्रिस्तान; शवदाह आओर श्मशान स्थल ।

⁴[11* * * * *]

12. राज्य द्वारा नियंत्रित वा वित्तपोषित पुस्तकालय, संग्रहालय वा ओहने आन संस्था सभ; ⁵[संसद द्वारा बनाओल गेल विधि द्वारा वा ओकर अधीन] राष्ट्रीय महत्त्वक [घोषित] कएल गेल प्राचीन आ ऐतिहासिक स्मारक आओर अभिलेख सभसँ भिन्न प्राचीन आओर ऐतिहासिक स्मारक आ अभिलेख ।

¹ संविधान (बियालिसम संशोधन) अधिनियम, 1976 केर धारा 57 द्वारा (3-1-1977 सँ) किछु शब्द सभक स्थान पर प्रतिस्थापित ।

² संविधान (बियालिसम संशोधन) अधिनियम, 1976 केर धारा 57 द्वारा (3-1-1977 सँ) प्रविष्टि 2 केर स्थान पर प्रतिस्थापित ।

³ संविधान (बियालिसम संशोधन) अधिनियम, 1976 केर धारा 57 (3-1-1977 सँ) किछु शब्दसभक लोप कएल गेल ।

⁴ संविधान (बियालिसम संशोधन) अधिनियम, 1976 केर धारा 57 द्वारा (3-1-1977 सँ) प्रविष्टि 11 केँ लोप कएल गेल ।

⁵ संविधान (सातम संशोधन) अधिनियम, 1956 केर धारा 27 द्वारा (1-11-1956 सँ) “संसद द्वारा विधि द्वारा घोषित” प्रतिस्थापित ।

13. संचार, अर्थात् सड़क, पुल, फेरी आ अन्य संचार साधन जे सूची 1 मे विनिर्दिष्ट नहि अछि; नगरपालिका ट्राम; रोपवे; अंतर्देशीय जलमार्ग सभक संबंधमे सूची 1 आ सूची 3 केर उपबंध सभक अधीन रहैत, अंतर्देशीय जलमार्ग आओर ओहि पर यातायात; यंत्र-चालित यान सभसँ भिन्न यान।

14. कृषि जकर अंतर्गत कृषि शिक्षा आ अनुसंधान, नाशक जीव सभसँ संरक्षण आओर पादप रोगक निवारण अछि।

15. पशुधनकें जोगाएब, संरक्षण आर सुधार आ जीव-जन्तु सभक रोग सभक निवारण; पशुचिकित्सा प्रशिक्षण आओर व्यवसाय।

16. पोखरि अथवा मवेशीक अतिक्रमणक रोकथाम।

17. सूची 1 केर प्रविष्टि 56 केर उपबंध सभक अधीन रहैत, जल अर्थात् जल आपूर्ति पटौनी आओर नहर, जल निकास आओर तटबंध, जलभंडारण आओर जल शक्ति।

18. भूमि, अर्थात् भूमिमे वा ओहि पर अधिकार; पट्टेदारी जेकर अंतर्गत भू-स्वामी आओर किरायेदारक संबंध अछि आ किरायाक संग्रहण : कृषि भूमिक अंतरण आ हस्तांतरण; भूमि विकास आओर कृषि उधार; समाधान;

¹ [19 *	*	*	*	*
20. *	*	*	*	*)]

21. माछ पालन (मत्स्य पालन)।

22. सूची 1 केर प्रविष्टि 34 केर उपबंध सभक अधीन रहैत, प्रतिपाल्य-अधिकरण; भारग्रस्त आ कुर्क कएल गेल संपदा।

23. संघक नियंत्रणक अधीन विनियमन आ विकासक संबंधमे सूची 1 केर उपबंध सभक अधीन रहैत, खान सभक विनियमन आ खनिज विकास।

24. सूची 1 केर ²[प्रविष्टि 7 आओर 52] केर उपबंध सभक अधीन रहैत, उद्योग।

25. गैस आओर गैस-संकर्म।

26. सूची 3 केर प्रविष्टि 33 केर उपबंध सभक अधीन रहैत, राज्यक भीतर व्यापार आओर वाणिज्य।

¹ संविधान (बियालिसम संशोधन) अधिनियम, 1976 केर धारा 57 द्वारा (3-1-1977 सँ) प्रविष्टि 19 आओर प्रविष्टि 20 कें लोप कएल गेल।

² संविधान (सातम संशोधन) अधिनियम, 1956 केर धारा 28 द्वारा (1-11-1956 सँ) प्रविष्टि 52 केर स्थान पर प्रतिस्थापित।

27. सूची 3 केर प्रविष्टि 33 केर उपबंध सभक अधीन रहैत, वस्तुक उत्पादन, आपूर्ति आओर वितरण ।

28. बाजार आर मेला ।

¹[29. * * * * *]

30. साहूकार आ साहूकारी; कृषि ऋणतासँ मुक्ति ।

31. सराय आओर सरायपाल ।

32. एहन निगम सभकेँ, जे सूची 1 मे विनिर्दिष्ट निगमसभसँ भिन्न अछि आ विश्वविद्यालय सभक निगमन, विनियमन आ परिसमापन; अनिगमित व्यापारिक, साहित्यिक, वैज्ञानिक, धार्मिक आओर अन्य समिति सभ आओर संगम; सहकारी समिति सभ ।

33. नाट्यशाला आ नाट्यप्रदर्शन; सूची 1 केर प्रविष्टि 60 केर उपबंध सभक केर अधीन रहैत, सिनेमा; खेलकूद, मनोरंजन आ आमोद ।

34. दांव आ जुआ ।

35. राज्यमे निहित वा ओकर कब्जाक संकर्म, भूमि आओर भवन ।

²[36. * * * * *]

37. संसद द्वारा बनाओल गेल कोनो विधिक उपबंध सभक अधीन रहैत, राज्यक विधान-मंडलक लेल निर्वाचन ।

38. राज्यक विधान-मंडलक सदस्यसभकेँ, विधान सभाक अध्यक्ष आओर उपाध्यक्षकेँ आ, जेँ विधान परिषद अछि तँ, ओकर सभापति आर उप-सभापतिक वेतन आ भत्ता ।

39. विधान सभाक आओर ओकर सदस्य आ समिति सभक आ, जेँ विधान परिषद अछि तँ, ओहि विधान परिषदक आओर ओकर सदस्य सभक आ समिति सभक शक्ति, विशेषाधिकार आ प्रतिरक्षा; राज्यक विधान-मंडलक समिति सभक समक्ष साक्ष्य देब वा दस्तावेज प्रस्तुत करबाक लेल व्यक्ति सभकेँ उपस्थित कराएब ।

40. राज्यक मंत्री सभक वेतन आओर भत्ता ।

41. राज्य लोक सेवा; राज्य लोक सेवा आयोग ।

42. राज्यक पेंशन सभ, अर्थात् राज्य द्वारा वा राज्यक संचित निधिमे सँ देय पेंशन ।

43. राज्यक लोक ऋण ।

44. गुप्त कोष ।

¹ संविधान (बियालिसम संशोधन) अधिनियम, 1976 केर धारा 57 द्वारा (3-1-1977 सँ) प्रविष्टि 29 केँ लोप कएल गेल ।

² संविधान (सातम संशोधन) अधिनियम, 1956 केर धारा 26 द्वारा (1-11-1956 सँ) प्रविष्टि 36 केँ लोप कएल गेल ।

45. भू-राजस्व जेकर अंतर्गत राजस्वक निर्धारण आओर संग्रहण, भू-अभिलेख राखब, राजस्वक प्रयोजन सभक लेल आओर अधिकारक अभिलेख सभक लेल सर्वेक्षण आओर राजस्वक अन्य संक्रमण अछि ।

46. कृषि आय पर कर ।

47. कृषि भूमिक उत्तराधिकारक संबंधमे शुल्क ।

48. कृषि भूमिक संबंधमे संपदा-शुल्क ।

49. भूमि आओर भवन सभ पर कर ।

50. संसद द्वारा, विधि द्वारा, खनिज विकासक संबंधमे लगाओल गेल निर्बंधन सभक अधीन रहैत, खनिज संबंधी अधिकार सभ पर कर ।

51. राज्यमे विनिर्मित वा उत्पादित निम्नलिखित वस्तु पर उत्पाद-शुल्क आओर भारतमे अन्यत्र विनिर्मित वा उत्पादित ओहन वस्तु पर ओहि दर वा निम्नतर दर सँ प्रतिशुल्क-

(क) मानवीय उपभोगक लेल मादक मद्य ।

(ख) अफीम, भारतीय भांग आर अन्य स्वापक औषधि आ स्वापक पदार्थ,

मुदा, जकर अंतर्गत एहन औषधि आ प्रसाधन-पदार्थ नहि अछि जाहिमे मादक पदार्थ वा एहि प्रविष्टिक उप-पैरा (ख) केर कोनो पदार्थ अंतर्विष्ट अछि ।

¹[52. * * * * *]

53. विद्युतक उपभोग वा विक्रय पर कर ।

²[54. अपरिष्कृत पेट्रोलियम, उच्च गति डीजल, मोटर स्पिरिट (सामान्य रूपसँ पेट्रोलक रूपमे ज्ञात), प्राकृतिक गैस, विमानन टर्बाइन ईंधन आ मानवीय उपभोग लेल मादक मद्यक विक्रय पर कर मुदा ओकर अंतर्गत एहन वस्तु पर अंतर्राज्यिक व्यापार वा वाणिज्यक अनुक्रममे विक्रय वा अन्तरराष्ट्रीय व्यापार वा वाणिज्यक जाधरि विक्रय नहि अबैत अछि ।]

³[55. * * * * *]

56. सड़क वा अन्तर्देशीय जलमार्ग सभ द्वारा लेल जाएवला वस्तु आ यात्री सभ पर कर ।

¹. संविधान (एक सए एकम संशोधन) अधिनियम, 2016 केर धारा 17 (ख) (i) द्वारा (16-9-2016 सँ) प्रविष्टि 52 केँ लोप कएल गेल ।

². संविधान (छठम संशोधन) अधिनियम, 1956 केर धारा 2 द्वारा (11-9-1956 सँ) प्रतिस्थापित आ पुनः संविधान (एक सए एकम संशोधन) अधिनियम, 2016 केर धारा 171 (ख) (ii) द्वारा (16-9-2016 सँ) प्रतिस्थापित ।

³. संविधान (एक सए एकम संशोधन) अधिनियम, 2016 केर धारा 17 (ख) (iii) द्वारा (16-9-2016 सँ) लोप कएल गेल ।

(सातम अनुसूची)

57. सूची 3 केर प्रविष्टि 35 केर उपबंध सभक अधीन रहैत, सड़क पर उपयोगक योग्य वाहन पर कर, चाहे ओ यंत्र चालित होअए वा नहि, जेकर अंतर्गत ट्राम गाड़ी अछि ।

58. जीव-जन्तुसभ आओर नावसभ पर कर ।

59. पथकर ।

60. पेशा, व्यापार, आजीविका आओर नियोजन पर कर ।

61. प्रतिव्यक्ति कर ।

¹[62. मनोरंजन आ आमोद-प्रमोद पर ओहि सीमा धरि कर जे कोनो पंचायत वा कोनो नगरपालिका वा कोनो प्रादेशिक परिषद वा कोनो जिला परिषद द्वारा उद्गृहीत आ संग्रहित कएल जाए ।]

63. स्टाम्प-शुल्कक दरक संबंधमे सूची 1 केर उपबंध सभमे विनिर्दिष्ट दस्तावेज सभसँ भिन्न दस्तावेज सभक संबंधमे स्टाम्प-शुल्कक दर ।

64. एहि सूचीक विषय सभमे सँ कोनो विषयसँ संबंधित विधि सभक विरुद्ध अपराध ।

65. उच्चतम न्यायालयसँ भिन्न सभ न्यायालय सभक सूचीक विषय सभमे सँ कोनो विषयक संबंधमे अधिकारिता आ शक्ति ।

66. एहि सूचीक विषय सभमे सँ कोनो विषयक संबंधमे शुल्क, मुदा ओकर अंतर्गत कोनो न्यायालयमे लेल जाएवाला शुल्क नहि अछि ।

सूची 3-समवर्ती सूची

1. दंड विधि जेकर अंतर्गत एहन सभ विषय अछि जे एहि संविधानक प्रारंभ पर भारतीय दंड संहिताक अंतर्गत अबैत अछि, मुदा ओकर अंतर्गत सूची 1 वा सूची 2 मे विनिर्दिष्ट विषय सभमे सँ कोनो विषयमे सँ कोनो विषयसँ संबंधित विधि सभक विरुद्ध अपराध आर सिविल शक्तिक सहायताक लेल नौसेना, सेना वा वायुसेना अथवा संघक कोनो अन्य सशस्त्र बलक प्रयोग नहि अछि ।

2. दंड प्रक्रिया जकर अंतर्गत एहन सभ विषय अछि जे एहि संविधानक प्रारंभ पर दंड प्रक्रिया संहिताक अंतर्गत अछि ।

3. कोनो राज्यक सुरक्षा, लोक व्यवस्था बनाकए रखबाक वा समुदायक लेल आवश्यक आपूर्ति आओर सेवा सभकेँ बनाकए रखबाक संबंधी कारण सभसँ निवारक निरोध, एहि प्रकारेँ निरोधमे राखल गेल व्यक्ति ।

4. कैदी सभ, अभियुक्त लोक सभ आर एहि सूचीक प्रविष्टि 3 मे विनिर्दिष्ट कारण सभसँ निवारक निरोधमे राखल गेल लोक सभक एक राज्य सँ दोसर राज्यकेँ हटाओल जाएब ।

¹ संविधान (एक सए एकम संशोधन) अधिनियम, 2016 केर धारा 17 (ख) (iv) द्वारा (16-9-2016 सँ) प्रविष्टि 62 केर स्थान पर प्रतिस्थापित ।

5. विवाह आओर विवाह-विच्छेद; शिशु आओर अवयस्क; दत्तक-ग्रहण; इच्छापत्र, निर्वसीयता आर उत्तराधिकार; अविभक्त कुटुम्ब आ विभाजन; ओ सभ विषय, जकर संबंधमे न्यायिक कार्यवाही सभमे पक्षकार एहि संविधानक प्रारंभसँ ठीक पहिने अपन स्वीय विधिक अधीन छल ।

6. कृषि भूमिसँ भिन्न संपत्तिक अंतरण; विलेख आओर दस्तावेज सभक पंजीकरण ।

7. संविदा, जकर अंतर्गत भागीदारी, अभिकरण, वाहनक संविदा आ अन्य विशेष प्रकारक संविदा सभ अछि, मुदा कृषि भूमि संबंधित संविदा सभ नहि अछि ।

8. वाद-योग्य दोष ।

9. शोधन अक्षमता आ दिवाला ।

10. न्यास आओर न्यासी ।

11. महाप्रशासक आओर शासकीय न्यासी ।

¹[11क. न्यास प्रशासन; उच्चतम न्यायालय आओर उच्च न्यायालय सभसँ भिन्न सभ न्यायालय सभक गठन आओर संगठन ।]

12. साक्ष्य आओर शपथ; विधि, लोक कार्य आ अभिलेख आओर न्यायिक कार्यवाही सभक मान्यता ।

13. सिविल प्रक्रिया, जकर अंतर्गत एहन सभ विषय अछि जे एहि संविधानक प्रारंभ पर सिविल प्रक्रियाक अंतर्गत अबैत अछि, परिसीमा आओर माध्यस्थम् ।

14. न्यायालयक अवमान, मुदा ओकर अंतर्गत उच्चतम न्यायालयक अवमान नहि अछि ।

15. आवारगी; खानाबदोश आओर प्रवासी जनजाति सभ ।

16. पागलपन, मानसिक मंदता जकर अंतर्गत पागल आर मनोविकल व्यक्ति सभकेँ ग्रहण करब वा ओकर उपचारक स्थान अछि ।

17. पशुसभक प्रति क्रूरताक निवारण ।

¹[17क. वन ।]

17ख. वन्य जीव-जन्तुसभ आओर चिड़ै सभक संरक्षण ।]

18. खाद्य पदार्थ सभ आ अन्य वस्तुक अपमिश्रण ।

19. अफीमक संबंधमे सूची I केर प्रविष्टि 59 केर उपबंध सभक अधीन रहैत मादक द्रव्य आ विष ।

20 आर्थिक आर सामाजिक योजना ।

¹[20क. जनसंख्या नियंत्रण आओर परिवार नियोजन ।]

¹ प्रविष्टि 11क, 17ख आ 20क, संविधान (बियालिसम संशोधन) अधिनियम, 1976 केर धारा 57 (ग) (i), (ii) आ (iii) द्वारा (3-1-1977 सँ) अंतःस्थापित ।

(सातम अनुसूची)

21. वाणिज्यिक आओर औद्योगिक एकाधिकार, गुट आर न्यास ।
22. व्यापार संघ; औद्योगिक आर श्रम विवाद ।
23. सामाजिक सुरक्षा आर सामाजिक बीमा; नियोजन आर बेकारी ।
24. श्रमिक सभक कल्याण जकर अंतर्गत कार्यक दशा, भविष्य निधि, नियोजनक दायित्व, कर्मकार प्रतिकर, अशक्तता आ वृद्धावस्था पेंशन आ प्रसूति सुविधा सभ अछि ।
¹[25. सूची 1 केर प्रविष्टि 63, 64, 65 आ 66 केर उपबंध सभक अधीन रहैत शिक्षा जकर अंतर्गत तकनीकी शिक्षा, आयुर्विज्ञान शिक्षा आर विश्वविद्यालय अछि, श्रमिक सभक व्यावसायिक आओर तकनीकी प्रशिक्षण ।]
26. विधि, चिकित्सा आओर आन वृत्ति सभ ।
27. भारत आर पाकिस्तान उपनिवेशक स्थापित होएबाक कारण अपन मूल स्थानसँ विस्थापित व्यक्तिसभकेँ सहायता आर पुनर्वास ।
28. दान आओर धर्मार्थ संस्था सभ, धर्मार्थ आओर धार्मिक विन्यास आ धार्मिक संस्था सभ ।
29. मानव, जीव-जन्तु आ गाछ-वृक्ष सभ पर प्रभावित करएवला संक्रामक वा सांसर्गिक रोग सभ अथवा नाशक जीव सभकेँ एक राज्य सँ दोसर राज्यमे पसरबाक निवारण ।
30. जन्म-मरण सांख्यिकी, जकर अंतर्गत जन्म आओर मृत्यु पंजीकरण अछि ।
31. संसद द्वारा बनाओल गेल विधि वा विद्यमान विधि द्वारा वा ओकर अधीन प्रमुख बंदरगाह सभसँ घोषित कएल गेल बंदरगाह सभक अतिरिक्त अन्य बंदरगाह ।
32. राष्ट्रीय जलमार्ग सभक सूचीक संबंधमे सूची 1 केर उपबंध सभक अधीन रहैत, अंतर्देशीय जलमार्ग सभ पर यंत्र चालित जलयान सभक संबंधमे पोत परिवहन आ नौ-परिवहन आओर एहन जलमार्ग सभ पर मार्गक नियम आओर अंतर्देशीय जलमार्ग सभ द्वारा यात्री आओर वस्तुक वाहन ।
²[33. व्यापार आओर वाणिज्य आ ओकर उत्पादन, आपूर्ति आओर वितरण-
 (क) जत' संसद द्वारा विधि द्वारा कोनो उद्योगक संघ द्वारा नियंत्रण लोकहितमे समीचीन घोषित कएल जाइत अछि ओत' ओहि उद्योगक उत्पाद सभकेँ आ ओहि प्रकारक आयात कएल गेल वस्तुक एहन उत्पाद सभक रूपमे;
 (ख) खाद्य पदार्थ सभक जकर अंतर्गत खाद्य तेलहन आर तेल अछि,
 (ग) पशु सभक चारा जकर अंतर्गत खल्ली आ अन्य दाना अछि ।
 (घ) काँच पटुआ(जूट)क, चाहे ओ काटल होअए वा बिना काटल होअए, आ पटुआक बीया, आ
 (ङ) काँच पटुआ ।]

¹ संविधान (बियालिसम संशोधन) अधिनियम, 1976 केर धारा 57 (ग) (iv) द्वारा (3-1-1977 सँ) प्रतिस्थापित ।

² संविधान (तेसर संशोधन) अधिनियम, 1954 केर धारा 2 द्वारा (22-2-1955 सँ) प्रविष्टि 33 केर स्थान पर प्रतिस्थापित ।

¹[33क. बटखारा आओर माप, जकर अंतर्गत मानक सभकेँ नियत कएल जाएब नहि अछि।]

34. मूल्य नियंत्रण।

35. यंत्र चालित यान जकर अंतर्गत ओ सिद्धान्त अछि जकर अनुसार एहन यान सभ पर कर उद्गृहीत कएल जाएबाक अछि।

36. कारखाना सभ।

37. बॉयलर।

38. विद्युत।

39. समाचार पत्र, पोथी आओर मुद्रणालय।

40. ²[संसद द्वारा बनाओल गेल विधि द्वारा वा ओकर अधीन] राष्ट्रीय महत्वक [घोषित] पुरातत्वीय स्थल सभ आ अवशेष सभसँ भिन्न पुरातत्वीय स्थल आओर अवशेष।

41. एहन संपत्तिक (जकर अंतर्गत कृषि भूमि अछि) अभिरक्षा, प्रबंध आ व्यवस्था जे विधि द्वारा निष्क्रान्त संपत्ति घोषित कएल जाए।

³[42. संपत्तिक अर्जन आओर अधिग्रहण।]

43. कोनो राज्यमे, ओहि राज्यसँ बाहर उद्भूत कर सँ संबंधित दावा सभ आ अन्य लोक माँग सभक वसूली जकर अंतर्गत भू-राजस्वक बकाया आ एहन बकायाक रूपमे वसूल कएल जा सकए वला राशि सभ अछि।

44. न्यायिक स्टाम्प सभक द्वारा संगृहीत शुल्क वा शुल्क सभसँ भिन्न स्टाम्प-शुल्क, मुदा ओकर अंतर्गत स्टाम्प-शुल्कक दर सभ नहि अछि।

45. सूची 2 वा सूची 3 मे विनिर्दिष्ट विषय सभमे सँ कोनो विषयक प्रयोजन सभक लेल जाँच आओर आँकड़ा सभ।

46. उच्चतम न्यायालयसँ भिन्न सभ न्यायालय सभक एहि सूचीक विषय सभमे सँ कोनो विषयक संबंधमे अधिकारिता आओर शक्ति।

47. एहि सूचीक विषय सभमे सँ कोनो विषयक संबंधमे शुल्क, मुदा ओकर अंतर्गत कोनो न्यायालयमे लेबए जाएवला शुल्क नहि अछि।

¹ संविधान (बियालिसम संशोधन) अधिनियम, 1976 केर धारा 57 द्वारा (3-11-1977 सँ) अंतःस्थापित।

² संविधान (सातम संशोधन) अधिनियम, 1956 केर धारा 27 द्वारा (1-11-1956 सँ) “संसद द्वारा बनाओल गेल विधि द्वारा वा ओकर अधीन घोषित” केर स्थान पर प्रतिस्थापित।

³ संविधान (सातम संशोधन) अधिनियम, 1956 केर धारा 26 द्वारा (1-11-1956 सँ) प्रतिस्थापित।

आठम अनुसूची

[अनुच्छेद 344 (1) आओर अनुच्छेद 351]

भाषा सभ

1. असमी ।
2. बंगाली ।
- ¹[3. बोडो ।]
4. डोगरी ।
- ²[5.] गुजराती ।
- ³[6.] हिन्दी ।
- ³[7.] कन्नड़ ।
- ³[8.] कश्मीरी ।
- ⁴[³9.] कोंकणी ।]
- ¹[10. मैथिली ।]
- ⁵[11.] मलयालम ।
- ⁴[⁶12.] मणिपुरी ।]
- ⁶[13.] मराठी ।
- ⁴[⁶14.] नेपाली ।]
- ⁶[15.] ⁷[ओडिया]
- ⁶[16.] पंजाबी
- ⁶[17.] संस्कृत ।

-
- ¹ संविधान (बेरानवेयम संशोधन) अधिनियम, 2003 केर धारा 2 द्वारा (7-1-2004 सँ) प्रविष्टि 3 एवं 4 अन्तःस्थापित ।
 - ² संविधान (बेरानवेयम संशोधन) अधिनियम, 2003 केर धारा 2 द्वारा (7-1-2004 सँ) प्रविष्टि 3 केर प्रविष्टि 5 केर रूपमे पुनः संख्याकित कएल गेल ।
 - ³ संविधान (बेरानवेयम संशोधन) अधिनियम, 2003 केर धारा 2 द्वारा (7-1-2004 सँ) प्रविष्टि 4 सँ 7 केर प्रविष्टि 6 सँ प्रविष्टि 9 केर रूपमे पुनःसंख्याकित कएल गेल ।
 - ⁴ संविधान (एकहत्तरम संशोधन) अधिनियम, 1992 केर धारा 2 द्वारा (31-8-1992 सँ) अन्तःस्थापित ।
 - ⁵ संविधान (बेरानवेयम संशोधन) अधिनियम, 2003 केर धारा 2 द्वारा (7-1-2004 सँ) प्रविष्टि 8 केर प्रविष्टि 11 केर रूपमे पुनःसंख्याकित कएल गेल ।
 - ⁶ संविधान (बेरानवेयम संशोधन) अधिनियम, 2003 केर धारा 2 द्वारा (7-1-2004 सँ) प्रविष्टि 9 सँ प्रविष्टि 14 केर प्रविष्टि 12 सँ प्रविष्टि 17 केर रूपमे पुनःसंख्याकित कएल गेल ।
 - ⁷ संविधान (छियानवेयम संशोधन) अधिनियम, 2011 केर धारा 2 द्वारा (23-9-2011 सँ) “उडिया” केर स्थान पर प्रतिस्थापित ।

¹[18. संथाली ।]

²[³[19.] सिंधी ।]

⁴[20.] तमिल ।

⁴[21.] तेलुगू ।

⁴[22.] उर्दू ।

¹ संविधान (बेरानवेयम संशोधन) अधिनियम, 2003 केर धारा 2 द्वारा (7-1-2004 सँ) अन्तःस्थापित ।

² संविधान (एकैसम संशोधन) अधिनियम, 1967 केर धारा 2 द्वारा (10-4-1967 सँ) जोड़ल गेल ।

³ संविधान (बेरानवेयम संशोधन) अधिनियम, 2003 केर धारा 2 द्वारा (7-1-2004 सँ) प्रविष्टि 15 केर प्रविष्टि 19 केर रूपमे पुनःसंख्याकित कएल गेल ।

⁴ संविधान (बेरानवेयम संशोधन) अधिनियम, 2003 केर धारा 2 द्वारा (7-1-2004 सँ) प्रविष्टि 16 सँ प्रविष्टि 18 क प्रविष्टि 20 सँ प्रविष्टि 22 केर रूपमे पुनःसंख्याकित कएल गेल ।

नवम अनुसूची

(अनुच्छेद 31 'ख')

1. बिहार भूमि सुधार अधिनियम, 1950 (1950 केर बिहार अधिनियम 30)।
2. बंबई अभिधृति आओर कृषि भूमि अधिनियम, 1948 (1948 केर बंबई अधिनियम 67)।
3. बंबई मालिकी भूधृति उन्मूलन अधिनियम, 1949 (1949 केर बंबई अधिनियम 61)।
4. बंबई तालुकदारी भूधृति उन्मूलन अधिनियम, 1949 (1949 केर बंबई अधिनियम 62)।
5. पंच महल मेहवासी भूधृति उन्मूलन अधिनियम, 1949 (1949 केर बंबई अधिनियम 63)।
6. बंबई खेती उन्मूलन अधिनियम, 1950 (1950 केर बंबई अधिनियम 6)।
7. बंबई परगना आओर कुलकर्णी वतन उन्मूलन अधिनियम, 1950 (1950 केर बंबई अधिनियम 60)।
8. मध्य प्रदेश साम्प्रतिक अधिकार (संपदा, महल, अन्य संक्रांत भूमि) उन्मूलन अधिनियम, 1950 (मध्य प्रदेश अधिनियम क्रमांक 1 सन् 1951)
9. मद्रास संपदा (उन्मूलन आ रैयतवाड़ीमे संपरिवर्तन) अधिनियम, 1948 (1948 केर मद्रास अधिनियम 26)।
10. मद्रास संपदा (उन्मूलन आ रैयतवाड़ीमे संपरिवर्तन) संशोधन अधिनियम 1950 (1950 केर मद्रास अधिनियम I)।
11. 1950 ई. केर उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन आओर भूमि-व्यवस्था अधिनियम (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1, 1951)।
12. हैदराबाद (जागीर उन्मूलन) विनियम, 135फ (1358 फसलीक सं. 69)।
13. हैदराबाद जागीर (परिवर्तन) विनियम, 1359फ (1359 फसलीक सं. 25)।
- 2[14. बिहार विस्थापित व्यक्ति पुनर्वास (भूमि अर्जन) अधिनियम, 1950 (1950 केर बिहार अधिनियम 38)]।
15. संयुक्त प्रांतक शरणार्थी सभकेँ बसएबाक लेल भूमि प्राप्त करबाक एक्ट, 1948 ई. (संयुक्त प्रांतीय एक्ट संख्या 26, 1948)।
16. विस्थापित व्यक्ति पुनर्वास (भूमि अर्जन) अधिनियम, 1948 (1948 केर अधिनियम 60)।
17. बीमा (संशोधन) अधिनियम, 1950 (1950 केर अधिनियम 47) केर धारा 42 द्वारा यथा अंतःस्थापित बीमा अधिनियम, 1938 (1938 केर अधिनियम 4) केर धारा 52 क सँ धारा 52 'छ')।
18. रेल कंपनी (आपात उपबंध) अधिनियम, 1951 (1951 केर अधिनियम 51)।

¹ संविधान (पहिल संशोधन) अधिनियम, 1951 केर धारा 14 द्वारा (18-6-1951 सँ) जोड़ल गेल नवम अनुसूची 1 सँ 13)

² संविधान (चारिम संशोधन) अधिनियम, 1955 केर धारा 5 द्वारा (27-4-1955 सँ) जोड़ल गेल प्रविष्टि 14 सँ 20)।

19. उद्योग (विकास आओर विनियमन) संशोधन अधिनियम, 1953 (1953 केर अधिनियम 26) केर धारा 13 द्वारा यथा अंतःस्थापित उद्योग (विकास आओर विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 केर अधिनियम 65) केर अध्याय 3 क।

20. 1951 केर पश्चिमी बंगाल अधिनियम 29 द्वारा यथा संशोधित पश्चिमी बंगाल भूमि विकास आओर योजना अधिनियम, 1948 (1948 केर पश्चिमी बंगाल अधिनियम 21)।¹

¹[21.] आंध्र प्रदेश अधिकतम कृषि जोत सीमा अधिनियम, 1961 (1961 केर आंध्र प्रदेश अधिनियम 10)।

22. आंध्र प्रदेश (तेलंगाना क्षेत्र) अभिवृत्ति आओर कृषि भूमि (विधिमाम्यकरण) अधिनियम, 1961 (1961 केर आंध्र प्रदेश अधिनियम 21)।

23. आंध्र प्रदेश (तेलंगाना क्षेत्र) इजारा आओर कौली भूमि अनियमित पट्टा रद्दकरण आओर रियायती निर्धारण उन्मूलन अधिनियम, 1961 (1961 केर आंध्र प्रदेश अधिनियम 36)।

24. असम राज्य लोक प्रकृतिक धार्मिक वा पूर्त संस्था भूमि अर्जन अधिनियम, 1959 (1961 केर असम अधिवेशन 9)।

25. बिहार भूमि सुधार (संशोधन) अधिनियम, 1953 (1954 केर बिहार अधिनियम 20)।

26. बिहार भूमि सुधार (अधिकतम सीमा निर्धारण आओर अधिशेष भूमि अर्जन) अधिनियम, 1961 (1962 केर बिहार अधिनियम सं. 12), जेकर अंतर्गत एहि अधिनियमक धारा 28 नहि अछि।

27. बंबई तालुकदारी भूधृति उन्मूलन (संशोधन) अधिनियम, 1954 (1955 केर बंबई अधिनियम 1)।

28. बंबई तालुकदारी भूधृति उन्मूलन (संशोधन) अधिनियम, 1957 (1958 केर बंबई अधिनियम 18)।

29. बंबई इनाम (कच्छ क्षेत्र) उन्मूलन अधिनियम, 1958 (1958 केर बंबई अधिनियम 1958)।

30. बंबई अभिवृत्ति आओर कृषि भूमि (गुजरात संशोधन) अधिनियम, 1960 (1960 केर गुजरात अधिनियम 16)।

31. गुजरात कृषि भूमि अधिकतम सीमा अधिनियम, 1960 (1961 केर गुजरात अधिनियम 26)।

32. सगबारा आओर मेहवासी संपदा (साम्पत्तिक अधिकार उन्मूलन, आदि) विनियम 1962 (1962 केर गुजरात विनियम 1)।

¹ संविधान (सत्रहम संशोधन) अधिनियम, 1964 केर धारा 3 द्वारा (20-6-1964 सँ) प्रविष्टि 21 सँ 64 जोड़ल गेल।

33. गुजरात शेष अन्य संक्रमण उन्मूलन अधिनियम, 1963 (1963 केर गुजरात अधिनियम 33), ओतए धरि अतिरिक्त जत' धरि ई अधिनियम ओकर धारा 2 केर खंड (3) केर उपखंड (घ) मे निर्दिष्ट अन्य संक्रामणक संबंधमे अछि ।

34. महाराष्ट्र कृषि भूमि (अधिकतम जोत सीमा) अधिनियम, 1961 (1961 केर महाराष्ट्र अधिनियम 27) ।

35. हैदराबाद अभिधृति आओर कृषि भूमि (पुनः अधिनियमन, विधिमान्यकरण आओर अतिरिक्त संशोधन) अधिनियम, 1961 (1961 केर महाराष्ट्र अधिनियम 45) ।

36. हैदराबाद अभिधृति आओर कृषि भूमि अधिनियम, 1950 (1950 केर हैदराबाद अधिनियम 21) ।

37. जन्मीकरम भुगतान (उन्मूलन) अधिनियम, 1960 (1961 केर केरल अधिनियम 3) ।

38. केरल भूमि-कर अधिनियम, 1961 (1961 केर केरल अधिनियम 13) ।

39. केरल भूमि सुधार अधिनियम, 1963 (1964 केर केरल अधिनियम 1) ।

40. मध्य प्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 (मध्य प्रदेश अधिनियम, क्रमांक 20 सन् 1959) ।

41. मध्य प्रदेश कृषिक जोत उच्चतम सीमा अधिनियम, 1960 (मध्य प्रदेश अधिनियम क्रमांक 20 सन् 1960) ।

42. मद्रास खेतिहर अभिधारी संरक्षण अधिनियम, 1955 (1955 केर मद्रास अधिनियम 25) ।

43. मद्रास खेतिहर अभिधारी (उचित लगान भुगतान) अधिनियम, 1956 (1956 केर मद्रास अधिनियम 24) ।

44. मद्रास कुडीइरूपु अधिभोगी (बेदखली सँ संरक्षण) अधिनियम, 1961, (1961 केर मद्रास अधिनियम 38) ।

45. मद्रास लोक न्यास (कृषि भूमि प्रशासन विनियमन अधिनियम, 1961 (1961 केर मद्रास अधिनियम 57) ।

46. मद्रास भूमि सुधार (अधिकतम भूमि सीमा निर्धारण) अधिनियम, 1961 (1961 केर मद्रास अधिनियम 58) ।

47. मैसूर अभिधृति अधिनियम, 1952 (1952 केर मैसूर अधिनियम 13) ।

48. कूर्ग अभिधारी अधिनियम, 1957 (1957 केर मैसूर अधिनियम 14) ।

49. मैसूर ग्राम-पद उन्मूलन अधिनियम, 1961 (1961 केर मैसूर अधिनियम 14) ।

50. हैदराबाद अभिधृति आओर कृषि भूमि (विधिमान्यकरण) अधिनियम, 1961 (1961 केर मैसूर अधिनियम 36) ।

51. मैसूर भूमि सुधार अधिनियम, 1961 (1962 केर मैसूर अधिनियम 10) ।

52. उड़ीसा भूमि सुधार अधिनियम, 1960 (1960 केर उड़ीसा अधिनियम 16)।
53. उड़ीसा विलीन राज्यक्षेत्र (ग्राम-पद उन्मूलन) अधिनियम, 1963 (1963 केर उड़ीसा अधिनियम 10)।
54. पंजाब भूधृति सुरक्षा अधिनियम, 1953 (1953 केर पंजाब अधिनियम 10)।
55. राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 (1955 केर राजस्थान अधिनियम 3)।
56. राजस्थान जमींदारी आओर बिस्वेदारी उन्मूलन अधिनियम, 1959 (1959 केर राजस्थानी अधिनियम 8)।
57. कुमायूं आ उत्तराखंड जमींदारी उन्मूलन आओर भूमि-सुधार अधिनियम, 1960 (उत्तर प्रदेश अधिनियम 17, 1960)।
58. उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत-सीमा आरोपण अधिनियम, 1960 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1, 1961)।
59. पश्चिमी बंगाल संपदा अर्जन अधिनियम, 1953 (1954 केर पश्चिमी बंगाल अधिनियम 1)।
60. पश्चिमी बंगाल भूमि सुधार अधिनियम, 1955 (1956 केर पश्चिमी बंगाल अधिनियम 10)।
61. दिल्ली भूमि सुधार अधिनियम, 1954 (1954 केर दिल्ली अधिनियम 8)।
62. दिल्ली भूमि जोत (अधिकतम सीमा) अधिनियम, 1960 (1960 केर केन्द्रीय अधिनियम 24)।
63. मणिपुर भू-राजस्व आओर भूमि सुधार अधिनियम, 1960 (1960 केर केन्द्रीय अधिनियम 33)।
64. त्रिपुरा भू-राजस्व आओर भूमि सुधार अधिनियम, 1960 (1960 केर केन्द्रीय अधिनियम 43)।
- ¹[65.] केरल भूमि सुधार (संशोधन) अधिनियम, 1969 (1969 केर केरल अधिनियम 35)।
66. केरल भूमि सुधार (संशोधन) अधिनियम, 1971 (1971 केर केरल अधिनियम 25)।
- ²[67.] आंध्र प्रदेश भूमि सुधार (अधिकतम कृषि जोत सीमा) अधिनियम, 1973 (1973 केर आंध्र प्रदेश अधिनियम 1)।
68. बिहार भूमि सुधार (अधिकतम सीमा निर्धारण आओर अधिशेष भूमि अर्जन) (संशोधन) अधिनियम, 1972 (1973 केर बिहार अधिनियम 1)।

¹ संविधान (उनतीसम संशोधन) अधिनियम, 1972 केर धारा 2 द्वारा (9-6-1972 सँ) प्रविष्टि 65 आ 66 अंतःस्थापित।

² संविधान (चौतीसम संशोधन) अधिनियम, 1974 केर धारा 2 द्वारा (7-9-1974) प्रविष्टि 67 आ 86 अंतःस्थापित।

69. बिहार भूमि सुधार (अधिकतम सीमा निर्धारण आओर अधिशेष भूमि अर्जन) (संशोधन) अधिनियम, 1973 (1973 केर बिहार अधिनियम 9)।

70. बिहार भूमि सुधार (संशोधन) अधिनियम, 1972 (1972 केर बिहार अधिनियम सं. 5)।

71. गुजरात अधिकतम कृषि भूमि सीमा (संशोधन) अधिनियम, 1972 (1974 केर गुजरात अधिनियम 2)।

72. हरियाणा भूमि जोतक अधिकतम सीमा अधिनियम, 1972 (1972 केर हरियाणा अधिनियम 26)।

73. हिमाचल प्रदेश अधिकतम भूमि जोत सीमा अधिनियम, 1972 (1973 केर हिमाचल प्रदेश अधिनियम 19)।

74. केरल भूमि सुधार (संशोधन) अधिनियम, 1972 (1972 केर केरल अधिनियम 17)।

75. मध्य प्रदेश कृषिक जोत उच्चतम सीमा (संशोधन) अधिनियम, 1972 (मध्य प्रदेश अधिनियम क्रमांक 12 सन् 1974)।

76. मध्य प्रदेश कृषिक जोत उच्चतम सीमा (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 1972 (मध्य प्रदेश अधिनियम क्रमांक 12 सन् 1974)।

77. मैसूर भूमि सुधार (संशोधन) अधिनियम, 1973 (1974 केर कर्नाटक अधिनियम 1)।

78. पंजाब भूमि सुधार अधिनियम, 1972 (1973 केर पंजाब अधिनियम 10)।

79. राजस्थान कृषि जोत सभ पर अधिकतम सीमा अधिरोपण अधिनियम, 1973 (1973 केर राजस्थान अधिनियम 11)।

80. गुडलूर जन्मसंपदा (उन्मूलन आओर रैयतवाड़ीमे संपरिवर्तन) अधिनियम, 1969 (1969 केर तमिलनाडु अधिनियम 24)।

81. पश्चिमी बंगाल भूमि सुधार (संशोधन) अधिनियम, 1972 (1972 केर पश्चिमी बंगाल अधिनियम 12)।

82. पश्चिमी बंगाल संपदा अर्जन (दोसर संशोधन) अधिनियम, 1964 (1964 केर पश्चिमी बंगाल अधिनियम 22)।

83. पश्चिमी बंगाल संपदा अर्जन (दोसर संशोधन) अधिनियम, 1973 (1973 केर पश्चिमी बंगाल अधिनियम 33)।

84. बंबई अभिवृत्ति आओर कृषि भूमि (गुजरात संशोधन) अधिनियम, 1972 (1973 केर गुजरात अधिनियम 5)।

85. उड़ीसा भूमि सुधार (संशोधन) अधिनियम, 1974 (1974 केर उड़ीसा अधिनियम 9)।

86. त्रिपुरा भू-राजस्व आओर भूमि सुधार (दोसर संशोधन) अधिनियम, 1974 (1974 केर त्रिपुरा अधिनियम 7)।

¹[287.* * * * *]

88. उद्योग (विकास आओर विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 केर केन्द्रीय अधिनियम 65)।

89. अचल संपत्ति अधिग्रहण आओर अर्जन अधिनियम, 1952 (1952 केर केन्द्रीय अधिनियम 30)।

90. खान आओर खनिज (विनियमन आ विकास) अधिनियम, 1957 (1957 केर केन्द्रीय अधिनियम 67)।

*91. एकाधिकार आ अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम, 1969 (1969 केर केन्द्रीय अधिनियम 54)।

²[92.* * * * *]

93. कोककारी कोयला खान (आपात उपबंध) अधिनियम, 1971 (1971 केर केन्द्रीय अधिनियम 64)।

94. कोककारी कोयला खान (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1972 (1972 केर केन्द्रीय अधिनियम 36)।

95. साधारण बीमा कारबार (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1972 (1972 केर केन्द्रीय अधिनियम 57)।

96. इंडियन कॉपर कारपोरेशन (उपक्रमक अर्जन) अधिनियम, 1972, (1972 केर केन्द्रीय अधिनियम 58)।

97. रुग्ण कपड़ा उपक्रम (प्रबंध ग्रहण) अधिनियम, 1972 (1972 केर केन्द्रीय अधिनियम 72)।

98. कोयला खान (प्रबंध ग्रहण) अधिनियम, 1973 (1973 केर केन्द्रीय अधिनियम (15)।

99. कोयला खान (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1973 (1973 केर केन्द्रीय अधिनियम 26)।

**100 विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1973 (1973 केर केन्द्रीय अधिनियम 46)।

101. एलकाक एशडाउन कंपनी लिमिटेड (उपक्रम सभक अर्जन) अधिनियम, 1973 (1973 केर केन्द्रीय अधिनियम 56)।

¹ संविधान (उनचालीसम संशोधन) अधिनियम, 1973 केर धारा 5 द्वारा (10-8-1975 सँ) प्रविष्टि 87 सँ 124 अंतःस्थापित।

² संविधान (चौआलीसम संशोधन) अधिनियम, 1978 केर धारा 44 द्वारा (20-8-1979 सँ) प्रविष्टि 87 आओर प्रविष्टि 92 केर लोप कएल गेल।

* प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 (2003 केर 12) केर धारा 66 द्वारा (1-9-2009 सँ) निरसित।

** विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 केर पर) केर धारा 49 द्वारा (1-6-2000 सँ) निरसित।

102. कोयला खान (संरक्षण आओर विकास) अधिनियम, 1974 (1974 केर केन्द्रीय अधिनियम 28)

103. अतिरिक्त उपलब्धि सभ (अनिवार्य निक्षेप) अधिनियम, 1974, (1974 केर केन्द्रीय अधिनियम 37)।

104. विदेशी मुद्रा संरक्षण आओर तस्करी निवारण अधिनियम, 1974 (1974 केर केन्द्रीय अधिनियम 52)।

105. रुग्ण कपड़ा उपक्रम (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1974 (1974 केर केन्द्रीय अधिनियम 57)।

106. महाराष्ट्र कृषि भूमि (अधिकतम जोत सीमा) (संशोधन) अधिनियम, 1964 (1965 केर महाराष्ट्र अधिनियम 16)।

107. महाराष्ट्र कृषि भूमि (अधिकतम जोत सीमा) (संशोधन) अधिनियम, 1965 (1965 केर महाराष्ट्र अधिनियम 32)।

108. महाराष्ट्र कृषि भूमि (अधिकतम जोत सीमा) (संशोधन) अधिनियम, 1968 (1968 केर महाराष्ट्र अधिनियम 16)।

109. महाराष्ट्र कृषि भूमि (अधिकतम जोत सीमा) (दोसर संशोधन) अधिनियम, 1968 (1968 केर महाराष्ट्र अधिनियम 33)।

110. महाराष्ट्र कृषि भूमि (अधिकतम जोत सीमा) (संशोधन) अधिनियम, 1969 (1969 केर महाराष्ट्र अधिनियम 37)।

111. महाराष्ट्र कृषि भूमि (अधिकतम जोत सीमा) दोसर संशोधन) अधिनियम, 1969 (1969 केर महाराष्ट्र अधिनियम 38)।

112. महाराष्ट्र कृषि भूमि (अधिकतम जोत सीमा) (संशोधन) अधिनियम, 1970 (1970 केर महाराष्ट्र अधिनियम 27)।

113. महाराष्ट्र कृषि भूमि (अधिकतम जोत सीमा) (संशोधन) अधिनियम, 1972 (1972 केर महाराष्ट्र अधिनियम 13)।

114. महाराष्ट्र कृषि भूमि (अधिकतम जोत सीमा) (संशोधन) अधिनियम, 1973 (1973 केर महाराष्ट्र अधिनियम 50)।

115. उड़ीसा भूमि सुधार (संशोधन) अधिनियम, 1965 (1965 केर उड़ीसा अधिनियम 13)।

116. उड़ीसा भूमि सुधार (संशोधन) अधिनियम, 1966 (1967 केर उड़ीसा अधिनियम 8)।

117. उड़ीसा भूमि सुधार (संशोधन) अधिनियम, 1967 (1967 केर उड़ीसा अधिनियम 13)।

118. उड़ीसा भूमि सुधार (संशोधन) अधिनियम, 1969 (1969 केर उड़ीसा अधिनियम 13)।
119. उड़ीसा भूमि सुधार (संशोधन) अधिनियम, 1970 (1970 केर उड़ीसा अधिनियम 18)।
120. उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा आरोपण (संशोधन) अधिनियम, 1972 (उत्तर प्रदेश अधिनियम 18, 1973)।
121. उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा आरोपण (संशोधन) अधिनियम, 1974 (उत्तर प्रदेश अधिनियम 2, 1975)।
122. त्रिपुरा भू-राजस्व आओर भूमि सुधार (तेसर संशोधन) अधिनियम, 1975 (1975 केर त्रिपुरा अधिनियम 3)।
123. दादरा आ नगर हवेली भूमि सुधार अधिनियम, 1971 (1971 केर 3)।
124. दादरा आ नगर हवेली भूमि सुधार (संशोधन) विनियम, 1973 (1973 केर 5)।
- ¹[125.] मोटर यान अधिनियम, 1939* (1939 केर केन्द्रीय अधिनियम 4) केर धारा 66 क आओर अध्याय 9 क।
126. आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 केर केन्द्रीय अधिनियम 10)।
127. तस्कर आ विदेशी मुद्रा छलसाधक (संपत्ति समपहरण) अधिनियम, 1976 (1976 केर केन्द्रीय अधिनियम 13)।
128. बंधित श्रम पद्धति (उन्मूलन) अधिनियम, 1976 (1976 केर केन्द्रीय अधिनियम 19)।
129. विदेशी मुद्रा संरक्षण आओर तस्करी निवारण (संशोधन) अधिनियम, 1976 (1976 केर केन्द्रीय अधिनियम 20)।
- ²130 * * * * *
131. लेवी चीनी समान कीमत निधि अधिनियम, 1976 (1976 केर केन्द्रीय अधिनियम 31)।
132. नगर-भूमि (अधिकतम सीमा आ विनियमन) अधिनियम, 1976 (1976 केर केन्द्रीय अधिनियम 33)।

¹ संविधान (चालीसम संशोधन) अधिनियम, 1976 केर धारा 3 द्वारा (27-5-1976 सँ) प्रविष्टि 125 सँ प्रविष्टि 188 धरि अंतःस्थापित।

* आब मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 केर 59) केर सुसंगत उपबंध देखू।

² संविधान (चौआलीसम संशोधन) अधिनियम, 1978 केर धारा 44 द्वारा (20-6-1979 सँ) प्रविष्टि 130 केँ लोप कएल गेल।

133. संघ लेखा विभागीकरण (कार्मिक अंतरण) अधिनियम, 1976 (1976 केर केन्द्रीय अधिनियम 59)।

134. असम अधिकतम भूमि जोत सीमा निर्धारण अधिनियम, 1956 (1957 केर असम अधिनियम 1)।

135. बंबई अभिधृति आओर कृषि भूमि (विदर्भ क्षेत्र) अधिनियम, 1958 (1958 केर बंबई अधिनियम 99)।

136. गुजरात प्राइवेट वन (अर्जन) अधिनियम, 1972 (1973 केर गुजरात अधिनियम 14)।

137. हरियाणा भूमि-जोतक अधिकतम सीमा (संशोधन अधिनियम, 1976, (1976 केर हरियाणा अधिनियम 17)।

138. हिमाचल प्रदेश अभिधृति आओर भूमि सुधार अधिनियम, 1972 (1974 केर हिमाचल प्रदेश अधिनियम 8)।

139. हिमाचल प्रदेश ग्राम शामिलाली भूमि निधान आओर उपयोजन अधिनियम, 1974 (1974 केर हिमाचल प्रदेश अधिनियम 18)।

140. कर्नाटक भूमि सुधार (दोसर संशोधन आ विविध उपबंध) अधिनियम, 1974 (1974 केर कर्नाटक अधिनियम 31)।

141. कर्नाटक भूमि सुधार (दोसर संशोधन) अधिनियम, 1976 (1976 केर कर्नाटक अधिनियम 27)।

142. केरल बेदखली निवारण अधिनियम, 1966 (1966 केर केरल अधिनियम 12)।

143. तिरुप्पुवारम् संदाय (उन्मूलन) अधिनियम, 1969 (1969 केर केरल अधिनियम 19)।

144. श्री पादम् भूमि विमुक्ति अधिनियम, 1969 (1969 केर केरल अधिनियम 20)।

145. श्रीपण्डारवक भूमि (निधान आ विमुक्ति) अधिनियम, 1971 (1971 केर केरल अधिनियम 20)।

146. केरल प्राइवेट वन (निधान आ समनुदेशन) अधिनियम, 1971 (1971 केर केरल अधिनियम 26)।

147. केरल कृषि कर्मकार आधिनियम, 1974 (1974 केर केरल अधिनियम 18)।

148. केरल काजू कारखाना (अर्जन) अधिनियम, 1974 (1974 केर केरल अधिनियम 29)।

149. केरल चिट्ठी अधिनियम, 1975 (1975 केर केरल अधिनियम 23)।

150. केरल अनुसूचित जनजाति (भूमिक अंतरण पर निर्बधन आओर अन्य संक्रांत भूमिक प्रत्यावर्तन) अधिनियम, 1975 (1975 केर केरल अधिनियम 31)।

151. केरल भूमि सुधार (संशोधन) अधिनियम, 1976 (1976 केर केरल अधिनियम 15) ।
152. काणम् अभिधृति उन्मूलन अधिनियम, 1976 (1976 केर केरल अधिनियम 16) ।
153. मध्य प्रदेश कृषिक जोत उच्चतम सीमा (संशोधन) अधिनियम, 1974 (मध्य प्रदेश अधिनियम क्रमांक 20 सन् 1974) ।
154. मध्य प्रदेश कृषिक जोत उच्चतम सीमा (संशोधन) अधिनियम, 1975 (मध्य प्रदेश अधिनियम क्रमांक 2 सन् 1976) ।
155. पश्चिमी खानदेश मेहवासी संपदा (सांपत्तिक अधिकार उन्मूलन, अछि) विनियम, 1961 (1962 केर महाराष्ट्र विनियम 1) ।
156. महाराष्ट्र अनुसूचित जनजाति सभक भूमिक प्रत्यावर्तन अधिनियम, 1974 (1975 केर महाराष्ट्र अधिनियम 14) ।
157. महाराष्ट्र कृषि भूमि (अधिकतम जोत सीमा घटाएब) आ (संशोधन) अधिनियम, 1972 (1975 केर महाराष्ट्र अधिनियम 21) ।
158. महाराष्ट्र प्राइवेट वन (अर्जन) अधिनियम, 1975 (1975 केर महाराष्ट्र अधिनियम 29) ।
159. महाराष्ट्र कृषि भूमि (अधिकतम जोत सीमा घटाएब) आ (संशोधन) संशोधन अधिनियम, 1975 (1975 केर महाराष्ट्र अधिनियम 47) ।
160. महाराष्ट्र कृषि भूमि (अधिकतम जोत सीमा) (संशोधन) अधिनियम, 1975 (1976 केर महाराष्ट्र अधिनियम 2) ।
161. उड़ीसा संपदा उन्मूलन अधिनियम, 1951 (1952 केर उड़ीसा अधिनियम 1) ।
162. राजस्थान उपनिवेशन अधिवेशन, 1954 (1954 केर राजस्थान अधिनियम 27) ।
163. राजस्थान भूमि सुधार आओर भू-स्वामीसभक सम्पदाक अर्जन अधिनियम, 1963 (1964 केर राजस्थान अधिनियम सं. 11) ।
164. राजस्थान कृषि जोत सभ पर अधिकतम सीमा अधिरोपण (संशोधन) अधिनियम 1976 (1976 केर राजस्थान अधिनियम सं. 8) ।
165. राजस्थान अभिधृति (संशोधन) अधिनियम, 1976 (1976 केर राजस्थान अधिनियम सं, 12) ।
166. तमिलनाडु भूमि सुधार (अधिकतम भूमि सीमा घटाएब) अधिनियम, 1970 (1970 केर तमिलनाडु अधिनियम 17) ।
167. तमिलनाडु भूमि सुधार (अधिकतम भूमि सीमा निर्धारण) संशोधन अधिनियम, 1971 (1971 केर तमिलनाडु अधिनियम 41) ।

168. तमिलनाडु भू-सुधार (अधिकतम भू-सीमा निर्धारण) दोसर संशोधन अधिनियम, 1972 (1972 केर तमिलनाडु अधिनियम-10)।

169. तमिलनाडु भू-सुधार (अधिकतम भू-सीमा निर्धारण) दोसर संशोधन अधिनियम, 1972 (1972 केर तमिलनाडु अधिनियम-20)।

170. तमिलनाडु भू-सुधार (अधिकतम भू-सीमा निर्धारण) तेसर संशोधन अधिनियम, 1972 (1972 केर तमिलनाडु अधिनियम-37)।

171. तमिलनाडु भू-सुधार (अधिकतम भू-सीमा निर्धारण) चारिम संशोधन अधिनियम, 1972 (1972 केर तमिलनाडु अधिनियम-39)।

172. तमिलनाडु भू-सुधार (अधिकतम भू-सीमा निर्धारण) छठ्म संशोधन अधिनियम, 1972 (1974 केर तमिलनाडु अधिनियम-7)।

173. तमिलनाडु भू-सुधार (अधिकतम भू-सीमा निर्धारण) पांचम संशोधन अधिनियम, 1972 (1974 केर तमिलनाडु अधिनियम-10)।

174. तमिलनाडु भू-सुधार (अधिकतम भू-सीमा निर्धारण) संशोधन अधिनियम, 1974 (1974 केर तमिलनाडु अधिनियम-15)।

175. तमिलनाडु भू-सुधार (अधिकतम भू-सीमा निर्धारण) तेसर संशोधन अधिनियम 1974 (1974 केर तमिलनाडु अधिनियम-30)।

176. तमिलनाडु भू-सुधार (अधिकतम भू-सीमा निर्धारण) दोसर संशोधन अधिनियम, 1974 (1974 केर तमिलनाडु अधिनियम-32)।

177. तमिलनाडु भू-सुधार (अधिकतम भू-सीमा निर्धारण) संशोधन अधिनियम, 1975 (1975 केर तमिलनाडु अधिनियम-11)।

178. तमिलनाडु भू-सुधार (अधिकतम भू-सीमा निर्धारण) दोसर संशोधन अधिनियम, 1975 केर तमिलनाडु अधिनियम-21)।

179. उत्तर प्रदेश भू-विधि (संशोधन) अधिनियम, 1971 (उत्तर प्रदेश अधिनियम सं०-21, 1971) आ. उत्तर प्रदेश भू-विधि (संशोधन) अधिनियम, 1974 (उत्तर प्रदेश अधिनियम सं. 34, 1974) द्वारा 1950 ई. केर उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन उप भू-व्यवस्था अधिनियम (उत्तर प्रदेश अधिनियम सं.1, 1951) मे कएल गेल संशोधन)

180. उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत-सीमा आरोपण (संशोधन) अधिनियम, 1976 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-20, 1976)।

181. पश्चिमी बंगाल भू-सुधार (दोसर संशोधन) अधिनियम, 1972 (1972 केर पश्चिमी बंगाल अधिनियम-28)।

182. पश्चिमी बंगाल अन्य संक्रात भूमिक प्रत्यावर्तन अधिनियम, 1973 (1973 केर पश्चिमी बंगाल अधिनियम-23)।

183. पश्चिमी बंगाल भू-सुधार (संशोधन) अधिनियम, 1974 (1974 केर पश्चिमी बंगाल अधिनियम-33)।

184. पश्चिमी बंगाल भू-सुधार (संशोधन) अधिनियम, 1975 (1975 केर पश्चिमी बंगाल अधिनियम-23)।

185. पश्चिमी बंगाल भू-सुधार (संशोधन) अधिनियम, 1976 केर पश्चिमी बंगाल अधिनियम-12)।

186. दिल्ली भू-जोत (अधिकतम सीमा) संशोधन अधिनियम, 1976 (1976 केर केन्द्रीय अधिनियम 15)।

187. गोवा, दमन आ दीव मुंडकार (बेदखली सँ संरक्षण) अधिनियम, 1975 (1976 केर गोवा, दमन आ दीव अधिनियम-1)।

188. पांडिचेरी भू-सुधार (अधिकतम भू-सीमा निर्धारण) अधिनियम, 1973 (1974 केर पांडिचेरी अधिनियम-9)।

¹[189. असम (अस्थायी रूपसँ व्यवस्थापित क्षेत्र अभिधृति अधिनियम, 1971 (1971 केर असम अधिनियम-23)।

190. असम (अस्थायी रूपसँ व्यवस्थापित क्षेत्र) अभिधृति (संशोधन) अधिनियम, 1974 (1974 केर असम अधिनियम-18)।

191. बिहार भू-सुधार (अधिकतम सीमा निर्धारण आ आधिशेष भू-अर्जन) (संशोधन) संशोधी अधिनियम, 1974 (1975 केर बिहार अधिनियम-13)।

192. बिहार भू-सुधार (अधिकतम सीमा निर्धारण आ अधिशेष भू-अर्जन) (संशोधन) अधिनियम, 1976 (1976 केर बिहार अधिनियम-22)।

193. बिहार भू-सुधार (अधिकतम सीमा निर्धारण आ अधिशेष भू-अर्जन) (संशोधन) अधिनियम, 1978 (1978 केर बिहार अधिनियम-7)।

194. भू-अर्जन (बिहार संशोधन) अधिनियम, 1979 (1980 केर बिहार अधिनियम-2)।

195. हरियाणा (भू-जोतक अधिकतम सीमा) (संशोधन) अधिनियम, 1977 (1977 केर हरियाणा अधिनियम-14)।

196. तमिलनाडु भू-सुधार (अधिकतम भू-सीमा निर्धारण) संशोधन अधिनियम, 1978 (1978 केर तमिलनाडु अधिनियम-25)।

197. तमिलनाडु भू-सुधार (अधिकतम भू-सीमा निर्धारण) संशोधन अधिनियम, 1979 (1979 केर तमिलनाडु अधिनियम 11)।

¹ संविधान (सैतालीसम संशोधन) अधिनियम, 1984 केर धारा-2 द्वारा (26-08-1984 सँ) प्रविष्टि 189 सँ प्रविष्टि 202 धरि अंतःस्थापित।

198. उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन विधि (संशोधन, 1978 (1978 केर उत्तर प्रदेश अधिनियम-15)।

199. पश्चिमी बंगाल अन्य संक्रात भूमिक प्रत्यावर्तन (संशोधन) अधिनियम, 1978 (1978 केर पश्चिमी बंगाल अधिनियम-24)।

200. पश्चिमी बंगाल अन्य संक्रात भूमिक प्रत्यावर्तन (संशोधन) अधिनियम, 1980 (1980 केर पश्चिमी बंगाल अधिनियम-56)।

201. गोवा दमन आ दीव कृषि अभिवृद्धि अधिनियम, 1964 (1964 केर गोवा, दमन आ दीव अधिनियम-7)।

202. गोवा दमन आ दीव कृषि अभिवृद्धि अधिनियम (पांचम संशोधन) अधिनियम, 1976 (1976 केर गोवा, दमन आ दीव अधिनियम-17)।

203. ¹आंध्र प्रदेश अनुसूचित क्षेत्र भू-अंतरण विनियम, 1959 (1959 केर आंध्र प्रदेश विनियम 1)।

204. आंध्र प्रदेश अनुसूचित क्षेत्र विधि (विस्तारण आ संशोधन) विनियम, 1963 (1963 केर आंध्र प्रदेश विनियम, 2)।

205. आंध्र प्रदेश अनुसूचित क्षेत्र भू-अंतरण (संशोधन) विनियम, 1970 (1970 केर आंध्र प्रदेश विनियम, 1)।

206. आंध्र प्रदेश अनुसूचित क्षेत्र भू-अंतरण (संशोधन) विनियम, 1971 (1971 केर आंध्र प्रदेश विनियम 1)।

207. आंध्र प्रदेश अनुसूचित क्षेत्र भू-अंतरण (संशोधन) विनियम, 1978 (1978 केर आंध्र प्रदेश विनियम 1)।

208. बिहार काश्तकारी अधिनियम, 1885 (1885 केर बिहार अधिनियम 8)।

209. छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम, 1908 (1908 केर बंगाल अधिनियम, 6) (अध्याय-8, धारा 46, धारा 47, धारा 48, धारा 48 क आ धारा-49; अध्याय 10-धारा 71, 71 क आ धारा-71 ख आ अध्याय 18-धारा-240, धारा-241, धारा-242)।

210. संथाल परगना काश्तकारी (पूरक प्रावधान) अधिनियम, 1949 (1949 केर बिहार अधिनियम, 14) धारा 53 केँ छोड़ि कए)

211. बिहार अनुसूचित क्षेत्र विनियम, 1969 (1969 केर बिहार विनियम 1)

212. बिहार भू-सुधार (अधिकतम सीमा निर्धारण आ अधिशेष भू-अर्जन) (संशोधन) अधिनियम, 1982 (1982 केर बिहार अधिनियम 55)।

¹ संविधान (छियासठम संशोधन) अधिनियम, 1990 केर धारा 2 द्वारा (7-6-1990 सँ) प्रविष्टि 203 सँ 257 धरि अंतःस्थापित।

213. गुजरात देवस्थान इनाम उन्मूलन अधिनियम, 1969 (1969 केर गुजरात अधिनियम 16)।
214. गुजरात अभिधृति विधि (संशोधन) अधिनियम, 1976 (1976 केर गुजरात अधिनियम 37)।
215. गुजरात अधिकतम कृषि भू-सीमा (संशोधन) अधिनियम, 1976 (1976 केर राष्ट्रपति अधिनियम 43)।
216. गुजरात देवस्थान इनाम उन्मूलन (संशोधन) अधिनियम, 1977 (1977 केर गुजरात अधिनियम 27)।
217. गुजरात अभिधृति विधि (संशोधन) अधिनियम, 1977 (1977 केर गुजरात अधिनियम 30)।
218. बंबई भू-स्वराज (गुजरात दोसर संशोधन) अधिनियम, 1980 (1980 केर गुजरात अधिनियम 37)।
219. बंबई भू-स्वराज संहिता आ भूधृति उन्मूलन विधि (गुजरात संशोधन अधिनियम, 1982 (1982 केर गुजरात अधिनियम 8)।
220. हिमाचल प्रदेश भू-अंतरण (विनियमन) (अधिनियम, 1968 (1969 केर हिमाचल प्रदेश अधिनियम 15)।
221. हिमाचल प्रदेश भू-अंतरण (विनियमन) (संशोधन) अधिनियम, 1986 (1986 केर हिमाचल प्रदेश अधिनियम 16)।
222. कर्नाटक अनुसूचित जाति आ अनुसूचित जनजाति (कतिपय भू-अंतरण प्रतिषेध) अधिनियम, 1978 (1979 केर कर्नाटक अधिनियम 2)।
223. केरल भू-सुधार (संशोधन) अधिनियम, 1978 (1978 केर केरल अधिनियम 13)।
224. केरल भू-सुधार (संशोधन) अधिनियम, 1981 (1981 केर केरल अधिनियम 19)।
225. मध्य प्रदेश भू-राजस्व संहिता (तेसर संशोधन) अधिनियम, 1976 (1976 केर मध्य प्रदेश अधिनियम 61)।
226. मध्य प्रदेश भू-राजस्व संहिता (संशोधन) अधिनियम, 1980 (1980 केर मध्य प्रदेश अधिनियम 15)।
227. मध्य प्रदेश अकृषिक जोत उच्चतम सीमा अधिनियम 1981 (1981 केर मध्य प्रदेश अधिनियम 11)।
228. मध्य प्रदेश कृषिक जोत उच्चतम (दोसर संशोधन) अधिनियम, 1976 (1984 केर मध्य प्रदेश अधिनियम 1)।
229. मध्य प्रदेश कृषिक जोत उच्चतम सीमा (संशोधन) अधिनियम 1984 (1984 केर मध्य प्रदेश अधिनियम 14)।

230. मध्य प्रदेश कृषिक जोत उच्चतम सीमा (संशोधन) अधिनियम 1989 (1989 केर मध्य प्रदेश अधिनियम 8)।
231. महाराष्ट्र भू-राजस्व संहिता, 1966 (1966 केर महाराष्ट्र अधिनियम 41) धारा 36, धारा 36क आ धारा 36ख।
232. महाराष्ट्र भू-राजस्व संहिता आ महाराष्ट्र अनुसूचित जनजाति भू-प्रत्यावर्तन (दोसर संशोधन) अधिनियम, 1976 (1977 केर महाराष्ट्र अधिनियम 30)।
233. महाराष्ट्रक कतिपय भूमि मे खान आ खनिजक लेल विद्यमान सांपतिक अधिकारक उन्मूलन अधिनियम, 1985 (1985 केर महाराष्ट्र अधिनियम 16)।
234. उड़ीसा अनुसूचित क्षेत्र (अनुसूचित जनजाति सभक) स्थायी संपत्ति अंतरण विनियम, 1956 (1956 केर उड़ीसा विनियम 2)।
235. उड़ीसा भू-सुधार (दोसर संशोधन) अधिनियम, 1975 (1976 केर उड़ीसा अधिनियम 29)।
236. उड़ीसा भू-सुधार (संशोधन) अधिनियम, 1976 (1976 केर उड़ीसा अधिनियम, 30)।
237. उड़ीसा भू-सुधार (दोसर संशोधन) अधिनियम, 1976 (1976 केर उड़ीसा अधिनियम 44)।
238. राजस्थान उपनिवेशन (संशोधन) अधिनियम, 1984 (1984 केर राजस्थान अधिनियम 12)।
239. राजस्थान अभिधृति (संशोधन) अधिनियम, 1984 (1984 केर राजस्थान अधिनियम 13)।
240. राजस्थान अभिधृति (संशोधन) अधिनियम, 1987 (1987 केर राजस्थान अधिनियम 21)।
241. तमिलनाडु भू-सुधार (अधिकतम भू-सीमा निर्धारण) दोसर संशोधन अधिनियम, 1979 (1980 केर तमिलनाडु अधिनियम 8)।
242. तमिलनाडु भू-सुधार (अधिकतम भू-सीमा निर्धारण) संशोधन अधिनियम, 1980 (1980 केर तमिलनाडु अधिनियम 21)।
243. तमिलनाडु भू-सुधार (अधिकतम भू-सीमा निर्धारण) संशोधन अधिनियम, 1981 (1981 केर तमिलनाडु अधिनियम 59)।
244. तमिलनाडु भू-सुधार (अधिकतम भू-सीमा निर्धारण) दोसर संशोधन अधिनियम, 1983 (1984 केर तमिलनाडु अधिनियम 2)।
245. उत्तर प्रदेश भू-विधि (संशोधन) अधिनियम, 1982 (1982 केर उत्तर प्रदेश अधिनियम 20)।

246. पश्चिमी बंगाल भू-सुधार (संशोधन) अधिनियम, 1965 (1965 केर पश्चिमी बंगाल अधिनियम 18)।

247. पश्चिमी बंगाल भू-सुधार (संशोधन) अधिनियम, 1966 (1966 केर पश्चिमी बंगाल अधिनियम 11)।

248. पश्चिमी बंगाल भू-सुधार (दोसर संशोधन) अधिनियम, 1969 (1969 केर पश्चिमी बंगाल अधिनियम 23)।

249. पश्चिमी बंगाल संपदा अर्जन (संशोधन) अधिनियम, 1977 (1977 केर पश्चिमी बंगाल अधिनियम 36)।

250. पश्चिमी बंगाल भूमि जोत राजस्व अधिनियम, 1979 (1979 केर पश्चिमी बंगाल अधिनियम 44)।

251. पश्चिमी बंगाल भू-सुधार (संशोधन) अधिनियम, 1980 (1980 केर पश्चिमी बंगाल अधिनियम 41)।

252. पश्चिमी बंगाल भूमि जोत राजस्व (संशोधन) अधिनियम, 1981 (1981 केर पश्चिमी बंगाल अधिनियम 33)।

253. कलकत्ता ठेका अभिधृति (अर्जन आ विनियमन) अधिनियम, 1981 (1981 केर पश्चिमी बंगाल अधिनियम 37)।

254. पश्चिमी बंगाल भूमि जोत राजस्व (संशोधन), 1982 (1982 केर पश्चिमी बंगाल अधिनियम 23)।

255. कलकत्ता ठेका अभिधृति (अर्जन आ विनियमन) (संशोधन अधिनियम, 1984 (1984 केर पश्चिमी बंगाल अधिनियम 41)।

256. माहे भू-सुधार (संशोधन) अधिनियम, 1968 (1968 केर पांडिचेरी अधिनियम 1)।

257. माहे भूमि सुधार (संशोधन) अधिनियम, 1980 (1981 केर पांडिचेरी अधिनियम 1)।]

¹[257क. तमिलनाडु पिछड़ल वर्ग, अनुसूचित जाति आ अनुसूचित जनजाति (राज्यक अधीन शिक्षण संस्थान मे स्थान आ सेवामे नियुक्ति, वा पदक आरक्षण) अधिनियम, 1993 (1994 केर तमिलनाडु अधिनियम 45)।]

¹ संविधान (छिहत्तरम संशोधन) अधिनियम, 1994 केर धारा 2 द्वारा (31-08-1994 सँ) प्रविष्टि 257 सँ अंतःस्थापित।

258. बिहार विशेषाधिकार प्राप्त व्यक्ति वासभूमि अभिधृति अधिनियम, 1947 (1948 केर बिहार अधिनियम 4)।

259. बिहार चकबंदी आ खंडकरण निवारण अधिनियम, 1956 (1956 केर बिहार अधिनियम 22)

260. बिहार चकबंदी आ खंडकरण निवारण अधिनियम, 1970 (1970 केर बिहार अधिनियम 7)।

261. बिहार विशेषाधिकार प्राप्त व्यक्ति वास भूमि अभिधृति (संशोधन) अधिनियम, 1970 (1970 केर बिहार अधिनियम 9)।

262. बिहार चकबंदी आ खंडकरण निवारण (संशोधन) अधिनियम, 1973 (1975 केर बिहार अधिनियम 27)।

263. बिहार चकबंदी आ खंडकरण निवारण (संशोधन) अधिनियम, 1981 (1982 केर बिहार अधिनियम 35)।

264. बिहार भू-सुधार (अधिकतम सीमा निर्धारण आ अधिशेष भू-अर्जन संशोधन) अधिनियम, 1987 (1987 केर बिहार अधिनियम-21)।

265. बिहार विशेषाधिकार प्राप्त व्यक्ति वासभूमि अभिधृति (संशोधन) अधिनियम, 1989 (1989 केर बिहार अधिनियम-11)।

266. बिहार भू-सुधार (संशोधन) अधिनियम, 1989 (1990 केर बिहार अधिनियम 11)।

267. कर्नाटक अनुसूचित जाति आ अनुसूचित जनजाति (कतिपय भू-अंतरण प्रतिषेध) (संशोधन) अधिनियम, 1984 (1984 केर कर्नाटक अधिनियम 3)।

268. केरल भू-सुधार (संशोधन) अधिनियम, 1989 (1989 केर केरल अधिनियम 16)।

269. केरल भू-सुधार (दोसर संशोधन) अधिनियम, 1989 (1990 केर केरल अधिनियम 2)।

270. उड़ीसा भू-सुधार (संशोधन) अधिनियम, 1989 (1990 केर उड़ीसा अधिनियम 9)।

271. राजस्थान अभिधृति (संशोधन) अधिनियम, 1979 (1979 केर राजस्थान अधिनियम 16)।

272. राजस्थान उपनिवेशन (संशोधन) अधिनियम, 1987 (1987 केर राजस्थान अधिनियम 2)।

273. राजस्थान उपनिवेशन (संशोधन) अधिनियम, 1989 (1989 केर राजस्थान अधिनियम 12)।

¹ संविधान (अठहतरम संशोधन, 1995 केर धारा 2 द्वारा (30-08-1995 सँ) प्रविष्ट 258 सँ प्रविष्टि 284 धरि अंतःस्थापित।

274. तमिलनाडु भू-सुधार (अधिकतम भूमि सीमा निर्धारण) संशोधन अधिनियम, 1983 (1984 केर तमिलनाडु अधिनियम 3)।

274. तमिलनाडु भू-सुधार (अधिकतम भूमि सीमा निर्धारण) संशोधन अधिनियम, 1986 (1986 केर तमिलनाडु अधिनियम 57)।

275. तमिलनाडु भू-सुधार (अधिकतम भूमि सीमा निर्धारण) दोसर संशोधन अधिनियम, 1987 (1988 केर तमिलनाडु अधिनियम 4)।

276. तमिलनाडु भू-सुधार (अधिकतम भूमि सीमा निर्धारण) (संशोधन) अधिनियम, 1989 (1989 केर तमिलनाडु अधिनियम 30)।

277. पश्चिमी बंगाल भू-सुधार (संशोधन) अधिनियम, 1981 (1981 केर पश्चिमी बंगाल अधिनियम 50)।

278. पश्चिमी बंगाल भू-सुधार (संशोधन) अधिनियम, 1986 (1986 केर पश्चिमी बंगाल अधिनियम 5)।

279. पश्चिमी बंगाल भू-सुधार (दोसर संशोधन) अधिनियम, 1986 (1986 केर पश्चिमी बंगाल अधिनियम 19)।

280. पश्चिमी बंगाल भू-सुधार (तेसर संशोधन) अधिनियम, 1986 (1986 केर पश्चिमी बंगाल अधिनियम 35)।

281. पश्चिमी बंगाल भू-सुधार (संशोधन) अधिनियम, 1989 (1989 केर पश्चिमी बंगाल अधिनियम 23)।

282. पश्चिमी बंगाल भू-सुधार (संशोधन) अधिनियम, 1990 (1990 केर पश्चिमी बंगाल अधिनियम 24)।

283. पश्चिमी बंगाल भू-सुधार अधिकरण अधिनियम, 1991 (1991 केर पश्चिमी बंगाल अधिनियम 12)।

स्पष्टीकरण-राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 (1955 केर राजस्थान अधिनियम सं-3 केर अधीन, अनुच्छेद 31 क केर खंड (1) केर दोसर शर्त केर उल्लंघन मे कएल गेल अर्जन ओहि उल्लंघनक मात्रा धरि शून्य होएत।)

¹[दसम अनुसूची

[अनुच्छेद 102 (2) आ 191 (2)]

दल परिवर्तनक आधार पर निरर्हताक विषयमे उपबंध

1. विवेचन-एहि अनुसूचीमे, जा धरि संदर्भ सँ अन्यथा अपेक्षित नहि होअए-

(क) “सदन” सँ, संसदक कोनो सदन वा कोनो राज्यक, यथास्थिति, विधान सभा वा, विधान-मंडलक कोनो सदन अभिप्रेत अछि;

(ख) सदनक कोनो एहन सदस्यक संबंधमे जे, यथास्थिति, पैरा 2 वा ²**** पैरा 4 केर उपबंध केर अनुसार कोनो राजनीति दलक सदस्य अछि; विधान-दल सँ ओहि सदन केर एहन सभ सदस्यक समूह अभिप्रेत अछि जे उक्त उपबंधक अनुसार तत्समय ओहि राजनीतिक दलक सदस्य अछि;

(ग) सदनक कोनो सदस्यक संबंधमे, ‘मूल राजनीति दल’ सँ एहन राजनीति दल अभिप्रेत अछि जेकर ओ पैरा 2 केर उप पैरा(1) केर प्रयोजनक लेल सदस्य अछि;

(घ) पैरासँ एहि अनुसूचीक पैरा अभिप्रेत अछि ।

2. दल परिवर्तनक आधार पर निरर्हता-(1) ³[पैरा4 आ पैरा5] केर उपबंधक अंतर्गत रहैत सदनक कोनो सदस्य, जे कोनो राजनीति दलक सदस्य अछि, सदनक सदस्य होएबाक लेल ओहि दशामे निरर्हित होएत जाहिमे-

(क) ओ एहन राजनीतिक दलक अपन सदस्यता स्वेच्छासँ छोड़ि देलनि; वा

(ख) ओ एहन राजनीति दल द्वारा जेकर ओ सदस्य अछि वा हुनका द्वारा एहि निमित्त प्राधिकृत कोनो व्यक्ति आ प्राधिकारी द्वारा देल गेल कोनो निदेशक विरुद्ध एहन राजनीति दल, व्यक्ति आ प्राधिकारीक पूर्व अनुज्ञाक बिना एहन सदन मे मतदान करैत अछि आ मतदान करबासँ विरत रहैत अछि आ एहन मतदान आ मतदान करबासँ विरत रहब केँ एहन राजनीति दल, व्यक्ति आ प्राधिकारी एहन मतदान करबासँ विरत रहबाक तिथिसँ पंद्रह दिनक भीतर माफ नहि केने अछि ।

स्पष्टीकरण-एहि उप-पैरा केर प्रयोजनक लेल-

(क) सदनक कोनो निर्वाचित सदस्यक संबंधमे इएह बुझल जाएत जे ओ एहन राजनीति दलक, जँ कोनो होअए, सदस्य अछि जे एहन सदस्यक रूपमे निर्वाचनक लेल अभ्यर्थीक रूपमे ठाढ़ केने छल;

(ख) सदनक कोनो नाम निर्देशित सदस्यक संबंधमे, -

¹ संविधान (बावनम संशोधन) अधिनियम, 1985 केर धारा-6 द्वारा (01-03-1985 सँ) 10म अनुसूचीमे जोड़ल गेल ।

² संविधान (एकानवेयम संशोधन) अधिनियम, 2003 केर धारा 5 द्वारा (01-01-2004 सँ) किछु शब्द केँ लोप कएल गेल ।

³ संविधान (एकानवेयम संशोधन) अधिनियम, 2003 केर धारा 5 द्वारा “पैरा 3, 4 आ 5” केर स्थान पर प्रतिस्थापित ।

i. ओहि दशामे, जाहिमे ओ एहन सदस्यक रूपमे अपन नामनिर्देशनक तिथिकेँ कोनो राजनीतिक दलक सदस्य अछि, ई बुझल जाएत जे ओ एहन राजनीतिक दलक सदस्य अछि;

ii. कोनो आन दशामे, ई बुझल जाएत जे ओ ओहि राजनीतिक दलक सदस्य अछि जिनका, यथास्थिति, अनुच्छेद 99 आ अनुच्छेद 188 केर अपेक्षाक अनुपालन करबाक पश्चात् अपन स्थान ग्रहण करबाक तिथिसँ छओ मासक समाप्तिक पूर्व ओ, यथास्थिति सदस्य बनैत अछि वा पहिल बेर बनैत अछि।

2. सदनक कोनो निर्वाचित सदस्य, जे कोनो राजनीतिक दल द्वारा ठाढ़ कएल गेल अभ्यर्थीसँ भिन्न रूपमे सदस्य निर्वाचित भेल अछि, सदनक सदस्य होएबाक लेल निरर्हित होएत जँ ओ कोनो एहन निर्वाचनक पश्चात् कोनो राजनीति दल मे सम्मिलित भए जाइछ।

3. सदनक कोनो नामनिर्देशित सदस्य, सदनक सदस्य होएबाक लेल निरर्हित होएत जँ ओ, यथास्थिति, अनुच्छेद 99 आ अनुच्छेद 188 केर अपेक्षाक अनुपालन करबाक पश्चात् अपन स्थान ग्रहण करबाक तिथिसँ छओ मासक समाप्तिक पश्चात् कोनो राजनीतिक दल मे सम्मिलित भए जाइत अछि।

4. एहि पैरा केर पूर्वगामी उपबंध मे कोनो बात होएबाक बावजूद कोनो एहन व्यक्ति केर संबंधमे जे, संविधान (बावनम संशोधन) अधिनियम, 1985 केर प्रारंभ पर सदनक सदस्य अछि (चाहे ओ निर्वाचित सदस्य होए वा नामनिर्देशित)-

i. ओहि दशामे जाहिमे ओ एहन प्रारंभसँ ठीक पहिने कोनो राजनीतिक दलक सदस्य छल ओहिमे एहि पैरा केर उप-पैरा(1) केर प्रयोजनक लेल ई बुझल जाएत जे ओ कोनो राजनीति दल द्वारा ठाढ़ कएल गेल अभ्यर्थीक रूपमे एहन सदनक सदस्य निर्वाचित भेल अछि;

ii. कोनो आन दशामे, यथास्थिति, एहि पैरा केर उप-पैरा(2) केर प्रयोजनक लेल, ई बुझल जाएत जे ओ सदनक एहन निर्वाचित सदस्य अछि जे कोनो राजनीतिक दल द्वारा ठाढ़ कएल गेल अभ्यर्थी सँ भिन्न रूपमे सदस्य निर्वाचित भेल अछि वा एहि पैरा केर उप-पैरा(3) केर प्रयोजनक लेल, ई बुझल जाएत जे ओ सदनक नामनिर्देशित सदस्य अछि।

1* * * *

4. दल परिवर्तनक आधार पर निरर्हताक विलयक दशामे लागू नहि होएब : (1) सदनक कोनो सदस्य पैरा 2 केर उप-पैरा(1) केर अतर्गत निरर्हित नहि होएत जँ ओकर मूल राजनीति दलक कोनो आन राजनीति दल मे विलय भए जाइत अछि आ ओ दावा करैत अछि जे ओ ओकर मूल राजनीति दलक अन्य सदस्य-

(क) यथास्थिति, एहन कोनो अन्य राजनीतिक दल केर आ एहन विलयसँ बनल नव राजनीतिक दलक सदस्य बनल अछि ; आ

(ख) ओ विलय स्वीकार नहि कएलनि अछि आ एकटा पृथक समूह केर रूपमे कार्य करबाक निर्णय कएल अछि,

¹ संविधान (एकानवेयम संशोधन) अधिनियम, 2003 केर धारा 5 द्वारा (01-01-2004 सँ) पैरा 3 केँ लोप कएल गेल अछि।

(दसम अनुसूची)

आ एहन विलयक कालसँ, यथास्थिति, एहन कोनो राजनीतिक दल आ नव राजनीतिक दल वा समूह केर संबंधमे ई बुझल जाएत जे ओ, पैरा 2 केर उप-पैरा(1) केर प्रयोजनक लेल, एहन राजनीतिक दल अछि जेकर ओ सदस्य अछि ओ एहि उप-पैरा केर प्रयोजनक लेल ओकर मूल राजनीतिक दल अछि।

(2) एहि पैरा केर उप-पैरा(1) केर प्रयोजनक लेल, सदनक कोनो सदस्यक मूल राजनीतिक दलक विलय भेल तखन बुझल जाएत जखन संबंधित विधान-दल केर कम-सँ-कम दू-तिहाई सदस्य एहन विलयक लेल सहमत भए गेल अछि।

5. छूट-एहि अनुसूचीमे कोनो बात होएबाक बावजूद, कोनो व्यक्ति, जे लोक सभाक अध्यक्ष आ उपाध्यक्ष वा राज्य-सभाक उपसभापति वा कोनो राज्यक विधान परिषदक सभापति वा उपसभापति वा कोनो राज्यक विधान सभाक अध्यक्ष वा उपाध्यक्ष पद पर निर्वाचित भेल अछि, एहि अनुसूचीक अंतर्गत निरर्हित नहि होएत, -

(क) जँ ओ एहन पद पर एहन निर्वाचनक कारण एहन राजनीतिक दलक जकर ओ एहि तरहक निर्वाचन सँ ठीक पहिने सदस्य छल, अपन सदस्यता छोड़ि दैत अछि आ एहन पद पर नहि रहि जएबाक पश्चात् एहि तरहक राजनीति दल मे पुनः सम्मिलित भए जाइत अछि।

(ख) जँ ओ एहन पद पर अपन निर्वाचनक कारण, एहन राजनीतिक दलक जेकर ओ एहन निर्वाचनसँ ठीक पहिने सदस्य छल, अपन सदस्यता छोड़ि दैत अछि आ एहन पद पर नहि रहि जएबाक पश्चात् एहन राजनीतिक दलमे पुनः सम्मिलित भ' जाइत अछि।

6. दल परिवर्तनक आधार पर निरर्हताक संबंधमे प्रश्नक निर्णय-(1) जँ ई प्रश्न उठैत अछि जे कोनो सदस्य एहि अनुसूचीक अंतर्गत निरर्हता सँ ग्रसित भए गेल वा नहि तँ ओ प्रश्न, एहन सदनक, यथास्थिति, सभापति वा अध्यक्षक निर्णयक लेल निर्देशित कएल जाएत आ ओकर निर्णय अंतिम होएत;

मुदा जत' ई प्रश्न उठैत अछि जे सदनक सभापति वा अध्यक्ष निरर्हता सँ ग्रसित भए गेल अछि वा नहि ओहिठाम ओ प्रश्न सदनक एहन सदस्यक निर्णयक लेल निर्देशित कएल जाएत जकरा ओ सदन एहि निमित्त निर्वाचित करए आ ओकर निर्णय अंतिम होएत।

(2) एहि अनुसूचीक अंतर्गत सदनक कोनो सदस्यक निरर्हताक संबंधमे कोनो प्रश्नक विषय मे एहि पैरा केर उप-पैरा (1) केर अंतर्गत सभ कार्य वा विधानहिक संबंधमे ई बुझल जाएत जे ओ, यथास्थिति, अनुच्छेद 122 केर अर्थ मे संसदक कार्यवाही अछि वा अनुच्छेद 212 केर अर्थ मे राज्यक विधान-मंडलक कार्यवाही अछि।

*7. **न्यायालयक अधिकारिताक वर्जन**-एहि संविधानमे कोनो बात होएबाक बावजूद, कोनो न्यायालयकें एहि अनुसूचीक अंतर्गत सदनक कोनो सदस्यक निरर्हता सँ संबंधित कोनो विषयक संबंधमे कोनो अधिकारिता नहि होएत।

8. नियम-(1) एहि पैरा केर उप-पैरा(2) केर उपबंधक अंतर्गत रहलाक बावजूद, सदनक सभापति आ अध्यक्ष, एहि अनुसूचीक उपबंधकें कार्यान्वित करबाक लेल नियम बना सकत वा विशिष्टतया आ पूर्वगामी शक्तिक व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभावक बिना, एहन नियम मे निम्नलिखित केर लेल उपबंध कएल जा सकत, अर्थात :-

(क) सदनक विभिन्न सदस्य जे राजनीतिक दलक सदस्य अछि, हुनका विषय मे रजिस्टर आ अन्य अभिलेख राखब;

(ख) एहन प्रतिवेदन जे सदनक कोनो संबंधमे विधान-दलक नेता ओहि सदस्यक बाबत पैरा 2 केर उप-परिच्छेद (1) केर खंड (ख) मे निर्दिष्ट प्रकृतिक माफीक संबंधमे दैत ओहि कालमे जकरा भीतर व ओ पदाधिकारी जिनका एहन प्रतिवेदन देल जाएत;

(ग) एहन प्रतिवेदन जकरा कोनो राजनीति दल सदनक कोनो सदस्यकें एहन राजनीतिक दल मे प्रविष्ट करबाक संबंधमे निर्देश दैत आ सदनक एहन अधिकारी जिनका एहन प्रतिवेदन देल जाएत; आ

(घ) पैरा 6 केर उप-पैरा(1) मे निर्दिष्ट कोनो प्रश्नक निर्णय करबाक प्रक्रिया जकरा अंतर्गत एहन जाँचक प्रक्रिया अछि, जे एहन प्रश्नक निर्णय करबाक प्रयोजनक लेल कएल जाए।

(2) सदनक सभापति वा अध्यक्ष द्वारा ओहि परिच्छेदक उप-पैरा(1) केर अंतर्गत बनाओल गेल नियम, बनाओल जएबाक पश्चात् यथाशीघ्र, सदनक समक्ष, कुल तीस दिनक अवधिक लेल राखल जाएत। ई अवधि एक सत्र मे वा दूई आ बेसी आनुक्रमिक सत्र मे पूर्ण भए सकत। से नियम तीस दिनक उक्त अवधिक समाप्ति पर प्रभावी होएत जाधरि ओकरा सदन द्वारा परिवर्तन सहित वा ओकरा बिना पहिनहि अनुमोदन आ अननुमोदन नहि कए देल जाइत अछि। जँ ओ नियम एहि प्रकारें अनुमोदित कए देल जाइत अछि तँ ओ, यथास्थिति, एहन रूपमे जाहिमे ओ राखल गेल छल आ एहन परिवर्तित रूपमे सेहो प्रभावी रहत। जँ नियम एहि प्रकारें अनुमोदित कए देल जाइत अछि तँ ओ निष्प्रभावी भए जाएत।

(3) सदनक सभापति आ अध्यक्ष, यथास्थिति, अनुच्छेद 105 आ अनुच्छेद 194 केर उपबंध पर आ कोनो एहन आन शक्ति पर जे ओकरा एहि संविधानक अंतर्गत प्राप्त अछि, प्रतिकूल प्रभावक अतिरिक्त, ई निदेश दए सकत जे एहि पैरा केर अंतर्गत बनाओल गेल नियमक कोनो व्यक्ति द्वारा जानि बुझिकए कएल गेल कोनो उल्लंघनक संबंधमे ओहि प्रक्रिया सँ कार्रवाई कएल जाए जाहि प्रक्रिया सँ सदन केर विशेषाधिकार कें भंग करबाक संबंधमे कएल जाइत अछि।]

* पैरा 7 कें किहोतो होलोहन **बनाम** जेचिल्हु आ आन ए.आई. आर. 1983 एस.सी. 412 मे बहुमतक रायक अनुसारें अनुच्छेद 368 केर खंड (2) केर परंतुक केर अनुसारें अनुसमर्थनक अभावमे अविधिमान्य घोषित कएल गेल।

1। एगारहम अनुसूची

(अनुच्छेद 243 छ)

1. कृषि जाहि अंतर्गत कृषि-विस्तार अछि ।
2. भूमि विकास, भूमि सुधारक कार्यान्वयन, चकबंदी आ भूसंरक्षण ।
3. लघु सिंचाई, जल प्रबंध आ जलविभाजक क्षेत्रक विकास ।
4. पशुपालन डेयरी उद्योग आ कुक्कुट-पालन ।
5. मत्स्य उद्योग ।
6. सामाजिक वानिकी आ फार्म वनिकी ।
7. लघु वन उपज ।
8. लघु उद्योग, जकरा अंतर्गत खाद्य प्रसंस्करण उद्योग सेहो अछि ।
9. खादी, ग्रामोद्योग आ कुटीर उद्योग ।
10. ग्रामीण आवासन ।
11. पेय जल ।
12. ईंधन आ चारा ।
13. सड़क, पुलिया, पुल, फेरी, जलमार्ग आ अन्य संचार साधन ।
14. ग्रामीण विद्युतीकरण, जाहि अंतर्गत विद्युतक विस्तारण अछि ।
15. अपारंपरिक ऊजा स्रोत ।
16. गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम ।
17. शिक्षा जकरा अंतर्गत प्राथमिक आ माध्यमिक विद्यालय सेहो अछि ।
18. तकनीकी प्रशिक्षण आ व्यवसायिक शिक्षा ।
19. प्रौढ़ आ अनौपचारिक शिक्षा ।
20. पुस्तकालय ।
21. सांस्कृतिक क्रियाकलाप ।
22. बाजार आ मेला ।
23. स्वास्थ्य आ स्वच्छता, जकरा अंतर्गत अस्पताल, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र आ औषधालय सेहो अछि ।
24. परिवार कल्याण
25. महिला आ बाल विकास ।
26. समाज कल्याण, जाहि अंतर्गत विकलांग आ मानसिक रूपसँ मंद लोकक कल्याण सेहो अछि ।
27. कमजोर वर्गक आ विशिष्टतया, अनुसूचित जाति आ अनुसूचित जनजाति सभक कल्याण ।
28. सार्वजनिक वितरण प्रणाली ।
29. सामुदायिक परिसंपत्ति केर अनुरक्षण ।

¹ संविधान (तिहतरम संशोधन) अधिनियम, 1992 केर धारा-4 द्वारा (24-04-1993 सँ) एगारहम अनुसूचीमे जोड़ल गेल ।

¹[बारहम अनुसूची (अनुच्छेद 243 ब)

1. नागरीय योजना जाहि अंतर्गत नगर योजना सेहो अछि ।¹
2. भूमि उपयोगक विनियमन आ भवनक निर्माण ।
3. आर्थिक आ सामाजिक विकास योजना ।
4. सड़क आ पुल ।
5. घरेलू औद्योगिक आ वाणिज्यक प्रयोजनक लेल जल आपूर्ति ।
6. लोक स्वास्थ्य, स्वच्छता, साफ-सुथरा आ कूड़ा-करकट प्रबंधन ।
7. अग्निशमन सेवा ।
8. नागरीय वानिकी, पर्यावरणक संरक्षण आ पारिस्थितिकी आयामक अभिवृद्धि ।
9. समाजक कमजोर वर्गक जाहि अंतर्गत विकलांग आ मानसिक रूपसँ मंद लोक सेहो अछि; हितक रक्षा ।
10. मलिन बस्ती सुधार आ प्रोन्नयन ।
11. नागरीय निर्धनता उन्मूलन ।
12. नागरीय सुख-सुविधा आ सुविधासभ जेना-पार्क, उद्यान, खेलक मैदानक व्यवस्था ।
13. सांस्कृतिक, शैक्षणिक आ सौंदर्यपरक आयामक अभिवृद्धि ।
14. लहास गाड़ब आ कब्रिस्तान; शवदाह आ श्मशान आ विद्युत शवदाह गृह ।
15. पशुशाला (कांजी हाउस) : पशु सभक प्रति क्रूरताक निवारण ।
16. जन्म-मरण सांख्यिकी, जाहि अंतर्गत जन्म आ मृत्यु पंजीकरण सभ अछि ।
17. सार्वजनिक सुख-सुविधा जाहि अंतर्गत सड़क पर प्रकाश, पार्किंग स्थल, बस स्टाप आ जन सुविधा सभ अछि ।
18. वधशाला सभ आ चर्मशोधनशाला सभक विनियमन ।

¹ संविधान (चौहतरम संशोधन) अधिनियम, 1992 केर धारा-4 द्वारा (01-06-1993 सँ) बारहम अनुसूचीमे जोड़ल गेल ।

परिशिष्ट 1

संविधान (एक सयम संशोधन) अधिनियम, 2015

[28 मई 2015]

**भारत सरकार आ बांग्लादेश सरकारक बीच कएल गेल अनुबंध आ ओकर
प्रोटोकालक अनुसरण मे राज्यक्षेत्रक भारत द्वारा अर्जन कएल जएबाक आ
कतिपय राज्यक्षेत्रक बांग्लादेश केँ अंतरण कएल जएबाक आ संशोधन करबाक
लेल अधिनियम**

भारत गणराज्यक छियासठम वर्षमे संसद द्वारा निम्नलिखित रूपमे ई अधिनियमित होएत :-

1. **संक्षिप्त नाम**-एहि अधिनियमक संक्षिप्त नाम संविधान (एक सयम संशोधन) अधिनियम, 2015 अछि ।

2. **परिभाषा**-एहि अधिनियममे, -

(क) “अर्जित राज्यक्षेत्र सँ भारत-बांग्लादेश अनुबंध आ ओहि प्रोटोकालमे समाविष्ट आ पहिल अनुसूचीमे निर्दिष्ट ओतए राज्यक्षेत्र अभिप्रेत अछि; जकर खंड (ग) मे निर्दिष्ट अनुबंध आ ओकर प्रोटोकालक अनुसरणमे भारत द्वारा बांग्लादेश सँ अर्जन कएल जएबाक प्रयोजनक लेल अभ्यंकन कएल गेल अछि;”

(ख) *“नियत दिन” सँ एहन तिथि अभिप्रेत अछि, जे केन्द्रीय सरकार, राजपत्र मे, अधिसूचना द्वारा, भारत-बांग्लादेश अनुबंध आ ओकर प्रोटोकालक अनुसरण मे पहिल अनुसूची आ दोसर अनुसूचीमे यथानिर्दिष्ट किछु राज्यक्षेत्रक जकर एहि प्रकार अर्जन आ अंतरण कराओल जाएब आ ओहि प्रयोजनक लेल अभ्यांकन कराओल जएबाक पश्चात् बांग्लादेश सँ राज्यक्षेत्रक अर्जन आ बांग्लादेश केँ राज्यक्षेत्रक अंतरणक हेतु तिथि नियत करए;

(ग) “भारत-बांग्लादेश अनुबंध” सँ भारत आ बांग्लादेशक बीच भूमि सीमाक अभ्यंकन आ संबद्ध विषयक संबंधमे भारत गणराज्यक सरकार आ बांग्लादेश जनवादी गणराज्यक सरकारक बीच तिथि 16 मई 1974 केँ भेल अनुबंध तिथि 26 दिसंबर, 1974 तिथि 30 दिसंबर, 1974, तिथि 7 अक्तूबर, 1982 आ तिथि 26 मार्च, 1992 केर पत्र विनिमय आ भारत सरकार आ बांग्लादेश सरकारक बीच भेल तिथि 6 सितंबर, 2011 केर उक्त अनुबंधक प्रोटोकाल अभिप्रेत अछि, जेकर सुसंगत उद्धरण तेसर अनुसूचीमे देल गेल अछि ;

* तिथि 31 जुलाई, 2015 अधिसूचना सं.का.आ.2094 (अ) द्वारा अधिसूचित ।

(घ) “अंतरित राज्यक्षेत्र” सँ भारत-बांग्लादेश अनुबंध आ ओकर प्रोटोकालमे समाविष्ट आ दोसर अनुसूचीमे निर्दिष्ट ओतबे राज्यक्षेत्र अभिप्रेत अछि, जकरा खंड (ग) मे निर्दिष्ट अनुबंध आ ओकर प्रोटोकालक अनुसरणमे भारत द्वारा बांग्लादेश केँ अंतरित कएल जाएबाक हेतु अभ्यंकन कएल गेल अछि।

3. संविधानक पहिल अनुसूचीक संशोधन-संविधानक पहिल अनुसूचीमे, नियत दिनसँ-

(क) असम राज्यक राज्यक्षेत्र सँ संबंधित पैरामे, “आ ओ राज्यक्षेत्र सेहो एकर अंतर्गत नहि अछि, जे संविधान (नवम संशोधन) अधिनियम 1960 केर धारा 3 केर खंड (क) मे अंतर्विष्ट कोनो बात होएबाक बावजूद जत’ धरि ओकर संबंध संविधान (एक सयम संशोधन) अधिनियम, 2015 केर दोसर अनुसूची केर भाग 1 मे निर्दिष्ट राज्यक्षेत्र सँ अछि, संविधान (एक सयम संशोधन) अधिनियम, 2015 केर दोसर अनुसूचीक भाग 1 मे निर्दिष्ट अछि” शब्द, कोष्ठक, अंक आ अक्षर, अंत मे, जोड़ल जाएत;

(ख) पश्चिमी बंगाल राज्यक राज्यक्षेत्र सँ संबंधित पैरा मे “आ ओ राज्यक्षेत्र सेहो, जे पहिल अनुसूचीक भाग-3 मे निर्दिष्ट मुदा ओ राज्यक्षेत्र एकर अंतर्गत नहि अछि, जे संविधान (नवम संशोधन) अधिनियम, 1960 केर धारा 3 केर खंड (ग) मे अंतर्विष्ट कोनो बात होएबाक बावजूद, जतए धरि ओकर संबंध संविधान (एक सयम संशोधन) अधिनियम 2015 केर पहिल अनुसूचीक भाग 3 से निर्दिष्ट अछि” शब्द, अंक, कोष्ठक आ अक्षर, अंतिम मे जोड़ल जाएत;

(ग) मेघालय राज्यक राज्यक्षेत्र सँ संबंधित पैरामे, “आ ओ राज्यक्षेत्र, जे पहिल अनुसूचीक भाग 1 मे निर्दिष्ट अछि मुदा ओ राज्यक्षेत्र एकर अंतर्गत नहि अछि, जे संविधान (एक सयम संशोधन) अधिनियम, 2015 केर दोसर अनुसूचीक भाग 2 मे निर्दिष्ट अछि” शब्द, अंक आ कोष्ठक, अंतिम मे जोड़ल जाएत;

(घ) त्रिपुरा राज्यक राज्यक्षेत्र सँ संबंधित पैरामे, “आ ओ राज्यक्षेत्रमे संविधान (नवम संशोधन अधिनियम, 1960 केर धारा 3 केर खंड (घ) मे अंतर्विष्ट कोनो बात होएबाक बावजूद जाधरि ओकर संबंध संविधान (एक सयम संशोधन) अधिनियम, 2015 केर पहिल अनुसूचीक भाग 2 मे निर्दिष्ट राज्यक्षेत्र सँ अछि; संविधान एक सयम संशोधन) अधिनियम, 2015 केर पहिल अनुसूची केर भाग 2 मे निर्दिष्ट अछि” शब्द, कोष्ठक, अंक आ अक्षर, अंतिम मे जोड़ल जाएत।

(परिशिष्ट 1)

पहिल अनुसूची

(धारा 2 (क), धारा 2 (ख) आ धारा 3 देखू)

भाग-1

तिथि 16 मई, 1974 केर अनुबंध केर अनुच्छेद 2 आ तिथि 6 सितंबर, 2011 केर प्रोटोकालक अनुच्छेद 3(1) (ख) (ii) (iii) (iv) (v) केर संबंधमे अर्जित राज्यक्षेत्र ।

भाग 2

तिथि 16 मई, 1994 केर अनुबंध केर अनुच्छेद 2 आ तिथि 6 सितंबर, 2011 केर प्रोटोकालक अनुच्छेद 3(1) (ग) केर संबंधमे अर्जित राज्यक्षेत्र ।

भाग 3

तिथि 16 मई, 1974 केर अनुबंध केर अनुच्छेद 1(12) आ अनुच्छेद 2 वा तिथि 6 सितंबर, 2011 केर प्रोटोकालक अनुच्छेद 2(ii), 3(II) (क) (iii) (iv) (v) (vi) केर संबंधमे अर्जित राज्यक्षेत्र ।

दोसर अनुसूची

(धारा 2 (ख), धारा 2 (घ) आ धारा 3 देखू)

भाग 1

तिथि 16 मई, 1974 केर अनुबंध केर अनुच्छेद 2 आ तिथि 6 सितंबर, 2011 केर प्रोटोकालक अनुच्छेद 3 (1) (घ) (ग) केर संबंधमे अंतरित राज्यक्षेत्र ।

भाग 2

तिथि 16 मई, 1974 केर अनुबंध केर अनुच्छेद 2 आ तिथि 6 सितंबर, 2011 केर प्रोटोकालक अनुच्छेद 3 (1) (ख) (i) केर संबंधमे अंतरित राज्यक्षेत्र ।

भाग 3

तिथि 16 मई, 1974 केर अनुबंध केर अनुच्छेद 1(12) आ अनुच्छेद 2 आ तिथि 6 सितंबर, 2011 केर प्रोटोकालक अनुच्छेद 2 (ii) 3 (i) (क) (i) (ii) (vi) केर संबंधमे अंतरित राज्यक्षेत्र ।

तेसर अनुसूची

(धारा 2 (ग) देखू)

1. भारत गणराज्यक सरकार आ बांग्लादेश जनवादी गणराज्यक सरकारक बीच भारत आ बांग्लादेशक बीच भूमि सीमाक अभ्यंकन वा संबंधित विषयक संबंधमे तिथि 16 मई, 1974 केँ भेल अनुबंध सँ उद्घरण

अनुच्छेद 1(12): विदेशी अंतःक्षेत्र (एन्क्लेव)

बांग्लादेश स्थित भारतीय एन्क्लेव सभ आ भारत स्थित बांग्लादेश एन्क्लेव सभ केर, पैरा 14 मे उल्लिखित एन्क्लेव केँ छोड़ि कए, बांग्लादेश मे जायवला अतिरिक्त क्षेत्रक लेल प्रतिकरक दावा केने बिना शीघ्रातिशीघ्र आदान-प्रदान कएल जएबाक चाही।

अनुच्छेद 2:

भारत आ बांग्लादेशक सरकार एहि बातक लेल सहमत अछि जे पहिने सँ अभ्यंकित क्षेत्र सभमे प्रतिकूल कब्जा वला राज्यक्षेत्र जेकर संबंधमे सीमा पट्टी मानचित्र पहिने सँ तैयार अछि, पूर्णाधिकारी द्वारा सीमा पट्टी मानचित्र पर हस्ताक्षर कएल जएबाक छओ मासक भीतर आदान-प्रदान कएल जाएत। ओ सुसंगत मानचित्र सभ पर यथासंभव शीघ्र आ कोनो दशामे 31 दिसंबर, 1974 केर पश्चात् हस्ताक्षर क' सकैत अछि। एहन अन्य क्षेत्रक, जेकर बाबत अभ्यंकन पहिनहि कएल जाए चुकल अछि, मानचित्रक मुद्रण हेतु शीघ्र उपाय कएल जाए। एकरा 31 मई 1975 धरि मुद्रित करा लेल जायबाक चाही आ तत्पश्चात् ओहि पर पूर्णाधिकारी सभ द्वारा हस्ताक्षर करबा लेल जएबाक चाही जाहिसँ कि एहि क्षेत्रमे प्रतिकूलतः धारित कब्जाक आदान-प्रदान 31 दिसंबर, 1975 धरि कएल जा सकए। जाहि सेक्टरक एखन अभ्यंकन कएल जएबाक अछि, ओहिमे राज्यक्षेत्रीय अधिकारिताक संबंधित सीमा पट्टी मानचित्र सभ पर पूर्णाधिकारी द्वारा हस्ताक्षर कएल जएबाक छओ मासक भीतर भ' सकैत अछि।

II. भारत गणराज्यक सरकार आ बांग्लादेश जनवादी गणराज्यक सरकार केर बीच भारत आ बांग्लादेशक बीच भूमि सीमाक अभ्यंकन वा संबंधित विषयक संबंधमे तिथि 6 सितंबर, 2011 केँ भेल अनुबंधक प्रोटोकालसँ उद्घरण

अनुच्छेद 2:

(II) 1974 केर अनुबंध केर अनुच्छेद 1, खंड 12 केँ कार्यान्वित निम्नानुसार कएल जएबाक चाही:

(परिशिष्ट 1)

एन्क्लेव

संयुक्त रूपसँ सत्यापित आ डी. जी. एल. आर. एंड एस. बांग्लादेश वा डी. एल. आर. एंड एस. पश्चिमी बंगाल (भारत) केर स्तर पर अप्रैल, 1997 मे हस्ताक्षर कएल गेल भू-कर एन्क्लेव मानचित्रक अनुसार बांग्लादेश मे 111 भारतीय एन्क्लेव आ भारतमे 51 बांग्लादेश एन्क्लेवक बांग्लादेश मे जाएवला अतिरिक्त क्षेत्रक लेल प्रतिकारक दावा कएने बिना आदान-प्रदान कएल जाएत ।

अनुच्छेद 3:

(I) 1974 केर अनुबंध केर अनुच्छेद 2 केँ निम्नानुसार कार्यान्वित कएल जाएत :

भारत सरकार आ बांग्लादेश सरकारक बीच ई अनुबंध भेल अछि जे प्रतिकूल कब्जा मे धारित राज्यक्षेत्रक लेल, जेना कि संयुक्त सर्वेक्षणक माध्यम सँ सुनिश्चित कएल गेल छल आ अपन-अपन प्रतिकूल कब्जा भू-क्षेत्र सूचक मानचित्र (एपीएल मानचित्र) मे जकरा दिसंबर, 2010 आ अगस्त, 2011 केर बीच दुनू देशक भू-अभिलेख आ सर्वेक्षण विभाग द्वारा अंतिम रूप देल गेल अछि, पूर्णतया चित्रित कएल गेल छल ओकर पूर्णतया वर्णन नीचां खंड (क) सँ खंड (घ) मे कएल गेल अछि, एक नियत सीमाक रूपमे सीमा रेखा घीचल जाएत ।

सुसंगत सीमा पट्टी सँ मानचित्र केँ मुद्रित कएल जाएत आ ओहि पर पूर्णाधिकारी द्वारा हस्ताक्षर कएल जाएत आ राज्यक्षेत्रीय अधिकारिता का अंतरण एन्क्लेव केर आदान-प्रदानक संग-संग पूर्ण कएल जाएत । ऊपर वर्णित सूचक मानचित्र मे वा चित्रित सीमाक अभ्यांकन निम्नानुसार होएत :

(क) पश्चिमी बंगाल सेक्टर

(i) *बौसमारी-मधुगरी (कुश्तिया-नदिया) क्षेत्र*

विद्यमान सीमा सभ सं. 154/5-एस सँ 157/1-एस सँ होइत मथबंगा नदीक पुरान बहाव मार्गक मध्य धरि, जेनाकि 1962 केर चकबंदी मानचित्र मे चित्रित अछि एक सीमा रेखा घीचल जाएत, जेनाकि जून, 2011 मे संयुक्त रूपसँ सर्वेक्षण कएल गेल छल आ सहमति भेल छल ।

(ii) *अंधरकोटा (कुश्तिया-नदिया) क्षेत्र*

विद्यमान सीमा स्तंभ सं. 152/5-एस सँ सीमा स्तंभ सं. 153/1-एस होइत विद्यमान मथबंगा नदी केर कछेर धरि एक सीमा रेखा घीचल जाएत, जेनाकि जून, 2011 मे संयुक्त रूपसँ सर्वेक्षण कएल गेल छल आ सहमति भेल छल ।

भारतक संविधान

(परिशिष्ट 1)

(iii) पकुरिया (कुशितिया-नदिया) क्षेत्र

विद्यमान सीमा स्तंभ सं. 151/1-एस सँ सीमा स्तंभ सं. 152/2-एस सँ होइत मथबंगा नदीक कछेर धरि एक सीमा रेखा घीचल जाएत, जेनाकि जून, 2011 मे संयुक्त रूप सँ सर्वेक्षण कएल गेल छल आ सहमति भेल छल।

(iv) चार महिष्कुंडी (कुशितिया-नदिया) क्षेत्र

विद्यमान सीमा स्तंभ सं. 153/1-एस सँ सीमा स्तंभ संख्या 153/9-एस सँ होइत मथबंगा नदीक कछेर धरि एक सीमा रेखा घीचल जाएत, जेनाकि जून, 2011 मे संयुक्त रूपसँ सर्वेक्षण कएल गेल छल आ सहमति भेल छल।

(v) हरिपाल/खुतादाह/बटोली/सपामेरी/ एलएन पुर (पटारी) (नौगांव-मालदा) क्षेत्र

विद्यमान सीमा स्तंभ सं. 242/-एस/13 सँ सीमा स्तंभ संख्या 243/7-एस/5 कें जोड़ए वला रेखा केर रूपमे सीमा रेखा घीचल जाएत, जेनाकि जून, 2011 मे संयुक्त रूपसँ सर्वेक्षण कएल गेल छल आ सहमति भेल छल।

(vi) बेरुबाडी (पंचगढ़-जलपाईगुड़ी क्षेत्र)

बांग्लादेशी द्वारा प्रतिकूलतः धारित बेरुबाडी क्षेत्र (पंचगढ़-जलपाईगुड़ी) आ भारत द्वारा प्रतिकूलतः धारित बेरुबाडी आ सिंघपारा-खुडीपारा (पंचगढ़-जलपाईगुड़ी) मे सीमा रेखा 1996-1998 केर दौरान संयुक्त रूपसँ कएल गेल अभ्यंकनक अनुसारै घीचल जाएत।

(ख) मेघालय सेक्टर

(i) लोबाचेरा-नूनचेरा

लईलांग-बलिचेरा मे विद्यमान सीमा स्तंभ सं. 1315/4 एस सँ सीमा स्तंभ सं. 1315/15-एस धरि लईलांग-नूनचेरा मे सीमा स्तंभ सं. 1316/1-एस सँ सीमा स्तंभ सं. 1316/11-एस धरि लईलांग-लहिलिंग मे सीमा स्तंभ सं. 1317 सँ सीमा स्तंभ सं. 1317/13-एस धरि आ लईलांग-लुभाचेरा मे सीमा स्तंभ सं. 1318/1-एस सँ सीमा स्तंभ सं. 1318/2-एस सँ होइत चाय बगान सभक कछेर धरि सीमा रेखा घीचल जाएत, जेनाकि दिसंबर, 2010 मे संयुक्त रूपसँ सर्वेक्षण कएल गेल छल आ सहमति भेल छल।

(परिशिष्ट 1)

(ii) पिरडीवाह/ पडुआ क्षेत्र

विद्यमान सीमा स्तंभ सं. 1270/1-एस सँ सीमा स्तंभ सं. 1271/1-टी धरि, संयुक्त रूपसँ कएल गेल सर्वेक्षण आ परस्पर सहमतिक अनुसारें सीमा रेखा घीचल जाएत । पक्षकारक बीच सहमति भेल अछि जे पिरडीवाह गाम सँ भारतीय नागरिक सभकें ओहि मानचित्रक जाहिपर सहमति भेल अछि, बिन्दु सं.6, केर निकट पियांग नदीसँ पानि लेबाक अनुमति देल जाएत ।

(iii) लिंगखाट क्षेत्र

(कक) लिंगखाट-I/ कुलुमचेरा आ लिंगखाट-II/ कुलुमचेरा

विद्यमान सीमा स्तंभ सं. 1264/4-एस सँ सीमा स्तंभ सं. 1265 आ सीमा स्तंभ सं. 1265/6-एस सँ सीमा स्तंभ सं. 1265/9 एस धरि ओहि रेखाक अनुसारें सीमा रेखा घीचल जाएत, जेनाकि संयुक्त रूपसँ सर्वेक्षण कएल गेल छल आ परस्पर सहमति भेल छल ।

(कख) लिंगखाट-III/ सोनारहाट

विद्यमान सीमा स्तंभ सं.1266/13 एस सँ दक्षिण दिशा केर नालाक संग-संग ओतए धरि सीमा रेखा जत' धरि ओ पूरब-पश्चिम दिशा मे दोसर नाला सँ मिलैत अछि, घीचल जाएत तकर पश्चात् ई पूरब दिशा मे नालाक उत्तरी कछेर सँ होइत ओतए धरि चलत, जतए धरि ओ संदर्भ स्तंभ सं. 1267/4-आर.बी. आ 1267/3-आर.आई. केर उत्तर मे विद्यमान अन्तरराष्ट्रीय सीमा सँ मिलैत अछि ।

(iv) दावकी/तमाबिल क्षेत्र

विद्यमान सीमा स्तंभ सं. 1275/1-एस सँ सीमा स्तंभ सं. 1275/7-एस कें जोड़ए वला एक सीधा रेखा सँ सीमा रेखा घीचल जाएत । पक्षकार एहि क्षेत्र मे “शून्य रेखा” पर बाड़ लगएबा पर सहमत अछि ।

भारतक संविधान

(परिशिष्ट 1)

(v) नलजूरी/श्रीपुर क्षेत्र

(कक) नलजूरी-I

सीमा रेखा दक्षिण दिशा मे विद्यमान सीमा स्तंभ सं. 1277/2-एस सँ पट्टी मानचित्र सं. 166 मे यथादर्शित तीन भू-खंड धरि ओतए धरि जे एक एहन रेखा होएत जत' धरि ओ सीमा स्तंभ सं. 1277/5-टी सँ बहए वला नाला सँ मिलैत अछि तत्पश्चात् ओ दक्षिण दिशा मे नालाक पश्चिम कछेरक संग-संग बांग्लादेश दिशा सँ दूइ भू-खंड धरि चलत, तत्पश्चात् ओ पूरब दिश ओतए धरि चलत जतए धरि सीमा स्तंभ संख्या 1277/4-एस सँ दक्षिण दिशा मे घीचल गेल रेखा सँ मिलैत अछि ।

(कख) नलजूरी-III

विद्यमान सीमा स्तंभ सं. 1278/2-एस सँ सीमा स्तंभ सं. 1279/3-एस धरि सीमा रेखा एक सीधा रेखाक रूपमे घीचल जाएत ।

(vi) मुक्तापुर/डिबिर हावोर क्षेत्र

पक्षकार एहि बातसँ सहमत अछि जे भारतीय नागरिक सभकेँ काली मंदिर जएबाक अनुमति देल जाएत आ हुनका मुक्तापुरक दिसक तट सँ मुक्तापुर/डिबिर हावोर क्षेत्रमे स्थित जलाशय सँ पानि लेबाक आ माछ पकड़बाक अधिकारक प्रयोग करबाक सेहो अनुज्ञा देल जाएत ।

(ग) त्रिपुरा सेक्टर

त्रिपुरा/मौलवी बाजार सेक्टर मे चन्दन नगर-चंपाराई चाय बगान क्षेत्र

विद्यमान सीमा स्तंभ सं.1904 सँ सीमा स्तंभ सं.1905 धरि सोनार चेरी नदीक संग सीमा रेखा घीचल जाएत, जेनाकि जुलाई, 2011 मे संयुक्त रूपसँ सर्वेक्षण कएल गेल छल आ सहमति भेल छल ।

(परिशिष्ट 1)

(घ) असम सेक्टर

(i) असम सेक्टरक कलबारी (बोरोईबारी) क्षेत्र

विद्यमान सीमा स्तंभ सं.1066/22-टी सँ सीमा स्तंभ सं. 1067/16-टी धरि सीमा रेखा घीचल जाएत जेनाकि अगस्त, 2011 मे संयुक्त रूपसँ सर्वेक्षण कएल गेल छल आ सहमति भेल छल ।

(ii) असम सेक्टर मे पल्लाथाल क्षेत्र

विद्यमान सीमा स्तंभ सं.1370/3-एस सँ सीमा स्तंभ सं.1371/6-एस सँ होइत चाय बगानक बाहरी कछेर होइत पान बगान क्षेत्रक बाहरी कछेरक संग-संग सीमा स्तंभ सं.1372 सँ 1373/2-एस धरि सीमा रेखा घीचल जाएत ।

III. तिथि 16 मई, 1974 केर अनुबंध केर अनुच्छेद 1(12) आ तिथि 6 सितंबर 2011 केर अनुबंध केर प्रोटोकालक अनुसरण मे भारत आ बांग्लादेशक बीच एन्क्लेवक आदान-प्रदानक सूची

अ. बांग्लादेशमे आदान-प्रदान योग्य भारतीय एन्क्लेव, क्षेत्रफल सहित

क्रम सं.	छिटक नाम	छिट सं.	बांग्लादेशक पुलिस स्टेशनक भीतर स्थित	पश्चिमी बंगालक पुलिस स्टेशन केर भीतर स्थित	क्षेत्रफल एकड़मे
1	2	3	4	5	6
अ. स्वतंत्र छिट वला एन्क्लेव					
1	गराटी	75	पोचागर	हल्दीबाड़ी	58.23
2.	गराटी	76	पोचागर	हल्दीबाड़ी	0.79
3.	गराटी	77	पोचागर	हल्दीबाड़ी	18
4.	गराटी	78	पोचागर	हल्दीबाड़ी	958.66
5.	गराटी	79	पोचागर	हल्दीबाड़ी	1.74
6.	गराटी	80	पोचागर	हल्दीबाड़ी	73.75
7.	बिंगीमारी भाग-I	73	पोचागर	हल्दीबाड़ी	6.07

1	2	3	4	5	6
8.	नजीरगंज	41	बोडा	हल्दीबाड़ी	58.32
9.	नजीरगंज	42	बोडा	हल्दीबाड़ी	434.29
10.	नजीरगंज	44	बोडा	हल्दीबाड़ी	53.47
11.	नजीरगंज	45	बोडा	हल्दीबाड़ी	1.07
12.	नजीरगंज	46	बोडा	हल्दीबाड़ी	17.95
13.	नजीरगंज	47	बोडा	हल्दीबाड़ी	3.89
14.	नजीरगंज	48	बोडा	हल्दीबाड़ी	73.27
15.	नजीरगंज	49	बोडा	हल्दीबाड़ी	49.05
16.	नजीरगंज	50	बोडा	हल्दीबाड़ी	5.05
17.	नजीरगंज	51	बोडा	हल्दीबाड़ी	0.77
18.	नजीरगंज	52	बोडा	हल्दीबाड़ी	1.04
19.	नजीरगंज	53	बोडा	हल्दीबाड़ी	1.02
20.	नजीरगंज	54	बोडा	हल्दीबाड़ी	3.87
21.	नजीरगंज	55	बोडा	हल्दीबाड़ी	12.18
22.	नजीरगंज	56	बोडा	हल्दीबाड़ी	54.04
23.	नजीरगंज	57	बोडा	हल्दीबाड़ी	8.27
24.	नजीरगंज	58	बोडा	हल्दीबाड़ी	14.22
25.	नजीरगंज	60	बोडा	हल्दीबाड़ी	0.52
26.	पुटीमारी	59	बोडा	हल्दीबाड़ी	122.8
27.	दैखाता छट	38	बोडा	हल्दीबाड़ी	499.21
28.	सल्बरी	37	बोडा	हल्दीबाड़ी	1188.93
29.	काजल दिघी	36	बोडा	हल्दीबाड़ी	771.44
30.	नटकटोका	32	बोडा	हल्दीबाड़ी	162.26
31.	नटकटोका	33	बोडा	हल्दीबाड़ी	0.26
32.	बेउलाडांगा छट	35	बोडा	हल्दीबाड़ी	0.83
33.	बलापारा इगराबार	31	देबीगंज	हल्दीबाड़ी	1752.44
34.	बारा खानकि	30	डिमला	हल्दीबाड़ी	7.71
	खरीजा सितलदहा				

(परिशिष्ट 1)

1	2	3	4	5	6
35.	बारा खानकिखरीजा सितलदहा	29	डिमला	हल्दीबाड़ी	36.83
36.	बराखनगीर	28	डिमला	हल्दीबाड़ी	30.53
37.	नगरजीकोबरी	31	डिमला	हल्दीबाड़ी	33.41
38.	कुचलीबारी	26	पटग्राम	मेकलीगंज	5.78
39.	कुचलीबारी	27	पटग्राम	मेकलीगंज	2.04
40.	बरा कुचलीबारी	थाना मेकलीगंज के जे.एल. 107 केर अपखंड	पटग्राम	मेकलीगंज	4.35
41.	जमालोहा- बेलापुखरी	6	पटग्राम	मेकलीगंज	5.24
42.	उपनचौकी कुचलीबारी	115/2	पटग्राम	मेकलीगंज	0.32
43.	उपनचौकी कुचलीबारी	7	पटग्राम	मेकलीगंज	44.04
44.	भोथनरी	11	पटग्राम	मेकलीगंज	36.83
45.	बालापुखरी	5	पटग्राम	मेकलीगंज	55.91
46.	बाराखानगीर	4	पटग्राम	मेकलीगंज	50.51
47.	बाराखानगीर	9	पटग्राम	मेकलीगंज	87.42
48.	छठ बोगडोकरा	10	पटग्राम	मेकलीगंज	41.7
49.	रतनपुर	11	पटग्राम	मेकलीगंज	58.91
50.	बोगडोगरा	12	पटग्राम	मेकलीगंज	25.49
51.	पुलकर डाबरी	थाना मेकलीगंज के जे. एल. 107 केर अपखंड	पटग्राम	मेकलीगंज	0.88

1	2	3	4	5	6
52.	खरखरीया	15	पटग्राम	मेकलीगंज	60.74
53.	खरखरीया	13	पटग्राम	मेकलीगंज	51.62
54.	लोटामारी	14	पटग्राम	मेकलीगंज	110.92
55.	भूतबारी	16	पटग्राम	मेकलीगंज	205.46
56.	कोमट चांग्रबधा	16A	पटग्राम	मेकलीगंज	42.8
57.	कोमट चांग्रबधा	17A	पटग्राम	मेकलीगंज	16.01
58.	पनीसाला	17	पटग्राम	मेकलीगंज	137.66
59.	द्वारिकामारी	18	पटग्राम	मेकलीगंज	36.5
	खासबास				
60.	पनीसाला	153/पी	पटग्राम	मेकलीगंज	0.27
61.	पनीसाला	153/ओ	पटग्राम	मेकलीगंज	18.01
62.	पनीसाला	19	पटग्राम	मेकलीगंज	64.63
63.	पनीसाला	21	पटग्राम	मेकलीगंज	51.4
64.	लोटामारी	20	पटग्राम	मेकलीगंज	283.53
65.	लोटामारी	22	पटग्राम	मेकलीगंज	98.85
66.	द्वारिकामारी	23	पटग्राम	मेकलीगंज	39.52
67.	द्वारिकामारी	25	पटग्राम	मेकलीगंज	45.73
68.	छट भोथाट	24	पटग्राम	मेकलीगंज	56.11
69.	बाकाटा	131	पटग्राम	हथभंगा	22.35
70.	बाकाटा	132	पटग्राम	हथभंगा	11.96
71.	बाकाटा	130	पटग्राम	हथभंगा	20.48
72.	भोग्रामगुरी	133	पटग्राम	हथभंगा	1.44
73.	चेनाकाटा	134	पटग्राम	मेकलीगंज	7.81
74.	बांसकाटा	119	पटग्राम	मथबंगा	413.81
75.	बांसकाटा	120	पटग्राम	मथबंगा	30.75
76.	बांसकाटा	121	पटग्राम	मथबंगा	12.15
77.	बांसकाटा	113	पटग्राम	मथबंगा	57.86
78.	बांसकाटा	112	पटग्राम	मथबंगा	315.04
79.	बांसकाटा	114	पटग्राम	मथबंगा	0.77

(परिशिष्ट 1)

1	2	3	4	5	6
80	बांसकाटा	115	पटग्राम	मथबंगा	29.2
81	बांसकाटा	122	पटग्राम	मथबंगा	33.22
82	बांसकाटा	127	पटग्राम	मथबंगा	12.72
83	बांसकाटा	128	पटग्राम	मथबंगा	2.33
84	बांसकाटा	117	पटग्राम	मथबंगा	2.55
85	बांसकाटा	118	पटग्राम	मथबंगा	30.98
86	बांसकाटा	125	पटग्राम	मथबंगा	0.64
87	बांसकाटा	126	पटग्राम	मथबंगा	1.39
88	बांसकाटा	129	पटग्राम	मथबंगा	1.37
89	बांसकाटा	116	पटग्राम	मथबंगा	16.96
90	बांसकाटा	123	पटग्राम	मथबंगा	24.37
91	बांसकाटा	124	पटग्राम	मथबंगा	0.28
92	गोटामारी छिट	135	हातिबंधा	सितलकुची	126.59
93	गोटामारी छिट	136	हातिबंधा	सितलकुची	20.02
94	बनापचाई	151	लालमोनिरहाट	दिनहाटा	217.29
95	बनापचाई	152	लालमोनिरहाट	दिनहाटा	81.71
96	भीतरकुथी दसिआर छारा	150	फुलबारी	दिनहाटा	1643.44
97	दकुरहाट- दकिनिरकुथी	156	कुरीग्राम	दिनहाटा	14.27
98	कलामती	141	भुंगामारी	दिनहाटा	21.21
99	भाहोबगंज	153	भुंगामारी	दिनहाटा	31.58
100	बाओतिकुरसा	142	भुंगामारी	दिनहाटा	45.63
101	बरा कोआचुल्का	143	भुंगामारी	दिनहाटा	39.99
102	गावचुल्का II	147	भुंगामारी	दिनहाटा	0.9
103	गावचुल्का I	146	भुंगामारी	दिनहाटा	8.92
104	दिघालतरी II	145	भुंगामारी	दिनहाटा	8.81
105	दिघालतरी I	144	भुंगामारी	दिनहाटा	12.31
106	छोटू गरलझोरा II	149	भुंगामारी	दिनहाटा	17.85

भारतक संविधान

(परिशिष्ट 1)

1	2	3	4	5	6
107	छोटगुलझोरा I	148	भुरुंगामारी	दिनहाटा	35.74
108	जे.एल.सं.38 केर दक्षिणी छोर आ जे.एल.सं. 39 केर दक्षिणी छोर पर बिना नाम आ जे.एल.सं.केर 1 छिट *		पटग्राम	मथभंगा	3.5
	(स्थानीय रूप सँ असोकाबाड़ी** केर रूपमे ज्ञात)				
<i>अपखंड छिट बाला एन्क्लेव</i>					
109	i.बेवलाडांगा	34	हल्दीबाड़ी	बोडा	862.46
	ii.बेवलाडांगा	अपखंड	हल्दीबाड़ी	देबीगंज	
110	i.कोतभाजनी	2	हल्दीबाड़ी	देबीगंज	2012.27
	ii.कोतभाजनी	अपखंड	हल्दीबाड़ी	देबीगंज	
	iii.कोतभाजनी	अपखंड	हल्दीबाड़ी	देबीगंज	
	iv.कोतभाजनी	अपखंड	हल्दीबाड़ी	देबीगंज	
111	i.दहाला	खागराबारी	हल्दीबाड़ी	देबीगंज	2650.35
	ii.दहाला	अपखंड	हल्दीबाड़ी	देबीगंज	
	iii.दहाला	अपखंड	हल्दीबाड़ी	देबीगंज	
	iv.दहाला	अपखंड	हल्दीबाड़ी	देबीगंज	

* 29 सितंबर, सँ 2 अक्तूबर, 2002 धरि कोलकाता मे आयोजित एक सय पचासम (चौवनम) भारत-बांग्लादेश सीमा सम्मेलन द्वारा संशोधित ।

** 18 सितंबर, 2003 सँ 20 सितंबर, 2003 धरि कूच बिहार (भारत) मे आयोजित एक सय बावनम (छप्पनम) भारत-बांग्लादेश सीमा सम्मेलन द्वारा संशोधित ।

(परिशिष्ट 1)

1	2	3	4	5	6
	v.दहाला	अपखंड	हल्दीबाड़ी	देबीगंज	
	vi.दहाला	अपखंड	हल्दीबाड़ी	देबीगंज	
					17160.63

एन्क्लेवक उपरोक्त ब्यौराक 9 अक्तूबर, 1996 सँ 12 अक्तूबर, 1996 केर समय कलकत्तामे आयोजित भारत-बांग्लादेश सम्मेलनक समय आ संगहि 21 नवंबर, 1996 सँ 24 नवंबर, 1996 केर समय जलपाईगुड़ी (पश्चिमी बंगाल)-पांचागढ़ (बांग्लादेश) सेक्टर मे संयुक्त क्षेत्र निरीक्षण केर काल सेहो भारत आ बांग्लादेश द्वारा धारित अभिलेख सँ संयुक्त रूपसँ मिलान कएल गेल अछि आ ओकरा समाधानप्रद बनाओल गेल अछि।

टिप्पणी : क्षेत्र सीमन काल 1996-97 केर समय संयुक्त भूमि सत्यापन द्वारा उपर्युक्त क्रम सं.108 केर एन्क्लेव केर नामक अशोकाबाड़ी एन्क्लेवक रूपमे जानल गेल।

बिग्रेडियर जे. आर. पीटर

मो. शफी उद्दीन

निदेशक, भू-अभिलेख आ सर्वेक्षण

महानिदेशक, भू-अभिलेख आ

(पदेन), पश्चिमी बंगाल, भारत

सर्वेक्षण, बांग्लादेश

आ निदेशक, पूर्वी क्षेत्र भारतीय

सर्वेक्षण, कलकत्ता

आ. भारतमे आदान-प्रदान योग्य बांग्लादेश एन्क्लेव, क्षेत्रफल सहित

क्रम सं.	छिटक नाम	पश्चिम बंगालक पुलिस स्टेशनक भीतर स्थित	बांग्लादेशक पुलिस स्टेशनक भीतर स्थित	जे.एल.सं.	क्षेत्रफल एकड़ मे
----------	----------	--	--------------------------------------	-----------	-------------------

क. स्वतंत्र छिट वला एन्क्लेव

1.	छिट कुचलीबारी	मेकलीगंज	पटग्राम	22	370.64
2.	कुचलीबारी केर छिट भूमि	मेकलीगंज	पटग्राम	24	1.83
3.	बालापुखारी	मेकलीगंज	पटग्राम	21	331.64
4.	पनबारी सं. 2 केर छिट भूमि	मेकलीगंज	पटग्राम	20	1.13

भारतक संविधान

(परिशिष्ट 1)

1	2	3	4	5	6
5.	छिट पनबारी	मेकलीगंज	पटग्राम	18	108.59
6.	धाबलसाती मिर्गीपुर	मेकलीगंज	पटग्राम	15	173.88
7.	बामन दल	मेकलीगंज	पटग्राम	11	2.24
8.	छिट धावलसाती	मेकलीगंज	पटग्राम	14	66.58
9.	धावलसाती	मेकलीगंज	पटग्राम	13	60.45
10	श्रीरामपुर	मेकलीगंज	पटग्राम	8	1.05
11	जोते निज्जमा	मेकलीगंज	पटग्राम	3	87.54
12	जगतबेर सं.3 केर छिट भूमि	मथबंगा	पटग्राम	37	69.84
13	जगतबेर सं.1 केर छिट भूमि	मथबंगा	पटग्राम	35	30.66
14	जगतबेर सं.2 केर छिट भूमि	मथबंगा	पटग्राम	36	27.09
15	छिट कोकोआबारी	मथबंगा	पटग्राम	47	29.49
16	छिट भंदारदाहा	मथबंगा	पटग्राम	67	39.96
17	धाबलगुड़ी	मथबंगा	पटग्राम	52	12.5
18	छिट धाबलगुड़ी	मथबंगा	पटग्राम	53	22.31
19	धावलगुड़ी सं.3 केर छिट भूमि	मथबंगा	पटग्राम	70	1.33
20	धाबलगुड़ी सं. 4 केर छिट भूमि	मथबंगा	पटग्राम	71	4.55
21	धाबलगुड़ी सं.5 केर छिट भूमि	मथबंगा	पटग्राम	72	4.12
22	धाबलगुड़ी सं.1 केर छिट भूमि	मथबंगा	पटग्राम	68	26.83
23	धाबलगुड़ी सं.2 केर छिट भूमि	मथबंगा	पटग्राम	69	13.95
24	महिशमारी	सितलकुची	पटग्राम	54	122.77
25	बुरा सराडुबी	सितलकुची	हार्तिबधा	13	34.96

(परिशिष्ट 1)

1	2	3	4	5	6
26	फलनापुर	सितलकुच्ची	पटग्राम	64	505.56
27	अमझोल	सितलकुच्ची	हतिंबधा	57	1.25
28	किसमत भातरीगाछ	दिनहाटा	कालीगंज	82	209.95
29	दुर्गापुर	दिनहाटा	कालीगंज	83	20.96
30	बंसुआ खामर गितालदाहा	दिनहाटा	लालमोनिरहाट	1	24.54
31	पाओतुकुथी	दिनहाटा	लालमोनिरहाट	37	589.94
32	पश्चिम बाकालीर छरा	दिनहाटा	भुंगामारी	38	151.98
33	मध्य बाकालीर छरा	दिनहाटा	भुंगामारी	39	32.72
34	पूरबा बाकालीर छरा	दिनहाटा	भुंगामारी	40	12.23
35	मध्य मसालडांगा	दिनहाटा	भुंगामारी	3	136.66
36	मध्य छिट मसालडांगा	दिनहाटा	भुंगामारी	8	11.87
37	पश्चिम छिट मसालडांगा	दिनहाटा	भुंगामारी	7	7.6
38	उत्तर मसालडांगा	दिनहाटा	भुंगामारी	2	27.29
39.	कचुआ	दिनहाटा	भुंगामारी	5	119.74
40	उतत्र बंसजानी	तूफानगंज	भुंगामारी	1	47.17
41	छत तिलाई	तूफानगंज	भुंगामारी	17	81.56
ख. अपखंड छिट बला एन्क्लेव					
42	i.नलग्राम	सितलकुच्ची	पटग्राम	65	1397.34
	ii.नलग्राम (अपखंड)	सितलकुच्ची	पटग्राम	65	
	iii.नलग्राम (अपखंड)	सितलकुच्ची	पटग्राम	65	

1	2	3	4	5	6
43	i. छिट नलग्राम	सितलकुची	पटग्राम	66	49.5
	ii. छिट नलग्राम (अपखंड)	सितलकुची	पटग्राम	66	
44	i. बतरीगाछ	दिनहाटा	कालीगंज	81	577.37
	ii. बतरीगाछ (अपखंड)	दिनहाटा	कालीगंज	81	
	iii. बतरीगाछ (अपरखंड)	दिनहाटा	फुलबारी	9	
45	i. कराला	दिनहाटा	फुलबारी	9	269.91
	ii. कराला (अपखंड)	दिनहाटा	फुलबारी	9	
	iii. कराला (अपखंड)	दिनहाटा	फुलबारी	8	
46	i. सिबप्रसाद मुस्तती	दिनहाटा	फुलबारी	8	373.2
	ii. सिबप्रसाद मुस्तती (अपखंड)	दिनहाटा	फुलबारी	6	
47	i. दक्षिण मसाल डांगा	दिनहाटा	भुंगामारी	6	571.38
	ii. दक्षिण मसालडांगा (अपखंड)	दिनहाटा	भुंगामारी	6	
	iii. दक्षिण मसालडांगा (अपखंड)	दिनहाटा	भुंगामारी	6	
	iv. दक्षिण मसालडांगा (अपखंड)	दिनहाटा	भुंगामारी	6	
	v. दक्षिण मसालडांगा (अपखंड)	दिनहाटा	भुंगामारी	6	
	vi. दक्षिण मसालडांगा (अपखंड)	दिनहाटा	भुंगामारी	6	

(परिशिष्ट 1)

1	2	3	4	5	6
48	i. पश्चिम मसालडांगा	दिनहाटा	भुंगामारी	4	29.49
	ii. पश्चिम मसालडांगा (अपखंड)	दिनहाटा	भुंगामारी	4	
49	i. पूरबा छिट मसालडांगा	दिनहाटा	भुंगामारी	10	35.01
	ii. पूरबा छिट मसालडांगा (अपखंड)	दिनहाटा	भुंगामारी	10	
50	i. पूरबा मसालडांगा	दिनहाटा	भुंगामारी	11	153.89
	ii. पूरबा मसालडांगा (अपखंड)	दिनहाटा	भुंगामारी	11	
51	i. उत्तर धालडांगा	तूफानगंज	भुंगामारी	14	24.98
	ii. उत्तर धालडांगा (अपखंड)	तूफानगंज	भुंगामारी	14	
	iii. उत्तर धालडांगा (अपखंड)	तूफानगंज	भुंगामारी	14	
कुल क्षेत्र					7, 110.02

एन्क्लेव केर उपरोक्त ब्यौराक 9 अक्तूबर, 1996 सँ 12 अक्तूबर 1996 केर समय कलकत्ता मे आयोजित भारत-बांग्लादेश सम्मेलन केर समय आ संगहि 21 नवंबर, 1996 सँ 24 नवंबर, 1996 केर समय जलपाईगुडी (पश्चिमी बंगाल)-पांचागढ़ (बांग्लादेश) सेक्टर मे संयुक्त क्षेत्र निरीक्षण केर समय भारत आ बांग्लादेश द्वारा धारित अभिलेख सँ संयुक्त रूपसँ मिलान कएल गेल अछि आ ओकरा समाधानप्रद बनाओल गेल अछि।

बिग्रेडियर जे. आर. पीटर
निदेशक, भू-अभिलेख आ सर्वेक्षण
(पदेन), पश्चिमी बंगाल, भारत
आ निदेशक, पूर्वी क्षेत्र भारतीय
सर्वेक्षण, कलकत्ता

मो. शफी उद्दीन
महानिदेशक, भू-अभिलेख आ
सर्वेक्षण, बांग्लादेश

परिशिष्ट 2

¹संविधान (जम्मू-कश्मीर पर लागू) आदेश, 2019

सं. आ. 272

संविधान के अनुच्छेद 370 के खंड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तिक प्रयोग करैत राष्ट्रपति, जम्मू-कश्मीर राज्य सरकारक सहमति सँ निम्नलिखित आदेश करैत अछि-

1. (1) एहि आदेशक नाम संविधान (जम्मू-कश्मीर पर लागू) आदेश, 2019 अछि।

(2) ई शीघ्रहि प्रवृत्त होएत आ एकर बाद ई समय-समय पर यथा संशोधित संविधान (जम्मू-कश्मीर पर लागू) आदेश 1954 केर अधिक्रमण करत।

2. समय-समय पर संशोधित संविधान केर सभ उपबंध जम्मू-कश्मीर राज्य केर संबंधमे लागू होएत आ जाहि अपवाद आ संशोधन केर अधीन ई लागू होएत निम्न प्रकारँ रहत :-

अनुच्छेद 367 मे निम्नलिखित खंड जोड़ल जाएत, अर्थात् :-

“(4)संविधान, जत’ धरि ई जम्मू-कश्मीर केर संबंधमे लागू अछि, केर प्रयोजनक लेल-

क. एहि संविधान आ एकर उपबंध केर निर्देश केँ, उक्त राज्य केर संबंधमे यथा लागू संविधान आ ओकर उपबंध केर निर्देश मानल जाएत ;

ख. जाहि व्यक्ति केँ राज्यक विधान सभा केर संस्तुति पर राष्ट्रपति द्वारा जम्मू-कश्मीर केर सदर-ए-रियासत, जे तत्स्थानिक रूपसँ पदासीन राज्यक मंत्रि-परिषद केर सलाह पर काज क’ रहल अछि ; केर रूपमे तत्स्थानिक रूपसँ मान्यता देल गेल अछि ;ओकरा लेल निर्देश केँ जम्मू-कश्मीर केर राज्यपालक लेल निर्देश मानल जाएत ;

ग. उक्त राज्यक सरकार केर निर्देश केँ, ओकर मंत्रिपरिषद केर सलाह पर काज क’ रहल जम्मू-कश्मीर केर राज्यपालक लेल निर्देश केँ सम्मिलित करैत मानल जाएत ; आ

घ. एहि संविधान केर अनुच्छेद 370 केर परंतुक मे “खंड (2) मे उल्लिखित राज्यक संविधान सभा” अभिव्यक्ति केँ “राज्य केर विधान सभा” पढ़ल जाएत।”

¹ विधि आ न्याय मंत्रालय (विधायी विभाग) केर अधिसूचना सं. सा. का. नि. 551 (ड), तिथि 5 अगस्त, 2019 भारतक राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3 उपखंड (1) मे प्रकाशित।

परिशिष्ट 3

¹संविधानक अनुच्छेद 370 (3) केर अधीन घोषणा

सं. आ. 273

¹राष्ट्रपति, संसद केर संस्तुति पर भारतक संविधान केर अनुच्छेद 370 केर खंड 91) केर संग पठित अनुच्छेद 370 केर खंड (3) द्वारा प्रदत्त शक्तिक प्रयोग करैत ई घोषणा करैत अछि जे 6 अगस्त, 2019 सँ उक्त अनुच्छेद 370 केर सभ खंड, निम्नलिखितकें छोड़ि कए जे नीचा देल गेल केर अनुसारें अछि, प्रचलन मे नहि रहत, अर्थात् :-

“370 एहि संविधानक समय-समय पर यथा संशोधित, सभ उपबंध बिना कोनो उपांतरण वा अपवाद केर अनुच्छेद 152 आ अनुच्छेद 308 आ एहि संविधान केर कोनो अन्य अनुच्छेद वा जम्मू-कश्मीर केर संविधानमे कोनो अन्य उपबंध आ कोनो विधि दस्तावेज, निर्णय, अध्यादेश, आदेश, उपविधि, नियम, विनियम, अधिसूचना आ भारत केर राज्यक्षेत्रमे विधि केर शक्ति राखए वला कोनो रूढ़ि आ प्रथा आ कोनो आन लिखित, संधि आ अनुबंध जे अनुच्छेद 363 केर अधीन यथा परिकल्पित आ अन्यथा अछि, मे तत्प्रतिकूल कोनो बातक अंतर्विष्ट होएबाक बावजूद, जम्मू-कश्मीर राज्य केँ लागू होएत।”

¹ विधि आ न्याय मंत्रालय (विधायी विभाग) केर अधिसूचना सं.सा.का.नि. 562 (ड), तिथि 6 अगस्त, 2019 भारत केर राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3 उपखंड (i) मे प्रकाशित।



Language consultancy and translation facilitated by
National Translation Mission
Central Institute of Indian Languages, Mysore
